



## प्रकाशकीय

वाचक उमास्वाति व  
एवं अद्वितीय कृति है।

029250

न दर्शन'की अमर-

ल, खगोल आदि

समस्त महत्वपूर्ण विद्यों का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रन्थ जैन दर्शन को सर्वप्रथम सस्कृत कृति है। इसकी भाषा सरल एवं शैली प्रचाहरणीय है। इस लोकप्रिय ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ एवं विवेचन लिखे गए हैं। उनमें पटितप्रबर सुखलालजी सधघीकृत प्रस्तुत विवेचन का प्रमुख स्थान है। हिन्दी आदि आवृत्तिक भारतीय भाषाओं में विवरचित तत्त्वार्थ-विवेचनों में पटितजी की यह कृति नि सम्बद्ध सर्वोपरि है। इसमें समस्त ग्रामीण सस्कृत टीकाओं का सार समाहित है। प्रारम्भ में पंडितजी की विस्तृत प्रस्तावना ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह विवेचन गुजराती तथा अग्रेजी में भी प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी विवेचन का यह तृतीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इस संस्करण में प्रस्तावना के अन्त में जापानी विदुषी कुमारी सुजुको ओटिरा का चिन्तनपूर्ण निबन्ध दिया गया है जो तत्त्वार्थसूत्र की मूल पाठविपथक समस्या पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस तरह प्रस्तुत संस्करण को प्रत्येक दृष्टि से सहयोगी बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है।

इम ग्रन्थ का प्रकाशन अमृतसर के स्व० लाला जगन्नाथ जैन की पुण्यस्मृति में किया गया है। आप सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति के सम्मान्य अधीक्षी लाला हरजससराय जैन के पूज्य पिता थे। आपकी तथा आपकी सहविष्णी स्व० श्रीमती जीवनदेवी दोनों की स्मृति में 'जीवन-जगन चेरिटेवल ट्रस्ट' की स्थापना की गई है। इस ट्रस्ट से पाश्वनाथ विद्याभ्रम शोध संस्थान को आर्थिक उद्घाताप्राप्त होती रहती है।

संस्थान ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद का विशेष आश्रामी है जिसने चार हजार रुपये का अनुदान देकर प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन-अध्ययन का आधा भार सहर्ष बहन किया है। पूज्यप्रबर ५० सुखलालजी एवं परमादरणीय ८० दलसुखमाई माल-वणिया का दो संस्थान प्रारम्भ से ही उभणी है। हमारे सहयोगी श्री जगन्नालाल जैन ने सम्पादन कार्य एवं ग्रन्थ को अघुनातन द्व्य में प्रस्तुत करने में पूर्ण सहयोग दिया है, अतः उनका मैं अत्यन्त आभारी हूँ। कुण्डल मुद्रण के लिए शिवलाल प्रिण्टर्स के सचालक श्री हरिप्रसाद निगम धन्यवाद के पात्र हूँ।

पाइरेनाय विद्याभ्रम शोध संस्थान

वाराणसी-५

१. ७. ७६

मोहनलाल भेत्रा

अध्यक्ष



## प्राक्कथन

तत्त्वार्थसूत्र-विवेचन का प्रथम गुजराती संस्करण सन् १९३० में गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था। उसी के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन सन् १९३९ में श्री आत्मानन्द जन्म-शताब्दी स्मारक ग्रन्थमाला, बम्बई से प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस हिन्दी संस्करण के परिचय ( प्रस्तावना ) में कुछ संशोधन किया गया था और इसमें सम्पादक श्री कृष्णचन्द्रजी और प० दलसुखभाई मालवणिया के अब्दसूचा और सूत्रपाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा था। ‘परिचय’ में विशेषत वाचक उमास्वति की परम्परा के विषय में पुनर्विचार करते हुए यह कहा गया था कि वे श्वेताम्बर परम्परा के थे। इसी हिन्दी संस्करण के आधार पर गुजराती का दूसरा संस्करण सन् १९४० में श्री पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ और विवेचन में दा-चार स्थानों पर विशेष स्पष्टीकरण बढ़ाकर उसका तीसरा संस्करण उसी ग्रन्थमाला से सन् १९४९ में प्रकाशित हुआ। बाद में हिन्दी का दूष्प्राप्त संस्करण उक्त स्पष्टीकरणों के साथ जैन संस्कृति संशोधन मंडल, बनारस से सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ।

प्रथम गुजराती संस्करण ( सन् १९३० ) के वक्तव्य का बावजूद अश यहाँ दिया जा रहा है, जिससे मुख्यतया तोन वातें ज्ञात होती हैं। पहली यह कि शुरू में विवेचन किस ढंग से लिखने की इच्छा थी और अन्त में वह किस रूप में लिखा गया। दूसरी यह कि हिन्दी में विवेचन लिखना प्रारंभ करने पर भी वह प्रथम गुजराती में क्यों और किस परिस्थिति में समाप्त किया गया और फिर सारा का सारा विवेचन गुजराती में ही प्रथम क्यों प्रकाशित हुआ। तो सुरी यह कि कैसे और किन अधिकारियों को लक्ष्य में रखकर विवेचन लिखा गया है, उसका आधार क्या है और उसका स्वरूप तथा शैली कैसी रक्षी गई है।

“प्रथम कल्पना—ऋग्भग १२ वर्ष पहले जब मैं अपने सहृदय मित्र श्री रमणिकलाल मण्णलाल भोदी, बी० ए० के साथ पूना में था तब हम दोनों ने मिलकर साहित्य-निर्माण के विषय में बहुत विचार करने के

- आठ -

बाद तीन ग्रन्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की । इवेताभ्वर-दिग्भ्वर दोनों सम्प्रदायों में प्रतीदन बढ़ती हुई पाठशालाओं, छात्रालयों और विद्यालयों में जैन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने लगी वैसे-वैसे चारों ओर से दोनों सम्प्रदायों में मान्य नई शैली के लोकभाषा में लिखे गए जैन-दर्शन विषयक ग्रंथों की माँग भी होने लगी । यह देखकर हमने निश्चय किया कि 'तत्त्वार्थ' और 'सन्मतितक' इन दोनों ब्रथों का तो विवेचन किया जाए और उसके परिणामस्वरूप तृतीय पुस्तक 'जैन पारिभाषिक शब्दकोश' स्वतन्त्र रूप से लिखी जाए । इस प्रथम कल्पना के अनुसार हम दोनों ने तत्त्वार्थ के विवेचन का काम आज से ११ वर्ष पूर्व ( सन् १९१९ में ) आगरा में प्रारम्भ किया ।

"अपनी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहे न रहे उसके पूर्व ही वे पक्षियों की तरह भिन्न-भिन्न दिशाओं में तितर-वितर हो गए और बाद में तो आगरा के इस घोसले में अकेला मैं ही रह गया । तत्त्वार्थ का आरम्भ किया गया कार्य और अन्य कार्य मेरे अकेले के बस के न थे और यह कार्य चाहे जिस तरह पूर्ण करने का निश्चय भी चुप न रहने देता था । महयोग थोड़ मित्रों का आकर्षण देखकर मैं आगरा छोड़कर अहमदाबाद चला गया । वहाँ मैंने 'सन्मति' का कार्य हाथ में लिया और तत्त्वार्थ के दो-चार सूत्रों पर आगरा में जो कुछ लिखा वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा ।

"भावनगर में" सन् १९२१-२२ में सन्मति का काम करते समय बीच-बीच में तत्त्वार्थ के अधूरे काम का स्मरण हो आता और मैं चिन्तित हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी उपयुक्त इष्ट मित्रों के अभाव के कारण मैंने तत्त्वार्थ के विवेचन की पूर्व निश्चित विशाल योजना दूर करके अपना उतना भार कम किया, पर इस कार्य का सकल्य ज्यों का त्यों था । इसलिए स्वास्थ्य के कारण जब मैं विश्रान्ति के लिए भाव-नगर के पास बालू-झुड़ गाँव गया तब फिर तत्त्वार्थ का कार्य हाथ में लिया और उसकी विशाल योजना सक्षिप्त करके मध्यममार्ग अपनाया । इस विश्रान्ति-काल मे भिन्न-भिन्न जगहों में रहकर लिखा । इस काल मे लिखा तो कम गया पर उसकी एक रूपरेखा ( पद्धति ) मन मे निश्चित हो गई और कभी अकेले लिखने वा विश्वास उत्पन्न हुआ ।

'मैं उन दिनों गुजरात में ही रहता था और लिखता था । पूर्व-

निश्चित पद्धति को भी संकुचित करना पड़ा था, फिर भी पूर्व सस्कारों का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, मानव-शास्त्र के इस नियम से मैं भी बद्ध था। आगरा में लिखने के लिए सोची गई और काम में लाई गई हिन्दी भाषा का सस्कार मेरे मन में कायम था। इसलिए मैंने उसी भाषा में लिखना शुरू किया। हिन्दी भाषा में दो अध्याय लिखे गए। इतने में ही बीच मेरे रुपे हुए सन्मति के काम का सिलसिला पुनः प्रारम्भ हुआ और इसके प्रवाह में तत्त्वार्थ के कार्य को बही छोड़ना पड़ा। स्थूल रूप से काम चलाने की कोई आशा नहीं थी, पर मन तो अधिकाधिक कार्य कर ही रहा था। उसका थोड़ा-बहुत मूर्त रूप आगे चलकर दो वर्ष बाद अवकाश के दिनों में कलकत्ता में सिद्ध हुआ और चार अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार का मानविक और शारीरिक दबाव बढ़ता ही गया, इसलिए तत्त्वार्थ को हाथ में लेना कठिन हो गया और पूरे तीन वर्ष अन्य कामों में बीत गए। सन् १९२७ के ग्राहमावकाश में लीमडो गया। तब फिर तत्त्वार्थ का काम हाथ में आया और वह थोड़ा आगे बढ़ा भी, लगभग छ अध्याय तक पहुँच गया। पर अन्त में मुझे प्रतीत हुआ कि अब सन्मति का कार्य पूर्ण करने के बाद ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेना श्रेयस्कर है। इसलिए सन्मतितक का कार्य दुगुने देवग से करने लगा। पर इतने समय तक गुजरत में रहने से और इष्ट मित्रों के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुजराती-सस्करण निकाला जाए। यह नवीन संस्कार प्रबल था। पुराने संस्कार से हिन्दी भाषा में छ अध्यायों का लेखन हो गया था। हिन्दी से गुजराती करना शक्य और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं था। शेष अशा गुजराती में लिखूँ तो भी प्रथम हिन्दी में लिखे हुए का क्या उपयोग? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी सरल बात नहीं थी। ये सभी असुविधाएँ थी, पर भाग्यवश इनका भी अन्त आ गया। विद्वान् और सहदय मित्र रसिकलाल छोटालाल परीख ने हिन्दी से गुजराती में अनुवाद किया और शेष चार अध्याय मैंने गुजराती में ही लिख डाले। इन चार अध्यायों का हिन्दी अनुवाद श्री कृष्णचन्द्रजी ने किया है। इस तरह लगभग न्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया हुआ सकल्प पूर्ण हुआ।

“पद्धति—पहले जब तत्त्वार्थ पर विवेचन लिखने की कल्पना आई तब निश्चित की गई योजना के पीछे दृष्टि यह थी कि सपूर्ण जैन तत्त्वज्ञान और जैन आचार का स्वरूप एक ही स्थान पर प्रामाणिक रूप में

उसके विकासक्रमानुसार प्रत्येक अभ्यासी के लिए सुलभ हो जाए। जैन और जैनेतर तत्त्वज्ञान के अभ्यासियों की सकुचित परिभाषामेद को दीवाल तुलनात्मक वर्णन से दूट जाए और आज तक के भारतीय दर्शनों में या पश्चिमी तत्त्वज्ञान के चिन्तन में सिद्ध और स्पष्ट महत्त्व के विषयों द्वारा जैन ज्ञानकोश समृद्ध हो, इस प्रकार से तत्त्वार्थ का विवेचन लिखा जाए। इस धारणा में तत्त्वार्थ विषयक दोनों सम्प्रदायों की किसी एक ही टोका के अनुवाद या सार को स्थान नहीं था। इसमें टोकाओं के दोहन के अतिरिक्त दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जैन ग्रन्थों के सार का स्थान था। परन्तु जब इस विशाल योजना ने मध्यममार्ग का रूप ग्रहण किया तब उसके पीछे की हाँस भी कुछ सकुचित हुई। फिर भी मैंने इस मध्यममार्गी विवेचन-पद्धति में मुख्य रूप से निम्न बातों का ध्यान रखा है :

१. किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सार न लिखकर या किसी एक ही सम्प्रदाय के मन्त्रव्य का बिना अनुसरण किए ही जो कुछ आज तक जैन तत्त्वज्ञान के अङ्ग के रूप में यठन-चिन्तन में आया हो उसका सटस्थ भाव से उपयोग करना।

२. विवेचन महाविद्यालय या कालेज के विद्यार्थियों की जिज्ञासा के अनुकूल हो तथा पुरातन प्रणाली से अद्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को भी उचिकर लगी इस प्रकार से साम्प्रदायिक परिभाषाओं को कायम रख कर सरल विश्लेषण करना।

३. जहाँ ठीक प्रतीत हो और जितना ठोक हो उतने ही अव में संवाद के रूप में और शेष भाग में बिना सवाद के सरलतापूर्वक चर्चा करना।

४. विवेचन में सूत्रपाठ एक ही रखना और वह भी भाष्य-स्वीकृत और जहाँ महत्त्वपूर्ण अध्यमेद हो वहाँ भेदवाला सूत्र देकर नीचे टिप्पणी में उसका अर्थ देना।

५. जहाँ तक अर्थ दृष्टिसंगत हो वैसे एक या अनेक सूत्रों को माध्यरखकर उनका अर्थ लिखना और एक साथ ही विवेचन करना। ऐसा करते हुए जहाँ विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग करके शीर्षक द्वारा वर्चव्य का विश्लेषण करना।

६. वहुत प्रसिद्ध स्थल में बहुत अधिक जटिलता न आ जाए,

इसका ध्यान रखते हुए जैन परिभाषा की जैनेतर परिभाषा के साथ तुलना करना ।

७ किमी एक ही विपय पर जहाँ केवल श्वेताम्बर या दिगम्बर अथवा दोनों के मिलकर अनेक मन्त्राव्य हो वहाँ कितना और क्या लेना और कितना छोड़ना इसका निर्णय सूत्रकार के आशय की निकटता और विवेचन के परिमाण की मर्यादा को ध्यान में रखकर स्वतन्त्र रूप से करना और किसी एक ही सम्प्रदाय के वशीभूत न होकर जैन तत्त्वज्ञान या सूत्रकार का ही अनुसरण करना ।

“इतनी बातें ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में भाष्य, उसकी वृत्ति, सर्वार्थसिद्धि एव राजवार्तिक के ही अगों का विशेष रूप से आना स्वाभाविक है । वयोकि ये हाँ ग्रन्थ मूल सूत्रों की आत्मा को स्पर्शं तथा स्पष्ट करते हैं । इनमें भी मैंने प्राय भाष्य को ही प्राधान्य दिया है वयोकि यह प्राचीन एव स्वोपन्न होने से सूत्रकार के आशय को अधिक स्पर्श करता है ।

“प्रस्तुत विवेचन में पहले की विजाल योजना के अनुसार तुलना नहीं की गई है । इसलिए न्यूनता को थोड़े-बहुत अर्जों में दूर करने और तुलनात्मक प्रयान्तावानी अध्युक्त रसप्रद शिळण-प्रणाली का अनुसरण करने के लिए ‘प्रस्तावना’ में तुलना सम्बन्धी कार्य किया गया है । प्रस्तावना में की गई तुलना पाठक को ऊर-ऊगर से बहुत ही अल्प प्रतीत होगी । यह ठीक है, पर सूल्य अभ्यासी देखेंगे कि यह अल्प प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक है । प्रस्तावना में की जाने-वाली तुलना में लम्बे-लम्बे विषयों और वर्णनों का स्थान नहीं होता, इसलिए तुलनोपयोगी मुख्य मुद्दों को पहले छाटकर बाद में संभाष्य मुद्दों की वैदिक और बौद्ध दर्शनों के साथ तुलना की गई है । उन-उन मुद्दों पर व्योगेवार विचार के लिए उन-उन दर्शनों के ग्रन्थों के स्थलों का निर्देश कर दिया गया है । इससे अभ्यास करनेवालों को अपनी बुद्धि का उपयोग करने का भी अवकाश रहेगा । इसी बढ़ाने सनके लिए दर्शनांतर के अवलोकन का मार्ग भी ज्ञान जाएगा, ऐसी आशा है ।”

गुजराती विवेचन के करोब २१ वर्ष बाद सन् १९५२ में हिन्दी विवेचन का दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ । इतने समय में तत्त्वार्थ से सम्बन्ध रखनेवाला माहित्य पर्याप्त परिमाण में प्रकाशित हुआ है । भाषा-दृष्टि से सस्तुत, गुजराती, अंग्रेजी और हिन्दी इन भाषाओं में

- बारह -

तत्त्वार्थ विषयक साहित्य प्रकाशित हुआ है। इसमें भी न केवल प्राचीन ग्रन्थों का ही प्रकाशन समाविष्ट है अपितु समालोचनात्मक, अनुवादात्मक, संशोधनात्मक और विवेचनात्मक आदि अनेकविष्ट साहित्य समाविष्ट है।

प्राचीन टीका-ग्रन्थों में से सिद्धसेनीय और हारिभद्रीय दोनों भाष्य-वृत्तियों को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुत श्रीमान् सागरानन्द सूरीश्वर को है। उनका एक समालोचनात्मक निवन्ध भी हिन्दी में प्रकाशित हुआ है, जिसमें वाचक उभास्वाति के श्वेताम्बर या दिग्म्बर होने के विषय में मुख्यरूप से चर्चा है। तत्त्वार्थ के मूल सूत्रों का गुजराती अनुवाद श्री हीरालाल कापड़िया, एम० ए० का तथा तत्त्वार्थभाष्य के प्रथम अध्याय का गुजराती अनुवाद विवेचनसहित प० प्रभुदास वेचरदास परीख का प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थ का हिन्दी अनुवाद जो वस्तुत, मेरे गुजराती विवेचन का अक्षरशः अनुवाद है वह फलोदी (मारवाड़) के श्री मेघराजजी मुणोत के द्वारा तैयार होकर प्रकाशित हुआ है। स्थानकवासी मुनि (बाद में आचार्य) आत्मागमजी उपाध्याय के द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागम समन्वय' नामक दो पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनमें से एक हिन्दी अर्थयुक्त है और दूसरी हिन्दी अर्थ-रहित आगमपाठवाली है।

श्री रामजीभाई दोङी का गुजराती तत्त्वार्थ-विवेचन सोनगढ़ से प्रकाशित हुआ है। प्र०० जी० बार० जैन का तत्त्वार्थ के पचम अध्याय वा। विवेचन आधुनिक विज्ञान की हाइ से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है।<sup>१</sup> प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य द्वारा सम्पादित श्रूतसागर-चार्यकृत तत्त्वार्थवृत्ति, प० लालबहादुर शास्त्रीकृत तत्त्वार्थसूत्र का हिन्दा अनुवाद और प० फूलचंद्रजी का हिन्दी विवेचन वनारस से प्रकाशित हुआ है। तत्त्वार्थसूत्र की भास्करनदिकृत सुखबोधवृत्ति ओरिएण्टल लायब्रेरी पब्लिकेशन की सस्कृत सीरीज में ८४वी पुस्तक रूप से प्रकाशित हुई है जो प० आन्तिराज शास्त्री द्वारा सम्पादित है। यह वृत्ति १४वी शताब्दी की है। तत्त्वार्थत्रिसूत्रीप्रकाशिका नामक च्याल्या जो श्री विजयलालावण्यसूरिकृत है और जो श्री विजयनेमिसूरि ग्रन्थमाला के २२ वें रत्न के रूप में प्रकाशित हुई है, वह पंचमाध्याय के

उत्पादव्यादि तीन सूत्रों (५ २९-३१) की समाध्य सिद्धसेनोग्र वृत्ति का विस्तृत विवरण है।

पिछले २१ वर्षों में प्रकाशित व निर्मित तत्त्वार्थावधयक साहित्य का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो तत्त्वार्थ के अध्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षों में किस तरह और कितने परिमाण में बढ़ गया है और दिन-प्रतिदिन उसके बढ़ने की कितनी अधिक सम्भावना है। पिछले वर्षों के तत्त्वार्थ-विषयक तीनों सम्प्रदायों के परिशोलन में मेरे 'गुजराती विवेचन' का कितना हिस्सा है यह वतलाना मेरा काम नहीं। फर भी इतना अवश्य कह सकता हूँ कि तीनों सम्प्रदायों के योग्य अधिकारियों ने मेरे 'गुजराती विवेचन' को इतना अधिक अपनाया कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं करता था।

तत्त्वार्थ के प्रथम हिन्दी संस्करण के प्रकाशित होने के बाद तत्त्वार्थ सूत्र, उसका भाष्य, बाचक उमास्वाति और तत्त्वार्थ की अनेक टीकाएँ इत्यादि विषयों पर अनेक लेखकों के अनेक लेख निकले हैं। परन्तु यहाँ मुझे श्रीमान् नाथूरामजी प्रेमी के लेख के विषय में ही कुछ कहना है। प्रेमीजी का 'भारतीय विद्या' के सिद्धो स्मारक अक में 'बाचक उमास्वाति का समाध्य तत्त्वार्थसूत्र और उनका सम्प्रदाय' नामक लेख प्रकाशित हुआ है। उन्होंने दोष कहापोह के बाद यह वतलाया है कि बाचक उमास्वाति यापनीय संघ के आचार्य थे। उनको अनेक दलीलें ऐसी हैं जो उनके मंतव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं, इसलिए उनके मन्तव्य की विशेष छानबीन करने के लिए सटोक भगवती आराधना का खास परिशोलन प० दलसुख मालवणिया ने किया। फल-स्वरूप जो नोट उन्होंने तैयार किए उन पर हम दोनों ने विचार किया। विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टीकाएँ और वृहत्कल्प-भाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया गया। यथासम्भव इस प्रश्न पर मुक्त मन से विचार किया गया। आखिर हम दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि बाचक उमास्वाति यापनीय न थे, वे सचेल परम्परा के थे, जैसा कि हमने प्रस्तावना में दरसाया है। हमारे अवलोकन और विचार का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है :

१. देवें—अनेकान्त, वर्ष ३, अंक १, ४, ११, १२; वर्ष ४, अंक १, ४, ६, ७, ८, ११, १२, वर्ष ५, अंक १-११; जैन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष ८ और ९; जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ६, अंक ४; भारतीय विद्या का सिंधी स्मारक अंक ।

- चौदह -

१. भगवती आराधना और उसके टीकाकार अपराजित दोनों यदि यापनीय हैं तो उनके ग्रन्थ से यापनीय संघ के आचारविषयक निम्न लक्षण फलित होते हैं—

( क ) यापनीय आचार का ओत्सर्गिक अंग अचेलत्व अथवा नगत्व है।

( ख ) यापनीय संघ में भुनि की सरह आर्यों का भी मोक्षलक्षी स्थान है। अवस्थाविशेष में उनके लिए भी निर्वसनभाव का उपदेश है।

( ग ) यापनीय आचार में पाणितल-आहार का विधान है और कमण्डलु-पिच्छी के अतिरिक्त और किसी उपकरण का ओत्सर्गिक विधान नहीं है।

उक्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य और प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन के साथ बिलकुल मेल नहीं लाते, क्योंकि उनमें स्पष्ट रूप से भुनि के वस्त्र-पात्र का वर्णन है। कहीं भी नगत्व का ओत्सर्गिक विधान नहीं है एवं कमण्डलु-पिच्छी जैसे उपकरण का तो नाम तक नहीं है।

२. श्री प्रेमीजी की एक दलील यह भी है कि पुण्य-प्रकृति आदि विषयक उमास्वाति का मन्त्रव्य अपराजित की टीका में पाया जाता है। परन्तु गच्छ तथा परम्परा की उत्त्वज्ञानविषयक मान्यताओं के इतिहास से स्पष्ट है कि कभी-कभी एक ही परम्परा में परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाली सामान्य एवं छोटी मान्यताएँ पाई जाती हैं। इतना ही नहीं अपितु दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाली परम्पराओं में भी कभी-कभी ऐसी सामान्य व छोटी-छोटी मान्यताओं का एकत्व मिलता है। ऐसी स्थिति में वस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रपात्र के विरोधी यापनीय संघ की अमुक मान्यताओं के साथ साम्य हो तो कोई अचरण की बात नहीं।

पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री ने उत्त्वार्थसूत्र के अपने विवेचन की प्रस्ता-वना में गृध्रपिच्छ को सूत्रकार और उमास्वाति को भाष्यकार बतलाने का प्रयत्न किया है। पर यह प्रयत्न जितना इतिहास-विरुद्ध है उतना ही तर्कवाधित भी है। उन्होंने जब यह लिखा कि शुरू की कारिकाओं में ऐसी कोई कारिका नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो तब जान पड़ता है कि एकमात्र अपना मन्त्रव्य स्थापित करने की ओर इतने शुक्र गए कि जो अर्थ स्पष्ट है वह भी या तो उनके ध्यान में आया नहीं या उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी। अन्य कर्मकारों की कथा छोड़

दें तो भी कारिकाएँ २२ और ३१ इतनी स्पष्ट हैं कि जिनके उपास्वातिकर्तृक सुन्नतश्रग्ह या उभास्वातिकर्तृक मोक्षमार्ग शास्त्ररूप अर्थ में सन्देह को लेशमात्र अवकाश नहीं रहता।

प० कैलशचन्द्रजी ने अपने हिन्दी अर्थसंहित तत्त्वार्थसुन्नत की प्रस्तावना में तत्त्वार्थभाष्य की उपास्वातिकर्तृकता तथा भाष्य के समय के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हे ध्यानपूर्वक देखने के बाद कोई तटस्थ इतिहासक उनको प्रमाणभूत नहीं मान सकता। पडितजी को जहाँ कही भाष्य की स्वोपकारा या राजवातिक आदि में भाष्य के उल्लेख की संभावना दोख पड़ी वहाँ उन्होंने प्राय सर्वत्र निराधार कल्पना के बल पर अन्य वृत्ति को भानकर उपस्थित ग्रन्थ को अवधीन बतलाने का प्रयत्न किया है। इस विषय में प० फूलचन्द्रजी आदि अन्य पडित भी एक ही मार्ग के अनुगामी हैं।

हिन्दो का पहला सस्करण समाप्त हो जाने पर इसकी निरन्तर बढ़ती हुई मार्ग को दख़कर जैन संस्कृति संशोधन महल, बनारस के मन्त्री और मेरे मित्र प० दलसुख मालवणिया दूसरा सस्करण प्रकाशित करने का विचार कर रहे थे। इसी दीच सहृदय श्री रिघभदासजी राकाँ का उमसे परिचय हुआ। श्री राकाजी ने यह सस्करण प्रकाशित करने का और यथासम्बव कम मूल्य में सुलभ कराने का अपना विचार व्यक्त किया और उसका प्रबन्ध भी किया, एतदर्थ में उनका कृतर्ज्ञ हूँ।

इस हिन्दो तत्त्वार्थ के ही नहीं अपितु अपनी लिखो हुई किसी भी गुजराती या हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सोधे भाग लेने की मेरा सचिवहृत समय से नहीं रही है। मैंने यही सोच रखा है कि अभी तक जो कुछ सोचा और लिखा गया है वह यदि किसी भी हाइ से किसी संस्था या किन्हीं व्यक्तियों को उपयोगी जैवेगा तो वे उसके लिए जो कुछ करना होगा, करेंगे। मैं अब अपने लेख आदि में क्यों उलझा रहूँ? इस विचार के बाद मेरा जो जीवन या जो शक्ति अवशिष्ट है उसे मैं आवश्यक नए चिन्तन आदि में लगाता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में हिन्दो तत्त्वार्थ के दूसरे सस्करण के प्रकाशन में विशेष सचिव लेना मेरे लिए संभव नहीं था। यदि यह भार मुझ पर ही रहता तो दूसरा संस्करण लिकल ही न पाता। एतद्विषयक सारा दायित्व अपनी इच्छा और उत्साह से प० श्री मालवणिया ने अपने ऊपर ले लिया और उसे अन्त तक भलीभांति निभाया भी। द्वितीय सस्करण के प्रकाशन के लिए

## - सोलह -

जितना और जो कुछ साहित्य पढ़ना पड़ा, समुचित परिवर्तन के लिए जो कुछ कहापाह करना पड़ा और बन्ध व्यावहारिक बातों को सुलझाना पड़ा, वह सब श्री मालवणिया ने स्वयं स्फूर्ति से किया है। हम दोनों का जो संबन्ध है वह आभार भानने को प्रेरित नहीं करता। फिर भी इस बात का उल्लेख इसीलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक वस्तुस्थिति जान सकें।

प्रस्तुत तृतीय स्करेण की प्रस्तावना में केवल अगस्त्यसिंहचूर्णि का तथा नयचक्र का निर्देश बढ़ा दिया गया है जो सूत्रभाष्य की एक-कर्तृकर्ता की सिंदूर में सहायक है।

विवेचन में ध्यान ( ६ २७ ) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार के उस भूत का टिप्पणी में निर्देश किया गया है जिसका अनुसरण किसी ने भी नहीं किया।

—सुखलाल

## विषयानुक्रम

### — प्रस्तावना —

<b>१. तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति</b>	<b>१-२८</b>
(क) वाचक उमास्वाति का समय ६, (ख) उमास्वाति की योग्यता १३, (ग) उमास्वाति की परम्परा १५, (घ) उमास्वाति की जाति और जन्मस्थान २७	
<b>२. तत्त्वार्थ के व्याख्याकार</b>	<b>२८-४२</b>
(क) उमास्वाति २८, (ख) गन्धहस्ती २९, (ग) मिद्दसेन ३४, (घ) हुग्मद्र ३६, (ङ) यजोभद्र तथा यशोभद्र के निष्ठ ३७, (च) मलयगिरि ३८, (छ) चिरंतनमुनि ३८, (ज) वाचक यजोविजय ३८, (झ) गणी यशोविजय ३९, (अ) पूज्यपाद ४०, (ट) भट्ट अकलङ्क ४१, (ठ) विद्यानन्द ४१, (ड) शतमागर ४१, (ढ) विवृधमेन, योगीन्द्रदेव, लक्ष्मीदेव, योगदेव और अभयनन्दिसूरि आदि ४२	
<b>३ तत्त्वार्थसूत्र</b>	<b>४२-५९</b>
(क) प्रेरकसामग्री : १. आगमज्ञान का उत्तराधिकार ४२, २. संस्कृतभाषा ४२, ३. दर्शनान्तरो का प्रभाव ४३, ४ प्रतिभा ४४	
(ख) रचना का उद्देश्य	४५
(ग) रचनाक्षेत्री	४४
(घ) विषयवर्णन : विषय को चुनाव ४६, विषय का विभाजन ४७, ज्ञानमीमांसा की सारभूत वार्ते ४७, तुलना ४८, ज्ञेयमीमांसा की भारभूत वार्ते ४९, तुलना ५०, चारित्रमीमांसा की सारभूत वार्ते ५३, तुलना ५४	
<b>४. तत्त्वार्थ की व्याख्याएँ</b>	<b>५९-७१</b>
(क) भाष्य और सर्वार्थसिद्धि : १. सूत्रसंख्या ६१,	

## बठारह -

२. अर्थमेद ६१, ३. पाठान्तरविषयक भेद ६१, ४. यथा- यता : (क) शैलीमेद ६१, (ख) अर्थविकास ६३, (ग) साम्प्रदायिकता ६४	
(ख) दो वार्तिक	६५
(ग) दो वृत्तियाँ	६८
(घ) खण्डित वृत्ति	७१
(ड) रत्नसिंह का दिव्यण	७१
<b>परिशिष्ट</b>	<b>७२-७८</b>
(क) प्रश्न ७२, (ख) प्रेमीजी का पत्र ७३, (ग) जुगल- किशोरजी मुख्तार का पत्र ७४, (घ) मेरी विचारणा ७६ अध्ययन विषयक सूचनाएँ	७६-८३
तत्त्वार्थसूत्र का मूल पाठ (मुजुको ओहिरा)	८४-१०७
मूल सूत्र	१०९-१३८

## — विवेचन —

### १/ज्ञान

<b>मोक्ष के साधन</b>	<b>१</b>
मोक्ष का स्वरूप १, साधनों का स्वरूप २, साधनों का साहचर्य २, साहचर्य-नियम २	
सम्यग्दर्शन का लक्षण	४
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु	४
निष्वय और व्यवहार सम्बन्ध ४, सम्बन्ध के लिङ्ग ४, हेतुमेद ४, उत्पत्ति-क्रम ५	
तात्त्विक अर्थों का नाम-निर्देश	५
निष्वेषों का नाम-निर्देश	६
तत्त्वों को जानने के उपाय	८
नय और प्रमाण का अन्तर ८	
तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणा द्वारों का निर्वेश	८
सम्यज्ञान के भेद	९
प्रमाण-वर्गी	१२

- उप्रीस -

प्रमाण-विभाग १२, प्रमाण-लक्षण १२	
भत्तज्ञान के एकार्थक शब्द	१३
भत्तज्ञान का स्वरूप	१४
भत्तज्ञान के भेद	१५
अवग्रह आदि उक्त चारों भेदों के लक्षण १५	
अवग्रह आदि के भेद	१६
सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय	१९
इन्द्रियों की ज्ञानीत्पत्ति-पद्धति-सम्बन्धी	
गिनती के कारण अवग्रह के अवान्तर भेद	२०
दृष्टान्त २१	
धृतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद	२४
अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी	२७
मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर	२९
अवधि और मनःपर्याय में अन्तर	३०
पांचों ज्ञानों का ग्राह्य विषय	३१
एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञान	३२
विपर्यज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु	३४
नय के भेद	३५
नयों के निरूपण का भाव ३६, नयवाद की देशना और उसकी विशेषता ३६, सामान्य लक्षण ३८, विशेष भेदों का स्वरूप ३९, नैगमन्य ४०, सग्रहन्य ४०, व्यवहारन्य ४१, शृजुसूत्रन्य ४२, अवदन्य ४२, समभिस्थृत्यन्य ४३, एवमूतन्य ४४, शेष वक्तव्य ४४	
३ जीव	
पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण	४६
भावों का- स्वरूप ४८, औपशमिक भाव के भेद ४९, सायिक भाव के भेद ४९, सायोपशमिक भाव के भेद ४२, औदयिक भाव के भेद ४२, पारिषामिक भाव के भेद ५०	
जीव का लक्षण	५०
उपयोग की विविधता	५२
जीवरात्रि के लिखान	५३
संसारी जीवों के भेद-प्रभेद	५४

- बीस -

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम-निर्देश	५६
इन्द्रियों के नाम ५७	
इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय	५८
इन्द्रियों के स्वामी	६०
जन्मतराल गति सम्बन्धी धोग आदि पाँच वात	६२
धोग ६३, गति का नियम ६४, गति का प्रकार ६४, गति का कालमान ६५, अनाहार का कालमान ६५	
जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी	६७
जन्म-भेद ६७, योनि-भेद ६७, जन्म के स्वामी ६९	
शरीरों के विषय	६९
शरीर के प्रकार तथा व्याख्या ७१, स्थूल-सूक्ष्म भाव ७१, आरम्भक या उपादान द्रव्य का परिमाण ७२, अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा और स्वामी ७३, स्वभाव ७३, कालमर्यादा ७३, स्वामी ७३, एक साथ लभ्य शरीरों की सख्त्या ७४, प्रयोजन ७५, जन्मस्थिष्ठता और कृत्रिमता ७६	
वेद ( लिंग ) के प्रकार	७७
विभाग ७८, विकार की तरतमता ७८	
आयुष के प्रकार और उनके स्वामी	७८
अधिकारी ८०	
। न. अधोलोक-मध्यलोक	
नारकों का वर्णन	८२
नरकावासों की संख्या ८५, लेश्या ८६, परिणाम ८६, शरीर ८६, वेदना ८६, विक्रियो ८६, नारकों की स्थिति ८७, गति ८७, आगति ८७, द्वीप-समुद्र आदि की अवस्था ८८	
मध्यलोक	८८
द्वीप और समुद्र ८९, व्यास ८९, रक्तना ९०, आकृति ९०, जम्बूद्वीप के क्षेत्र और प्रधान पर्वत ९०, धातकीखण्ड और पुष्कर-पूर्णद्वीप ९१, मनुष्यजाति का क्षेत्र और प्रकार ९२, कर्मभूमियाँ ९३, मनुष्य और तिर्यकों की स्थिति ९३	

- इन्द्रीय -

४. देवलोक

देवों के प्रकार	९५
तृतीय निकाय की लेश्या	९५
चार निकायों के भेद	९६
चतुर्निकाय के अवान्तर भेद	९६
इन्द्रों की संख्या	९७
प्रथम दो निकायों में लेश्या	९७
देवों का कामसुल	९८
चतुर्निकाय के देवों के भेद	९९
भवनपति १००, व्यन्तरों के भेद-अभेद १०१, पञ्चविष्णु	
ज्योतिष्ठ १०१, चरण्योतिष्ठ १०२, कालविभाग १०२,	
स्थिरज्योतिष्ठ १०३, वैमानिक देव १०३	
देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता विवरक बातें	१०५
स्थिति १०४, प्रभाव १०४, सुख और द्युति १०५, लेश्या-	
विशुद्धि १०५, इन्द्रियविषय १०५, अवधिविषय १०५,	
गति १०५, शरीर १०६, परिग्रह १०६, अभिमान १०६,	
उच्छ्वास १०६, आहार १०६, वेदना १०७, उपपात	
१०७, अनुभाव १०७	
वैमानिकों में लेश्या	१०७
कल्पों की परिणामना	१०७
लोकान्तरिक देव	१०८
अनुत्तर विमानों के देवों को विवेषता	१०९
तिर्यक्षों का स्वरूप	१०९
अधिकार-सूत्र	११०
भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति	११०
वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति	११०
वैमानिकों की जघन्य स्थिति	१११
नारकों की जघन्य स्थिति	११२
भवनपतियों की जघन्य स्थिति	११३
व्यन्तरों की स्थिति	११३
ज्योतिष्ठों की स्थिति	११३
अजीब के भेद	११४

५. अजीब

- बाइस -

भूल-प्रव्य	११५
भूल प्रव्यों का साधन्य और वैधन्य	११५
प्रदेशों की संख्या	११७
प्रव्यों का स्थितिक्षेत्र	११९
कार्य द्वारा धर्म, धर्म और वाकाश के लक्षण	१२३
कार्य द्वारा पुद्गल का लक्षण	१२५
कार्य द्वारा जीव का लक्षण	१२६
कार्य द्वारा काल का लक्षण	१२६
पुद्गल के असाधारण पर्याय	१२८
पुद्गल के मुख्य प्रकार	१३१
स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण	१३१
अचाक्षुष स्कन्ध के चाक्षुष बनने में हेतु	१३२
'सत्' की व्याख्या	१३४
विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्व का स्वरूप	१३५
व्याख्यान्तर से सत् का निष्पत्त	१३६
अनेकान्त स्वरूप का समर्थन	१३६
व्याख्यान्तर	१३७
पौद्वग्लिक बन्ध के हेतु	१३८
बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद	१३८
परिणाम का स्वरूप	१४१
प्रव्य का लक्षण	१४२
काल तथा उसके पर्याय	१४४
गुण का स्वरूप	१४५
परिणाम का स्वरूप	१४५
परिणाम के भेद तथा आशयविभाग	१४६
,८. आलव	
योग अर्थात् आलव का स्वरूप	१४८
योग के भेद और उनका कार्यभेद	१४९
स्वामिभेद से योग का फलभेद	१५०
साम्परायिक कर्मलिंग के भेद	१५१
पञ्चीस क्रियाओं के नाम और लक्षण १५१	
अन्य का कारण समान होने पर भी परिणामभेद से कर्मबन्ध	
में विशेषता	१५३

विश्वासी दी	१५४
विश्वासी दी कल्पना के लिए अपनी बातें	१५५
हमें यादें	१५५

तो जीवन की संरक्षण की वजह से वे इसकी उपलब्धि न करते हैं और उनकी विश्वासी दी के लिए उनकी जीवन की अपनी अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है। उनकी जीवन की अपेक्षा विश्वासी दी की जीवन की अपेक्षा अधिक है।

विश्वासी दी	१५५
विश्वासी दी	१५६
विश्वासी दी	१५७
विश्वासी दी	१५८
विश्वासी दी	१५९
विश्वासी दी	१६०
विश्वासी दी	१६१
विश्वासी दी	१६२
विश्वासी दी	१६३
विश्वासी दी	१६४
विश्वासी दी	१६५
विश्वासी दी	१६६
विश्वासी दी	१६७
विश्वासी दी	१६८
विश्वासी दी	१६९
विश्वासी दी	१७०
विश्वासी दी	१७१

विश्वासी दी, विश्वासी दी, विश्वासी दी, विश्वासी दी,

विश्वासी दी, विश्वासी दी,

विश्वासी दी, विश्वासी दी

- चौबीस -

नम्रत व शील के अतिचारों की संख्या तथा नाम-निर्देश	१८५
अहिंसाग्रत के अतिचार १८७, सत्यग्रत के अतिचार १८७, अस्तेयग्रत के अतिचार १८७, ब्रह्मचर्यग्रत के अतिचार १८८, अपरिहाग्रत के अतिचार १८८, दिग्विरमणग्रत के अतिचार १८९, देवावकाशिकग्रत के अतिचार १८९, अनर्थदंडविरमणग्रत के अतिचार १९०, सामायिकग्रत के अतिचार १९०, पौषधग्रत के अतिचार १९०, भोगोप- भोगग्रत के अतिचार १९०, अतिथिसंविभागग्रत के अतिचार १९०, संलेखनाग्रत के अतिचार १९०	
दान तथा उसकी विवेषता	१९०
०८. बन्ध	
बन्धहेतुओं का निर्देश	१९२
बन्धहेतुओं की व्याख्या	१९३
मिथ्यात्व १९३, अविरति, प्रभाद १९३, कषाय, योग १९४	
बन्ध का स्वरूप	१९४
बन्ध के प्रकार	१९४
भूलप्रकृति-भेदों का नामनिर्देश	१९५
उत्तरप्रकृति-भेदों की संख्या और नामनिर्देश	१९६
ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियाँ १९७, वेदनीय कर्म की प्रकृतियाँ १९८, दर्शनमोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ १९८	
आरित्रमोहनीय कर्म की पञ्चीस प्रकृतियाँ	१९८
सोलह कषाय १९८, नौ नोकषाय १९९, आयुष्कम के चार प्रकार १९९	
नामकर्म की ब्यालीस प्रकृतियाँ	२०१
चौदह पिण्डप्रकृतियाँ २०१, त्रसदशक और स्थावरदशक १९९, आठ प्रत्येकप्रकृतियाँ २००, गोत्रकर्म की दो प्रकृतियाँ २००, अन्तरायकर्म की पाँच प्रकृतियाँ २००	
स्थितिबन्ध	२०१
अनुभाव	
अनुभाव और उसका बन्ध २०२, अनुभाव का फल २०२, फलोदय के बाद मुक्त कर्म की दशा २०३	२०१
प्रदेशबन्ध	२०३

- पच्चीस -

१. पुण्य और पाप प्रकृतियाँ	२०४
पुण्यरूप में प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ २०५, पापरूप में प्रसिद्ध ८२ प्रकृतियाँ २०५	
१९. संवर-निर्जरा	
संवर का स्वरूप	२०६
संवर के उपाय	२०६
गुमि का स्वरूप'	२०७
समिति के भेद	२०७
धर्म के भेद	२०८
क्षमा २०८, मादंव २०९, आजंव २०९, शौच २१०, सत्य २१०, संयम २१०, तप २१०, त्याग २१०, आकिञ्चन्य २१०, ब्रह्मचर्य २१०	
अनुप्रेक्षा के भेद	२११
अनित्यानुप्रेक्षा २११, अशरणानुप्रेक्षा २११, संसारानुप्रेक्षा २११, एकत्वानुप्रेक्षा २१२, अन्यत्वानुप्रेक्षा २१२, अशुचित्वानुप्रेक्षा २१२, आस्थानुप्रेक्षा २१२, संवरानुप्रेक्षा २१२, निर्जरानुप्रेक्षा २१२, लोकानुप्रेक्षा २१३, बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा २१३, धर्मस्वास्थ्यात्त्वानुप्रेक्षा २१३	
परीषह	२१३
लक्षण २१४, संख्या २१४, अधिकारी-भेद २१६, काण्डनिर्देश २१६, एक साथ एक जीव में संभाव्य परीषह २१७	
चारित्र के भेद	२१७
सामायिकचारित्र २१७, छेदोपस्थापनचारित्र २१७, परिहारविशुद्धिचारित्र २१८, सूक्ष्मसंपरायचारित्र २१८, यथास्थातचारित्र २१८	
तप	२१८
वाह्य तप २१९, आम्यन्तर तप २१९	
प्रायशिचत्त आवि आम्यन्तर तपों के भेद	२१९
प्रायशिचत्त के भेद	२१९
विनय के भेद	२२०
बैयाबृत्य के भेद	२२०
स्वाध्याय के भेद	२२१

- छब्बीस -

ब्रह्मत्सर्ग के भेद	२२१
ध्यान	२२२
अधिकारी २२२, स्वरूप २२३, काल का परिमाण २२३ ध्यान के भेद और उनका फल	२२४
चारों ध्यानों के भेद और अधिकारी	२२५
आर्तध्यान	२२६
रौद्रध्यान	२२७
वर्मध्यान	२२८
मेद २२८, स्वामी २२९	२२९
शुक्लध्यान	२३०
स्वामी २२८, मेद २२८, पृथक्त्ववितर्क-सविचार २२९, एकत्ववितर्क-निविचार २२९, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती २३०, समुच्छिक्रियानिवृत्ति २३०	२३०
सम्यग्दृष्टियों की कर्मनिर्जरा का तरतमभाव	२३१
निर्गम्य के भेद	२३२
निर्गम्यों की विशेषता-द्वातक आठ बातें	२३२
संयम २३२, श्रुत २३२, प्रतिसेवना ( विराघन ) २३३, तीर्थ ( शासन ) २३३, लिङ्ग २३३, लेश्वा २३३, उपपात ( उत्पत्तिस्थान ) २३३, स्वान ( संयम के स्थान —प्रकार ) २३४	२३३
* १०. भोक्ता	
कैवल्य की उत्पत्ति के हेतु	२३५
कर्म के आत्मनिक क्षय के कारण और भोक्ता का स्वरूप	२३५
अन्य कारण	२३६
मुक्त जीव का भोक्ता के बाद तुरन्त ऊर्जवंगमन	२३७
सिद्ध्यमान गति के हेतु	२३७
सिद्धों की विशेषता-द्वातक बारह बातें	२३८
क्षेत्र २३८, काल २३८, गति २३९, लिङ्ग २३९, तीर्थ २३९, चारित्र २३९, प्रत्येकबुद्धबोधित २३९, ज्ञान २३९, अवगाहना २४०, अन्तर २४०, संख्या २४०, अल्पबहुत्व २४०	२३९
बानुक्तमणिका	२४१

**प्रस्तावना**



## १. तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति

वश दो प्रकार का होता है—जन्म-वंश और विद्या-वंश।<sup>१</sup> जब किसी के जन्म के इतिहास पर विचार करना हो तब रक्त से सम्बद्ध उसके पिता, पितामह, प्रपितामह, पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र आदि परम्परा को ध्यान में रखना होता है। जब किसी के विद्या (शास्त्र) का इतिहान जानना हो तब उस जास्त्र-रचयिता के साथ विद्या से सम्बद्ध गुरु-प्रगुरु तथा शिष्य-प्रशिष्य आदि गुरु-शिष्य परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है।

'तत्त्वार्थ' भारतीय धारणिक विद्या की जैन-शास्त्र का एक शास्त्र है अतः इसका इतिहास विद्या-वंश की परम्परा में आता है। तत्त्वार्थ में उसके रचयिता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होंने गुरु-परम्परा से प्राप्त किया है और उसे विजेप उपयोगी बनाने के उद्देश्य में अपनी हाई के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित किया है। उन्होंने उस विद्या का तत्त्वार्थ में जो स्वरूप व्यवस्थित किया, वह बाद में ज्यों का त्यों नहीं रहा। इसके अद्यतार्थों एवं टीकाकारों ने अपनी-अपनी शक्ति के अनुभार अपने-अपने समय में प्रचलित विचारवाराओं से बहुत-कुछ लेकर उस विद्या में शुद्धार, वृद्धि, पूर्ति और विकास किया है। अनएव प्रस्तुत 'प्रस्तावना' में तत्त्वार्थ और इसके रचयिता के अतिरिक्त वश-लक्ष्मा के रूप में विस्तीर्ण टीकाकारों तथा टीकाकारों का भी परिचय करना आवश्यक है।

तत्त्वार्थविगम-शास्त्र के प्रणेता जैनों के भग्नी भग्नदारों में प्रारम्भ से ही समानहृष में मान्य है। दिगम्बर उन्हें अपनी शास्त्र का और द्वेताम्बर अपनी शास्त्र का मानते आए हैं। दिगम्बर परम्परा में ये 'उमास्वामी' और 'उमास्वाति' नामों से प्रनिहं हैं, द्वेताम्बर परम्परा

---

१. ये दोनों वंद बार्य-प्रल्पर्य और बार्य-गाहृत्य में होताएं थाएं में प्रसिद्ध हैं। 'जन्म-वश' योनिस्मृत्य की प्रधानता के बारण गुरुप्राप्तम-मानेन हैं और 'विद्या-वंश' विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के बारण गुरुपरम्परा-मानेन हैं। इन दोनों वंदों का पालिनि के बारपरम्पूर्व में स्पष्ट दर्शन है, यथा 'विद्या-योनि-सम्बन्धमेवो युञ्' ४. ३. ७३। इसलिए इन दो वंदों की बन्नना पालिनि में भी शून्य प्राचीन है।

में केवल 'उमास्वाति' नाम से । इस समय दिगम्बर परम्परा में कोई-कोई तत्त्वार्थशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य<sup>१</sup> समझते हैं और इवेताम्बरो में थोड़ी-बहुत ऐसी मान्यता दिखाई देती है कि प्रज्ञापनासूत्र के रचयिता श्यामाचार्य के गुरु हारितगोत्रीय 'स्वाति' ही तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता उमास्वाति हैं<sup>२</sup> । ये दोनों मान्यताएँ प्रमाणभूत आधार के बिना बाद में प्रचलित हुई जान पड़ती हैं, क्योंकि दसवीं शताब्दी से पहले के किसी भी विश्वस्त दिगम्बर ग्रन्थ, पट्टावली या शिलालेख आदि में ऐसा उल्लेख दिखाई नहीं देता जिसमें उमास्वाति को तत्त्वार्थ-सूत्र का रचयिता कहा गया हो और उन्हीं उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य भी कहा गया हो ।<sup>३</sup> इस आशय के जो उल्लेख दिगम्बर-साहित्य में अब तक देखने में आए हैं, वे सभी दसवीं-श्यारहवीं शताब्दी के बाद

१. देखें—स्वामी समन्तभद्र, पृ० १४४ तथा आगे ।

२. आर्यमहागिरेस्तु शिष्यो बहुल-बलिस्सहौ यमल-भातरी तत्र बलिस्सहस्य शिष्य स्वाति, तत्त्वार्थाद्यो ग्रन्थास्तु तत्कृता एव सम्भाव्यन्ते । तत्त्वार्थ-श्यामाचार्य प्रज्ञापनाकृत् श्रीवीरात् षट्सप्तत्प्रथिकशतत्रये ( ३७६ ) स्वर्गमाक् ।  
—धर्मसागरीय पट्टावली ।

३. अवणवेलगोला के जिन-जिन शिलालेखों में उमास्वाति को तत्त्वार्थ-रचयिता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा गया है, वे सभी शिलालेख विक्रम की श्यारहवीं शताब्दी के बाद के हैं । देखें—माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित 'जैन शिलालेख-संग्रह' में नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८ के शिलालेख ।

नन्दिसंघ की पट्टावली भी बहुत अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य-विद्वान् होने से उसे आधार नहीं माना जा सकता, ऐसा प० जुगलकिशोरजी मुस्तार ने अपनी परीक्षा में सिद्ध किया है । देखें—स्वामी समन्तभद्र, पृ० १४४ और आगे । इससे इस पट्टावली तथा ऐसी ही अन्य पट्टावलियों में भी उपलब्ध चलेखों को अन्य विश्वस्त प्रमाणों के आधार के अभाव में ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता ।

तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृध्रपित्त्वोपलक्षितम् ।

बन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वामिमुनीश्वरम् ॥

यह तथा इसी आशय के अन्य गदा-पद्ममय दिगम्बर अवतरण किसी भी विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहत है, अतः इन्हें भी अन्तिम आधार के रूप में नहीं रखा जा सकता ।

के हैं और उनका कोई भी प्राचीन विश्वस्त आधार दिखाई नहीं देता। विचारणीय बात तो यह है कि तत्त्वार्थसूत्र के पाँचवी से नवीं शताब्दी तक के प्रसिद्ध और महान् दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनी व्याख्याओं में कहीं भी स्पष्ट रूप से तत्त्वार्थसूत्र को 'उमास्वाति' प्रणीत नहीं कहा है और न इन उमास्वाति का दिगम्बर, श्वेताम्बर या तटस्थ रूप से उल्लेख किया है।<sup>१</sup> हाँ, श्वेताम्बर साहित्य में विक्रम की आठवीं शताब्दी के ग्रन्थों में तत्त्वार्थसूत्र के बाचक उमास्वाति-रचित होने के विश्वसनीय उल्लेख मिलते हैं और इन ग्रन्थकारों की हाइ में उमास्वाति श्वेताम्बर थे, ऐसा मालूम होता है;<sup>२</sup> परन्तु १६-१७वीं शताब्दी के घर्मसागर की तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया जाय तो किसी भी श्वेताम्बर ग्रन्थ या पट्टावली आदि में ऐसा निर्देश तक नहीं पाया जाता कि तत्त्वार्थसूत्र-प्रणेता बाचक उमास्वाति श्यामाचार्य के गुरु थे।

बाचक उमास्वाति की स्व-रचित अपने कुल तथा गुरु-परम्परा को दर्शनिवाली, लेशमात्र सदेह से रहित तत्त्वार्थसूत्र की प्रशस्ति के विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्रान्ति कैसे प्रचलित हुई, यह आश्चर्य की बात है। परन्तु जब पूर्वकालीन सम्प्रदायिक व्यामोह और ऐतिहासिक हाइ के अभाव की ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या हल हो जाती है। वा० उमास्वाति के इतिहास-विषयक उनकी अपनी लिखी हुई छोटी-सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है। उनके नाम के साथ जोड़ी हुई अन्य बहुत-सी घटनाएँ<sup>३</sup> दोनों सम्प्रदायों की परम्पराओं में चली आ रही हैं, परन्तु परीक्षणीय होने से अभी उन सबको अक्षरणः सही नहीं माना जा सकता। उनकी वह सक्षिप्त प्रशस्ति इस प्रकार है :

वाचकमुख्यस्य शिवशियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण ।  
शिष्येण धोषनन्विक्षणमण्टस्यैकगदशाङ्गविदः ॥ १ ॥

वाचनया च महावाचकक्षमण्मुण्डपादेशिष्यस्य ।  
शिष्येण वाचकाचार्यमूलनाम्नः प्रथितकीर्तेः ॥ २ ॥

१. विषेष स्पष्टीकरण के लिए इसी प्रस्तावना का परिशिष्ट द्रष्टव्य है।

२. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना में पृ० १३ की टिप्पणी २।

३. जैसे कि दिगम्बरों में गृधपिछ आदि तथा श्वेताम्बरों में पाच सौ ग्रन्थों के रश्यिता-आदि।

न्यग्रोधिकाप्रसुतेन विहरता पुरवरे कुसुमनाम्नि ।  
 कौभीषणिना स्वातितनयेन वात्सीसुतेनार्थ्यम् ॥ ३ ॥  
 अर्हदवचनं सम्यग्गुरुक्तमेणागतं समुपधार्य ।  
 दुःखातं च दुरगमविहतमाति लोकमवलोक्य ॥ ४ ॥  
 इदमुच्चैनर्गिरवाचकेन सत्वानुकम्यया दृव्यम् ।  
 तत्त्वार्थाधिगमाख्यं स्पष्टमुमास्वातिना शास्त्रम् ॥ ५ ॥  
 यस्तत्त्वाधिगमाख्यं ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोत्तम् ।  
 सोऽव्यावाधसुखाख्यं प्राप्त्यत्यचिरेण परमार्थम् ॥ ६ ॥

इसका भार इस प्रकार है—

“जिनके दीक्षागुरु ग्यारह अग के घारक ‘घोषनन्दि’ क्षमण थे और गुरु वाचकमुख्य ‘शिवश्री’ थे, वाचना (विद्याग्रहण) की दृष्टि से जिसके गुरु ‘मूल’ नामक वाचकाचार्य और प्रगुरु महावाचक ‘मुण्डपाद’ थे, जो गोत्र से ‘कौभीषणि’ थे, जो ‘स्वाति’ पिता और ‘वात्सी’ माता के पुत्र थे, जिनका जन्म ‘न्यग्रोधिका’ में हुआ था और जो ‘उच्चनागर’

१. ‘उच्चनागर’ शास्त्रों का प्राकृत नाम ‘उच्चनागर’ मिलता है। यह शास्त्र किसी शाम या शहर के नाम पर प्रसिद्ध हुई होगी, यह तो स्पष्ट दीखता है। परन्तु यह ग्राम कौन-सा था, यह निश्चित करना कठिन है। भारत के अनेक भागों में ‘नगर’ नाम के या अन्त में ‘नगर’ शब्दवाले अनेक शहर तथा ग्राम हैं। ‘बड़नगर’ गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अर्थ मोटा (विशाल) और मोटा का अर्थ कदाचित् कंचा भी होता है। लेकिन गुजरात में बड़नगर नाम भी पूर्वदेश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर से लिया गया होगा, ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है। इससे उच्चनागर शास्त्रों का बड़नगर के साथ ही सम्बन्ध है, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त जब उच्चनागर शास्त्रों का नाम हुई, उस काल में बड़नगर था या नहीं और या तो उसके साथ जैनों का कितना सम्बन्ध था, यह भी विचारणीय है। उच्चनागर शास्त्रों के उद्भव के समय जैनाचार्यों का मुख्य विहार गगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं। अतः बड़नगर के साथ उच्चनागर शास्त्रों का सम्बन्ध की कल्पना सबले नहीं रहती। इस विषय में कर्निधम का कहना है कि यह भौगोलिक नाम उत्तर-पश्चिम प्रान्त के आधुनिक बुलास्तदशहर के अन्तर्गत ‘उच्चनगर’ नाम के किले के साथ मेल खाता है।

—आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, भाग १४, पृ० १४७।

शास्त्र के थे; उन उमास्वाति वाचक ने गुरु-परम्परा से प्राप्त श्रेष्ठ आहंत-उपदेश को भली प्रकार धारण करके तथा तुच्छ शास्त्रों द्वारा हतवुद्धि हुखित लोक को देखकर प्राणियों की अनुकम्भा से प्रेरित होकर यह 'तत्त्वार्थाधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 'कुसुमपुर' नामक महानगर में रखा है। जो इस तत्त्वार्थशास्त्र को जानेगा और उसके कथनानुसार आचरण करेगा, वह अव्यावधमुख नामक परमार्थ मोक्ष को शीघ्र प्राप्त होगा।"

इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक घटना की दोतक मुख्य छँ बातें हैं—  
१. दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुरु का नाम और दीक्षागुरु की योग्यता,  
२. विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३. गोत्र, पिता तथा माता का नाम, ४. जन्मस्थान तथा ग्रन्थरचना के स्थान का नाम, ५. शास्त्र तथा पदबी की सूचना तथा ६. ग्रन्थकार तथा ग्रन्थ का नाम।

यह मानने का कोई कारण नहीं कि यह प्रशस्ति जो कि इस समय भाष्य के अन्त में उपलब्ध होती है स्वयं उमास्वाति की रची हुई नहीं है। डा० हर्मन जैकोबी भी इस प्रशस्ति को उमास्वाति की ही मानते हैं और वह उन्हीं के तत्त्वार्थ के जर्मन अनुवाद की भूमिका से स्पष्ट है। अतः इसमें जिस घटना का उल्लेख है उसे ही यथार्थ मानकर वा० उमास्वाति विषयक दिगम्बर-जैतेताम्बर परम्परा में चली आई मान्यताओं का स्पष्टीकरण करना इस समय राजमार्ग है।

ऊपर निर्दिष्ट छँ बातों में से दिगम्बरसम्मत पहली और दूसरी बात कुन्दकुन्द के साथ उमास्वाति के सम्बन्ध को असत्य सिद्ध करती है। कुन्दकुन्द के उपलब्ध अनेक नामों में से एक भी नाम ऐसा नहीं जो उमास्वाति द्वारा दर्शाए हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामों में आता हो। इससे इस कल्पना को कोई स्वान नहीं कि कुन्दकुन्द का उमास्वाति के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य-भावात्मक सम्बन्ध था। उक प्रशस्ति में उमास्वाति के वाचक-परम्परा में तथा उच्चनागर शास्त्र में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि दिगम्बर मान्यता कुन्दकुन्द के नन्दि-

---

नागरोत्पत्ति के निवन्ध में रा० रा० मानशंकर 'नागर' शब्द का सम्बन्ध दिखलाते हुए नगर नाम के अनेक ग्रामों का उल्लेख करते हैं। इसके लिए छठी गुजराती साहित्यपरिपद की रिपोर्ट इष्टव्य है।

संघ<sup>१</sup> में होने की है। उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर सम्प्रदाय में हुई हो, ऐसा आज भी जात नहीं है। दिगम्बर परम्परा में कुन्दकुन्द के शिष्यरूप में मान्य उमास्वाति यदि वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति हो तो भी उन्होंने तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र लिखा था, यह मान्यता विश्वस्त आधार से रहित होने से बाद में कल्पित मालूम होती है।<sup>२</sup>

उक्त वातों में से तीसरी वात श्यामाचार्य के साथ उमास्वाति के सम्बन्ध की श्वेताम्बरीय सम्भावना को असत्य सिद्ध करती है, क्योंकि वाचक उमास्वाति अपने को 'कौभीषण' कहकर अपना गोत्र 'कौभीषण' बताते हैं, जब कि श्यामाचार्य के गुरुरूप से पट्टावली में उल्लिखित 'स्वाति' को 'हारित' गोत्र<sup>३</sup> का कहा गया है। इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थ-प्रणेता उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्ट रूप से 'वाचक' कहती है, जब कि श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप में निर्दिष्ट 'स्वाति' नाम के साथ वाचक विशेषण पट्टावली में दिखाई नहीं देता। इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक और दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं की भ्रान्ति कल्पनाओं का निरसन करती है और दूसरी ओर वह ग्रन्थकार का संक्षिप्त किन्तु यथार्थ इतिहास प्रस्तुत करती है।

### (क) वाचक उमास्वाति का समय

वाचक उमास्वाति के समय के सम्बन्ध में उक्त प्रशस्ति में कुछ भी निर्देश नहीं है। समय का ठीक निर्धारण करनेवाला दूसरा भी कोई साधन अत्र तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इस विषय में कुछ विचार करते के लिए यहाँ तीन वातों का उपयोग किया जाता है—१. शाखानिर्देश, २. प्राचीन से प्राचीन टीकाकारों का समय और ३. अन्य दार्शनिक ग्रन्थों की तुलना।

१. प्रशस्ति में जिस 'उच्चैनगरशाखा' का निर्देश है वह कह निरुद्धी,

१ देखें—श्वामी समन्तभद्र, पृ० १५८ से बाये तथा प्रस्तुत प्रस्तावना का गिर्ष।

२. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना में पृ० २ की टिप्पणी ३ तथा परिचय।

३. हारियगत्तं साइं च वदिमो हारियं च सामज्जं ॥ २६ ॥

यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तो भी कल्पसूत्र की स्थविरावली में 'उच्चनामगरी' शाखा का उल्लेख है।<sup>१</sup> यह शाखा आर्य 'शान्तिश्रेणिक' से निकली है। आर्य शान्तिश्रेणिक आर्य 'सुहस्ति' से चौथी पीढ़ी में आते हैं। आर्य सुहस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिवृद्ध और उनके शिष्य इन्द्रदिव्य, इन्द्रदिव्य के शिष्य दिव्य और दिव्य के शिष्य शातिश्रेणिक हैं। यह शान्तिश्रेणिक आर्य वज्र के गुरु आर्य सिहगिरि के गुरुभाई थे, इसलिए वे आर्य वज्र की पहली पीढ़ी में आते हैं। आर्य सुहस्ति का स्वर्गवास-काल बीरात् २९। और वज्र का स्वर्गवास-काल बीरात् ५८। उल्लिखित है। अर्थात् सुहस्ति के स्वर्गवास-काल से वज्र के स्वर्गवास-काल तक २९३ वर्ष के भीतर पाँच पीढ़ियाँ उपलब्ध होती हैं। सरसरी तौर पर एक-एक पीढ़ी का काल साठ वर्ष का मान लेने पर सुहस्ति से चौथी पीढ़ी में होनेवाले शातिश्रेणिक का प्रारम्भकाल बीरात् ४७। आता है। इम समय के मध्य में या कुछ आगे-पीछे शातिश्रेणिक से उच्चनामगरी शाखा निकली होगी। वाचक उमास्वाति शातिश्रेणिक की ही उच्चनामगर शाखा में हुए हैं, ऐसा मानकर और इस शाखा के निकलने का जो समय अनुभानित किया गया है उसे स्वीकार करके यदि आगे बढ़ा जाए तो भी यह कहना कठिन है कि वाऽ उमास्वाति इस शाखा के निकलने के बाद कब हुए हैं। क्योंकि प्रशस्ति में अपने दीक्षागुरु और विद्यागुरु के जो नाम उन्होंने दिए हैं, उनमें से एक भी नाम कल्पसूत्र की स्थविरावली में या वैसी किसी दूसरी पट्टावली में नहीं मिलता। अतः उमास्वाति के समय के सबव्य में स्थविरावली के आधार पर अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे बीरात् ४७। अर्थात् विक्रम संवत् के प्रारम्भ के लगभग किसी समय हुए हैं, उससे पहले नहीं, इससे अधिक परिचय अभी अन्वकार में है।

२ इस अंघकार में एक अस्पष्ट प्रकाश-किरण तत्त्वार्थसूत्र के प्राचीन-टीकाकार के समय सम्बन्धी उपलब्ध है, जो उमास्वाति के समय की अनिदिच्छत उत्तरसीमा को मर्यादित करती है। नयनक्र और उसकी टीका में तत्त्वार्थसूत्र और भाज्य के वाक्यों को उद्धृत किया गया है

१. येरेहितो ए श्रद्धनतिसेणिएहितो भादरसगुत्तोहितो एत्य ए उच्चनामगरी साहा निगया।—कल्पसूत्रस्थविरावली, पृ० ५५। आर्य शान्तिश्रेणिक की पूर्व-परम्परा जानने के लिए इससे जानेके कल्पसूत्र के पृष्ठ देखने चाहिए।

—पू० १९, ११४, ५९६। नयचक्र का समय परंपरा-मान्य चिं० ४८४ श्री जम्बूविजयजी ने स्वीकृत किया है—नयचक्र का प्राक्कथन पू० २३, प्रस्तावना पू० ६०। स्वोपज्ञ-भाष्य को यदि अलग रखा जाए तो तत्त्वार्थ-सूत्र पर उपलब्ध सीधी टीकाओं में आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि सबसे प्राचीन है। पूज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पांचवी-छठी शताब्दी निर्धारित किया है। अतः कहा जा सकता है कि सूत्रकार वा० उमास्वाति विक्रम की पांचवी शताब्दी से पूर्व किसी समय हुए हैं।

उक्त विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से प्राचीन समय विक्रम की पहली शताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन समय तीसरी-चौथी शताब्दी निश्चित होता है। इन तीन-चार सौ वर्षों के बीच उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम शेष रह जाता है।

३. समय-सम्बन्धी इस सम्भावना में और भावी शोध में उपयोगी पड़नेवाली कुछ विशेष बातें भी हैं जो उनके तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य के साथ दूसरे दर्शनों तथा जैन-आगम की तुलना में से निष्पक्ष होती हैं। उन्हें भी यहाँ दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ये बातें सीधे तीर पर समय का ठीक निर्णय करने में इस समय सहायक हो, फिर भी यदि दूसरे ठोस प्रमाण मिल जाएं तो इन बातों का महत्वपूर्ण उपयोग होने में कोई सन्देह नहीं है। इस समय तो ये बातें भी हमें उमास्वाति के उपर्युक्त अनुमानित समय की ओर ही ले जाती हैं।

(क) जैन-आगम 'उत्तराध्ययन' कणाद के सूत्रों से पूर्व का होना चाहिए, ऐसी सम्भावना परंपरा-हृष्टि से और अन्य हृष्टि से भी होती है। कणाद के सूत्र प्रायः ईस्वी पूर्व की पहली शताब्दी के माने जाते हैं। जैन आगमों के आधार पर रचित तत्त्वार्थसूत्र में तीन सूत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तराध्ययन की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रों का साहश दिखाई देता है। इन तीन सूत्रों में पहला द्रव्य का, दूसरा गुण का और तीसरा काल का लक्षणविषयक है।

उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की छठी गाथा में द्रव्य का लक्षण गुणानामासबो द्रव्यं (गुणानामाध्यो द्रव्यम्) अर्थात् जो गुणों का आश्रय वह द्रव्य, इतना ही है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को समाविष्ट करके कहता है कि क्रियागुणबद्त समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्—१. १५। अर्थात् जो क्रियावाला, गुणवाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है। वा०

उमास्वाति उत्तराध्ययन-कथित गुणपद को कायथ रखकर कणादसूत्रों में दिखाई देनेवाले 'क्रिया' शब्द की जगह जैन-परम्परा-प्रसिद्ध 'पर्याय' शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बांधते हैं—गुणपर्यायवद् द्रव्यम्—५ ३७। अर्थात् जो गुण तथा पर्यायवाला हो वह द्रव्य है।<sup>१</sup>

उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की छठी गाथा में गुण का लक्षण एगाइवस्तिसबार गुणा (एकद्वयाश्रिता गुणाः) अर्थात् जो एक द्रव्य के आश्रित हो वे गुण, इतना ही है। कणाद के गुणलक्षण में किञ्चेष्व वृद्धि दिखाई देती है। वह कहता है—द्रव्याध्यायगुणवान् संयोगविभागेऽव्यक्तारणमनेष्य इति गुणलक्षणम्—१. १. १६। अर्थात् द्रव्य के आश्रित, निर्गुण और संयोग-विभाग में अनेक जो कारण नहीं होता वह गुण है। उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययन के गुणलक्षण के अतिरिक्त कणाद के गुणलक्षण में से एक 'निर्गुण' अंश है। वे कहते हैं—द्रव्याध्याया निर्गुणा गुणाः—५. ४०। अर्थात् जो द्रव्य के आश्रित और निर्गुण हो वे गुण हैं।

उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की दसवीं गाथा में काल का लक्षण वर्त्तनालक्षणों कालो (वर्त्तनालक्षणः कालः) अर्थात् वर्त्तना काल का स्वरूप है, इतना ही है। कणाद के काललक्षण में 'वर्त्तना' पद तो नहीं है, परन्तु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिखाई देता है—अपरिस्मन्नपरं युगपचिचरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि—२. २. ६। उमास्वाति-कृत काललक्षण में 'वर्त्तना' पद के अतिरिक्त जो दूसरे पद दिखाई देते हैं उनमें 'परत्व' और 'अपरत्व' ये दो शब्द भी हैं, जिसे कि वर्त्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य—५. २२।

ऊर दिए हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीन सूत्रों के लिए उत्तराध्ययन के अतिरिक्त किसी प्राचीन श्वेताम्बर जैन-वागम अर्थात् अंग का उत्तना ही शाविक आधार अब तक देखने में नहीं आया, परन्तु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दों के माने जानेवाले कुन्दकुन्द के प्राकृत वचनों के साथ तत्त्वार्थ के संस्कृत सूत्रों का कहीं तो पूर्ण और कहीं बहुत ही कम साहश्य है। श्वेताम्बर सूत्रपाठ में द्रव्य के लक्षणवाले दो ही सूत्र हैं : उत्पादव्ययश्चौद्वयश्चतं सद्—५. २९ तथा गुण-

<sup>१</sup> १. द्रव्य-लक्षण-विषयक विशेष जानकारी के लिए देखें—प्रमाणमीमांसा, भाषा-टिप्पण, पृ० ५४, न्यायावतारवार्तिकवृत्ति, की प्रस्तावना, पृ० २५, १०४, ११९।

पर्यायवद् द्रव्यम्—५ ३७। इन दोनों के अतिरिक्त द्रव्य का लक्षणविषयक एक तीसरा द्वय दिगम्बर सूत्रपाठ में है—सद् द्रव्यलक्षणम्—५. २९। ये तीनों दिगम्बर सूत्रपाठगत सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न प्राकृत गाथा में पूर्णरूप से विद्यमान हैं :

दब्वं सल्लक्षणियं उप्पादव्ययधुवत्तसंजुतं ।

गुणपञ्जयासयं वा जं तं भण्णंति सव्वर्णः ॥ १० ॥

इसके अतिरिक्त कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वार्थसूत्र का जो शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्वपूर्ण साहश्य है, वह आकस्मिक तो नहीं ही है ।

(ख) उपलब्ध 'योगसूत्र' के रचयिता पतञ्जलि माने जाते हैं । व्याकरण-महाभाष्य के कर्ता पतञ्जलि ही योगसूत्रकार है या दूसरे कोई पतञ्जलि, इस विषय में अभी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । यदि महाभाष्यकार और योगसूत्रकार पतञ्जलि एक हैं तो योगसूत्र विक्रम पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी की रचना मानी जा सकती है । योगसूत्र का 'व्यासभाष्य' कव की रचना है यह भी निश्चित नहीं, फिर भी उसे विक्रम की तीसरी शताब्दी से प्राचीन मानने का कोई कारण नहीं है ।

योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रों और उनके भाष्य का शाब्दिक तथा आर्थिक साहश्य बहुत है और वह आकर्षक भी है, तो भी इन दोनों में से किसी एक परदूसरे का प्रभाव है यह ठीक-ठीक कहना सम्भव नहीं, क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य को योगदर्शन से प्राचीन जैन आगमग्रन्थों की विरासत मिली है, उसी प्रकार योगसूत्र और उसके भाष्य को पुरातन साहश्य, योग तथा बौद्ध आदि परम्पराओं की विरासत प्राप्त है । फिर भी तत्त्वार्थ-भाष्य में एक स्थल ऐसा है जो जैन आगमग्रन्थों में इस समय तक उपलब्ध नहीं है और योगसूत्र के भाष्य में उपलब्ध है ।

वहले निमित्त हृद्द आयु कम भी हो सकती है अर्थात् बीच में टूट भी सकती है और नहीं भी, ऐसी चर्चा जैन अंगग्रन्थों में है । परन्तु इस चर्चा में आयु के टूटने के पक्ष को उपर्युक्त करने के लिए भीगे कपड़े तथा सूखी घास का उदाहरण अंगग्रन्थों में नहीं, तत्त्वार्थ-भाष्य में ये

१. इसके सविस्तर परिचय के लिए देखें—हिन्दा योगदर्शन की प्रस्तावना, पृष्ठ ५२ तथा आगे ।

दोनों उदाहरण हैं जो योगसूत्र के भाष्य में भी हैं। विशेष बात यह है कि दोनों भाष्यों में शान्तिक साहशय मी वहूत अधिक है। एक विशेषता यह भी है कि गणित-विषयक एक तीसरा उदाहरण तत्त्वार्थसूत्र के भाष्य में पाया जाता है जिसका योगसूत्र के भाष्य में अस्तित्व तक नहीं है। दोनों भाष्यों का पाठ क्रमशः इस प्रकार है :

“... शेषा मनुष्यास्तिर्यग्योनिजाः सोपक्रमा निरुपक्रमाश्चापवर्त्या-  
युषोऽनपवर्त्यायुषश्च भवन्ति । ... अपवर्त्तनं शोधमन्तमुङ्गताल्किमर्फक्लोप-  
भोग उपक्रमोऽपवर्त्तननिमित्तम् । ... सहृतशुष्कतृणराशिदहुनवत् । यथाहि  
संहृतस्य शुष्कस्यापि तृणराशेऽवयवशः क्रमेण द्वृग्मानस्य चिरेण वाहो  
भवति तस्यैव शिथिलप्रकोर्णपिततस्य सर्वतो युगपदादीपितस्य पवनोप-  
क्रमाभिहृतस्याशुदाहो भवति । तद्वत् । यथा वा सख्यानाचार्यः करणलाघ-  
वार्थं गुणकारभागहाराभ्या राशि छेदादेवापवर्त्यति न च सख्येयस्यार्थ-  
स्याभावो भवति तद्वदुपक्रमाभिहृतो भरणसमुद्घातदुखातः कर्मप्रत्यय-  
मनाभोगपूर्वकं करणविशेषशुत्तमाद्य फलोपभोगलाघवार्थं कर्मपिततयति न  
चास्य फलाभाव इति । कि चान्यत्—दथा वा धौतपटो जलाद्व एव च  
वितानितः सूर्यरक्षिमवाद्वभिहृतः क्षिप्रं शौषधमुपयाति न च संहृते तस्मिन्  
प्रभृतस्नेहाग्मो नापि वितानितेऽकृत्स्नशोप तद्वद् यथोक्तनिमित्तापवर्त्तने-  
क्रमेण क्षिप्रं फलोपभोगो भवति । न च कृतप्रर्णाशाकृताभ्यागमा-  
फल्यानि ।”—तत्त्वार्थ-भाष्य, २५२.

“आयुर्विपाक कर्म हिविध सोपक्रम निरुपक्रम च । तत्र यथाद्व वस्त्रं  
वितानितं हृसीयसा कालेन शुष्केतत्था सोपक्रमस्म् । यथा च तदेव संयिण्डतं  
चिरेण संशुष्क्येदेवं निरुपक्रमम् । यथा वाग्निः शुष्कके कक्षे मुक्तो वातेन  
समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत् तथा सोपक्रमस्म् । यथा वा स  
एवार्णिनस्तृणराशो क्रमशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत् तथा निरुपक्रमस्म् ।  
तदेकभविकमायुष्कर कर्म हिविधं सोपक्रम निरुपक्रमं च ।”—योग-  
भाष्य, ३ २२ ।

( ग ) अक्षपाद का ‘न्यायदर्शन’ लगभग इस्त्री सन् के आरम्भ का  
माना जाता है। उसका ‘वात्स्यायनभाष्य’ दूसरी-तीसरी ज्ञानावृद्धि के  
भाष्यकाल की प्रायमिक कृतियों में से एक है। इस कृति के कुछ शब्द  
और विषय तत्त्वार्थभाष्य में मिलते हैं। न्यायदर्शन ( १.१.३ ) मान्य  
प्रमाणचतुर्कवाद का निर्देश तत्त्वार्थं अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य में

मिलता है।<sup>१</sup> तत्त्वार्थ १ १२ के भाष्य में अर्थापित्ति, सभव और अभाव आदि प्रमाणों के शब्द का निरसन न्यायदर्शन ( २. १ १. ) आदि के जैसा ही है। न्यायदर्शन में प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षोत्पन्नम् ( १. १. ४ ) ये शब्द हैं। तत्त्वार्थ १ १२ के भाष्य में अर्थापित्ति आदि भिन्न माने गए प्रमाणों को मति और श्रुतज्ञान में समाविष्ट करते हुए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा सर्वार्थेतानि मतिश्रुतयो-रन्तर्भूतानि इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षनिमित्तत्वात् ।

इसी प्रकार पत्तजलि-महाभाष्य<sup>२</sup> और न्यायदर्शन ( १ १. १५ ) आदि में 'पर्याय' शब्द के स्थान पर 'अनर्थान्तर' शब्द के प्रयोग की पढ़ति तत्त्वार्थसूत्र ( १ १३ ) में भी है।

( घ ) बौद्ध-दर्शन की शून्यवाद, विज्ञानवाद आदि शास्त्राओं के विशिष्ट मन्त्रव्यों अथवा शब्दों का उल्लेख जैसा सर्वार्थसिद्धि में है, वैसा तत्त्वार्थभाष्य में नहीं है, तो भी बौद्धदर्शन के शोडे से सामान्य मन्त्रव्य तंत्रान्तर के मन्त्रव्यों के रूप में दो-एक स्थल पर आते हैं। वे मन्त्रव्य पालिपिटक से लिए गए हैं या महायान के संस्कृत पिटकों से अथवा तद्विषयक किसी दूसरे ही ग्रन्थ से, यह विचारणीय है। उनमें पहला उल्लेख जैनमत के अनुसार नरकभूमियों की सख्त्या वतलाते हुए बौद्धसम्मत संख्या का खंडन करने के लिए आ गया है। वह इस प्रकार है—अपि च तन्त्रान्तरीया असंख्येषु लोकधातुब्बवसंख्येयाः पृथिवीप्रस्तारा इत्यध्यव-सिताः । —तत्त्वार्थभाष्य, ३ १ ।

दूसरा उल्लेख जैनमत के अनुसार पुद्गल का लक्षण वतलाते हुए बौद्धसम्मत पुद्गल शब्द के अर्थ का निराकरण करते हुए आया है। यथा पुद्गला इति च तंत्रान्तरीया<sup>३</sup> जीवान् परिभाषने—अ० ५ सू० ८३ का उत्थानभाष्य !

१. प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा. प्रमाणानि । —न्यायदर्शन, १ १ ३ । चतुर्विधमित्येके नयवादान्तरेण—तत्त्वार्थभाष्य, १. ६ और यथा वा प्रत्यक्षानु-मानोपमानाप्तवचनै प्रमाणरेकोऽर्थं प्रमोयते । —तत्त्वार्थभाष्य, १ ३५ ।

२ देखें—१ १ ५६, २ ३ १. और ५. १. ५९ का महाभाष्य ।

३. यद्यपि जैन आगम ( भगवत्ती श ८, उ. ३ और श. २०, उ २ ) में 'पुद्गल' शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, किन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो

( ख ) उमास्वाति का याथता

उमास्वाति के पूर्ववर्ती जैनाचार्यों ने सस्कृत भाषा में लिखने की अकिं का यदि विकास न किया होता और लिखने का प्रधात शुरू न किया होता तो प्राकृत परिभाषा में रुद्ध सम्प्रदायिक विचारों को उमास्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शैली में सफलतापूर्वक निबद्ध कर सकते अथवा नहीं, यह एक प्रज्ञ ही है, तो भी उपलब्ध समग्र जैन वाह्यमय का इतिहास तो यही कहना है कि जैनाचार्यों में उमास्वाति ही प्रथम सस्कृत लेखक हैं। उनके ग्रन्थों की प्रसन्न, संक्षिप्त और शुद्ध शैली सस्कृत भाषा पर उनके प्रभुत्व की साक्षी है। जैन आगम में प्रसिद्ध ज्ञान, ज्ञेय, आचार, भूगोल, खगोल आदि से सम्बद्ध वातों का संक्षेप में जो सबह उन्होंने तत्त्वार्थाविगम-सूत्र में किया है वह उनके 'वाचक' वश में होने का और वाचक-पद की यथार्थता का प्रमाण है। उनके तत्त्वार्थ-भाष्य की प्रारंभिक कारिकारों तथा दूसरी पद्धतियों से स्पष्ट है कि वे गद्य की तरह पद्य के भी प्राजल लेखक थे। उनके सभाष्य सूत्रों के सूक्ष्म अवलोकन से जैन-आगम सबवीं उनके सर्वग्राही अध्ययन के अतिरिक्त वैशेषिक, न्याय, योग और बोद्ध आदि दार्शनिक साहित्य के अध्ययन की प्रतीति होती है। तत्त्वार्थभाष्य ( १. ५; २. १५ ) में उद्धृत व्याकरण के सूत्र उनके पाणिनीय व्याकरण-विषयक अध्ययन के परिचायक हैं।

यद्यपि इतेताम्बर सम्प्रदाय में इनकी प्रसिद्ध पाँच सौ ग्रन्थों के रचयिता के रूप में है और इस समय इनकी कृतिहृषि में कुछ ग्रन्थ प्रसिद्ध भी हैं, तथापि इस विषय में आज संतोषजनक कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में भी 'प्रशामरति'<sup>२</sup> की भाषा और विचारसंरणी

मात्र जड़ परमाणु और तत्त्वमिति स्वर के रूप में ही प्रसिद्ध है। बीद्र-दर्जन को परिभाषा जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। इसी भेद को लक्ष्य में रखकर वाचक ने यहाँ 'तन्नान्तरोम' शब्द का प्रयोग किया है।

१ बाल्वद्वीपवमानप्रकरण, पूजाप्रकरण, शावकप्रज्ञसि, ज्ञेविचार, प्रशमर्त्ति। हिन्दूसेन अपनी वृत्ति में ( पृ० ७८, ४० २ ) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं, जो इन नमय उपलब्ध नहीं है।

२ वृत्तिकार सिद्धेन 'प्रशमरति' को भाष्यकार की ही कृति बतलाते हैं। यथा—'यत् प्रशमरनी ( का० २०८ ) अनेऽन्वेषोत्तम् —परमाणुरप्रदैशो वर्णादिगुणेणु भजनीय । 'वाचकेन स्वेतदेव बत्संज्ञया प्रशमरती ( का० ८० ) उप तत्त्वम्—१ ६ तथा १ ६ की भाष्यवृत्ति । →

तथा सिद्धसेन आदि के उल्लेख से उसकी उमास्वाति-कर्तृकर्ता निश्चित रूप से सिद्ध होती है।

उमास्वाति अपने को 'वाचक' कहते हैं, इसका अर्थ 'पूर्वावत्' कर के पहले से ही स्वेताम्बराचार्य उमास्वाति को 'पूर्ववित्' रूप से पहचानते आए हैं। दिगम्बर-परम्परा में भी उनको 'श्रुतकेवलिदेशीय' कहा गया है।<sup>१</sup>

तथा सिद्धसेन भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समक्षते हैं। यथा-

स्वकृतसूत्रसंनिवेशमाधित्योक्तम् ।—१ २२, पृ० २५३ ।

इति श्रीमद्वह्न्तप्रबचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचः पैषजसूत्रमण्डये भाष्या-त्रुतार्णयो च दीकायां सिद्धसेनगणिविरचिताया अनगारागार्थिवर्त्मप्रखण्डक सत्त्वमो-उद्घाय ।—तत्त्वार्थभाष्य के सातवें अध्याय की दीका की पुष्पिका । ऐसे अन्य उल्लेखों के लिए आगे—‘(ग) उमास्वाति की परम्परा’ नामक उपजीर्णक, पृ० १५ ।

प्रशमरतिप्रकरण की १२०वीं कारिका ‘आचार्य श्राह’ कहकर निशीथचूर्णि में उद्घृत है। इस चूर्णि के प्रणेता जिनदास महत्तर का समय विक्रम की आठवीं शताब्दी है जिसका निर्देश उन्होंने अपनी नन्दिसूत्र को चूर्णि में किया है। अत कहा जा सकता है कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है। इससे तथा ऊपर निर्दिष्ट कारणों से इस कृति के वाचक की होने में कोई वास्त्रा नहीं है।

१. पूर्वों के बौद्ध होने का समवायाग आदि आगमों में वर्णन है। ऐसा भी उल्लेख है कि वे दुष्टिवाद नामक वारहवें अङ्ग का पाँचवाँ भाग जानते थे। पूर्वश्रुत अर्थात् भ० महावीर द्वारा सर्वप्रथम दिया हुआ उपदेश—ऐसी परम्परागत मान्यता है। परिचम के विडानों की इस विषय में कल्पना है कि भ० पार्श्व-नाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर को अथवा उनके शिष्यों को मिला वह पूर्वश्रुत है। यह श्रुत क्रमशः भ० महावीर के उपदिष्ट श्रुत में ही मिल गया और उसी का एक भाग माना गया। जो भ० महावीर की द्वादशांगी के धारक थे वे इस पूर्वश्रुत को जानते थे। कण्ठस्थ रखने की परम्परा तथा अन्य कारणों से पूर्वश्रुत क्रमशः नष्ट हो गया और आज ‘पूर्वगतगाथा’ रूप में नाम-मात्र से शेष उल्लिखित मिलता है। ‘पूर्व’ के आधार पर धने कुछ मन्य मिलते हैं।

२. नगर ताल्लुका के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें ‘श्रुतकेवलि-देशीय’ कहा गया है। यथा—

तत्त्वार्थसूत्रकर्त्तरमुमास्वातिमुनीक्ष्वरम् ।

श्रुतकेवलिदेशीयं वन्देऽहु गुणमन्दिरम् ॥

तत्त्वार्थ इनके ग्यारह अग्र विषयक श्रुतज्ञान की तो प्रतीत करा ही रहा है। इससे इनकी ऐसी योग्यता के विषय में तो कोई सदेह नहीं है। इन्होंने विरासत में प्राप्त आहंत श्रुत के सभी पदार्थों का संग्रह तत्त्वार्थ<sup>१</sup> में किया है; एक भी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बिना कथन किये नहीं छोड़ी, इसी कारण आचार्य हेमचन्द्र संग्रहकार के रूप में उमास्वाति का स्थान सर्वोत्कृष्ट अंकते हैं।<sup>२</sup> इसी योग्यता के कारण इनके तत्त्वार्थ की व्याख्या करने के लिए श्वेताम्बर-दिगम्बर आचार्य प्रेरित हुए हैं।

### ( च ) उमास्वाति की परम्परा

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का मानकर मात्र तत्त्वार्थसूत्र को ही इनकी रचना स्वोकार करते हैं, जब कि श्वेताम्बर इन्हे अपनी परम्परा का मानते हैं और तत्त्वार्थसूत्र के अतिरिक्त भाष्य को नी इनकी कृति स्वीकार करते हैं। अब प्रवृत्त यह है कि उमास्वाति दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या श्वेताम्बर परम्परा में अथवा दोनों से भिन्न किसी अन्य परम्परा में हुए हैं? इस प्रवृत्त का उत्तर भाष्य के कर्तृत्व विषयक निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है, प्रह बात प्रमाणों से निर्विवाद सिद्ध है।<sup>३</sup>

१ भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका सिद्धसेन की है। उसमें स्वोपनज्ञातासूचक उल्लेख ये है :

प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञानं वक्ष्याम्.” इति । अतस्तनुरोधेनैकवचनं चकार आचार्यः । —प्रथम भाग, पृ० ६९

शास्तीति च ग्रन्थकार एव द्विधा आत्मानं विभज्य सूत्रकारभाष्य-काराकारेणैवमाह...” ।—पृ० ७२

सूत्रकारादविभक्तोपि हि भाष्यकारो ।—पृ० २०५

इति श्रीमद्बहुत्प्रवचने तत्त्वार्थाधिगमें उमास्वातिवाचकोपन्नसूत्रभाष्ये भाष्यानुसारिष्यां च टीकायां ... ।—द्वितीय भाग, पृ० १२०

१. तत्त्वार्थ में वर्णित विषयों के मूल को जानने के लिए देखें—२० आत्मा-रामजी द्वारा सम्पादित तत्त्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय ।

२. उपोमाधारित संग्रहीतार ।—सिद्धहेम, २. २. ३९ ।

३. देखें—‘भारतीय विद्या’ के सिधो स्मारक अंक में श्री नायूरामजी प्रेमी का लेख, पृ० १२८ जिसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपन सिद्ध किया है।

२. भाष्यगत अन्तिम कारिकाओं में से आठवीं कारिका को शाकिनी-सूत्र हरिभद्राचार्य ने शास्त्रवार्तासमुच्चय में उमास्वातिकर्तृक रूप में उद्घृत किया है।

३ भाष्य की प्रारम्भिक अगभूत कारिका के व्याख्यान में आ० देवगुप्त भी सूत्र और भाष्य को एक-कर्तृक सूचित करते हैं ( देखें—का० १-२ ) ।

४ प्रारम्भिक कारिकाओं<sup>१</sup> में और कुछ स्थानों पर भाष्य<sup>२</sup> में भी वक्ष्यामि, वक्ष्यामः आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में की गई प्रतिज्ञा के अनुभार ही वाद में सूत्र में कथन किया गया है।

५ भाष्य को प्रारम्भ से अन्त तक देख जाने पर एक बात जेचती है कि कहीं सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खीचतान नहीं हुई, कहीं सूत्र का अर्थ करने में सन्देह या विकल्प नहीं किया गया, न सूत्र की किसी दूसरी व्याख्या को मन में रखकर सूत्र का अर्थ किया गया और न कहीं सूत्र के पाठमेद का ही अवलम्बन लिया गया है।

यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एक-कर्तृक होने की विरकालीन मान्यता को सत्य सिद्ध करती है।<sup>३</sup> जहाँ मूल ग्रन्थकार और टीकाकार अलग अलग होते हैं वहाँ तत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में मान्य ग्रन्थों में कपर जैसी वस्तु-स्थिति नहीं होती। उदाहरणार्थ वैदिक दर्जन में प्रतिष्ठित ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र' को लीजिए। यदि इसका रचयिता स्वयं ही व्याख्याकार होता तो इसके भाष्य में शब्दों की खीचतान, अर्थ के विकल्प और अर्थ का संदेह तथा सूत्र का पाठमेद कदापि न दिखाई

१. तत्त्वार्थाविगमालयं बहूर्थं संग्रहं लघुग्रन्थम् ।

वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहंहचनैकदेशस्य ॥ २२ ॥

नते च मोक्षमार्गाद् व्रतोपदेशोऽस्मित जगति कृत्वेऽस्मित् ।

तस्मात्परमिममेवेति मोक्षमार्गं प्रवक्ष्यामि ॥ ३१ ॥

२ गुणान् लक्षणतो वक्ष्यामः । —५. ३७ का भाष्य, अगला सूत्र ५ ४०। अनाविराविमाच त परस्ताद्वक्ष्यामः । —५ २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५ ४२।

३. अगस्त्यर्णिंह ने दशवीकालिंकचूर्ण में उमास्वाति का नाम देकर सूत्र और भाष्य का उद्घरण दिया है—प० ८५। नयचक्र मूल में भाष्य उद्घृत है—प० ५९६।

पड़ता। इसी प्रकार तत्त्वार्थसूत्र के प्रणेता ने ही यदि 'सर्वार्थसिद्धि', 'राजवार्तिक' और 'इलोकवार्तिक' आदि कोई व्याख्या लिखी होती तो उनमें अर्थ की खीचतान, शब्द की तोड़-मरोड़, अध्याहार, अर्थ का संदेह और पाठमेद' कभी न दिखाई देते। यह वस्तु-स्थिति निश्चित रूप से एक-कर्तृक मूल तथा टोका-ग्रन्थों को देखने से समझ में आ सकती है। यह चर्चा हमें मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निश्चित भूमिका पर लाकर छोड़ देती है।

मूल ग्रन्थकार और भाष्यकार एक ही हैं, यह निश्चय इस प्रश्न के हल करते में बहुत उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे। उमास्वाति दिगम्बर परम्परा के नहीं थे, ऐसा निश्चय करने के लिए नीचे की युक्तियाँ काफी हैं :

१. प्रश्नस्ति में उल्लिखित उच्चनागर शाखा या नागरशाखा का दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं मिलता।

२. 'काल' किसी के मत से वांस्तविक द्रव्य है, ऐसा सूत्र (५. ३८) और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर मत (५. ३९) के विरुद्ध है। केवली में (९. ११) ग्यारह परीषप होने की सूत्र और भाष्यगत सीधी मान्यता एवं भाष्यगत वस्त्र-पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर परम्परा के विरुद्ध है (९. ५, ९. ७, ९. २६)। सिद्धों में लिंगद्वार और तीर्थद्वार का भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परम्परा के विपरीत है।

३. भाष्य में केवलज्ञान के पश्चात् केवली के दूसरा उपयोग मानने न मानने का जो मन्तव्य-भेद (१. ३१) है वह दिगम्बर ग्रन्थों में नहीं दिखाई देता।

उपर्युक्त युक्तियों से यद्यपि यह सिद्ध होता है कि बाचक उमास्वाति दिगम्बर परम्परा के नहीं थे तथापि यह देखना तो रह ही जाता है कि वे किस परम्परा के थे। निम्न युक्तियाँ उन्हें श्वेताम्बर परम्परा की ओर ले जाती हैं :

१. प्रश्नस्ति में उल्लिखित उच्चनागर शाखा<sup>१</sup> श्वेताम्बर पट्टावली में मिलती है।

१. उदाहरणार्थ देखें—“चरमवेहा इति वा पाठ.”—सर्वार्थसिद्धि, २. ५३। “अथवा एकादश जिने न सन्तीति वाक्यशेषं कल्पनीय सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम्”—सर्वार्थसिद्धि, ९. ११।

२. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० ४ तथा ६-७।

२. अमुक विषय-सम्बन्धी मतभेद या विरोध बतलाते हुए भी कोई ऐसे प्राचीन या अवाचीन श्वेताम्बर आचार्य नहीं हैं जिन्होंने दिगम्बर आचार्यों की भाँति भाष्य को अमान्य कहा हो।

३. जिसे उमास्वाति की कृति मानने में सन्देह का अवकाश नहीं उस प्रश्नमरति<sup>१</sup> ग्रन्थ में मुनि के वस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण है, जिसे श्वेताम्बर परम्परा निर्विवाद रूप से स्वीकार करती है।

४ उमास्वाति के वाचकवंश का उल्लेख और उसी वंश में होनेवाले अन्य आचार्यों का वर्णन श्वेताम्बर पट्टावलियो, पञ्चवणा और नन्दी की स्थविरावली में मिलता है।

ये युक्तियाँ वाचक उमास्वाति को श्वेताम्बर परम्परा का सिद्ध करती हैं और समस्त श्वेताम्बर आचार्य पहले से उन्हे अपनी ही परम्परा का मानते आए हैं। वाचक उमास्वाति श्वेताम्बर परम्परा में हुए और दिगम्बर परम्परा में नहीं, ऐसा स्वयं मेरा मन्तव्य भी अधिक अध्ययन-चिन्तन के बाद स्थिर हुआ है। इस मन्तव्य की विशेष स्पष्टता के लिए दिगम्बर-श्वेताम्बर-भेद विषयक इतिहास के कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालना जरूरी है। पहला प्रश्न यह है कि इस समय दिगम्बर-श्वेताम्बर के भेद या विरोध का विषय जो श्रुत तथा आचार है उसकी प्राचीन जड़ कहाँ तक मिलती है और वह मुख्यतया किस बात में थी? दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त दोनों सम्प्रदायों को समान रूप से मान्य श्रुत था या नहीं, और या तो वह समान मान्यता का विषय कब तक रहा, उसमें मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ तथा उस मतभेद के अन्तिम परिणामस्वरूप एक-दूसरे के लिए परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुतभेद कब प्रैदा हुआ? तीसरा और अन्तिम प्रश्न यह है कि उमास्वाति स्वयं किस परम्परा के आचार का पालन करते थे और उन्होंने जिस श्रुत को आचार मानकर तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दोनों सम्प्रदायों को समान रूप से पूर्णतया मान्य था या किसी एक सम्प्रदाय को ही पूर्णरूपेण मान्य था और दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य था?

१. जो भी ऐतिहासिक सामग्री इस समय प्राप्त है उससे निर्विवाद-रूपेण इनना स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर पाश्चापत्य-

परम्परा<sup>१</sup> मे हुए थे और उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग-मार्ग मे अपने उत्कट त्यागमार्गमय व्यक्तित्व द्वारा नवजीवन का सचार किया था।<sup>२</sup> शुरू मे विरोध और उदासीनभाव रखनेवाले अनेक पाश्वसन्तानिक साधु व श्रावक भी भगवान् महावीर के शासन में भिल गए।<sup>३</sup> भगवान् महावीर ने अपनी नायकत्वोचित उदार किन्तु तात्त्विक हृषि से अपने गासन मे उन दोनो दलो का स्थान निश्चित किया<sup>४</sup> जिनमे से एक विलकुल नगनजीवी तथा उत्कट विहारी था और दूसरा मध्यममार्गी था जो विलकुल नगन नहीं था। दोनो दलो का विलकुल नगन रहने या न रहने के विषय में तथा अन्य आचारो मे थोड़ा-बहुत अन्तर रहा,<sup>५</sup> फिर भी वह भगवान् के व्यक्तित्व के कारण विरोध का रूप धारण नहीं कर पाया। उत्कट और मध्यम त्यागमार्ग के इस प्राचीन समन्वय मे ही वर्तमान दिगम्बर-श्वेताम्बर भेद की जड़ है।

उस प्राचीन समय में जैन परम्परा मे दिगम्बर-श्वेताम्बर जैसे शब्द नहीं थे, फिर भी<sup>६</sup> आचारभेद के सूचक नगन, अचेल ( उत्तर २३. १३, २९ ), जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र, ९. २८ ), पाणिपात्र आदि शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए तथा सचेल, प्रतिग्रहवारी ( कल्प-सूत्र, ९. ३१ ), स्थविरकल्प ( कल्पसूत्र, ९. ६३ ) आदि शब्द मध्यम-त्यागवाले दल के लिए मिलते हैं।

### १. आचाराग, सूत्र १७८।

२. कालांसवेसियपुत ( भगवती, १. ९ ), केशी ( उत्तराध्ययन, अध्ययन २३ ), उदकपेडालपुत ( सूत्रहृताङ्ग, २. ७ ), गायेय ( भगवती, ९. ३२ ) इत्यादि। विशेष के लिए देखें—‘उत्थान’ का महावीराक, पृ० ५८। कुछ पार्थी-पत्नी ने तो पचमहाव्रत और प्रतिक्रमण के साथ नगनत्व भी स्वीकार किया था, ऐसा उल्लेख आज तक अंगो में सुरक्षित है। उदाहरणार्थ देखें—नगवती, १. ९।

३. आचाराग में सचेल और अचेल दोनो प्रकार के मुनियो का वर्णन है। अचेल मुनि के वर्णन के लिए प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ से आगे के सूत्र और सचेल मुनि के बस्तविषयक आचार के लिए हितोय श्रुतस्कन्ध का ५१वा अध्ययन द्वष्टव्य है। सचेल तथा अचेल दोनो मुनि मोह को ईसे जीतें, इसके दोषक वर्णन के लिए देखें—आचाराग, १. ८।

४ देखें—उत्तराध्ययन, अ० २३।

२ इन दो दलों में आचार-विषयक भेद होते हुए भी अगवान् के शासन के मुख्य प्राणरूप श्रुत में कोई भेद नहीं था, दोनों दल बारह अग के रूप में मान्य तत्कालीन श्रुत को समान रूप से मानते थे। आचार-विषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति तरतमभाव से महावीर के बाद लगभग ढेढ़ सौ वर्ष तक रही। इस बीच में भी दोनों दलों के अनेक योग्य आचार्यों ने उसी अंग-श्रुत के आधार पर छोटे-बड़े ग्रन्थों की रचना की थी जिनको सामान्यरूप से दोनों दलों के अनुगामी तथा विशेषरूप से उस-उस ग्रन्थ के रचयिता के शिष्यगण मानते थे और अपने-अपने गुण-प्रगुण की कृति समझकर उस पर विशेष जोर देते थे। वे ही ग्रन्थ अगवाह्य, अनग या उपांग रूप में व्यवहृत हुए।<sup>१</sup> दोनों दलों की श्रुत के विषय में इतनी अधिक निष्ठा व प्रामाणिकता रही कि जिससे अंग और अगवाह्य का प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी किसी ने अग और अनग-श्रुत की भेदक रेखा को गौण नहीं किया जो कि दोनों दलों के वर्तमान साहित्य में आज भी स्थिर है।

एक और अचेल-सचेल आदि आचार का पूर्वकालीन मतभेद जो पारस्परिक सहिष्णुता तथा समन्वय के कारण दबा हुआ था, धीरे-धीरे तीव्र होता गया और दूसरी ओर उसी आचारविषयक मतभेद का समर्थन दोनों दलवाले मुख्यतया अग-श्रुत के आधार पर करने लगे और साथ ही अपने-अपने दल के द्वारा रचित विशेष अगवाह्य श्रुत का उपयोग भी उसके समर्थन में करने लगे। इस प्रकार मुख्यतया आचार-भेद में से जो दलभेद स्थिर हुआ उसके कारण सारे शासन में अनेक गढ़वाड़ीयाँ पैदा हुईं। फलस्वरूप पाटलिपुत्र की वाचना ( वी० नि० १६० के लगभग ) हुई।<sup>२</sup> इस वाचना तक और इसके आगे भी ऐसा अभिन्न अग-श्रुत रहा जिसे दोनों दल समान रूप से मानते थे, पर कहते जाते थे कि उस मूलश्रुत का क्रमशः ह्रास होता जा रहा है। साथ ही वे अपने-अपने अभिमत-आचार के पोषक ग्रन्थों का भी निर्माण करते रहे। इसी आचारभेद-पोषक श्रुत के द्वारा अन्ततः उस प्राचीन अभिन्न अग-श्रुत में भत्तभेद का जन्म हुआ, जो आरम्भ में अर्थ करने में था पर

१. दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, प्रशापना, अनुयोगदार, आवश्यक, ऋषि-भाषित आदि।

२. परिशिष्टपर्व, सर्ग ९, श्लोक ५५ तथा आगे, वीरनिर्वाणसंवत् और जैन-कालगणना, पृ० १४।

आगे जाकर पाठ्मेद की तथा प्रक्षेप आदि की कल्पना में परिणत हो गया। इस प्रकार आचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्न अंगश्रुत-विषयक दोनों दलों की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया। इससे एक दल तो यह मानने-मनवाने लगा कि वह अभिन्न मूल अंगश्रुत वहूत अशों में लुप्त ही हो गया है। जो है वह भी कृत्रिमता तथा नये प्रक्षेपों से रिक्त नहीं है, ऐसा कहकर भी उस दल ने उस मूल अंगश्रुत को सर्वथा छोड़ नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ अपने आचारपोषक श्रुत का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष का प्रचार भी करता रहा। इसरे दल ने देखा कि पहला दल उस मूल अंगश्रुत में कृत्रिमता के समाविष्ट हो जाने का आक्षेप भी करता है पर वह उसे सर्वथा छोड़ता भी नहीं और न उसको रक्षा में सहयोग ही देना है। यह देखकर दूसरे दल ने मथुरा में एक सम्मेलन आयोजित किया। उसमें मूल अंगश्रुत के साथ अपने मान्य अंगबाह्य श्रुत का पाठनिश्चय, वर्गीकरण और सक्षेप-विस्तार आदि किया गया, जो उस सम्मेलन में भाग लेनेवाले सभी स्थविरों को प्रायः मान्य रहा। यद्यपि इस अग और अनंग-श्रुत का यह नव-संस्करण था तथा उसमें अग और अनंग की भेदक रेखा होने पर भी अग में अनंग का प्रवेश तथा प्रमाण<sup>१</sup>, जो कि दोनों के समप्रामाण्य का सूचक है, आ गया था तथा उसके वर्गीकरण तथा पाठस्थापन में भी अन्तर आ गया था, फिर भी यह नया संस्करण उस मूल अंग-श्रुत के वहूत निकट था, क्योंकि इसमें विरोधी दल की आचार-पोषक वे सभी वातें थीं जो मूल अंगश्रुत में थीं। इस मायुर-संस्करण के समय से तो मूल अंगश्रुत की समान मान्यता में दोनों दलों का बड़ा ही अन्तर आ गया, जिसने दोनों दलों के तंत्र श्रुतभेद की नींव रखी। अचेलत्वसमर्थक दल का कहना था कि मूल अंगश्रुत सर्वथा लुप्त हो गया है, जो श्रुत सचेल दल के पास है और जो हमारे पास है वह सब मूल अर्थात् गणघरकृत न होकर वाद के अपने-अपने आचारों द्वारा रचित व सकलित है। सचेल दलवाले कहते थे कि नि सन्देह वाद के आचारों द्वारा अनेकविध नया श्रुत निर्मित हुआ है

१ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच। देखें—चौरनिर्वाणसंबत् और जैनकालगणना, पृ० १०४।

२. जैसे भगवतीसूत्र में अनुयोगद्वार, प्रजापना, जन्मद्वीपप्रक्षसि, जीवाभिगम और राजप्रस्तीय का उल्लेख है।

और उन्होंने नई संकलना भी की है, फिर भी मूल अगश्रुत के भावों में कोई परिवर्तन या काट-छाँट नहीं की गई है। बारीकी से देखने तथा ऐतिहासिक कसीटी पर कसने पर सचेल दल की बात बहुत-कुछ सत्य ही जान पड़ती है, क्योंकि सचेलत्व का समर्थन करते रहने पर भी इस दल ने अंगश्रुत में से अचेलत्वसमर्थक, अचेलत्वप्रतिपादक किसी अश को उड़ा नहीं दिया।<sup>१</sup> जैसे अचेल दल का कहना था कि मूल अगश्रुत लुप्त हो गया वैसे ही सचेल दल का कहना था कि जिनकल्प अर्थात् पाणिपात्र या अचेलत्व का जिनसम्मत आचार भी काल-भेद के कारण लुप्त हो गया है।<sup>२</sup> फिर भी हम देखते हैं कि सचेल दल के द्वारा सस्कृत, सगृहीत और नव-सकलित श्रुत में अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा तदनुकूल व्यारथाएँ विद्यमान हैं। सचेल दल द्वारा अवलम्बित अगश्रुत के मूल अंगश्रुत से निकटतम होने का प्रमाण यह है कि वह उत्सर्ग—सामान्यभूमिकावाला है, जिसमें अचेल दल के सब अपवादों का या विशेष मार्गों का विधान पूर्णतया आज भी विद्यमान है, जब कि अचेल दल-सम्मत नगन्त्वाचारश्रुत औत्सर्गिक नहीं है, क्योंकि वह मात्र अचेलत्व का ही विधान करता है। सचेल दल का श्रुत अचेल तथा सचेल दोनों आचारों को मोक्ष का अग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधानता भी स्वीकार करता है। उसका मतभेद उमकी सामयिकता मात्र में है, जब कि अचेल दल का श्रुत सचेलत्व को मोक्ष का अग ही नहीं मानता, उसे बाधक तक मानता है।<sup>३</sup> ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सचेल दल का श्रुत अचेल दल के श्रुत की अपेक्षा उस मूल अगश्रुत के अति निकट है।

मथुरा के बाद वलभी<sup>४</sup> में पुनः श्रुत-संस्कार हुआ, जिसमें स्थविर पा सचेल दल का रहा-सहा मतभेद भी समाप्त हो गया। पर साथ ही

१. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १९ का टप्पणी ३।

२. गण-परमोहि-पुलाए आहारग-खवग-उद्यसमे इत्ये।

संज्ञाति—केवलिन्सज्जना य जन्मुम्बिन्दुञ्ज्ञणा॥

—विशेषा० २५९३।

३. सर्वार्थसिद्धि में नगन्त्व को मोक्ष का मुख्य और अबाधित कारण माना गया है।

४ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच। देखें—वीरनिर्बाणसंवत् और जैनकालगणना, पृ० ११०।

अचेल दल का श्रुत-विषयक विरोध उत्पत्तर हो गया। अचेल दल मे से अमुक ने अब रहे-सहे औदासीन्य को छोड़ सचेल दल के श्रुत का सर्वथा बहिष्कार करने का ठान लिया।

इ वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचारवाले अवश्य रहे, अन्यथा उनके भाष्य एवं प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल धर्मा-नुशारी प्रतिपादन कदापि न होता, क्योंकि अचेल दल के किसी भी प्रवर मुनि को सचेल प्रस्तुपणा बिलकुल सम्भव नहीं। अचेल दल के प्रधान मुनि कुन्दकुन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का ही निर्देश किया है, अतः कुन्दकुन्द के अन्यथा में होनेवाले किसी अचेल मुनि द्वारा सचेलत्व-प्रतिपादन सगत नहीं। प्रशमरति की उमास्वाति-कर्तृकर्ता भी विश्व-ननोय है। स्थविर दल की प्राचीन और विश्वस्त वशावली मे उमा-स्वाति की उच्चानागर शाखा तथा वाचक पद का पाया जाना भी उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक है। उमास्वाति विक्रम की तीसरी शताब्दी से प्राचीनी शताब्दी तक किसी भी समय में हुए हो, पर उन्होने तत्त्वार्थ की रचना के आधाररूप मे जिस अग-अनंग श्रुत का अवलम्बन किया था वह स्थविरपक्ष को मान्य था<sup>१</sup>। अचेल दल उसके विषय में या तो उदासीन था या उसका त्याग ही कर दैठा था। यदि उमास्वाति माथुरी-वाचना के कुछ पूर्व हुए हों तब तो उनके द्वारा अवलम्बित अंग और अनंग श्रुत के विषय मे अचेल पक्ष का प्रायः औदासीन्य था। यदि वे वालभी-वाचना के आसपास हुए हो तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के विषय मे अचेल दल मे से अमुक उदासीन ही नहीं, विरोधी भी बन गए थे।

यहाँ यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब उमास्वाति द्वारा अवलम्बित श्रुत अचेल दल मे से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने तत्त्वार्थ को इतना अधिक क्यों अपनाया? इसका उत्तर भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की तुलना से तथा मूलसूत्र से मिल जाता है। उमास्वाति जिन सचेलपक्षावलबित श्रुत के धारक थे उसमें नगत्व का भी प्रतिपादन

<sup>१</sup> प्रवचनसार, अधिक० ३।

२ बृत्तिकार सिद्धेन द्वारा अवलम्बित स्थविरपक्षीय श्रुत वालभी-वाचना-वाला रहा, जब कि उमास्वाति द्वारा अवलम्बित स्थविरपक्षीय श्रुत वालभी-वाचना के पहले का है, जो सम्भवतः भाषुरी-वाचनावाला होना चाहिए। इसी से लगता है कि कहीं-कहीं सिद्धेन को भाष्य में भागम-विरोध-सा हितार्दि हिया है।

और आदर रहा ही, जो सूत्रगत नाम्य ( ९.९ ) शब्द से प्रकट है। उनके भाष्य में अंगबाह्य रूप में जिस श्रुत का निर्देश है वह सब सर्वार्थ-सिद्धि में नहीं आया, क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्य, व्यवहार आदि अचेल पक्ष के अनुकूल ही नहीं हैं। वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषक है, पर सर्वार्थसिद्धि में दशवैकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आता है, जो खास अचेल पक्ष के किसी आचार्य की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नहीं है।

उमास्वाति के मूलसूत्रों की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड़ देने मात्र से सूत्रों को अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पूज्यपाद ने उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या लिखी जिसमें केवल अचेलधर्म का ही प्रतिपादन हो और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरसन हो। इतना ही नहीं, पूज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अग तथा अंगबाह्य श्रुत, जो बालभी-लेखन का वर्तमान रूप है, का भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केवली को कवलाहारी-मानना तथा मांस आदि ग्रहण करनेवाला कहना क्रमशः केवली-अवर्णवाद तथा श्रुत-अवर्णवाद है।<sup>१</sup> वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि पूज्यपाद की सर्वार्थ-सिद्धि, जिसमें मुख्यरूप से अचेलधर्म का स्पष्ट प्रतिपादन है, के बन जाने के बाद सचेलपक्षावलम्बित समग्र श्रुत का जैसा बहिष्कार अमुक अचेल पक्ष ने किया देसा दृढ़ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की रचना के पूर्व नहीं हुआ था। यही कारण है कि सर्वार्थसिद्धि की रचना के बाद अचेल पक्ष में सचेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा, जैसा कि उत्तरकालीन दिग्म्बर विद्वानों की श्रुतप्रवृत्ति से स्पष्ट है। इस स्थिति में अपवाद है जो नगण्य है।<sup>२</sup> वस्तुतः पूज्यपाद के आसपास अचेल और सचेल पक्ष में इतनी खीच-तान और पक्ष-प्रतिपक्षता बढ़ गई थी

१. भगवतीसूत्र ( शतक १५ ), भ्राचाराङ्ग ( शोलाङ्गटीकासहित, पृ० ३३४, ३३५, ३४८, ३५२, ३६४ ), प्रश्नव्याकरण ( पृ० १४८, १५० ) आदि में मास-संबंधी जो पाठ आते हैं उनको लक्ष्य में रखकर सर्वार्थसिद्धिकार ने कहा है कि आगम में ऐसी वार्तां का होना स्वीकार करना श्रुत-अवर्णवाद है। भगवती ( शतक १५ ) आदि के केवली-आहार वर्णन को लक्ष्य में रखकर उन्होंने कहा है कि यह केवली का अवर्णवाद है।

२. अकलङ्क और विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के भन्यों से परिचित रहे। देखें— राजवार्तिक, C. १. १७ तथा स्लोकवार्तिक, पृ० ३।

कि उसी के फलस्वरूप सर्वार्थसिद्धि के बन जाने तथा उसके अतिं प्रतिष्ठित हो जाने पर अचेल पक्ष मे से तत्त्वार्थ-भाष्य का रहा-सहा स्थान भी हट गया। विचार करने पर भी इस प्रश्न का अब तक कोई उत्तर नहीं मिला कि जैसे-तैसे भी सचेल पक्ष ने अंगश्रुत को अभी तक किसी-न-किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुद्धि मे, श्रुत-भक्ति मे और अप्रमाद मे जो सचेल पक्ष से किसी तरह कम नहीं उस अचेल पक्ष ने अंग-श्रुत को समूल नष्ट क्यों होने दिया? जब कि अचेल पक्ष के अग्रगामी कुन्दकुन्द, पूज्यपाद, समन्तभद्र आदि का इतना श्रुत-विस्तार अचेल पक्ष ने सम्हालकर रखा, तब कोई कारण नहीं था कि वह आज तक भी अंगश्रुत के अमुक मूल भाग को न सम्हाल सकता। अंगश्रुत को छोड़कर अग-आहु की ओर हृषिपात करने पर भी प्रश्न रहता ही है कि पूज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवैकालिक, उत्तराध्ययन जैसे छोटे-से ग्रन्थ अचेलपक्षीय श्रुत में से लूप कैसे हो गए, जब कि उनसे भी बड़े ग्रन्थ उस पक्ष में बराबर रहे। सब बातों पर विचार करने से मैं इसी निश्चित परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मूल अंगश्रुत का प्रवाह अनेक अवश्यम्भावी परिवर्तनों की चोटें सहन करता हुआ भी आज तक चला आया है जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा अभी सर्वथा मान्य है और जिसे दिगम्बर सम्प्रदाय बिलकुल नहीं मानता।

श्रुत के इस सन्दर्भ मे एक प्रश्न की ओर इतिहास के विद्वानों का ध्यान खीचना आवश्यक है। पूज्यपाद तथा अकलद्धू ने दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन का निर्देश किया है। इतना ही नहीं, दशवैकालिक पर तो नगन्तव के समर्थक अपराजित आचार्य ने टीका भी लिखी थी। इन्होंने भगवती-आराधना पर भी टीका लिखी है।<sup>१</sup> ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण दिगम्बर परम्परा से दशवैकालिक और उत्तराध्ययन का प्रचार क्यों उठ गया? जब हम देखते हैं कि मूलाचार, भगवती-आराधना जैसे अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि उपधि का भी अपवाद रूप से मुनि के लिए निरूपण करते हैं और जिनमे आयिकाओं के मार्ग का भी निरूपण है और जो दशवैकालिक तथा उत्तराध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का उत्कट प्रतिपादन नहीं करते वे ग्रन्थ सम्पूर्ण दिगम्बर परम्परा में एक-से मान्य हैं और जिन पर कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों ने स्फूर्त तथा

<sup>१</sup> देखें—भगवती आराधना, पृ० ११९६, अनेकान्त, दर्श २, अंक १, पृ० ५७।

भाषा ( हिन्दी ) में टीकाएँ भी लिखी हैं, तब तो उपर्युक्त प्रश्न और भी बलवान् बन जाता है। मूलाचार तथा भगवती-आराधना जैसे ग्रन्थों को श्रुत में स्थान देनेवाली दिगम्बर परम्परा दशवैकालिक और उत्तराध्ययन को क्यों नहीं मानती ? अथवा दशवैकालिक आदि को छोड़ देनेवाली दिगम्बर परम्परा मूलाचार आदि को कैसे मान सकती है ? इस असंगतिसूचक प्रश्न का उत्तर सरल भी है और कठिन भी। ऐतिहासिक हृषि से विचार करे तो सरल है और केवल पन्थ-हृषि से विचार करें तो कठिन है।

इतिहास से अनभिज्ञ लोग बहुधा यही सोचते हैं कि अचेल या दिगम्बर परम्परा एकमात्र नगन्त्व का ही मुनित्व का अंग मानती है या मान सकती है। नगन्त्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण करने को दिगम्बरत्व में कोई स्थान नहीं। जब से दिगम्बर परम्परा में तेरापन्थ को भावना ने जोर पकड़ा और दूसरे दिगम्बर अवान्तर पक्ष या तो नामशेष हो गए या तेरापन्थ के प्रभाव में दब गए तब से तो पन्थ-हृषिवालों का उपर्युक्त विचार और भी पुष्ट हो गया कि मुनित्व का अंग तो एकमात्र नगन्त्व है—थोड़ी भी उपर्युक्त उसका अंग नहीं हो सकती और नगन्त्व की असभावना के कारण न स्त्री ही मुनि-धर्म की अधिकारिणी बन सकती है। ऐसी पन्थ-हृषि के लोग उपर्युक्त असंगति का सच्चा समाधान प्राप्त हो नहीं कर सकते। उनके लिए यही मार्ग रह जाता है कि या तो वे कह दें कि वैसे उपर्युक्तिपादक सभी ग्रन्थ श्वेताम्बर हैं या श्वेताम्बर प्रभाववाले किन्हीं विद्वानों के हैं या उन्हें पूर्ण दिगम्बर मुनित्व का प्रतिपादन अभिप्रेत नहीं है। ऐसा कहकर भी वे अनेक उलझनों से मुक्त नहीं हो सकते। अतएव उनके लिए प्रश्न का सच्चा उत्तर कठिन है।

परन्तु जैन-परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओं का अध्ययन तथा विचार करनेवाले के सामने वैसी कोई कठिनाई नहीं। जैन-परम्परा के इतिहास से स्पष्ट है कि अचेल या दिगम्बर पक्ष में भी अनेक संघ या गच्छ ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्म के अगरूप में उपर्युक्त का आत्मन्त्रिक त्याग मानने न मानने के विषय में पूर्णतया एकमत नहीं थे। कुछ संघ ऐसे भी थे जो नगन्त्व और पाणिपात्रत्व का पक्ष लेते हुए भी व्यवहार में थोड़ी-बहुत उपर्युक्त अवश्य स्वीकार करते थे। वे एक प्रकार से युग्मध्यममार्गी अचेल दलवाले थे। कोई संघ या कुछ संघ ऐसे भी थे जो मात्र नगन्त्व का समर्थन करते थे और व्यवहार में भी उसी का अनुसरण करते थे। वे

ही तीव्र या उत्कट अचेल दलवाले थे। जान पड़ता है कि संघ या दल कोई भी हो पर पाणिपात्रत्व सबका समान रूप में था। इसीलिए वे सब दिगम्बर ही समझे जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले भिन्न-भिन्न संघों या गच्छों के विद्वानों या भुनियों द्वारा रचित आचार-ग्रन्थों में नगन्त्व और वस्त्र आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यापनीय आदि कुछ ऐसे भी संघ हुए जो न तो पूरे सचेल पक्ष के समझे गए और न पूरे अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके। ऐसे संघ जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो श्वेताम्बर पक्ष के द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थीं और कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गईं और कालक्रम से दिगम्बर ही मानी जाने लगी। इस प्रकार प्राचीन और मध्यकालीन तथा मध्यम और उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों की कृतियों में समुचित रूप से कही नगन्त्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन और कही मर्यादित उपचित्र का प्रतिपादन दिखाई दे तो यह कोई असंगत वात नहीं है। इस समय दिगम्बर सम्प्रदाय में नगन्त्व की आत्यन्तिक आश्रही जो तेरापन्थीय भावना दिखाई देती है वह पिछले हो-तीन सौ वर्षों का परिणाम है। केवल इस भावना के आधार पर पुराने सब दिगम्बर समझे बानेवाले साहित्य का स्पष्टीकरण कभी संभव नहीं। दशवेकालिक आदि ग्रन्थ श्वेताम्बर परम्परा में इतनी अधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त है कि जिनका त्याग आप ही आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। यदि भूलाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेताम्बर परम्परा पूरी तरह अपना लेती तो वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना इतना स्थान बनाए रखते।

### ( घ ) उमास्वाति की जाति और जन्म-स्थान

प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं है, फिर भी माता का गोत्रसूचक 'धात्सी' नाम इसमें है और 'कीभीषणि' भी गोत्र-सूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति के ब्राह्मण जाति का होने की सूचना देता है, ऐसा कहना गोत्र-परम्परा को ठेठ से पकड़ न लेनेवाली ब्राह्मण जाति के बंशानुक्रम के अभ्यासी को आयद ही सदोप प्रतीत हो। प्रशस्ति वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान के रूप में 'न्यग्रोधिका' ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहीं है, इसका इतिहास क्या है और आज उसको क्या स्थिति है—यह सब अंद्रकार में है। इसकी छानबीन करना दिलचस्पी का विषय है। प्रशस्ति में तत्त्वार्थमूर्त्र

के रचना-स्थान के रूप में 'कुसुमपुर' का निर्देश है। यह कुसुमपुर हो-इस समय विहार का पटना है। प्रशस्ति में कहा गया है कि विहार करते-करते पटना में तत्त्वार्थ को रचना हुई। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ स्फुरित होती हैं :

१. उमास्वाति के समय में और कुछ आगे-पीछे भी मगध में जैन भिक्षुओं का खूब विहार होता रहा होगा और उस तरफ जैन संघ का बल तथा आकर्षण भी रहा होगा ।

२. विशिष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षु अपनी अनियत स्थानवास की परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने कुल को 'जगम विद्यालय' बना लिया था ।

३. विहार-स्थान पाटलिपुत्र ( पटना ) और मगधदेश से जन्म-स्थान न्यग्रोधिका सामान्य तौर पर बहुत दूर नहीं रहा होगा ।

## २. तत्त्वार्थ के व्याख्याकार

तत्त्वार्थ के व्याख्याकार श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में हुए हैं, परन्तु इसमें अन्तर यह है कि श्वेताम्बर परम्परा में सभाध्य तत्त्वार्थ की व्याख्याओं की प्रधानता है और दिगम्बर परम्परा में मूल सूत्रों की ही व्याख्याएँ हुई हैं । दोनों सम्प्रदायों के इन व्याख्याकारों में कितने ही ऐसे विशिष्ट विद्वान् हैं जिनका स्थान भारतीय दार्शनिकों में भी आ सकता है । अतः यहाँ ऐसे कुछ विशिष्ट व्याख्याकारों का ही संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है ।

### ( क ) उमास्वाति

तत्त्वार्थसूत्र पर भाष्यरूप में व्याख्या लिखनेवाले स्वयं सूत्रकार उमास्वाति ही है । इनके विषय में पहले लिखा जा चुका है । अतः इनके विषय में यहाँ अलंग से लिखना आवश्यक नहीं है । सिद्धसेनगणि<sup>१</sup> की भाँति आचार्य हरिभद्र भी भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते हैं, ऐसा उनकी भाष्य-टीका के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है । हरिभद्र

१ देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १३, टिं० १ और पृ० १५-१६ ।

२ “एतन्निबन्धनश्वात् सप्तारस्येति स्वामित्र यमनिधाय मतान्तरमुपन्य-सन्नाह—एके त्वित्यादिना”—पृ० १४१ ।

प्रशमरति<sup>१</sup> को भाष्यकार की ही रचना समझते हैं। ऐसी स्थिति में भाष्य को स्वोपन्न न मानने की आधुनिक कल्पनाएँ आंत ठहरती हैं। पूज्यपाद, अकलद्वारा आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टीकाकार ने ऐसी बात नहीं उठाई है जो भाष्य की स्वोपन्नता के विपरीत हो।

### ( ख ) गन्धहस्ती<sup>२</sup>

वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्याकार या भाष्यकार के रूप में जैन परम्परा में दो गन्धहस्ती प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचार्य और दूसरे श्वेताम्बराचार्य माने जाते हैं। गन्धहस्ती विशेषण है। यह विशेषण दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान् आ० समन्तभद्र का समझा जाता है और इससे फलित होता है कि आसमीमासा के रचयिता गंध-हस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने आ० उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्या लिखी थी। श्वेताम्बर परम्परा में गन्धहस्ती विशेषण बृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर का है। यह मान्यता इस समय प्रचलित है। इसके अनुसार फलित होता है कि सम्पत्ति के रचयिता और बृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वाचक उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र पर व्याख्या लिखी थी। ये दोनों मान्यताएँ और उन पर से निष्पन्न उक्त मन्तव्य अप्रामाणिक होने से ब्राह्म नहीं हैं। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के लिए 'गन्धहस्ती' विशेषण व्यवहृत मिलता है, जो लघुसमन्तभद्रकृत अष्ट-सहस्री के टिप्पण से स्पष्ट है। लघुसमन्तभद्र का काल १४वी-१५वी शताब्दी के बीच का माना जाता है।<sup>३</sup> उनके प्रस्तुत उल्लेख का समर्थक एक भी सुनिश्चित प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है। अब तक के अध्ययन-चिन्तन से मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कही भाष्य, कही महाभाष्य,

१. "यथोक्तमनेनव सूरिण प्रकरणान्तरे" कहकर हरिश्नद्र ने भाष्यटीका में प्रशमरति की कारिकाएँ २१० व २११ उद्घृत की हैं।

२. 'शक्तस्तव' नाम से प्रसिद्ध 'नमोत्थुण' के प्राचीन स्तोत्र में 'पुरिसवर-गन्धहस्तीण' कहकर तीर्थंकर को गन्धहस्ती विशेषण दिया गया है। दसवीं और भारहवीं शत शताब्दी के दिगम्बर शिलालेखों में एक दीर सैनिक को गन्धहस्ती उपनाम दिया गया मिलता है। एक जैन मन्दिर का नाम भी 'सवति गन्धवारण जिनालय' है। देखें—आ० हीरालाल जैन द्वारा सम्पादित जैन शिलालेख संग्रह, पृ० १२३ व १२९ में चन्द्रगिरि पर्वत के शिलालेख।

३. देखें—स्वामी समन्तभद्र, पृ० २१४-२२०।

कही तत्त्वार्थभाष्य, कही गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग-अलग अनेक उल्लेख दिगम्बर-साहित्य में बिखरे हुए मिलते हैं और कही स्वामी समन्तभद्र नाम का निर्देश तत्त्वार्थ-महाभाष्य के साथ भी है। यह सब देखकर बाद के अर्चाचीन लेखकों को यह भ्रान्तिमूलक विश्वास हुआ कि स्वामी समन्तभद्र ने उमास्वाति के तत्त्वार्थ पर गन्धहस्ती नामक महाभाष्य लिखा था। इसी विश्वास ने उन्हे ऐसा लिखने को प्रेरित किया। वस्तुतः उनके सामने न तो ऐसा कोई प्राचीन आधार था और न कोई ऐसी कृति थी जो तत्त्वार्थसूत्र पर गन्धहस्ती-भाष्य नामक व्याख्या को समन्त-भद्रकर्तुंक सिद्ध करते। भाष्य, महाभाष्य, गन्ध-हस्ती आदि वडे-वडे शब्द तो थे ही, अतएव यह विचार आना स्वाभाविक है कि समन्तभद्र जैसे महान् आचार्य के अतिरिक्त ऐसी कृति कौन रच सकता है? विशेषकर इस स्थिति में कि जब अकल छू आदि बाद के आचार्यों के द्वारा रचित कोई कृति गन्धहस्ती-भाष्य नाम से निश्चित न को जा सकती हो। उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वार्थ पर स्वामी समन्तभद्र जैसे आचार्य की छोटी-भोटी कोई कृति हो तो उसके उल्लेख या किसी अवतरण का सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदि अति-शास्त्रीय टीकाओं में रुचया न पाया जाना कभी संभव नहीं। यह भी सम्भव नहीं है कि वैसी कोई कृति सर्वार्थसिद्धि आदि के समय तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्त-भद्र के अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ विद्यमान हैं। जो हो, मुझे अब कोई सन्देह नहीं है कि तत्त्वार्थ पर समन्तभद्र का गन्धहस्ती नामक कोई भाष्य नहीं था।

प० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने अनेकान्त (वर्ष १, पृ० २१६) में लिखा है कि 'घबला' में गन्धहस्ती-भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमें घबला की मूल प्रति को जाँच करनेवाले प० हीरालालजी न्यायतीर्थ के द्वारा विश्वस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि घबला में गन्धहस्ती-भाष्य शब्द का उल्लेख नहीं है।

वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेन दिवाकर के गन्धहस्ती होने की इतेताम्बर-मान्यता सत्रहबी-अठारहबी शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशो-विजयजी के एक उल्लेख पर से चली है।<sup>१</sup> उपाध्याय यशोविजयजी ने अपने 'महावीरस्तव' में गन्धहस्ती के कथन के रूप में सिद्धसेन दिवाकर

१. "अनेनैवाऽक्षिप्रायेषाहु गन्धहस्ती सम्मतौ" — न्यायखण्डसाद्य, पृ० १६।

के 'सन्मति' की एक गाथा उद्घृत को है। उस पर से आजकल यह माना जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर ही गन्धहस्ती हैं। परन्तु उपाध्याय यशोविजयजी का यह उल्लेख आन्तिपूर्ण है। इसके दो प्रमाण इस समय स्पष्ट हैं। एक तो यह कि उ० यशोविजयजी से पूर्व के किसी भी प्राचीन या अवाचीन ग्रन्थकार ने सिद्धसेन दिवाकर के साथ या निश्चित रूप से उनकी मानी जानेवाली कृतियों के साथ या उन कृतियों से उद्घृत अवतरणों के साथ एक भी स्थल पर गन्धहस्ती विशेषण का उपयोग नहीं किया है। सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ 'गन्धहस्ती' विशेषण का प्रयोग करनेवाले केवल यशोविजयजी ही हैं, अतः उनका यह कथन किसी भी प्राचीन आधार से रहित है।' इसके अतिरिक्त सिद्धसेन दिवाकर के जीवन-वृत्तान्तवाले जितने प्राचीन या अवाचीन प्रबन्ध मिलते हैं उनमें कहीं भी 'गन्धहस्ती' पद व्यवहृत दृष्टिगोचर नहीं होता,' जब कि दिवाकर पद प्राचीन प्रबन्धों तक में औँ: दूसरे आचार्यों के ग्रन्थों में भी प्रयुक्त मिलता है।<sup>१</sup> दूसरा प्रबल और अकाट्य प्रमाण यह है कि 'उपाध्याय यशोविजयजी से पूर्ववर्ती अनेक ग्रन्थों में जो गन्धहस्ती के अवतरण<sup>२</sup> मिलते हैं वे सभी अवतरण कहीं

१. भद्रेश्वरकृत कथावलीगत सिद्धसेनप्रबन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध, प्रभावकृतिरित्यगत नृदत्तादिप्रबन्धात्मक सिद्धसेनप्रबन्ध, प्रबन्धचित्तामणिगत विक्रम-प्रबन्ध और चतुर्विशितप्रबन्ध।

सिद्धसेन के जीवन-प्रबन्धों में जैसे दिवाकर उपनाम आता है और उसका समर्थन मिलता है वैसे गन्धहस्ती के विषय में कुछ भी नहीं है। यदि गन्धहस्ती पद का इसना प्राचीन प्रयोग मिलता है तो यह प्रश्न होता ही है कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने दिवाकर पद का तरह गन्धहस्ती पद सिद्धसेन के नाम के साथ या उनकी किसी निश्चित कृति के साथ प्रयुक्त क्यों नहीं किया?

२. देखें—हरिभद्रकृत पंचवस्तु, गाथा १०४८।

३ तुलना के लिए देखें—

"निद्रावयो यत् समघिगताया एव  
दर्शनलव्ये उपयोगधाते प्रवर्त्तते चक्षु-  
दर्शनावरणादिचतुष्ट्यं तूदगमोच्छेदित्वात्  
मूलधातं निहन्ति दर्शनलव्यम् इति!"

"आह च गन्धहस्ती—निद्रावयः  
समघिगताया एव दर्शनलव्ये उपयोगधाते  
वर्त्तते दर्शनावरणचतुष्ट्यं तूदगमोच्छेदि-  
त्वात् समूलधातं हन्ति दर्शनलव्यमिति!"

तो जरा भी परिवर्तन के बिना और कहीं बहुत थोड़े परिवर्तन के साथ और कहीं भावसाम्य के साथ सिंहसूर के प्रशिष्य और भास्वामी के शिष्य सिद्धसेनकृत तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति में मिलते हैं। इस पर से इतना तो निविवाद सिद्ध होता है कि प्रचलित परम्परा के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर नहीं किन्तु उपलब्ध तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति के

—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, भाग २, पृ० १३५,  
पृ० ४।

—प्रबचनसारोदार की सिद्धसेनीय वृत्ति,  
पृ० ३५८, प्र० प० ५; सित्तरीटीका  
मलयगिरिकृत गाथा ५; देवेन्द्रकृत  
प्रथम कर्मग्रन्थ टीका, गाथा १२।

“या तु भवस्थकेवलिनो द्विविष्ट्य  
संयोगायोगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शन-  
मोहनीयसंसक्षयादपायसद्द्रव्यक्षयाच्चो-  
दपादि सा सादिरपर्यवसाना इति ।”  
—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ५९, प० २७।

“तत्र याऽपायसद्द्रव्यवर्तनी श्रेणि-  
कादिना सद्द्रव्यापगमे च भवति अपाय-  
सहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना ।”  
—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ५९, प० २७।

“यदाह गन्धहस्ती—भवस्थकेव-  
लिनो द्विविष्ट्य संयोगायोगभेदस्य  
सिद्धस्य वा दर्शनमोहनीयसंसक्षया-  
विभूता सम्यग्दृष्टि सादिरपर्यवसाना  
इति ।”—नवपदवृत्ति, पृ० ८८।

“यदुक्तं गन्धहस्तिना—तत्र याऽपा-  
यसद्द्रव्यवर्तनी, अपायो—भविशानांशः  
सद्द्रव्याणि—शूद्रसम्यक्त्वदलिकानि  
तद्वर्तनी श्रेणिकादीनां च सद्द्रव्याप-  
गमे भवत्यपायसहचारिणी सा सादि-  
सपर्यवसाना इति ।”

—नवपदवृत्ति, पृ० ८८।

“प्राणापानादुच्छ्वासनि॒स्वास-  
क्रियालक्षणो ।”  
—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० १६१, प० १३।

“यदाह गन्धहस्ती—प्राणापानो  
उच्छ्वासनि॒स्वासी इति ।”—वर्षसंग्रहणी-  
वृत्ति (मलयगिरि), पृ० ४२, प्र० प० २।

“अतएव च भेदः प्रदेशानामवय-  
वानां च, ये न जानुनिद् वस्तुव्यतिरे-  
केणोपलभ्यन्ते ते प्रदेशाः ये तु विजक-  
लिता: परिकलितमूर्तयः प्रजापथमव-  
तरन्ति तेऽवयवाः ।”  
—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ३२८, प० २१।

“यद्यप्यवयप्रदेशयोर्गन्धहस्त्यादिपु-  
भेदोऽस्ति ।”

—स्थानादभंजरी, दलो० ९, पृ० ६३।

रचयिता भास्वामी के शिष्य सिद्धसेन ही गन्धहस्ती हैं। नाम के साहश्य से और प्रकाण्डवादी तथा कुशल ग्रन्थकार के रूप में प्रसिद्ध सिद्धसेन दिवाकर ही गन्धहस्ती हो सकते हैं ऐसी घारणा से उ० यशोविजयजी ने दिवाकर के लिए गन्धहस्ती विशेषण का प्रयोग करने की आन्ति की होगी, यही सम्भव है।

उपर्युक्त युक्तियों से स्पष्ट देखा जा सकता है कि इवेताम्बर परम्परा में प्रसिद्ध गंधहस्ती तत्त्वार्थसूत्र के भाष्य की उपलब्ध विस्तीर्ण वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इस से हमें निश्चित रूप से ऐसा मानने के कारण मिलते हैं कि दसवीं शताब्दी के अभयदेव ने अपनी सन्मति की टीका<sup>१</sup> में दो स्थानों पर गंधहस्ती पद का प्रयोग कर उनकी तत्त्वार्थ-व्याख्या देखने की जो सूचना की है वह अन्य कोई नहीं, प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इसलिए सन्मति-टीका में अभयदेव ने तत्त्वार्थ की जिस गंधहस्तिकृत व्याख्या को देखने की सूचना की है उसके लिए अब नष्ट या अनुपलब्ध साहित्य की ओर दृष्टिपात नहीं है। इसी सिलसिले में यह मानना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि नवी-दसवीं शताब्दी के ग्रन्थकार शीलाङ्कू<sup>२</sup> ने अपनी आचारागसूत्र की टीका में जिस गंधहस्तिकृत<sup>३</sup> विवरण का

१. सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाथा की व्याख्या की समाप्ति में टीकाकार अभयदेव ने तत्त्वार्थ के प्रथम व्याख्या के सूत्र ९ से १२ तक उद्घृत किए हैं और उन सूत्रों की व्याख्या के विपर्य में गन्धहस्ती की सिफारिश करते हुए कहा है कि “अस्य च सूत्रसमूहस्य व्याख्या गन्धहस्तिप्रभृतिभिर्विहितेति न प्रदर्शयते”—प० ५१५, प० २४। इसी प्रकार तृतीय काण्ड की गाथा ४४ में ‘हेतुवाद’ पद की व्याख्या करते हुए उन्होंने “सम्प्रदवर्णनकानन्दारित्राणि भौकमाणः” रखकर इसके लिए भी लिखा है—“तया गन्धहस्तिप्रभृतिभिर्विकान्तर्मति नेह प्रदर्शयते ।” —प० ६५१, प० २०।

२. देखें—आचार्य जिनविजयजी द्वारा सम्पादित ‘जीतकल्प’ की प्रस्तावना के बाद परिचय में शीलाङ्कूआचार्य के विपर्य में अधिक विवरण, प० १९-२०।

३. “शस्त्रपरिज्ञानिवरणमतिव्युग्मनं च गन्धहस्तिकृतम्” । तथा—

“शस्त्रपरिज्ञानिवरणमतिव्युग्मनमितीव किं चूतं पूज्येऽ ।

श्रीगन्धहस्तिनिष्ठैर्विवृणोमि ततोऽहमविजिष्टम् ॥”

—आचार्यांगटीका, प० १ तथा ८२ का प्रारंभ ।

उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन का ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही निकट-काल के शीलाङ्क और अभयदेव दोनों का भिन्न-भिन्न आचार्यों के लिए गन्धहस्ती पद का प्रयोग करना असम्भव है। अभयदेव जैसे बहुश्रुत विद्वान् ने जैन आगमों में प्रथम स्थानीय आचाराङ्क पर कुछ ही समय पूर्व के शीलाङ्कसूरि-रचित वृत्ति न देखी हो, यह कल्पना करना ही कठिन है। फिर, शीलाङ्क ने स्वयं ही अपनी टीकाओं में जहाँ-जहाँ सिद्धसेन दिवाकरकृत सन्मति की गायाएँ उद्धृत की हैं वहाँ किसी भी स्थल पर गन्धहस्तिपद का प्रयोग नहीं किया, अतः शीलाङ्क के अभिप्रेत गन्धहस्ती सिद्धसेन दिवाकर नहीं हैं, यह स्पष्ट है।

- ऊपर की विचारसरणी के आधार पर हमने पहले जो निर्णय किया था उसका संपूर्ण समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें मिल गया है, जो हरिभद्र की अपूर्ण वृत्ति के पूरक यशोभद्रसूरि के शिष्य ने लिखा है। वह इस प्रकार है—

“सूरियकोमद्रस्य ( हि ) शिष्येण समुद्घृता स्वबोधार्थम् ।  
तत्त्वार्थस्य हि टीका जडकायाजन्नाधृता यात्यां नृदधृता ॥१॥

हरिभद्राचार्येणारद्धा विवृतार्थदध्यायांइच ।

पूज्ये: पुनरुद्घृतेयं तत्त्वार्थद्व्य टीकान्त्या ॥ २ ॥

एतदुक्तं भवति—हरिभद्राचार्येणार्द्धविषणामध्यायानामाचानां टीकाकृता, भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन नव्या कृता तत्त्वार्थटीका नव्ये-वादस्थानेव्यर्कुला, तस्या एव शेषमुद्घृतं आचार्येण [ शेषं भया ] स्वबोधार्थं सात्यन्तगुर्वां च हृष्पुष्पिका टीका निष्पक्षा इत्यलं प्रसंगेन ।”  
—पृ० ५२१ ।

### ( ग ) सिद्धसेन

तत्त्वार्थभाष्य पर इवेताम्बराचार्यों की दो पूर्ण वृत्तियाँ इस समय उपलब्ध हैं। इनमें एक बड़ी और दूसरी छोटी है। बड़ी वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही यहाँ अभिप्रेत हैं। ये सिद्धसेन दिन्नगणि के शिष्य सिंहसूरि

१. देखें—गुजराती तत्त्वार्थविवेचन ( प्रथम संस्करण ), परिचय पृ० ३६ ।

२. यह पाठ अन्य लिखित प्रति से शुद्ध किया गया है। देखें—आस्मान द प्रकाश, वर्ष ४५, अंक १०, पृ० १९३ ।

के शिष्य भास्वामी के शिष्य थे, यह बात इनकी भाष्यवृत्ति की अन्तिम प्रशस्ति से सिद्ध है।<sup>१</sup> गंधहस्ती के विचार-प्रसंग में प्रयुक्त युक्तियों से यह भी ज्ञात होता है कि गंधहस्ती ये ही सिद्धसेन हैं। जब तक दूसरा कोई विशेष प्रमाण न मिले तब तक उनकी दो कृतियाँ मानने में ज़ंका नहीं रहती—एक तो आचाराग-विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थ-भाष्य की उपलब्ध बड़ी वृत्ति। इनका ‘गंधहस्ती’ नाम किसने और क्यों रखा, इस विषय में केवल कल्पना ही की जा सकती है। इन्होंने स्वयं तो अपनी प्रशस्ति में गंधहस्तो पद जोड़ा नहीं है। इससे मालूम होता है कि सामान्य तौर पर जैसा बहुतों के लिए घटिन होता है वैसा ही इनके साथ भी घटित हुआ है अर्थात् इनके शिष्य या भक्त अनुगामी जनों ने इनको गंधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया है। यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के उपर्युक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जाती है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रों का विशाल ज्ञान धारण करने के अतिरिक्त वे आगमविशद्ध प्रतीत होने-वाली चाहे जैसी तर्कसिद्ध वातों का भी बहुत ही आवेगपूर्वक संदर्भ करते थे और सिद्धान्त-पक्ष की स्थापना करते थे। यह बात उनकी तार्किकों के विशद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक सम्भव प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्त्वार्थभाष्य पर जो वृत्ति लिखी है वह अठारह हजार रुलोक-प्रमाण है और कदाचित् उस वक्त की रची हुई तत्त्वार्थभाष्य की सभी व्याख्याओं में बड़ी होगी। इस बड़ी वृत्ति और उसमें किए गए आनंद के समर्थन को देखकर ऐसा लगता है कि उनके किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीवनकाल में अथवा उनके बाद उनके लिए ‘गंधहस्ती’ विशेषण प्रयुक्त किया है। उनके समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी संभव नहीं, फिर भी वे विक्रम की सातवी और नवी शताब्दी के मध्य के होने चाहिए, यह नि संदेह है। उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुवंशु आदि अनेक वौद्ध विद्वानों<sup>२</sup>

१ यही सिहमूर नयवक के सुप्रसिद्ध टोकाकार है। देखें—भास्वानंद प्रकाश, वर्ष ४५, अंक १०, पृ० १११।

२ प्रसिद्ध वौद्ध विद्वान् ‘वसुवंशु’ का वे ‘आमिषगृद्ध’ के रूप में निर्देश करते हैं—तत्त्वादेव पदमेतत् वसुवंशोरामिषगृद्धस्य गृष्मस्येवाऽप्रेक्षकारिण।। जातिश्पस्यस्ता वसुवंशवैष्येयेन।।—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ६८, प० १ तथा २९। नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह, पृ० १३ पर जो आनन्दर्थ पांच पाप आते हैं और

का उल्लेख किया है। उनमें से एक सातवीं शताब्दी के धर्मकीर्ति भी है। अर्थात् सातवीं शताब्दी के पहले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित है। दूसरी ओर नवीं चत्ताब्दी के विद्वान् शीलाङ्कु ने गन्धहस्ती नाम से उनका उल्लेख किया है।<sup>१</sup> इससे वे नवीं शताब्दी के पहले किसी समय हुए होगे। सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिंहसूर गण क्षमाश्रमण के प्रशिष्य थे। सिंहसूर विक्रम की सातवीं शताब्दी के मध्य में अवश्य विद्यमान थे, अतएव सिद्धसेन का समय विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम पाद से लेकर आठवीं शताब्दी के मध्यभाग तक का प्रतीत होता है। सिद्धसेन ने अपनी वृत्ति में 'सिद्धिविनिश्चय' शब्द का उल्लेख किया है, जो अकलक का है, अतः कहना चाहिए कि अकलंक और सिद्धसेन दोनों समकालीन थे। यह भी सभव है कि सिद्धसेन ने अकलक का राजवार्तिक देखा हो।

### ( घ ) हरिभद्र

तत्त्वार्थभाष्य की लघु वृत्ति के लेखक हरिभद्र है। यह वृत्ति रत्नाम की श्री ऋषभदेवजी केसरीमलजी नामक संस्था की ओर से प्रकाशित हुई है। यह वृत्ति केवल हरिभद्राचार्य की कृति नहीं है, किन्तु इसकी रचना में कम-से-कम तीन आचार्यों का हाथ है।<sup>२</sup> उनमें से एक हरिभद्र है। इन्हीं हरिभद्र का विचार यहाँ प्रस्तुत है। व्येताम्बर परम्परा में हरिभद्र नाम के अनेक आचार्य हो गए हैं।<sup>३</sup> इनमें से याकिनीसूनु रूप से

---

जिनका वर्णन शीलाक ने सूत्रकृताग की टीका (पृ० २१५) में किया है उनका उल्लेख भी सिद्धसेन करते हैं।—भाष्यवृत्ति, पृ० ६७।

१. भिक्षुवरष्मर्मीतिनाऽपि विरोध उक्त प्रमाणविनिश्चयादौ। —तत्त्वार्थ-भाष्यवृत्ति, पृ० ३९७, प० ४।

२. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० ३३, टिं० ३।

३. इस वृत्ति के रचयिता तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। हरिभद्र, यशोभद्र और यशोभद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित ही हैं, किन्तु अष्टम-नवम अध्याय के अन्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कल्पना हो सकती है—“इन द्वीपस्थीतीकायां हरिभद्राचार्यं प्रारब्धायां दुपुष्पिकाभिधानायां तदगमेवात्यकर्तृ-कायां नवमोऽध्यायः समाप्त ॥”

४. देखें—मुनि कल्याणविजयजी द्वारा लिखित धर्मसंग्रहणी की प्रस्तावना, पृ० २ तथा आगे।

प्रसिद्ध सैकड़ों ग्रन्थों के रचयिता आठ हरिभद्र ही इस लघु वृत्ति के रचयिता माने जाते हैं। परन्तु इस विषय में कोई अमंदिरव प्रमाण अभी हमारे सामने नहीं है।

मुनि श्री जंबूविजयजी ने हरिभद्र और सिद्धसेन दोनों की वृत्तियों की तुलना की है और बतलाया है कि हरिभद्र ने मिद्धसेनीय वृत्ति का अवलंबन किया है।<sup>१</sup> यदि यह ठीक है तो कह सकते हैं कि सिद्धसेन की वृत्ति के बाद ही हरिभद्रीय वृत्ति लिखी गई है।

### ( ड ) यशोभद्र तथा यशोभद्र के शिष्य

हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्यायों की वृत्ति लिखी। इसके बाद तत्त्वार्थ-भाष्य के शेष सारे भाग की वृत्ति की रचना दो व्यक्तियों के द्वारा हुई, यह निहित जान पड़ता है। इनमें से एक यशोभद्र नाम के लाचार्य हैं और दूसरे उनके शिष्य हैं, जिनके नाम का पता नहीं चला। यशोभद्र के इस वकातानामा शिष्य ने दसवें अध्याय के केवल अन्तिम सूत्र के भाष्य पर वृत्ति लिखी है। इसके पहले के अशति हरिभद्र द्वारा छूटे हुए शेष भाष्य-अश पर यशोभद्र की वृत्ति है। यह बात यशोभद्रसूरि के शिष्य के बचनों से ही स्पष्ट है।<sup>२</sup>

वेताम्बर परम्परा में यशोभद्र नामक अनेक लाचार्य और ग्रन्थकार हुए हैं।<sup>३</sup> उनमें से प्रस्तुत वृत्ति के लेखक यशोभद्र कीन है, यह अज्ञात है। प्रस्तुत यशोभद्र भाष्य की अपूर्ण वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे, इसका कोई निर्णयिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत यह तो कहा ही जा सकता है कि यदि ये यशोभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते तो यशोभद्र के जो शिष्य वृत्ति की समाप्ति करते हैं और जिन्होंने हरिभद्र की अपूर्ण वृत्ति का अपने गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना लिखा है वे अपने गुरु के नाम के साथ हरिभद्र-शिष्य इत्यादि कोई विशेषण लगाए बिना शायद ही रहते। जो हो, इतना तो अभी विचारणीय है कि ये यशोभद्र कव द्वाएं और उनकी दूसरी कृतियाँ हैं या नहीं।

१. देखें—आत्मानन्द प्रकाश, वर्ष ४५, अंक १०, पृ० १९३।

२. देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० ३४।

३. देखें—यो० ८० देमाई, जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, परिशिष्ट में यशोभद्र।

यह भी विचारणीय है कि यशोभद्र एकमात्र अन्तिम सूत्र की वृत्ति क्यों नहीं लिख पाए, वह उनके गिष्य को क्यों लिखनी पड़ी?

तुलना करने से ज्ञात होता है कि यशोभद्र और उनके गिष्य की भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है।

हरिभद्र के घोडशक प्रकरण पर वृत्ति लिखनेवाले एक यशोभद्रसूरि हो गए हैं, वे ही प्रस्तुत यशोभद्र हैं या अन्य, यह भी एक विचारणीय प्रज्ञ है।

### ( च ) मलयगिरि

मलयगिरि<sup>१</sup> की लिखी हुई तत्त्वार्थभाष्य की व्याख्या उपलब्ध नहीं है। ये विक्रम की १२वी-१३वी शताब्दी के विश्रृत श्वेताम्बर विद्वान् हैं। ये आचार्य हेमचन्द्र के समकालीन हैं और इनकी प्रसिद्धि सर्वश्रेष्ठ टीकाकार के रूप में है। इनकी बोसों महत्वपूर्ण कृतियाँ उपलब्ध हैं।<sup>२</sup>

### ( छ ) चिरंतनसुनि

चिरंतनसुनि एक अज्ञातनामा श्वेताम्बर साधु थे। इन्होने तत्त्वार्थ पर साधारण टिप्पण लिखा है। ये विक्रम की चौदहवी शताब्दी के बाद किसी समय हुए हैं, क्योंकि इन्होने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में चौदहवी शताब्दी के मल्लिषेण की 'स्यादादमंजरी' का उल्लेख किया है।

### ( ज ) बाचक यशोविजय

बाचक यशोविजय की लिखी तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति का अपूर्ण प्रथम अध्याय ही मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय में ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जैन न्याय में सबसे अन्त में होनेवाले सर्वोत्तम प्रामाणिक विद्वान् के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं।<sup>३</sup> सतरहवी-अठारहवी शताब्दी तक होनेवाले न्यायशास्त्र के विकास को अपनाकर

१. मलयगिरि ने तत्त्वार्थटीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रज्ञापनावृत्ति में उपलब्ध निम्न उल्लेख तथा ऐसे ही अन्य उल्लेखों पर से रुढ़ हुई है—“तत्त्वाद्यप्तकारित्वं तत्त्वार्थटीकाद्वौ सविस्तरेण प्रसावितमिति ततोऽवधारणीयम्।”—प्रज्ञापना, पद १५, पृ० २९६।

२. देखें—‘धर्मसंग्रहणी’ की प्रस्तावना, पृ० ३६।

३. देखें—जैनतर्कभाषा, प्रस्तावना, सिंधी भाष्यमाना।

इन्होंने जैन श्रुति को तर्कबद्ध किया है और भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक प्रकरण लिखकर जैन तत्त्वज्ञान के सूक्ष्म अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया है।

### ( १ ) गणी यशोविजय

गणी यशोविजय वाचक यशोविजय से भिन्न है। इनका समय अज्ञात है। इनके विषय में अन्य ऐतिहासिक परिचय भी इस नमय कुछ नहीं है। इनकी कृति के रूप में केवल तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती ट्वा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इनकी और कोई रचना है या नहीं, यह ज्ञात नहीं। टिप्पण की भाषा और शैली को देखते हुए ये सत्तरहृषी-अठारहृषी शताब्दी के प्रतीत होते हैं। इनकी दो विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं-

( ? ) जैसे वाचक यशोविजय आदि स्वेताम्बर विद्वानों ने 'अष्ट-सहस्रो' जैसे दिगम्बर-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं वैसे ही गणी यशो-विजय ने भी तत्त्वार्थसूत्र के सर्वार्थसिद्धिमान्य दिगम्बर सूत्रपाठ पर मात्र सूत्रों का अर्थपूरक टिप्पण लिखा है और टिप्पण लिखते हुए उन्होंने जहाँ-जहाँ स्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद या मतविरोध आता है वहाँ सबंध श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार ही अर्थ किया है। सूत्रपाठ दिगम्बर होते हुए भी अर्थ स्वेताम्बरीय है।

( २ ) अब तक तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखनेवालों में प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम माने जाते हैं, क्योंकि तत्त्वार्थसूत्र पर गुजराती में और किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक जानकारी में नहीं थाया।

गणी यशोविजयजी के श्वेताम्बर होने की बात सो निश्चित है, क्योंकि टिप्पण के अन्त में ऐसा उल्लेख है, 'और हूसरा सबल प्रमाणे तो उनका वालावोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद और दिगम्बरीय

१. “इति श्वेताम्बराचार्यशीदमात्वामिगण ( १ ) कृतनत्त्वार्थसूत्र तत्प वालावोध श्रीयशोविजयराणिकृत् समाप्त ।”—प्रचर्तक श्री कान्तिविजय के शास्त्र-संग्रह को लिखित टिप्पणी की पुस्तक।

२ इसे स्वीकार करने में अपवाद भी है जो कि बहुत थोड़ा है। उदाहरणार्थ अध्याय ४ का १९ वाँ सूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ से नहीं लिया, क्योंकि

सूत्रों की संख्या स्वीकार करने पर भी अर्थ उन्होंने दिगम्बर परम्परा के अनुकूल कहीं नहीं किया। हाँ, यहाँ एक प्रश्न होता है कि श्वेताम्बर होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ क्यों लिया? क्या वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हे दिगम्बर सूत्रपाठ में ही श्वेताम्बर सूत्रपाठ की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिखाई दिया? इसका उत्तर यही उचित जान पड़ता है कि वे श्वेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य ही होगे और उनकी दृष्टि में उसी पाठ का महत्त्व भी होगा, क्योंकि वैमा न होता तो वे श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार टिप्पणी लिखते ही नहीं। ऐसा होने पर भी दिगम्बर सूत्रपाठ ध्यण करने का कारण यह होना चाहिए कि जिस सूत्रपाठ के आधार पर सभी दिगम्बर विद्वान् हजार वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही श्वेताम्बर आगमों से विपरीत अर्थ करते आए हैं उसी सूत्रपाठ से श्वेताम्बर परम्परा के ठीक अनुकूल अर्थ निकालना और करना विलकूल शक्य तथा संगत है, ऐसी छाप दिगम्बर पक्ष पर ढालना और साथ ही श्वेताम्बर अभ्यासियों को दर्शाना कि दिगम्बर या श्वेताम्बर चाहे जो सूत्रपाठ लो, पाठमेद होते हुए भी अर्थ तो एक ही प्रकार का निकलता है और वह श्वेताम्बर परम्परा के अनुकूल ही है—दिगम्बर सूत्रपाठ से चौकने की या उसे विरोधी पक्ष का समझकर फेंक देने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखें या सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ याद करें। तत्त्व दोनों में एक ही है। इस तरह एक ओर दिगम्बर विद्वानों को यह बतलाने के लिए कि उनके सूत्रपाठ में से सरलतापूर्वक सत्य अर्थ क्या निकल सकता है और दूसरी ओर श्वेताम्बर अभ्यासियों को पक्षमेद के कारण दिगम्बर सूत्रपाठ से न चौके यह समझाने के उद्देश्य से ही इन यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी हो ऐसा जान पड़ता है।

### ( न ) पूज्यपाद

पूज्यपाद का मूल नाम देवनन्दी है। ये विक्रम की पाँचवी-छठी शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे

---

दिगम्बर परम्परा सोलह स्वर्ण मानती है इसलिए इन्होंने यहाँ बारह स्वर्णों के नामबाला श्वेताम्बर सूत्र लिया है।

है, जिनमें से कुछ तो उपलब्ध हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं। बाँड़ म्बर व्याख्याकारों से पूज्यपाद से पहले केवल शिवकोटि<sup>१</sup> के ही होने पर सूचना मिलती है। इन्हीं पूज्यपाद की दिगम्बरत्व-समर्थक 'सदर्थिसिद्धि' नामक तत्त्वार्थव्याख्या बाद में सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों के लिए आधार-भूत बनी है।

### ( २ ) भट्ट अकलद्वारा

भट्ट अकलद्वारा विक्रम की सातवी-आठवी शताब्दी के विद्वान् हैं। 'सदर्थिसिद्धि'<sup>२</sup> के बाद तत्त्वार्थ पर इनकी ही व्याख्या मिलती है, जो 'राजवार्तिक' के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैनन्याय के प्रस्तावक विशिष्ट गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं जो जैनन्याय के प्रत्येक अभ्यासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।<sup>३</sup>

### ( ३ ) विद्यानन्द

विद्यानन्द विक्रम की नवीं-दसवीं शताब्दी के विद्वान् हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं।<sup>४</sup> ये भारतीय दर्शनों के विशिष्ट ज्ञाता थे और इन्होंने तत्त्वार्थ पर 'श्लोकवार्तिक' नामक पदावद्ध विस्तृत व्याख्या लिखकर कुमारिल जैसे प्रसिद्ध भीमासक ग्रन्थकारों की स्पर्धा की और जैनदर्शन पर किए गए भीमासकों के प्रचण्ड आक्रमण का सबल उत्तर दिया।

### ( ४ ) श्रुतसागर

'श्रुतसागर' नामक दिगम्बर सूरी १६वीं शताब्दी के विद्वान् हैं। इन्होंने तत्त्वार्थ पर टीका लिखी है। इनकी अन्य कई रचनाएँ हैं।

१. देखें—जैन साहित्य संशोधक, प्रथम भाग, पृ० ८३।

२. शिवकोटिकृत तत्त्वार्थ-व्याख्या, उसके अवतरण आदि आड़ उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने तत्त्वार्थ पर कुछ लिखा था, ऐसी सूचना कुछ अवर्धीन शिलालेखों की प्रशस्तियों से मिलती है। शिवकोटि समन्तभट्ट के शिष्य थे, ऐसी मान्यता है। देखें—स्वामी समन्तभट्ट, पृ० ९६।

३. देखें—न्यायकुमुदचन्द्र की प्रस्तावना।

४. देखें—अष्टसहस्री एवं सत्त्वार्थस्लोकवार्तिक की प्रस्तावना।

५. देखें—भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतसागरी वृत्ति की प्रस्तावना पृ० १८।

सूत्रों  
अनुभूति

देव, लक्ष्मीदेव, योगदेव और अभयनल्दिसूरि आदि विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ का मुझे विशेष परिचय नहीं मिला। इतने संस्कृत व्याख्यातिरिक्त तत्त्वार्थ की हिन्दी आदि भाषाओं में टीका लिखनेवाले दग्धबर विद्वान् हो गए हैं, जिनमें से कुछ ने तो कन्ठ भाषा में लिखी है और शेष ने हिन्दी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं।'

### ३. तत्त्वार्थसूत्र

तत्त्वार्थशास्त्र का बाह्य तथा आभ्यन्तर विशेष परिचय प्राप्त करने के लिए मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार बातों पर विचार किया जाता है—( क ) प्रेरक सामग्री, ( ख ) रचना का उद्देश्य, ( ग ) रचनाशैली और ( घ ) विषयवर्णन।

#### ( क ) प्रेरक सामग्री

ग्रन्थकार को जिस सामग्री ने 'तत्त्वार्थसूत्र' लिखने की प्रेरणा दी वह मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित की जाती है।

१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार—वैदिक दर्शनों में जैसे वेद वैसे ही जैनदर्शन में आगम-ग्रन्थ मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे ग्रन्थों का प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है। इस आगमज्ञान का पूर्व परम्परा से चला आया उत्तराधिकार वाचक उमास्वाति को समुचित रूप में मिला था, इसलिए सम्पूर्ण आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पृष्ट तथा व्यवस्थित रूप में था।

२. संस्कृत भाषा—काणी, मगध, बिहार आदि प्रदेशों में रहने तथा विचरने के कारण और कदाचित्, ब्राह्मणज्ञाति के होने के कारण वाचक उमास्वाति ने अपने समय की प्रधान भाषा संस्कृत का गहरा अध्ययन किया था। ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का द्वार ठीक-ठीक खुलने से संस्कृत भाषा के वैदिक दर्शनसाहित्य और वौद्ध दर्शनसाहित्य को ज्ञानने का उन्हें अवसर मिला और उस अवसर का पूरा उपयोग करके उन्होंने अपने ज्ञानभडार को खूब समृद्ध किया।

१ देखे—तत्त्वार्थभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नायूरामजी प्रेमी की प्रस्तावना।

३. दर्शनान्तरों का प्रभाव—संस्कृत भाषा द्वारा वैदिक और बौद्ध साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होंने तत्त्वालीन नई-नई रचनाएँ देखीं, उनकी वस्तुओं तथा विचारसरणियों को जाना, उन सबका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी ने उन्हें जैन साहित्य में पहले से स्थान न पानेवाली सक्षिप्त दर्शनिक सूत्रशैली तथा संस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिखने को प्रेरित किया।

४. प्रतिभा—उक्त तीनों हेतुओं के होते हुए भी यदि उनमें प्रतिभा न होती तो तत्त्वार्थ का इस रूप में कभी उद्भव ही न होता। बतः उक्त तीनों हेतुओं के साथ प्रेरक सामग्रों में उनकी प्रतिभा का महत्वपूर्ण अध्याय है।

### ( स ) रचना का उद्देश्य

कोई भी भारतीय जास्तकार जब स्वीकृत विषय पर ग्रास्त-रचना करता है तब वह अपने विषयनिरूपण के अन्तिम दृष्टिकोण के रूप में मोक्ष को ही रखता है, फिर भले ही वह विषय अर्थ, काम, ज्योतिष या वैद्यक जैसा आधिभौतिक हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग देसा आध्यात्मिक। सभी मूल्य-मूल्य विषयों के शास्त्रों के प्रारम्भ में उस-उस विद्या के अन्तिम फल के रूप में मोक्ष का ही निर्देश हूबा। और उपसंहार में भी उस विद्या से मोक्षसिद्धि का कथन किया गया है।

वैज्ञानिकदर्जन का प्रणेता कणाद प्रमेय की चर्चा करने से पूर्व उस विद्या के निरूपण को मोक्ष का साधनरूप बतलाकर ही उसमें प्रवर्नित होता है।<sup>१</sup> न्यायदर्जन का सूत्रकार गौतम प्रमाणपद्धति के ज्ञान को मोक्ष का द्वार मानकर ही उसके निरूपण में प्रवृत्त होता है।<sup>२</sup> सांख्यदर्जन का निरूपण भी मोक्ष के उपायभूत ज्ञान की पूर्ति के लिए अपनी विश्वोत्पत्ति विद्या का वर्णन करता है।<sup>३</sup> ब्रह्ममीमांसा में ब्रह्म और लग्न का निरूपण भी मोक्ष के संघन की पूर्ति के लिए ही हूबा है। योगदर्जन में योग-क्रिया और अन्य बहुत-सी प्रासंगिक वातों का वर्णन मात्र मोक्ष का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए ही है। भचिमार्गियों के जास्त्रों का उद्देश्य भी, जिनमें जीव, लग्न और ईश्वर आदि विषयों का वर्णन है, भक्ति की

१. देखें—कणादनूत्र, १. १. ४।

२. देखें—गौतमनूत्र, १. १. १।

३. देखें—ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका, का० २।

पुष्टि द्वारा अन्त में मोक्ष प्राप्त करना ही है। बीदृ-दर्जन के क्षणिकवाद का अथवा चार आर्यसत्यों में समाविष्ट आविभौनिक तथा आध्यात्मिक विषय के निरूपण का उद्देश्य भी मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जैनदर्जन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवलम्बन लेकर लिखे गए हैं। वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष रखकर ही उसकी प्राप्ति का उपाय सिद्ध करने के लिए निविच्छिन्न की हुई सभी वस्तुओं का वर्णन अपने तत्त्वार्थ में किया है।<sup>१</sup>

### ( ८ ) रचना-शैली

पहले से ही जैन आगमों की रचना-शैली बीदृ पिटको जैसी लम्बे और वर्णनात्मक सूत्रों के, रूप में प्राकृत भाषा में चली आती थी। दूसरी ओर व्याहृत विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा की संक्षिप्त सूत्रों की रचना-शैली धीरे-धीरे बहुत प्रतिष्ठित हो गई थी। इस संस्कृत सूत्र-शैली ने वाचक उमास्वाति को वाक्षित किया और उसी में उन्हे लिखने की प्रेरणा हुई। जहाँ तक हमारा ख्याल है, जैन संप्रदाय में संस्कृत भाषा में छोटे-छोटे सूत्रों के रचयिता सर्वप्रथम उमास्वाति ही है। उनके बाद ही यह सूत्रशैली जैन परम्परा में प्रसिद्धि हुई और व्याकरण, अलकार, आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर इतेताम्बर-दिग्म्बर दोनों विद्वानों ने इस शैली में संस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थों को रचना की।

उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र कणाद के वैजेयिकसूत्रों की भाँति दस

१ वाचक उमास्वाति को तत्त्वार्थ-रचना की प्रेरणा 'उत्तराध्ययन' के २८वें अध्ययन से मिली है, ऐसा ज्ञात होता है। इस अध्ययन का नाम 'मोक्षमार्ग' है। इस अध्ययन में मोक्ष के मार्गों को सूचित कर उनके विषय के रूप में जैन तत्त्वज्ञान का अत्यन्त सक्षेप में निरूपण है। इसी वस्तु का उमास्वाति ने विस्तार करके उसमें समग्र वागम के तत्त्वों को गूँथ दिया है। उन्होंने अपने सूत्र-ग्रन्थ का प्रारम्भ भी मोक्षमार्ग प्रतिपादक सूत्र से ही किया है। दिग्म्बर परम्परा में तो तत्त्वार्थसूत्र 'मोक्षशास्त्र' के नाम में ही प्रसिद्ध है। बीदृ-परम्परा में विशुद्धिमार्ग नामक अति महस्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रसिद्ध है। इसकी रचना पांचवीं सदी के आसपास पालि भाषा में बुद्धबोध ने की है। इसमें समग्र पालि-पिटको का सार है। इसका पूर्ववर्ती विमुक्तिमार्ग नामक ग्रन्थ भी बीदृ-परम्परा में था जिसका अनुवाद बीनी भाषा में मिलता है। विशुद्धिमार्ग और विमुक्तिमार्ग दोनों शब्दों का अर्थ मोक्षमार्ग ही है।

अध्यार्थों में विभक्त हैं, जिनकी सख्ता ३४४ है, जब कि कणाद के सूत्रों की सख्ता ३३३ है। इन अध्यार्थों में वैज्ञानिक आदि सूत्रों के सहश आह्लिक-विभाग अथवा ब्रह्मसूत्र आदि के समान पाद-विभाग नहीं है। जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर 'अध्याय' का आरभ करनेवाले भी उमास्वाति ही हैं। उनके द्वारा शुरू न किया गया आह्लिक और पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी अकलंक आदि द्वारा शुरू कर दिया गया है। वाह्य-रचना में कणादसूत्र के साथ तत्त्वार्थसूत्र का चिठ्ठेप साम्य होते हुए भी उसमें जानने योग्य एक विशेष अन्तर है, जो जैनदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डालता है। कणाद अपने मंतव्यों को सूत्र में प्रतिपादित करके उनको सावित करने के लिए अक्षपाद गौतम के सहश पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी उनकी पुष्टि में हेतुओंका उपन्यास तो बहुधा करते ही हैं, जब कि वाचक उमास्वाति अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिए कही भी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु नहीं देते। वे अपने वक्तव्य का स्थापित सिद्धान्त के रूप में ही कोई भी युक्ति 'या हेतु' विए विना अथवा पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष किए बिना ही योगसूत्रकार पतञ्जलि की तरह वर्णन करते चले जाते हैं। उमास्वाति के सूत्रों और वैदिक दर्शनों के सूत्रों की तुलना करते हुए एक छाप मन पर पड़ती है कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सर्वज्ञ के वक्तव्य को अक्षरशा स्वीकार कर लेती है और उसमें शका-समाधान का अवकाश नहीं देखती जिसके परिणामस्वरूप सशोधन, परिवर्धन और विकास करने योग्य वृद्धि के अनेक विषय तकन्वाद के युग में भी अर्चाचित रह कर मात्र श्रद्धा के आचार पर आज तक 'टिके हुए हैं।' वैदिक दर्शन-परम्परा वृद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों की परीक्षा करती है, उसमें शका-समाधानपरक चर्चा करती है और बहुत बार तो पहले से माने गए सिद्धान्तों को तकन्वाद से उलट कर नए सिद्धान्तों की स्थापना करती है अथवा उनमें सशोधन-परिवर्धन करती है। सारांश यह है कि जैन परम्परा ने विरासत में प्राप्त तत्त्वज्ञान और आचार को बनाए रखने में जितनी रुचि ली है उतनी तूलन सर्जन में नहीं ली।

<sup>१</sup> हिंदसेन, समन्वयभूमि आदि अनेक धूरंधर तांकिकों द्वारा किया दुमा तकन्विकास और तांकिक चर्चा भारतीय विचार के विकास में विशिष्ट स्थान रखती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी प्रस्तुत कथन योग-प्रधान भाव और दृष्टिभेद की अपेक्षा से ही है। तत्त्वार्थसूत्रों और उपनिषदों आदि को

( घ ) विषय-वर्णन

विषय का चुनाव—कितने ही दर्शनों में विषय का वर्णन ज्ञेय-भीमासा-प्रधान है, जैसे कि वैशेषिक, साख्य और वेदान्तदर्शन में। वैशेषिकदर्शन अपनी हाइ से जगत् का निरूपण करते हुए उसमें मूल द्रव्य कितने हैं, कैसे हैं और उनसे सम्बन्धित दूसरे पदार्थ कितने तथा कैसे हैं, इत्यादि का वर्णन करके मुख्य रूप से जगत् के प्रमेयों की ही भीमासा करता है। साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान रूप से जगत् के मूलभूत प्रमेय तत्त्वों की ही भीमासा करता है। वेदान्तदर्शन भी जगत् के मूलभूत ग्रह्यतत्त्व की ही भीमांसा प्रधान रूप से करता है। परन्तु कुछ दर्शनों में चारित्र की भीमासा मुख्य है, जैसे कि योग और बौद्ध-दर्शन में। जीवन की शुद्धि क्या है, वह कैसे साध्य है, उसमें कौन-कौन बाधक हैं इत्यादि जीवन-सम्बन्धी प्रश्नों का हल योगदर्शन ने हेय ( दुःख ), हेयहेतु ( दुःख का कारण ), हान ( मोक्ष ) और हानापाय ( मोक्ष का कारण ) इस चतुर्व्यूह का निरूपण करके और बौद्ध-दर्शन ने चार आर्यसत्यों का निरूपण करके किया है। अर्थात् पहले दर्शनविभाग का विषय ज्ञेयतत्त्व और दूसरे दर्शनविभाग का चारित्र है।

भगवान् महाबीर ने अपनी भीमासा में ज्ञेयतत्त्व और चारित्र को समान स्थान दिया है। इस कारण उनकी तत्त्वमीमासा एक ओर जीव-अजीव के निरूपण द्वारा जगत् के स्वरूप का वर्णन करती है और दूसरी ओर आत्मव, संवर आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप दरसाती है। उनकी तत्त्वमीमांसा का अर्थ है ज्ञेय और चारित्र का

---

लीजिए। तत्त्वार्थ के व्याख्याकार धूरंधर तार्किक होते हुए भी और सम्प्रदाय-भैद में विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते हैं और तर्क का प्रयोग करते हैं वह सब पहले से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन करने के लिए ही। इनमें से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसर्जन नहीं किया या व्येताम्बर-दिग्म्बर की तात्त्विक मान्यता में कुछ भी अन्तर नहीं ढाला। दूसरी ओर उपनिषद्, गीता और ऋग्वेद के व्याख्याकार तर्क के जोर पर यहाँ तक स्वतन्त्र चर्चा करते हैं कि उनके बीच तात्त्विक मान्यता में पूर्व-पञ्चिम जैसा अन्तर खड़ा हो गया है। इसमें क्या गुण और क्या दोष है, यह बत्तक्षय नहीं, बत्तक्षय के बल वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना है। सापेक्ष होने से गुण और दोष दोनों परम्पराओं में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।

समाज रूप से विचार। इस मीमांसा में भगवान् ने नौ तत्त्वों को रखकर हनुके प्रति अचल श्रद्धा को जैनत्व की प्राथमिक शर्त मानकर उभका वर्णन किया है। खागी या गृहस्थ कोई भी महादौर के मार्ग का अनुयायी तभी माना जा सकता है जब कि वह इन पर श्रद्धा रखता हो, अर्थात् 'जिनकित ये तत्त्व ही सत्य है' ऐसी शब्द-प्रतीतिवाला हो, फिर तभी इन नौ तत्त्वों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त न भी किया हो। इस कारण जैन दण्डन में नौ तत्त्वों के जैसा महत्त्व अन्य किसी विषय का नहीं है। इस वस्तुस्थिति के कारण ही बाँध उभास्वाति ने अपने प्रत्तुत आस्थ के विषय के रूप में इन नौ तत्त्वों को उपर्युक्त समझा और इन्हीं का वर्णन सूत्रों में सात संख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप 'तत्त्वार्थ-विगम' नाम दिया। उभास्वाति ने नौ तत्त्वों की मीमांसा में ज्ञेयप्रधान और चारित्रप्रधान दोनों दर्शनों का समन्वय देखा, तो भी उन्होंने उसमें अपने समय में विशेष चक्रप्राप्त प्रमाण-मीमांसा के निरूपण की उपयोगिता अनुभव की। इस प्रकार उन्होंने अपने ग्रन्थ को अपने घ्यान में आनेवाली सभी मीमांसाओं से परिपूर्ण करने के लिए नौ तत्त्वों के अतिरिक्त ज्ञान-मीमांसा को विषय के रूप में स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन की प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैन ज्ञानमीमांसा वर्तलाने की अपने ही सूत्रों में घोषना की। इस तरह समुच्चय रूप में कहना चाहिए कि उभास्वाति ने अपने सूत्र के विषय के रूप में ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीनों मीमांसाओं को जैन हृष्टि के अनुसार अपनाया है।

विषय का विभाजन—तत्त्वार्थ के वर्णन विषय को उभास्वाति ने दस अध्यायों में इस प्रकार से विभाजित किया है—पहले अध्याय में ज्ञान की, दूसरे से पाँचवें तक चार अध्यायों में ज्ञेय की और छठे से दसवें तक पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमांसा। यहाँ उक्त तीनों मीमांसाओं की क्रमशः मुख्य व सारभूत बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ संक्षेप में तुलना की जाती है।

ज्ञानमीमांसा की सारभूत बातें—पहले अध्याय में ज्ञान से सम्बन्धित मुख्य बाठ बातें इस प्रकार हैं—१. नय और प्रमाण रूप से ज्ञान का विभाजन। २. मंत्रि आदि आगम-प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष-दो प्रमाणों में विभाजन। ३. सुतिज्ञान की उत्पत्ति के साधन, उनके भेद-प्रभेद और उनकी उत्पत्ति के क्रमसूचक प्रकार। ४. जैन-परम्परा में प्रमाण माने गए आगम-गास्त्र का शुलक्षण के रूप में वर्णन।

५. अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष और उनके भेद-प्रभेद तथा पारस्परिक अन्तर । ६. पाँचों ज्ञानों का तारतम्य वत्तलाते हुए उनका विषय-निर्देश और उनकी एक साथ शक्यता । ७. कुछ ज्ञान भ्रमात्मक भी हो सकते हैं तथा ज्ञान की यथार्थता और अयथार्थता के कारण । ८. नय के भेद-प्रभेद ।

तुलना—ज्ञानमीमांसा की ज्ञानचर्चा 'प्रवचनसार' के ज्ञानाधिकार जैसी तर्कपुरस्सर और दार्शनिक शैली की नहीं, बल्कि नन्दीसूत्र की ज्ञानचर्चा जैसी आगमिक शैली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद-प्रभेदों का तथा उनके विषयों का मात्र वर्णन करनेवाली और ज्ञान अज्ञान के बीच का भेद बतानेवाली है । इसमें अवग्रह, ईहा आदि लौकिक ज्ञान की उत्पत्ति का जो क्रम<sup>१</sup> है वह न्यायशास्त्र<sup>२</sup> की निर्विकल्प-सविकल्प ज्ञान की और बौद्ध अभिघम्मत्यसगहो<sup>३</sup> की ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण कराता है । अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानों<sup>४</sup> का जो वर्णन है वह वैदिक<sup>५</sup> और बौद्धदर्शन<sup>६</sup> के सिद्ध, योगी तथा ईश्वर के ज्ञान का स्मरण कराता है । दिव्य ज्ञान में वर्णित मन-पर्याय का निरूपण योगदर्शन<sup>७</sup> और बौद्धदर्शन<sup>८</sup> के परचित्तज्ञान का स्मरण दिलाता है । प्रत्यक्षपरोक्ष रूप से प्रमाणों का विभाजन वैज्ञानिक और बौद्धदर्शन में वर्णित दो प्रमाणों का<sup>९</sup>, साख्य और योगदर्शन में वर्णित तीन प्रमाणों का<sup>१०</sup> न्यायदर्शन में प्ररूपित चार प्रमाणों का<sup>११</sup> और भीमांसादर्शन में प्रतिपादित छं आदि

१. तत्त्वार्थ, १५-१६ ।

२. देखें—मुक्तावली, का० ५२ से आगे ।

३. परिच्छेद ४, पैरेज़ाफ ८ से आगे ।

४. तत्त्वार्थ, १. २२-२६ और ३० ।

५. प्रशस्तपादकदली, पृ० १८७ ।

६. योगदर्शन, ३. १९ ।

७. अभिघम्मत्यसंगहो, परि० ९, पैरेज़ाफ २४ और नशार्जुन का धर्म-संग्रह, पृ० ४ ।

८. तत्त्वार्थ, १. १०-१२ ।

९. प्रशस्तपादकदली, पृ० २१३, पं० १२ और न्यायबिन्दु, १. २ ।

१०. ईश्वरकृष्णकृत साख्यकारिका, का० ४ और योगदर्शन १ ७ ।

११. न्यायसूत्र, १. १ ३ ।

प्रमाणों का समन्वय है। इस ज्ञानमीमांसा में ज्ञान-अज्ञान<sup>१</sup> का जो विवेक है वह न्यायदर्शन की यथार्थ-अयथार्थ बुद्धि<sup>२</sup> तथा योगदर्शन के प्रमाण और विपर्यय के विवेक<sup>३</sup> जैसा है। इसमें नये का जैसा स्पष्ट निरूपण है जैसा दर्शनान्तर में कहीं भी नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं कि वैदिक तथा बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जैन-दर्शनसम्मुद्र मान्यता को प्रस्तुत ज्ञानमीमांसा में उभास्वार्ति ने व्योरेवार प्रतिपादित किया है।

ज्ञेयमीमांसा की सारभूत बातें—ज्ञेयमीमांसा में जगत् के मूलभूत जीव और अजीव इन दो तत्त्वों का वर्णन है, जिनमें से मात्र जीव तत्त्व की चर्चा दो से चार तक के तीन अध्यायों में है। दूसरे अध्याय में जीव-तत्त्व के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीवों के अनेक भेद-प्रभेदों का और उनसे सम्बन्धित अनेक बातों का वर्णन है। तीसरे अध्याय में अधोलोकवासी नारकों व मध्यलोकवासी मनुष्यों तथा तिर्यकों ( पशु-पक्षी आदि ) का वर्णन होने से उनसे सम्बन्धित अनेक बातों के साथ नरकभूमि एव मनुष्यलोक का सम्पूर्ण भूगोल आ जाता है। चौथे अध्याय में देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमें खगोल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के दिव्यधारों एव उनकी समृद्धि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में प्रत्येक द्रव्य के गुणधर्म का सामान्य स्वरूप बतलाकर साधन्यवैधताएँ द्वारा द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा है।

ज्ञेयमीमांसा में मुख्य सोलह बातें आती हैं, जो इस प्रकार हैं :

दूसरे अध्याय में—१. जीव तत्त्व का स्वरूप। २. संसारी जीव के भेद। ३. इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि में इन्द्रियों का विभाजन। ४. मृत्यु और जन्म के बीच की स्थिति। ५. जन्मों के बीच उनके स्थानों के भेद तथा उनका जाति की हाइ से विभाजन। ६. शरीर के भेद, उनका तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उनकी शक्यता। ७. जातियों का लिंग-विभाजन और न टूटनेवाले आयुष्य को भोगनेवालों का निर्देश। तीसरे व चौथे अध्याय में—८. अधोलोक के

१. शावर-भाष्य, १. ५।

२. तत्त्वार्थ, १. ३३।

३. तर्कसग्रह—बुद्धिनिरूपण।

४. योगसूत्र, १. ६।

५. तत्त्वार्थ, १. ३४-३५।

विभाग, उसमें रहनेवाले नारक-जीव और उनकी दशा तथा आयुमयदा आदि । ९. द्वीप, समुद्र, पर्वत, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक वर्णन तथा उसमें रहनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन-काल । १०. देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भौग-स्थान, समृद्धि, जीवनकाल और ज्योतिर्मण्डल अर्थात् खगोल का वर्णन । पांचवें अध्याय में—११. द्रव्य के भेद, उनका परस्पर साधारण-वैधार्य, उनका स्थितिक्षेत्र और प्रत्येक का कार्य । १२. पुद्गल का स्वरूप, उसके भेद और उत्पत्ति के कारण । १३. सत् और नित्य का संहेतुक स्वरूप । १४. पौद्गलिक बन्ध की योग्यता और अयोग्यता । १५. द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल को द्रव्य माननेवाला मतान्तर और उसकी हाइट से काल का स्वरूप । १६. गुण और परिणाम के लक्षण और परिणाम के भेद ।

**तुलना**—इनमें से अनेक बातें आगमों तथा प्रकरण ग्रन्थों में हैं, परन्तु वे सभी इस ग्रन्थ की तरह सक्षेप में संकलित और एक ही स्थल पर न होकर विस्तरी हुई हैं । ‘प्रबन्धनसार’ के ज्ञायाधिकार में और ‘पंचास्तिकाय’ के द्रव्याधिकार में ऊपर उल्लिखित पांचवें अध्याय के ही विषय हैं, परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से भिन्न पड़ता है । पंचास्तिकाय और प्रबन्धनसार में तर्कपद्धति तथा विस्तार है, जब कि पांचवें अध्याय में सक्षिप्त तथा सीधा वर्णन है ।

ऊपर दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की जो सारभूत बातें दी हैं वैसा अखण्ड, व्यक्तिस्थित और सागोपांग वर्णन किसी भी ब्राह्मण या बौद्ध मूल दार्शनिक सूत्र-ग्रन्थ में दिखाई नहीं देता । बादरायण ने अपने ब्रह्म-सूत्र के तीसरे एवं चौथे अध्याय में जो वर्णन दिया है वह उक्त दूसरे, तीसरे एवं चौथे अध्याय की किसी ही बाती के साथ तुलना के योग्य है; क्योंकि इसमें भरण के बाद की स्थिति, उल्काति, भिन्न-भिन्न जातियों के जीव, भिन्न-भिन्न लोक और उनके स्वरूप का वर्णन है ।

दूसरे अध्याय में जीव का लक्षण उपयोग<sup>१</sup> कहा गया है, वह आत्म-वादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चैतन्य लक्षण से भिन्न नहीं है । वैशेषिक और न्यायदर्शन के इन्द्रियवर्णन की अपेक्षा तत्त्वार्थ के दूसरे अध्याय का इन्द्रियवर्णन<sup>२</sup> भिन्न दिखाई देते हुए भी उसके इन्द्रिय-

१. देखें—हिन्दू तत्त्वज्ञाननो इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १६२ तथा आगे ।

२. तत्त्वार्थ, २ ८ ।

३. तत्त्वार्थ, २ १५-२१ ।

सम्बन्धी भेद, उनके नाम और प्रत्येक का विषय न्याय<sup>१</sup> तथा वैशेषिक दर्शन के साथ लगभग शब्दश समान हैं। वैशेषिक दर्शन<sup>२</sup> में जो पार्थिय, जलीय, तैजस और वायवीय शरीरों का वर्णन है तथा साख्यदर्शन<sup>३</sup> में जो सूक्ष्म लिंग और स्थूल शरीर का वर्णन है वह तत्त्वार्थ<sup>४</sup> के शरीर-वर्णन से भिन्न दिखाई देते हुए भी वास्तव में एक ही अनुभव के भिन्न पहलुओं (पाद्वाओं) का सूचक है। तत्त्वार्थ<sup>५</sup> में जो बीचर्हे टूट सके और न टूट सके ऐसी आयु का वर्णन है और उसकी जो उपपत्ति बतलाई गई है उसका योगसूत्र<sup>६</sup> और उसके भाव्य के साथ शब्दश साम्य है। तत्त्वार्थ के तीसरे तथा चौथे अध्याय में प्रतिपादित भूगोलविद्या का किसी भी दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पष्ट नहीं किया। ऐसा होते हुए भी योगसूत्र ३.२६ के आध्य मे नरकभूमियों का, उनके आधारभूत धन, सलिल, वात, वाकाश आदि तत्त्वों का, उनमें रहनेवाले नारकों का, मध्यलोक का, मेरु का, निषध, नील आदि पर्वतों का, भरत, इलावृत्त आदि क्षेत्रों का, जम्बूदीप, लवणसमुद्र आदि द्वीपसमुद्रों का, ऊर्ध्वलोक-सम्बन्धी विविध स्वर्गों का, उनमें रहनेवाली देवजातियों का, उनकी आयु का, उनके स्त्री, परिवार आदि भोगों का और रहन-सहन का जो विस्तृत वर्णन है वह तत्त्वार्थ के तीसरे एवं चौथे अध्याय की त्रैलोक्य-प्रज्ञसि की अपेक्षा न्यून प्रतीत होता है। इसी प्रकार बौद्ध-यन्त्रों<sup>७</sup> में वर्णित द्वीप, समुद्र, पाताल, शीत-उष्ण, नारक और विविध देवों का वर्णन भी तत्त्वार्थ की त्रैलोक्य-प्रज्ञसि की अपेक्षा सक्षिप्त ही है। फिर भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और विचार-यद्धति की समानता देखकर आय-दर्शनों की विभिन्न-कालान्तरों का एक मूल शोधने की प्रेरणा मिलती है।<sup>८</sup>

१. न्यायसूत्र, १ १ १२ और १४।
२. देखें—तर्कसंग्रह में पृथ्वी से वायु तक का निरूपण।
३. साख्यकारिका, का० ४० से ४२।
४. तत्त्वार्थ, २. ३७-४९।
५. योगसूत्र, ३.२२, विस्तार के लिए देखें—प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० २१-२३।
६. घर्मसंग्रह, पृ० २९-३१ तथा अभिघमत्यसंग्रहो, परिं ५ पैरा ३ से आगे।
८. तत्त्वार्थ की श्रुतिसागरकृत वृत्ति की प्रस्तावना (पृ० ८६) में प० महेन्द्र-कुमार ने बौद्ध, वैदिक आग्दि यन्त्रों से लोक का जो विस्तृत वर्णन उद्घृत किया है वह पुरातन भूगोल-खण्डों के देखने योग्य है।



पांचवें अध्याय की वस्तु, शैली और परिभाषा का दूसरे दर्शनों की अपेक्षा वैशेषिक और सार्थक दर्शनों के साथ अधिक साम्य है। इसका षड्-द्रव्यवाद वैशेषिक दर्शन<sup>१</sup> के पट्टपदार्थवाद की याद दिलाता है। इसमें प्रयुक्त साधर्म्य-वैधर्म्यवाली शैली वैशेषिक दर्शन<sup>२</sup> के प्रतिविम्ब जैसी भासित होती है। यद्यपि धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय<sup>३</sup> इन दो द्रव्यों की कल्पना दूसरे किसी दर्शनकार ने नहीं की और जैन दर्शन का आत्म-स्वरूप<sup>४</sup> भी दूसरे सभी दर्शनों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का है, तो भी आत्मवाद और पुद्गलवाद से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वैशेषिक, सांख्य आदि के साथ अधिक साम्य है। जैन दर्शन<sup>५</sup> की तरह न्याय, वैशेषिक<sup>६</sup>, सार्थ्य<sup>७</sup> आदि दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं। जैन दर्शन का पुद्गलवाद<sup>८</sup> वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद<sup>९</sup> और सांख्य दर्शन के प्रकृति-वाद<sup>१०</sup> के समन्वय का भान ढराता है, क्योंकि इसमें आरंभ और परिणाम-उभयवाद का स्वरूप आता है। एक ओर तत्त्वार्थ में कालद्रव्य को मानने-वाले भत्तान्तर<sup>११</sup> का उल्लेख और दूसरी ओर उसके निश्चित रूप से निर्दिष्ट लक्षणों<sup>१२</sup> से ऐसा मानने को जी चाहता है कि जैन तत्त्वज्ञान के व्यवस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय में वैशेषिक<sup>१३</sup> और सार्थ्य दोनों दर्शनों के मन्त्रव्य की स्पष्ट छाप है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानता है, जब कि सार्थ्य दर्शन नहीं मानता। तत्त्वार्थ में

- 
१. वैशेषिकसूत्र, १. १. ४।
  २. प्रशस्तपाद, पृ० १६ तथा आगे।
  ३. तत्त्वार्थ, ५. १ और ५ १७, विशेष विवरण के लिए देखें—जैन साहित्य संशोधक, खण्ड ३, अंकु० १ तथा ४।
  ४. तत्त्वार्थ, ५ १५-१६।
  ५. तत्त्वार्थ, ५. २।
  ६. व्यवस्थातो नाना—३ २ २०।
  ७. पुरुषबहुत्वे तिढ़म् सार्थकारिका, का० १८।
  ८. तत्त्वार्थ, ५. २३-२८।
  ९. देखें—तर्कसंग्रह, पृथ्वी आदि भूतों का निष्पत्ति।
  १०. सार्थकारिका, का० २२ से आगे।
  ११. तत्त्वार्थ, ५. ३८।
  १२. तत्त्वार्थ, ५. २२।
  १३. २. २. ६।

वर्णित कालद्रव्य के स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दोनों पक्ष, जो आगे चलकर दिग्म्बर<sup>१</sup> और श्वेताम्बर भिन्न-भिन्न मान्यता के रूप में विभाजित हो गए हैं, पहले से ही जैन दर्शन में होगे या उन्होंने वैशेषिक और साख्य दर्शन के विचार-सघर्ष के परिणामस्वरूप किसी समय जैन दर्शन में स्थान प्राप्त किया, यह शोध का विषय है। परन्तु एक बात तो स्पष्ट है कि भूल तत्त्वार्थ और उसकी व्याख्याओं<sup>२</sup> में काल के लिंगों का प्रतिपादन वैशेषिक सूत्रों के साथ शब्दशा मिलता-जुलता है। सत् और नित्य की तत्त्वार्थगत व्याख्या साख्य और योग दर्शन के साथ साहृदय रखती है। इनमें वर्णित परिणामनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थ के सत् और नित्य के साथ शब्दशा मिलता है। वैशेषिक दर्शन में परमाणुओं में द्रव्यारम्भ की जो योग्यता<sup>३</sup> वर्णित है वह तत्त्वार्थ में वर्णित पौद्गलिक वन्ध (द्रव्यारम्भ) की योग्यता<sup>४</sup> की अपेक्षा अलग प्रकार की है। तत्त्वार्थ<sup>५</sup> की द्रव्य और गुण की व्याख्या का वैशेषिक दर्शन<sup>६</sup> की व्याख्या के साथ अधिक साहृदय है। तत्त्वार्थ और सांख्य-योग की परिणाम-सम्बन्धी परिभाषा समान है। तत्त्वार्थ का द्रव्य, गुण और पर्याय के रूप में सत् पदार्थ का विवेक साख्य के सत् और परिणामवाद की तथा वैशेषिक दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म को मुख्य सत् मानने की प्रवृत्ति का स्मरण दिलाता है।

चारित्रमीमांसा की सारभूत बातें—जीवन में कौन-कौन-सी प्रवृत्तियाँ हैं, इनका भूल बीज क्या है, हेय प्रवृत्तियों का सेवन करनेवालों के जीवन का परिणाम क्या होता है, हेय प्रवृत्तियों का त्याग शक्य हो तो वह किन-किन उपायों से सम्भव है और इनके स्थान पर किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ अगीकार की जाएँ, उनका जीवन में क्रमशः और अन्त में क्या परिणाम आता है—ये सब विचार छठे से दसवें अध्याय तक की चारित्र-मीमांसा में आते हैं। ये सब विचार जैन दर्शन की विलकुल अलग परिभाषा और साम्प्रदायिक प्रणाली के कारण मानो किसी भी दर्शन के साथ

१. देखें—कुन्दकुन्द के प्रबन्धनसार और पचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा सर्वार्थसिद्धि, ५, ३९।

२. देखें—भाष्यवृत्ति, ५, २२ और प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १०।

३. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण, पृ० ४८।

४. तत्त्वार्थ, ५, ३२-३५।

५. तत्त्वार्थ, ५, ३७ और ४०।

६. प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १०-११।

साम्य नहीं रखते, ऐसा आपाततः भास होता है, तो भी बौद्ध या योग दर्शन के सूक्ष्म अध्येता को यह ज्ञात हुए बिना नहीं रहता कि जैन चारित्रमीमांसा का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दर्शनों के साथ अधिक से अधिक और अद्भुत रूप से साम्य रखता है। यह साम्य भिन्न-भिन्न शाखाओं में विभाजित, विभिन्न परिभाषाओं में संगठित और उन-उन शाखाओं में न्यूनाधिक विकास-प्राप्त परन्तु मूल में व्यार्थ जाति के एक ही आचारदाय—आचारविषयक उत्तराधिकार का भान करता है।

चारित्रमीमांसा की मुख्य बातें यथारह हैं : छठे अध्याय में—१. आस्त्र का स्वरूप, उसके भेद तथा किस-किस प्रकार के आस्त्रसेवन से कौन-कौन से कर्म बैधते हैं, इसका वर्णन है। सातवें अध्याय में—२. व्रत का स्वरूप, व्रत लेनेवाले अधिकारियों के भेद और व्रत की स्थिरता के मार्ग का वर्णन है, ३. हिंसा आदि दोषों का स्वरूप, ४ व्रत में समाव्य दोष, ५. दान का स्वरूप और उसके तारतम्य के हेतु का वर्णन है। आठवें अध्याय में—६. कर्मबन्ध के भूलहेतु और कर्मबन्ध के भेद हैं। नवें अध्याय में—७. सवर और उसके विविध उपाय तथा उसके भेद-प्रभेद, ८. निर्जरा और उसका उपाय, ९. भिन्न-भिन्न अधिकारवाले साधक और उनकी मर्यादा का तारतम्य दर्शाया है। दसवें अध्याय में—१० केवल-ज्ञान के हेतु और मोक्ष का स्वरूप तथा ११. मुक्ति प्राप्त करनेवाली आत्मा को किस रीति से कहाँ गति होती है, इसका वर्णन है।

तुलना—तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा प्रबन्धनसार के चारित्र-वर्णन से भिन्न पड़ती है, वर्योंकि उसमें तत्त्वार्थ के सहज आस्त्र, संवर आदि तत्त्वों की चर्चा नहीं है। उसमें तो केवल साधु की दशा का और वह भी दिगम्बर साधु के लिए विशेष अनुकूल दशा का वर्णन है। पचास्तिकाय और समयसार में तत्त्वार्थ के सहश ही आस्त्र, सवर, वध आदि तत्त्वों को लेकर चारित्र-मीमांसा की गई है, तो भी इन दोनों में अन्तर यह है कि तत्त्वार्थ के वर्णन में निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खीचा गया है, इसमें प्रत्येक तत्त्व से सम्बन्धित सभी बातें हैं और ल्यागी गृहस्थ तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित हैं जो जैनसंघ का सगठन सूचित करते हैं, जब कि पचास्तिकाय और समयसार में वैसा नहीं है। उनमें तो आस्त्र, संवर आदि तत्त्वों की निश्चयगमी तथा उपपत्तिवाली चर्चा है, उनमें तत्त्वार्थ के सहश जैन गृहस्थ तथा साधु के प्रचलित नत्तों की वर्णन नहीं है।

योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्रमीमांसा की तुलना को जितना अवकाश है उतना ही यह विषय दिलचस्प है, परन्तु यह एक स्वतंत्र लेख का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नहीं, तो भी जिज्ञासुओं का ध्यान खीचने के लिए उनकी स्वतंत्र तुलनाशक्ति पर विश्वास रखकर नीचे संक्षेप में तुलना करने योग्य सारभूत बातों की एक सूची दी जाती है :

### तत्त्वार्थसूचि

१. कायिक, वाचिक, मानसिक प्रवृत्तिरूप आस्त्रव (६. १)
२. मानसिक आस्त्रव (८. १)
३. सकषाय व अकषाय—यह दो प्रकार का आस्त्रव (६. ५)
४. सुख-दुःखजनक शुभ व अशुभ आस्त्रव (६. ३-४)
५. मिथ्यादर्शन आदि बन्ध के पांच हेतु (८. १)
६. पांचों से मिथ्यादर्शन की प्रधानता
७. आत्मा और कर्म का विलक्षण सम्बन्ध ही बन्ध (८. २-३)
८. बन्ध ही शुभ-अशुभ हेय विपाक का कारण
९. अनादि बन्ध मिथ्यादर्शन के अधीन
१०. कर्मों के अनुभागबन्ध का आधार क्षयाय (६. ५)
११. आस्त्रवनिरोध ही सवर (९. १)
१२. गुणि, समिति आदि और विविध तप आदि संबंध के उपाय (९. २-३)

### योगदर्शन

१. कर्माशय (२. १२)
२. निरोध के विषयरूप में ली जानेवाली चित्तवृत्तिर्याँ (१.६)
३. बिलष्ट और अबिलष्ट दो प्रकार का कर्माशय (२. १२)
४. सुख-दुःखजनक पुण्य व अपुण्य कर्माशय (२. १४)
५. अविद्या आदि पांच बन्धक वलेश (२. ३)
६. पांचों से अविद्या की प्रधानता (२. ४)
७. पुरुष और प्रकृति का विलक्षण संयोग ही बन्ध (२. १९)
८. पुरुष व प्रकृति का संयोग ही हेय दुःख का हेतु (२. १७)
९. अनादि संयोग अविद्या के अधीन (२. २४)
१०. कर्मों के विपाकजनन का मूल वलेश (२. १३)
११. चित्तवृत्तिनिरोध ही योग (१.२)
१२. यम, नियम आदि और अभ्यास, वैराग्य आदि योग के उपाय (१. १२ से और २. २९ से )

१३. अहिंसा आदि महान्तत (७.१)	१३. अहिंसा आदि सार्वभौम यम (२ ३०)
१४ हिंसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, पारलैकिक दोपो का दर्शन करके उन्हें रोकना (७. ४)	१४ प्रतिपक्ष भावना द्वारा हिंसा आदि वितर्कों को रोकना (२ -३-३४)
१५. हिंसा आदि दोपों में दुखरूपने की ही भावना करके उन्हें त्यागना (७ ५)	१५ विवेकी की हृषि में सम्पूर्ण कर्माचार दुखरूप (२ १५)
१६. मैत्री आदि चार भावनाएँ (७ ६)	१६. मैत्री आदि चार भावनाएँ <sup>१</sup> (१ ३३)
१७. पृथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववितर्कनिविचार आदि चार शुक्ल ध्यान (९ ४१-४६)	१७ सवितर्क, निवितर्क, सविचार और निविचाररूप चार संप्रज्ञात समाधियाँ <sup>२</sup> (१. १६ और ४१, ४४)
१८. निर्जरा और मोक्ष (९. ३ और १०. ३)	१८. आशिकहान-वन्धोपरम और सर्वथाहान <sup>३</sup> (२ २५)
१९. ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा और मोक्ष का हेतु (१. १)	१९. सागयोगसहित विवेक व्याति ही हान का उपाय (२ २६)
२०. जातिस्मरण, अवधिज्ञानादि दिव्यज्ञान और चारण-विद्यादि लब्धियाँ (१. १२ और १०.७ का भाष्य)	२०. संयमजनित वैसी ही विभूतियाँ <sup>४</sup> (२. २९ और ३ १६ से आगे)
२१. केवलज्ञान (१०. १)	२१. विवेकजन्म तारकज्ञान (३ ५४)

इनके अतिरिक्त कितनी ही बातें ऐसी भी हैं जिनमें से एक बात

१. ये चार भावनाएँ बोढ़ परम्परा में 'ब्रह्मविहार' कहलाती हैं और उन पर बहुत जोर दिया गया है ।

२. ध्यान के ये चार भेद बौद्धदर्शन में प्रसिद्ध हैं ।

३. इसे बौद्धदर्शन में 'निर्बाण' कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य है ।

४. बौद्धदर्शन में इनके स्थान पर पांच अभिज्ञाएँ हैं। देखें—घर्मसंग्रह, पृ० ४ और अनिर्बर्मस्त्यसग्रहो, परिच्छेद ९ पृ० २४ ।

पर ताक दर्शन द्वारा तो दूसरी बात पर दूसरे दर्शन द्वारा जोर दिया गया है, जब यह यान उग-उग दर्शन के एक विशिष्ट विषय के रूप में अधिक एक विद्योत्तमा के रूप में प्रगिद हो गई। उदाहरणार्थ कर्म-गिदान्त द्वारा दीशित है। लौद एवं योग दर्शन<sup>१</sup> में कर्म के मूल निदान्त तो हैं ही। योग दर्शन में नो इन निदानों का व्योरेत्याग वर्णन भी है, फिर भी कर्म-गिदान्त विग्रह जैन दर्शन में एक छिन्नतृ और गहरा गान्ध वन गया है देता हि दूसरे किसी भी दर्शन में नहीं है। इसी कारण चारिचारोंमामा में कर्म-गिदान्त या यज्ञन परते हुए जैनगम्पत मध्यम फर्मदास्य<sup>२</sup> यान्त्र उपास्थानि ने गष्टेष में ही गमाविष्ट कर दिया है। इसी प्रकार लालिक द्वितीये ने चारिक की गोमामा जैन, बोद्ध और योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी सुख याच्छो में व्यवहार में अन्तर दिग्दार्द देता है और यह अन्तर ही उन उस दर्शन के अनुगमियों ही रिश्याना बन गया है। यन्त्र और एपाय का द्वाग सभी के मत में चारित है, उसे गिर्द छन्ने के क्षेत्र उपायों में मे बोहुई एक पर तो दूसरा दूसरे पर अधिक जोर देता है। जैन-आनार के नगठन में देह-दर्शन की प्रथानाता दिग्दार्द देती है, बोद्ध-आनार के नगठन में ध्यान पर और दिया गया है और योग दर्शनानुमानी परिवाजकों के आवार के नगठन में प्राणायाम, शौच प्रादि पर। यदि मूल्य चारित की मिद्दि में ही देहदर्शन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का उचित उपयोग हो तब नो इन नवाया नमान महत्व है, परन्तु जब ये बाहु अग मात्र व्यवहार की लीक बन जाते हैं और उनमेंने मुख्य चारित की मिद्दि को बास्ता निष्क्र जातो है तभी इनमें विशेष को गध आतो है और एक तत्प्रदाय का अनुयायी दूसरे सम्प्रदाय के आनार की निर्व्य-प्रत्याने लगता है। बोद्ध माहित्य में और बोद्ध-अनुगमी वर्ग में जेनों ने देह-यन्त्रप्रधान तप की निर्दोऽ दिग्दार्द पढ़सी है, जैन साहित्य और जैन-अनुगमी वर्ग में बोद्धों के सुराशीलवर्तन और ध्यान का नया परिवाजकों के प्राणायाम व शौच का परिहास<sup>३</sup> दिग्दार्द देता

<sup>१</sup>. देवो—योगमूल, २. ३-१४।

२. तत्त्वार्थ, ६. ११-२६ और ८. ४-२६।

३. दत्त्वार्थ, ९. ९; “देहदुक्षेषं महास्तं”—दशवीकालिक, ८. २७।

४. मन्त्रामतिकाय, गूत्र १४।

५. मूत्रषुषाग, अ. ३ च. ४ ग. ६ की टीका तथा अ. ७ ग. १४ से लागे।

है। ऐसा होने से उस-उस दर्शन की चारित्रमीमांसा के ग्रंथों में व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित वर्णन का विशेष भिन्न दिखाई देना स्वाभाविक है। यही कारण है कि तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा में प्राणायाम या शौच विषयक एक भी सूत्र दिखाई नहीं देता, तथा ध्यान का अधिक वर्णन होते हुए भी उसकी सिद्धि के लिए बौद्ध या योग दर्शन में वर्णित व्यावहारिक उपाय तत्त्वार्थ में नहीं है। इसी भाँति तत्त्वार्थ में परीष्वह और तप का जैसा विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है वैसा योग या बौद्ध दर्शन की चारित्रमीमांसा में नहीं दिखाई देता।

इसके अतिरिक्त चारित्रमीमांसा के सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान में रखने जैसी है। उक्त तीनों दर्शनों में ज्ञान और चारित्र( किया ) दोनों का स्थान है, फिर भी जैन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का साक्षात् कारण स्वीकार करके ज्ञान को उसके अंगरूप में स्वीकार किया गया है, जब कि बौद्ध और योग दर्शनों में ज्ञान को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानकर ज्ञान के अंगरूप में चारित्र को स्थान दिया गया है। यह बात उक्त तीनों दर्शनों के साहित्य तथा उनके अनुयायी-वर्ग के जीवन का बारीकी से अध्ययन करनेवाले को ज्ञात हो जाती है। इस कारण तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा में चारित्रलक्षी क्रियाओं का और उनके भेद प्रमेदों का अधिक वर्णन स्वाभाविक ही है।

तुलना पूरी करने के पूर्व चारित्र-मीमांसा के अन्तिम साध्य मोक्ष के स्वरूप के विषय में उक्त दर्शनों की क्या कल्पना है, यह जान लेना भी आवश्यक है। दुःख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना उद्भूत होने से सभी दर्शन दुःख की आत्मनितक निवृत्ति को ही मोक्ष मानते हैं। न्याय<sup>१</sup>, वैशेषिक<sup>२</sup>, योग और बौद्ध ये चारों दर्शन ऐसा मानते हैं कि दुःख-नाश के अतिरिक्त मोक्ष में दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नहीं है। अतः उनके अनुसार मोक्ष में यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं अपितु उस दुःख के अभाव में ही पर्यवसित है, जब कि जैन दर्शन वेदान्त की तरह यह मानता है कि मोक्ष-अवस्था मात्र दुःखनिवृत्ति नहीं बल्कि इसमें विषय-निरपेक्ष स्वाभाविक सुख जैसी स्वतन्त्र वस्तु भी है—मात्र सुख ही नहीं, उसके अतिरिक्त ज्ञान जैसे अन्य स्वाभाविक गुणों का आविर्भाव जैन दर्शन इस अवस्था में स्वीकार करता है, जब कि

१. देखें—न्यायसूत्र, १. १०. २२।

२. देखें—वैशेषिकसूत्र, ५. २ १८।

दृगरे दर्शनों की प्रविधि ऐसे स्वीकार नहीं करती। मोक्ष के स्थान के गंतव्य में जैन दर्शन का मत मवते निराला है। बोढ़ दर्शन में तो स्वतन्त्र अत्मजनन या स्पष्ट स्थान न होने में मोक्ष के स्थान के संबंध में उसमें में पिनी भी विचार-प्राप्ति की आशा की व्यवाह नहीं है। नभी प्राचीन चैदिक दर्शन आत्मदिभूत-वादी होने ने उनके मत में मोक्ष के पिनी पृथक् स्थान की माना ही नहीं है, परन्तु जैन दर्शन स्वतंत्र आत्मसत्त्व-वादी है, किंग भी आत्मविभूत-वादी नहीं है, अतः उसके लिए मोक्ष के स्थान का विचार करना कायद्यकृ द्वारा योर वह विचार उनने किया भी है। तत्त्वार्थ में जनन में गायग उमाभ्यासि गहते हैं कि युक्त हुए जीव इतराक प्राप्त होने के बारे में दृटार छायेंगामी होकर अन्त में लोक के अप्रभाग में रियर होने हे और गदा वही रहते हैं।

#### ४. तत्त्वार्थ की व्याख्याएँ

गायत्रायिक व्याख्याओं के विषय में 'तत्त्वार्थाधिगम' गूच की सुलना 'शहस्र' के भाव भी जा रखता है। जिग प्राप्तार वहृत्ते विषयों में परम्परा निमान्त भिन्न मन गणेशादे ज्ञानेक आचार्यों ने शहस्रम पर अपार्माणु<sup>१</sup> लियी है और उनीमें अपने दम्प्य को उपर्याप्तों के बापार एवं गिर्द परन्तु का प्रगत्यन किया है, उसी प्रकार दिग्म्बर और द्वेताम्बर द्वारा गम्भ्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याख्याएँ लियी हैं और उनीमें परम्परा विद्वारों गन्तव्यों को भी आगग के आधार पर जिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इसमें सामान्य योत इतनी ही सिद्ध होती है कि जैसे यंदिनान्त-भावित्य में प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न-भिन्न मत रखने-द्वारे प्रतिभावानी आचार्यों ने प्रह्लाद का बाश्य एकर उसी के द्वारा व्यापने विभिन्न व्यवहार यों द्वाराने की आवश्यकता अनुभव की, वैसे ही जैन वादपूर्य में रायादित तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण उसका आश्रय एकर द्वारा गम्भ्रदायों के विद्वानों को अपने-अपने मन्तव्यों को प्रकट करने की आवश्यकता हुई। इतना स्थूल साम्य होते हुए भी यहाँ-भूमि की ओर तत्त्वार्थ की गायत्रायिक व्याख्याओं में एक विशेष महत्व का भेद है कि तत्त्वशान के लगान्, जीव, ईश्वर आदि भौलिक विषयों में ग्रहमूल के प्रसिद्ध व्याख्याकार एक-दूसरे से वहृत ही भिन्न पढ़ते हैं और वहृन वार तो उनके विचारों में पूर्व-पदिच्चम जितना अंतर दिवाई देता

१ शंकर, लिम्बार्द, गत्य, गामानुद, पत्तम वादि।

है; जबकि तत्त्वार्थ के दिगम्बर या श्वेताम्बर किसी भी सम्प्रदाय के व्याख्याकारों में वैसी बात नहीं है। उनमें तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों में कोई अन्तर नहीं है और जो शोड़ा-बहुत अंतर है वह भी बिलकुल साधारण बातों में है, और ऐसा नहीं कि जिसमें सम्बन्ध को अवकाश ही न हो अथवा वह पूर्व-पश्चिम जितना हो। वस्तुतः जैन तत्त्वज्ञान के मूल सिद्धान्तों के सम्बन्ध में दिगम्बर व श्वेताम्बर सम्प्रदायों में खास मतभेद पड़ा ही नहीं, इससे उनकी तत्त्वार्थ-व्याख्याओं में दिखाई देने-वाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं माना जाता।

तत्त्वार्थविगमसूत्र पर प्राचीन-अर्वाचीन, छोटी-बड़ी, सस्कृत तथा लौकिक भाषा की अनेक व्याख्याएँ हैं, परन्तु उनमें से जिनका ऐतिहासिक महत्त्व हो, जैन तत्त्वज्ञान को व्यवस्थित करने में तथा विकसित करने में जिनका प्राधान्य हो और जिनका खास दार्शनिक महत्त्व हो ऐसी चार ही व्याख्याएँ इस समय मौजूद हैं। उनमें से तीन तो दिगम्बर सम्प्रदाय की हैं, जो साम्राद्यिक भेद की ही नहीं बल्कि विरोध की तीव्रता बढ़ने के बाद प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं; और एक स्वयं सूत्रकार वाचक उभास्वाति की स्वोपज्ञ ही है। अतः इन चार व्याख्याओं के विषय में ही यहाँ कुछ चर्चा करना उचित होगा।

### (क) भाष्य और सर्वार्थसिद्धि

‘भाष्य’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ इन दोनों टीकाओं के विषय में कुछ विचार करने के पहले इन दोनों के सूत्रपाठों के विषय में विचार करना आवश्यक है। यथार्थ में एक ही होते हुए भी बाद में साम्राद्यिक भेद के कारण सूत्रपाठ दो हो गए हैं, जिनमें एक श्वेताम्बर और दूसरा दिगम्बर के रूप में प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप का भाष्य के साथ भेल बैठने से उसे सर्वार्थसिद्धिभान्य कह सकते हैं और दिगम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप का सर्वार्थसिद्धि के साथ भेल बैठने से उसे सर्वार्थसिद्धिभान्य कह सकते हैं। सभी श्वेताम्बर आचार्य भाष्यभान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते हैं और सभी दिगम्बर आचार्य सर्वार्थसिद्धिभान्य सूत्रपाठ का। सूत्रपाठ के सम्बन्ध में नीचे लिखी चार बातें यहाँ जातव्य हैं—१. सूत्रसख्या, २. अर्थभेद, ३. पाठान्तरविषयक भेद और ४. यथार्थता।

१. इसमें यशोविजयगण वपवाद है। देखें—प्रस्तावना, पृ० ३८-४०।

१. सूत्रसंख्या—भाष्यमान्य सूत्रों की संख्या ३४४ है और सर्वार्थ-सिद्धिमान्य सूत्रों की संख्या ३५७ है।

२. अर्थभेद—सूत्रों की संख्या और कहीं-कहीं शास्त्रिक रचना में अन्तर होते हुए भी मूलसूत्रों से ही अर्थ में भग्नत्वपूर्ण अन्तरवाले तीन स्थल हैं, शेष सब मूलसूत्रों से खास अर्थ में अन्तर नहीं पड़ता। इन तीन स्थलों में स्वर्ग को बारह और सोलह संख्या विषयक पहला (४. २०), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दूसरा (५. ३८) और तीसरा पृष्ठ-प्रकृतियों में हास्य आदि चार प्रकृतियों के होने न होने का (८. २६) है।

३. पाठान्तरविषयक भेद—दोनों सूत्रपाठों के पारस्परिक भेद के अतिरिक्त इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है। सर्वार्थसिद्धि के कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है उसको यदि अलग कर दिया जाए तो सामान्यतः यही कहा जा सकता है कि सब दिग्म्बर टीकाकार सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ में कुछ भी पाठ-भेद सूचित नहीं करते। अतः कहना चाहिए कि पूज्याद ने सर्वार्थसिद्धि लिखते समय जो सूत्रपाठ प्राप्त किया तथा सुधारा-बदाया गया उसी को निर्विवाद रूप से बाद के सभी दिग्म्बर टीकाकारों ने मान्य रखा, जब कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ के विषय में ऐसी वात नहीं है। यह सूत्रपाठ श्वेताम्बररूप में एक होने पर भी उसमें कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य सूत्ररूप में दाखिल हो जाने का, कितने ही स्थानों पर सूत्ररूप में माने जानेवाले वाक्यों का भाष्यरूप में गिने जाने का, कहीं-कहीं मूलतः एक ही सूत्र के दो भागों में बैट जाने का और कहीं मूलतः दो सूत्र मिलकर एक ही सूत्र हो जाने का सूचन भाष्य की लभ्य दोनों टीकाकारों में सूत्रों की पाठान्तर विषयक चर्चा से स्पष्ट होता है।<sup>१</sup>

४. यथार्थता—उक्त दोनों सूत्रपाठों में मूल कौन-सा है और परिवर्तित कौन-सा है, यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है। अब तक किए गए विचार से मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ ही मूल है अथवा वह सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा मूल सूत्रपाठ के अत्यन्त निकट है।

१. देखें—२. ५३।

२. देखें—२. १९, २. ३७, ३. ११, ५ २-३; ७. ३ और ५ इत्यादि।

सूत्रपाठ के विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात् अब सूत्रों पर सर्वप्रथम रचित भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकाओं के विषय में कुछ विचार करना आवश्यक लगता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का मूल होना अथवा मूलपाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाष्य का वाचक उमास्वातिष्ठत होना—इन बातों में दिगम्बर आचार्यों का भौत स्वाभाविक है। क्योंकि पूज्यपाद के बाद के सभी दिगम्बर आचार्यों की टीकाओं का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही है। यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को उमास्वातिकर्तृक कहते हैं तो पूज्यपादसम्मत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा-पूरा नहीं रह सकता। दिगम्बर परम्परा सर्वार्थसिद्धि और उसके मान्य सूत्रपाठ को प्रमाणसर्वस्व मानती है। ऐसी स्थिति में भाष्य और सर्वार्थसिद्धि दोनों की प्रामाण्य-विषयक जाँच किए विना यह प्रस्तावना अधूरी ही रहती है। भाष्यों की स्वोपज्ञता के विषय में कोई सन्देह न होते हुए भी दलील के लिए यदि ऐसा मान लिया जाए कि यह स्वोपज्ञ नहीं है तो भी इतना तो निर्विवाद रूप से कहा ही जा सकता है कि भाष्य सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा प्राचीन है तथा तत्त्वार्थसूत्र की प्रथम टीका है, क्योंकि वह सर्वार्थसिद्धि की भाँति साम्प्रदायिक नहीं है। इस तत्त्व को समझने के लिए यहाँ तीन बातों की पर्यालोचना की जाती है—( क ) शैली-भेद, ( ख ) अर्थ-विकास और ( ग ) साम्प्रदायिकता।

( क ) शैली-भेद—किसी एक ही सूत्र के भाष्य और उसकी सर्वार्थसिद्धिवाली व्याख्या को सामने रखकर तुलना की हृष्टि से देखनेवाले को यह मालूम हुए विना नहीं रहता कि सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की शैली प्राचीन है तथा पद-पद पर सर्वार्थसिद्धि में भाष्य का प्रतिविम्ब है। इन दोनों टीकाओं से भिन्न और दोनों से प्राचीन तीसरी किसी टीका के होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक नहीं मिलता तब तक भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे विना नहीं रह सकते कि भाष्य को सामने रखकर सर्वार्थसिद्धि की रचना हुई है। भाष्य की शैली प्रसन्न और गंभीर है, फिर भी दार्शनिक हृष्टि से सर्वार्थसिद्धि की शैली नि सन्देह विशेष विकसित और परिगार्जित है। संस्कृत भाषा में लेखन और जैन साहित्य में दार्शनिक शैली के जिस विकास के पश्चात् सर्वार्थसिद्धि लिखी गई है वह भाष्य में दिखाई नहीं देता, फिर भी इन दोनों रचनाओं की भाषा में जो बिम्ब-प्रतिविम्बभाव है उससे स्पष्ट है कि भाष्य ही प्राचीन है।

उदाहरणार्थ, प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के भाष्य में सम्यक् शब्द के विषय में लिखा है कि 'सम्यक्' निपात है अथवा 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'अञ्च' धातु का रूप है। इस विषय में सर्वार्थसिद्धिकार लिखते हैं कि 'सम्यक्' शब्द अव्युत्पन्न अर्थात् व्युत्पत्ति-नहित अवाङ्म है अथवा व्युत्पन्न है—धातु और प्रत्यय दोनों मिलाकर व्युत्पत्तिपूर्वक सिद्ध हुआ है। 'अञ्च' धातु को 'विवप्' प्रत्यय लगाया जाए तब 'सम् + अञ्चति' इस रीति से 'सम्यक्' शब्द बनता है। 'सम्यक्' शब्द विषयक निरूपण की उक दो शैलियों में भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की स्पष्टता अधिक है। इसी प्रकार भाष्य में 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में इतना ही लिखा है कि दर्शन 'हशि' धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में 'दर्शन' शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट वर्णित है। भाष्य में 'ज्ञान' और 'चारित्र' शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट वर्णित है और वाद में उसका जैनहृष्टि से समर्थन किया गया है। इसी प्रकार समाप्त में दर्घन और ज्ञान शब्दों में पहले कौन आए और वाद में कौन आए, यह सामासिक चर्चा भाष्य में नहीं है, जब कि सर्वार्थसिद्धि में वह स्पष्ट है। इसी तरह पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के 'तत्त्व' शब्द के भाष्य में मात्र दो अर्थं सूचित किए गए हैं, जब कि सर्वार्थसिद्धि में इन दोनों अर्थों की व्युत्पत्ति की गई है और 'हशि' धातु का श्रद्धा अर्थं कैसे लिया जाए, यह बात भी सूचित की गई है, जो भाष्य में नहीं है।

( स ) अर्थविकास—अर्थ की हृष्टि से भी भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थ-सिद्धि अवर्त्तीन प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में होती है उसको विस्तृत करके—उस पर अधिक चर्चा करके—सर्वार्थसिद्धि में निरूपण हुआ है। व्याकरणशास्त्र और जेनेतर दर्घनों की जितनी चर्चा सर्वार्थ-सिद्धि में है उतनी भाष्य में नहीं है। जैन परिभाषा का, सक्षिप्त होते हुए भी, जो स्थिर विशदीकरण और वक्तव्य का जो विश्लेषण सर्वार्थ-सिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है। भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की तार्किकता वढ़ जाती है और भाष्य में जो नहीं है ऐसे विज्ञानवादी वौद्ध आदि के मन्तव्य उसमें जोड़े जाते हैं और इतर दर्घनों का खंडन

जोर पकड़ता है। ये सब बातें सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्राचीनता को सिद्ध करती हैं।

(ग) साम्प्रदायिकता<sup>१</sup>—उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता की बात अधिक महत्वपूर्ण है। काल-तत्त्व, केवलि-कवलाहार, अचेलकत्व और स्त्री-मुक्ति जैसे विषयों के तीव्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद और इन बातों पर साम्प्रदायिक आग्रह बँध जाने के बाद ही सर्वार्थसिद्धि लिखी गई है, जब कि भाष्य में साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व दिखाई नहीं देता। जिन बातों में रूढ़ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उन सभी बातों को सर्वार्थसिद्धि के प्रणेता ने सूत्रों में सशोधन करके या उनके अर्थ में खीचतान करके अथवा असगत अध्याहार आदि करके दिगम्बर सम्प्रदाय की अनुकूलता की हृषि से चाहे जिस रीति से सूत्रों में से उत्पन्न करके निकालने का साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है। वैसा प्रयत्न भाष्य में कहीं दिखाई नहीं देता। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध का बातावरण जम जाने के बाद आगे चलकर लिखी गई है और भाष्य इस विरोध के बातावरण से भुक्त है।

तब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार यदि भाष्य प्राचीन है तो उसे दिगम्बर परम्परा ने क्यों छोड़ा? इसका उत्तर यही है कि सर्वार्थसिद्धि-कार को श्वेताम्बर सम्प्रदाय की जिन मान्यताओं का खड़न करना था वह खड़न भाष्य में नहीं था। इतना ही नहीं, भाष्य अधिकांशतः रूढ़ दिगम्बर परम्परा का पोषक भी नहीं था और बहुत-से स्थानों पर तो वह उलटा दिगम्बर परम्परा से बहुत विपरीत पड़ता था।<sup>२</sup> अतः पूज्यपाद ने भाष्य को एक और रख कर सूत्रों पर स्वतंत्र टीका लिखी और सूत्र-पाठ में इष्ट सुधार तथा वृद्धि की<sup>३</sup> और उसकी व्याख्या में जहाँ मतभेद-

१. देखें—५. ३९, ६. १३, ८. १; ९. ९, १०. ११; १०. ९ इत्यादि सूत्रों की सर्वार्थसिद्धि टीका के साथ उन्हीं सूत्रों का भाष्य।

२. तत्त्वार्थ, ९. ७ तथा २४ के भाष्य में वस्त्र का उल्लेख है एवं १०. ७ के भाष्य में 'तीर्थकरीतीर्थ' का उल्लेख है।

३. जहाँ-जहाँ अर्थ की खीचतान की है अथवा पुलाक आदि जैसे स्थलों पर ठीक-ठीक विवरण नहीं हो सका उन सूत्रों को क्यों न निकाल डाला? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रपाठ की अति प्रतिसिद्धि और निकाल डालने पर अप्रामाण्य का आक्षेप आने का डर था, ऐसा जान पड़ता है।

वाली वात आई वहीं स्पष्ट रूप से दिग्म्बर मन्त्रव्य ही स्थापित किया। ऐसा करने में पूज्यपाद के लिए कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधार-भूत रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। ऐसा होने से दिग्म्बर परम्परा ने सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाणरूप में स्वीकार कर लिया और भाष्य स्वाभाविक रूप में श्वेताम्बर परम्परा में मान्य रह गया। भाष्य पर किसी भी दिग्म्बर आचार्य ने टीका नहीं लिखी, इससे वह दिग्म्बर-परम्परा से दूर ही रह गया। अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने भाष्य पर टीकाएँ लिखी हैं और कहीं-कहीं पर भाष्य के मन्त्रव्यों का विरोध किए जाने पर भी समष्टि रूप से उनका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है। इसी लिए वह श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि भाष्य के प्रति दिग्म्बर परम्परा की जो आज-कल मनोवृत्ति देखी जाती है वह प्राचीन दिग्म्बराचार्यों में नहीं थी। क्योंकि अकलक जैसे प्रमुख दिग्म्बराचार्य भी यथासम्भव भाष्य के साथ अपने कथन की सगति दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट प्रामाण्य का सूचन करते हैं (देखें—राजवार्तिक ५ ४. ८.) और कहीं भी भाष्य का नामोल्लेखपूर्वक खण्डन नहीं करते या अप्रामाण्य व्यक्त नहीं करते।

### ( ख ) दो वार्तिक

ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता, खोज की जाए तो उसका भी विशिष्ट इतिहास है। पूर्वकालीन और समकालीन विद्वानों को भावना से तथा साहित्य के नामकरण-प्रवाह से प्रेरणा लेकर ही ग्रन्थकार अपनी कृतियों का नामकरण करते हैं। व्याकरण पर पातञ्जल महाभाष्य की प्रतिष्ठा का प्रभाव बाद के अनेक ग्रन्थकारों पर पड़ा, यह वात हम उनकी कृतियों के भाष्य नाम से जान सकते हैं। इसी प्रभाव ने, सम्भव है, बाँौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम 'सर्वार्थसिद्धि' होने का स्मरण है। उसके और प्रस्तुत सर्वार्थसिद्धि के नाम का पौराणिय सम्बन्ध अज्ञात है, परन्तु वार्तिकों के विषय से इतना निश्चित है कि एक वार भारतीय बाद्धमय में वार्तिक युग आया और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में भिन्न-भिन्न विषयों पर वार्तिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गए। उसी का असर तत्त्वार्थ के प्रस्तुत वार्तिकों के नामकरण पर है। अकलक ने अपनी टीका का नाम 'तत्त्वार्थवार्तिक' रखा है, जो राजवार्तिक नाम से प्रसिंद्ध

है।<sup>१</sup> 'विद्यानन्दकृत तत्त्वार्थव्याख्या' का 'श्लोकवार्तिक' नाम कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' का अनुकरण है, इसमें कोई सदेह नहीं।

तत्त्वार्थसूत्र पर लिखित अकलङ्घके 'राजवार्तिक' और विद्यानन्द के 'श्लोकवार्तिक' दोनों का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि ही है। यदि अकलङ्घके सर्वार्थसिद्धि न मिली होती तो राजवार्तिक का वर्तमान स्वरूप इतना विशिष्ट नहीं होता और यदि राजवार्तिक का आश्रय न मिला होता तो विद्यानन्द के श्लोकवार्तिक की विशिष्टता भी दिखाई न देती, यह निश्चित है। राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक ये दोनों साक्षात् या परपरा से सर्वार्थसिद्धि के छूटी होने पर भी दोनों में सर्वार्थसिद्धि का अपेक्षा विशेष विकास हुआ है। उच्चोत्तर के 'न्यायवार्तिक' की तरह 'तत्त्वार्थवार्तिक' गद्य में है, जब कि 'श्लोकवार्तिक' कुमारिल के 'श्लोकवार्तिक' तथा धर्मकोर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' एवं सर्वज्ञात्म मुनिकृत संक्षेपशारीरकवार्तिक की तरह पद्य में है। कुमारिल की अपेक्षा विद्यानन्द की विशेषता यह है कि उन्होने स्वयं ही अपने पद्यवार्तिक की टीका भी लिखी है। राजवार्तिक में लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ जाती है, फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थसिद्धि को साथ रखकर राजवार्तिक पढ़ते समय उसमें कुछ भी पुनरुक्त दिखाई नहीं देती। लक्षणनिष्ठात् पूज्यपाद के सर्वार्थसिद्धिगत सभी विशेष वाक्यों को अकलङ्घके ने पृथक्करण और वर्गीकरण पूर्वक वार्तिकों में परिवर्तित कर डाला है और बृद्धि करने योग्य दिखाई देनेवाली बातों तथा वैसे प्रश्नों के विषय में नवीन वार्तिक भी रखे हैं तथा सब वार्तिकों पर स्वयं ही स्फुट विवरण लिखा है। अत समष्टिरूप से देखते हुए 'राजवार्तिक' सर्वार्थसिद्धि का विवरण होने पर भी वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही ग्रन्थ है। सर्वार्थसिद्धि में जो दार्शनिक अभ्यास दिखाई देता है उसकी अपेक्षा राजवार्तिक का दार्शनिक अभ्यास बहुत ही ऊँचा चढ़ जाता है। राजवार्तिककार का एक ध्रुव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात पर जो कुछ कहना होता है उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही कहता है। 'अनेकान्त' राजवार्तिक की प्रत्येक चर्चा की चाबी है। अपने समय तक भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के विद्वानों ने 'अनेकान्त' पर जो आक्षेप किए और अनेकान्तवाद की जो त्रुटियाँ बतलाई उन सबका निरसन करने और अनेकान्त का वास्तविक स्वरूप बतलाने के लिए ही

१. सास्यसाहित्य में भी एक राजवार्तिक नाम का प्रचल था।

अकलङ्का ने प्रतिष्ठित तत्त्वार्थसूत्र के आधार पर सिद्धलक्षणवाली सर्वार्थ-सिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवार्तिक की भव्य इमारत खड़ी की है। सर्वार्थसिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति विस्तार है उसे राजवार्तिककार ने कम कर दिया है और दार्शनिक विषयों को ही प्राधान्य दिया है।

दक्षिण भारत में निवास करते हुए विद्यानन्द ने देखा कि पूर्वकालीन और समकालीन अनेक जैनेतर विद्वानों ने जैन दर्शन पर जो आक्रमण किए हैं उनका उत्तर देना बहुत कुछ शेष है और विशेष कर मीमांसक कुमारिल आदि द्वारा किए गए जैन दर्शन के खड़न का उत्तर दिए विना उनसे रहा नहीं गया, तभी उन्होंने श्लोकवार्तिक की रचना की। उन्होंने अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया है। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में मीमांसा दर्शन का जितना और जैसा सबल खड़न है वैसा तत्त्वार्थसूत्र को अन्य किसी टीका में नहीं। तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक में सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिक में चर्चित कोई भी मुख्य विषय छूटा नहीं; बल्कि बहुत-से स्थानों पर तो सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक को अपेक्षा श्लोकवार्तिक की चर्चा बढ़ जाती है। कितनी ही बातों की चर्चा तो श्लोकवार्तिक में अनुर्वं ही है। राजवार्तिक में दार्शनिक अभ्यास की विशालता है तो श्लोकवार्तिक में इस विशालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व भरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। समग्र जैन वाद्यमय में जो थोड़ा-बहुत कुतियां महत्त्व रखती है उनमें ‘राजवार्तिक’ और ‘श्लोकवार्तिक’ भी है। तत्त्वार्थसूत्र पर उपलब्ध इतेवाम्बर साहित्य में एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो राजवार्तिक या श्लोकवार्तिक को तुलना में बैठ सके। भाष्य में दिखाइ देनेवाला साधारण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थसिद्धि में कुछ गहरा बन जाता है और राजवार्तिक में वह विशेष गाढ़ा होकर अंत में श्लोकवार्तिक में खूब जम जाता है। राजवार्तिक और श्लोकवार्तिक के इतिहासज्ञ अध्येता को मालूम ही ही जाएगा कि दक्षिण भारत में दार्शनिक विद्या और स्थर्वा का जो समय आया और अनेकमुखी पांडित्य विकसित हुआ उसी का प्रति-विम्ब इन दो ग्रन्थों में है। प्रस्तुत दोनों वार्तिक जैन दर्शन का प्रामाणिक अध्ययन करने के पर्याप्त साधन हैं, परन्तु इनमें से राजवार्तिक गद्यमय व सरल तथा विस्तृत होने से तत्त्वार्थ के समस्त टीका-ग्रन्थों की अपेक्षा पूर्णत अकेला ही कर देता है। ये दो वार्तिक यदि नहीं होते तो दसवी

शताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य में जो विणिष्ठता आई है और इसकी जो प्रतिष्ठा बँधी है वह निश्चय ही अघूरी रहती। साम्प्रदायिक होने पर भी ये दो वार्तिक अनेक हठियों से भारतीय दार्शनिक साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। इनका अवलोकन बौद्ध और वैदिक परम्परा के अनेक विषयों पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐतिहासिक प्रकाश डालता है।

### ( ग ) दो वृत्तियाँ

मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओं का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद अब व्याख्या पर रचित व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करना क्रमप्राप्त है। ऐसी दो व्याख्याएँ इस समय पूरो-पूरी उपलब्ध हैं, जो श्वेताम्बर हैं। इन दोनों का मुख्य साम्य सक्षेप में इतना ही है कि ये व्याख्याएँ उमास्त्राति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दश: स्पर्श करती हैं और उसका विवरण करती हैं। भाष्य का विवरण करते समय भाष्य का आश्रय लेकर सर्वत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ भाष्य आगम से विरुद्ध जाता द्विकाई देता हो वहाँ भी अन्ततः आगमिक परम्परा का ही समर्थन करना, यह इन दोनों वृत्तियों में परम्पर मेद भी है। इतना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तियों में परम्पर मेद भी है। एक वृत्ति जो प्रभाज में बड़ी है वह एक ही आचार्य की कृति है, जब कि दूसरी छोटी वृत्ति तीन आचार्यों की मिश्र कृति है। लगभग अठारह हजार श्लोक-प्रमाण वडी वृत्ति में अध्यायों के अन्त में ती प्रायः ‘भाष्यानुसारिणी’ इतना ही उल्लेख मिलता है, जब कि छोटी वृत्ति के हर एक अध्याय के अन्त का उल्लेख कुछ न कुछ भिन्न है। कहीं ‘हरिभद्रविरचितायाम्’ ( प्रथमाध्याय की पुष्पिका ) तो कहीं ‘हरिभद्रोद्घृतायाम्’ ( द्वितीय, चतुर्थ एवं पञ्चमाध्याय के अन्त में ) है, कहीं ‘हरिभद्रारब्धायाम्’ ( छठे अध्याय के अन्त में ) तो कहीं ‘प्रारब्धायाम्’ ( सातवें अध्याय के अन्त में ) तो कहीं ‘यशोभद्राचार्यनिर्णदायाम्’ ( छठे अध्याय के अन्त में ) है, कहीं ‘यशोभद्रसूरिजिष्यनिवाहितायाम्’ ( दसवें अध्याय के अन्त में ) है, बीच में कहीं ‘तत्रैवान्यकर्तुंकायाम्’ ( आठवें अध्याय के अन्त में ) तथा ‘तस्यामेवान्यकर्तुंकायाम्’ ( नवें अध्याय के अन्त में ) है। इन सब उल्लेखों में भाषाशीली तथा समुचित संगति का अभाव देखकर कहना पड़ता है कि ये सत्र उल्लेख उस कर्ता के अपने नहीं हैं। हरिभद्र ने अपने पांच अध्यायों के अन्त में स्वयं लिखा होता

तो वे 'विरचित' और 'उद्धृत' ऐसे भिन्नार्थक दो शब्द कभी प्रयुक्त नहीं करते जिनसे कोई एक निश्चित अर्थ नहीं निकल सकता कि वह भाग हरिभद्र ने स्वयं नया रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का समेप-विस्तार रूप में उद्धार किया। इसी प्रकार यशोभद्रलिखित अध्यायों के अन्त में भी एकवाक्यता नहीं है। 'यशोभद्रनिर्वाहितायाम्' शब्द होने पर भी 'अन्यकर्तृकायाम्' लिखना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का सूचक है।

ये सब असगतियाँ देखकर अनुभान होता है कि अध्याय के अन्तवाले उल्लेख किसी एक या अनेक लेखकों के द्वारा एक समय में या 'अलग-अलग समय में नकल करते समय प्रविष्ट हुए हैं। ऐसे उल्लेखों की रचना का आधार यशोभद्र के शिष्य का वह पद्य-गद्य है जो उसने अपनी रचना के प्रारम्भ में लिखा है।

उपर्युक्त उल्लेखों के बाद मे जुड़ने की कल्पना का पौषण इससे भी होता है कि अध्यायों के अन्त में पाया जानेवाला 'हुपडुपिकायाम्' पद अनेक जगह त्रुटित है। जो हो, अभी तो उन उल्लेखों के आधार पर निम्नोक्त बातें निषेच्न होती हैं :

१. तत्त्वार्थ-भाष्य पर हरिभद्र ने वृत्ति लिखी जो पूर्वकालीन या सम-कालीन छोटी-छोटी स्पष्टित व अखण्डित वृत्तियों का उद्धार है, क्योंकि उसमें उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है।

२. हरिभद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर पूरा किया।

३. वृत्ति का हुपडुपिका नाम ( अगर यह नाम सत्य तथा ग्रन्थकारों का रखा हुआ हो तो ) इसलिए पढ़ा जान पड़ता है कि वह टुकड़े-टुकड़े में पूरी हुई, किसी एक के द्वारा पूरी न बन सकी। किसी प्रति में 'हुपडुपिका' पाठान्तर है। 'हुपडुपिका' शब्द इस स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र कही देखा-सुना नहीं गया। सम्भव है वह अपन्ना पाठ हो या कोई देशी शब्द रहा हो। जैसी कि मैंने पहले कल्पना की थी कि उसका अर्थ कदाचित् डोंगी हो, एक विद्वान् मित्र ने यह भी कहा था कि वह संस्कृत उडुपिका का अष्टपाठ है। पर अब सोचने से वह कल्पना और वह सूचना ठीक नहीं जान पड़ती। यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो

वाक्य लिखा है उससे तो कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि यह छोटी वृत्ति थोड़ी एक ने रचो, थोड़ी दूसरे ने, थोड़ी तीसरे ने—इस कारण हुरहुपिका बन गई, एक कंथा-सी बन गई।

सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना करने से इतना तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो भाषा का प्रसाद, रचना की विशदता एवं अर्थ का पृथक्करण सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में है वह सिद्धसेनीय वृत्ति में नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो है ग्रन्थकार का प्रकृतिमेद और दूसरा है पराश्रित रचना। सर्वार्थसिद्धि-कार और राजवार्तिकार सूत्रों पर अपना-अपना विवेचन स्वतन्त्र रूप से ही करते हैं।

सिद्धसेन को भाष्य का शब्दशा अनुसरण करते हुए पराश्रित रूप में चलना पड़ा है। इतना भेद होने पर भी समग्र रौति से सिद्धसेनीय वृत्ति का अबलोकन करते समय मन पर दो बातें अकित होती हैं। पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक की अपेक्षा सिद्धसेनीय वृत्ति की दार्शनिक योग्यता कम नहीं है। पद्धति-भेद होने पर भी सर्वार्थरूप से इस वृत्ति में भी उक्त दो ग्रन्थों जितनी ही न्याय, वैशेषिक, साम्य, योग और बौद्ध दर्शनों की चर्चा है। दूसरी बात यह है कि सिद्धसेन अपनी वृत्ति में दार्शनिक और तार्किक चर्चा करते हुए भी अन्त में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण की तरह आगमिक परम्परा की प्रबल रूप में स्थापना करते हैं और इसमें उनका प्रचुर आगमिक अध्ययन दिखाई देता है। सिद्धसेन की वृत्ति से ऐसा मालूम होता है कि उनके समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची जा चुकी थीं। किसी-किसी स्थल पर एक ही सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पाँच-छः तक भतान्तर निर्दिष्ट करते हैं।<sup>१</sup> इससे यह अनुमान करने का आधार मिलता है कि जब सिद्धसेन ने वृत्ति लिखी तब उनके सामने तत्त्वार्थ पर रची हुई कम-से-कम पाँच टीकाएँ रही होगी। सिद्धसेन की वृत्ति में तत्त्वार्थगत विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की जो पुष्ट शैली दिखाई देती है उससे भलोभांति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहले तत्त्वार्थ से सम्बन्धित काफी साहित्य इवेताम्बर सम्प्रदाय में लिखा गया और उसमें वृद्धि भी हुई।

### ( घ ) खण्डित वृत्ति

भाष्य पर तीसरी वृत्ति उपाध्याय यशोविजय की है। यदि यह पूर्ण मिल जाती तो सत्रहवी-अठारहवी शताब्दी तक प्राप्त होनेवाले भारतीय दर्शनशास्त्र के विकास का एक नमूना पूर्ण करती, ऐसा वर्तमान में उपलब्ध इस वृत्ति के एक छोटे-से खण्ड से ही कहा जा सकता है। यह खण्ड प्रथम अध्याय पर भी पूरा नहीं है और इसमें उन्नर को दो वृत्तियों के समान ही शब्दश भाष्य का अनुसरण करते हुए विवरण फिया गया है। ऐसा होने पर भी इसमें जो गहरी तकनीगामी चर्चा, जो वह श्रृंता एवं जो भावाभिव्यक्ति दिखाई देती है वह यशोविजय की न्याय-विशारदता की परिचायक है। यदि इन्होंने यह वृत्ति सम्पूर्ण रची हो तो ढाई सौ वर्षों में ही उसका सर्वनाश हो जाना संभव नहीं लगता, अतः इस पर शोन्द-कार्य अपेक्षित है।

### रत्नसिंह का टिप्पण

'अनेकान्त' वर्षे ३, किरण १ ( सन् १९३९ ) में पं० जुगलकिशोरजी ने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र की सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। इससे ज्ञात होता है कि वह टिप्पण केवल भूलसूत्रस्पर्शी है। टिप्पणकार श्वेताम्बर रत्नसिंह का समय तो ज्ञात नहीं, पर उक्त परिचय में दिए गए अवतरणों की भाषा तथा-लेखन-शैली से ऐपा मालूम होता है कि रत्नसिंह १६वीं शताब्दी के पूर्व के शायद ही हों। वह टिप्पण अभी तक छपा नहीं है। लिखित प्रति के आठ पत्र हैं।

उन्नर जो तत्त्वार्थ पर महत्वपूर्ण तथा अध्ययन-योग्य थोड़े से ग्रन्थों का परिचय कराया गया है वह केवल इसलिए कि पाठकों की जिज्ञासा जाग्रत हो और उन्हे इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने की प्रेरणा मिले। वास्तव में प्रत्येक ग्रन्थ के परिचय के लिए एक-एक स्वतन्त्र निवन्ध अपेक्षित है और इन सबके सम्मिलित परिचय के लिए स्त्रे एक खासी मोटी पुस्तक की अपेक्षा है जो इस स्थल की मर्यादा के बाहर है। इसलिए इतने ही परिचय से सन्तोष धारण कर विशम लेता हूँ।

## परिशिष्ट

मैंने पं० नाथूरामजी प्रेमी तथा पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार से उमास्वाति तथा तत्त्वार्थ से सम्बन्धित बातों के विषय में कुछ प्रश्न पूछे थे । उनकी ओर से प्राप्त उत्तर का मुख्य अंश उन्हीं के शब्दों में अपने प्रश्नों के साथ नीचे दिया जाता है । उत्तरमान युग के दिग्म्बर विद्वानों में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, इन दोनों की योग्यता उच्च कोटि की रही है । अतः पाठकों के लिए उनके विचार उपयोगी होने से उन्हें परिशिष्ट के रूप में यहाँ देता हूँ । पं० जुगलकिशोरजी के उत्तर के जिस अंश पर मुझे कुछ कहना है वह उनके पत्र के बाद 'मेरी विचारणा' शीर्षक में कह दिया गया है ( आगे पृष्ठ ७६ ) ।

### ( क ) प्रश्न

१. उमास्वाति कुन्दकुन्द के शिष्य या वशज हैं, इस भाव का सबसे पुराना उल्लेख किस ग्रन्थ, पट्टावली या शिलालेख में आपके देखने में अव तक आया है ? अथवा यो कहिए कि दसवीं सदी के पूर्ववर्ती किस ग्रन्थ, पट्टावली आदि में उमास्वाति के कुन्दकुन्द के शिष्य या वशज होने की बात मिलती है ?

२. आपके विचार में पूज्यपाद का समय क्या है ? तत्त्वार्थ का शवता-म्बर-भाष्य आपके विचार में स्वोपन्न है या नहीं ? यदि स्वोपन्न नहीं है तो उस पक्ष में महत्त्वपूर्ण दलीलें क्या हैं ?

३. दिग्म्बर परम्परा में कोई 'उच्चनागर' नामक शाखा कभी हुई है और वाचकवंश या वाचकपद धारी मुनियों का कोई गण प्राचीन काल में कभी हुआ है ? यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है ?

४. मुझे संदेह है कि तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता उमास्वाति कुन्दकुन्द के शिष्य थे, क्योंकि इसका कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं मिला । जो मिले वे सब बारहवीं सदी के बाद के हैं । इसलिए सरसरी तीर पर जो बात ध्यान में आए सो लिखिएगा ।

५. प्रसिद्ध तत्त्वार्थशास्त्र की रचना कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति ने की है, इस मान्यता के लिए दसवीं सदी से प्राचीन क्या-क्या प्रमाण या

उल्लेख हैं ? क्या दिगम्बर साहित्य में दसवीं सदी से पुराना कोई ऐसा उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति के द्वारा तत्त्वार्थसूत्र की रचना करने का सूचन या कथन हो ?

६. 'तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृष्णपिञ्चोपलक्षितम्' यह पद्म कर्ह का है और कितना पुराना है ?

७. पूज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कही भी तत्त्वार्थसूत्र-रचयिता के रूप में उमास्वाति का उल्लेख किया है ? यदि नहीं किया है तो बाद में यह मान्यता कैसे चल पड़ी ?

( ख ) प्रेमीजी का पत्र

"आपका ता० ६ का कृपापत्र मिला । उमास्वाति कुन्दकुन्द के वंशज हैं, इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है । यह वश-कल्पना उस समय की गई है जब तत्त्वार्थसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवार्तिक, राजवार्तिक आदि टीकाएँ बन चुकी थीं और दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस ग्रन्थ को पूर्णतया अपना लिया था । दसवीं शताब्दी के पहले का कोई भी उल्लेख अभी तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला । मेरा विश्वास है कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े-बड़े विद्वान् ग्रन्थकर्ता हुए हैं, प्रायः वे किसी भठ या गढ़ी के पट्ठघर नहीं थे । परन्तु जिन लोगों ने गुरुविली या पट्टावली बनाई है उनके मस्तक में यह बात भरी हुई थी कि जितने भी आचार्य या ग्रन्थकर्ता होते हैं वे किसी-न-किसी गढ़ी के अधिकारी होते हैं । इसलिए उन्होंने पूर्ववर्ती सभो विद्वानों की इसी भ्रमात्मक विचार के अनुसार खतीनी कर डाली है और उन्हें पट्ठघर बना डाला है । यह तो उन्हें मालूम नहीं था कि उमास्वाति और कुन्दकुन्द किस-किस समय में हुए हैं, परन्तु चूँकि वे बड़े आचार्य थे और प्राचीन थे, इसलिए उनका सम्बन्ध जोङ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-नुरु बना दिया । यह सोचने का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया कि कुन्दकुन्द कर्तिक देश के कुड़कुड़ ग्राम के निवासी थे और उमास्वाति विहार में भ्रमण करनेवाले । उनके सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से असम्भव है ।

‘श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवशपुराण; जम्बूद्वीपप्रज्ञसि आदि प्राचीन ग्रन्थों में जो प्राचीन आचार्य-परम्परा दी हुई है उसमें उमास्वाति का बिलकुल उल्लेख नहीं है । श्रुतावतार में कुदकुद का उल्लेख है और उन्हे एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे उमास्वाति का कोई उल्लेख नहीं है । इन्द्रनन्दी का श्रुतावतार यद्यपि बहुत पुराना

नहीं है फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि वह किसी प्राचीन रचना का रूपान्तर है और इस हण्डि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है। 'दर्शक-सार' ६६० संवत् का बनाया हुआ है, उसमें पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द का उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नहीं। जिनसेन के समय राजवर्गातिक और श्लोकवर्गातिक बन चुके थे परन्तु उन्होंने भी वीरों आचारों और ग्रन्थवृत्ताओं की प्रशासा के प्रसंग में उमास्वाति का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वे उन्हे अपनी परम्परा का नहीं समझते थे। एक बात और है। आदिपुराण, हरिवंशपुराण आदि के कर्ताओं ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख नहीं किया है, यह एक विचारणीय बात है।

मेरी समझ में कुन्दकुन्द एक खास आमनाय या सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्होंने जैनधर्म को वेदान्त के साँचे में ढाला था। जान पड़ता है कि जिनसेन आदि के समय तक उनका मत सर्वमहन्य नहीं हुआ और इसीलिए उनके प्रति उन्हे कोई आदरभाव नहीं था।

'तत्त्वार्थशास्त्रकर्त्तरं गृध्रपिच्छोपलक्षितम्' यह श्लोक मालूम नहीं कहीं का है और कितना पुराना है। तत्त्वार्थसूत्र की मूल प्रतियों में यह पाया जाता है। कहीं-कहीं कुन्दकुन्द को भी गृध्रपिच्छ लिखा है। गृध्र-पिच्छ नाम के एक और भी आचार्य का उल्लेख है। जैनहितैषी, भाग १०, पृष्ठ ३६९, और भाग १५, अक् ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढ़वा कर देख लीजिएगा।

षट्पाहुड की भूमिका भी पढ़वा लीजिएगा।

श्रुतसागर ने आगाधर के महाभिषेक की टीका सवत् १५८२ में समाप्त की है। अतएव ये विक्रम की सालहवी शताब्दी के हैं। तत्त्वार्थ की वृत्ति के और षट्पाहुड की तथा यशस्तिलक की टीका के कर्ता भी यही हैं। हूसरे श्रुतसागर के विषय में मुझे मालूम नहीं।"

( ग ) जुगलकिशोरजी मुख्तार का पत्र

"आपके प्रश्नों का मैं सरसरी तौर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ :

१. अभी तक जो दिग्म्बर पट्टावलियाँ ग्रन्थादिको मे दी हुई गुर्वा-बलियों से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्रायः विक्रम की १२वी शताब्दी के बाद की बेती हुई जान पड़ती हैं ऐसा कहना ठीक होगा। उनमें सबसे पुरानी कौन-सी है और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता। अधिकांश पट्टावलियों पर निर्माण के सम-

यादि का कुछ उल्लेख नहीं है और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी-किसी में अतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है।

कुन्दकुन्द तथा उमास्वाति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख तथा प्रशस्तियाँ हैं, परन्तु वे सब इस समय मेरे सामने नहीं हैं। हाँ, श्रवण-बेलगोल के जैन शिलालेखों का सग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिक-चट्र दिग्गज जैन ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्थ है। इसमें ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०५ और १०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध को लिये हुए हैं। पहले पाँच लेखों में 'तदन्वये' पद के द्वारा तथा नं० १०८ में 'वंशो तदीये' पदों के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वश में लिखा है। प्रकृत वाक्यों का उल्लेख 'स्वामी समन्तभद्र' के पृ० १५८ पर फुटनोट में भी किया गया है। इनमें सबसे पुराना शिलालेख नं० ४७ है, जो शक स० १०३७ का लिखा हुआ है।

२. पूज्यपाद का समय विक्रम की छठी शताब्दी है, इसकी विशेष जानकारी के लिए 'स्वामी समन्तभद्र' के पृ० १४१ से १४२ तक देखिए। रत्त्वार्थ के इवेताम्बरीय भाष्य को मैं अभी तक स्वीकृत नहीं समझता हूँ। उस पर कितना ही सदेह है, जिस सबका उल्लेख करने के लिए मैं इस समय तैयार नहीं हूँ।

३. दिग्म्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी हुई है, इसका मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। और न 'वाचकवश' या 'वाचक' पदधारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है। हाँ, 'जिनेन्द्र-कल्याणभ्युदय' ग्रन्थ में 'अन्वयावलि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द और उमास्वाति दोनों के लिए 'वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, जंसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है :

दुष्पदन्तो भूतबलिंजिनचन्द्रो मुनिः पुनः ।  
कुन्दकुन्दमुनीन्द्रोमास्वातिवाचकसंज्ञितौ ॥

४. कुन्दकुन्द और उमास्वाति के सम्बन्ध का उल्लेख किया जा चुका है। मैं अभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता हूँ—शिष्य नहीं। हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हों और इसका उल्लेख मैंने 'स्वामी समन्तभद्र' में पृ० १५८-१५९ पर भी किया है। उक्त इतिहास में 'उमास्वाति-समय' और 'कुन्दकुन्द-समय' ना-सम्भव हैं, लेखों को एक बार पढ़ जाना चाहिए। यह भी है न ही समझते

५. विक्रम की १० द्वी शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने में ऐसा नहीं आया जिसमें उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो ।

६. 'तत्त्वार्थसूत्रकार्तारं गृध्रपिच्छोपलसितम्' यह पद्य तत्त्वार्थसूत्र की बहुत-सी प्रतियों के अन्त में देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का है और कितना पुराना है, यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

७. पूज्यपाद और अकलच्छदेव के विषय में तो अभी ठीक नहीं कह सकता, परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वार्थसूत्र के कर्तारूप से उमास्वाति का उल्लेख किया है—श्लोकवार्तिक में उनका द्वितीय नाम गृध्रपिच्छार्थ दिया है और शायद आसपरीक्षार्टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम का भी उल्लेख है ।

इस तरह यह आपके दोनों पत्रों का उत्तर है, जो इस समय बन सका है । विशेष विचार फिर किसी समय किया जाएगा ।"

### ( घ ) भेरी विचारणा

विक्रम को ९-१०वी शताब्दी के दिग्म्बराचार्य विद्यानन्द ने आस्परीक्षा ( श्लोक ११९ ) की स्वोपज्ञवृत्ति में तत्त्वार्थसूत्रकारैउमास्वाति-प्रभूतिभिः ऐसा कथन किया है और तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक की स्वोपज्ञवृत्ति ( पृ० ६, प० ३१ ) में इन्हीं आचार्य ने एतेन गृध्रपिच्छार्थपर्यन्त-मुनिसूत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता ऐसा कथन किया है । ये दोनों कथन तत्त्वार्थशास्त्र के उमास्वाति-रचित होने और उमास्वाति तथा गृध्रपिच्छार्थ आचार्य दोनों के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी प० जुगलकिशोरजी की मान्यता जान पड़ती है । परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, अतः इस विषय में अपनी विचारणा को संक्षेप में बतला देना उचित होगा ।

पहले कथन में 'तत्त्वार्थसूत्रकार' यह उमास्वाति वगैरह आचार्यों का विशेषण है, न कि मात्र उमास्वाति का । अब यदि मुख्तारजी के कथनानुसार अर्थ किया जाए तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वगैरह आचार्य तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता हैं । यहाँ तत्त्वार्थसूत्र का अर्थ यदि तत्त्वार्थ-विगमशास्त्र किया जाए तो यह फलित अर्थ दूषित ठहरता है, क्योंकि तत्त्वार्थविगमशास्त्र अकेले उमास्वामी द्वारा रचित माना जाता है, न वाद 'मास्वामी आदि अनेक आचार्यों द्वारा । इससे विशेषणगत तत्त्वार्थ-पुरानी भक्त अर्थ मात्र तत्त्वार्थविगमशास्त्र न करके 'जिन-कथित समय कुछ द सभी अन्य' इतना करना चाहिए । इस अर्थ से

फलित होता है जिनकथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले उमास्वामी वर्गेरह आचार्य। इस फलित अर्थ के अनुसार सीधे तौर पर इतना ही कह सकते हैं कि विद्यानन्द को हृष्टि में उमास्वामी भी जिनकथित तत्त्वप्रतिपादक किसी ग्रन्थ के प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ भले ही विद्यानन्द की हृष्टि में तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र ही हो, परन्तु इसका यह आशय उक्त कथन में से दूसरे आधारों के बिना सीधे तौर पर नहीं निकलता। इससे विद्यानन्द के आपसपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन से हम इनना ही आशय निकाल सकते हैं कि उमास्वामी ने जैन तत्त्व पर कोई ग्रन्थ अवश्य रचा है।

पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक सूत्र सर्वज्ञवीतराग प्रणीत है, इस बात को सिद्ध करनेवाली अनुमान-चर्चा में आया है। इस अनुमान-चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, सर्वज्ञ-वीतरागप्रणीतत्व साध्य है और सूत्रत्व हेतु है। इस हेतु में व्यभिचारदोष का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एतेन' इत्यादि कथन किया है। व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल में सम्भवित होता है। पक्ष दो मोक्षमार्गविषयक प्रस्तुत तत्त्वार्थसूत्र ही है, इससे व्यभिचार का विपर्यभूत माना जानेवाला गृह्यपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों का सूत्र विद्यानन्द की हृष्टि में उमास्वाति के पक्षभूत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम सूत्र से भिन्न ही होना चाहिए। यह बात ऐसी है कि न्यायविद्या के अभ्यासी को शायद ही समझानी पड़े। विद्यानन्द की हृष्टि में पक्षरूप उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के विषयरूप से कल्पित किया सूत्र अलग ही है, इसीसे उन्होंने इस व्यभिचारदोष का निवारण करने के बाद हेतु में असिद्धता दोष को दूर करते हुए 'प्रकृतसूत्रे' कहा है। प्रकृत अर्थात् जिसकी चर्चा प्रस्तुत है वह उमास्वामी का मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र। असिद्धता दोष का निवारण करते हुए सूत्र को 'प्रकृत' विशेषण दिया है और व्यभिचार दोष को दूर करते हुए वह विशेषण नहीं दिया तथा पक्षरूप सूत्र में व्यभिचार नहीं आता, यह भी नहीं कहा, बल्कि स्पष्ट रूप से यह कहा है कि गृह्यपिच्छाचार्य पर्यन्त मुनियों के सूत्रों में व्यभिचार नहीं आता। यह सब निर्विवादरूप से यही सूचित करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृह्यपिच्छ को भिन्न ही समझते हैं, दोनों को एक नहीं। इसी अभिप्राय को पुष्टि में एक दलील यह भी है कि विद्यानन्द यदि गृह्यपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न ही समझते

होते तो एक जगह उमास्वामी और दूसरी जगह 'गृध्रपिच्छ आचार्य' इतना विशेषण ही उनके लिए प्रयुक्त न करते बल्कि 'गृध्रपिच्छ' के बाद वे 'उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते। उक्त दोनों कथनों की मेरी विचारणा यदि असत्य न हो तो यह फलित होता है कि विद्यानन्द की हृषि में उमास्वामी तत्त्वार्थाविगमशास्त्र के प्रणेता होगे, परन्तु उनकी हृषि से गृध्रपिच्छ और उमास्वामी ये दोनों निश्चय ही भिन्न होने चाहिए।

गृध्रपिच्छ, बलाकपिच्छ, मयूरपिच्छ आदि विशेषणों की सुष्ठु नग्नत्वमूलक वस्त्र-पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना में से हुई है। यदि विद्यानन्द ने उमास्वामी को निश्चयपूर्वक दिगम्बर समझा होता तो वे उनके नाम के साथ प्राचीन समय में लगाए जानेवाले गृध्रपिच्छ आदि विशेषण जरूर लगाते। अतएव कह सकते हैं कि विद्यानन्द ने उमास्वामी को श्वेताम्बर, दिगम्बर या किसी तीसरे सम्प्रदाय का सूचित ही नहीं किया है।

—सुखलाल



## अध्ययन विषयक सूचनाएँ

जैन दर्शन का प्रामाणिक अध्ययन करने के इच्छुक जैन-जैनेतर द्वार्थी एवं शिक्षक यह पूछते हैं, कि ऐसी एक पुस्तक कीन-सी है इसका सक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके और उससे जैन दर्शन में सञ्चिहित मुद्दों के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो सके। इस प्रश्न के तर भे 'तत्त्वार्थ' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं किया जा सकता। तत्त्वार्थ की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ-नहाँ न दर्शन के पाठ्य-क्रम में इसका सर्वप्रथम स्थान रहता है। फिर भी उसकी अध्ययन-परिपाटी की जो रूपरेखा है वह विशेष फलप्रद प्रतीत नहीं होती। इसलिए उसकी अध्ययन-पद्धति के विषय में यहाँ पर कुछ गूचनाएँ देना अप्रासांगिक न होगा।

'सामान्यतः तत्त्वार्थ' के श्वेताम्बर पाठक उसकी दिगम्बर टीकाओं को भी भवी देखते और दिगम्बर पाठक श्वेताम्बर टीकाओं को नहीं खेते। इसका कारण संकुचित हृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश, जानकारी का अभाव अथवा चाहे जो हो पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके कारण पाठक का ज्ञान कितना संकुचित रहता है, उसकी जिज्ञासा केतनी अपरिवृत्त रहती है और उसकी तुलना तथा परीक्षण करने की शक्ति कितनी कुठित रहती है तथा उसके परिणामस्वरूप तत्त्वार्थ के पाठक का प्रामाण्य कितना अस्ति निर्मित होता है, इसे समझने के लिए वर्तमान की सभी जैन संस्थाओं के विद्यार्थियों से अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान के मार्ग में, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौका-बदी को अर्थात् हृष्टि-संकोच या सम्प्रदाय-मोह को स्थान हो तो उससे मूल वस्तु ही सिद्ध नहीं होती। जो तुलना के विचार मात्र से ही डर जाते हैं वे या तो अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय में शंकित होते हैं या दूसरे के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम रखते हैं अथवा असत्य को छोड़कर सत्य को संवीकार रखने में हिचकिचाते हैं तथा अपनी सत्य वात को भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त वुद्धिवल और धैर्य नहीं रखते। ज्ञान का अर्थ यही है कि संकुचितता, वधन और

अवरोधों का अतिक्रमण कर आत्मा को विस्तृत किया जाए और सत्य के लिए गहरा उत्तरा जाए। इसलिए शिक्षकों के समक्ष निम्नोक्त पद्धति रखता हूँ। वे इस पद्धति को अन्तिम न मानकर उसमें भी अनुभव से सुधार करें और वास्तव में तो अध्ययन करनेवाले अपने विद्यार्थियों को साधन बनाकर स्वयं तैयार हों।

१. मूलसूत्र का सरलतापूर्वक जो अर्थ हो वह किया जाय।

२. भाष्य सर्वार्थसिद्धि इन दोनों में से किसी एक टीका को मुख्य रूप उसे पहले पढ़ाया जाए और फिर तुरत ही दूसरी। इस वाचन में नीचे की खास बातों की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जाए—

(क) कौन-कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि में एक समान हैं और समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन-शैली में कितना अन्तर पड़ता है?

(ख) कौन-कौन से विषय एक में हैं और दूसरे में नहीं? अगर हैं तो रूपान्तर से जो विषय दूसरे में छोड़ दिए गए हो या जिनको नवीन रूप से चर्चा की गई हो वे कौन से हैं और इसका कारण क्या है?

(ग) उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनों का पृथक्करण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो उसे 'प्रस्तावना' में दो हुई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुलना करने के लिए प्रेरित किया जाए और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य में ऐसी तुलना करने की हष्टि से कुछ रोचक सूचनाएँ की जाएँ।

(घ) कपर दी हुई सूचना के अनुसार पाठ पढ़ाने के बाद पढ़े हुए उसी सत्र का राजवार्तिक स्वयं पढ़ जाने के लिए विद्यार्थियों से कहा जाए। वे यह सम्पूर्ण राजवार्तिक पढ़ कर उसमें से पूछने योग्य प्रश्न या समझने के विषय नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। इस चर्चा के समय शिक्षक यथासम्भव विद्यार्थियों में ही परस्पर चर्चा करा कर उनके द्वारा ही (स्वयं केवल तटस्थ सहायक रह कर) कहलवाए। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि की अपेक्षा राजवार्तिक में क्या कम हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है, क्या-क्या नवीन है—यह जानने की हष्टि विद्यार्थियों में परिमार्जित हो।

३. इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अध्ययन राजवार्तिक के अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों ग्रन्थों में नहीं हो, ऐसे और

खास ध्यान देने योग्य जो-जो विषय श्लोकवार्तिक में चर्चित हों उन विषयों की सूची तैयार करके रखना एवं अनुकूलता के अनुसार उन्हें विद्यार्थियों को पढ़ाना या स्वयं पढ़ने के लिए कहना चाहिए। इतना होने के बाद सूची की उक्त चारों टीकाओं ने क्रमशः कितना और किस-किस प्रकार का विकास किया है और ऐसा करने में उन-उन टीकाओं ने अन्य दर्शनों से कितना लाभ उठाया है या अन्य दर्शनों को उनकी क्या देन है, ये सभी बातें विद्यार्थियों को समझानी चाहिए।

४. किसी परिस्थिति के कारण राजवार्तिक का पठन-पाठन सम्भव न हो तथापि श्लोकवार्तिक के ममान राजवार्तिक में भी जो-जो विषय अधिक सुन्दर रूप में चर्चित हों और जिनका जैन-दर्शन के अनुसार बहुत अधिक महत्त्व हो उनकी एक सूची तैयार करना तो विद्यार्थियों को सिखाना ही चाहिए। भाष्य और सर्वार्थसिद्धि ये दो ग्रन्थ पाठ्यक्रम में नियत हो और राजवार्तिक तथा श्लोकवार्तिक के वे विशिष्ट प्रकरण भी सम्मिलित किए जाएं जो उक्त दोनों ग्रन्थों में अचर्चित हों एवं शेष सभी अवशिष्ट विषय ऐच्छिक रहे। उदाहरणार्थं राजवार्तिक की सप्तभंगी और अनेकान्तवाद की चर्चा तथा श्लोकवार्तिक की सर्वज्ञ, आप, जगत्कर्ता आदि की, नय की, वाद की और पृथ्वी-भ्रमण की चर्चा। दूसी प्रकार सत्त्वार्थमार्घ्य की सिद्धसेनीय वृत्ति से विशिष्ट चर्चावाले भागों को छीटकर उन्हें पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। उदाहरणार्थ १. १; ५ २९, ३१ के भाष्य की वृत्ति में आई हुई चर्चाएं।

५. अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक तत्त्वार्थ का बाह्य और आभ्यन्तरिक परिचय करने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष रुचिकर प्रवचन करे एवं उनमें दिलचस्पी पैदा करे। दर्शनों के इतिहास एवं क्रम-विकास की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बीच-बीच में प्रसगानुसार समुचित प्रवचनों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

६. भूगोल, खगोल, स्वर्ग तथा पाताल विषयक विद्या के तीसरे एवं चौथे अध्याय के शिक्षण के विषय में दो विरोधी पक्ष हैं। एक पक्ष उसे शिक्षण में रखने का विरोध करता है, जब कि दूसरा उस शिक्षण के बिना सर्वज्ञ-दर्शन के अध्ययन को अधरा मानता है। ये दोनों एकान्त (आग्रह) की अन्तिम सीमाएँ हैं। इसलिए शिक्षक के लिए यही समुचित है कि वह इन दोनों अध्यायों का शिक्षण देते हुए भी उसके पोछे

रही हुई हृषि मे परिवर्तन करे। तीसरे एवं चौथे अध्याय का सारा वर्णन सर्वज्ञ-कथित है, इसमे किंचित् भी परिवर्तन या सशोधन नहीं हो सकता, आजकल के सभी वैज्ञानिक अन्वेषण और विचार जैन-शास्त्रों के विरुद्ध होने के कारण सर्वथा मिथ्या एवं त्याज्य हैं—इस प्रकार का आग्रह रखने की अपेक्षा एक समय बायर्दर्शनों मे स्वर्ग-नरक, भूगोल खगोल विषयक कैसी-कैसी मान्यताएँ प्रचलित थीं और इन मान्यताओं मे जैन-दर्शन का क्या स्थान है—इस ऐतिहासिक हृषि से इन अध्यायों का शिक्षण दिया जाए तो मिथ्या समझकर त्याग देने यार्थ विषयों मे भी जानने योग्य बहुत-कुछ बच रहता है। इससे सत्य-शोधन के लिए जिज्ञासा का क्षेत्र तैयार होता है और जो सत्य है उसे बुद्धि की कस्तूरी पर कसने की विशेष प्रेरणा मिलती है।

७. उच्चस्तरीय विद्यार्थियों तथा गवेषकों के लिए मैं कुछ सूचनाएँ और भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि तत्त्वार्थसूत्र और भाष्य आदि मे आए हुए मुहों का उद्दगमस्थान किन-किन श्वेताम्बर तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों मे है, यह ऐतिहासिक हृषि से देखना चाहिए और फिर उनकी तुलना करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन मुहों के विषय मे बौद्ध पिटक तथा महायान शाखा के अमुक ग्रन्थ क्या कहते हैं, उनमे इस विषय का कैसा वर्णन है, यह देखना चाहिए। सभी वैदिक दर्शनों के मूल सूत्रों और भाष्यों से एतद्विषयक सीधी जानकारी प्राप्त करके उनकी तुलना करनी चाहिए। मैंने ऐसा किया है और मेरा अनुभव है कि तत्त्वज्ञान तथा आचार के क्षेत्र मे भारतीय आत्मा एक है। अस्तु, ऐसा अध्ययन किए बिना तत्त्वार्थ का पूरा महत्व ध्यान मे नहीं आ सकता।

८. यदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वार्थसूत्र पढ़ाया जाए तो शिक्षक पहले एक-एक सूत्र लेकर उसके सभी विषय मौखिक रूप मे समझा दे और उसमे विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाने पर उस-उस भाग के प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं विद्यार्थियों से ही कराए और प्रबन्धों के द्वारा विश्वास कर ले कि विषय उनकी समझ मे आ गया है।

९. प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यंत सूत्र अथवा सपूर्ण अध्याय की पढाई होने के बाद 'प्रस्तावना' मे निर्दिष्ट तुलनात्मक हृषि के आधार पर शिक्षक सक्षम विद्यार्थियों के समक्ष पढाए गए विषयों की स्पष्ट तुलना करे।



## तत्त्वार्थसूत्र का मूल पाठ

तत्त्वार्थसूत्र का कौन-सा पाठ मूल रूप में दोनों परम्पराओं में विद्य-  
मान है, यह कहना बहुत ही कठिन है। यदि साम्प्रदायिक भावना से  
अलग रहकर विचार किया जाए तो यह प्रवेन ऐतिहासिक महत्व का  
बन जाता है। तत्त्वार्थसूत्र अग्रमिक काल के अन्त की रचना है। उसके  
तुरन्त बाद ही उत्तर से आकर पश्चिम और दक्षिण में केन्द्रित जैन-संघ  
निश्चित रूप से द्वेताम्बर और दिग्म्बर संप्रदायों में विभक्त हो गया।  
दक्षिण में गये तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्य में काफी परिवर्तन हुए, जो  
इस समय दिग्म्बर सूत्रपाठ और सर्वार्थसिद्धि के रूप में उपलब्ध है।  
इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्र जैनधर्म के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा  
हुआ जहाँ से उसने दोनों परम्पराओं को सहसा प्रभावित किया।

कठिनाई यह है कि इस जटिल समस्या के समाधान के लिए प्रामाणिक साक्ष्यों का प्रायः अभाव है। यहाँ इसके समाधान का प्रयास निम्न तीन पहलुओं से किया जा रहा है—१. भापागत परिवर्तन, २. प्रत्येक आवृत्ति में सूत्रों का विलोपन और ३. सूत्रगत मतभेद। यहाँ यह कहना अभीष्ट होगा कि इस समस्या के समाधान में मुख्यतया अतिम दो साधनों का उपयोग किया गया है परन्तु तार्किक हृषि से समुचित निर्णय के लिए वे पूर्णतः सक्षम सिद्ध नहीं हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भापागत अध्ययन भी विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, यद्यपि यह साधन सर्वाधिक प्रामाणिक है। यहाँ यह सकेन करना आवश्यक प्रतीत होता है कि हमारी एक समस्या उसके भाष्य के विषय में भी है। वह स्वोपन्न है या नहीं, इसका अध्ययन यहाँ अभीष्ट नहीं है, क्योंकि यह स्वयं में एक बड़ी समस्या है और इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है।

हम इस विवेचन का श्रीगणेश तत्त्वार्थसूत्र के दोनों पाठों में आए हुए भाषागत परिवर्तन की छान-बीन से करेंगे। इसके लिए सर्वाधिक सूत्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है और उनका मूल्याकन इस आधार पर किया गया है कि कहाँ



८ : १० “कषाय-नोकषाय”  
 (९) “अकषाय-कषाय”

सूत्र ६ : (५) में शब्दक्रम मानसिक किंवा आत्मिक प्रक्रिया पर आधारित कार्य-कारणभाव के क्रमानुसार प्रतीत होता है अथवा साम्परायिक आस्था के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण के रूप में इन्द्रिय पर बल दिया गया है। स्थानाग ५.२.५१७ और समवायाग ५ में मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच आस्था-द्वारा बतलाए गए हैं। इन्हे तत्त्वार्थसूत्र ८ : १ में बन्ध के कारण कहा गया है। बाद के ग्रंथों में प्रमाद को प्रायः अविरति अथवा कषाय के अतर्गत रखा गया है। सूत्र ६ : ६ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूत्रकार ने आगमिक परपरा का अनुगमन किया है। सूत्र ६ : ७ में यह अधिक स्पष्ट है—प्रथम, क्योंकि भाव और वीर्य क्रिया के आत्मिक और कार्यिक रूप हैं; द्वितीय, क्योंकि अधिकरण का अगले ही सूत्र में प्रतिपादन किया गया है। सूत्र ८ : १० का श्वेताम्बर पाठ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। कर्मशास्त्रियों ने नोकषाय शब्द का एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग किया है। अकषाय शब्द अर्थ के विषय में भ्रम में डालने वाला है।

२, (०), [१]

३. ९ : ३१ (३२) वेदनायांश्च  
 ३२ (३१) विष्परोतं मनोजस्य

सूत्र ९ : ३१ (३२) अमनोज से संबंधित है, अतः द कण (दिगम्बर) पाठ का ठीक अर्थ नहीं निकलता है।

१, (०), [०]

२. संयुक्तोकरण

५ : २२ वर्तना परिणामः क्रिया “

(२२) वर्तनापरिणामक्रियाः”

६ : १३ भूतवृत्यनुकम्पा वानं सरागसंयमः”

(१३) भूतवृत्यनुकम्पावानसरागसंयम

शब्दों के संयुक्तीकरण से अभिव्यक्ति के अधिक सौष्ठुद की प्रतीति के बावेजूद प्रत्येक की महत्त्वपूर्ण अवधारणा की अनुभूति में कुछ कमी आ जाती है, अतः श्वेताम्बर पाठ अधिक उपयुक्त है।

२, (०), [०]

३. शब्दविन्यास

- |   |        |                                     |
|---|--------|-------------------------------------|
| १ | ६ : १६ | बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः |
|   | (१५)   | " " " नारकस्यायुषः                  |
| ७ | ४      | ...इहामुत्र च "                     |
|   | (९)    | ...इहामुत्र....                     |
| ७ | ७      | ...स्वभावो च संवेग....              |
|   | (१२)   | ... " वा " ....                     |

सूत्र ६ : १६ एव ७ : ४ में 'च' संयोजक अनावश्यक है, किन्तु सूत्र ७ : ७ (१२) में 'वा' के स्थान पर 'च' अधिक उपयुक्त है।

- |   |        |  |
|---|--------|--|
| २ | १ : २७ | ...सर्व-द्रव्येष्वसर्वपर्ययेषु [५ : २ भाष्य—उक्तं हि 'द्रव्येष्वसर्वपर्ययेषु ' ] |
|   | (२६)   | ...द्रव्येष्वसर्वपर्ययेषु  |
| २ | ५      | ...द्वानादि-लक्षणय ...   |
|   | (५)    | ... लक्षणय ...   |
| २ | ७      | जीव भव्याभव्यत्वादीनि च  |
|   | (७)    | जीव भव्याभव्यत्वानि च  |
| २ | २१     | ...शब्दास्तेवामर्थः  |
|   | (२०)   | ...शब्दास्तेवर्थः  |
| ३ | १      | ...अघोऽपः पृथुतराः [भाष्य-रत्नप्रभा ...सप्त अघोऽपः]                              |
|   | (१)    | ...अघोऽपः  |
| ४ | ९      | प्रवीचाराः इयोर्हृष्योः  |
|   | (८)    | ...प्रवीचाराः  |
| ४ | १३     | सूर्यादिन्द्रियसो ...  |
|   | (१२)   | ...सूर्यादिन्द्रियसो....   |
| ४ | ५२     | जगन्ना त्वष्टनाः   |
|   | (४१)   | तद्व-भानोऽपरा  |
| ५ | १५     | ...तीक्रात्म-परिणाम ..   |
|   | (१४)   | ... तीक्र परिणाम....   |
| ६ | २३     | ...संघ-साधु-समाजि ...  |
|   | (३४)   | ...साधु-समाजि ...  |
| ७ | २९     | ...आदान-निहेष....  |

(३४) “आदान”

७ : ३२ “निदान-करणानि

(३७) “निदानानि

१० : ६ “परिणामाच्च तद्गतिः

(६) “परिणामाच्च

सूत्र १ : ( २६ ) मे ‘सर्वं’ शब्द जोड़ देने से उसके अर्थ की सदिरचता दूर हो जाती है। ‘लिंगं’ शब्द अन्य अर्थों मे भी प्रयुक्त होता है, अतः सूत्र २ : ५ मे ‘दानादि’ शब्द आवश्यक है। सूत्र २ : ७ मे ‘आदीनि’ शब्द जीव के उन भावों के लिए प्रयुक्त किया गया है जिनका उल्लेख पूर्व के सूत्रों में नहीं हुआ है, ददाहरणार्थ कर्तृत्व, भोवतृत्व आदि। ‘च’ शब्द से वैसा अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। उससे द्रव्य के सामान्य स्वरूप जैसे अस्तित्व, गुणवत्त्व आदि का हो वोध होता है। इसलिए इस सूत्र में ‘आदीनि’ शब्द अपेक्षित है। सूत्र २ : ( २० ) मे ‘तद्’ शब्द से अस्पष्टता उत्पन्न होती है। सूत्र ३ : १ मे ‘पृथुतरा’ शब्द होने से जैनमतानुसार अधोलोक की रचना का तात्पर्य विलकुल स्पष्ट हो जाता है। सूत्र ४ : ९ वा श्वेताम्बर पाठ अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है। गूत्र ४ : १३ मे जैनमतानुसार चन्द्र और सूर्य की अनेकता को सुस्पष्ट किया गया है। सूत्र ४ : ५२ (४१) मे श्वेताम्बर पाठ से वर्ध अधिक स्पष्ट होता है। ‘परिणाम’ शब्द कपाय-परिणाम, लेश्वा-परिणाम, योग-परिणाम आदि अर्थों मे प्रयुक्त होता है, इसलिए सूत्र ६ : १५ में ‘आत्म परिणाम’ शब्द अधिक स्पष्ट अर्थ का द्योतक है। ‘सर्व’ एक स्वतत्र अवधारणा है, अतः सूत्र ६ : ( २४ ) मे उसका समावेश आवश्यक है। ‘आदान-निक्षेप’ एक पारिभाषिक शब्द है, अतः यह उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जैसे सूत्र ७ : २९ मे है। जहाँ तक सूत्र ७ : ३२ ( ३७ ) का प्रश्न है, शेष सभी शब्द सज्ञा और क्रिया के संयुक्तरूप में हैं, इसलिए ‘निदान-करणानि’ पाठ अधिक सगत है। सूत्र १० : ६ ( ६ ) का विषय ‘तद्गतिः’ है, इसलिए उसका उल्लेख सूत्र में होना चाहिए।

१३, ( ० ), [ ० ]

वावजूद १ : २३ यथोक्त-निमित्तः ... ... [ भाव्य—यथोक्त-निमित्तः  
आ जाती है, अतः क्षयोपक्षम-निमित्त इत्यर्थः ]

३४-परिणाम-निमित्तः ...

- २ : ३८ तेषां परंपरं सूक्ष्मम्  
 (३७) परंपरं सूक्ष्मम्  
 ३ : १० तत्र भरत ०  
 (१०) भरत ०  
 ६ : २२ विषयरीतं शुभस्य  
 (२३) तद्-विषयरीतं शुभस्य  
 ७ : ६ मैत्री-प्रशोद काल्य-माल्यस्थानि सत्त्वं गुण  
 (११) " " " च सत्त्व-गुण  
 ८ : ७ मत्यादीनाम्  
 (८) मति-शुताद्विभ-मन्-पर्यंय-केवलानाम्  
 ८ : १४ दानादीनाम् [ भाष्य—अन्तरायः पञ्चविधः/ तद्यथा-दानस्यान्तरायः, लाभस्यान्तरायः ]  
 (१३) दान-लाभ-भोगोपभोग-चीर्णाम् ~  
 ९ : १८ यथास्यातानि चारित्रम्  
 (१८) .. यथास्यात्मिति चारित्रम्

यहाँ श्वेताम्बर पाठ में भाष्य के व्याख्यात्मक शब्द जोड़ देने से, या अनावश्यक शब्द निकाल देने से, या कम-से-कम शब्द बढ़ा देने से बननेवाले दिगम्बर सूत्रों द्वारा अधिक स्पष्ट अर्थं प्रकट होता है। सूत्र ८ : ७ और १४ में प्रयुक्त 'आदि' शब्द के लिए विछ्ने सूत्र १ . ९ और २ : ४ देखने चाहिए। सर्वार्थसिद्धि के उल्लेखानुसार सूत्र ९ : (१८) में प्रयुक्त 'इति' शब्द के समाप्तिसूचक होने से सूत्र ९ : २ ( २ ) के व्याख्यान की समाप्ति का संकेत मिल जाता है जिससे स्पष्टीकरण में निश्चित रूप से सुविधा होती है।

०, (८), [०]

४. ३ : २ तासु नरकाः [ भाष्य—दत्तप्रभायां नरकवासानां त्रिशूच्छत्तसहस्राणि विषासु पञ्चविशतिः ..... नरक-शतसहस्रम्—इत्याषष्ठ्याः ]  
 (२) तासु त्रिशूच्छत्-पञ्चविशतिः .. यथाक्रमम्  
 ७ : २७ ... पभोगाधिकत्वानि  
 (३२) पभोगन्यरिभोगानर्थंक्यानि  
 ८ : ८ ... स्त्यानगृह्णि देवनीयानि च  
 (७) .. स्त्यानगृह्णयश्च

ये सूत्र विभिन्न प्रकार के हैं। इनके पाठमेद का मूल्यांकन करना जरा कठिन है। सूत्र ८ : ८ में प्रत्येक प्रकार की निद्रा के साथ 'वेदनीय' शब्द जोड़ देने से उसकी अनुभूति का निश्चित भाव प्रकट होता है। वैसे इस शब्द को सूत्र से निकाल देने पर भी उसके भाव में कमी नहीं आती है।

०, (०), [३]

योग १९, (१०), [६] ... ३५

४ दो सूत्रों की एक सूत्र में अभिव्यक्ति-

१. दिगम्बर पाठ के दो सूत्रों का श्वेताम्बर पाठ के एक सूत्र में समावेश—

५ : २ द्रव्याणि जीवाश्च

(२-३) द्रव्याणि/जीवाश्च

६ : १८ अल्पारम्भ परिप्रहृत्वं स्वभाव-मार्दवार्जवं च मानुषस्य  
(१७-१८) अल्पारम्भ-परिप्रहृत्वं मानुषस्य/स्वभाव-मार्दवं च

यहाँ सूत्र ५-२ का सूत्र (२) और (३) में विभाजन उचित मालम् पड़ता है। सूत्र ६-१८ में 'आर्जवं' शब्द का रहना ठीक ही है, क्योंकि अल्पारम्भ आदि एव स्वभाव-मार्दव आदि की अवधारणा से बहुत अन्तर नहीं है।

०, (१), [१]

२. श्वेताम्बर पाठ के दो सूत्रों का दिगम्बर पाठ के एक सूत्र में समावेश—

१ : २१-२२ ह्व-विषोऽविषः/भव-प्रत्ययो नारक देवानाम्

(२१) भव-प्रत्ययोऽविषेष-नारकाणाम्

५ : ७८ असंख्येयाः प्रदेशा धर्मधर्मेयो /जीवस्य

(८) असंख्येयाः प्रदेशा धर्मधर्मकजीवानाम्

६ : ३-४ शुभः पुण्यस्य/अशुभः पापस्य

(३) शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य

८ : २-३ सकषायत्वाज्जीवः ... पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः

(२) सकषायत्वाज्जीवः ... पुद्गलान् आदत्ते स बन्धः

९ : २७-२८ ...ध्यानम्/आ-भूतर्त्ति

(२७) .. ध्यानमान्तम् भूतर्त्ति

१० : २-३ बन्ध-हेत्वभाव-निर्जरास्याम्/कृत्स्न-कर्म-क्षयो मोक्षः

(२) बन्ध हेत्वभाव-निर्जरास्यां कृत्स्न-कर्म-विप्रमोक्षो मोक्षः

इनमें दिगम्बर सूत्रकार का प्रयत्न एक ही विषय से संबंधित दो सूत्रों को एक सूत्र में निवद्ध करना रहा है। सूत्र १:२१-२२ अर्थ को अधिक स्पष्ट करते हैं। इवेताम्बर सूत्र ५.७-८ ठीक हैं, क्योंकि घर्म-अघर्म और जीव दो विभिन्न वर्गों से संबंधित हैं। सूत्र ६:३-४ को एक सूत्र में भी रखा जा सकता है किन्तु जोर देने के लिए ही संभवतः इन्हें दो सूत्रों में रखा गया है। इस ग्रन्थ में जो शब्द 'स' सर्वनाम से प्रारम्भ होता है उससे बिना अपवाद के नए सूत्र का निर्माण होता है, जैसे २:८-९ ( ८-९ ), ६:१-२ ( १-२ ), ८:२२-२३ ( २२-२३ ) तथा ९:१-२ ( १-२ )। यह निःसदैह सूत्रकार की रचना-शैली है। यही शैली सूत्र ८:२-३ में भी है। सूत्र ९:२७-२८ या ९. ( २७ ) में ध्याता, ध्यान एवं उसके काल की परिभाषा दी गई है। इसमें तीन भिन्न-भिन्न बातें समाविष्ट हैं, अतः प्रत्येक का स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहित या। इस दृष्टि से कोई भी पाठ ठीक नहीं है। इवेताम्बर सूत्र १०:२ का कोई औचित्य नहीं है। इसके भाष्य से स्पष्ट है कि इसे सूत्र १०:१ के साथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन्मुक्ति के कारणों का उल्लेख है। कैवल्यान के प्रकट होने के कारणों का उल्लेख सूत्र १०:१ में कर दिया गया है और वे ही जीवन्मुक्ति की अवस्था को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं। अतः सूत्र १०:२ व्यर्थं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इससे विरोध भी उत्पन्न होता है। सयोग-कैवली अवस्था में अन्त तक तीन प्रकार के योग रहते हैं, इसलिए ईर्यापिधिक बन्ध का कारण उस समय भी उपस्थित रहता है, यद्यपि बन्ध की स्थिति अति अल्पकाल की होती है। अतः यह कथन कि 'बन्ध-हेतु-अभाव' सयोग-कैवलित्व के प्राप्त होने का कारण है, ठीक नहीं है। सूत्र १०:२ के भाष्य में हेत्व-भावाच्छोत्तरस्याप्राकुर्गचः लिखा है। इसमें हेत्वभावात् से बन्धहेत्व-भावात् अर्थं ही निकलता है, जिससे यह प्रकट होता है कि सूत्र १०:२ भी विदेहमुक्ति के कारण के रूप में है। अतः सूत्र १०:२ संदिग्ध है। इसलिए स्पष्टता की दृष्टि से दिगम्बर पाठ ठीक है।

३, ( १ ), [ २ ]

योग ३, ( २ ), [ ३ ]... ८  
कुल योग २२, ( १२ ), [ ९ ]... ४३

भाषागत परिवर्तन के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि दोनों परपराओं में मान्य तत्त्वार्थसूत्र के उपर्युक्त ४३ उदाहरणों में से २२

श्वेताम्बर-सम्मत पाठ अधिक स्पष्ट अर्थवाले हैं, जब कि दिगम्बर पाठ में ऐसे केवल १२ ही उदाहरण है, शेष ९ उदाहरण अनिर्णीत हैं। व्याकरण और पदविन्यास की हृषि से पूज्यपाद ने तत्त्वार्थ के सूत्रों को निम्न रूप में परिमार्जित किया है—१ एक तरह के भावों का सयुक्तीकरण करने के लिए दो सूत्रों का एक सूत्र में समावेश, २ शब्द-क्रम की समायोजना, ३ अनावश्यक शब्दों को निकालना एवं स्पष्ट भाव की अभिव्यक्ति के लिए कम से कम शब्दों को जोड़ना तथा ४ 'इति' शब्द द्वारा सूत्रों को वर्ग में बाँटना। ऐसा करने में तकनीकी हृषि से बहुत-सी गलतियाँ हुई हैं जिससे सूत्रों का ठीक-ठीक अर्थ समझने में कठिनाई होती है। इसका एक कारण है आगमिक परपरा का दक्षिण भारत में अभाव और दूसरा है सूत्रकार की वास्तुविक स्थिति को न समझना जिसने जैन सिद्धान्त को तथा अन्य मतों को बराबर ध्यान में रखकर इस ग्रन्थ की रचना की। फिर भी इस छानवीन से स्पष्ट है कि भाषागत अव्ययन से किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता जिसके यह कहा जा सके कि अमुक परपरा में तत्त्वार्थसूत्र मूल रूप में है और अमुक ने दूसरे से लिया है। उपर्युक्त आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्वेताम्बर पाठ आगमिक संदर्भ की हृषि से दिगम्बर पाठ से अधिक संगत है।

## २. प्रत्येक आवृत्ति में सूत्रों का विलोपन

### १ दिगम्बर पाठ में सूत्रों का विलोपन

२ : १९ उपयोग-स्पर्शादिषु

४ : ४२-५१ ग्रहणामेकम्/नक्षत्राणामर्धम्/तारकाणां चतुर्भाग

४ : ५३ चतुर्भागः शेषाणाम्

५ : ४२-४४ अनादिरादिमांश्च/रूपिष्वादिमान्/योगोपयोगौ  
जीवेषु

९ : ३८ उपशान्त-क्षीणकषाययोश्च

तत्त्वार्थसूत्र के कलकत्ता-संस्करण में यह निखा है कि हस्तप्रति 'के' के किनारे पर ऐसा उल्लेख है कि कुछ आचार्य सूत्र २-१९ को भाष्य का अंश मानते हैं, किन्तु सिद्धसेन ने इसे सूत्ररूप में ही स्वीकार किया है। संभवतः दिगम्बर पाठ में इसे भाष्य का अंश मानकर छोड़ दिया

गया। सूत्र ४४९-५१ और ५३ छोटे हैं जिन्हे निकाल देने पर सदर्भ में कोई कमी नहीं आती। सूत्र ५४२-४४ में परिणाम की व्याख्या दोषपूर्ण है, अतः इनका विलोपन ठीक ही है जिसका विवेचन प० सुख-लालजी ने कर ही दिया है। सूत्र ५३८ के विलोपन के सवध में तत्त्वार्थसूत्र के दिगम्बर टीकाकारों का अपना भत्त है। इस प्रकार श्वेताम्बर पाठ को दिगम्बर पाठ में साररूप से सुसमाहित किया गया है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि श्वेताम्बर पाठ मूल है और दिगम्बर पाठ में उसका परिष्कार किया गया है, क्योंकि वाद की आवृत्ति पूर्व आवृत्ति को भरिष्कृत करने के बजाय विगाड़ भी सकती है।

## २ श्वेताम्बर पाठ में सूत्रों का विलोपन

१. ४ : (४२) लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्  
६ : (२१) सम्यक्त्वं च
२. २ : (४८) तैजसमपि [ ४९ भाष्य—तैजसमपि शरीरं लविध-  
प्रत्ययं भवति ]  
२ : (५२) शेषास्त्रिवेदाः [ ५१ भाष्य—परिद्वयाच्च गम्यन्ते  
जराव्यण्ड-पोतजास्त्रिविधा भवन्ति-स्त्रियः पुर्मांसो  
नपुंसकानीति ]
- ७ : (४८) [ भावनाओं का वर्णन सूत्र ३ के भाष्य में है,  
यद्यपि दोनों पाठों में धोड़ी भिन्नता है। ]  
८ : (२६) अतोऽन्यतपापम् [ २६ भाष्य—अतोऽन्यतपापम् ]  
१० : (७) आविद्य-कुलाल - चक्रवद्यव्यपगत - लेपालाबुद्ध -  
एरण्ड-वीजवद्य-अग्नि-शिखावच्च [ १० : ७ उप-  
सहारकारिका १०-१२ और १४ में नहीं अपितु ६  
भाष्य में आत्मा के ऊर्चगमन के दूसरे एव चौथे  
कारण की अभिव्यक्ति धोड़ी उलझनपूर्ण है। ]  
१० : (८) धर्मस्तिकायाभावात् [ ६ भाष्य और उपसहार-  
कारिका २२—धर्मस्तिकायाभावात् ] शा
३. ३ : (१२-३२) [ जम्बूद्वीप का वर्णन। दिगम्बरसूत्र ( २४ )  
का भरतः षड्विशति-पञ्च-योजन-भात-विस्तारः  
षड्चैकोन-विशति-भागा योजनस्य और ( २५ )  
का तद-द्विगुण-द्विगुण-विस्तारा वर्षधर-वर्षा विदे-

हान्ताः ११ भाष्य मे इस प्रकार हैं—तत्र पञ्च योजनशतानि षड्बिंशानि षट्खैकोन-विशति-भागा भरतविष्णुम्: स द्विद्विंश्मवद्धैमवतादीनामा-विदेहेन्यः । सूत्र (२७) का भरतैरावतयोर्वृद्धिलासौ षट्समयाभ्यासुत्सप्त्यवसर्पणीन्याम् ४ : १५ भाष्य मे इस प्रकार है—ता अनुलोम-प्रतिलोमा अवसर्पण्युत्सर्पण्यो भरतैरावतेष्वनाशनन्तं परिवर्त्तसेऽहो-रात्रवद् । ]

#### ४. ५ : (२६) सद्ब्रह्म-रक्षणम्

प्रथम वर्ग के सूत्र छोटे हैं, इसलिए उनके विलोपन से सदर्थ मे कभी नहीं आती । द्वितीय वर्ग के सभी दिगम्बर सूत्र भाष्य में उपलब्ध हैं, यहाँ तक कि कुछ तो शब्दशः हैं । भावनाओं के वर्णन से पूर्व सूत्र ७ : ३ ( ३ ) मे इस प्रकार उल्लेख है—तत्स्वैर्योर्यं भावनाः पञ्च पञ्च । पदार्थों ( भेदों ) के उपसेद गिनाते समय सूत्रकार यथाक्रमम् शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है 'सूत्रोक्तक्रमे के अनुसार आगे का विवेचन करना ।' सूत्र ७ : ३ ( ३ ) मे यथाक्रमम् शब्द नहीं है, अतः भावनाओं का आगे विवेचन अभिप्रेत नहीं है । इससे यह प्रतीत होता है कि दिगम्बर सूत्र ७ : ( ३ ) मूल नहीं है । इसी प्रकार सूत्र ३ : ( २ ) है जिसमें परिणित नरकों का आगे विवेचन नहीं है ।

तृतीय वर्ग के दिगम्बर सूत्र ३ : ( १२-२२ ) अर्थात् तीसरे अध्याय के ३९ सूत्रों मे से २१ श्वेताम्बर आवृत्ति में अनुपलब्ध हैं । इनमें से तीन सूत्र अर्थात् ( २४, २५, २७ ) ३ : ११ और ४ : १५ के भाष्य मे उपलब्ध हैं, यद्यपि उनमे शब्दशः साम्य नहीं है । यहाँ पर विलुप्ति सूत्रों की संख्या बहुत अधिक है, अतः श्वेताम्बर आवृत्ति मे जम्बूद्वीप का वर्णन कष्ठव-लोक की तुलना में बहुत संक्षिप्त है । इन अतिरिक्त सूत्रों में निम्नोक्त बाते समाविष्ट हैं—१. जम्बूद्वीप का वर्णन जैसे पर्वत, ह्लद, सरित् और क्षेत्रविस्तार ( १२-२६ ); २ विभिन्न क्षेत्रों मे उत्सर्पणी और अवसर्पणी के आरो मे वृद्धि और ह्लास तथा मनुष्यों की आयु ( २७-३१ ); ३ एश्वरतक्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का एक सौ नव्वेवाँ भाग ( ३२ ) । इनमे से प्रथम वर्ग के सूत्रों से जम्बूद्वीप की भौगोलिक रचना के सबध में निश्चित जानकारी प्राप्त होती है जिसका श्वेताम्बर आवृत्ति में क्षेत्रों और पर्वतों द्वारा केवल निर्देश किया गया है । द्वितीय एवं

तृनीय वर्ग के सूत्र अधिक महत्त्व के हैं। इनमें से विशेष महत्त्वपूर्ण सभी सूत्र भाष्य में उपलब्ध हैं। समग्ररूप से देखा जाए तो इन सूत्रों का अधिक महत्त्व है क्योंकि पश्चिमी परपरा की हस्तलिखित प्रतियों में इस अध्याय में इन दिगम्बर सूत्रों का अधिक समावेश हुआ है। जम्बूद्वीपसमास नामक एक अन्य प्रकरण में, जिसके रचयिता उमास्त्राति ही भाने जाते हैं, छः क्षेत्रों और छः पर्वतों का भौगोलिक वर्णन इसी क्रम से है। इसमें मध्य के कुरु और विदेह के चार क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है जिनका वर्णन द्वितीय आहिक में किया गया है। इसमें हिमवान् पर्वत के वर्णन में उसके रंग की चर्चा है [ तुलना करें—सूत्र ३ : ( १२ ) ]। तत्पश्चात् उस पर अवस्थित हृद का नाम [ तुलना करें—सूत्र ( १४ ) ], उसका विस्तार [ तुलना करें—सूत्र ( १५-१६ ) ], उसके बीच में एक योजन का पुष्टकर [ तुलना करें—सूत्र ( १७ ) ], उसमें निवास करनेवाली देवी का नाम [ तुलना करें—सूत्र ( १९ ) ], उससे प्रवहमान युग्म सरिताओं के नाम [ तुलना करें—सूत्र ( २० ) ] और उनकी दिशाओं का वर्णन है [ तुलना करें—सूत्र ( २१-२२ ) ]। प्रत्येक पर्वत के वर्णन में उसके रंग एवं 'हृदो, वैवियो और नदियों के नामों तथा नदियों की दिशाओं की निर्देश है। तत्त्वार्थसूत्र में शिखरी पर्वत को हेम रंग का कहा गया है, जब कि जम्बूद्वीपसमास में उसे तपनीय रंगवाला माना गया है। सूत्र ३ : ( १६ ) चतुर्थ आहिक में भी है—वापी कुण्ड-हृदा दशावगाहा:। इसी प्रकार सूत्र ३ : ( २६ ) और ( ३२ ) भी इस आहिक में है—मेघतरामु विषयं यः तथा रूपादि-द्विगुण-राशिगुणो हृषीप-व्यासो नवति-शत-विभक्तो भरतादिषु विजक्तमः।

उपर्युक्त विवलेषण से यह प्रतीत होता है कि दिगम्बर सूत्रों ३ : ( १२-३२ ) की रचना भाष्य और जम्बूद्वीपसमास की आधार पर की गई है। तार्किक हृष्टि से दूसरे रूप में यह भी कहा जा सकता है कि भाष्य तथा जम्बूद्वीपसमास की रचना दिगम्बर पाठ के आधार पर की गई है। श्वेताम्बर पाठ के १-३ वर्गों के सूत्रों के विलोपन के आधार पर अब तक जो विवलेषण किया गया उससे यह प्रमाणित होता है कि श्वेताम्बर पाठ मूल रूप में है, क्योंकि सूत्र-बोली में यथाक्रमम् शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। किन्तु इसके आधार पर सपूर्ण पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। सामान्य तौर से देखा जाए तो शब्दों एवं सूत्रों के विलोपन या वृद्धिकरण से किसी एक पाठ की प्रामाणिकता निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हो सकती जिससे यह कहा जा सके कि दूसरा पाठ उस

पर आधुत है। अब तक का हमारा प्रयत्न अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा है।

अब चतुर्थ वर्ग के सूत्रों की छानबीन करें। श्वेताम्बर आवृत्ति में सद्द-द्रव्य लक्षणम् ५ः ( २९ ) सूत्र नहीं है, जब कि दिग्म्बर आवृत्ति में उत्पाद-व्यय-ध्रौद्य-युक्त सत् [ २९ ( ३० ) ] के ठीक पहले यह सूत्र आया है। यही प्रश्न यह है कि सत् का यह कथन किस सदर्भ में है? इसका पुद्गल के अन्तर्गत अर्थात् सूत्र ५ • २९-३६ के सन्दर्भ में निरूपण किया गया है जिनमें से सूत्र २५-२८ और ३२-३६ में अणु-स्कन्धों का इस प्रकार वर्णन है।

अणु-स्कन्ध	$\left\{ \begin{array}{l} २५-२८ \\ २६-२७ \\ ३२-३६ \end{array} \right.$	{ २५ अणु-स्कन्ध पुद्गल के भेदों के रूप में २६-२७ अणु-स्कन्ध की उत्पत्ति ३२ स्कन्ध के चाक्षुष होने का हेतु पौदगलिक बन्ध की प्रक्रिया
------------	--	--

सत्-नित्यत्व	$\left\{ \begin{array}{l} २९ सत् की त्रिरूपात्मक व्याख्या \\ ३० नित्यत्व की व्याख्या \\ ३१ सूत्र २९-३० की युक्तियुक्ता \end{array} \right.$
--------------	---

( द्रव्य ३७-४४ गुण पर्याय-परिणाम, काल )

इन सूत्रों की समायोजना से आश्चर्य होता है कि सूत्र ५ : २९-३१ अणु-स्कन्ध के साथ वयो रखे गए हैं जब कि द्रव्य के साथ उनका मिहण करना उचित था। इस समस्या के हल के लिए इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है कि सूत्र ५ : ( २९ ) वाद में जोड़ा गया या नहीं।

सूत्र ५ : २८ के भाष्य में लिखा है—धर्मादीनि सन्तोति कर्त्त गृह्णत इति/अत्रोच्यते/लक्षणतः। इसमें स्पष्ट दल्लेख नहीं है कि द्रव्य रूप-लक्षणयुक्त है, जैसा कि सूत्र ५ • ( २९ ) की सर्वार्थसिद्धि में यत् सत् तद् द्रव्यमित्यर्थः के रूप में है। भाष्य में यह फलितार्थ है। भाष्य यह प्रति-पादित करता है कि सत् के स्वरूप के आधार पर ही इन द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। इससे अगले सूत्र की भूमिका बनती है। पदार्थों की सत्ता मिद्ध करने की यह आनुमानिक पद्धति जैन आगम की नहीं है। इसका स्रोत उमास्वाति के समये विद्यमान जैनेतर साहित्य में ढूँढ़ा चाहिए। चन्द्रानन्दकृत वैशेषिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम आह्वाक में लिखा है—सदकारणवत् तस्मित्यम् । ३ । तस्य कार्यं लिङ्गम् । २ । कारणभावाद्विकार्यभावः । ३ । अनित्यम्—इति च विशेष-प्रतिवेष भावः । ४ । महत्यनेकद्रव्यत्वात् रूपाच्चोप-

लविष्टः । ६ । अद्विष्टवत्त्वात् परमाणवनुपलविष्टः । ७ । संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग-विभागौ परत्वापरत्वे कर्म च रूपि-द्रव्य-समवायात् चाक्षु-वानि । १२ । अरूपिष्ठचाक्षुषत्वात् । १३ ।—परमाणु की सत्ता का अनुमान उसके कार्य से होता है, क्योंकि परमाणु नित्य और अचाक्षुष है। जो महत् है वह चाक्षुष होता है क्योंकि उसमें अनेक द्रव्य हैं और वह रूपी है। रूपी द्रव्य के साथ सख्या आदि विविध गुणों का जो समवाय सम्बन्ध है उसों के कारण पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। जो सत्-और कारणरहित् है उसे नित्य कहा गया है। अतः यहाँ सत्-नित्य, अणु-स्कन्ध और चाक्षुष-अचाक्षुष की समस्या उठाई गई है और वस्तुतः परमाणु-महत् के इसी सन्दर्भ में सत्सामान्य का विषय लिया गया है। दूसरे शब्दों में, सूत्र ५ : २९-३१ में सत्-नित्य सम्बन्धी जो व्याख्या है वह अणु-स्कन्ध के उत्पाद और चाक्षुषत्व को लेकर है अर्थात् पुद्गल के ही सन्दर्भ में है, न कि द्रव्य के सम्बन्ध से सत् के स्वरूप के विषय में। यदि इस प्रकार के सत् का स्वरूप सूत्रकार को अभीष्ट होता तो द्रव्य के विषय में भी यही प्रश्न उठाया जाता, जैसा कि पंचास्तिकाय में है, किन्तु यहाँ वैसा अभीष्ट नहीं था। इसलिए सद् द्रव्य-लक्षणम् सूत्र प्रस्तुत सदर्भ में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता और बाद में जोड़ा गया मालूम होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूत्र ५ : ( २९ ) तत्त्वार्थसूत्र का मूल पाठ नहीं है।

जहाँ तक दोनों आवृत्तियों में सूत्रों के विलोपन का प्रश्न है जिनका कि ऊपर चार वर्गों में विचार किया गया है, दिगम्बर पाठ इतेताम्बर पाठ से अधिक सशोधित प्रतीत होता है। यह संशोधन प्रथम वर्ग के सूत्र ५ : ४२-४४ के त्रुटिपूर्ण परिणाम-स्वरूप को हटाकर, द्वितीय वर्ग के सूत्र में भाष्य ७ : ३ की महत्वपूर्ण भावनाओं की वृद्धि करके और तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सूत्र ३ : ( १२-३२ ) एवं ५ : ( २९ ) की पूर्ति करके किया गया है जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। पश्चिमी भारत की परम्परा की हस्तलिखित प्रतियों में भी द्वितीय वर्ग के दिगम्बर सूत्र ८ : ( २६ ) एवं १० : ( ७-८ ) का प्रायः सम्मिश्रण है। यों किसी भी पाठ की मौलिकता-अमौलिकता को सिद्ध करने का निश्चित आधार केवल चतुर्थ वर्ग का सूत्र ५ . ( २९ ) ही है किंतु गोण प्रमाण के रूप में सूत्रकार की गैली भी है जो द्वितीय वर्ग के सूत्र ७ : ३ ( ३ ) और ७ . ( ४-८ ) के संबंध से जात होती है।

### ३. सूत्रगत मतभेद

निम्नोक्त आठ विषय और दो प्रकारण मुख्य मतभेद के विषय हैं, जिनका बाद में विस्तारपूर्वक विवेचन किया जाएगा। इनमें दोनों परम्पराओं की सैद्धान्तिक विषमताओं तथा तत्त्वार्थसूत्र के दोनों संस्करणों में उपलब्ध विभिन्न मतों का समावेश किया गया है। हम सर्वप्रथम दोनों संस्करणों में प्राप्त मतभेद के आठ विषयों की चर्चा करेंगे।

१. १ : ३४-३५ नय पाँच प्रकार के हैं : नैगम, सप्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द।

—आवस्सय निज्जुति १४४ से यह समर्थित है।

(३३) समभिरूढ़ और एवभूत के समाविष्ट करने पर इनकी सख्त्या सात हो जाती है।

—अनुओगदार ९५३; आवस्सय निज्जुति ७५४

सिद्धसेन विवाकर ने छः नय भी माने हैं परन्तु दोनों परंपराओं के अधिकाश विद्वान् सात नय ही मानते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता को, जिसका विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ होगा, वस्तुतः मतभेद नहीं कहा जा सकता।

२. २ : १३-१४ स्थावर तीन प्रकार के हैं : पृथ्वी, अप् और वनस्पति।

तेजस् और वायु त्रस हैं।

—ठाण ३. ३. २१५, जीवाजीवाभिगम १ २२

आदि, उत्तरज्ञयण ३६ ६०-७० आदि।

(१३) स्थावर पाँच प्रकार के हैं : पृथ्वी से वनस्पति पर्यन्त।

—ठाण ५. १. ४८८; प्रशमरति १९२

३. २ : ३१ अन्तराल-गति में जीव तीन समय तक अनाहारक रहता है।

—भगवद्भृ ७. १. २५६; सूत्रगढ़ निज्जुति १७४

(१०) दो समय तक ही रहता है।

—पञ्चवणा ११७५ अ (दीक्षित, जैन आंष्टोलाँजी, पृ० ८७)

४. २ : ४३ आहारक-शरीर चतुर्दश-पूर्वघर के होता है।

(४३) यह प्रमत्त-संयत के होता है।

—पण्णवणा २१. ५७५

यथार्थतः यह मतगेद नहीं है अपितु व्याख्यात्मक भिन्नता है। स्वेताम्बर और दिग्म्बर दोनों के अनुसार आहारक-शरीर के बल चतुर्दश-पूर्वघर के ही होता है तथा उसके प्रयोग के समय वह अनिवार्यतः प्रमत्त-संयत होता है। दोनों परंपराओं के अनुसार सभी प्रमत्त-संयत आहारक-शरीरवाले नहीं होते।

५ ४ : २ ज्योतिष्को के तेजोलेश्या होती है तथा भवनवासी एवं व्यन्तरी के चार लेश्याएँ होती हैं—कृष्ण से तेजस् तक।

—ठाण १. ७२

(२) चार लेश्याएँ तीन देव-निकायों में पायी जाती हैं—भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क ।

६. ४. ३, २० वारह कल्प ।

—आगम में १२ कल्प एकमत से मान्य हैं: पण्णवणा ५. २४३, उत्तरज्ञायण ३६ २११-१२

(३, १९) सूत्र ४ : (३) में १२ कल्प माने गए हैं किन्तु सूत्र ४ : (१९) में १६ कल्प गिनाए गए हैं। —तिलोयपण्णति ८. ११४ में ५२ कल्पों की गणना की गई है।

७. ५ : ३८ कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं।

(३९) काल भी द्रव्य है।

आगमिक परपरा में लोक का विवेचन पाँच अस्तिकायों अथवा छ. द्रव्यों के रूप में किया गया है। द्वितीय मत में काल को स्वतंत्र द्रव्य माना गया है, जैसे उत्तरज्ञायण २८ ७-८। प्रथम मत में काल को या तो पाँच अस्तिकायों से विलकूल अलग रखा गया या उसे जीव और अजीव के पर्याय के रूप में माना गया। अतएव इस विषय में कोई सैद्धान्तिक विषमता नहीं है।

८. ८ : २६ सम्यक्त्व, हास्य, रत्ति और पुरुषवेद का पुण्य-कर्मों में समावेश ।

(२५) इनका पुण्य-कर्मों में व्यवसायेश ।

सिद्धसेनगण ने इन चार कर्मों को पुण्य के अन्तर्गत रखना उचित नहीं माना है, किन्तु उन्होने ऐरो कारिकाएँ उद्घृत को हैं जिनसे दोनों मतों का समर्थन होता है ।

उपर्युक्त था । १०१ में से तीन में अर्थात् दूसरे, तीसरे और आठवें में दोनों मतों की पुष्टि आगमिक परंपरा द्वारा होती है, तीन में अर्थात् पहले, चौथे और सातवें में वास्तव में भर्तभेद नहीं है; शेष दो अर्थात् पाँचवाँ और छठा विशेष महत्त्व के नहीं हैं । दोनों परंपराओं के ग्रंथों में उपलब्ध इन विभिन्न मतों से यह निर्णय नहीं हो सकता कि कौन-सा पाठ मूल है । यहाँ भी हमें नि-शा ही होती है ।

अब हम भर्तभेद के दो प्रकारणों की छानबीन करेंगे । ये इस प्रकार है—१. पौद्गलिक बन्ध के नियम और २. परीषह । द्वितीय प्रकरण में दोनों आवृत्तियों का सूत्र अभिन्न है, जब कि प्रथम प्रकरण में सूत्रों में थोड़ी भिन्नता है ।

### १. पौद्गलिक बन्ध के नियम

सूत्र ५ : ३२-३६ (३३-३७) में पौद्गलिक बन्ध का निरूपण इस प्रकार किया गया है :

- ५ ३२ (३३) स्तिरध-रूपत्वाद्-बन्धः
- ३३ (३४) न जघन्य-गुणानाम्
- ३४ (३५) गुण सम्ये सदृशानाम्
- ३५ (३६) द्वयधिकादि-गुणानां तु
- ३६ बन्धे समाधिकौ पारिणामिकौ
- (३७) बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च

दोनों पाठों में उपर्युक्त सूत्र अभिन्न रूप में है, केवल सूत्र ३६ (३७) में थोड़ी भिन्नता है । सूत्र ५ : ३३-३५ (३४-३६), जिनमें बन्ध के नियमों का पुद्गल के सहश और विसहश दोनों प्रकार के गुणांशों को दृष्टि से निरूपण किया गया है, दोनों परंपराओं में बिना किसी पाठभेद के उपलब्ध है, किन्तु अर्थ की दृष्टि से उनकी टीकाओं में अन्तर पापा जाता है । यह अन्तर निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

गुणांश	इवेऽ टीकाएँ		दिग्गं टीकाएँ	
	सदृश	असदृश	सदृश	असदृश
१. जघन्य+जघन्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
२. जघन्य+एकाधिक	नहीं	है	नहीं	नहीं
३. जघन्य+द्वयधिक	है	है	नहीं	नहीं
४. जघन्य+त्र्यादि अधिक	है	है	नहीं	नहीं
५. जघन्येतर+सम जघन्येतर	नहीं	है	नहीं	नहीं
६. जघन्येतर+एकाधिक जघन्येतर	नहीं	है	नहीं	नहीं
७. जघन्येतर+द्वयधिक जघन्येतर	है	है	है	है
८. जघन्येतर+त्र्यादि जघन्येतर	है	है	नहीं	नहीं

अभिन्न सूत्रों के अर्थ में इतनी भिन्नता का होना आश्चर्य की बात है। सूत्र ३३-३५ ( ३४-३६ ) में प्रतिपादित पौदगलिक वन्ध के नियमों के परिदेश्य में आठों उदाहरणों में वन्ध की सम्भावना और असम्भावना की शब्देणा से यह दिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये सूत्र इवेताम्बर परम्परा-सम्मत अर्थ के अनुरूप हैं, दिग्म्बर परम्परा-सम्मत अर्थ से इनका तालिमेल नहीं खेलता। इन सूत्रों के भाष्य से सूत्रों से अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती, यद्यपि कुछ उदाहरणों के द्वारा उन्हें समझने में सहायता मिलती है। वास्तव में सूत्र ३३-३५ के लिए भाष्य की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना अर्थ स्पष्ट करने में ये स्वयं सक्षम हैं। तब प्रश्न उठता है कि दिग्म्बर टीकाओं में इन सूत्रों का इतना भिन्न अर्थ क्यों किया गया है? इसकी छानवीन सर्वार्थसिद्धि के अनुसार की जाएगी, क्योंकि राजवार्तिक और इलोकवार्तिक में पूज्यपाद से भिन्न कुछ भी नहीं कहा गया है।

पूज्यपाद ने सूत्र ५ : ( ३५ ) के सदृश शब्द का अर्थ 'तुल्य-आतीय' किया है जो इवेताम्बर परम्परा से असंगत नहीं है। 'समान-गुणांश होने पर सदृश परमाणुओं का वन्ध नहीं होता'—सूत्र ( ३५ ) का यह अर्थ निम्नोक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है :

१. असदृश दो स्त्रिग्नध+दो रूक्ष, तीन स्त्रिग्नध+तीन रूक्ष
२. सदृश दो स्त्रिग्नध+दो स्त्रिग्नध, दो रूक्ष+दो रूक्ष

यहाँ निवेदक का निकम्ब असदृश उदाहरणों पर भी लागू किया गया है जिससे सूत्र के कलन का निर्मित रूप हो जाता है। अतएव

यह प्रश्न उठता है—यद्येवं सदृश-ग्रहणं किमर्थम् ? जिसका यह उत्तर दिया गया है—गुण-वैषम्ये सदृशानाभिपि बन्ध-प्रतिपत्त्यर्थं सदृश-ग्रहणं कियते । यह उत्तर नि संदेह सूत्र ५ : ३४ के भाष्य से लिया गया है । सदृशानाम् शब्द की अस्पष्ट स्थिति को आगे छानबोन नहीं की गई है । पौदगलिक बन्ध के होने या न होने की बात सर्वार्थसिद्धि में सक्षेप में इस प्रकार है :

- |                |   |
|----------------|---|
| १. सम गुणाश    | $\left\{ \begin{array}{ll} (\text{अ}) \text{ सदृश परमाणुओं में } & (\text{नहीं}) \\ (\text{ब}) \text{ असदृश परमाणुओं में } & (\text{नहीं}) \end{array} \right.$ |
| २. विषम गुणांश | $\left\{ \begin{array}{ll} (\text{अ}) \text{ सदृश परमाणुओं में } & (\text{है}) \\ (\text{ब}) \text{ असदृश परमाणुओं में } & (\text{है}) \end{array} \right.$     |

अतिम अवस्था अर्थात् २ ( ब ) का इसमें प्रतिपादन तहीं किया गया है, किन्तु अगले सूत्र से इस प्रकार के बन्ध की सम्भावना का बोध अवश्य हो जाता है । टीकाकार स्वयं यह स्वीकार करता है कि सदृशा-नाम् शब्द का इस सदर्भ में कोई अर्थ नहीं है । वास्तव में यह अनावश्यक है क्योंकि इससे दिग्म्बर सिद्धान्त के अनुसार होनेवाले पौदगलिक बन्ध के स्वरूप के विषय में भ्रम पैदा होता है ।

सूत्र ( ३६ ) में दो गुणाश अधिक वाले परमाणुओं का बन्ध माना गया है । यहाँ द्वयधिकादि शब्द का अर्थ 'द्वयधिकता' किया गया है । इस सूत्र में अभिप्रेत बन्ध का स्वरूप पूज्यपाद की हृष्टि से इस प्रकार है :

- |          |   |
|----------|---|
| १. असदृश | $\left\{ \begin{array}{l} \text{दो स्त्रिघ्न} + \text{चार स्त्रिघ्न}, \text{ तीन स्त्रिघ्न} + \text{पाँच स्त्रिघ्न}, \\ \text{चार स्त्रिघ्न} + \text{छ. स्त्रिघ्न} ..... \\ \text{दो रूक्ष} + \text{चार रूक्ष आदि} \end{array} \right.$ |
| २ असदृश  | दो स्त्रिघ्न + चार रूक्ष आदि  |

इस प्रकार सूत्र ( ३६ ) की टीकानुसार पौदगलिक बन्ध के होने या न होने की स्थिति इस प्रकार है ।

- |                 |   |
|-----------------|---|
| १ दो गुणाश अधिक | $\left\{ \begin{array}{ll} (\text{अ}) \text{ सदृश परमाणुओं में } & (\text{है}) \\ (\text{ब}) \text{ असदृश परमाणुओं में } & (\text{है}) \end{array} \right.$     |
| २. अन्य गुणांश  | $\left\{ \begin{array}{ll} (\text{अ}) \text{ सदृश परमाणुओं में } & (\text{नहीं}) \\ (\text{ब}) \text{ असदृश परमाणुओं में } & (\text{नहीं}) \end{array} \right.$ |

सूत्र ( ३६ ) के इन नियमों द्वारा सूत्र ( ३५ ) के कथन का स्पष्टन होता है। सूत्र ( ३५ ) सर्वथा महत्त्वहीन एवं अनावश्यक है। पूज्यपाद ने दिगम्बर परम्परानुसार पौदगलिक बन्ध के नियमों को स्पष्ट करने के लिए षट्खण्डागम ५. ६ ३६ से निम्न पद्धति उद्धृत किया है :

णिद्वस्स णिद्वेण दुराधिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिएण ।

णिद्वस्स लुक्खेण हृवदि बन्धो जहुण बन्धे विसमे समे वा ॥

इस पद्धति में निम्न वार्तां समाविष्ट हैं :

१. दो गुणांश अविक वालों का बन्ध { ( अ ) सहश परमाणुओं में होता है . { ( ब ) असहश परमाणुओं में

२. इस नियम में जघन्य गुणाशवालों { ( अ ) सहश परमाणुओं में का समावेश नहीं होता है : { ( ब ) असहश परमाणुओं में

इन नियमों का, जिनमें दिगम्बर परम्परा मान्य उपर्युक्त पौदगलिक बन्ध के स्वरूप को भलीभांति स्पष्ट किया गया है, सूत्र ( ३४ ) और ( ३६ ) के साथ तालमेल है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र ( ३५ ) अनावश्यक है। चूंकि दिगम्बर हृष्टि से पौदगलिक बन्ध के लिए सूत्र ५. ( ३५ ) में प्रयुक्त गुण-साम्ये शब्द महत्त्वहीन हैं अतः सम शब्द को सूत्र ५. ३६ से निकाल देना पड़ता है जिससे सूत्र ( ३७ ) के पाठ में थोड़ा-सी भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार सूत्र ५. ( ३५ ) के सदृशानाम् शब्द का इन नियमों से कोई तालमेल नहीं है। इसीलिए सर्वार्थीसिद्धि में इस शब्द की व्याख्या इतनी उलझनपूर्ण है।

सूत्र ५. ( ३५ ) का स्वरूप त्रुटिपूर्ण होने से दिगम्बर सिद्धान्ता-नुसार पौदगलिक बन्ध के स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के बजाय भ्रान्ति उत्पन्न करता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि सर्वार्थीसिद्धि के ये सूत्र मौलिक नहीं हैं। सूत्र ( ३५ ) विना किसी विशेष विचार के अन्य सूत्रों के साथ अपना लिया गया मालूम होता है। इसीलिए द्व्यष्टिकादि शब्द का अर्थ 'द्व्यष्टिकता' किया गया प्रतीत होता है जो कि अप्रचलित और असंगत है। जहाँ 'द्व्यष्टिक' शब्द किसी ऋग को प्रश्नय देनेवाला नहीं है वहाँ उसे षट्खण्डागम के अनुकूल बना दिया गया है।

२. परोषह

९ : ११ ( ११ ) एकादश विने

**सूत्र ९ : ११ ( ११ )** 'इस प्रकार है—एकादश जिने अर्थात् जिन के ग्राहण परीषह होते हैं जो वेदनीय कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। वे हैंः क्षुत्, पिपासा, शीत, उष्ण, दश-मशक, चर्या, शव्या, वघ, रोग, तुण-स्पर्श और मल। सप्तमी के एकवचन में प्रयुक्त जिने-शब्द से यह अभिव्यक्त नहीं होता कि वह केवल सयोग-केवली के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा सयोग-केवली एवं अयोग-केवली दोनों के लिए। इस सूत्र की टीकाएं अर्थात् भाष्य और सर्वार्थसिद्धि से लेकर श्रुतसागर को वृत्ति तक सभी इस विषय में भीन हैं। भगवत्तीसूत्र C. C ३४२ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि ये ग्राहण परीषह केवलित्व की दोनों अवस्थाओं में होते हैं। अयोग-केवली, जिसका काल अतर्मुहूर्त मात्र होता है, योग से सर्वथा मुक्त होता है, अतः उसके परीषह होने की कोई सम्भावना ही नहीं। इसलिए 'जिन' शब्द केवल सयोग-केवली के लिए ही प्रयुक्त हुआ समझना चाहिए।

**सूत्र ९ : ११ ( ११ )** 'दोनों परम्पराओं में समान रूप से प्रयुक्त हुआ है। इवेताम्बर परम्परा के अनुसार सेयोग-केवली का वेदनीय कर्म उत्तमा ही प्रभावकारी हो। है जिसके कि शेष-सीन प्रकार के अधातिक कर्म, अतः इस सूत्र का इवेताम्बर मान्यता से सर्वथा मेंल है। दिनम्बर परम्परा में इस सूत्र का वही अर्थ नहीं है अपितु विपरीत अर्थ है अथवा तर्क के आधार पर सिद्धान्तरूप में यदि यह अर्थ मान लिया जाए तब भी उसमें 'उपचार' के रूप में ही यह स्वीकार किया गया है। दिनम्बर टीकाकार यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जिनके क्षुधा आदि परीषह नहीं होते क्योंकि उनके मोहनीय कर्म नहीं होता जो कि असाता-वेदनाकाला सहायक कारण है, यथापि द्रव्यरूप में वेदनीय कर्म उनमें विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों में, उनमें वेदनीय कर्म द्रव्यरूप में रहता है किन्तु भावरूप में नहीं रहता, इसलिये उनके असाता-वेदना नहीं होती। सर्वार्थसिद्धि ये इसके लिए 'उपचार' का सहास लिया गया है और इसी आधार पर सूत्र का तर्कसंगत अर्थ भी स्वीकार किया गया है—ननु च ऋहनीयोदय-सहायमाभावात् क्षुदादिवेदनाभावे परीषह-अपदे-शो न युक्तः ? सत्यमेवमेतत्—वेदनाभावेऽपि द्रव्य-कर्म-सह-भावपेक्षयत् परीषहोपचारः। क्रियते, निरवशेषनिरस्त ..... ज्ञानातिशये चिन्ता-निरोधा-भावेऽपि तत्-फल-कर्म-निर्हरण-फलपेक्षया ध्यानोपचारवत्। अन्य दिनम्बर टीकाकारो ने पूज्यपाद का ही असुखरूप-क्रिया है;। दोनों परम्पराओं में

सैद्धान्तिक भिन्नता होने के कारण ही इस सूत्र के अर्थ में मतभेद है। यह भिन्नता केवली में कवलाहार मानने और न मानने के कारण है। दिगम्बर मतानुसार यह सूत्र ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इस सूत्र में 'न' शब्द का अध्याहार करके उसका अर्थ करना चाहिए, जैसा कि सर्वार्थसिद्धि में किया गया है—अथवा—एकादश जिने 'न सत्ति' इति वाक्यवेषः कल्पनीयः, सोपस्कारत्वात् सूत्राणाम् ।

तब इस संदर्भ में 'उपचार' की सार्थकता कैसे समझी जाए? पूज्यपाद के कथनानुसार जिन के परीषह परीषह नहीं होते क्योंकि उनमें वेदनारूप परीषह का अभाव होता है। मोहनीय कर्म की अनुपस्थिति में भाववेदनीय-कर्म (असात्ता-वेदना) का उदय नहीं होता। उनमें द्रव्यवेदनीय-कर्म की सत्ता होने से उन्हें परीषह कहा जाता है। उदाहरणार्थ सूक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्न-क्रिया ध्यान नहीं हैं क्योंकि ज्ञानानिरोधरूप ध्यान का लक्षण उन पर लागू नहीं होता, किन्तु 'उपचार' से इन्हें ध्यान कहा जाता है क्योंकि इन्हें कर्म निर्हरणरूप फल प्राप्त होता है। सूक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्न-क्रिया शुक्ल ध्यान के अंतिम दो भेद हैं जो दोनों परंपराओं में मान्य हैं। अतः यदि इन्हें ध्यान के रूप में माना जाए तो इसी तर्क के आधार पर दिगम्बर मतानुसार परीषहों की स्थिति माननी ही पड़ेगी; जैसा कि पूज्यपाद ने लिखा है।

यह मान्यता कि 'शुक्लध्यान के अंतिम दो भेदों को इस आधार पर ध्यान की संज्ञा दी गई है कि इनसे कर्मों का क्षय होता है' सर्वथा सदैह पूर्ण है, क्योंकि जैन ध्यान के अतर्गत आर्त और रौद्र ध्यानों का भी समावेश है जिनसे अशुभ कर्मों का आक्षय होता है। अतएव 'उपचार' की उक्ति के लिए यहाँ क्षेत्र अवकाश नहीं है। सभवतः मोक्ष से संबंधित होने के कारण सूक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्न-क्रिया को ध्यान मात्र लिया गया है, क्योंकि अधिकांश धार्मिक सप्रदायों में ध्यान अथवा समाधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यथार्थतः सूक्ष्म-क्रिया केवल सूक्ष्म काय-योगपूर्वक होने से सयोग केवली के और तीनों प्रकार के योग से रहित होने से अयोग-केवली के ध्यानरूप नहीं होती। जो हो, उपचार-की बात असिद्ध हो जाने से सूक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्न-क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करने का टीकाकार का प्रयोजन सार्थक सिद्ध नहीं होता। अतएव किंम्बर टीकाकारों की परीषह-सम्बन्धी यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है।

उपर्युक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि मोहनीय कर्म के अभाव से जिन के भाव-वेदनीय कर्म नहीं होता। मोहनीय कर्म और वेदनीय कर्म दो अलग अलग कर्म हैं। उनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। उनकी प्रकृति एवं कार्य को मिथ्रित नहीं किया जा सकता, अन्यथा कार्मिक भेदों में विश्वस्तता उत्पन्न हो जाएगी। यदि उपर्युक्त कथन को स्वीकार किया जाए तो वही तर्क अस्य अधातिक कर्मों के विषय में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 'जिन के भाव-नोन्न कर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें तदनुरूप मोहनीय कर्म का अभाव होता है।' टीकाकार यह भी कहते हैं कि जिन के भाव-वेदनीय कर्म नहीं होता किन्तु द्रव्य-वेदनीय कर्म होता है। यह कथन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक ही कर्म का द्रव्य और भाव इन दो हृष्टिकोणों से विचार किया गया है, अतएव जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी होता ही है। अन्यथा यह तर्क अन्य अधातिक कर्मों के विषय में भी उसी प्रकार प्रयुक्त होना चाहिए। उदाहरणार्थ 'जिन के द्रव्य-ओदोरिक-शरीर-नामकर्म हैं किन्तु तत्सम्बद्ध भाव-कर्म नहीं होता।' ये सब तर्क निश्चित रूप से असंगत प्रतीत होते हैं, कारण, किसी परम्परा का कोई रूढ़ विश्वास प्रायः सैद्धान्तिक निष्कर्ष के साथ नहीं चलता, क्योंकि वह धार्मिक भावनाओं में उलझ जाता है। दिग्म्बर परम्परा में भी यह रूढ़ विश्वास ज्यों का त्यों रह गया। यह परम्परा इस तथ्य को स्वीकार न कर सकी कि जिन के भाव-वेदनीय कर्म होता है, परन्तु यह इनकार भी न कर सकी कि उसके द्रव्य-वेदनीय कर्म होता है। इसीलिए दिग्म्बर आचार्यों ने सूत्र ९-११ ( ११ ) को बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के स्वीकार कर लिया, परन्तु अपने रूढिगत विश्वास के अनुसार टीकाओं में अर्थ-सबधी संशोधन कर डाला। उन्होंने यह संशोधन 'उपचार' की पद्धति से किया ताकि इस सूत्र का मूल अर्थ बिलकुल बिगड़ न जाए। इसमें वे असफल रहे। इससे यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि सूत्र ९-११ ( ११ ) मूलरूप में दिग्म्बर परम्परा का नहीं था।

ये दो प्रकरण, जिनमें दोनों परंपराओं के सैद्धान्तिक मतभेद का समावेश है, विचाराधीन मूल पाठ की यथार्थता की सिद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। केवल इन्हीं सूत्रों की छानबीन से इस समस्या को हल करना असम्भव है। टीकाओं में इसके हल की कुजी छिपी हुई है, अतः उन्हें सुस्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के और भी

उदाहरण हो सकते हैं, तथापि मतभेद के इन उदाहरणों तथा श्वेताम्बर संस्करण में सूत्र ५ : ( २९ ) अर्थात् सद्द्वय-लक्षणम् के विलोपन से यह प्रमाणित हो जाता है कि श्वेताम्बर पाठ मूल है और दिगम्बर पाठ उससे व्युत्पन्न हुआ है। इनके अतिरिक्त सबकार की यथाक्रमम् शब्द द्वारा आगे के उपभेदात्मक सूत्र लिखने की शैली तथा 'स' सर्वनाम द्वारा हमेशा नए सूत्र प्रारम्भ करने की पद्धति जैसे कुछ छोटे प्रमाणों द्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। तब तत्त्वार्थसूत्र के तीसरे अध्याय के संशोधन का यह प्रश्न कि 'यह सामग्री भाष्य और जन्मद्वीपसमास से दिगम्बर संस्करण में ली गई अथवा दिगम्बर संस्करण से भाष्य और जन्मद्वीपसमास में ली गई' स्वतः हल हो जाता है।

—मुजुको ओहिरा



**मूल सूत्र**

## सन्दर्भ-संकेत

भा०	भाष्य में	मुद्रित सूत्र
रा०	राजवार्तिक में	,
इलो०	श्लोकवार्तिक में	,
स०	सर्वार्थसिद्धि में	,
सि०	सिद्धसेनीय टीका में	,
हा०	हारिभद्रीय टीका में	,
टि०	तत्त्वार्थ-टिप्पण ( अमुद्रित, अनेकान्त ३१ )	
रा-पा०	राजवार्तिक में निर्दिष्ट पाठान्तर	
स-पा०	सर्वार्थसिद्धि में , ,	
सि-पा०	सिद्धसेनीय वृत्ति का प्रत्यन्तर-पाठ	
सि-भा०	सिद्धसेनीय वृत्ति का भाष्य-पाठ	
सि वृ०	सिद्धसेनीय वृत्ति सम्बद्ध पाठ	
सि-वृ-पा०	सिद्धसेनीय वृत्ति में निर्दिष्ट पाठान्तर	

नृतात् रुद्धिं प्राप्तुः ॥

प्रथमोऽध्यायः

सम्परदश्चनज्ञानचारियाणि मोक्षमार्गं ॥ १ ॥ ✓  
 तत्त्वार्थंश्वानं भस्मपरदश्चनम् ॥ २ ॥ ✓  
 तद्विसर्गादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥ ✓  
 जीवाजीवात्रैववन्वयमंवरनिर्जरामोक्षात्तत्त्वम् ॥ ४ ॥ ✓  
 नामस्थापनाद्वयभावतस्तन्यासः ॥ ५ ॥  
 प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥  
 निर्देशस्त्वाभित्वसाधनाऽधिकरणस्त्यतिविधानतः ॥ ७ ॥  
 सत्संस्थाप्तेऽस्यहर्षनकालाऽन्तरभावाऽल्पबहुत्वेत्य ॥ ८ ॥  
 मतिश्रुताऽवधिमनःपैर्यायकेवलानि ज्ञानम् ॥ ९ ॥ ✓  
 तत् प्रमाणे ॥ १० ॥ ✓  
 औद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥ ✓  
 प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ ✓  
 मतिः स्मृतिः संज्ञा विन्ताऽभिनिदोष इत्यनवान्तरम् ॥ १३ ॥ ✓  
 तद्विद्विषयाऽनिनिद्विषयनिमित्तम् ॥ १४ ॥ ✓  
 अवग्रहेहोवायथारणाः ॥ १५ ॥ ✓  
 वहुवहुविधिसिप्रानिधितोसद्विद्विषयध्रुवाणां सेतगणाम् ॥ १६ ॥ ✓  
 अर्थस्य ॥ १७ ॥ ✓  
 व्यज्ञनस्याऽवग्रहः ॥ १८ ॥ ✓

१. प्राथम-हा० ।

२. मन-पर्यंय-स० रा० द्लो० ।

३. सत्र आद्ये-हा० ।

४. हासाय-भा० हा० सि० । अद्वयें के 'धसाए' तथा 'जसाय' दोनों के संगत बहा है ।

५. नि गृतानुक्तप्र०-ह० रा० ।—निगृतानुतप्र०-द्लो० ।—धिप्रनि गृतानुनप्र०-स०-सा० ।—प्रानिधितानुतप्र०-भा० गि-स० ।—धिनिधितप्र०-दि-द्लो० ।

न चक्षुरनिनिद्वयाम्याम् ॥ १९ ॥  
 श्रुतं मतिपूर्वं द्विघनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥  
 द्विविद्योऽवधिः ॥ २१ ॥  
 हैत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् ॥ २२ ॥  
 गैयोक्तनिमित्तः पद्मविकल्पः द्वोषाणाम् ॥ २३ ॥  
 अहजुविपुलमती मैनःपर्यायः ॥ २४ ॥  
 विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्विशेषः ॥ २५ ॥  
 विशुद्धिसेत्रस्वामिविषयेऽप्योऽवधिमैनःपर्याययोः ॥ २६ ॥  
 मतिशुतयोनिवन्धः सैर्वद्रव्येलवसर्वपर्ययिषु ॥ २७ ॥  
 रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥  
 तदनन्तभागे मैनःपर्यायस्य ॥ २९ ॥  
 सर्वद्रव्यपर्ययिषु केवलस्य ॥ ३० ॥  
 एकादीनि भाज्यानि युगपवेक्तिमन्नावस्तुम्यः ॥ ३१ ॥  
 मतिशुर्ताऽवधयो विपर्ययश्च ॥ ३२ ॥  
 सदसत्तोरविदोषाद् यद्वच्छोपलव्येलमत्तवत् ॥ ३३ ॥  
 तैगमसंप्रहव्यवहारजुं सूत्रशब्दां नयाः ॥ ३४ ॥  
 आदाहाम्बसे द्विविद्येही ॥ ३५ ॥

१. स०रा०स्लो० में सूत्ररूप नहीं है। स० और रा० की उत्त्यनिका में है।
२. तत्र भव—सि० ।—भवप्रत्ययोविवेदनारकाणाम्—स० रा० स्लो० ।
३. क्षपेषशमनिमित्त—स०रा० स्लो० । भाष्य में व्याख्या है—‘यथोक्तनिमित्तः क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थं ।’
४. मनःपर्यय —स० रा० स्लो० ।
५. मनःपर्ययो—स० रा० स्लो० ।
६. विवन्धः द्रव्ये—स० रा० स्लो० । १.,२० के भाष्य में उद्दृत सूत्राश में ‘सर्वं’ नहीं है।
७. मन पर्ययस्य—स० रा० स्लो० ।
८. श्रुताविमञ्चा विप—हा० ।
९. शब्दसम्भिरुद्देवम्भूता नया—स० रा० स्लो० ।
१०. यह सूत्र स० रा० स्लो०—में नहीं है—न

ग्रन्थ

द्वितीयोऽध्यायः

ओपशमिकभाष्यिको भावौ मिथश्च जीवस्य स्वतत्त्वभौद्यिकपारिणा-  
मिकौ च ॥ १ ॥

द्विनवाष्टादशैक्षिकविशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥  
सम्यक्त्वाध्यारिणे ॥ ३ ॥

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

ज्ञानाज्ञानदर्शनेदानादिलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं<sup>२</sup> सम्यक्त्व-  
चारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥

गतिकषायलङ्घमिथ्यादर्शनाज्ञानाऽसंयताऽसिद्धत्वैलेश्याश्चतुश्चतुर्स्त्रे-  
कैकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

जीवभव्याभव्यत्वादीनिं च ॥ ७ ॥

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

से द्विविधेऽष्टचतुर्भेदः ॥ ९ ॥

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

समनस्काऽमनस्काः ॥ ११ ॥

संसारिणस्त्रसस्थावराः ॥ १२ ॥

पृथिव्यस्तुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः ॥ १४ ॥

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

१ वर्णनलब्धय—स० रा० इलो० ।

२. स० रा० इलो० में ‘यथाक्रम’ नहीं है ।

३. सिद्धलेश्या—स० रा० इलो० ।

४ त्वानि च—स० रा० इलो० ।

५. सि-वृ-या० में ‘स’ नहीं है ।

६. किसी के हारा किए गए सूक्ष्म-विपर्यास की आलोचना सिद्धसेन ने की है ।

७. पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः—स० रा० इलो० ।

८. द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः—स० रा० इलो० ।

द्विविदानि ॥ १६ ॥

निवृत्युपकरणे द्वयेन्द्रियम् ॥ १७ ॥

लब्ध्युपयोगी भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

उपयोगः स्थर्जादिषु ॥ १९ ॥

स्पर्शंनरसनश्राणचक्षुःशोत्राणि ॥ २० ॥

स्पर्शंरसगन्धवर्णशब्दास्तेषौमर्थाः ॥ २१ ॥

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २२ ॥

वाक्यन्तानामेकम् ॥ २३ ॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्ठानोनामेककवृद्धानि ॥ २४ ॥

संक्लिनः समनस्कः ॥ २५ ॥

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २६ ॥

अनुष्ठेण गतिः ॥ २७ ॥

अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ ॥

विग्रहवतो च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः ॥ २९ ॥

एकसमयोऽविग्रहः ॥ ३० ॥

एकं द्वौ वाँडनाहारकः ॥ ३१ ॥

सम्मूढ़ंनगर्भोपपार्ता जन्म ॥ ३२ ॥

१. स० रा० इलो० में नहीं है। सिद्धेनें कहते हैं—‘कोई इसको सूत्र नहीं मानते और कहते हैं कि भाष्यवाक्य को ही सूत्र बना दिया गया है।’

—प० १६९।

२. तदर्थ—स० रा० इलो०। ‘तदर्थ’ ऐसा समस्तगत ठीक नहीं, इस शंका का निराकरण अकलेंक और विद्यानन्द ने किया है। दूसरी ओर श्वे० टीकाकारो ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि असमस्त पद वयो रखा गया है।

३. चन्द्रपत्यन्तानामेकम्—स० रा० इलो०।

४. सिद्धेन कहते हैं कि कोई सूत्र में ‘मनुष्य’ पद को अनार्थ समझते हैं।

५. सिद्धेन कहते हैं कि कोई इसके बाद अतीन्द्रिया के विनियन सूत्र रखते हैं।

६. एकसमयोऽविग्रहा—स० रा० इलो०।

७. द्वौ श्रीन्वा—स० रा० इलो०। सूत्रगत ‘वा’ शब्द से कोई ‘तीन’ का भी संग्रह करते थे, ऐसा हरिमद्द और सिद्धेन का कहना है।

८. पातालवस्त्रम्—स०।—पाता वस्त्र—रा० इलो०।

सचितशीतसंवृताः सेतरा मिथावैकवास्तवोनयः ॥ ३३ ॥  
 जराय्वण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥  
 नारकदेवानामुपपातः ३ ॥ ३५ ॥  
 शेषाणां शम्भूर्छन्म् ॥ ३६ ॥  
 औदारिकवैकियैऽहारकतैजसकामंणानि शरीराणि ॥ ३७ ॥  
 परं परं सूक्ष्मम् ॥ ३८ ॥  
 प्रदेशतोऽसंख्येष्युर्ण प्राप्त तैजसात् ॥ ३९ ॥  
 अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥  
 अप्रतिधाते ४ ॥ ४१ ॥  
 अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२ ॥  
 सर्वस्य ॥ ४३ ॥  
 तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्याचतुर्स्यः ॥ ४४ ॥  
 निख्यपमोगमन्त्यम् ॥ ४५ ॥  
 गर्भसम्भूर्छन्नजभाद्यम् ॥ ४६ ॥

१. जरायुजाण्डपोतजाना गर्भ —हा० । जरायुजाण्डपोतजाना गर्भ —स० रा० इलो० । रा० और इलो० ‘पोतज’ पाठ पर आपत्ति करते हैं । सिद्धसेन को यह आपत्ति ठीक नहीं भालूम होता ।

२. देवनारकाणामुपपाद —स० रा० इलो० ।

३. वैकियिका—स० रा० इलो० ।

४. सिद्धसेन का कहना है कि कोई ‘शरीराणि’ को अलग सूत्र समझते हैं ।

५. भा० में तेवा पद सूत्राश के रूप में द्या है, लेकिन भाष्यटीकाकारके के मत में यह भाष्य का अंश है ।

६. अप्रतीघात—स० रा० इलो० ।

७. देक्तिमध्याचतु—स० रा० इलो० । लेकिन टीकाओं से भालूम होता है कि एकस्य सूत्रपाठ अभिग्रेत है ।

वैक्रियमोपयातिकम् ॥ ४७ ॥

लविष्प्रत्ययं च ॥ ४८ ॥

शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं चैतुर्दशपूर्वघरस्यैव ॥ ४९ ॥

नारकसम्मूङ्गिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

न देवाः ॥ ५१ ॥

ओपयातिकैचरमदेहोत्तमपुरुखाऽसंख्येयवर्षायुषोजनपवत्यायुषः ॥ ५२ ॥

१. ओपयादिकं वैक्रियिकम्—स० रा० श्लो० ।

२. इसके बाद स० रा० श्लो० में तैजसमपि सूत्र है। आ० में तैजसमपि सूत्र के रूप में नहीं है। हा० में शुभम् “इत्थादि मूत्र के बाद यह सूत्ररूप में है। सि० में यह सूत्र क० स० प्रति का पाठान्तर है। टि० में यह स्वतंत्र सूत्र है, किन्तु अगले सूत्र के बाद है। उसका यहाँ होना टिप्पणिकार ने अनुचित माना है।

३. चतुर्वर्णपूर्वघर एड-चि० । प्रमत्संयंतस्यैव—स० रा० श्लो० । सिद्धसेन का कहना है कि कोई अकृत्स्नभृतस्याद्विभृत विशेषण और जोड़ते हैं।

४. इसके बाद स० रा० श्लो० में जोषास्त्रिवेदाः सूत्र है। इवेताम्बर पाठ में यह सूत्र नहीं है, क्योंकि इस अर्थ का भाष्यवाक्य है।

५. ओपयादिकचरमोत्तमदेहाऽस—स० रा० श्लो० ।

६. चरमदेहोत्तमदेहपु—स० रा०, रा०-पा० । सिद्धसेन का कहना है कि इस सूत्र में सूत्रकार ने ‘उत्तमपुरुष’ पद का ग्रहण नहीं किया है—ऐसा कोई मानते हैं। पूज्यपाद, अकर्लक और विद्यानन्द ‘चरम’ को ‘उत्तम’ का विशेषण समझते हैं।

# आद्योल्लोऽस्मद्द्वितीयः

## ‘तृतीयोऽव्यायः

रत्नशार्करावालुकोपद्मशूभ्रमतमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुद्धाताकाश-  
प्रतिष्ठाः सौमाधोऽधः पृथुतराः ॥ १ ॥  
तासु नरकाः ॥ २ ॥

निर्व्युभतरलेघापरिणमदेहवेदनाचिकियाः ॥ ३ ॥

परस्परोदीरितदुःखाश्र प्राकचतुर्थ्याः ॥ ४ ॥

संविलष्टासुरोदीरितदुःखाश्र प्राकचतुर्थ्याः ॥ ५ ॥

तेष्वेकत्रिसमदशसमदशाद्विषयतित्रयस्त्रिशत्सागरोपमाः सस्वानां परा  
स्थितिः ॥ ६ ॥

जम्बूदीपलवणोदयः शुभनामानो दीपसमुद्राः ॥ ७ ॥

द्विर्द्विष्टकस्माः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः ॥ ८ ॥

तन्मध्ये मेरुनामिर्वृत्तो योजनशतसहस्रविजकम्भो जम्बूदीपः ॥ ९ ॥

तत्र भरतहैमवताहरिविदेहरम्यकहैरप्यवतैरावतवर्षाः क्षेत्राणि ॥ १० ॥

तहिमाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमविषयधनीलखिमविषयरिणो  
बैर्बधरपर्वताः ॥ ११ ॥

१. इसके विप्रह मे सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगम्य पाठ की चर्चा सुवर्धि-  
सिद्धि में है ।
२. पृथुतराः स० रा० श्लो० में नहीं । अकलङ्क पृथुतराः पाठ को अनाव-  
श्यक भानते हैं । इस सूत्र के बाद टि० में घर्मा वंशा शैलाजना रिष्टा  
माधव्या माधवीति च सूत्र है ।
३. तासुत्रिशत्पञ्चविषयतिपञ्चवदशत्रिपञ्चवोनेकनरकशतसहस्राणि पञ्च चैव  
यथाकम्भ—स० रा० श्लो० । इस सूत्र में सन्त्वित गणना भाष्य में है ।
४. तेषु नरका नित्या—सि० । नारका नित्या—स० रा० श्लो० ।
५. इवणोदादय—स० रा० श्लो० ।
६. ‘तत्र’ टि० स० रा० श्लो० में नहीं है ।
७. संशाधरपर्वता—सि० ।
८. सिद्धेन का कहना है कि इस सूत्र के बाद तत्र पञ्च इत्यादि भाष्यवाक्य



# टेवलो कु

## चतुर्थोऽध्यायः

देवाश्चतुर्णिकायाः ॥ १ ॥

तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥

दशाष्टपंचद्वादशविकल्पाः कल्पोपपश्चपर्यन्ताः ॥ ३ ॥

हृद्रसममनिकत्रयस्त्रिवशप्त्वांत्मरक्षलोकपालानीकमनीर्णकमि -

योग्यकिञ्चिष्ठिकाब्रैकदाः ॥ ४ ॥

त्रायांलिङ्गलोकपालवज्यां<sup>५</sup> व्यन्तरज्योतिष्ठाः ॥ ५ ॥

पूर्वयोद्विन्द्रियाः ॥ ६ ॥

पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥

कायप्रबीचारा आ-ऐशानात् ॥ ८ ॥

शेषाः स्पर्शरूपशब्दमनःप्रबीचाराद्व्योद्विष्योः ॥ ९ ॥

परेऽप्रबीचाराः ॥ १० ॥

भवनन्नासिन्नेऽसुरत्वमपविद्युत्सुषणामिन्नवातस्तमितेदधिद्वीप-

दिवकुमाराः ॥ ११ ॥

व्यन्तराः किञ्चरकिपुरुषमहोरगर्गान्वर्वर्षप्रक्षराक्षसंगृह्यपिश्चाचाः ॥ १२ ॥

१. देवाश्चतुर्णिकाया:-स० रा० इलो० ।

२. आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या स० रा० इलो० । ऐसे—विवेचन,  
प० ९५, दि० १ ।

३. पारिषदा—स० रा० इलो० ।

४. —शलोक—स० ।

५. वर्ण-सिं० ।

६. यह सूत्र स० रा० इलो० में नहीं है ।

७. द्व्योद्विष्योः स० रा० इलो० में नहीं है । इन पदों को सूत्र में रखने  
के विषय में किसी की शंका का समाधान करते हुए अकलज्ञ कहते हैं  
कि येसा करना बार्ष-विरोध है ।

८. गव्यर्व-हा० स० रा० इलो० ।

ज्योतिष्काः सूर्याच्छन्दमसो<sup>१</sup> ग्रहनकशत्रपैकीणंतारकाश्च ॥ १३ ॥

मेरुग्रदक्षिणा नित्यगतयो नूलोके ॥ १४ ॥

तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥

बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥

वैमानिकाः ॥ १७ ॥

कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च ॥ १८ ॥

उपर्युपरि ॥ १९ ॥

सौधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रज्ञहालोकलान्तप्रमहाशुक्सहस्रारेष्वानत-  
प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवंवसु गैवेयकेतु विजयवैजयन्तजयन्ताऽपरा-  
जितेषु सर्वार्णसिद्धेषु च ॥ २० ॥

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥ २१ ॥

गतिशारीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः ॥ २२ ॥

पीतपद्मशुकललेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २३ ॥

प्राग्यैवेयकेभ्यः कल्पाः ॥ २४ ॥

ज्ञहालोकालयां लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥

सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगर्दत्तोयतुयिनाव्यावाघर्मस्तोऽरिष्टाश्च ॥ २६ ॥

विजयादिषु द्विचरमाः ॥ २७ ॥

१. —सूर्याच्छन्दमसो—स० रा० एलो० ।

२. —प्रकीणंकता—स० रा० एलो० ।

३. —ताराश्च—हा० ।

४. —माहेन्द्रदह्नाज्ञहोतरलान्तयकापिठशुक्खमहाशुक्रशतारसहस्रा—स० रा०  
एलो० । इलो० में सतार पाठ है । दिग्म्बर परम्परा के भी प्राचीन  
ग्रन्थों में वारह कल्पों का कथन है । देखें—जैन जगत, वर्ष ४, अक ६,  
पृ० २०३, अनेकात, वर्ष ५, अक १०-११, पृ० ३४२ ।

५. —सिद्धो च—स० रा० एलो० ।

६. टि० में इसके बाद उच्छ्वासाहारवैद्यनोपपातानुभावतश्च साम्याः  
सूत्र है ।

७. पीतमिश्रपदमभिशुकललेश्या द्विद्विष्टुष्टु गैवेविति—रा-पा० ।

८. —श्या लीका—स० रा० एलो०; सि-पा० ।

९. —वयावासारिष्टाइष—स० रा० एलो० । देखें— विवेचन, पृ० १०८,  
टि० १ ।

औपपाति॑कमनुष्येभ्यः शेषास्तर्यग्योनयः ॥ २८ ॥  
 स्थितिः॒ ॥ २९ ॥  
 भवनेषु दक्षिणार्थाधिपतीनां पल्योपममध्यधर्म् ॥ ३० ॥  
 शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥  
 असुरेन्द्र्योः सागरोपममधिकं च ॥ ३२ ॥  
 सौषमादिषु यथाक्रमम्॑ ॥ ३३ ॥  
 सागरोपमे ॥ ३४ ॥  
 अधिके च ॥ ३५ ॥  
 सप्त सानत्कुमारे॑ ॥ ३६ ॥  
 विशेषत्रिसप्तदशैकावशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च॑ ॥ ३७ ॥  
 आरण्याच्युताद्वाद्यमैकैकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे॒  
 च ॥ ३८ ॥  
 अपरा पल्योपममधिकं च ॥ ३९ ॥  
 सागरोपमे॑ ॥ ४० ॥  
 अधिके च ॥ ४१ ॥  
 परतः परतः पूर्वा पूर्वजनन्तरा ॥ ४२ ॥  
 नारकाणां च छितोयादिषु ॥ ४३ ॥  
 दशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् ॥ ४४ ॥  
 भवनेषु च ॥ ४५ ॥  
 व्यन्तराणां च ॥ ४६ ॥

१. -पादिक-स० रा० एलो० ।

२. इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए स्थितिरसुरनागसुपर्णहीपशेषाणा सागरोपमत्रिपल्योपमाद्वैहीनमिता-यह एक ही सूत्र स० रा० एलो० में है । एवें० द्विं० दोनों परंपराओं में भवनपति की उल्काष्ट स्थिति के विषय में मतभेद है ।

३. इस सूत्र से ३५वें सूत्र तक के लिए एक ही सूत्र सौषमांशानयो-सागरोपमे अधिके च स० रा० एलो० में है । दोनों परंपराओं में स्थिति के परिमाण में भी अन्तर है । देखें-प्रस्तुत सूत्रों की टोकाएं ।

४. सानत्कुमारमाहेन्द्र्यो सप्त-स० रा० एलो० ।

५. त्रिसप्तनवैकावशार्पचशभिरधिकानि तु-स० रा० एलो० ।

६. सिद्धी च-स० रा० एलो० ।

७. यह और इसके बाद का सूत्र स० रा० एलो० में नहीं है ।

परा पत्त्योपमम् ॥ ४७ ॥  
 ज्योतिषकाणामधिकम् ॥ ४८ ॥  
 प्रहाणामेकम् ॥ ४९ ॥  
 नक्षत्राणामधम् ॥ ५० ॥  
 तारकाणां चतुर्भागः ॥ ५१ ॥  
 जघन्या त्वष्टभागः ॥ ५२ ॥  
 चतुर्भागः शेषाणाम् ॥ ५३ ॥



१. परा पत्त्योपममधिकम्—स० रा० इलो० ।

२. ज्योतिषकाणा च—स० रा० इलो० ।

३. यह और ५०, ५१ सूत्र स० रा० इलो० में नहीं हैं ।

४. तदृष्टभागोऽपरा—स० रा० इलो० । ज्योतिष्कों की स्थिति विषयक जो नूत्र दिग्म्बर पाठ में नहीं है उन सूत्रों के विषय की पूर्ति राजवांशिकान्तरा ने इसी सूत्र के वार्तिकों में की है ।

५. स० रा० इलो० में नहीं है । स० और रा० में एक और अतिम सूत्र—लौकान्तिकनामस्त्रै-सायरोपमार्णि सर्वेषास्—४२ है, जो इलो० में नहीं है ।

## ॐ जीवं (सत्त्वं ब्रह्मं इति एवं) १५

### पञ्चमोऽध्यायः

अजीवकाया घर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

द्रव्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ३ ॥

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ४ ॥

आऽऽकाशादेकद्रव्याणि ॥ ५ ॥

निक्षिपाणि च ॥ ६ ॥

असङ्ख्येयाः प्रदेशा घर्माधर्ममयः ॥ ७ ॥

जीवस्यै ॥ ८ ॥

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

सङ्ख्येयाऽसङ्ख्येयाश्च पुद्ग्राङ्गानाम् ॥ १० ॥

१. स० रा० छ०० में इस एक सूत्र के स्थान पर द्रव्याणि व जीवाश्च ये दो सूत्र हैं। सिद्धसेन कहते हैं—‘कोई इस सूत्र को उपर्युक्त प्रकार से दो सूत्र बनाकर पढ़ते हैं जो ठीक नहीं हैं।’

अकल्पक के सामने भी किसी ने शब्दा उठाई है—द्रव्याणि जीव ऐसा ‘च’ रखिए एक सूत्र ही रखों नहीं रखते?’ विद्यानन्द का कहना है कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ही दो सूत्र बनाए गए हैं।

२. सिद्धसेन कहते हैं—‘कोई इस सूत्र को त्रोटकर नित्यावस्थितानि एवं अरूपाणि ये दो सूत्र बनाते हैं।’ नित्यावस्थितान्यरूपाणि पाठान्तर भी उन्होंने वृत्ति में दिया है। नित्यावस्थितान्यरूपाणि ऐसे एक और पाठ का भी उन्होंने निर्देश किया है। ‘कोई नित्यपद को अवस्थित का विशेषण समझते हैं?’ ऐसा भी वे कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या के भतान्तरों के लिए मिद्धसेनोय वृत्ति द्रष्टव्य है।

३. देखें—विवेचन, पृ० ११५, टिं० १।

४. —घर्माधर्मक्लीबनाम्—स० रा० छ००।

५. स० रा० छ०० में यह पृथक् सूत्र नहीं है। मिद्धसेन ने पृथक् द्रष्टव्य रखने के कारण का स्पष्टीकरण किया है।

नाणोः ॥ ११ ॥

लोकाकाशेऽवगाहः ॥ १२ ॥

धर्मधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

असङ्गत्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

प्रदेशसंहारविसर्गम्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

गतिस्त्वित्युपग्रहोऽधर्मधर्मयोरूपकारः ॥ १७ ॥

भाकाशस्थावगाहः ॥ १८ ॥

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १९ ॥

मुखद्वा॒खजीवित्तमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

वर्तना परिणामः किंया॑ परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

शब्दद्वन्धसौक्ष्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायाऽऽतपोदद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

सङ्घातमेवेभ्ये उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

भेदादणुः ॥ २७ ॥

भेदसङ्घाताभ्यां चाक्षुयोः ॥ २८ ॥

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ २९ ॥

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३० ॥

१. —विसर्ग—म० रा० इलो० ।

२. —पश्चौ—सि० स० रा० इलो० । अकलक ने हिवचन का भग्नर्थन किया है । देखें—विवेचन, प० १२३, टि० १ ।

३. वर्तनापरिणामकिया धर—स० । वर्तनापरिणामकिया पर—रा० ।

४. भेदसंघातेभ्य च—स० रा० इलो० ।

५. —चाक्षुय.—स० रा० इलो० । जिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ में विसर्ग का भरभेद बतलाते हैं ।

६. इस सूत्र से पहले स० और इलो० में सद् व्रव्यसंक्षणम् सूत्र है । लेकिन रा० में ऐसा अलग सूत्र नहीं है, उसमें तो यह बात उत्थानिका में ही कही गई है । भाष्य में उसका भावकथन है ।

अपितानर्पितसिद्धे<sup>१</sup> ॥ ३१ ॥  
 स्त्नगधरुक्षत्वाद्बन्धः ॥ ३२ ॥  
 न जघन्यगुणानाम्<sup>२</sup> ॥ ३३ ॥  
 गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३४ ॥  
 द्वचधिकादिगुणानां तु ॥ ३५ ॥  
 बन्धे समाधिकौ परिणामिकौ<sup>३</sup> ॥ ३६ ॥  
 गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ॥ ३७ ॥  
 कालश्चेत्येके<sup>४</sup> ॥ ३८ ॥  
 सोऽनन्तसमयः ॥ ३९ ॥  
 द्रव्याश्रया निरुणा गुणाः ॥ ४० ॥  
 तद्ग्रावः परिणामः ॥ ४१ ॥  
 अनादिरादिमांश्च<sup>५</sup> ॥ ४२ ॥  
 रूपिष्वादिमान् ॥ ४३ ॥  
 योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥

१. इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है। हरिभद्र सबसे निराला ही अर्थ करते हैं। हरिभद्र की व्याख्या का सिद्धसेन ने मतान्तररूप में निर्देश किया है।

२. बन्ध की प्रक्रिया में स्वेऽ दिं० मतभेद के लिए देखें—विवेचन, पृ० १३९।

३. बन्धेधिकौ परिणामिकौ—स० इलो०। रा० में सूत्र के अन्त में 'क' है। अकलेक ने समाधिकौ पद का खण्डन किया है।

४. देखें—विवेचन, पृ० १४४, टि० १। कालश्च—स० रा० इलो०।

५. ये अन्तिम तीनो सूत्र स० रा० इलो० में नहीं हैं। राजवातिकार ने भाष्य के मत का खण्डन किया है। विस्तार के लिए देखें—विवेचन, पृ० १४६-१४७। टि० में इसके पहले स द्विविध सूत्र हैं।

## कुरुक्षेत्र-

### षष्ठोऽध्यायः

कायवाड्सनःकर्म योगः ॥ १ ॥

स आत्मवः ॥ २ ॥

शुभः पृथ्यस्यै ॥ ३ ॥

अशुभः पापस्यै ॥ ४ ॥

सकायाकाशाययोः साम्परायिकेर्यापिथयोः ॥ ५ ॥

अव्रतकाषायेन्द्रियक्रियाः<sup>३</sup> पञ्चचतुःपञ्चपञ्चावशर्तिसङ्ख्याः पूर्वस्य  
भेदाः ॥ ६ ॥

तीव्रमन्दजाताजातभावेवीर्याऽधिकरणक्षिदेष्यस्तद्विशेषः ॥ ७ ॥

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ८ ॥

आद्यं संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारित्यनुभवत्यायविकैर्येत्तिलिङ्गि -  
लिङ्गत्वत्त्रैकशः ॥ ९ ॥

निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रभेदाः परम् ॥ १० ॥

तत्प्रदोषनिह्लवमात्सर्यान्तरायासावनोपघाता ज्ञानवर्णनावरणयोः ॥ ११ ॥

दुःखशोकतापक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभृत्यसद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

भूतवत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः<sup>४</sup> क्षान्तिः शौचमिति  
सद्वेद्यस्य ॥ १३ ॥

१. देवेन—विवेचन, पृ० १४३, टि० १ ।

२. यह सूत्ररूप में हा० में नहीं है । लेकिन शेष पारम् सूत्र है । सि० में  
अशुभः पापस्य सूत्ररूप में छाना है, लेकिन टीका से मालूम होता है कि  
यह भाष्य-भाष्य है ।

३. इन्द्रियकायाक्रान्तक्रिया—हा० सि० टि०; स० रा० फ्लो० । भाष्यमान्य  
पाठ में अव्रत ही पहले है । सूत्र की टीका करते समय सिद्धेन के  
सामने इन्द्रिय पाठ प्रथम है । किन्तु सूत्र के भाष्य में अव्रत पाठ प्रथम  
है । सिद्धेन को जब सूत्र और भाष्य की यह असंगति ज्ञात हुई तो  
उन्होने इसे दूर करने की कौशिका भी की ।

४. अर्थात् शिकरणवीर्यंविदो—स० रा० फ्ली० ।

५. भूतभैरव्यनुकंपादानसंरागसंयमादियोगः—स० रा० फ्लो० ।

केवलिष्ठुतसङ्घमदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ॥ १४ ॥  
 कषायोदयातीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्य ॥ १५ ॥  
 बह्वारम्भपरिग्रहत्वं चै नारकस्यायुषः ॥ १६ ॥  
 माया तैर्यग्नेनस्य ॥ १७ ॥  
 अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमार्दवार्जवं च मानुषस्य ॥ १८ ॥  
 निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥  
 सरागसंयमसंयमाकामनिजरावालतपासि दैवस्य ॥ २० ॥  
 योगवक्ता विसंवादादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१ ॥  
 विपर्यीतं शुभस्य ॥ २२ ॥  
 दर्शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वन्तिरारोऽभीक्षणं<sup>१</sup> ज्ञानोपयोग-  
 संवेगो शक्तिस्त्यगतं पसी सङ्घं साधुसमाधिवैयावृत्यकरणमहंशावाय-  
 वहुषुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्व-  
 मिति<sup>२</sup> तीर्थकृत्वस्य ॥ २३ ॥  
 परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदगुणोऽच्छादनोदभावने च नीचैर्गोत्रस्य ॥ २४ ॥  
 तद्विषयं यो नीचैर्वृत्यनुत्सेको चोत्तरस्य ॥ २५ ॥  
 विष्वकरणमन्तरायस्य ॥ २६ ॥



१. -सीद्रपरि-स० रा० क्लो० ।
- २ स० रा० क्लो० में 'च' नहीं है ।
- ३ इसके स्थान पर अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य और स्वभावमार्दव च  
ये दो सूत्र दिगम्बर परंपरा में हैं । एक ही सूत्र क्षयों नहीं बनाया गया,  
इस शाका का समाधान भी दिगम्बर टीकाकारों ने किया है ।
४. देखें—विवेचन, पृ० १५७, टिं० १ ।
- ५ देखें—विवेचन, पृ० १५७, टिं० २ ।
६. इसके बाद टिं० में सम्बन्धत्वं च सूत्र है ।
७. तार्हिष-स० रा० क्लो० ।
८. भीक्षणज्ञा-स० रा० क्लो० ।
- ९ स० रा० क्लो० में 'सङ्घ' नहीं है ।
१०. तीर्थकृत्वस्य-स० रा० क्लो० ।
११. —गुणच्छा-स० । गुणच्छा-स० क्लो० ।

द्रृत

सप्तमोऽध्यायः

हिंसाऽनुतस्तेयाऽप्नाहृपरिप्रहेभ्यो विरतिर्वतम् ॥ १ ॥  
देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

तत्त्वथैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्चे ॥ ३ ॥

हिंसादिष्वहासुत्र धौपायावद्यदर्शनम् ॥ ४ ॥

दुःखमेव वौ ॥ ५ ॥

मैत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिककिलश्यमानाविनेयेषु ॥६॥  
जगत्कायस्वभावौ चै सचेगवैराग्यार्थम् ॥ ७ ॥

प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ८ ॥

असदभिधानमनुतम् ॥ ९ ॥

अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १० ॥

मैथुनमन्तर्हृष्ट ॥ ११ ॥

१. -पञ्च पञ्चशा सि-दृ-पा० । अकलंक के सामने पञ्चशः पाठ होने की आशंका को गई है । इस सूत्र के बाद वाङ्मनोगुप्तीर्थादाननिक्षेपण-समित्यालोकितपानमोजनानि पञ्च ॥४॥ कोघलोभभीरुवहास्यप्रत्या-स्थानान्यनुवीचिभावण च पञ्च ॥५॥ शून्यागारविमोचितावासपरोप-रोधाकरणभैक्ष ( क्ष्य-रा० ) शुद्धिसहर्मा ( सधर्मा-श्लो० ) विसंवा० पञ्च ॥६॥ स्त्रीरागकथाश्ववणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरण-वृल्येष्टरसस्वशारीरसस्फारत्यागा पञ्च ॥७॥ मनोजामनोजेन्नियविषयरा-गहोषवज्जनानि पञ्च ॥८॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० श्लो० में हैं जिनका भाव इसी सूत्र के भाव्य में है ।

२. -मुत्रापाया-स० रा० श्लो० ।

३. खिद्दसेन कहते हैं कि इसी सूत्र के व्याधिप्रतीकारत्वात् कडूपरिगतत्वा-च्चाक्षर्य तथा परिप्रहेष्वप्राप्तप्राप्ततन्मेषु काङ्क्षाशोंको प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे वाऽवितुष्टि इन भाव्यवाक्यों को कोई दो सूत्र मानते हैं ।

४. -माष्टस्थानि च स-स० रा० श्लो० ।

५. स० रा० श्लो० में 'च' के स्थान में 'वा' है ।

मूर्च्छी परिप्रहः ॥ १२ ॥  
 निःशल्यो वती ॥ १३ ॥  
 अगार्यनगारश ॥ १४ ॥  
 अणुवतोऽगारी ॥ १५ ॥  
 दिवेशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौष्ट्रोपवासोपभोगपरिभोगैष्टि-  
 माणाऽतिथिसविभागवतसम्पन्नश्च ॥ १६ ॥  
 मारणान्तिकी॑ सलेखना जोषिता ॥ १७ ॥  
 शङ्खाकाङ्क्षाविचकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंत्तवाः सम्यग्दृष्टेरति॒-  
 चाराः ॥ १८ ॥  
 वतशीलेषु पञ्च घथा नम् ॥ १९ ॥  
 बन्धवघच्छिर्विष्वेदातिभारारोपणाशपाननिरोधाः ॥ २० ॥  
 मिथ्योपदेशरहृस्याभ्याल्यानकूटलेखकियान्यासापहारसाकारमन्त्र-  
 भेदाः ॥ २१ ॥  
 स्तेनप्रयोगतदाहृतावानविरह्वराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रति-  
 रूपकव्यवहारा ॥ २२ ॥  
 परविवाहकरणेत्वर्तपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्गक्रीडातोऽक्रामा-  
 भिनिवेशाः॑ ॥ २३ ॥

- १ प्रोयधो—स० रा० इलो० ।
  - २ भोगातिथि—भा० । सिद्धसेन-वृत्ति में भी इस सूत्र के भाव्य में परिमाण  
शब्द नहीं है । देखें—प० १३. प० १२ ।
  - ३ देखें—विवेचन प० १८१, टि० १ ।
  - ४ सलेखना—स० रा० इलो० ।
  ५. रत्तीचारा—भा० सि०, रा० इलो० ।
  - ६ —वधच्छेदाति—स० रा० इलो० ।
  - ७ रहोस्या—स० रा० इलो० ।
  - ८ —त्वरिकापार—स० रा० इलो० ।
  - ९ —डाकामतीदानि—स० रा० इलो० ।
  १०. इस सूत्र के स्थान पर कोई परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृही-  
तागमनानङ्गक्रीडातीदकामाभिनिवेशा॑ ( शा ) सूत्र यानते हैं, ऐसा  
सिद्धसेन का कहना है । यह सूत्र दिगम्बर पाठ से कुछ-कुछ मिलता है ।  
देखें—ऊपर की टिप्पणी ।
- कुछ लोग इसी सूत्र का पदविच्छेद परविवाहकरणं इत्वरिका-
- ९

क्षेत्रवास्तुहिरप्यसुवर्णघनधान्यदासोदासकुप्यप्रमाणातिक्षमः ॥ २४ ॥  
 कर्धर्वाधिस्तिर्यग्व्यतिकमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तधनीनि ॥ २५ ॥  
 आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षणाः ॥ २६ ॥  
 कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्षयाचिकरणोपभोगौषिकत्वानि ॥ २७ ॥  
 योगदुष्टिर्णिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ ॥  
 अप्रत्यैवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादाननिर्क्षेपसंस्तारोपक्षमणानादरस्मृत्यनुप-  
 स्थापनानि ॥ २९ ॥  
 सचित्तसम्बद्धैसंभिधाभिषवदुष्पक्वाहाराः ॥ ३० ॥  
 सचित्तनिक्षेपैपिवानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रममाः<sup>१२</sup> ॥ ३१ ॥  
 जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदान<sup>१३</sup> करणानि ॥ ३२ ॥  
 अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गो वानम् ॥ ३३ ॥  
 विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः ॥ ३४ ॥

गमनं परिगृहीतापरिगृहीतागमन अनङ्गकोडातीव नमाभिनिवेश करते हैं, ऐसा सिद्धेन कहते हैं। इस प्रकार पदच्छेद करने वाला इत्वरिका पद का अर्थ करना भी सिद्धेन को मान्य नहीं है।

१. -स्मृत्यन्तराधानानि-स० रा० इल०० ।
२. किसी के मत से आनायन पाठ है, ऐसा सिद्धेन कहते हैं।
३. -पुद्गलप्रक्षेप-भा० हा० । हा० वृत्ति में तो पुद्गलप्रक्षेप ही पाठ है। सि-व० में पुद्गलप्रक्षेप.पाठ है।
४. -कौकुच्य-भा० हा० ।
५. -करणोपभोगपरिमोगानर्यव्याप्ति-स० रा० इल०० ।
६. स्मृत्यनुपस्थानानि-स० रा० इल०० ।
७. अप्रत्युपेक्षि-हा० ।
८. -वानसंस्तरो-स० रा० इल०० ।
९. -स्मृत्यनुपस्थानानि-स० रा० इल०० ।
१०. -सम्बन्ध-स० रा० इल०० ।
११. -स्नेयापिष्ठान-स० रा० इल०० ।
१२. टि० में यह सूत्र नहीं है।
१३. -निशानानि-स० रा० इल०० ।

छान्दो ।

अष्टमोऽध्यायः

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रभावकथायपेता बन्धहृतवः ॥ १ ॥

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते ॥ २ ॥

स बन्धः ॥ ३ ॥

प्रकृतिस्थित्यन्त्यभौवप्रवेशास्तद्विघ्यः ॥ ४ ॥

याद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयागुण्डकैनाभगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥

पञ्चनवद्वयाविशिष्टत्वं द्विप्रथर्वारिशाद्विपञ्चमेद्वा यथाक्रमम् ॥ ६ ॥

मत्यादीनाम् ॥ ७ ॥

चक्षुरचक्षुरविकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यान-  
गृद्विवेदनोयानि च ॥ ८ ॥

सदसद्वेद्ये ॥ ९ ॥

दर्शनचारित्रमोहनीयकथायपेवनीयास्यात्त्रिद्विषोङ्गशनवभेदाः

१. यह सूत्र स० रा० इलो० में दूसरे सूत्र के अन्त में ही समाहित है ।

२. -स्यनुभव-स० रा० इलो० ।

३. -नीयागुण्डमि-स० रा० इलो० ।

४. -मेदो-रा० ।

५. भरि अूतावविमल-पर्यंयकेवलानाम्-स० रा० इलो० । किन्तु यह पाठ सिद्ध-  
सेन के अपार्यक मालूम होता है । अकलङ्क और विद्यानन्द द्वे० परंपरा-  
सम्भूत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते हैं ।

६. -स्यानगृद्विसि० । सि-भा० का पाठ 'स्यानगृद्वि' भालूम होता है  
बयोकि सिद्धसेन कहते हैं—स्यानगृद्विरिति चा पाठ ।

७. -स्यानगृद्वयक्ष-स० रा० इलो० । सिद्धसेन ने वेदनीय पद का समर्थन  
किया है ।

८. दर्शनचारित्रमोहनीयकथायपेवनीयास्यात्त्रिद्विनवयोङ्गशमेवाः  
सम्यक्षमिथ्यात्यतदुभयाग्यकथाथ वायो हास्परत्यरतिशोकभयलगुप्ता-  
स्त्रीपुत्रपुंसकवेदा अनन्तानुवन्यप्रत्याहयानग्रथ्यानसज्जवलनविकल्पाइ-  
चैकदः क्षोषमानमायासोभाः—स० रा० इलो० ।

सम्यक्त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्तामुबन्ध्यप्रत्याख्यान-

प्रत्याख्यानावरणसञ्चलनविकल्पादचैकशः ज्ञोघमानमायालोभा हास्य-

रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपूनपूंसकबेदौः ॥ १० ॥

नारकतैर्यंग्योनमानुषदेवानि ॥ ११ ॥

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गं निर्माणवन्धनसङ्घातसंस्थानसंहननस्पर्वारस -

गन्धवरणन्तुपूर्व्यंगुरुलधूपधातपराधातातपोद्योतोचछ्वासविहायोगतयः

प्रत्येकशरीरत्रसुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरादेयवशासि सेतराणि  
तीर्थकृत्वं च ॥ १२ ॥

उच्चैर्नैर्चैश्च ॥ १३ ॥

दानादीनाम् ॥ १४ ॥

आदितस्त्वंसृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचः परा  
स्थितिः ॥ १५ ॥

समतिर्मोहनीयस्य ॥ १६ ॥

नामगोत्रयोविशतिः<sup>५</sup> ॥ १७ ॥

ऋथस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुष्कस्य<sup>६</sup> ॥ १८ ॥

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १९ ॥

नामगोत्रयोरस्त्रौ ॥ २० ॥

शेषाणामन्तर्मुहूर्तम्<sup>७</sup> ॥ २१ ॥

१. किसी को यह इतना लम्बा सूत्र नहीं जैवता, इसका पूर्वचार्य ने जो  
उत्तर दिया है वही सिद्धेन ने उद्घृत किया है—

दुर्ब्यस्त्वानो गरीयाश्च मोहो भवति वन्धन ।

न तत्र लाघवादिष्ट सूत्रकारेण दुर्बचम् ॥

- २ —नुपूर्व्याणु—स० रा० इलो० । सि व० में आनुपूर्व्यं पाठ है । अन्य  
के मत से सिद्धेन ने आनुपूर्वीं पाठ बताया है । दोनों के मत से सूत्र  
का भिन्न-भिन्न रूप भी उन्होंने दर्शाया है ।

३ —देयवशस्त्री ( श की ) तिसेतराणि तीर्थकरत्व च—स० रा० इलो० ।

४ दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम्—स० रा० इलो० ।

५. —विशतिनमिगोत्रयो—स० रा० इलो० ।

६. —प्रयाण्युष स० रा० इलो० ।

७. —मुहूर्ता—स० रा० इलो० ।

विषाकोऽनुभावः ॥ २२ ॥

स यथात्मास ॥ २३ ॥

ततश्च निर्जरा ॥ २४ ॥

नामप्रत्ययः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैकमेत्रावगाढ़स्थिताः सर्वात्म-  
प्रदेवोष्ठवनन्तानन्तप्रदेवाः ॥ २५ ॥

सद्गुणसम्प्रकृत्वहस्त्यरतिपुरुषवेदज्ञुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २६ ॥

---

१. —तुम्हाः—स० रा० इलो० ।

२. —शगाहस्त्रि—स० रा० इचो० ।

३. दैत्येः—विवेचन, पृ० २०५, टिं० १ । इसके स्थान पर स० रा० इलो०  
में दो सूत्र हैं—सद्गुणसम्प्रकृत्वहस्त्यरतिपुरुषवेदज्ञुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् तथा प्रतोऽस्थृत् पापम् ।  
दूसरे सूत्र को अन्य टीकाकारों ने भाष्य-अंश माना है ।

# संवर-तिर्ता-

## नवमोऽध्यायः

आत्मनिरोद्धः संवरः ॥ १ ॥

स गुप्तिसमितिषमानुप्रेक्षापापरीषहजयथारित्रः ॥ २ ॥

तपसा विर्जरा च ॥ ३ ॥

सम्पूर्णोगनिप्राहो शुभिः ॥ ४ ॥

ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

उत्तमः क्षमामार्दवार्जवशोच्चसत्यसंयमतपस्त्यगाकिञ्चन्यसाहुचर्याणि  
वर्णः ॥ ६ ॥

अनित्याशारणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचिंत्वासंवरनिर्जरालोकबोधि-  
दुर्लभसंस्वाल्प्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

शाराञ्जित्यवननिर्जरार्थं परिसोद्देष्याः परीषहाः ॥ ८ ॥

कुत्पिपासाशीतोर्लोकवंशमवकानागन्यारतिलोकर्यानिषद्वाक्याकोशावध-  
याक्षनाइलाभरोगतृणस्वर्णमलसत्कारपुरस्काराग्रज्ञाक्षानोदर्शनानि ॥ ९ ॥

सूक्ष्मसम्प्यरायच्छ्रद्धस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

एकादशैँ जिने ॥ ११ ॥

वादरसम्परये॑ सर्वे ॥ १२ ॥

शानावरणे प्रज्ञालाने ॥ १३ ॥

१. उत्तमक्ष-स० रा० फ्ल० ।

२. -गुणात्मक-स० रा० फ्ल० ।

३. अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुवेक्षितव्या इत्यर्थः । अपरे अनुप्रेक्षा-  
शालमेकवचनान्तमधीयते ।-सिन्० ।

४. देखें—विवेचन, पृ० २१३, टिं० १ ।

५. -प्रज्ञालानसम्परयानि-हा० ।

६. -साम्यराय-स० रा० फ्ल० ।

७. देखें—विवेचन, पृ० २१६, टिं० १ ।

८. देखें—विवेचन, पृ० २१६, टिं० २ ।

दशंनलोहान्तराययोरदशंनलान्त्रे ॥ १४ ॥  
 वारित्रमोहे नाम्यारतिखीनिषदाक्षोशयाचनासत्त्वारपुरस्काराः ॥ १५ ॥  
 देवनीये जीवाः ॥ १६ ॥  
 एकादयो भाज्या युगपदेकोनैविशतेः ॥ १७ ॥  
 सामायिकच्छेदोपस्थाप्यैपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसम्पैराय-  
 यथाल्यातानिै वारित्रम् ॥ १८ ॥  
 अनशनादमोदैर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्षणाय्यासनकाय-  
 पलेशा बाहुं तपः ॥ १९ ॥  
 प्रायविश्वविनयवैयाकृत्यस्थाव्यायव्युत्सर्गव्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥  
 नवचतुर्दशपञ्चद्विदेवं यैथाक्षमं प्राग्यानात् ॥ २१ ॥  
 आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गंतपदेवपरिहारो-  
 पस्थापनानिै ॥ २२ ॥  
 ज्ञानदर्शनवारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ >  
 आचार्योपाय्यायतपस्त्विद्वौर्क्षकलानगणकुलसङ्कृत्यादु-  
 संमनोकानाम् ॥ २४ ॥  
 वाचनाप्रच्छनानुग्रेकान्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥  
 वाह्यान्यत्तरोपध्योः ॥ २६ ॥

१. —देवकाल्विशते—हा० । —युगपदेकस्मिन्नकाल्विशते—स० । युगपदेक-  
स्मिन्नेकोनैविशते—रा० श्लो० ।
२. —पस्थापनापरि— स० रा० श्लो० ।
३. सूक्ष्मसम्पैराययथाल्यातमिति—स० रा० श्लो० । राजवार्तिककार  
को अथाल्यत पाठ इष्ट मालूम होता है क्योंकि उन्होंने यथाल्यात  
को विकल्प में रखा है। सिद्धसेन को भी अथाल्यात पाठ इष्ट है।  
देखें—विवेचन, पृ० २१८ ।
४. केवित् विविक्षनपदमेव सूक्ष्मवीपते—सि-म० ।
५. —मोदर्य—स० रा० श्लो० ।
६. —द्विमेवा—स० श्लो० ।
७. —स्थापना—स० रा० श्लो० ।
८. —वैक्षणा—स० । वैक्षणा—रा० श्लो० ।
९. —षुमनोकानाम्—स० रा० श्लो० ।

उत्तमसंहननस्यैकाप्रक्रियानिरोधो ध्यानम् ॥ २७ ॥  
 कामुकतर्ति ॥ २८ ॥  
 वातर्तोद्वयमेशुक्लानि ॥ २९ ॥  
 परे मोक्षहेतु ॥ ३० ॥  
 आर्तममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३१ ॥  
 वेदेनायात्रा ॥ ३२ ॥  
 विपरीतं मनोज्ञानाम् ॥ ३३ ॥  
 निवानं च ॥ ३४ ॥  
 तद्विरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३५ ॥  
 हिसाज्ञतस्त्वेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३६ ॥  
 आज्ञाऽपायविधाकसंस्थानविचयाय धैर्यमप्रमत्तसंयतस्य ॥ ३७ ॥  
 उपशान्तक्षीणकषाययोश्च ॥ ३८ ॥  
 शुक्ले चाये पूर्वविदः ॥ ३९ ॥

१. स० रा० इलो० में ध्यानमान्तमुङ्गतर्ति है, अतः २८वाँ सूत्र उनमें अलग नहीं है। देखें—विवेचन, पृ० २२२, टिं० २।
२. —धर्म्य—स० रा० इलो० ।
३. —नोज्ञास्य—स० रा० इलो० ।
४. यह सूत्र स० रा० इलो० में विपरीतं मनोज्ञानाम् के बाद है अर्थात् उनके मतानुसार यह ध्यान का द्वितीय नहीं, तृतीय भेद है।
५. मनोज्ञास्य—स० रा० इलो० ।
६. —धर्म्यम्—हा० । —धर्म्यम्—स० रा० इलो० । दिग्म्बर सूत्रपाठ में स्वामी का विषान करनेवाला अप्रमत्तसंयतस्य अंश नहीं है। इतना ही नहीं, वस्त्रि इसके बाद का उपशान्तक्षीण सूत्र भी नहीं है। स्वामी का विषान सर्वार्थिसिद्धि में है। उसे लक्ष्य में रखकर अकलक ने ११० परंपरासम्मत सूत्रपाठ विषयक स्वामी के विषान का सृणन भी किया है। उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है। देखें—विवेचन, पृ० २२६-२७।
७. देखें—विवेचन, पृ० २२७, टिं० १। पूर्वविद् अंश भा० हा० में न तो इस सूत्र के अंश के रूप में है और न अलग सूत्र के रूप में। सिं० में अलग सूत्र के रूप में है, लेकिन टीकाकार की दृष्टि में यह मिल नहीं है। दिग्म्बर टीकाओं में इसी सूत्र के अंश के रूप में है।

परे केवलिनः ॥ ४० ॥  
 पृथस्त्वैकत्ववितक्सुहमक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तीनि ॥ ४१ ॥  
 तत्रयेककाययोगायोगानाम् ॥ ४२ ॥  
 एकाभ्यये सवितके पूर्वे ॥ ४३ ॥  
 अैविचारं हितीयम् ॥ ४४ ॥  
 वितकः श्रुतम् ॥ ४५ ॥  
 दिव्यारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः ॥ ४६ ॥  
 सम्यगद्विष्णवकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशमकोपशान्त-  
 मोहक्षपकशीणमोहजिनाः क्रमवोऽसंडख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४७ ॥  
 पुलाकब्रह्मकुशीलनिर्गन्थस्नातका निर्गन्थ्याः ॥ ४८ ॥  
 संवदभृतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपयोतस्थानविकल्पतः  
 साध्याः ॥ ४९ ॥

>

●

१. निवर्त्तीनि हाँ सिं; स० रा० इलो०। स० को प्रत्यन्तर का पाठ निवृत्तीनि भी है।
२. -तर्कविचारे पूर्वे-स०। -तर्कविचारे पूर्वे-रा० इलो०।
३. संपादक की आन्ति ने यह सूचि सिं में अलग नहीं है। रा० और इलो० में अदीशारं धाठ है।
४. -पादस्या -स० रा० इलो०-

# स्मोक्ष

## वशमोऽध्यायः

मोहसयाज्ञानवर्णनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् ॥ १ ॥

वन्द्यहेत्यभावनिर्जरान्म्योम् ॥ २ ॥

कुत्सकर्मसोक्षः ॥ ३ ॥

औपक्रिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्पत्त्वानवर्णन-  
सिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

तदनन्तरमूर्च्छ गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

पूर्वश्योगादसङ्गत्वाद्बन्धक्षेत्रादागतिपरिणामाच्च तदगैतिः ॥ ६ ॥


केत्रकालगतिलङ्घनीर्चारित्रप्रत्येकमुद्धोषितशानावगाहनान्तर-  
सद्व्याल्पवहृत्वतः साध्याः ॥ ७ ॥

१. -म्यां कुत्सकर्मविप्रसोक्षो मोक्षः-स० रा० इलो० ।

२. इसके स्थान पर स० रा० इलो० में औपक्रिकादिभव्यत्वाना य और  
अन्यत्र केवलसम्पत्त्वानवर्णनसिद्धत्वेभ्यः ये दो सूत्र हैं ।

३. तदगैतिः पद स० रा० इलो० में नहीं है और इस सूत्र के बाद उनमें  
आविद्यकुलालचक्रवद्यपगतलेपालात्मुवदेरण्डवीजपदविनिश्चिकावच्च और  
धर्मास्तिकायाभावात् ये दो सूत्र और हैं जिनका मन्त्रव्य भाष्य में ही  
आ आता है । टि० में इसके बाद धर्मास्तिकायाभावात् सूत्र है ।

## **विवेकन**



: १ :

ज्ञान



संसार में अनन्त प्राणी है और वे सभी सुख के अभिलायों हैं + यद्यपि सब की सुख की कल्पना एक सी नहीं है तथापि विकास की न्यूनाधिकता के अनुसार संक्षेप में प्राणियों के तथा उनके सुख के दो वर्ग किये जा सकते हैं । पहले वर्ग में अल्प विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों तक ही सीमित है । दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं जो बाह्य अर्थात् भौतिक साधनों की प्राप्ति में सुख न मानकर आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति में सुख मानते हैं । दोनों वर्गों के माने हुए सुख में यही अन्तर है कि पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाधीन । पराधीन सुख को काम और स्वाधीन सुख को मोक्ष कहते हैं । काम और मोक्ष—दो ही पुरुषार्थ हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है । पुरुषार्थों में अर्थ और धर्म की गणना मुख्य साध्यरूप से नहीं किन्तु काम और मोक्ष के साधन के रूप में है । अर्थ काम का और धर्म मोक्ष का प्रधान साधन है । प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष है । इसलिए उसी के साधनभूत धर्म की तीन विभागों में विभक्त करके शास्त्रकार प्रथम सूत्र में उनका निर्देश करते हैं—

### सम्यगदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः । १ ।

सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्र—ये तीनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं ।

इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का मात्र नामनिर्देश है । उनके स्वरूप और भेदों का वर्णन आगे विस्तार से किया जानेवाला है । फिर भी यहाँ संक्षेप में स्वरूपविधयक सकेत किया जा रहा है ।

मोक्ष का स्वरूप—वन्ध और वन्ध के कारणों के अभाव से होनेवाला परिपूर्ण आत्मिक विकास मोक्ष है अर्थात् ज्ञान और बीतरागमात्र की पराकाष्ठा ही मोक्ष है ।

**साधनों का स्वरूप—**जिस गुण अर्थात् शक्ति के विकास से उत्तम अर्थात् सत्य की प्रतीति हो, अथवा जिससे हेय ( छोड़ने योग्य ) एवं उपादेय ( भ्रह्म करने योग्य ) उत्तम के यथार्थ विवेक की अभिवच्चि हो वह सम्पददर्शन है। नय और प्रमाण<sup>१</sup> से होनेवाला जीव आदि तत्त्वों का यथार्थ जीव सम्पदज्ञान है। सम्बन्धानपूर्वक काषायिक भाव अर्थात् रागद्वेष और योग<sup>२</sup> की निवृत्ति से होनेवाला स्वरूप रमण सम्बन्धारित<sup>३</sup> है।

**साधनों का साहचर्य—**जैव वर्जने सीढ़ों साधन परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं तभी सम्पूर्ण भौक्त सम्भव है, अन्यथा नहीं। एक भी साधन के अपूर्ण रहने पर परिपूर्ण भौक्त नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, सम्पददर्शन और सम्बन्धान परिपूर्ण रूप में प्राप्त ही जाने पर भी सम्बन्धारित की अपूर्णता<sup>४</sup> के कारण तेरहवें गुणस्थान में पूर्ण भौक्त अर्थात् अंशोररसिद्धि या विदेहमुक्ति नहीं होती और चौदहवें गुणस्थान में शैलेशी-अवस्थारूप<sup>५</sup> पूर्ण चारित्र के प्राप्त होते ही सीढ़ों साधनों की परिपूर्णता से पूर्ण भौक्त हो जाता है।

**साहचर्य-नियम—**उक्त तीनों साधनों में से पहले दो अर्थात् सम्पददर्शन और सम्बन्धान अवस्था संहचारी<sup>६</sup> होते हैं।

१. जैव शान राष्ट्र में उत्तारा जाता है अर्थात् जिसमें उद्देश्य और विषेय रूप से वस्तु संसित होती है वह शान 'न्य' है और जिसमें उद्देश्य-विषेय के विभाग के बिना ही अर्थात् अविभक्त उसका सम्पूर्ण या कुसम्पूर्ण यथार्थ आन हो वह शान 'प्रमाण' है। विषेय-स्पष्टीकरण के लिय देखें—अध्याय १, संख ६; स्यामावतार, छोक २६-३० का उल्लंघनी अनुवाद।

२. योग अर्थात् मानसिक, प्राणिक और कायिक क्रिया।

३. हिंसादि दोषों का स्वाग और अंहिंसादि भयानकों का अनुहान सम्बन्धारित कहलाता है योगोंके उसके द्वारा रागद्वेष की निवृत्ति की जाती है एवं इससे दोषों का स्वाग और भयानकों का पालन स्वतं सिद्ध होता है।

४. यथपि तेरहवें गुणस्थान में बीतरागभावरूप चारित्र तो पूर्ण ही है स्थापि वार्ता चीतरागता और अयोगता—इन दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर ही अपूर्णता कही गई है। ऐसा पूर्ण चारित्र चौदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है और त्रुट्ट द्वारा अशोररसिद्धि होती है।

५. आत्मा की एक ऐसी अवस्था जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण ये स्वदृष्टि निष्पत्ति व निश्चलता आती है, शैलेशी अवस्था है। विषेय स्पष्टीकरण के लिय देखें—हिंदू द्विसरा कर्मग्रन्थ, पृष्ठ ३०।

६. एक ऐसा भी पक्ष है जो दर्शन और शान के अवदयम्भावी साहचर्य को न मानकर वैकल्पिक साहचर्य को मानता है। उसके भत्तातुसार की दर्शनकाल में शान नहीं भी

जैसे सूर्य की उछिता और प्रकाश एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही सम्पर्ददर्शन और सम्पर्जन एक-दूसरे के बिना नहीं रहते, पर सम्यक्चारित्र के साथ उनका साहचर्य अवश्यम्भावी नहीं है, क्योंकि सम्यक्चारित्र के बिना भी कुछ काल तक सम्पर्ददर्शन और सम्पर्जन रहते हैं। फिर भी उत्कान्ति (विकास) के क्रमानुसार सम्यक्चारित्र का यह नियम है कि जब वह प्राप्त होता है तब उसके पूर्ववर्ती सम्पर्ददर्शन आदि दो साधन अवश्य होते हैं।

प्रश्न—यदि आत्मिक गुणों का विकास ही मोक्ष है और सम्पर्ददर्शन आदि उसके साधन भी आत्मा के विशिष्ट गुणों का विकास ही है, तो फिर मोक्ष और उसके साधन में क्या अन्तर हुआ?

उत्तर—कुछ नहीं।

प्रश्न—यदि अन्तर नहीं है तो मोक्ष साध्य और सम्पर्ददर्शन आदि उसके साधन—यह साध्य-साधनभाव कैसे? क्योंकि साध्य-साधनसम्बन्ध मिल वस्तुओं में देखा जाता है।

उत्तर—साधक-अवस्था की अपेक्षा से मोक्ष और, रत्नत्रय का साध्य-साधन-भाव कहा गया है, सिद्ध-अवस्था की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि साधक का साध्य परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रयरूप मोक्ष होता है और उसकी प्राप्ति रत्नत्रय के क्रमिक विकास से ही होती है। यह शास्त्र साधक के लिए है, सिद्ध के लिए नहीं। अतः इसमें साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन के ग्रेद का ही कथन है।

प्रश्न—संसार में तो धन-कलन-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रत्यक्ष होती जाती है, फिर उसे छोड़कर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यों?

उत्तर—मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमें सच्चा सुख मिलता है। संसार में जो सुख मिलता है वह सच्चा सुख नहीं, सुखाभास है।

प्रश्न—मोक्ष में सच्चा सुख और संसार में सुखाभास कैसे है?

उत्तर—सासारिक सुख इच्छा की पूर्ति से होता है। इच्छा का स्वभाव है

होता। सात्त्वय यह के कि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर भी देव-नारक-तिर्यक्त्र को तथा कुछ मनुष्यों को विशिष्ट श्रुतज्ञान अर्थात् आचाराकादि अक्षमप्रविष्ट-विषयक ज्ञान नहीं होता। इस भृत के अनुभार दर्शन के समय ज्ञान न पाने का मतलब विशिष्ट श्रुतज्ञान न पाने में है। परन्तु दर्शन और ज्ञान की अवश्य सहचारी माननेवाले पक्ष का आशय यह है कि दर्शन-प्राप्ति के पहले लीब में जो मति आदि अहान होता है वही सम्पर्दशीर्ण की ज्ञप्ति या मिथ्या-दर्शन की निवृत्ति से सम्यक् रूप में परिणत हो जाता है और वह मति आदि ज्ञान कहलाता है। इस भृत के अनुभार जो और जितना विशेष बोध सम्यनत्व-प्राप्ति-काल में ही वही मन्यग्नान है, विशिष्ट अनुमान नहीं।

कि एक इच्छा पूरी होते-न-होते दूसरी सैकड़ों इच्छाएँ उत्तरान हो जाती हैं। उन सब इच्छाओं की तृतीय सम्भव नहीं, अगर हो भी तो फिर तब तक हजारों इच्छाएँ और पैदा हो जाती हैं जिनका पूर्ण होना सम्भव नहीं। अतएव सासार में इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलड़े से अपूर्ण इच्छाजन्य दुख का पलड़ा भारी ही रहता है। इसीलिए उसमें सुखाभास कहा गया है। मोक्ष की स्थिति ऐसी है कि उसमें इच्छाओं का ही अभाव हो जाता है और स्वाभाविक सतीष प्रकट जोता है। इसलिए उसमें सतीषजन्य सुख ही सुख है। यही सच्चा सुख है। १।

### सम्यग्दर्शन का लक्षण

तत्त्वार्थशब्दानं सम्यग्दर्शनम् । २ ।

यथार्थ रूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि सम्यग्दर्शन है।

सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु

तत्त्वार्थशब्दानं सम्यग्दर्शनम् । ३ ।

वह ( सम्यग्दर्शन ) ऐसर्ग अर्थात् परिणाम मात्र से अथवा अधिगम अर्थात् उपदेशादि वाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है।

जगत् के पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने की रुचि सासारिक और आध्यात्मिक—दोनों प्रकार की महत्वाकाङ्क्षा से होती है। इन, प्रतिष्ठा आदि सासारिक वासना के कारण जो तत्त्व-जिजासा होती है वह सम्यग्दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम मोक्ष नहीं, सासार होता है। परन्तु तत्त्वनिश्चय की जो रुचि मात्र आत्मिक तृतीय के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए होती है वही सम्यग्दर्शन है।

निश्चय और व्यवहार सम्बन्ध—आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेयमात्र को तात्त्विक रूप में जानने की, हेतु को त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने की रुचि के रूप में एक प्रकार का जो आत्मिक परिणाम है वही निश्चय सम्बन्ध है। उस रुचि से होनेवाली धर्मतत्त्वनिष्ठा व्यवहार सम्बन्ध है।

सम्बन्ध के लिङ्ग—सम्यग्दर्शन की पहचान करनेवाले लिंग पाँच हैं—प्रश्नम, संवेद, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य। १. तत्त्वों के असत् पक्षपात से होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम प्रशम है। २. सासारिक बन्धनों का भय संवेद है। ३. विषयों में आसक्ति का कम होना निर्वेद है। ४ दुखी प्राणियों का दुख द्वार करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५ आत्मा आदि पर्गेश किन्तु युक्तिप्रमाण से सिद्ध पदार्थों का स्वीकार आस्तिक्य है।

ऐतिहासिक—सम्यग्दर्शन के घोष्य आध्यात्मिक उत्कलित होते ही सम्यग्दर्शन का

आविभाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविभाव में बाहु निमित्त की अपेक्षा रहती है और किसी को नहीं। एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से शिल्प आदि कोई कला सीख लेता है और दूसरा विना किसी की मदद के अपने-आप सीख लेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर भी बाहु निमित्त की अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुन मूळ में सम्यग्दर्शन के निर्सर्ग-सम्यग्दर्शन और अधिगम-सम्यग्दर्शन ये दो भेद किये गये हैं। बाहु निमित्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिमा आदि धार्मिक वस्तु के अवलोकन से सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है, कोई गुरु का उपदेश सुनकर, कोई शास्त्र पढ़-सुनकर और कोई सत्संग के हारा।

**उत्पत्ति-क्रम<sup>१</sup>**—अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह-तरह के दुखों का अनुभव करते-करते योग्य आत्मा में कमी अपूर्व परिणामशुद्धि हो जाती है। इस परिणामशुद्धि को अपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरण से रागद्वेष की वह तीव्रता मिट जाती है जो तात्त्विक पक्षपात (सत्य का आश्रुह) में वाघक है। राग-द्वेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाती है। यह आध्यात्मिक जागरण ही सम्बन्ध है। २-३।

### तात्त्विक अर्थों का नाम-निर्देश

#### जीवाजीवास्तवबन्धसंबंदरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्<sup>२</sup> । ४ ।

जीव, अजीव, आस्तव, बन्ध, संबंद, निर्जरा और मोक्ष—ये तत्त्व हैं।

बहुत-से ग्रन्थों में पुण्य और पाप को मिलाकर नी तत्त्व कहे गये हैं, परन्तु यहाँ पुण्य और पाप दोनों का आस्तव या बन्धतत्त्व में समावेश करके सात तत्त्व ही कहे गये हैं। अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना चाहिए—पुण्य-पाप दोनों द्वय और भाव रूप से दो-दो प्रकार के हैं। शुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपुण्य और अशुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपाप हैं। इसलिए द्रव्यरूप पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तर्भूत है, क्योंकि आत्मसम्बद्ध कर्मपुद्गल या आत्मा और कर्मपुद्गल का सम्बन्ध-विशेष ही द्रव्य-बन्ध तत्त्व है। द्रव्य-पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जो भावपुण्य है और द्रव्यपाप का कारण अशुभ अध्यवसाय जो भावपाप है—दोनों ही बन्धतत्त्व में

१. उत्पत्ति-क्रम की स्पष्टता के लिए देखिए—हिन्दी दूसरा कर्मग्रन्थ, १० ७ तथा चौथा कर्मग्रन्थ, प्रस्तावना, ४० २३।

२. चौदर्दशीन में जो दुख, समुद्र, निरोध और मार्ग ये चार आर्यतत्त्व हैं, साढ़े तथा योगदर्शन में जो हेतु, हेयहेतु, हान और हानीपाय यह चतुर्थू है, जिसे न्यायदर्शन में अर्थपद कहा है, उनके स्थान में आस्तव से लेकर मोक्ष तक के पांच तत्त्व जैनदर्शन में प्रसिद्ध हैं।

अन्तर्भूत है, व्योक्ति बन्ध का कारणभूत काषायिक अध्यवसाय (परिकाम) है भीषणबन्ध है।

**प्रश्न**—आंख से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव-अजीव की तरह स्वतन्त्र हैं और न अनादि-अनन्त। वे तो यथासम्भव जीव या अजीव की अवस्था-विशेष ही है। अत. चूँहे जीव-अजीव के साथ तत्त्वरूप से क्यों गिना गया?

**प्रत्यक्ष**—प्रस्तुतिस्थिति यही है अर्थात् यहाँ तत्त्व शब्द का अर्थ अनादि-अनन्त और स्वतन्त्र भाव नहीं है किन्तु मोक्ष-प्राप्ति में उपयोगी होनेवाला ज्ञेय-भाव है। प्रस्तुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मोक्ष होने से मोक्ष के जिज्ञासुओं के लिए जिन वस्तुओं का ज्ञान अस्यन्त आवश्यक है वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्वरूप में वर्णित हैं। मोक्ष तो मुख्य साध्य हो जाता है, इसलिए उसको सथा उसके कारण को जानेवाला ज्ञानार्थी में मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो जाती रहती है। इसी तरह मुमुक्षु मोक्ष के विरोधी तत्त्व का और उसके कारण का स्वरूप न जाने स्थी भी वह अपने पथ में अस्वलित प्रवृत्ति नहीं कर सकता। मुमुक्षु को सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि अगर मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ तो मुझमें पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किस-किसमें है और किसमें नहीं है। इसी ज्ञान की पूर्ति के लिए सात तत्त्वों का कथन है। जीव-तत्त्व के कथन का अर्थ है मोक्ष का अधिकारी। अजीव-तत्त्व से यह सूचित किया गया कि जंगत में एक ऐसा भी तत्त्व है जो जड़ होने से मोक्षार्थी के उपदेश का अधिकारी नहीं है। बाह्य-तत्त्व से मोक्ष का विरोधी भाव और आसन-तत्त्व से उच्च विरोधी भाव का कारण निर्दिष्ट किया गया। सवर-तत्त्व से मोक्ष का कारण और निर्बर्ता-तत्त्व से मोक्ष का क्रम सूचित किया गया है। ४।

### निकेपो का नामनिर्देश

नामस्थापनाक्रियभावतस्तन्यासः । ५ ।

नाम, स्थापना, प्रव्य और भावरूप से उनका अर्थात् सम्यगदर्शन आदि और जीव वादि का न्यास अर्थात् निकेप या विभाग होता है।

समस्त व्यक्तिहार या ज्ञान के लेन-देन का मुख्य सामूहन भाषा है। भाषा शब्दों से बनती है। एक ही शब्द प्रयोजन या प्रस्तुत के अनुसार अनेक अर्थों में मुकुट छोड़ा है। प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थ गिलते हैं। वे ही चार अर्थ उस शब्द के अर्थ-सामान्य के धार विभाग हैं। ये विभाग ही निकेप या न्यास कहलाते हैं। इनको ज्ञान लेने से वक्ता का तात्पर्य समझने में संतरलता होती है। इसीलिए प्रस्तुत सूत में चार अर्थनिक्षेप बतलाये गये हैं जिससे यह पृष्ठकरण स्थृत कर

से हो सके कि भोक्ता-मार्गरूप से सम्प्रदर्शन आदि अर्थ और तत्त्वरूप से जीवाजीवादि अर्थ अमुक प्रकार का छेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं। वे चार निषेप ये हैं : १. जो अर्थ व्युत्पत्ति-सिद्ध नहीं है, मात्र माता, पिता या अन्य लोगों के सकेत से जाना जाता है वह नामनिषेप है; जैसे, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें सेवक-योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम सेवक रख दिया है । २. जो बस्तु असली बस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या चित्र हो अर्थात् जिसमें असली बस्तु का आरोप किया गया हो वह स्थापना-निषेप है, जैसे, किसी सेवक का चित्र-या मूर्ति । ३. जो अर्थ भावनिसेप का पूर्वरूप या उत्तररूप हो अर्थात् उसकी पूर्व या उत्तर अवस्थारूप हो वह इन्वनिषेप है; जैसे, एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में सेवाकार्य नहीं करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या आगे करने वाला है । ४ जिस अर्थ में शब्द की व्युत्पत्ति<sup>१</sup>या प्रवृत्ति-निषित ग्रीक-ठोक घटित हो वह भावनिसेप है, जैसे, एक ऐसा व्यक्ति जो सेवक योग्य कार्य करता है ।

सम्प्रदर्शन आदि भोक्तमार्ग के बीच जीव-अजीवादि<sup>२</sup> तत्त्वों के भी चार-चार निषेप हो सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप ही शाहू हैं । ५ ।

१. संक्षेप में नाम दो तरह के होते हैं—यांगिक और रूढ़ । रसौद्या, मुनार, इत्यादि यांगिक शब्द हैं । गाय, बौद्ध इत्यादि रूढ़ शब्द हैं । रसौर्द बनानेवालों रसौद्या और सुवर्ण का काम करनेवाला मुनार । यहाँ रसौर्द और सुवर्ण का काम करने की क्रिया ही रसौद्या और मुनार शब्दों की व्युत्पत्ति का निर्मित है । अर्थात् ये शब्द ऐसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और इसीलिए वह क्रिया ऐसे शब्दों की व्युत्पत्ति का निर्मित कही जाती है । यदि यही वात संस्कृत शब्दों पर लागू करनी जौऽत्रौः पाचक, जुन्माकार आदि शब्दों में क्रमशः पाक-क्रिया और घट-निर्माण की क्रिया की व्युत्पत्ति-निर्मित समझना चाहिए । सारांश यह है कि यांगिक शब्दों में व्युत्पत्ति का निर्मित ही उनकी प्रवृत्ति का निर्मित बनता है । लेकिन रूढ़ शब्द व्युत्पत्ति के आचार पर व्यवहृत नहीं होते, रूढ़ के अनुसार उनका अर्थ होता है । गाय ( गौ ), बौद्ध ( अश ) आदि शब्दों की जोड़ खास व्युत्पत्ति नहीं होती, लेकिन यदि कोई किसी प्रकार कर ले तो भी उनमें उनका व्यवहार तो रूढ़ि के अनुसार ही होता है, व्युत्पत्ति के अनुसार नहीं । अमुक-अमुक प्रकार की माङ्गति-जाति ही गाय, बौद्ध आदि रूढ़ शब्दों के व्यवहार का निर्मित है । अतः उस माङ्गति-जाति को वैष्ण शब्दों का व्युत्पत्ति-निर्मित नहीं लेकिन प्रवृत्ति निर्मित ही कहा जाता है ।

जहाँ यांगिक शब्द ( विषेषरूप ) हो वही व्युत्पत्ति-निर्मितवाले अर्थ की माक-निषेप और जहाँ रूढ़ शब्द ( जाति-नाम ) हो वैष्ण प्रवृत्ति-निर्मितवाले जैसे की माक-निषेप समझना चाहिए ।

तत्त्वों को जानने के उपाय  
प्रमाणनयेरविगमः । ६ ।

प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है ।

नय और प्रमाण का अन्तर—नय और प्रमाण दोनों ही ज्ञान है, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि नय वस्तु के एक अंश का वौषथ करता है और प्रमाण अनेक अंशों का । वस्तु में अनेक धर्म होते हैं । किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु का निष्प्रय करना, जैसे नित्यत्व-धर्म द्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्य है' ऐसा निष्प्रय करना नय है । अनेक घटों द्वारा वस्तु का अनेक रूप से निष्प्रय करना, जैसे नित्यत्व, अनित्यत्व आदि घटोंद्वारा 'आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्यानित्य आदि अनेक रूप हैं' ऐसा निष्प्रय करना प्रमाण है । दूसरे शब्दों में, नय प्रमाणों का एक अंश मात्र है और प्रमाण अनेक नयों का समूह है, नय वस्तु को एक दृष्टि से ग्रहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से । ६ ।

तत्त्वों के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणा-द्वारों<sup>१</sup> का निदेश  
निर्देशस्त्वाभिस्त्वसाधनाद्यिकरणस्थितिविषयानतः । ७ ।

सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शानकालाऽन्तरभावाऽल्पबहुत्वैश । ८ ।

निदेश, स्वामित्व, साधन, अधिकारण, स्थिति और विधान से; तथा सत्, स्वस्था, क्षेत्र, स्पर्शान, काल, अन्तर, भाव और अल्प-बहुत्व से सम्प्रदाशन आदि विषयों का ज्ञान होता है ।

कोई भी जिज्ञासु जब पहले-पहल विमान आदि किसी नहीं वस्तु को देखता या उसका नाम सुनता है तब उसकी जिज्ञासा-नृति जाग उठती है और इससे वह उस अदृश्यपूर्व या अशुद्धपूर्व वस्तु के संबंध में अनेक प्रश्न करने लगता है । यह उस वस्तु के स्वभाव, रूप-रूपण, उसके मालिक, बनाने के उपाय, रखने का स्थान, उसके टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के संबंध में नानाविध प्रश्न करता है और उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके वपनी ज्ञानबुद्धि करता है । इसी तरह अन्तर्दृष्टि व्यक्ति भी भोक्तार्ण को सुनकर या हैय-उपादेय

<sup>१</sup> १. किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का भवित्व है उसकी जानकारी प्राप्त करना और विचार करना । इसका मुख्य साधन उसके विषय में विविध प्रश्न करना ही है । अतः प्रश्नों का जितना स्पष्टीकरण मिले उतना ही उस वस्तु में प्रवेश समझना चाहिए । अतः प्रश्न ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात् विचारणा द्वारा उसकी तह तक 'पुँचने के द्वारा है । अतः विचारणा ( भीमाता )-द्वारा का भवित्व हुआ प्रश्न । शास्त्रों में उनको अनुबोग-द्वारा कहा गया है । अन्योग अर्थात् व्याख्या या विवरण, उसके द्वारा अर्थात् प्रश्न ।

आध्यात्मिक तत्त्व को सुनकर तत्सम्बन्धी विविध प्रश्नों के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाता है। यही आध्यय प्रस्तुत दो सूत्रों में प्रकट किया गया है। निर्देश आदि सूत्रोंके द्वौद्वृ प्रश्नों को लेकर सम्प्रदर्शन पर संक्षेप में विचार किया जाता है।

१ निर्देश ( तत्त्ववचि )—यह सम्प्रदर्शन का स्वरूप है। २ स्वामित्व ( अधिकारित्व )—सम्प्रदर्शन का अधिकारी जीव ही है, अजीव नहीं, क्योंकि वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३. साधन ( कारण )—दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षयोपशम और क्षय ये तीन सम्प्रदर्शन के अन्तरङ्ग कारण हैं। बहिरङ्ग कारण शास्त्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमादर्शन, सत्पग आदि अनेक हैं। ४ अधिकरण ( आधार )—सम्प्रदर्शन का आधार जीव ही है, क्योंकि वह उस का परिणाम होने के कारण उसी में रहता है। सम्प्रदर्शन गुण है, इसलिए यद्यपि उसका स्वामी और अधिकरण अलग-अलग नहीं है, तथापि जहाँ जीव आदि इब्य के स्वामी और अधिकरण का विचार करना हो वहाँ उन दोनों में भिन्नता भी पाई जाती है। जैसे, अबहारदृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी कोई दूसरा जीव होगा, पर अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा जायेगा। ५ स्थिति ( कालमर्यादा )—सम्प्रदर्शन की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति सादिअनन्त है। तीनों प्रकार के सम्प्रकृत अमुक समय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे सादि अर्थात् पूर्वावधिवाले हैं। परन्तु उत्पन्न होकर भी औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्प्रकृत कायम नहीं रहते, इसलिए वे दो तो सान्त अर्थात् उत्तर अवधिवाले भी हैं। पर क्षायिक सम्प्रकृत उत्पन्न होने के बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वह अनन्त है। इसी अपेक्षा से सामान्यतया सम्प्रदर्शन को सादि-सान्त और सादि-अनन्त समझना चाहिए। ६ विघान ( प्रकार )—सम्प्रकृत के औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक ऐसे तीन प्रकार हैं।

७ सत् ( सत्ता )—यद्यपि सम्प्रकृत गुण सत्तारूप से सभी जीवों में विद्यमान है, पर उसका आविभाव कैवल भव्य जीवों में होता है, अमव्यों में नहीं। ८ संस्था ( गिनती )—सम्प्रकृत की गिनती उसे प्राप्त करने वालों की संस्था पर निर्भर है। आज तक अनन्त जीवों ने सम्प्रकृत-लाभ किया है और आगे अनन्त जीव उसको प्राप्त करेंगे, इस दृष्टि से सम्प्रदर्शन संस्था में अनन्त है। ९ लोक ( लोकाकाश )—सम्प्रदर्शन का लोक सम्पूर्ण लोकाकाश नहीं है किन्तु उसका प्रसरणात्मक भाग है। चाहे सम्प्रदर्शनी एक जीव को लेकर या अनन्त जीवों को लेकर विचार किया जाय तो भी सामान्य रूप से सम्प्रदर्शन का लोक लोक का अस्त्वात्मक भाग समझना चाहिए, क्योंकि सभी सम्प्रदर्शनवाले जीवों का

निवास क्षेत्र भी लोक का असंख्यातरवाँ भाग ही है। फिर भी इतना अन्तर अवश्य होगा कि एक सम्यकली जीव के क्षेत्र की अपेक्षा अनन्त जीवों का क्षेत्र परिमाण में बड़ा होगा, क्योंकि लोक का असंख्यातरवाँ भाग भी तरतमभाव से असंख्यात प्रकार का होता है। १०. स्पर्शन—निवासस्थानरूप आकाश के चारों ओर के प्रदेशों को छूना स्पर्शन है। क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश ही आता है। स्पर्शन में आधार-क्षेत्र के चारों तरफ के आधेय हारा स्पर्शित आकाश-प्रदेश भी आते हैं। यही क्षेत्र और स्पर्शन में अन्तर है। सम्यग्दर्शन का स्पर्शन-क्षेत्र भी लोक का असंख्यातरवाँ भाग ही होता है, परन्तु यह भाग उसके क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्षेत्रभूत आकाशपर्यन्त प्रदेश भी सम्मिलित है। ११. काल ( समय )—एक जीव की अपेक्षा से सम्यग्दर्शन का काल शादि-सान्त या सादि-अनन्त होता है, पर सब जीवों की अपेक्षा से वनादि-अनन्त समझना चाहिए, क्योंकि भूतकाल का कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि जब सम्यकली विलकुल न रहा हो। भविष्यत्काल के विषय में भी यही बात है अर्थात् अनादिकाल से सम्यग्दर्शन का आविष्टार्च-क्रम जारी है जो अनन्तकाल तक चलता रहेगा। १२ अन्तर ( विरहकाल )—एक जीव को लेकर सम्यग्दर्शन का विरहकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त<sup>१</sup> और उत्कृष्ट अपार्धपुद्गलपरावर्त<sup>२</sup> जितना समझना चाहिए, क्योंकि एक बार सम्यक्त्व का वयन ( नाश ) हो जाने पर पुनः वह जल्दी से जल्दी अन्तर्मुहूर्त में प्राप्त हो सकता है। ऐसा न हुआ तो भी अन्त में अपार्ध-पुद्गलपरावर्त के बाद अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। परन्तु नाना जीवों की अपेक्षा से तो सम्यग्दर्शन का विरहकाल विलकुल नहीं होता, क्योंकि नाना जीवों में तो किसी-न-किसी को सम्यग्दर्शन होता ही रहता है। १३. भाव ( अवस्था-विशेष )—ओपश्मिक, क्षायोपश्मिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं में सम्यक्त्व पाया जाता है। ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्त्त के

१ आवली से अधिक और मुहूर्त में न्यून काल अन्तर्मुहूर्त है। आवली से एक समय अधिक काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, मुहूर्त में एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त और दीन का मथ काल मन्यम अन्तर्मुहूर्त है। यह दिग्भर परम्परा है। ( देखें—तिलोय-पण्णति, ४ २८८; शो० जर्जवकांड, गा० ५७३-५१५। ) श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार नीं मन्य का जघन्य अन्तर्मुहूर्त है। जाकी सब समान है।

२. जीव पुद्गलों को अहण करके उन्हें जरीर, भाषा, मन और शासीच्छास के रूप में परिणत करता है। किसी जीव को जगत् में विधमान समय पुद्गल परमाणुओं को आहारक शरीर के सिवाय शेष सब रारीतों के रूप में तथा भाषा, मन और शासीच्छास के रूप में परिणत करके उन्हें छोड़ देने में जितना काल लगता है उसे पुद्गलपरावर्त कहते हैं। इसमें कुछ ही काल कम हो तो उसे अपार्धपुद्गलपरावर्त कहते हैं।

उपशम, क्षयोपशम और अग्न से उत्पन्न है। इन भावों से सम्बन्धित की शुद्धि का तारतम्य जाना जा सकता है। औपशमिक<sup>१</sup> की अपेक्षा क्षयोपशमिक और क्षयोपशमिक की अपेक्षा क्षयिक भाव वाला सम्बन्धित उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्ध-तर होता है। उक्त तीन भावों के सिवाय दो भाव और भी है—आदिक तथा पारिणामिक। इन भावों में सम्बन्धित नहीं होता। अर्थात् दर्शनप्राह्लादीय को उदयावस्था में सम्बन्धित का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसी तरह सम्बन्धित अनादिकाल से जीवन्त के समान अनावृत अवस्था में न पाये जाने के कारण पारिणामिक अर्थात् स्वाभाविक भी नहीं है। १४. अल्पबहुत्व ( न्यूनाविकता )—पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्बन्धित में जीवन्तमिक सम्बन्धित सबसे अल्प है, यदोकि ऐसे सम्बन्धित वाले जीव अन्य प्रकार के सम्बन्धित वालों से हमेशा ओंचे ही होते हैं। औपशमिक सम्बन्धित से क्षयिक सम्बन्धित अनन्तगुणा और क्षयोपशमिक सम्बन्धित से क्षयिक सम्बन्धित अनन्तगुणा है। क्षयिक सम्बन्धित के अनन्त गुण होने का कारण यह है कि यह सम्बन्धित समस्त मुक्त जीवों में होता है और मुक्त जीव अनन्त है। ७-८।

### सम्बन्धान के भेद

#### मतिश्रुताऽधिमनःपर्यायिकेवलानि ज्ञानम् । ९ ।

मति, श्रुत, अवधि, मन-पर्याय और केवल—ये पांच ज्ञान हैं।

जैसे सूत्र में सम्यगदर्शन का लक्षण बतलाया गया है वैसे सम्बन्धान का नहीं। क्योंकि सम्यगदर्शन का लक्षण जान लेने से सम्बन्धान का लक्षण अपने-आप जात किया जा सकता है। जीव कभी सम्यगदर्शन-रहित तो होता है, पर ज्ञानरहित नहीं। किसी-न-किसी प्रकार का ज्ञान जीव में अवश्य रहता है। वही ज्ञान सम्बन्धित का आविर्भाव होते ही सम्बन्धान कहलाता है। सम्बन्धान और असम्बन्धान में यही अन्तर है कि पहला सम्बन्धित-सहचरित है और दूसरा सम्बन्धित-रहित अर्थात् मिथ्यात्म-सहचरित है।

प्रकल्प—सम्बन्धित का ऐसा क्षय प्रभाव है कि उसके अभाव में तो ज्ञान किसी ही अधिक और अप्राप्त क्षयों न हो, असम्बन्धान या मिथ्याज्ञान कहलाता

१. यहाँ क्षयोपशमिक की औपशमिक की अपेक्षा दो शुद्ध कहा गया है कि परिणाम की अपेक्षा ने नहीं, रिचर्ट की अपेक्षा ने है। परिणाम की औपेक्षा से तो औपशमिक ही उदादा शुद्ध है। क्योंकि क्षयोपशमिक सम्बन्धित में तो मिथ्यात्म-भीहनीय का उदय सम्भव नहीं। तथापि औपशमिक की अपेक्षा क्षयोपशमिक की निष्पत्ति बहुत लंबी होती है। इसी अपेक्षा से इसे विशुद्ध भी कह सकते हैं।

ही और थोड़ा अस्पष्ट व प्रमात्मक ज्ञान भी सम्यक्त्व के प्रकट होते ही सम्यज्ञान हो जाता है।

उत्तर—यह आध्यात्म-शास्त्र है। इसलिए सम्यज्ञान और असम्यज्ञान का विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है, न्याय या प्रमाणशास्त्र की तरह विषय की दृष्टि से नहीं। न्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय यथार्थ हो वही सम्यज्ञान—प्रमाण और जिसका विषय अथथार्थ हो वह असम्यज्ञान—प्रमाणभास कहलाता है। परन्तु इस आध्यात्मिक शास्त्र में न्यायशास्त्रसम्मत सम्यज्ञान-असम्यज्ञान का वह विभाजन मात्र होने पर भी गोण है। यहाँ यही विभाजन मुख्य है कि जिस ज्ञान से आध्यात्मिक उत्कान्ति (विकास) हो वही सम्यज्ञान है और जिससे संसार-नृदि या आध्यात्मिक पतन हो वही असम्यज्ञान है। सम्भव है कि सामग्री की कमी के कारण सम्यक्त्वी जीव को कमी किसी विषय में सशय भी हो, भ्रम भी हो, एवं ज्ञान भी अस्पष्ट हो, पर सत्यगवेषक और कदाचहरहित होने के कारण वह अपने से मूहान्, प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्यक्ति के आश्रय से अपनी कमी को सुधार लेने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, सुधार भी लेता है और अपने ज्ञान का उपयोग वासनापोषण में न कर युक्त्यतया आध्यात्मिक विकास में ही करता है। सम्यक्त्वशून्य जीव का स्वभाव इससे विपरीत होता है। सामग्री की पूर्णता के कारण उसे निश्चयात्मक, अधिक और स्पष्ट ज्ञान होता है तथापि वह कदाग्रही प्रकृति के कारण घमडी होकर किसी विशेषदर्शी के विचारों को भी सुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग-आत्मिक प्रगति में न कर सासारिक युहुत्याकाशा में ही करता है। ९।

### प्रमाण-चर्चा

तत् प्रमाणे । १०।

यत्त्वे परोक्षम् । ११।

प्रत्यक्षमन्यत् । १२।

वह अर्थात् पाँचों प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणरूप है।

प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं।

शेष सब ( तीन ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

प्रमाण-विभाग—मति, शूत आदि ज्ञान के पाँचों प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों में विभक्त हैं।

प्रमाण-संकल्प—प्रमाण का सामान्य लक्षण पहले बताया जा चुका है कि जो ज्ञान वस्तु को अनेकरूप से जानता है वह प्रमाण है। उसके विशेष लक्षण

ये हैं—जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही केवल आत्मा को योग्यता से उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष हैं, जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है।

उक्त पांच में से पहले दो अर्थात् मतिज्ञान और शुद्धज्ञान परोक्ष-प्रमाण वहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं।

अब चिं, मन पर्याय और केवल ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना केवल आत्मा की योग्यता से उत्पन्न होते हैं।

न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण भिन्न प्रकार से किया गया है। उसमें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिङ्ग ( हेतु ) तथा शब्दादिजन्य ज्ञान को परोक्ष कहा गया है, परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष रूप से है। मति और शुद्ध दोनों ज्ञान इन्द्रिय और मन की अपेक्षा रखनेवाले होने से परोक्ष समझने चाहिए और अवधि आदि तीनों ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना वास्तिक योग्यता से उत्पन्न होने से प्रत्यक्ष। इन्द्रिय तथा मनोजन्य मतिज्ञान को कहीं-कहीं पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार लौकिक दृष्टि की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा गया है।<sup>१</sup> १०-१२।

#### मतिज्ञान के एकार्थक शब्द

मातः स्मृतः संज्ञा चिन्ताऽभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम् । १३ ।

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिवोध—ये शब्द पर्यायभूत ( एकार्थान्वक ) हैं।

प्रश्न—किस ज्ञान को मति कहते हैं ?

उत्तर—जो ज्ञान वर्तमान-विषयक हो उसे मति कहते हैं।

प्रश्न—क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्तमान-विषयक ही हैं ?

उत्तर—नहीं। पहले अनुभव की हुई वरतु का स्मरण स्मृति है, इसलिए वह अतीत-विषयक है। पहले अनुभव की हुई और वर्तमान में अनुभव की जाने वाली वस्तु की एकता का तालमेल संज्ञा या प्रत्यभिज्ञान है, इसलिए वह अतीत

१. प्रभागमीमांसा आदि तक्तक्यन्यों में साम्यवाहारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनोजन्य अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन है। विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें—न्यायावतार, शुद्धराती अनुवाद की प्रस्तावना में जैन प्रभागमीमांसा-पद्धति का विकासक्रम।

और वर्तमान उग्रय-विषयक है। चिन्ता भावी वस्तु की विचारणा (चिन्तन) है, इसलिए वह अनागत-विषयक है।

प्रश्न—इस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ये पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अर्थ भिन्न-भिन्न हैं?

उत्तर—विषय-भेद और कुछ निमित्त-भेद होने पर भी मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ज्ञान का अन्तरङ्ग कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है वही सामान्य रूप से यहाँ विवक्षित है, इसी अभिप्राय से यहाँ मति आदि शब्दों को पर्यायवाची कहा गया है।

प्रश्न—अभिनिवोष शब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा गया। वह किस प्रकार के ज्ञान का वाचक है?

उत्तर—अभिनिवोष मतिज्ञानवोषक एक सामान्य शब्द है। वह मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता इन सभी ज्ञानों के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात् मति-ज्ञाना-वरणीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाले सब प्रकार के ज्ञानों के लिए अभिनिवोष शब्द सामान्य रूप में व्यवहृत होता है और मति आदि शब्द उस क्षयोपशमजन्य खास-खास ज्ञानों के लिए हैं।

प्रश्न—इस तरह तो अभिनिवोष सामान्य शब्द हुआ और मति आदि उसके विषेष शब्द हुए, फिर ये पर्यायवाची शब्द कैसे?

उत्तर—यहाँ सामान्य और विषेष की भेद-विवक्षा न करके सबको पर्यायवाची शब्द कहा गया है। १३।

### मतिज्ञान का स्वरूप तदिन्द्रियाऽनिन्द्रियनिमित्तम् । १४ ।

मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है।

प्रश्न—यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण बहलाये गये हैं। इनमें चक्षु आदि इन्द्रिय तो प्रसिद्ध हैं, पर अनिन्द्रिय के क्या अभिप्राय हैं?

उत्तर—अनिन्द्रिय अर्थात् मन।

प्रश्न—जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं तब एक को इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का कारण?

उत्तर—चक्षु आदि बाह्य साधन हैं और मन बाह्यन्तर साधन है। यही भेद इन्द्रिय और अनिन्द्रिय संज्ञाभेद का कारण है। १४।

## मतिज्ञान के भेद

अवग्रहेहावायधारणाः । १५ ।

मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा—ये चार भेद हैं ।

प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजन्य मतिज्ञान के चारन्कार भेद हैं । अतएव पाँच इन्द्रियाँ और एक मन इन छहों के अवग्रह आदि चारन्कार भेद गिनने से मतिज्ञान के चौबीस भेद होते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

स्पर्शन	अवग्रह	ईहा	अवाय	धारणा
उसन	"	"	"	"
आण	"	"	"	"
चक्षु	"	"	"	"
थोत्र	"	"	"	"
मन	"	"	"	"

अवग्रह आदि उक्त चारों भेदों के संक्षेप—१. नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित सामान्य मात्र का ज्ञान अवग्रह है । जैसे, गाढ़ अन्वकार में कुछ छू जाने पर यह ज्ञान होता कि यह कुछ है । इस ज्ञान में यह नहीं मालूम होता कि किस चीज़ का स्पर्श हुआ है, इसलिए वह अव्यक्त ज्ञान अवग्रह है । २. अवग्रह के द्वारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित करने के लिए जो विचारणा होती है वह ईहा है । जैसे, यह रस्सी का स्पर्श है या सांप का यह सशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का स्पर्श होता थाहिए, क्योंकि यदि सांप होता तो इतना सख्त आवर्त होने पर वह फुफकारे बिना न रहता । यही विचारणा सम्भावना या ईहा है । ३. ईहा के द्वारा ग्रहण किये हुए विशेष का कुछ अधिक अवधान ( एकाशंतपूर्वक निश्चय ) अवाय है । जैसे, कुछ काल तक सोचने और जांच करने पर निश्चय हो जाना कि यह सांप का स्पर्श नहीं, रस्सी का ही है, इसे अवाय कहते हैं । ४. अवायरूप निश्चय कुछ काल तक कायम रहता है, फिर मन के विषयान्तर में चले जाने से वह निश्चय लुप्त हो जाता है पर ऐसा संस्कार छोड़ जाता है, कि अगर कभी

योग्य निमित्त मिलने पर उस निश्चित विषय का स्मरण हो आता है। इस निश्चय की सतत धारा, चञ्चल्य सत्कार और संस्कारजन्य स्मरण—यह सब मति-व्यापार धारणा कहलाता है।

प्रश्न—उक्त चारों भेदों का क्रम निर्हेतुक है या सहेतुक ?

उत्तर—सहेतुक है। सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र में निर्दिष्ट क्रम से ही अवग्रहादि की उत्पत्ति होती है। १५।

अवग्रह आदि के भेद

ॐ बहुबहुविषयक्षिप्रानिश्चितासन्दिग्धध्रुवाणां सेतराणाम् । १६ ।

सेतर ( प्रतिपक्षसहित ) बहु, बहुविषय, क्षिप्र, अनिश्चित, असंदिग्ध और ध्रुव रूप में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप मतिज्ञान होता है।

पांच इन्द्रियाँ और मन इन छ. सामनों से होनेवाले मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा आदि रूप में और चौबीस भेद कहे गये हैं वे क्षयोपशम और विषय की विविधता से बारह-बारह प्रकार के होते हैं। जैसे—

बहुग्राही	छ. अवग्रह	छ. ईहा	छ. अवाय	छ. धारणा
अल्पग्राही	"	"	"	"
बहुविषयग्राही	"	"	"	"
एकविषयग्राही	"	"	"	"
क्षिप्रग्राही	"	"	"	"
अक्षिप्रग्राही	"	"	"	"
अनिश्चितग्राही	"	"	"	"
निश्चितग्राही	"	"	"	"
असंदिग्धग्राही	"	"	"	"
संदिग्धग्राही	"	"	"	"
ध्रुवग्राही	"	"	"	"
अध्रुवग्राही	"	"	"	"

बहु अर्थात् अनेक और अल्प अर्थात् एक। जैसे, दो या दो से अधिक पुस्तकों को जानेवाले अवग्रह, ईहा आदि चारों क्रमभावी मतिज्ञान बहुग्राही अवग्रह, बहुग्राहिणी ईहा, बहुग्राही अवाय और बहुग्राहिणी धारणा कहलाते हैं और एक

पुस्तक को जाननेवाले अल्पग्राही अवग्रह, अल्पग्राहिणी ईहा, अल्पग्राही अवाय और अल्पग्राहिणी धारणा कहलाते हैं।

बहुविष अर्थात् अनेक प्रकार से और एकविष अर्थात् एक प्रकार से। जैसे आकार-प्रकार, रूप-रंग या मोटाई आदि में विविधता रखनेवाली पुस्तकों को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से बहुविषग्राही अवग्रह, बहुविषग्राहिणी ईहा, बहुविषग्राही अवाय तथा बहुविषग्राहिणी धारणा, और आकार-प्रकार, रूप-रंग तथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार की पुस्तकों को जाननेवाले वे ज्ञान एक-विषग्राही अवग्रह, एकविषग्राहिणी ईहा आदि कहलाते हैं। बहु तथा अल्प का अभिप्राय व्यक्ति की संख्या से है और बहुविष तथा एकविष का अभिप्राय प्रकार, किसी या जाति की संख्या से है। यही दोनों में मन्त्र है।

शीघ्र जाननेवाले चारों भक्षिशान सिप्राही अवग्रह आदि और विलंब से जाननेवाले अक्षिप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। वेखा जाता है कि इन्द्रिय, विषय आदि सब बाहु सामग्री तुल्य होने पर भी जान क्षयोपशम की पढ़ता के कारण एक भनुत्य उस विषय का ज्ञान जल्दी प्राप्त कर लेता है और क्षयोपशम की मन्दता के कारण दूसरा भनुत्य देर से प्राप्त कर पाता है।

अनिश्चित<sup>१</sup> अर्थात् लिंग-अप्रभित (हेतु द्वारा असिद्ध) और निश्चित अर्थात् लिंग-प्रभित वस्तु। जैसे पूर्व में अनुभूत शीत, कोमल और स्तिरष स्पर्शरूप लिंग से वर्तमान में जूई के फूलों को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से निश्चित-ग्राही (सर्लिंगग्राही) अवग्रह आदि और उक्त लिंग के बिना ही उन फूलों को जाननेवाले अनिश्चितग्राही (अर्लिंगग्राही) अवग्रह आदि कहलाते हैं।

असदिग्न<sup>२</sup> अर्थात् निश्चित और संदिग्न अर्थात् अनिश्चित। जैसे यह चन्दन

१. अनिश्चित और निश्चित शब्द का यही अर्थ नन्दीसूत्र की टीका में भी है, पर इसके सिवाय दूसरा अर्थ भी उस टीका में श्री मल्यगिरि ने बताया है; जैसे परश्नों से भिन्न ग्रहण निश्चितावग्रह और परश्नों से अभिन्न ग्रहण अनिश्चितावग्रह है। देखें—पृ० १८३, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित।

दिग्मन्त्र ग्रन्थों में ‘अनिःस्तुत’ पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ किया गया है कि सम्पूर्ण-तथा आविश्वृत नहीं ऐसे पुष्टगलों का ग्रहण ‘अनि-सतावग्रह’ और सम्पूर्णतथा आविश्वृत पुष्टगलों का ग्रहण ‘निःसतावग्रह’ है। देखें—इसी सूत्र पर राजवातिक टीका।

२. हसके रूपान पर दिग्मन्त्र ग्रन्थों में ‘अनुकूल’ पाठ है। तदनुसार उनमें अर्थ किया गया है कि एक ही वर्ण निकलने पर पूर्ण अनुच्छारित गम्ब को अभिप्रायमात्र से ज्ञान लेना कि आप अमुक राष्ट्र खोलनेवाले हैं, अनुकूलवग्रह है। अथवा, स्वर का संचारण करने से पहले ही वीणा आदि वादिज की ध्वनिमात्र से ज्ञान लेना कि आप अमुक स्वर

कही स्पर्श है, पूँछ का नहीं। इस प्रकार से स्पर्श को निश्चित रूप से जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान निश्चितप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह चक्षन का स्पर्श होगा ज्ञा-पूँछ का, ज्योकि दोनों शीतल होते हैं—इस प्रकार से विशेष की अतुपलब्धि के समय ज्ञानेवाले सद्बहुयुक्त चारों ज्ञान अनिश्चितप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

ध्रुव अर्थात् अवश्यम्भावी और अद्वृत अर्थात् कदाचिद्भावी। यह देखा गया है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध तथा मनोयोगरूप सामग्री समान होने पर भी एक मनुष्य उस विषय को जान ही लेता है और दूसरा उसे कभी जान पाता है, कभी नहीं। सामग्री होने पर विषय को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान ध्रुवप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के कारण विषय को कभी ग्रहण करनेवाले और कभी न ग्रहण करनेवाले उक्त चारों ज्ञान अद्वृतप्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं।

प्रश्न—उक्त बारह भेदों में से किसने भेद विषय की विविधता और किसने भेद क्षयोपशम की पृष्ठान्तरालरूप विविधता के आधार पर किये गये हैं?

उत्तर—बहु, अल्प, बहुविषय और अल्पविषय ये चार भेद विषय की विविधता घरःअवलम्बित हैं, क्षेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर।

प्रश्न—अब तक कुल किसने भेद हुए?

उत्तर—दो सौ अट्टासी भेद हुए।

प्रश्न—किसे?

उत्तर—पांच इन्द्रियाँ और मन इन छ. भेदोंके साथ अवग्रह आदि के चारन्धार भेदों का गुणा करने से चौबीस और बहु, अल्प आदि उक्त बारह प्रकारों के साथ चौबीस का गुणा करने से दो सौ अट्टासी भेद हुए। १६।

निकालनेवाले हैं, अनुकावय है। इसके विपरीत उक्तावग्रह है। देखें—इसी सत्र पर राजवार्तिक दीका। ५५

ऐतात्त्रे अस्थ जन्मीसूत्र में ‘असदिग्ध’ ऐसा एकमात्र पाठ है। उसकी दीका में उसका अर्थ कपर लिखे अनुसार ही है (देखें पृ० १०३)। परन्तु तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति में अनुकूल पाठ भी है। उसका अर्थ राजवार्तिक के अनुसार है। किन्तु इसिकार ने लिखा है कि अनुकूल पाठ रखने से इस तो अर्थ केवल राज्य-विषयक अवग्रह आदि पर ही लागू होता है, लार्ज-विषयक अवग्रह आदि पर नहीं। इस अपूर्णता के कारण अन्य आचार्योंने ‘असदिग्ध’ पाठ रखा है। देखें—तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ५८, मनसुख मण्डाई, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित।

## सामान्य रूप से अवग्रह आदि का विषय

भृत्यर्थस्य । १७ ।

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा—ये चारों मतिज्ञान अर्थ ( वस्तु ) को ग्रहण करते हैं ।

अर्थ अर्थात् वस्तु । द्रव्य—सामान्य और पर्याय—विशेष इन दोनों को वस्तु कहते हैं । इसलिए प्रश्न होता है कि क्या इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान द्रव्यरूप वस्तु को विषय करते हैं या पर्यायरूप वस्तु को ?

उत्तर—उक्त अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान मुख्यतः पर्याय को ग्रहण करते हैं, सम्पूर्ण द्रव्य को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं क्योंकि इन्द्रिय और मन का मुख्य विषय पर्याय ही है । पर्याय द्रव्य का एक अंश है । इसलिए अवग्रह, ईहा आदि द्वारा जब इन्द्रियों और मन अपने-अपने विषयमूल पर्याय को जानते हैं तब वे उस-उस पर्यायरूप से द्रव्य को ही अंजात् जानते हैं; क्योंकि द्रव्य को छोड़कर पर्याय नहीं रहता और द्रव्य भी पूर्याय-रहित नहीं होता, जैसे नेत्र का विषय रूप, संस्थान ( आकार ) आदि है जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय विशेष है । 'नेत्र आभ्रफल आदि को ग्रहण करता है' इसका अर्थ इतना ही है कि वह उसके रूप तथा आकार-विशेष को जानता है । रूप और आकार-विशेष आम से भिन्न नहीं है इसलिए स्थूल दृष्टि से यह कहा जाता है कि नेत्र से आम देखा गया, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उसने सम्पूर्ण आम को ग्रहण नहीं किया क्योंकि आम में तो रूप और संस्थान के अतिरिक्त स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको जानने में नेत्र असमर्थ है । इसी तरह स्पर्शन, रसन और ध्याण इन्द्रियों जब गरम-नगरम जलेदी आदि वस्तु को ग्रहण करती हैं तब वे क्रमशः उस वस्तु के उच्च स्पर्श, मधुर रस और सुगन्ध-रूप पर्याय को ही जानती हैं । कोई भी इन्द्रिय वस्तु के सम्पूर्ण पर्यायों को ग्रहण नहीं कर सकती । कान भी भायात्मक पुद्गल के ऋणि-रूप पर्याय को ही ग्रहण करता है, अन्य पर्याय को नहीं । मन भी किसी विषय के अमुक अंश का ही विचार करता है । वह एक साध संपूर्ण अंशों का विचार करने में असमर्थ है । इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा आदि चारों ज्ञान पर्याय को ही मुख्यतया विषय करते हैं और द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते हैं ।

प्रश्न—पूर्व सूत्र और इस सूत्र में क्या सम्बन्ध है ?

उत्तर—यह सूत्र सामान्य वा वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष का अर्थात् इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्रह आदि ज्ञान का विषय जो

सामान्य रूप से बतलाया गया है उसी को संख्या, जाति आदि द्वारा पृथक्करण करके बहु, अल्प आदि विशेष रूप से पूर्व सूत्र में बतलाया गया है । १७ ।

इन्द्रियों की ज्ञानोत्पत्ति-पद्धतिसम्बन्धी भिन्नता के कारण अवग्रह के अवान्तर भेद

व्यञ्जनस्याऽवग्रहः । १८ ।

न चक्षुरनिन्द्रियान्याम् । १९ ।

व्यञ्जन—उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग होने पर अवग्रह ही होता है ।

नेत्र और मन से व्यञ्जन होकर अवग्रह नहीं होता ।

जैसे लगड़े मनुष्य को छलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित है वैसे ही आत्मा की आवृत्त चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न करने में सहारे की अपेक्षा है । उसे इन्द्रिय और मन का बाहरी सहारा चाहिए । सब इन्द्रियों और मन का स्वभाव समान नहीं है, इसलिए उनके द्वारा होनेवाली ज्ञानधारा के आविर्भाव का क्रम भी समान नहीं होता । यह क्रम दो प्रकार का है—भन्दकम और पटुकम ।

भन्दकम में भात्य विषय के साथ उस विषय की ग्राहक उपकरणेन्द्रिय<sup>१</sup> का संयोग (व्यञ्जन) होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता है । शुरू में ज्ञान की मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध भी नहीं हो पाता, परन्तु ज्यों-ज्यों विषय और इन्द्रिय का संयोग पुष्ट होता जाता है, ज्ञान की मात्रा भी बढ़ती जाती है । उक्त संयोग (व्यञ्जन) की पुष्टि के साथ कुछ काल में तज्जनित ज्ञानमात्रा भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे 'यह कुछ है' ऐसा विषय का सामान्य बोध (अर्थावग्रह) होता है । इस अर्थावग्रह का उक्त व्यञ्जन से उत्पन्न पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार, जो उस व्यञ्जन की पुष्टि के साथ ही क्रमशः पुष्ट होता जाता है, व्यञ्जनावग्रह कहलाता है, क्योंकि उसके होने में व्यञ्जन अपेक्षित है । यह व्यञ्जनावग्रह नामक दीर्घ ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पुष्ट होने पर भी इतना अल्प होता है कि उससे विषय का सामान्य बोध भी नहीं होता । इसलिए उसको अव्यक्ततम, अव्यक्तर, अव्यक्त ज्ञान कहते हैं । जब वह ज्ञानव्यापार इतना पुष्ट हो जाय कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य बोधकारक ज्ञानांश अर्थावग्रह कहलाता है । अर्थावग्रह भी व्यञ्जनावग्रह का एक चरण पुष्ट अंश है क्योंकि उसमें भी विषय और इन्द्रिय का संयोग अपेक्षित है । तथापि

१. इसके स्पष्टीकरण के लिए देखें—भग २, सू. १७ ।

उसे व्यक्तनावग्रह से अलग कहने का और अर्थावग्रह कहने का प्रयोजन यह है कि उस ज्ञानाश से होनेवाला विषय का बोध जाता के ज्ञान में आ सकता है। अर्थावग्रह के बाद उसके द्वारा सामान्य रूप से जाने हुए विषय की विशेष रूप से जिज्ञासा, उसका विशेष निर्णय, उस निर्णय की वारा, तज्जन्य संस्कार और संस्कारण्य स्पृहि—यह सब ज्ञानव्यापार ईहा, अवाय और धारणा रूप से तीन विभागों में पहले बतलाया जा चुका है। यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस मन्दक्रम में जो उपकरणेन्द्रिय और विषय के संयोग की अपेक्षा कही गई है वह व्यक्तनावग्रह के अन्तिम अंश अर्थावग्रह तक ही है। इसके बाद ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार में वह सयोग अनिवार्य रूप से अपेक्षित नहीं है, क्योंकि उस ज्ञानव्यापार की प्रवृत्ति विशेष की ओर होने से उस समय मानसिक अवधान की प्रधानता रहती है। इसी कारण अवधारण्युक्त व्याख्यान करके प्रस्तुत सूत्र के अर्थ में कहा गया है कि 'व्यक्तनस्यावग्रह एव' व्यक्तन का अवग्रह ही होता है अर्थात् अवग्रह (अव्यक्त ज्ञान) तक ही व्यक्तन की अपेक्षा है, ईहा आदि में नहीं।

पटुक्रम में उपकरणेन्द्रिय और विषय के संग की अपेक्षा नहीं है। दूर, दूरतर होने पर भी योग्य सत्तिज्ञान मात्र से डॉन्ड्रिय उस विषय को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण होते ही उस विषय का उस इन्द्रिय द्वारा शुरू में ही अर्थावग्रहरूप सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद क्रमशः ईहा, अवाय आदि ज्ञानव्यापार पूर्वोक्त मन्दक्रम की तरह ही प्रवृत्त होता है। सारांश यह है कि पटुक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राहा विषय का संयोग हुए बिना ही ज्ञानव्यापार का आविभावि होता है जिसका प्रथम अंश अर्थावग्रह और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा है। इसके विपरीत मन्दक्रम में इन्द्रिय के साथ ग्राहा विषय का संयोग होने पर ही ज्ञानव्यापार का आविभावि होता है, जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम, अव्यक्ततररूप व्यक्तनावग्रह नामक ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावग्रहरूप ज्ञान और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है।

**दृष्टान्त**—मन्दक्रम की ज्ञानव्यापारा, जिसके आविभावि के लिए इन्द्रिय-विषय-संयोग की अपेक्षा है, को स्पष्टतया समझने के लिए सकोरे का दृष्टान्त उपयोगी है। जैमे आवाप—भट्ठे में से तुरन्त निकाले हुए अति रुक्ष सकोरे में पानी की एक बूंद ढाली जाय तो सकोरा उसे तुरन्त ही सोख लेता है, यहाँ तक कि उसका कोई नामोनिशान नहीं रहता। इसी तरह आगे भी एक-एक कर ढाली गयी अनेक जलवृद्धों को वह सकोरा सोख लेता है। अन्त में ऐसा समय आता है जब कि वह अलवृद्धों को सोखने में असमर्य होकर उनसे भीग जाता है और उसमें ढाले हुए जलकण समूहरूप में इकट्ठे होकर दिसाई देने लगते हैं। सकोरे की आंद्रता पहले पहल जब मालूम होती है, उसके पूर्व भी उसमें जल था, पर उसने इस तरह जल को सोख लिया था कि जल के विलक्षुल तिरोभूत हो जाने से वह

दृष्टि में आने जैसा नहीं था, पर सकोरे में वह था अवश्य । जब जल की मात्रा बढ़ी और सकोरे की सौख्यने की शक्ति कोम हुई, तब आद्रिता दिखाई देने लगी और जो 'जल प्रथम सकोरे के पेट में नहीं समा सका था वही अब उसके ऊपर के तल में इकट्ठो होने लगा और दिखलाई देने लगा । इसी तरह जब किसी सुषुप्त व्यक्ति को पुकारा जाता है तब वह शब्द उसके 'कान में गायब-सा हो जाता है दो-चार बार 'पुकारने से उसके कान में जब पौदगलिक शब्दों की मात्रा काफी मात्रा में भर जाती है तब जलेकणों से पहले पहल आद्रि होनेवाले सकोरे की तरह उस सुषुप्त व्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको समूल्य रूप से जानने में समर्थ होती है कि 'यह क्या है' । यही सामान्य ज्ञान है जो शब्द को पहले पहल स्फूट-रूप में जानता है । इसके बाद विषेश ज्ञान का क्रम शुरू होता है अर्थात् जैसे कुछ काल 'तक जलविन्दु पहते रहने से रक्षा सकोरा क्रमशः आद्रि बन जाता है और उसमें जल दिखाई देता है वैसे ही कुछ काल तक शब्दपुंकर्लों का संयोग होते रहने से सुषुप्त व्यक्ति के कान परिपूरित होकर उन शब्दों को सामान्य रूप में जान पाते हैं और फिर शब्दों की विशेषताओं को जानते हैं । यद्यपि यह क्रम सुषुप्त की तरह जाप्रत व्यक्ति पर भी पूरी तरह लागू होता है पर वह इतना शीघ्र होता है कि साधारण लोगों के ध्यान में मुश्किल से आता है । इसीलिए संकीर्ण के साथ सुषुप्त व्यक्ति का साम्य दिखलाया जाता है ।

पटुक्रम 'की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त उपयुक्त है । जैसे दर्पण के सामने किसी वस्तु के आते ही तुरन्त उसका उसमें प्रतिविव घड़ जाता है और वह दिखाई देने लगता है । इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिविवित वस्तु का साक्षात् संयोग आवश्यक नहीं है, जैसे कान के साथ शब्दों का साक्षात् संयोग । केवल प्रतिविवभाही दर्पण और प्रतिविवित होनेवाली वस्तु का योग्य देश में सन्निधान आवश्यक है । ऐसा सन्निधान होते ही प्रतिविव घड़ जाता है और वह तुरन्त ही दीख पड़ता है । इसी तरह नेत्र के सामने रगवाली वस्तु के आते ही तुरन्त वह सामान्य रूप में दिखाई देने लगती है । इसके लिए नेत्र और उस वस्तु का संयोग अपेक्षित नहीं है, जैसे कान और शब्द का संयोग । केवल दर्पण की तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए । इसीलिए पटुक्रम में पहले पहल अर्थात् भाना गया है ।

व्यञ्जनावग्रह का स्थान मन्दक्रमिक ज्ञानधारा में है, पटुक्रमिक ज्ञानधारा में नहीं । इसलिए प्रश्न होता है कि व्यञ्जनावग्रह किस किस इन्द्रिय से होता है और किस-किस से नहीं होता ? इसी का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है । नेत्र और मन से व्यञ्जनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये दोनों संयोग बिना ही क्रमशः किये हुए योग्य सन्निधान भान्न से और अवधान से अपने-अपने ग्राह विषय को जानते हैं ।

कौन नहीं जानता कि नेत्र दूर, दूरतरवर्ती बृक्ष व पर्वत आदि को ग्रहण कर सकता है और मन सुदूरवर्ती वस्तु का भी चिन्तन कर सकता है। इसीलिए नेत्र तथा मन अप्राप्यकारी माने गये हैं और उनसे होनेवाली ज्ञानधारा कों पठुकमिक कहा गया है। कर्ण, जिह्वा, ध्राण और स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ मन्दकमिक ज्ञानधारा की कारण हैं क्योंकि ये चारों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी (ग्राह्य) विषयों को उनसे संयुक्त होकर ही ग्रहण करती हैं। जब तक शब्द कान में न पड़े, शब्दकर जीभ से न लगे, पुष्प का रजकण नाक में न घुसे और जल शरीर को न छुए तब तक न तो शब्द ही सुनाई देता है, न शब्दकर का ही स्वाद आता है, न फूल की सुगानव ही आती है और न जल ही ठंडा या गरम जान पड़ता है।

प्रश्न—मतिज्ञान के कुल कितने भेद हैं?

उत्तर—मतिज्ञान के कुल ३३६ भेद हैं।

प्रश्न—किस प्रकार।

उत्तर—पांच इन्द्रियाँ और मन छहों के अर्थावग्रह आदि चास्प्यकर के हिसाब से चौबीस भेद हुए तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार ज्ञानान्वयग्रह जोड़ने से अट्टहाईस हुए। इन सबको बहु, अल्प, बहुविष, अल्पविष अर्थाद बारह-आरह भेदों से गुणा करने पर ३३६ होते हैं। भेदों की यह गणना स्थूल वृष्टि से है। वास्तव में तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की विविधता और क्षयोपशम को विचित्रता के आधार पर तरजुमभाववाले असंख्य होते हैं।

प्रश्न—पहले बहु, अल्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे विषयगत विशेषों पर ही लागू होते हैं, और अर्थावग्रह का विषय तो सामान्यमात्र है। इस तरह वे अर्थावग्रह में कैसे घटित हो सकते हैं?

उत्तर—अर्थावग्रह दो प्रकार का माना गया है: व्यावहारिक और नैष्ठ्रयिक। बहु, अल्प आदि बारह भेद प्रायः व्यावहारिक अर्थावग्रह के ही हैं, नैष्ठ्रयिक के नहीं। नैष्ठ्रयिक अर्थावग्रह में जाति-गुण-क्रिया से रहित सामान्यमात्र प्रतिभासित होता है इसलिए उसमें बहु, अल्प आदि विशेषों का ग्रहण सम्भव नहीं है।

प्रश्न—व्यावहारिक और नैष्ठ्रयिक में क्या अन्तर है?

उत्तर—जो अर्थावग्रह पहले पहल सामान्यमात्र को ग्रहण करता है वह नैष्ठ्रयिक है और जिस-जिस विशेषग्राही अवायज्ञान के बाद अन्यान्य विशेषों की जिज्ञासा और अवाय द्वारा दर्शाये रखते हैं वे सामान्य-विशेषग्राही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह हैं। वही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह भी है जिसके बाद अन्य विशेषों की जिज्ञासा न हो। अपने बाद नयेनये विशेषों की जिज्ञासा पैदा करते वाले अन्य सभी अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह हैं।

**प्रश्न**—अर्थाविग्रह के बहु, अल्प आदि उक्त वारह भेदों के विषय में कहा गया कि वे भेद व्यावहारिक अर्थाविग्रह के हैं, नैऋथिक के नहीं। इस पर प्रश्न होता है कि यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो फिर उक्त दीति से मतिज्ञान के ३३६ भेद कैसे होंगे? क्योंकि अट्टोईस प्रकार के मतिज्ञान के वारह-वारह भेदों के हिसाब से ३३६ भेद होते हैं और अट्टोईस प्रकार में तो चार व्यज्ञनावग्रह भी जाते हैं जो नैऋथिक अर्थाविग्रह के भी पूर्ववर्ती होने से अत्यन्त अव्यक्त हैं। इसलिए उन चारों के वारह-वारह यानी ४८ भेद अलग कर देने पड़ेंगे।

**उत्तर**—अर्थाविग्रह में तो व्यावहारिक को लेकर उक्त वारह भेद स्पष्टतया घटित किये जा सकते हैं इसलिए वैसा उत्तर स्थूल दृष्टि से दिया गया है। वास्तव में नैऋथिक अर्थाविग्रह और उसके पूर्ववर्ती व्यज्ञनावग्रह के भी वारह-वारह भेद समझने चाहिए। कार्य-कारण की समानता के सिद्धान्त पर व्यावहारिक अर्थाविग्रह का कारण नैऋथिक अर्थाविग्रह है और उसका कारण व्यज्ञनावग्रह है। अब यदि व्यावहारिक अर्थाविग्रह में स्पष्ट रूप से बहु, अल्प आदि विषयगत विशेषों का प्रतिभास होता है तो उसके साक्षात् कारणमूल नैऋथिक अर्थाविग्रह और व्यवहित कारण व्यज्ञनावग्रह में भी उक्त विशेषों का प्रतिभास मानना पड़ेगा, यद्यपि वह अस्फूट होने से दुर्जीय है। अस्फूट हो या स्फूट, यही सिर्फ सम्मानना की अपेक्षा से उक्त वारह-वारह भेद गिनने चाहिए। १८-१९।

#### श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद

**श्रुतं मतिपूर्वं द्वचनेकद्वादशभेदम् । २० .**

श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। वह दो प्रकार का, अनेक प्रकार का और बारह प्रकार का है।

मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान कार्य क्योंकि मतिज्ञान से श्रुतज्ञ होता है। इसलिए उसको मतिपूर्वक कहा गया है। किरी भी विषय का श्रुतज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका मतिज्ञान पहले आवश्यक है। इसलिए मतिज्ञान श्रुतज्ञान का पालन और पूरण करनेवाला कहलाता है। मतिज्ञान श्रुतज्ञान का कारण तो है, पर बहिरङ्ग कारण है, अन्तरङ्ग कारण तो श्रुतज्ञानावरण का क्षयोपशम है। क्योंकि किसी विषय का मतिज्ञान हो जाने पर भी यदि-क्षयोपशम न हो तो उस विषय का श्रुतज्ञान नहीं हो सकता।

**प्रश्न**—मतिज्ञान की तरह श्रुतज्ञान की सत्पत्ति में भी इन्द्रिय और भन की सहायता अपेक्षित है, फिर दोनों में अन्तर क्या है? जब उक्त दोनों का भेद स्पष्ट न जाना जाय तब तक 'श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है' यह कथन विशेष अर्थ नहीं रखता। मतिज्ञान का कारण मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम और श्रुतज्ञान

का कारण श्रुतज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। इस कथन से भी दोनों का भेद समझ में नहीं आता, क्योंकि क्षयोपशम-भेद साधारण बुद्धिगम्य नहीं है।

उत्तर—मतिज्ञान विद्यमान वस्तु में प्रवृत्त होता है और श्रुतज्ञान असीत्, विद्यमान तथा भावी इन त्रैकालिक विषयों में प्रवृत्त होता है। इस विषयक्षमता भेद के सिवाय दोनों में यह भी अन्तर है कि मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता और श्रुतज्ञान में होता है। अतएव दोनों का फलित लक्षण यह है कि जो ज्ञान इन्द्रियजन्य और भनोजन्य होने पर भी शब्दोल्लेख<sup>१</sup> सहित है वह श्रुतज्ञान है, और शब्दोल्लेख रहित मतिज्ञान है। सारांश यह है कि दोनों में इन्द्रिय और भन की अपेक्षा समान होने पर भी मति की अपेक्षा श्रुत का विषय अधिक है और स्पष्टता भी अधिक है, क्योंकि श्रुत में मनोव्यापार की प्रधानता होने से विचारांश अधिक व स्पष्ट होता है और पूर्वापर क्रम भी बना रहता है। दूसरे शब्दों में, इन्द्रिय तथा मनोजन्य दीर्घ ज्ञानव्यापार का प्राथमिक अपरिपक्व अंश मतिज्ञान और उत्तरवर्ती परिपक्व व स्पष्ट अंश श्रुतज्ञान है। अतः यो भी कहा जाता है कि जो ज्ञान भाषा में उत्तारा जा सके वह श्रुतज्ञान है और जो भाषा में उत्तारने लायक परिपाक को प्राप्त न हो वह मतिज्ञान है। श्रुतज्ञान खीर है तो मतिज्ञान दूध।

प्रश्न—श्रुत के दो, अनेक और बाहु प्रकार कैसे हैं?

उत्तर—अङ्गवाहा और अङ्गप्रविष्ट के रूप में श्रुतज्ञान दो प्रकार का है। इनमें से अङ्गवाहा श्रुत उत्कालिक-कालिक के भेद से अनेक प्रकार का है। अङ्गप्रविष्ट श्रुत आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग आदि के रूप में बाहु प्रकार का है।

प्रश्न—अङ्गवाहा और अङ्गप्रविष्ट का अन्तर किस अपेक्षा से है?

उत्तर—बहुभेद की अपेक्षा से। तीर्थद्वारो द्वारा प्रकाशित ज्ञान को उनके परम भेदावी साकात् शिष्य गणघरों ने ग्रहण करके जो द्वादशाङ्गी रूप में सूत्रबद्ध किया वह अङ्गप्रविष्ट है; और कालदोषकृत बुद्धि, बल और आयु की कमी को देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए उसी द्वादशाङ्गी में से भिन्न-भिन्न विषयों पर गणघरों के पश्चाद्दर्ता शुद्ध-बुद्धि आचार्यों के शास्त्र अङ्गवाहा है, अर्थात् जिन शास्त्रों के रचयिता गणघर हैं वह अङ्गप्रविष्ट श्रुत है और जिनके रचयिता अन्य आचार्य हैं वह अङ्गवाहा श्रुत है।

प्रश्न—बाहु अङ्ग कौन से है? अनेकविष अङ्गवाहा में मुख्यत कौन-कौन से प्राचीन ग्रन्थ है?

१ शब्दोल्लेख का मतलब अवहारकाल में शब्दराक्षिग्रहणगम्यसे से है अर्थात् जैसे श्रुतज्ञान की अप्सरि के समय संकेत, स्पर्श और श्रुतजन्य का अनुसरण अपेक्षित है ऐसे ईंहा आदि मतिज्ञान की अप्सरि में अपेक्षित नहीं है।

उत्तर—आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रकाशिते (भगवतीसूत्र); ज्ञातावर्भकथा, उपासकदशा, अन्तङ्गदशा, अनुस्तरीपणातिकदशा, प्रश्नव्याकरण; विपाक और दृष्टिवाद ये वारह अङ्ग हैं। सामाविक, चतुर्विशतिस्तत्व, वस्त्रनक, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्यास्थान ये छ। आवश्यक तथा दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, दशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ और ऋषिभार्षित<sup>१</sup> आदि शास्त्र अङ्गवाहा हैं।

प्रश्न—ये भेद तो ज्ञान को व्यवस्थितरूप में संग्रहीत करनेवाले शास्त्रों के हैं, तो क्या शास्त्र इतने ही हैं?

उत्तर—नहीं। शास्त्र अनेक ये, अनेक हैं; अनेक बनते हैं और आये भी बनते ही रहेंगे। वे सभी श्रुतज्ञानात्तर्गत हैं। यहाँ केवल वे हीं गिनाये गये हैं जिन पर प्रधानतथा जीनशासन आधृत हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक शास्त्र बने हैं और बनते रहते हैं। इन सभी को अङ्गवाहा में समाविष्ट कर लेना चाहिए, यदि वे शुद्ध-शुद्धि और समभावपूर्वक रखे गये हों।

प्रश्न—आजकल विविध विज्ञान विषयक तथा काव्य, नाटक आदि लौकिक विप्रयक जो अनेक शास्त्र रचे जाते हैं वे भी श्रुत हैं?

उत्तर—अवश्य, वे भी श्रुत हैं।

प्रश्न—उब तो श्रुतज्ञान होने से वे भी भौक के लिए उपयुक्त हो सकेंगे?

उत्तर—भौक में उपयोगी होना या न होना किसी शास्त्र का नियत स्वभाव नहीं है, पर अधिकारी की योग्यता उसका आधार है। अगर अधिकारी योग्य और मुमुक्षु है तो लौकिक शास्त्रों को भी भौकोपयोगी बना सकता है और अयोग्य पात्र आध्यात्मिक कहे जानेवाले शास्त्रों से भी अपने को लीचे गिराता है। तथापि द्विपद्य और प्रणेता की योग्यता की दृष्टि से लोकोन्नत श्रुत का विशेषत्व अवश्य है।

प्रश्न—‘श्रुत’ ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या जिन पर वे लिखे जाते हैं उन कागज आदि साधनों को श्रुत क्यों कहा जाता है?

उत्तर—केवल उपचार से। वास्तव में श्रुत तो ज्ञान ही है। पर ऐसे ज्ञान को प्रकाशित करने का साधन भाषा है और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उत्पन्न होती है तथा कागज आदि भी उस भाषा को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रखने के साधन हैं। इसीलिए भाषा या कागज आदि को उपचार से श्रुत कहा जाता है। २०।

<sup>१</sup>. मत्येक दुद आदि अपियर्द्द द्वारा जो कथन किया गया हो उसे कषिभार्षित कहते हैं। जैसे उत्तराध्ययन का आठवाँ कापिलीय अध्ययन इत्यादि।

अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी

**द्विविदोऽवधिः । २१ ।**

**तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम् । २२ ।**

**यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शैषाणाम् । २३ ।**

अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक और देवों को होता है।

यथोक्तनिमित्त—क्षयोपशमजन्य अवधिः छः प्रकार का है जो तिर्यग्गत तथा भनुष्यों को होता है।

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो भेद हैं। जो अवधिज्ञान जन्म लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय है। जिसके आविर्भाव के लिए त्रै, नियम आदि अनुष्ठान अपेक्षित नहीं है उस जन्मसिद्ध अवधिज्ञान की भवप्रत्यय कहते हैं। जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नहीं है किन्तु जन्म लेने के बाद त्रै, नियम आदि गुणों के अनुष्ठान से प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय अ॒यवा क्षयोपशमजन्य है।

प्रश्न—क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान विना क्षयोपशम के ही उत्पन्न होता है?

उत्तर—नहीं, उसके लिए भी क्षयोपशम अपेक्षित है।

प्रश्न—तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही हुआ। फिर भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय दोनों में क्या अन्तर है?

उत्तर—कोई भी अवधिज्ञान योग्य क्षयोपशम के विना नहीं हो सकता। अवधिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो अवधिज्ञानमात्र का साधारण कारण है। क्षयोपशम सवका समान कारण है, फिर भी किसी अवधिज्ञान को भवप्रत्यय बोग़ किसी को क्षयोपशमजन्य (गुणप्रत्यय) क्षयोपशम के आविर्भाव के निमित्तमेव की अपेक्षा से बहा गया है। देहधारियों की कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनमें जन्म लेते ही योग्य क्षयोपशम और उद्दारा अवधिज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है अर्थात् उन्हें अपने जीवन में अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए तप आदि अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। ऐसे सभी जीवों को न्यूनाधिक रूप में जन्मसिद्ध अवधिज्ञान अवश्य होता है और वह जीवनपर्यन्त रहता है। इसके विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें जन्म के साथ अवधिज्ञान प्राप्त होने का नियम नहीं है। इनको अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए तप आदि का अनुष्ठान करना पड़ता है। ऐसे सभी जीवों में अवधिज्ञान सम्भव नहीं होता, केवल उन्हीं में सम्भव होता है जिन्होंने उस ज्ञान के योग्य गुण पैदा किये हो। इसीलिए क्षयोपशमस्त्र अन्तरङ्ग कारण समान होने पर भी उसके लिए किसी जाति में केवल जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा

होने से सुविधा की दृष्टि से अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो नाम रखे गये हैं ।

देहधारी जीवों के चार वर्ग हैं—नारक, देव, तिर्यक्ष और मनुष्य । इनमें से पहले दो वर्गवाले जीवों में भवप्रत्यय अर्थात् पन्म से ही अवधिज्ञान होता है और पिछले दो वर्गवालों में गुणप्रत्यय अर्थात् गुणों से अवधिज्ञान होता है ।

प्रश्न—जब सभी अवधिज्ञानवाले देहधारी ही हैं तब ऐसा क्यों है कि किसी को तो बिना प्रयत्न के ही जन्म से वह प्राप्त हो जाता है और किसी को उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है ?

उत्तर—कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है । सब जानते हैं कि पक्षियों को जन्म लेते ही आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और मनुष्य आकाश में उड़ नहीं सकता जब तक कि वह विमान आदि का सहारा न ले । हम यह भी देखते हैं कि कितने ही लोगों में काव्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और कितने ही लोगों को वह बिना प्रयत्न के प्राप्त ही नहीं होती ।

तिर्यक्षों और मनुष्यों के अवधिज्ञान के छ भेद हैं—आनुगामिक, अनानुगामिक, वर्षमान, हीथमान, अवस्थित और अवस्थित ।

१. जैसे वस्त्र आदि किसी वस्तु को जिस स्थान पर रंग लगाया है वहाँ से उसे हटा लेने पर भी रंग कायम ही रहता है वैसे ही जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिक्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चले जाने पर भी कायम रहता है उसे आनुगामिक कहते हैं ।

२. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है कि वह प्रश्न का ठीक-ठीक चत्तर अमुक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नहीं, वैसे ही जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिस्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं रहता उसे अनानुगामिक कहते हैं ।

३. जैसे दियासुलाई या अरणि आदि से उत्पन्न आग की चिनगारी बहुत छोटी होने पर भी अधिकाधिक सूखे इंधन आदि को पाकर क्रमशः बढ़ती जाती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अल्पविषयक होने पर भी परिणाम-शुद्धि के बढ़ते जाने से क्रमशः अधिकाधिक विषयक होता जाता है उसे वर्षमान कहते हैं ।

४. जैसे परिमित दाह्य वस्तुओं में लगी हुई आग नया दाह्य न मिलने से क्रमशः घटती जाती है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्ति के समय अधिक विषयक होने पर भी परिणाम-शुद्धि कम होते जाने से क्रमशः अल्प-अल्प विषयक होता जाता है उसे हीथमान कहते हैं ।

५. जैसे किसी प्राणी को एक जन्म में प्राप्त पुरुष अदि देव<sup>३</sup> या दूसरे अनेक तरह के शुभ-अशुभ संस्कार दूसरे जन्म में साथ आते हैं या आजन्म कायम रहते हैं ही जैसे ही जो अवधिज्ञान जन्मान्तर होने पर भी आत्मा में कायम रहता है यांकैवल्यान की उत्पत्ति तक अथवा आजन्म टिकता है उसे अवस्थित कहते हैं।

६. जलतरङ्ग की तरह जो अवधिज्ञान कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी आविर्भूत होता है और कभी ठिरोहित होता है उसे अवस्थित कहते हैं।

पुरुषधर्मी तीर्थङ्कर मात्र को तथा किसी अन्य भनुष्य को भी अवधिज्ञान जन्म से प्राप्त होता है तथापि उसे युगप्रत्यय ही समझना चाहिए, क्योंकि योग्य युग्म न होने पर अवधिज्ञान आजन्म नहीं रहता, जैसे कि देव या नरकमति में रहता है। २१-२३।

मनःपर्याय के भेद और उनका अन्तर

ऋजुविपुलमती मनःपर्यायः । २४ ।

विशुद्धप्रतिपातान्यां तद्विशेषः । २५ ।

ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनःपर्यायोन हैं।

विशुद्धि से और पतन के अभाव से उन दोनों का अन्तर है।

मनवाले (संज्ञा) प्राणी किसी भी वस्तु या प्रवार्य का चिन्तन मन द्वारा करते हैं। चिन्तनीय वस्तु के भेद के अनुसार चिन्तन में प्रवृत्त मन भिन्न-भिन्न आकृतियों को आश्रण करता रहता है। से आकृतियों ही मन के पर्याय हैं और उन मानसिक आकृतियों को साकार् जानेवाला ज्ञान मनःपर्याय है। इस ज्ञान से चिन्तनशील मन की आकृतियां जानी जाती हैं पर चिन्तनीय वस्तुएँ नहीं जानी जा सकती।

प्रश्न-तो फिर क्या चिन्तनीय वस्तुओं को मनःपर्यज्ञानवाला ज्ञान नहीं सकता?

उत्तर-जान सकता है, पर वाद में अनुमान के द्वारा!

प्रश्न-किस प्रकार?

उत्तर-जैसे मानसशास्त्री किसी का चेहरा या हावभाव देखकर उस व्यक्ति के मनोभावों तथा सामर्थ्य का ज्ञान अनुमान से करता है वैसे ही मनःपर्याय-ज्ञानी मन पर्याय-ज्ञान से किसी के मन की आकृतियों को प्रत्यक्ष देखकर वाद में अस्यासवश अनुमान कर लेता है कि इस व्यक्ति ने अमुक वस्तु का चिन्तन किया, क्योंकि इसका मन उस वस्तु के चिन्तन के समय अवस्था होनेवाला अमुक-अमुक प्रकार की आकृतियों से युक्त है।

प्रश्न—अजुमति-और विपुलमति का रूप अर्थ हैं?

उत्तर—ज्ञोःविषय को सामन्य-रूप से जानता है और अजुमति मन पर्याय-ज्ञान है और त्वे-विशेष-रूप से जानता है वह विपुलमति मनःपर्यायज्ञान है।

प्रश्न—जब अजुमति ज्ञान सामान्यभावी है तब सो उसे 'वर्द्धन' ही कहा जाहिए, ज्ञान क्यों कहा जाता है?

उत्तर—त्वे-सामान्याही कहने का मनिप्राय इतना ही है कि वह विशेषों को सो जानता है पर विपुलमति-के जितने विशेषों को नहीं जानता।

अजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्यायज्ञान विशुद्धतर होता है क्योंकि वह सूक्ष्मतर-और अधिक विशेषों-को सूक्ष्मज्ञान-ज्ञान सकता है। इसके अतिरिक्त दोनों में यह भी अन्तर है कि अजुमति उत्पन्न होने के बाद कदाचित् नष्ट भी ही जाता है, पर विपुलमति के बलज्ञान की ज्ञानिपर्यन्त बना ही रहता है। २४-२५।

अवधि और मन-पर्याय में अन्तर

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमतःपर्यायियोः। २६।

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय के द्वारा अवधि और मन-पर्याय में अन्तर होता है।

यद्यपि अवधि और मन-पर्याय दोनों पारमार्थिक विकल ( अपूर्ण ) प्रत्यक्ष रूप से समान हैं तथापि दोनों में कई प्रकार का अन्तर है, जैसे विशुद्धिकृत, क्षेत्रकृत, स्वामिकृत और विषयकृत। १. मन-पर्यायज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा अपने विषय को बहुत विशद रूप से जानता है इसलिए उससे विशुद्धतर है। २. अवधिज्ञान का क्षेत्र अगुल के असंख्यातर भाग से लेकर सम्पूर्ण लोक तक है और मन-पर्यायज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वतपर्यन्त ही है। ३. अवधिज्ञान के स्वामी चारों गतिवाले हो सकते हैं पर मन-पर्याय के स्वामी केवल संयत मनुष्य ही है। ४. अवधि का विषय करिपय पर्यायसहित रूपी-नृव्य है पर मन-पर्याय का विषय तो केवल उसका अनन्तर्वाँ भाग है, मात्र मनोव्यवहार है।

प्रश्न—विषय कम होने पर भी मन-पर्याय अवधि से विशुद्धतर कैसे माना जाता है?

उत्तर—विशुद्धि का आधार विषय की न्यूनाधिकता नहीं है, विषयवत् न्यूनाधिक सूक्ष्मताओं को जानता है। जैसे दो व्यक्तियों में से एक अनेक शास्त्रों को जानता है और दूसरा केवल एक शास्त्र, तो भी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता की अपेक्षा एक शास्त्र को जाननेवाला व्यक्ति अपने विषय की सूक्ष्मताओं की अधिक जानता हो तो उसका ज्ञान पहले की अपेक्षा विशुद्धतर कहलाता है। जैसे ही विषय

भ्रम्म हुने पर भी भ्रम्मको सूक्ष्मपत्राओं को अधिक ज्ञानों के कारण मनस्यामि को अवधि से चिशुद्धतर कहा गया है । २६ ।

### पांचों ज्ञानों के ग्राह्य विषय

मतिश्रुतयोनिवन्धः सर्वद्वयेवत्सर्वपर्याप्तिषु । २७ ।

कृपिष्ववन्धेः न २८ ।

तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य । २९ ।

सर्वद्वयपर्याप्तिषु केवलस्य । ३० ।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति (ग्राह्यता) सर्वपर्यायरहित अर्थात् परिमितपर्यायोंमें युक्त सब द्रव्यों में होती है ।

अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सर्वपर्यायरहित केवल रूपों (मूर्ति) द्रव्यों में होती है ।

मन पर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्वपर्यायरहित अनन्तत्वे आग में होती है ।

केवलज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में होती है ।

मति और श्रुतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं पर पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब नहीं ।

प्रश्न-उक्त कथन से ज्ञात होता है कि मति और श्रुति के ग्राह्य विषयों में न्यूनाधिकता है ही नहीं, क्या यह सही है ?

उत्तर-द्रव्यरूप ग्राह्य की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता नहीं है । पर पर्यायरूप ग्राह्य की अपेक्षा से दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता अवश्य है । ग्राह्य पर्यायों की न्यूनाधिकता होने पर भी समानता इतनी ही है कि वे दोनों ज्ञान द्रव्यों के परिमित पर्यायों को ही जान सकते हैं, सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं । मतिज्ञान वर्तमानग्राही होने से इन्द्रियों की शक्ति और आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रव्यों के कुछ कुछ वर्तमान पर्यायों को ही ग्रहण करता है पर श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तीनों कालों के पर्यायों को योड़-बहुत प्रमाण में ग्रहण करता है ।

प्रश्न-मतिज्ञान चक्षु आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और इन्द्रियों के बल मूर्ति द्रव्य को ही ग्रहण कर सकती है । फिर मतिज्ञान के ग्राह्य सब द्रव्य किस प्रकार माने गए ?

उत्तर-मतिज्ञान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है और मन स्वानुभूत या शास्त्रश्रुत सभी मूर्ति-प्रमूर्ति द्रव्यों का चिन्तन करता है । इसलिए मनोज्ञ्य

मतिज्ञान की अपेक्षा से मतिज्ञान के प्राप्ति सब द्रव्य मानने में कोई विरोध नहीं है ।

प्रकृति-स्वानुभूत या शास्त्रशुल्क विषयों में मन के द्वारा मतिज्ञान भी होगा और श्रुतज्ञान भी, तब दोनों में अन्तर क्या है ?

उत्तर—जब मानसिक चिन्तन शब्दोल्लेख सहित हो तब वह श्रुतज्ञान है और जब शब्दोल्लेख रहित हो तब मतिज्ञान है ।

परम प्रकर्षप्राप्त परमावधि-ज्ञान जो अलोक में भी लोकप्रमाण असंख्यात स्पष्टों को देखने का सामर्थ्य रखता है, वह भी मात्र मूर्त द्रव्यों का साक्षात्कार कर पाता है, अमूर्त द्रव्यों का नहीं । इसी तरह वह मूर्त द्रव्यों के भी सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता ।

मनःपर्याय-ज्ञान भी मूर्त द्रव्यों का ही साक्षात्कार करता है, पर अवधिज्ञान के बराबर नहीं । अवधिज्ञान के द्वारा सब प्रकार के पुद्गलद्रव्य ग्रहण किये जा सकते हैं, पर मनःपर्यायज्ञान के द्वारा केवल मनस्तुप बने हुए पुद्गल और वे भी मात्रुषोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत ही ग्रहण किये जा सकते हैं । इसी कारण मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञान के विषय का अनन्तरावां भाग है । मनःपर्याय-ज्ञान कितना ही विशुद्ध हो, अपने प्राप्ति द्रव्यों के सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान सकता । यद्यपि मनःपर्यायज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो केवल चिन्तनशील मूर्त मन का ही होता है पर बाद में होनेवाले अनुभान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये गये मूर्त-अमूर्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं ।

मति आदि चारों ज्ञान कितने ही शुद्ध हों पर वे चेतनाशक्ति के अपूर्ण विकसितरूप होने से एक वस्तु के भी समग्र भावों को जानने में असमर्थ है । नियम यह है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के सम्पूर्ण भावों को जान सकता है वह सब वस्तुओं के सम्पूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता है । वही ज्ञान पूर्णज्ञान कहलाता है, उसी को केवलज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान चेतनाशक्ति के सम्पूर्ण विकास के समय प्रकट होता है । अतः इसके अनुरूपताजन्य भैद-प्रभेद नहीं हैं । कोई भी वस्तु या भाव ऐसा नहीं है जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके । इसीलिये केवलज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों और सब पर्यायों में मानी गई है । २७-३० ।

एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञान

एकादीनि भाज्यानि मुगपदेकस्मभाचतुर्भ्यः । ३१ ।

एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार तक ज्ञान विकल्प से—  
अनियत रूप से होते हैं ।

किसी आत्मा में एक साथ एक, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में चार ज्ञान तक सम्भव है पर पाँचों ज्ञान एक साथ किसी में नहीं होते। जब एक ज्ञान होता है, तब केवलज्ञान ही होता है क्योंकि परिपूर्ण होने से कोई अन्य अपूर्ण ज्ञान सम्भव ही नहीं है। जब दो ज्ञान होते हैं तब मति और श्रुत, क्योंकि पाँच ज्ञानों में से नियत सहचारी ये ही दो ज्ञान हैं। शेष तीनों ज्ञान एक-दूसरे को छोड़कर भी रह सकते हैं। जब तीन ज्ञान होते हैं तब मति, श्रुत और अवधिज्ञान या मति, श्रुत और मनःपर्यायज्ञान होते हैं। तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था में ही सम्भव है और तब चाहे अवधिज्ञान हो या मनःपर्यायज्ञान, मति और श्रुत दोनों तो अवश्य होते हैं। जब चार ज्ञान होते हैं तब मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय होते हैं, क्योंकि ये ही चारों ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते हैं। केवलज्ञान का अन्य किसी ज्ञान के साथ साहचर्य नहीं है क्योंकि वह पूर्ण अवस्थाभावी है और शेष सभी ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी हैं। पूर्णता तथा अपूर्णता दोनों अवस्थाएँ आपस में विरोधी होने से एक साथ आत्मा में नहीं होती। दो, तीन या चार ज्ञानों को एक साथ शक्ति की अपेक्षा से सम्भव कहा गया है, प्रवृत्ति की अपेक्षा से नहीं।

**प्रश्न**—इसे ठीक तरह से समझाइए।

**उत्तर**—जैसे मति और श्रुत दो ज्ञानवाला या अवधिसहित तीन ज्ञानवालों कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय को जानने में प्रवृत्त हो, उस समय वह अपने में श्रुत की शक्ति या अवधि की शक्ति होने पर भी उसका उपयोग करके तद्द्वारा उसके विषयों को नहीं जान सकता। इसी तरह वह श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मति या अवधि की शक्ति को भी काम में नहीं ला सकता। यही बात मनःपर्याय की शक्ति के विषय में है। सारांश यह है कि एक आत्मा में एक साथ अधिक-से-अधिक चार ज्ञान-शक्तियाँ हो तब भी एक समय में कोई एक ही शक्ति जानने का काम करती है, अन्य शक्तियाँ निष्क्रिय रहती हैं।

केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते। यह सिद्धान्त सामान्य होने पर भी उसकी उपर्याप्ति दो तरह से की जाती है। कुछ आचार्य कहते हैं कि केवलज्ञान के समय भी मति आदि चारों ज्ञान-शक्तियाँ रहती हैं पर वे सूर्योदकाश के समय ग्रह-नक्षत्र आदि के प्रकाश की तरह केवलज्ञान की प्रवृत्ति से असिंभूत हो जाने के कारण अपना-अपना ज्ञानरूप कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए शक्तियाँ होने पर भी केवलज्ञान के समय मति आदि ज्ञानपर्याय नहीं होते।

‘हूसरे आचार्यों का’ कथन है कि मति आदि चार ज्ञानशक्तियाँ आत्मा में स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु कर्म-क्षयोपशमरूप होने से औपाधिक अर्थात् कर्म-सापेक्ष है। इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा अभाव हो जाने पर—जब कि केवलज्ञान प्रकट होता है—औपाधिक शक्तियाँ सम्भव ही नहीं हैं। इसलिए केवलज्ञान के समय केवल्यशक्ति के सिवाय न तो अन्य ज्ञानशक्तियाँ ही रहती हैं और न उनका मति आदि ज्ञानपर्यायरूप कार्य ही रहता है। ३१।

विपर्ययज्ञान का निर्वारण और विपर्ययता के हेतु

मतिशुताऽवधयो विपर्ययश्च । ३२ ।

सदसतोरविशेषाद् यदृच्छोपलघ्वेरुन्मत्तवत् । ३३ ।

मति, श्रुत और अवधि ये तीनों विपर्यय ( अज्ञानरूप ) भी हैं।

वास्तविक और अवास्तविक का अन्तर न जानने से यहच्छोपलघ्व ( विचारशून्य उपलब्धि ) के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है।

मति, श्रुत आदि पांचों ज्ञान चेतनाशक्ति के पर्याय हैं। इनका कार्य अपने-अपने विषय को प्रकाशित करना है। अतः ये सब ज्ञान कहलाते हैं। परन्तु इनमें से पहले तीनों को ज्ञान व अज्ञानरूप माना गया है। जैसे मतिज्ञान, मतिअज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रुत-अज्ञान, अवधिज्ञान, अवधि-अज्ञान अर्थात् विभज्जज्ञान।

प्रश्न—मति, श्रुत और अवधि ये तीनों पर्याय जब अपने-अपने विषय का व्योध कराने के कारण ज्ञान हैं, तब उन्होंने को अज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्द परस्परविरुद्ध अर्थ के बावजूद होने से प्रकाश और अन्वेषकार शब्द की तरह एक ही अर्थ में लागू नहीं हो सकते।

उत्तर—उक्त तीनों पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही है, परन्तु यहाँ उन्हें ज्ञान और अज्ञानरूप शास्त्रीय संकेत के अनुसार ही कहा जाता है। आध्यात्मिक शास्त्र का संकेत है कि मति, श्रुत और अवधि ये तीनों ज्ञानात्मक पर्याय मिथ्यादृष्टि के अज्ञान हैं और सम्यग्दृष्टि के ज्ञान।

प्रश्न—यह कैसे कह सकते हैं कि केवल सम्यग्दृष्टि आत्मा ही प्रामाणिक अवबोहार चलाते हैं और मिथ्यादृष्टि नहीं चलाते? यह भी नहीं कहा जा सकता कि सम्यग्दृष्टि को संशय या भ्रमरूप मिथ्याज्ञान विलकुल नहीं होता और मिथ्यादृष्टि को ही होता है। यह भी सम्भव नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यग्दृष्टि के तो पूर्ण तथा निर्दोष ही हो और मिथ्यादृष्टि के अपूर्ण तथा दुष्ट हो। यह भी कैसे कहा जा सकता है कि विज्ञान व साहित्य आदि विषयों पर अपूर्व प्रकाश ढालनेवाले

और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी सम्यग्दृष्टि है। इसलिए प्रश्न उठता है कि अध्यात्मशास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञान-अज्ञान सम्बन्धी संकेत का आधार क्या है?

उत्तर—अध्यात्मशास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि नहीं। जीव दो प्रकार के हैं—मौकाभिमुख और ससाराभिमुख। मौकाभिमुख जीव या आत्मा में समझाव और आत्मविवेक होता है, इसलिए वे अपने सभी ज्ञानों का उपयोग समझाव की पुष्टि में करते हैं, सासारिक वासना की पुष्टि में नहीं। लौकिक दृष्टि से उनका ज्ञान चाहे अल्प ही हो पर उसे ज्ञान कहा जाता है। ससाराभिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही विशाल और स्पष्ट हो, वह समझाव का पोषक न होने से जितने परिमाण में सासारिक वासना का पोषक होता है उतना अज्ञान कहलाता है। जैसे उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना और लोहे को लोहा जानकर कभी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पर उन्माद के कारण वह सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। इसलिए उसका सच्चा-झूठा सम्पूर्ण ज्ञान विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता है। वैसे ही संसारभिमुख आत्मा को कितना ही अधिक ज्ञान हो, पर आत्मा के विषय में अधेरा होने के कारण उसका सम्पूर्ण लौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है।

सारांश, उन्मत्त मनुष्य के अधिक विभूति भी हो जाय और कभी वस्तु का यथार्थ वैध भी हो जाय तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, वैसे ही मिथ्या-दृष्टि आत्मा, जिसके राग-द्वेष की तीव्रता और आत्मा का अज्ञान होता है, वह अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग केवल सासारिक वासना के पोषण में ही करता है। इसीलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत सम्यग्दृष्टि आत्मा, जिसमें राग-द्वेष की तीव्रता न हो और आत्मज्ञान हो, वह अपने अल्प लौकिक ज्ञान का उपयोग भी आत्मिक तृप्ति में करता है। इसलिए उसके ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। ३२-३३।

नय के भेद

नैगमसङ्घप्रहव्यवहारजूसूत्रज्ञान्वा नयाः । ३४ ।

आद्यशब्दौ ह्रित्रिभेदौ । ३५ ।

नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पांच नय हैं।

आद्य अर्थात् प्रथम नैगम नय के दो और शब्द नय के तीन मेद हैं।

नय के भेदों की संख्या के विषय में कोई एक निश्चित परम्परा नहीं है। इनकी तीन परम्पराएँ देखने में आती हैं। एक परम्परा तो सीधे तीर पर पहले से ही सात भेदों को मानती है, जैसे नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द,

समभिरुद्ध और एवंभूत । यह परम्परा जीनागमो और दिगम्बर गत्यों की है । दूसरी परम्परा सिद्धसेन विवाकर की है । वे नैगम को छोड़कर शेष छ भेदों को मानते हैं । तीसरी परम्परा प्रस्तुत सूत्र और चसके भाष्य की है । इसके अनुसार नय के मूल पाँच भेद हैं और बाद में प्रथम नैगम नय के ( भाष्य के अनुसार ) देशपरिसेपी और सर्वपरिसेपी ये दो तथा पाँचवें शब्द नय के साम्प्रत, समभिरुद्ध और एवंभूत ये तीन भेद हैं ।

नयों के निरूपण का भाव—कोई भी एक या अनेक वस्तुओं के विषय में एक या अनेक व्यक्तियों के अनेक विचार होते हैं । एक ही वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न विचारों की संख्या अपरिमित हो जाती है । तत्त्वज्ञक प्रत्येक विचार का बोध होना असम्भव हो जाता है । अतएव उनका अतिसंक्षिप्त और अतिविस्तृत प्रतिपादन छोड़कर भव्यम-मार्ग से प्रतिपादन करना ही नयों का निरूपण है । इसी को विचारों का वर्गीकरण कहते हैं । नयवाद का अर्थ है विचारों की भीमासा । नयवाद में मात्र विचारों के कारण उनके परिणाम या उनके विषयों की ही चर्चा नहीं आती । जो विचार परस्परविशद्द दिखाई पड़ते हैं पर वास्तव में जिनका विरोध नहीं है, उन विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना ही नयवाद का भुव्य उद्देश्य है । अतः नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह ही सकती है—‘परस्परविशद्द दिखाई देनेवाले विचारों के वास्तविक अविरोध के बीज की गवेषणा करके उन विचारों का समन्वय करनेवाला शास्त्र’ । ऐसे आत्मा के विषय में ही परस्परविशद्द मन्तव्य मिलते हैं । कहीं ‘आत्मा एक है’ ऐसा कथन है, तो कहीं ‘अनेक है’ ऐसा कथन भी मिलता है । एकत्व और अनेकत्व परस्परविशद्द दिखाई पड़ते हैं । ऐसी स्थिति में प्रलूब होता है कि इन दोनों का यह विरोध वास्तविक है या नहीं ? यदि वास्तविक नहीं तो कैसे ? इसका उत्तर नयवाद ने दृढ़ निकाला है और ऐसा समन्वय किया है कि व्यक्तिरूप से देखा जाय तो आत्मतत्त्व अनेक है, किन्तु शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से वह एक ही है । इस तरह का समन्वय करके नयवाद परस्परविरोधी वाक्यों में भी अविरोध या एकवाक्यता सिद्ध करता है । इसी तरह आत्मा के विषय में परस्परविशद्द दिखाई देनेवाले नित्यत्व-अनित्यत्व, कर्तृत्व-अकर्तृत्व आदि भत्तों का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता है । ऐसे अविरोध का बीज विचारक की दृष्टि ( तात्पर्य ) में ही है । इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र में ‘अपेक्षा’ शब्द है । अतः नयवाद को अपेक्षावाद भी कहा जाता है ।

‘ नयवाद की देशाना और उसकी विशेषता—ज्ञान-निरूपण में श्रूति की

चर्चा आ चुकी है। श्रुत विचारात्मक ज्ञान है और नय भी एक तरह का विचारात्मक ज्ञान होने से श्रुत में ही समा जाता है। इसीलिए प्रथम यह प्रदन उपस्थित होता है कि श्रुत के निरूपण के बाद नयों को उससे भिन्न करके नयवाद की देशना अलग से क्यों की जाती है? जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नयवाद मानी जाती है, लेकिन नयवाद तो श्रुत है और श्रुत कहते हैं आगम-प्रमाण को। जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण-वर्धा और उसमें भी आगम-प्रमाण का निरूपण है ही। अत सहज ही दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब आगम-प्रमाण की चर्चा अन्य दर्शनों में भी है, तब आगम-प्रमाण में समाविष्ट नयवाद की स्वतन्त्र देजना करने से ही वह जैनदर्शन की अपनी विशेषता कैसे मानी जाय? अथवा श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतन्त्र देशना करने में जैनदर्शन के प्रवर्तनों का क्या उद्देश्य था?

श्रुत और नय दोनों विचारात्मक ज्ञान हैं ही। किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि किसी भी विषय को सर्वांश में रूपज्ञ करनेवाला अथवा स्वाक्षर में स्पर्श करने का प्रयत्न करनेवाला विचार श्रुत है और किसी एक अंश को स्पर्श करनेवाला विचार नय है। इन तरह नय को स्वतन्त्र रूप से प्रमाण नहीं कहा जा सकता, फिर भी वह अप्रमाण नहीं है। जैसे अगुली का अग्रभाग अंगुली नहीं है फिर भी उसे 'अंगुली नहीं है' यह भी नहीं कह सकते फिरकि वह अगुली का अज तो है ही। इसी तरह नय भी श्रुत-प्रमाण का अंज है। विचार की उत्पत्ति का क्रम और तत्कृत व्यवहार इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण श्रुत-प्रमाण से भिन्न करके किया गया है। किसी भी पदार्थ के विभिन्न अंशों के विचार ही अन्त में विशालता या समग्रता में परिणत होते हैं। विचार जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं, उसी क्रम से तत्त्वबोध के उपायरूप से उनका वर्णन होना चाहिए। इसे मान लेने से स्वामाविक तौर से नय का निरूपण श्रुत-प्रमाण से अलग करना संगत हो जाता है और किसी एक विषय का समग्ररूप से कितना भी ज्ञान हो तो भी व्यवहार में उस ज्ञान का उपयोग एक-एक अंश को लेकर ही होता है। इसीलिए समग्र-विचारात्मक श्रुत से अश-विचारात्मक नय का निरूपण भिन्न किया जाता है।

यद्यपि जैनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चर्चा है तथापि उसी प्रमाण में समाविष्ट नयवाद की जैनदर्शन ने जो स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठा की है उसका अपना कारण है और वही इसकी विशेषता के लिए पर्याप्त है। सामान्यतः भनुव्य की ज्ञानवृत्ति अपूरी होती है और अस्मिता ( अभिनिवेश ) अत्यधिक होता है। जब वह किसी विषय में कुछ भी सोचता है तब वह उसको ही अन्तिम व

सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता है और इसी प्रेरणावश वह दूसरे के विचारों को समझने का बैर्य स्वीकृत है। अन्तत वह अपने आशिक ज्ञान में ही सम्पूर्णता का आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के विषय में सच्चे लेकिन भिन्न-भिन्न विचार रखनेवालों के बीच सामंजस्य नहीं रहता। फलत् पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है।

आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आपसुरूप के आशिक विचार को ही जब कोई दर्शन सम्पूर्ण मानकर छोड़ता है तब वह विरोधी होने गर भी यथार्थ विचार रखनेवाले दूसरे दर्शनों को अप्रमाण रुक्कहर उनकी अवगणना करता है। इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी ओर फिर दोनों किसी तीसरे की अवगणना करते हैं। परिणामतः समस्ता की जगह विप्रमता और विवाद खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सत्य और पूर्ण ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद मिटाने के लिए ही नयवाद की प्रतिष्ठा की गई है। उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक को चाहिए कि वह अपने विचार को आगम-प्रमाण कहने के पूर्व यह देख ले कि उसका विचार प्रमाण-कोटि में आने योग्य सर्वांगी है अथवा नहीं है। नयवाद के द्वारा ऐसा निर्देश फरमा ही जैनदर्शन की विशेषता है।

**सामान्य लक्षण—**किसी भी विषय का सापेक्ष निरूपण करनेवाला विचार नय है।

संक्षेप में नय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक।

जगत् में छोटी या बड़ी सभी वस्तुएँ एक-दूसरे से न तो सर्वथा असमान ही होती हैं, न सर्वथा समान। इनमें समानता और असमानता दोनों अवश्य रहते हैं। इसीलिए 'वस्तुमात्र' 'सामान्य-विशेष (उभयतत्त्वक) है,' ऐसा कहा जाता है। यद्युपर्याय की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य अंश की ओर क्षुकर्ता है और कभी विशेष-अंश की ओर। जब वह सामान्य अवश्य को ग्रहण करती है तब उसका वह विचार द्रव्यार्थिक नय कहलाता है और जब वह विशेष अवश्य को ग्रहण करती है तब पर्यायार्थिक नय कहलाता है। सभी सामान्य और विशेष दृष्टियाँ भी एक-सी नहीं होती, उनमें भी अन्तर रहता है। यहीं बतलाने के लिए इन दो दृष्टियों के फिर संक्षेप में भाग किये गये हैं। द्रव्यार्थिक के तीन और पर्यायार्थिक के चार—इस तरह कुल सात भाग बनते हैं और ये ही सात नय हैं। द्रव्यदृष्टि में विशेष (पर्याय) और पर्यायदृष्टि में द्रव्य (सामान्य) आता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह दृष्टिविभाग तो केवल गौण-प्रधान भाव की अपेक्षा से ही है।

**प्रकल्प—**उपर निरूपित दोनों नयों को सरल उदाहरणों द्वारा समझाइए।

**उत्तर—**कहीं भी, कभी भी और किसी भी अवस्था में रहकर समुद्र की

तरफ दृष्टि ढालने पर जब जल के रंग, स्वाद, उसकी गहराई या छिछलापन, विस्तार तथा सीमा इत्यादि विशेषताओं की ओर ध्यान न जाकर केवल जल-ही-जल ध्यान में आता है तब वह मात्र जल का सामान्य विचार कहलाता है और यही जल-विषयक द्रव्यार्थिक नय है। लेकिन जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं की ओर ध्यान जाता है तब वह विचार जल की विशेषताओं का होने से जल-विषयक पर्यायार्थिक नय कहा जायेगा।

इसी तरह बन्ध सभी भौतिक पदार्थों के विषय में समझना चाहिए। विभिन्न स्थलों में फैली हुई जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस प्रकार सामान्य और विशेष विचार करना सम्भव है; वैसे ही भूत, वर्तमान और भविष्य इस त्रिकालरूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक पदार्थ के विषय में भी सामान्य और विशेष विचार सर्वथा सम्भव है। काल तथा अवस्था-भेदकृत चिह्नों पर ध्यान न देकर जब केवल धूंध चैतन्य की ओर ध्यान जाता है, तब वह उसके विषय का द्रव्यार्थिक नय कहा जायेगा। चैतन्य की देश-कालादि-कृत विविध दशाओं पर जब ध्यान जायेगा तब वह चैतन्य-विषयक पर्यायार्थिक नय कहा जायेगा।

विदेश भेदों का स्वरूप—१ जो विचार लौकिक रुद्धि अथवा लौकिक सरकार के अनुसरण से पैदा होता है वह नैगमनय है।

श्री उमास्वाति द्वारा निर्देशित नैगम नय के दो भेदों की व्याख्या इस प्रकार है— घट-घट जैसे सामान्यवोधक नाम से जब एकाव घट-घट जैसी अर्थवस्तु ही विचार में ग्रहण की जाती है तब वह विचार देश-परिस्थिती नैगम कहलाता है औपर जब उस नाम से विवक्षित होनेवाले अर्थ की सम्पूर्ण जाति विचार में ग्रहण की जाती है तब वह विचार सर्वपरिस्थिती नैगम कहलाता है।

२ जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को किसी भी सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित करता है वह सग्रहनय है।

३ जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं का व्यानहारिक प्रयोजन के अनुमार पृथक्करण करता है वह व्यवहारनय है।

इन तीनों नयों का उद्गम द्रव्यार्थिक की भूमिका में निहित है, अत. ये तीनों नय द्रव्यार्थिक प्रकृतिवाले कहलाते हैं।

प्रदर्शन—शेष नयों की व्याख्या करने से पहले उपयुक्त दीन नयों को ही उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कोजिए।

उत्तर—

नैगमनय—देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण लोकरूढियाँ तथा उज्जन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते हैं, अतः उनसे उद्भूत नैगमनय भी अनेक तरह का होता है और उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल जाते हैं, ऐसे ही अन्य उदाहरण भी बनाये जा सकते हैं।

किसी काम के संकल्प से जानेवाले से कोई पूछता है कि ‘आप कहाँ जा रहे हैं?’ तब वह कहता है कि ‘मैं कुल्हाड़ी या कलम लेने जा रहा हूँ।’

उत्तर देनेवाला वास्तव में तो कुल्हाड़ी के हृत्ये ( वेट ) के लिए लकड़ी अथवा कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा होता है, लेकिन पूछनेवाला भी तत्क्षण उसके भाव को समझ जाता है। यह एक लोकरूढ़ि है।

जात-पात छोड़कर भिसु बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वाधारम के ग्राहण-वर्ण द्वारा करता है तब भी ‘वह ग्राहण श्रमण है’ यह कथन तत्काल स्वीकार कर लिया जाता है। इसी तरह लोग चैत्र शुक्ला नवमी व त्रयोदशी को हृजारो वर्ष पूर्व के राम तथा महावीर के जन्मदिन के रूप में मानते हैं तथा उत्सवादि भी करते हैं। यह भी एक लोकरूढ़ि है।

जब कभी कुछ लोग समूहरूप में लड़ने लगते हैं तब दूसरे लोग उनके क्षेत्र-को ही लड़नेवाला मानकर कहने लगते हैं कि ‘हिन्दुस्तान लड़ रहा है’, ‘चीन लड़ रहा है’ इत्यादि; ऐसे कथन का आशय सुनेवाले समझ जाते हैं।

इस प्रकार लोकरूढियों के द्वारा पहुँच स्स्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न होते हैं वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये जाते हैं।

संग्रहनय—जड़, चेतनरूप अनेक व्यक्तियों में जो सदरूप एक सामान्य तत्त्व है, उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों को व्यान में न रखकर सभी व्यक्तियों को एकरूप मानकर ऐसा विचार करना कि सभूर्ण जगत् सदरूप है, क्योंकि सत्ता-रहित कोई वस्तु है ही नहीं, यही संग्रहनय है। इसी तरह वस्त्रों के विविध प्रकारों तथा विभिन्न वस्त्रों की ओर लक्ष्य न देकर मात्र वस्त्ररूप सामान्य तत्त्व को ही दृष्टि में रखकर विचार करना कि ‘यहाँ केवल वस्त्र है’, यही संग्रहनय है।

सामान्य तत्त्व के अनुसार उत्तमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त उदाहरण बन सकते हैं। जितना विशाल सामान्य होगा उतना ही विशाल संग्रहनय भी होगा तथा जितना छोटा सामान्य होगा उतना ही संक्षिप्त संग्रहनय होगा। सारांश, जो भी विचार सामान्य तत्त्व के आधर से विविध वस्तुओं का एकीकरण करके प्रवृत्त होते हैं, वे सभी संग्रहनय की कोटि में आते हैं।

**व्यवहारनय**—विविष वस्तुओं की एक रूप में संकलित करने के बाद भी उब उनका विशेष रूप में बोध आवश्यक हो या व्यवहार में उपयोग करने का प्रसंग हो तब उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक्करण करना पड़ता है। 'वस्त्र' कहने मात्र से भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्रों का अलग-अलग बोध नहीं होता। जो केवल खादी चाहता है वह वस्त्रों का विभाग किये दिना खादी नहीं पा सकता, अतः खादी का कपड़ा, मिल का कपड़ा इत्यादि भेद भी करने पड़ते हैं। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में सद्गृह्य वस्तु भी जड़ और चेतन दो प्रकार की है और चेतन तत्त्व भी सासारी और मुक्त दो प्रकार का है, इस तरह के पृथक्करण करने पड़ते हैं। ऐसे पृथक्करणोन्मुख सभी विचार व्यवहारनय की कोटि में आते हैं।

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि नैगमनय का आधार लोकरुद्धि है। लोक-रुद्धि आरोप पर आश्रित होती है और आरोप सामान्य-तत्त्वाधी द्वारा होता है। इस तरह यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि नैगमनय सामान्यप्राप्ती है। संग्रहनय तो स्पष्ट रूप से एकीकरणरूप बुद्धि-व्यापार होने से सामान्यप्राप्ती है ही। व्यवहार-नय में बुद्धि-व्यापार पृथक्करणोन्मुख होने पर भी उसकी क्रिया का आधार सामान्य होने से वह भी सामान्यप्राप्ती ही है। इसीलिए ये तीनों नय द्रव्याधिक नय के भेद हैं।

**प्रश्न**—इन तीनों का पारस्परिक भेद और उनका सम्बन्ध क्या है ?

**उत्तर**—नैगमनय का विषय सबसे अधिक विशाल है, क्योंकि वह सामान्य और विशेष दोनों का ही लोकरुद्धि के अनुसार कभी गौणरूप से और कभी मुख्यरूप से अवलम्बन करता है। केवल सामान्यलक्षी होने से सग्रह का विषय नैगम से कम है और व्यवहार का विषय तो सग्रह से भी कम है, क्योंकि वह संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही मुख्य-मुख्य विशेषताओं के आधार पर पृथक्करण करता है, अतः केवल विशेषणमी है। इस तरह विषय-क्षेत्र उत्तरोत्तर कम होने से इन तीनों का पारस्परिक पौर्वार्थ सम्बन्ध है। नैगमनय सामान्य, विशेष और इन दोनों के सम्बन्ध की प्रतीति करता है। इसी में से सग्रह का उद्दभव होता है और संग्रह की मिस्ति पर ही व्यवहार का चिन्ह खीचा जाता है।

**प्रश्न**—इसी प्रकार शेष चार नयों की व्याख्या कीजिए, उनके उदाहरण दीजिए तथा दूसरी आनकारी कराइए।

**उत्तर**—१. जो विचार भूतकाल और भविष्यतकाल का ध्यान न करके केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है वह अनुसूच है।

२. जो विचार शब्द-प्रधान होकर अनेक शान्तिक धर्मों की ओर झुककर उद्युक्तार अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह शब्दनय है ।

श्री उमास्त्वाति द्वारा सूत्र में निर्देशित शब्दनय के तीन भेदों में से प्रथम भेद साम्प्रत है । अर्थात् शब्दनय यह सामान्य पद साम्प्रत, समभिरुद्ध और एवभूत इन तीनों भेदों को व्याप्त कर लेता है, परन्तु प्रचलित सब परम्पराओं में साम्प्रत नामक पहले भेद में ही 'शब्दनय' यह सामान्य पद रूढ़ हो गया है और साम्प्रत-नय पद का स्थान शब्दनय पद ने ले लिया है । इसलिए यहाँ पर साम्प्रत नय की सामान्य व्याख्या न कर आगे विशेष स्पष्टीकरण करते समय शब्दनय पद का ही व्यवहार किया गया है । उसका जो स्पष्टीकरण किया गया है वही भाष्यकथित साम्प्रत नय का स्पष्टीकरण है ।

३. जो विचार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता है वह समभिरुद्धनय है ।

४. जो विचार शब्द से फलित होनेवाले अर्थ के बटने पर ही वस्तु को उस रूप में मानता है, अन्यथा नहीं, वह एवभूतनय है ।

**ऋचुसूत्रनय**—यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वथा उपेक्षा करके नहीं चलती तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की ओर झुककर वर्तमान में ही प्रवृत्ति करने लगती है । ऐसी स्थिति में मनुष्य-बुद्धि ऐसा मानने लगती है कि जो उपस्थित है वही सत्य है, वही कार्यकारी है और भूत तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्यसाधक न होने से शून्यवत् है । वर्तमान समृद्धि ही सुख का साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है । भूत-समृद्धि का स्परण या भावी-समृद्धि की कल्पना वर्तमान में सुख-साधक न होने से ममृद्धि नहीं कही जा सकता । इसी तरह पुनर्मौजूद हो और वह माता-पिता की भेदा करे, तब तो पुनर्मौजूद हो । किन्तु जो पुनर्मौजूद हो या भावी हो पर मौजूद न हो, वह पुनर्मौजूद नहीं । इस तरह केवल वर्तमानकाल से सम्बन्ध रखनेवाले विचार ऋचु-सूत्रनय की कोटि में आते हैं ।

**शब्दनय**—जब विचार की गहराई में उत्तरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और भविष्यत् की जड़ काटने पर उतारू हो जाती है तब वह उससे भी आगे बढ़कर किसी दूसरी जड़ को भी काटने को तंथार होने लगती है । वह भी मात्र शब्द को पकड़कर प्रवृत्त होती है और ऐसा विचार करने लगती है कि यदि भूत या भावी से पृथक् होने के कारण केवल वर्तमानकाल मान लिया जाय, तब तो एक ही अर्थ में व्यवहृत होनेवाले भिन्न-भिन्न लिङ्ग, काल, स्थाया, कारक, पुण्य और उपसर्गयुक्त शब्दों के अर्थ भी अलग-अलग क्यों न माने जायें? जैसे तीनों कालों

में कोई सूत्ररूप एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमान-स्थित वस्तु ही एकमात्र वस्तु कहलाती है, वैसे ही भिन्न-भिन्न लिङ्ग, सत्या और कालादि से युक्त शब्दों द्वारा कही जानेवाली वस्तुएँ भी भिन्न-भिन्न ही मानी जानी आहिए। ऐसा विचार करके बुद्धि काल और लिङ्गादि के भेद से अर्थ में भी भेद मानने लगती है।

उदाहरणार्थ, ज्ञात्र में एक ऐसा वाक्य मिलता है कि 'राजगृह नाम का नगर था'। इस वाक्य का भोटे तौर पर यह अर्थ होता है कि राजगृह नाम का नगर भूतकाल में था, वर्तमानकाल में नहीं है, जब कि लेखक के समय में भी राजगृह विद्यमान है। यदि वर्तमान में है, तब उसको 'था' क्यों लिखा गया? इसका उत्तर शब्दनय देता है कि वर्तमान में विद्यमान राजगृह से भूतकाल का राजगृह तो भिन्न ही है और उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से 'राजगृह था' कहा गया है। यह कालभेद से अर्थभेद का उदाहरण है।

लिङ्गभेद से अर्थभेद जैसे कुमाँ, कुई। यहाँ पहला शब्द नर जाति का और दूसरा नारी जाति का है। इन दोनों का कल्पित अर्थभेद भी व्यवहार में प्रसिद्ध है। कितने ही तारे नक्षत्र नाम से पुकारे जाते हैं, फिर भी इस शब्दनय के अनुसार 'अमुक तारा नक्षत्र है' अथवा 'यह भूमा नक्षत्र है' ऐसा शब्द-व्यवहार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस नय के अनुसार लिङ्गभेद से अर्थभेद माने जाने के कारण 'तारा और नक्षत्र' एवं 'भूमा और नक्षत्र' इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते।

स्थान ( आकार ), प्रस्थान ( गमन ), उपस्थान ( उपस्थिति ) इसी प्रकार आराम, विराम इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने पर भी उपसर्ग के लग जाने से जो अर्थ-भेद हो जाता है उसी से शब्दनय की भूमिका बनती है।

इस तरह विविध शास्त्रिक घर्मों के आधार पर जो अर्थ-भेद की अनेक मान्यताएँ प्रचलित हैं, वे सभी शब्दनय की कोटि में आती हैं।

**समभिष्ठृण्य**—शास्त्रिक घर्मभेद के आधार पर अर्थभेद करनेवाली बुद्धि ही जब और आगे बढ़कर व्युत्पत्तिभेद का आश्रय लेने लगती है और ऐसा मानने पर उत्तर हो जाती है कि जहाँ अनेक भिन्न-भिन्न शब्दों का एक अर्थ मान लिया जाता है, वहाँ भी वास्तव में उन सभी शब्दों का एक अर्थ नहीं हो सकता, किन्तु अलग-अलग अर्थ है। यदि लिङ्गभेद और संख्याभेद आदि से अर्थभेद मान सकते हैं, तब शब्दभेद भी अर्थ का भेदक यो नहीं मान लिया जाता? इस दलील से वह बुद्धि राजा, नृप, भूपति आदि पकार्थक युक्तों के भी व्युत्पत्ति के अनुसार अलग-अलग अर्थ करती है और कहती है कि राजचिह्नों से शोभित

‘राजा’, मनुष्यों का रक्षण करनेवाला ‘नृप’ तथा पृथ्वी का पालन-संवर्धन करनेवाला ‘भूपति’ है। इस तरह उक्त तीनों नामों के एक ही अर्थ में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थमेद माननेवाला विचार समझौदनय है। पर्याय-भेद से की जानेवाली अर्थमेद की सभी कल्पनाएँ समझौदनय की कोटि में आती हैं।

एवंमूतनय—विशेष रूप से गहराई में जानेवाली बुद्धि अन्तिम गहराई में पहुँचने पर विचार करती है कि यदि व्युत्पत्तिभेद से अर्थभेद भाना जा सकता है, तब तो ऐसा भी भानना चाहिए कि जब व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, तभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए तथा उस शब्द के द्वारा उस अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस कल्पना के अनुसार किसी समय राजनिहां से शोभित होने की योग्यता को धारण करना, अथवा मनुष्य-रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त करना मात्र ही ‘राजा’ या ‘नृप’ कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं। ‘राजा’ तो वास्तव में तभी कहला सकता है जब राजदण्ड धारण करता हुआ उससे भैयमान हो रहा हो, इसी तरह ‘नृप’ तब कहना चाहिए जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो। साराश, किसी व्यक्ति के लिए राजा या नृप शब्द का प्रयोग करना तभी ठीक है जब उसमें शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ भी घटित होता हो।

इसी तरह जब कोई सेवा कर रहा हो, उसी समय या उत्तनी बार ही उसे ‘सेवक’ नाम से पुकारा जा सकता है। वास्तव में जब कोई किया हो रही हो तभी उससे सम्बन्धित विशेषण या विशेष नाम का व्यवहार एवंभूतनय कहलाता है।

शेष वक्तव्य—उक्त चारों प्रकार की विचार-कोटियों का अन्तर तो उदाहरणों से ही स्पष्ट हो सकता है। उसे अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि पूर्व-नूर्व नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता जाता है। अतएव उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-नूर्व नय के विषय पर ही अवलम्बित रहता है। इन चारों नयों का मूल पर्यायार्थिक नय है। यह बात इसलिए कही गई है कि ऋजुसूत्र केवल वर्तमान को ही स्वीकार करता है, भूत और भविष्यत् को नहीं। अत यह स्पष्ट है कि इसका विषय सामान्य न रहकर विशेष रूप से ही ध्यान में आता है, अर्थात् वास्तव में ऋजुसूत्र से ही पर्यायार्थिक नय—विशेषगामिनी बुद्धि—का आरम्भ माना जाता है। ऋजुसूत्र के बाद के तीन नय तो उत्तरोत्तर और भी अधिक विशेषगामी बनते जाते हैं। इस तरह उनका पर्यायार्थिक होना तो स्पष्ट ही है।

इन चार नयों में भी, जब कि उत्तर नय को पूर्व नय की अपेक्षा सूक्ष्म कहा जाता है, तब वह पूर्व नय उतने अक्ष में तो उत्तर नय की अपेक्षा सामान्यगामी ही

है। इसी तरह द्विव्यार्थिक नय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से उतने अंश में तो पूर्व की अपेक्षा विशेषणाभी है।

इतने पर भी पहले तीन नयों को द्विव्यार्थिक और बाद के चार नयों को पर्यार्थिक कहने का तात्पर्य यही है कि प्रथम तीनों में सामान्य तत्त्व और उभयका विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे तीनों अधिक स्थूल हैं। बाद के चार नय विशेष नूहम हैं, उनमें विशेष तत्त्व व उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्य और विशेष की इसी स्पष्टता अथवा अस्पष्टता के कारण तथा उनकी मुख्यतागौणता को ध्यान में रखकर ही सात नयों के द्विव्यार्थिक और पर्यार्थिक ये दो विभाग किये गए हैं। पर बास्तव में सामान्य और विशेष ये दोनों एक ही वस्तु के अविभाज्य दो पहलू हैं, अतः एकान्तरूप में एक नय के विषय को दूसरे नय के विषय से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता।

नयदृष्टि, विचारसरणी या सापेंस अभिप्राय इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। पूर्वोक्त वर्णन से इतना अदर्श पता चलता है कि किसी भी एक विषय को लेकर अनेक विचारसरणियाँ हो सकती हैं। विचारसरणियाँ चाहे जितनी हों, पर संक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से उनके सात ही भाग किये गए हैं। उनमें भी पहली विचारसरणी की अपेक्षा दूसरी में और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व आता जाता है। एवंभूत नाम की अन्तिम विचारसरणी में सबसे अधिक सूक्ष्मत्व दिखाई देता है। इसीलिए उक्त चार विचारसरणियों के अर्थ प्रकार से भी दो भाग किये गए हैं—व्यवहारस्य और निष्ठयनय। व्यवहार अर्थात् स्थूलगणाभी या उपचार-प्रधान और निष्ठय अर्थात् सूक्ष्मगणाभी या तत्त्वस्पर्शी। बास्तव में एवंभूत ही निष्ठय की पराकाढ़ा है।

एक तीसरे प्रकार से भी सात नयों के दो विभाग किये जाते हैं—शब्दनय और अर्थनय। जिसमें अर्थ का प्राधान्य हो वह अर्थनय और जिसमें शब्द का प्राधान्य हो वह शब्दनय। पहले चार नय अर्थनय हैं और ये पर तीन शब्दनय हैं।

पूर्वोक्त दृष्टियों के अतिरिक्त और-भी अनेक दृष्टियाँ हैं। जीवन के दो भाग हैं—एक सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पचानने का। जो भाग केवल सत्य का विचार करता है अर्थात् तत्त्वस्पर्शी होता है, वह ज्ञानदृष्टि (ज्ञाननय) है और जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही पूर्णता समक्षता है वह क्रियादृष्टि (क्रियानय) है।

अपर वर्णित सातों नय तत्त्व-विचारक होने से ज्ञाननय में समा जाते हैं। इन नयों के द्वारा शोधित सत्य को जीवन में उतारने की दृष्टि ही क्रियादृष्टि है। क्रिया का अर्थ है जीवन को सत्यमय बनाना। ३४-३५। ●

: २ :

## जीव

प्रथम अध्याय में सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गया है। आगे के भी अध्यायों में क्रमशः उनका विशेष विचार किया गया है। इस अध्याय में 'जीव' पदार्थ का तत्त्वस्वरूप उसके भेद-प्रभेद आदि विपर्यो का वर्णन किया जा रहा है।

पांच भाव, उनके भेद और उदाहरण

ओपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिषामिको च । १ ।

द्विनदाष्टादशैकर्त्तिवशतित्रिभेदा यथाक्रमम् । २ ।

सम्यक्त्वचारित्रे । ३ ।

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । ४ ।

ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलब्धयश्चतुस्त्रित्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च । ५ ।

गतिकषायथलिङ्गमिष्यादर्शनाऽज्ञानाऽसंपत्ताऽसिद्धत्वलेश्याश्चतुश्चतुर्स्ये-कैकैकैकषड्भेदाः । ६ ।

जीवभव्याभव्यत्वादीनि च । ७ ।

ओपशमिक, क्षायिक और मिश्र ( क्षायोपशमिक ) ये तीन तथा ओदयिक, पारिणामिक ये दो, कुल पांच भाव हैं। ये जीव के स्वरूप हैं।

उक्त पांच भावों के अनुक्रम से दो, नी, अठारह, इक्कीस और तीन भेद हैं।

सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ओपशमिक भाव हैं।

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र ये नी क्षायिक भाव हैं।

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, पांच दानादि लिखियाँ, सम्यक्त्व, चारित्र ( सर्वविरति ) और संयमासंयम ( देशविरति ) ये अठारह क्षायोपशमिक भाव हैं ।

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिङ्ग ( वेद ), एक मिथ्यादर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव और छः लेख्याएँ ये इक्कीस औदयिक भाव हैं ।

जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन तथा अन्य भी पारिणामिक भाव हैं ।

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में जैनदर्शन का अन्य दर्शनों के भाय कैसा अन्तर्भु-भेद है यही बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है । सांख्य और वेदान्त-दर्शन आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं तथा उसमें कोई परिणाम नहीं मानते । वे ज्ञान, सुख-दुःखादि परिणामों को प्रकृति या अविद्या के ही मानते हैं । वैजेतिक और नैयायिक ज्ञान आदि को आत्मा का गुण मानते हैं सही, फिर भी वे आत्मा को एकान्तवित्य ( अपरिणामी ) मानते हैं । नव्य-भीमासक गत वैशेषिक और नैयायिक जैसा ही है । बौद्ध-दर्शन के अनुसार आत्मा एकान्तक्षणिक अथर्वि निरन्तर्य<sup>१</sup> परिणामों का प्रबाह भाव है । जैनदर्शन का कथन है कि जैसे प्रकृतिक उड़ पदार्थों में न सो कूटस्थनित्याएँ<sup>२</sup> हैं और न एकान्तक्षणिकता, किन्तु परिणामिनित्यता<sup>३</sup> है, वैसे ही आत्मा भी परिणामिनित्य है । अतएव ज्ञान, सुख, दुःख आदि पर्याय आत्मा के ही हैं ।

आत्मा के सभी पर्याय एक ही अवस्था के नहीं होते; कुछ पर्याय किसी एक अवस्था के होते हैं तो दूसरे कुछ पर्याय किसी दूसरी अवस्था के । पर्यायों की वे भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ ही भाव कहलाती हैं । आत्मा के पर्याय अधिक-से-अधिक पांच भाववाले हो सकते हैं । वे पांच भाव ये हैं—१. औपशमिक, २. क्षायिक, ३. क्षायोपशमिक, ४. औदयिक और ५. पारिणामिक ।

१. विभिन्न क्षणों में सुख-दुःख अथवा औड़े-बहुत मिल दिपयक ज्ञानादि परिणामों का जो अनुभव होता है, उन्हीं परिणामों की भालना और उनके बीच भूत्रूप में किसी भी अपर्याप्त स्थिर तत्त्व को स्त्रीकार न करना ही निरन्तर परिणामों का प्रबाह है ।

२. हर्षाडे की चाहे जितनी चांदे लगे, तब भी निराई जैसे स्थिर ही रहती है, वैसे ही देश-कालादि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर भी जिसमें किंचिन्प्राच भी परिवर्तन नहीं होता वही कूटस्थनित्यता है ।

३. तीनों कालों में मूल वस्तु के कायम रहने पर भी देश-कालादि के निनिच्च से जो परिवर्तन होता रहता है वह परिणामिनित्यता है ।

**भावों का स्वरूप—१.** औपशमिक भाव उपशम से उत्पन्न होता है। उपशम एक प्रकार की आत्मशुद्धि है जो सत्तागत कर्म का उदय बिलकुल रुक जाने पर होती है, जैसे मैल तल में बैठ जाने पर जल स्वच्छ हो जाता है।

**२.** क्षायिक भाव क्षय से उत्पन्न होता है। क्षय आत्मा की वह परमविशुद्धि है जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर प्रकट होती है, जैसे सर्वथा मैल के निकल जाने पर जल नितान्त स्वच्छ हो जाता है।

**३.** क्षयोपशमिक भाव क्षय और उपशम से उत्पन्न होता है। क्षयोपशम एक प्रकार की आत्मिकशुद्धि है, जो कर्म के एक अवश्यक उदय सर्वथा रुक जाने पर और दूसरे अवश्यक काम प्रदेशोदय<sup>१</sup> द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है। यह विशुद्धि मिथित है, जैसे कोई को घोने से उसकी मादक क्षमित कुछ क्षीण हो जाती है और कुछ रह जाती है।

**४.** औदयिक भाव उदय से पैदा होता है। उदय एक प्रकार का आत्मिक कालूष्य ( मालिन्य ) है, जो कर्म के विपाकानुभव से होता है, जैसे मैल के मिल जाने पर जल भलिन हो जाता है।

**५.** पारिमाणिक भाव द्रव्य का परिणाम है, जो द्रव्य के अस्तित्व से अपने आप होता है अर्थात् किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप-परिणामन ही पारिमाणिक भाव है।

ये पाँचों भाव ही आत्मा के स्वरूप हैं। संसारी या मुक्त कोई भी आत्मा हो, उसके सभी पर्याय इन पाँच भावों में से किसी-न-किसी भाववाले ही होंगे। अजीव में पाँचों भाववाले पर्याय सम्भव नहीं हैं, इसलिए ये भाव अजीव के स्वरूप नहीं हैं। उक्त पाँचों भाव सभी जीवों में एक साथ होने का भी नियम नहीं है। मुक्त जीवों में दो भाव होते हैं—क्षायिक और पारिमाणिक। संसारी जीवों में कोई तीन भाववाला, कोई चार भाववाला, कोई पाँच भाववाला होता है, पर दो भाववाला कोई नहीं होता। अर्थात् मुक्त आत्मा के पर्याय दो भावों तक और संसारी आत्मा के पर्याय तीन से लेकर पाँच भावों तक पाये जाते हैं। अतएव पाँच भावों को जीव का स्वरूप जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव-विशेष में सम्मानना की अपेक्षा से कहा गया है।

औदयिक भाववाले पर्याय वैभाविक और शेष चारों भाववाले पर्याय स्वाभाविक हैं। १।

१. नीरस किये गये कर्मदलिकों का वैदन-प्रदेशोदय है और रस विशिष्ट दलिकों का विपाकवैदन विपाकोदय है।

उक्त पांचों भावों के कुल ५३ भेदों का निर्देश इस सूत्र में है, जो आगे के सूत्रों में नामपूर्वक क्रमज. इस प्रकार बतलाये गए हैं कि किस भाववाले किसने-किसने पर्याय है और कीन-कीन-से है । २ ।

ओपशमिक भाव के भेद—दर्शन-भोहनीय कर्म के उपशम से सम्बन्ध का और चारित्र-भोहनीय कर्म के उपशम से चारित्र का आविभवि होता है । इसलिए सम्बन्ध और चारित्र ये दो ही पर्याय ओपशमिक भाववाले हैं । ३ ।

क्षायिक भाव के भेद—केवलज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदर्शनावरण के क्षय से केवलदर्शन, पञ्चविध अन्तराय के क्षय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य ये पांच लिंगियाँ, दर्शन-भोहनीय कर्म के क्षय से सम्बन्ध तथा चारित्र-भोहनीय कर्म के क्षय से चारित्र का आविभवि होता है । इसीलिए केवल-ज्ञानादि नवविध पर्याय क्षायिक कहलाते हैं । ४ ।

क्षायोपशमिक भाव के भेद—मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण और मन पर्यायज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत, अवधि और मन-पर्यायज्ञान का आविभवि होता है । मति-ज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण और विभज्ञ-ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति-ज्ञान, श्रुत-ज्ञान और विभज्ञ-ज्ञान का आविभवि होता है । चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण और अवधिदर्शनावरण के क्षयोपशम से चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन और अवधिदर्शन का आविभवि होता है । पञ्चविध अन्तराय के क्षयोपशम से दान, लाभ आदि पांच लिंगियों का आविभवि होता है । अनन्तानुबन्धी चतुष्क तथा दर्शनभोहनीय के क्षयोपशम से सम्बन्ध का आविभवि होता है । अनन्तानुबन्धी आदि वारह प्रकार के कपायों के क्षयोपशम से चारित्र ( सर्वविरति ) का आविभवि होता है । अनन्तानुबन्धी आदि अष्टविध कपाय के क्षयोपशम से सयमासंयम ( देशविरति ) का आविभवि होता है । इस तरह मतिज्ञान आदि अठारह पर्याय क्षायोपशमिक हैं । ५ ।

ओदयिक भाव के भेद—गति नाम-कर्म के उदय का फल नरक, तिर्यक्ष, मनुष्य और देव ये चार गतियाँ हैं । कपायमोहनीय के उदय से क्रोध, मान, माया व लोभ ये चार कपाय पैदा होते हैं । वेदमोहनीय के उदय से स्त्री, पुरुष और नपुसक वेद होता है । मिथ्यात्ममोहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन ( तत्त्व का अश्रद्धान ) होता है । ज्ञान ( ज्ञानाभाव ) ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का फल है । असंयतत्व ( विरति का सर्वथा अभाव ) अनन्तानुबन्धी आदि वारह प्रकार के चारित्र-भोहनीय के उदय का परिणाम है । असिद्धत्व ( शरीरधारण ) वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म के उदय का परिणाम है । कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद और शुक्ल ये ४. लेखयाएँ ( कपायोदयवर्जित योगपरिणाम ) कपाय

के उदय अथवा योगजनक शरीरनामकर्म के उदय का परिणाम है। इस तरह ये गति आदि इकीस पर्याय औरविक हैं। ६।

पारिणामिक भाव के भेद—जीवत्व ( चैतन्य ), भवत्व ( मुक्ति की योग्यता ), अभवत्व ( मुक्ति की अयोग्यता ) ये तीन भाव स्वाभाविक हैं अर्थात् न तो वे कर्म के उदय से, न उपशम से, न कथ से और न क्षयोपदाम से उत्पन्न होते हैं, वे अनादिसिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसी कारण वे पारिणामिक हैं।

प्रश्न—क्या पारिणामिक भाव तीन ही हैं ?

उत्तर—नहीं, और भी है।

प्रश्न—कौनसे हैं ?

उत्तर—अस्तित्व, अन्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, गुणत्व, प्रदेशत्व, असंख्यात्-प्रदेशत्व, असर्वगतत्व, वरूपत्व आदि ज्ञेक हैं।

प्रश्न—फिर तीन ही क्यों बतलाये गए ?

उत्तर—यहाँ जीव का स्वरूप-कथन ही अभीष्ट है जो उसके असाधारण भावों द्वारा ही बतलाया जा सकता है। इसलिए अधिकारिक आदि भावों के साथ पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाये हैं जो असाधारण हैं। अस्तित्व आदि पारिणामिक हैं अवश्य, पर वे जीव की भाँति अजीव में भी होते हैं। अत वे जीव के असाधारण भाव नहीं हैं। इसीलिए यहाँ उनका निर्देश नहीं किया गया तथापि अन्त के 'आदि' शब्द द्वारा उन्हीं को सूचित किया गया है और दिग्म्बर सम्बद्धाय में वही अर्थ 'च' शब्द से लिया गया है। ७।

जीव का लक्षण

उपयोगो लक्षणम् । ८।

जीव का लक्षण उपयोग है।

जीव, जिसे आत्मा या चेतन भी कहते हैं, अनादिसिद्ध, स्वतन्त्र द्रव्य है। सात्त्विक वृष्टि से अरुपी होने से उसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा नहीं हो सकता, पर स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से उसका ज्ञान हो सकता है। तथापि सामान्य जिज्ञासुओं के लिए एक ऐसा लक्षण बतला देना चर्चित है जिससे आत्मा की पहचान हो सके। इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र में जीव का लक्षण बतलाया गया है। आत्मा लक्ष्य ( ज्ञेय ) है और उपयोग लक्षण ( जानने का उपाय ) है। जगत् अनेक जड़-चेतन पदार्थों का मिश्रण है। उसमें से जड़ और

चेतन का विवेकपूर्वक निश्चय उपयोग के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि उपयोग तत्त्वभाव से सभी आत्माओं में अवश्य होता है। जड़ ही उपयोगरहित होता है।

प्रदन—उपयोग किसे कहते हैं ?

उत्तर—बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते हैं।

प्रदन—आत्मा में बोध की क्रिया होती है और जड़ में नहीं, ऐसा क्यों ?

उत्तर—बोध का कारण चेतनाशक्ति है। जिसमें चेतनाशक्ति हो उसी में बोधक्रिया सम्भव है। चेतनाशक्ति आत्मा में ही होती है, जड़ में नहीं।

प्रदन—आत्मा स्वतन्त्र इव्व है इसलिए उसमें अनेक गुण होने चाहिए, फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा गया ?

उत्तर—नि सन्धेह आत्मा में अनन्त गुण-पर्याय है, पर उन सब में उपयोग ही सुख है, क्योंकि स्व-परप्रकाशरूप होने से उपयोग ही अपना सथा अन्य पर्यायों का ज्ञान करता है। इसके सिवाय आत्मा जो कुछ अस्ति-नास्ति जानता है, ननु नच करता है, सुख दुःख का अनुभव करता है वह सब उपयोग के द्वारा ही। अतएव उपयोग ही सब पर्यायों में प्रधान है।

प्रदन—क्या लक्षण स्वरूप से भिन्न है ?

उत्तर—नहीं।

प्रदन—तब तो पहले जिन पांच भावों को जीव का स्वरूप कहा गया है वे भी लक्षण हूए, फिर दूसरा लक्षण बतलाने का प्रयोजन क्या है ?

उत्तर—सब असाधारण धर्म भी एक-से नहीं होते। कुछ तो ऐसे हैं जो लक्ष्य में होते हैं अवश्य, पर कभी होते हैं और कभी नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो समग्र लक्ष्य में नहीं रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों कालों में समग्र लक्ष्य में रहते हैं। समग्र लक्ष्य में तीनों कालों में उपयोग ही होता है। इसलिए लक्षण-रूप से उसी का पृथक् रूप से कथन किया गया और उससे यह सूचित किया गया है कि औपचारिक जादि भाव जीव के स्वरूप है अवश्य, पर वे न तो सब आत्माओं में पाये जाते हैं और न त्रिकालवर्ती ही हैं। त्रिकालवर्ती और सब आत्माओं में पाया जानेवाला एक जीवस्वरूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित अर्थ उपयोग ही है। इसलिए उसी का कथन अलग से यहाँ लक्षणरूप में किया गया है। दूसरे सब भाव कादाचित्क (कभी होनेवाले, कभी नहीं होनेवाले), करित्पय लक्ष्यवर्ती और कर्म-सापेक्ष होने से जीव के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण नहीं।

लक्षण और उपलक्षण में यही अन्तर है कि जो प्रत्येक लक्षण में सर्वात्मभाव से तीनों कालों में पाया जाय, वह लक्षण है, जैसे अग्नि में उष्णत्व, और जो किसी लक्षण में हो और किसी में न हो, कभी हो और कभी न हो तथा स्वभावसिद्ध न हो, वह उपलक्षण है, जैसे अग्नि के लिए भूमि । जीवत्व को छोड़कर आत्मा के बावजूद आत्मा के उपलक्षण ही है । ८ ।

### उपयोग की विविधता स द्विविषोऽष्टचतुर्भेदः । ९ ।

वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ और चार प्रकार का है ।

जानने की शक्ति ( चेतना ) समान होने पर भी जानने की क्रिया ( बोध-व्यापार या उपयोग ) सब आत्माओं में समान नहीं होती । उपयोग की यह विविधता बाह्य-आन्तर कारणकलाप की विविधता पर अवलम्बित है । विषय-भेद, इन्द्रिय आदि साधन-भेद, देश-काल-भेद इत्यादि विविधता बाह्य सामग्री की है । आवरण की तीव्रता-मन्दता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है । इस सामग्री-वैचित्र्य के कारण एक आत्मा भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न प्रकार की बोधक्रिया करती है और अनेक आत्माएँ एक ही समय में भिन्न-भिन्न बोधक्रियाएँ करती हैं । बोध की यह विविधता अनुभवगम्य है । इसको संक्षेप में वर्गीकरण द्वारा बताना ही इस सूत्र का प्रयोजन है ।

उपयोगरक्षि के सामान्य रूप से दो विभाग किये जाते हैं—१. साकार, २. अनाकार । विशेष रूप से साकार-उपयोग के आठ और अनाकार-उपयोग के चार विभाग किये गए हैं । इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद हैं ।

साकार-उपयोग के आठ भेद ये हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यायज्ञान, केवलज्ञान, मति-ज्ञान, श्रुत-ज्ञान और विभज्ञज्ञान । अनाकार-उपयोग के चार भेद ये हैं—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ।

**प्रश्न—साकार और अनाकार उपयोग का अर्थ क्या है ?**

उत्तर—जो बोध ग्राह्यवस्तु को विशेष रूप से जाननेवाला है वह साकार-उपयोग है और जो बोध ग्राह्यवस्तु को सामान्य रूप से जाननेवाला है वह अनाकार-उपयोग है । साकार-उपयोग को ज्ञान या सविकल्पक बोध और अनाकार-उपयोग को वर्णन या निर्विकल्पक बोध कहते हैं ।

**प्रश्न—उक्त बारह भेदों में से कितने भेद पूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के व्यापार हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के ?**

उत्तर—केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दो पूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं और शेष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं।

प्रश्न—विकास की अपूर्णता के समय तो अपूर्णता की विविधता के कारण उपयोग-भेद सम्भव है, पर विकास की पूर्णता के समय उपयोग-भेद कैसे ?

उत्तर—विकास की पूर्णता के समय केवलज्ञान और केवलदर्शन रूप से उपयोग-भेद मानने का कारण केवल ग्राह्य-विषय की द्विरूपता है अर्थात् प्रत्येक विषय सामान्य और विशेष रूप से उभयस्वभावी है, इसलिए उसको जाननेवाला चेतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन के रूप में दो प्रकार का होता है।

प्रश्न—साकार-उपयोग के आठ भेदों में ज्ञान और अज्ञान का अन्तर क्या है ?

उत्तर—और कुछ नहीं, केवल सम्यक्त्व के सहभाव अथवा असहभाव का अन्तर है।

प्रश्न—तो फिर शेष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दर्शन के प्रतिपक्षी अदर्शन क्यों नहीं ?

उत्तर—मन-पर्याय और केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं, इसलिए उनका प्रतिपक्ष सम्भव नहीं। दर्शनों में केवलदर्शन सम्यक्त्व के बिना नहीं होता पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में भी होते हैं तथापि उनके प्रतिपक्षी तीन अदर्शन न कहने का कारण यह है कि दर्शन सामान्यमात्र का बोध है। इसलिए सम्यक्त्वी और विष्यात्वी के दर्शन में कोई भेद नहीं बतलाया जा सकता।

प्रश्न—उक्त बारह भेदों की व्याख्या क्या है ?

उत्तर—ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप<sup>१</sup> पहले ही बतलाया जा चुका है। दर्शन के बार भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—१. नेत्रजन्य सामान्यबोध चक्षुर्दर्शन, २. नेत्र के सिवाय अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से होनेवाला सामान्यबोध अचक्षुर्दर्शन, ३. अवधिलिङ्ग से मूर्त पदार्थों का सामान्यबोध अवधिदर्शन और ४. केवललिङ्ग-जन्य समस्त पदार्थों का सामान्यबोध केवलदर्शन है। ९।

#### जीवराशि के विभाग

#### संसारिणो मुक्ताश्च । १० ।

संसारी और मुक्त ये दो विभाग हैं।

जीव अनन्त है। जैतन्य रूप से सब जीव समान है। यहाँ उनके दो भौत पर्याय-विशेष के सङ्घाव-असङ्घाव की अपेक्षा से किये गए हैं, अर्थात् एक संसार-

१. देखें—अ० २, स० ६ से ३३ तक।

रूप पर्यायसहित और दूसरे सासाररूप पर्याय से रहित । पहले प्रकार के जीव संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते हैं ।

प्रश्न—सासार क्या है ?

उत्तर—द्रव्य और भावबन्ध ही संसार है । कर्मदल का विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्य-बन्ध है । राग-द्वेष आदि वासनाओं का सम्बन्ध भावबन्ध है । १० ।

संसारी जीवों के भेद-भ्रमेद

समनस्काऽमनस्काः । ११ ।

संसारिणः स्थावराः । १२ ।

पृथिव्यम्बुद्धवनस्पतयः स्थावराः । १३ ।

तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्च त्रसाः । १४ ।

संसारी जीव मनसहित और मनरहित हैं ।

तथा वे त्रस और स्थावर हैं ।

पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन स्थावर हैं ।

तेज काय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि त्रस हैं ।

संसारी जीव अनन्त है । संक्षेप में उनके दो विभाग हैं, वे भी दो तरह से । पहला विभाग मन के सम्बन्ध और असम्बन्ध पर निर्भर है, अर्थात् मनसहित और मनरहित—इस तरह दो विभाग किये गए हैं, जिनमें सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है । दूसरा विभाग त्रसत्व और स्थावरत्व के आधार पर है । इस विभाग में भी सकल संसारी जीवों का समावेश हो जाता है ।

प्रश्न—मन किसे कहते हैं ?

उत्तर—जिससे विचार किया जा सके वह आत्मिक शक्ति मन है और इस शक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु भी मन कहलाते हैं । पहले को भावमन और दूसरे को द्रव्यमन कहते हैं ।

प्रश्न—त्रसत्व और स्थावरत्व क्या है ?

उत्तर—उद्देश्यपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने-हड़लने की शक्ति त्रसत्व है और इस शक्ति का न होना स्थावरत्व है ।

प्रश्न—मनरहित जीवों के क्या द्रव्य या भाव में से कोई मन नहीं होता ?

उत्तर—होता है, केवल भावमन ।

प्रश्न—तब सो सभी जीव मनसहित हुए, फिर मनसहित और मनरहित का भेद क्यों ?

उत्तर—द्रव्यमन की अपेक्षा से, अर्थात् जैसे अत्यन्त बुढ़ा मनुष्य पांव और चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही भावमन होने पर भी द्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता। इसी कारण द्रव्यमन की प्रवानता भावकर उसके भाव और अभाव की अपेक्षा से मन-सहित और भन्नरहित विभाग किये गए हैं।

प्रश्न—दूसरा विभाग करने का यह अर्थ तो नहीं है कि सभी त्रस समनस्क और सभी स्थावर अमनस्क हैं ?

उत्तर—नहीं, त्रस में भी कुछ ही समनस्क होते हैं, सब नहीं। स्थावर तो सभी अमनस्क ही होते हैं। ११-१२।

स्थावर जीवों के पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं और त्रस जीवों के तेज काय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चन्द्रिय ये चार भेद भी हैं।

प्रश्न—त्रस और स्थावर का अर्थ क्या है ?

उत्तर—जिसके त्रस नाम-कर्म का उदय हो वह त्रस जीव और जिसके स्थावर नाम कर्म का उदय हो वह स्थावर जीव।

प्रश्न—त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान क्या है ?

उत्तर—दुख त्यागने और सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में दिखाई देना और न दिखाई देना ही क्रमशः त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है।

प्रश्न—क्या द्वीन्द्रिय आदि जीवों की तरह तेजःकायिक और वायुकायिक जीव भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं कि उनको त्रस माना जाय ?

उत्तर—नहीं।

प्रश्न—तो फिर पृथिवीकायिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों नहीं कहा गया ?

उत्तर—उक्त लक्षण के बन्दुसार वे वास्तव में स्थावर ही हैं। यहाँ द्वीन्द्रिय आदि के साथ गति का सादृश्य देखकर उनको त्रस कहा गया है अर्थात् त्रस दो प्रकार के हैं—लवित्रस और गतित्रस। त्रस नाम-कर्म के उदयवाले लवित्रस हैं, ये ही मुख्य त्रस हैं जैसे द्वीन्द्रिय से पञ्चन्द्रिय तक के जीव। स्थावर नाम-कर्म का उदय होने पर भी त्रस लैसी गति होने के कारण जो त्रस कहलाते हैं वे

गतिशील है। ये उपचार भाव से त्रस है जैसे तेज़ कार्यिक और वायु-कार्यिक । १३-१४ ।

इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-प्रभेद और नाम-निर्देश

पञ्चेन्द्रियाणि । १५ ।

द्विविधानि । १६ ।

निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् । १७ ।

लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् । १८ ।

उपयोगः स्पर्शादिषु । १९ ।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःशोत्राणि । २० ।

इन्द्रियाँ पाँच हैं ।

प्रत्येक इन्द्रिय दो-दो प्रकार की है ।

द्रव्येन्द्रिय निवृत्ति और उपकरणरूप है ।

भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोगरूप है ।

उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है ।

स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और शोत्र ये इन्द्रियों के नाम हैं ।

यहाँ इन्द्रियों की संख्या के निर्देश का उल्लेख यह है कि यह ज्ञात किया जा सके कि संसारी जीवों के कितने विभाग हो सकते हैं । इन्द्रियाँ पाँच हैं । सभी संसारी जीवों के पाँच इन्द्रियाँ नहीं होती । कुछ के एक, कुछ के दो, इस तरह एक-एक बढ़ाते-बढ़ाते कुछ के पाँच इन्द्रियाँ तक होती हैं । एक इन्द्रियवाले एकेन्द्रिय, दो वाले द्विन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय इस प्रकार संसारी जीवों के पाँच भेद होते हैं ।

प्रश्न—इन्द्रिय का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिससे ज्ञान प्राप्त हो वह इन्द्रिय है ।

प्रश्न—क्या इन्द्रियाँ पाँच से अधिक नहीं हैं ?

उत्तर—नहीं, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं । यद्यपि साथ्य आदि शास्त्रों में वाक्, पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) और उपस्थ ( किङ्ग या जननेन्द्रिय ) को भी इन्द्रिय कहा गया है, परन्तु वे कर्मेन्द्रियाँ हैं । ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच से अधिक नहीं हैं और यहाँ उन्हीं का उल्लेख है ।

प्रश्न—ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का क्या अर्थ है ?

उत्तर—जिससे मुख्यतया जीवन-यात्रोपयोगी ज्ञान हो वह ज्ञानेन्द्रिय और जिससे जीवन-यात्रोपयोगी आहार, विहार, निवार आदि किया हो वह कर्म-नियम है। १५।

पाँचों इन्द्रियों के द्वय और भाव रूप से दो-दो भेद हैं। पुद्गलमय जड़ इन्द्रिय व्यवेन्द्रिय है और आत्मिक परिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है। १६।

द्वयेन्द्रिय निर्वृति और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। शरीर पर दीखने-वाली इन्द्रियों की पुद्गलस्कृत्वों की विधिए रचना के रूप में जो आकृतियाँ हैं उनको निर्वृति-इन्द्रिय तथा निर्वृति-इन्द्रिय की बाहरी व भीतरी पौद्गलिक शक्ति को उपकरणेन्द्रिय कहते हैं जिसके बिना निर्वृति-इन्द्रिय ज्ञान पैदा करने में असमर्थ हैं। १७।

भावेन्द्रिय के भी छविष और उपयोग ये दो प्रकार हैं। मतिज्ञानावरणीयकर्म आदि का ज्ञायोपशम जो एक प्रकार का आत्मिक परिणाम है वह छविषन्द्रिय है। छविष, निर्वृति तथा उपकरण इन सीनों के मिलने से जो रूपादि विषयों का समान्य और विशेष व्यवहार होता है वह उपयोगेन्द्रिय है। उपयोगेन्द्रिय मतिज्ञान-रूप तथा चक्षु-अचक्षु दर्शनरूप है। १८।

मतिज्ञानरूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा गया है वह वरूपी (अमूर्त) पदार्थों को जान सकता है पर उनके सकल गुण व पर्यायों को नहीं जान सकता, मात्र स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द पर्यायों को ही जान सकता है।

प्रश्न—प्रत्येक इन्द्रिय के द्वय-भावरूप से दो-दो और द्रव्य के तथा भाव के भी अनुक्रम से निर्वृति-उपकरणरूप तथा छविष-उपयोगरूप दो-दो भेद तो जात हुए, किन्तु इनका प्राप्तिक्रम क्या है?

उत्तर—छविषन्द्रिय होने पर ही निर्वृति सम्भव है। निर्वृति के बिना उपकरण नहीं अर्थात् छविष प्राप्त होने पर निर्वृति, उपकरण और उपयोग हो सकते हैं। इसी उत्तर ही निर्वृति प्राप्त होने पर उपकरण और उपयोग तथा उपकरण प्राप्त होने पर उपयोग सम्भव है। सारांश यह है कि पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त होने पर उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होती है। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि उत्तर-उत्तर इन्द्रिय के प्राप्त होने पर ही पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त हो। १९।

इन्द्रियों के नाम—१. स्पृशेन्द्रिय (त्वचा), २. रसेन्द्रिय (जिह्वा), ३. ध्वणेन्द्रिय (ज्ञातिका), ४. चक्षुरिन्द्रिय (आँख), ५. श्रोत्रेन्द्रिय (कान)। पाँचों इन्द्रियों के छविष, निर्वृति, उपकरण और उपयोग ये चार-चार प्रकार हैं।

अर्थात् इन चार प्रकारों की समष्टि ही स्पर्शन आदि एक-एक पूर्ण इन्द्रिय है। इस समष्टि में जितनी न्यूनता है उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता है।<sup>१</sup>

प्रश्न—उपयोग से ज्ञान-विषय है जो इन्द्रिय का फल है; उसको इन्द्रिय कैसे कहा गया?

उत्तर—शब्दपि लिखि, निर्वृत्ति और उपकरण इन तीनों को समष्टि का कार्य उपयोग है तथापि यही उपचार से अर्थात् कार्य में कारण का आरोप करके उसे भी इन्द्रिय कहा गया है। २०।

### इन्द्रियों के ज्ञेय अर्थात् विषय

स्पर्शंरसगत्प्रबर्णशब्दास्तेषामर्थाः । २१ ।

भूतमनिन्द्रियस्य । २२ ।

स्पर्श, रस, गत्थ, वर्ण ( रूप ) और शब्द ये पाँच क्रमशः पाँच इन्द्रियों के अर्थ ( ज्ञेय या विषय ) हैं।

अनिन्द्रिय ( मन ) का विषय शुल्क है।

जगत् के सब पदार्थ एक-से नहीं हैं। कुछ पदार्थ मूर्त हैं और कुछ अमूर्त हैं। वे मूर्त हैं जिनमें वर्ण, गत्थ, रस, स्पर्श आदि हों। मूर्त पदार्थ ही इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं, अमूर्त पदार्थ नहीं। पाँचों इन्द्रियों के जो भिन्न-भिन्न विषय बतलाये गए हैं वे आपस में सर्वथा भिन्न और मूलतत्त्व ( इन्द्रियरूप ) नहीं किन्तु एक ही द्रव्य के भिन्न-भिन्न वंश ( पर्याय ) हैं अर्थात् पाँचों इन्द्रियों एक ही द्रव्य की पारस्परिक भिन्न-भिन्न अवस्थानोंविशेष को जानते में प्रवृत्त होती हैं। अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के जो पाँच विषय बतलाये गए हैं उन्हें स्वतन्त्र या अलग-अलग नहीं, अपिन्तु एक ही मूर्त ( पौद्गलिक ) द्रव्य के वंश समझना चाहिए। जैसे एक लड्डू को पाँचों इन्द्रियों भिन्न-भिन्न रूप में जानती हैं। अगुली छूकर उसके शीत-उष्ण आदि स्पर्श का ज्ञान कराती है। जीभ चक्कर उसके खट्टे-मीठे आदि रस का ज्ञान कराती है। नाक सूंधकर उसकी खूबू या बदू का ज्ञान कराता है। आँख देसकर उसके लाल, सफेद आदि रंग का ज्ञान कराती है। कान उस कडे लड्डू को खाने आदि से उत्पन्न शब्दों या व्यनि का ज्ञान कराता है। यह बात भही है कि उस लड्डू में स्पर्श, रस, गत्थ, वर्ण, और शब्द इन पाँचों विषयों का स्थान अलग-अलग होता है। वे सभी उसके सब भागों

१. इनके विशेष विचार के लिए देखें—हिन्दी चौथा क्रमांक, पृ० ३६, ‘इन्द्रिय’ शब्दविषयक परिशिष्ट।

में एक साध रहते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही द्रव्य के अविभाज्य पर्याय हैं। उनका विभाग केवल चुदिं द्वारा इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियों की शास्ति अलग-अलग है। वे कितनी ही पड़ हों, अपने शाहविषय के अतिरिक्त अन्य विषय को जानने में समर्थ नहीं हैं। इसीलिए पाँचों इन्द्रियों के पांच विषय असंक्षीर्ण (पुष्क-पुष्प) हैं।

**प्रश्न**—स्पर्श आदि पाँचों सहचरित है, तब ऐसा क्यों है कि किसी-किसी वस्तु में उन पाँचों की उपलंबित न होकर केवल एक या दो को ही होती है, जैसे सूर्य आदि की प्रका का रूप ही मालूम होता है, पर स्पर्श, रस, गन्ध आदि नहीं। इसी तरह पुष्पादि से अभिभित वायु का स्वरूप जात होने पर भी रस, गन्ध आदि जात नहीं होते।

**उत्तर**—अत्येक भौतिक प्रवृत्ति में स्पर्श आदि उक्त सभी पर्याय होते हैं, पर उत्कट पर्याय ही इन्द्रियप्राण होता है। किसी में स्पर्श आदि पाँचों पर्याय उत्कटतया अभिन्नतत्त्व होते हैं और किसी में एक-दो आदि। शेष पर्याय अनुत्कट अवस्था में होने के कारण इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, पर होते अवस्थ हैं। इन्द्रिय की पटुता (शृणशक्ति) भी सब जाति के प्राणियों को समान नहीं होती। एकजातीय प्राणियों में भी इन्द्रिय की पटुता विविध प्रकार की देखने में आती है। इसीलिए स्पर्श आदि को उत्कटता या अनुत्कटता का विचार इन्द्रिय की पटुता के तरतमभाव पर भी निभर करता है। २१।

इन पाँचों इन्द्रियों के अतिरिक्त मन भी एक इन्द्रिय है। मन ज्ञान का साधन हो है, पर स्वरूप आदि इन्द्रियों की, तरह वायु साधन नहीं है। वह आन्तरिक साधन है, अतः उसे अन्त करण भी कहते हैं। मन का विषय परिमित नहीं है। वायु इन्द्रियों के बहुत मूर्त वदार्थ को और वह भी अश रूप में ग्रहण करती है, जब कि मन मूर्त-अमूर्त सभी पदार्थों को अनेक रूपों में ग्रहण करता है। मन का कार्य विचार करना है, जिसमें इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गए और न श्रहण किये गए, विकास की योग्यता के अनुसार सभी विषय आते हैं। यह विचार ही शुत है। इसीलिए कहा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय शुत है अर्थात् मूर्त-अमूर्त सभी तत्त्वों का स्वरूप मन का प्रवृत्ति-केन्द्र है।

**प्रश्न**—शुत यदि मन का कार्य है और वह एक प्रकार का स्पष्ट तथा विशेष-ग्राही ज्ञान है, तो फिर मन से भाविकान क्यों नहीं होता?

**उत्तर**—होता है, किन्तु मन के द्वारा पहले पहल सामान्य रूप से वस्तु का जो ग्रहण होता है तथा जिसमें शब्दार्थ-सम्बन्ध, पौर्वार्पण शून्यस्ता और विकल्प-

रूप विशेषता न हो वही मतिज्ञान है । इसके बाद होनेवाली उक्त विशेषतायुक्त विचारधारा शुतज्ञान है, अर्थात् मनोजन्म ज्ञान-व्यापार की धारा में प्राथमिक अल्प अंश मतिज्ञान है और बाद का अधिक अंश शुतज्ञान है । सारांश, यह है कि स्पर्शन आदि पांच इन्द्रियों से केवल मतिज्ञान होता है, पर मन से मति और शुत, दोनों होते हैं । इनमें भी मति की अपेक्षा शुत की ही प्रधानता है । इसी कारण शुत को यहाँ मन का विषय कहा गया है ।

**प्रश्न**—मन को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण है ?

**उत्तर**—यद्यपि वह भी ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु रूप आदि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियों का सहारा लेना पड़ता है । इसी पराधीनता के कारण उसे अनिन्द्रिय या नोइन्द्रिय ( ईषद्‌इन्द्रिय या इन्द्रिय-जीसा ) कहा गया है ।

**प्रश्न**—क्या मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी विशिष्ट स्थान में रहता है या सर्वत्र रहता है ?

**उत्तर**—वह शरीर के भीतर सर्वत्र<sup>१</sup> रहता है, किसी विशिष्ट स्थान में नहीं; क्योंकि शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित इन्द्रियों के द्वारा प्रहृण किये गए सभी विषयों में मन की गति है जो इसे वैहम्यापी माने जिता सम्भव नहीं । इसोलिए कहा जाता है 'यत् पवनस्तत्र मन' । २१-२२ ।

### इन्द्रियों के स्वामी

**वायवन्तानामेकम् । २३ ।**

**कृमिपिणीलिकाभ्रमनुष्यादीनामेकक्षूद्धानि । २४ ।**

**संक्लिनः समनस्काः । २५ ।**

वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय होती है ।

कृमि, पिणीलिका ( चीटी ), भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रमशः एक-एक इन्द्रिय अधिक होती है ।

संक्ली मनवाले होते हैं ।

सूत्र १३ व १४ में संसारी जीवों के स्थावर और त्रस ये दो भैद बदलाये गए हैं । उनके नी निकाय ( जातिर्थी ) हैं जैसे पृथिवीकाय, जलकाय, वनस्पति-

१. यह मत व्येताभ्यर परम्परा का है; दिग्म्बर परम्परा के अनुसार इन्द्र भगवान का स्थान सम्पूर्ण शरीर नहीं है, केवल इदर्थ है ।

काय, तेज काय, वायुकाय ये पाँच स्थावर तथा द्विन्द्रिय आदि चार त्रस । इनमें से वायुकाय तक के पाँच निकायों के केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय होती है ।

कुमि, जलीका, लट आदि के दो इन्द्रियाँ होती हैं—स्पर्शन और रसन । चीटी, कुपु, खटमल आदि के तीन इन्द्रियाँ होती हैं—स्पर्शन, रसन और ग्राण । भौंरि, मक्की, बिञ्छू, मच्छर आदि के चार इन्द्रियाँ होती हैं—स्पर्शन, रसन, ग्राण और नेत्र । मनुष्य, पशु, पक्षी तथा देव-नारक के पाँच इन्द्रियाँ होती हैं—स्पर्शन, रसन, ग्राण, नेत्र तथा ओत्र ।

प्रश्न—यह सभ्या इन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा उभयेन्द्रिय की ?

उत्तर—उक्त सभ्या केवल इन्द्रिय की है, कुछ जीवों में इन्द्रियाँ कम होने पर भी पाँचों भावेन्द्रियाँ तो सभी जीवों के होती हैं ।

प्रश्न—तो क्या कुमि आदि जीव भावेन्द्रिय के बल से देख या सुन लेते हैं ?

उत्तर—नहीं, केवल भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं, उसे इन्द्रिय का सहारा चाहिए । इसीलिए भावेन्द्रियों के होने पर भी कुमि या चीटी आदि नेत्र तथा कर्ण इन्द्रिय न होने से देखने-सुनने में असमर्थ हैं । फिर भी वे जीव अपनी-अपनी इन्द्रिय की पढ़तां के कारण जीवन-यात्रा जला ही लेते हैं ।

पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यन्त आठ निकायों के तो भन होता ही नहीं, पञ्चेन्द्रियों में भी सबके भन नहीं होता । पञ्चेन्द्रिय जीवों के चार वर्ग हैं—देव, तारक, मनुष्य और तिर्यक्ष । पहले दो वर्गों में तो सभी के भन होता है और शेष दो वर्गों में से उन्हीं के होता है जो गर्भोत्पन्न हैं । मनुष्य और तिर्यक्ष गर्भोत्पन्न तथा संमूर्छिम दोन्हों प्रकार के होते हैं । संमूर्छिम मनुष्य और तिर्यक्ष के भन नहीं होता । सारांश, यह है कि पञ्चेन्द्रियों में सब देवों, सब नारकों, गर्भज-मनुष्यों तथा गर्भज-तिर्यक्षों के ही भन होता है ।

प्रश्न—इसकी क्या पहचान है कि किस के भन है और किस के नहीं है ?

उत्तर—इसकी पहचान सज्जा का होना या न होना है ।

प्रश्न—वृत्ति को संज्ञा कहते हैं । न्यूनाधिक रूप में किसी-न-किसी प्रकार की वृत्ति सभी में होती है, क्योंकि कुमि, चीटी आदि में भी आहार, भय आदि वृत्तियाँ हैं । फिर कौन जीवों में भन क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर—यहीं सज्जा का अर्थ साधारण वृत्ति नहीं, चिकित्सा वृत्ति है ।<sup>१</sup> वह

१. इसके स्पष्टोक्तण के लिए देखें—हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ, पृ० ८८ पर ‘संज्ञा’ शब्द का परिशिष्ट ।

विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार हो सके। इस विशिष्ट वृत्ति को शास्त्र में सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा मन का कार्य है जो देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यक्ष में ही स्पष्ट रूप से होती है। इसलिए वे ही भनवाले माने जाते हैं।

प्रश्न—क्या कृमि, चीटी आदि जीव अपने-अपने इह को पाने तथा अनिष्ट को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते?

उत्तर—करते हैं।

प्रश्न—तब उनमें सम्प्रधारण संज्ञा और मन क्यों नहीं माना जाता?

उत्तर—कृमि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन<sup>१</sup> विद्यमान है, इसीलिए वह हित में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति करते हैं। पर उनका वह कार्य केवल देह-यात्रोपयोगी है, अधिक नहीं। यहाँ इतना पुष्ट मन विवित है जिससे निमित्त मिलने पर देह-यात्रा के अतिरिक्त और भी अधिक विचार किया जा सके अर्थात् जिससे पूर्वजन्म का स्मरण तक हो सके—विचार की इतनी योग्यता ही सम्प्रधारण संज्ञा कहलाती है। इस संज्ञावाले देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यक्ष ही होते हैं। अतएव उन्हीं को समनस्क कहा गया है। २३-२५।

अन्तराल<sup>२</sup> गति सम्बन्धी योग आदि पाँच बारे

विग्रहगतो कर्मयोगः । २६।

अनुष्ठेण गतिः । २७।

अविग्रहा जीवस्य । २८।

विग्रहतो च संसारिणः प्राक् अतुर्म्यः । २९।

एकसमयोऽविग्रहः । ३०।

एकं हौ वाऽनाहारकः । ३१।

विग्रहगति में कर्मयोग ( कार्मणयोग ) ही होता है।

गति, श्रेणि ( सरलरेखा ) के अनुसार होती है।

जीव ( मुच्यमान आत्मा ) की गति विग्रहरहित ही होती है।

संसारी आत्मा की गति अविग्रह होती है।

१. देखें—ज्ञानविज्ञुप्रकरण, यरोविजय जैन ग्रन्थमाला, पृ० १४४।

२. इस विज्ञेन स्पष्टतापूर्वक समझने के लिए देखें—हिन्दी चौथा कर्मप्राप्ति में, ‘अनाहारक’ शब्द का परिचय, पृ० १४३।

विग्रह चार से पहले अर्थात् तीन तक हो सकते हैं।

विग्रह का अभाव एक समय परिमित है अर्थात् विग्रहाभाववालों गति एक समय परिमाण है।

जीव एक या दो समय तक अनाहारक रहता है।

पुनर्जन्म माननेवाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तराल गति सम्बन्धी पांच प्रश्न उपस्थित होते हैं :

१. यदि जीव जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए गति करता है तब अर्थात् अन्तराल गति के समय सूक्ष्म शरीर न होने से जीव किस तरह प्रयत्न करता है ?

२. गतिशील पदार्थ किस नियम से गतिक्रिया करते हैं ?

३. गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किस-किस गतिक्रिया के अधिकारी हैं ?

४. अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना है और यह कालमान किस नियम पर अवलम्बित है ?

५. अन्तराल गति के समय जीव आहार करता है या नहीं ? अगर नहीं करता तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और अनाहारक स्थिति का कालमान किस नियम पर अवलम्बित है ?

आत्मा की व्यापक माननेवाले दर्शनों को भी इन पांच प्रश्नों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए सूक्ष्म शरीर का गमन और अन्तराल गति माननी ही पड़ती है। किन्तु जैनदर्शन तो देहव्यापी आत्मवादी है, अतः उसे तो उक्त प्रश्नों पर विचार करना ही चाहिए। यहाँ क्रमशः यही विचार किया जा रहा है।

**योग—अन्तराल गति दो प्रकार की है—क्षु और वक्। क्षुगति से स्थानान्तर आते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वह पूर्व-शरीर छोड़ता है तब उसे पूर्व-शरीरजन्य बैग मिलता है। इस तरह वह दूसरे प्रयत्न के बिना ही धून्प से छूटे हुए बाण की तरह सीधे नये स्थान को पहुँच जाता है। दूसरी गति वक् ( धूयवदार ) होती है, इसलिए जाते समय जीव को नये प्रयत्न की अपेक्षा होती है, क्योंकि पूर्व-शरीरजन्य प्रयत्न वही तक काम करता है जहाँ से जीव को धूमना पड़ता है। धूमने का स्थान आते ही पूर्व-देहगति प्रयत्न मन्द पड़ जाता है, अतः वहाँ से सूक्ष्म-शरीर से प्रयत्न होता है जो जीव के साथ उस समय भी रहता है। वही सूक्ष्म-शरीरजन्य प्रयत्न कार्मण-**

योग कहलाता है। इसी आशय से सूत्र में विग्रहणति में कार्मणयोग होने की बात कही गई है। सारांश, यह है कि वक्षणति से जानेवाला जीव कोवल पूर्व-शरीरबन्ध प्रयत्न से नये स्थान को नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्न कार्मण (सूक्ष्म) शरीर से ही साध्य है, क्योंकि उस समय दूसरा कोई स्थूल शरीर नहीं होता है। स्थूल शरीर न होने से मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते। २६।

गति का नियम—गतिशील पदार्थ दो ही हैं—जीव और पुद्गल। इन दोनों में गतिक्रिया की शक्ति है, इसलिए वे निमित्तवश गतिक्रिया में परिणत होकर गति करने लगते हैं। वाहा उपाधि से भले ही वे वक्षणति करें, पर उनकी स्वाभाविक गति तो सीधी ही होती है। सीधी गति का आशय यह है कि पहले जिस आकाश-क्षेत्र में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे उसी आकाश-क्षेत्र की सरल रेखा में ऊचे, नीचे या तिरछे चाहे जहाँ भले जाते हैं। इसी स्वाभाविक गति को लेकर सूत्र में कहा गया है कि गति अनुभ्रेण होती है। श्रेणि अंथर्ता पूर्वस्थान-प्रमाण आकाश की अन्यूनाधिक सरल रेखा। इस स्वाक्षरा; विक गति के वर्णन से सूचित होता है कि जब कोई प्रतिघातक कारण हो तब जीव या पुद्गल श्रेणि (सरल रेखा) को छोड़कर वक्ष-रेखा से भी गमन करते हैं। सारांश, यह है कि गतिशील पदार्थों की गतिक्रिया प्रतिघातक निमित्त के अभाव में पूर्वस्थान-प्रमाण सरल रेखा से ही होती है और प्रतिघातक निमित्त होने पर वक्षरेखा से भी होती है। २७।

गति का प्रकार—पहले कहा गया है कि गति ऋजु और वक्ष दो प्रकार की है। ऋजुगति वह है जिसमें पूर्वस्थान से नये स्थान तक जाने में सरल रेखा का भंग न हो अर्थात् एक भी ध्रुमाव न हो। वक्षगति वह है जिसमें पूर्वस्थान से नये स्थान तक जाने में सरल रेखा का भंग हो अर्थात् कम-से-कम एक ध्रुमाव अवश्य हो। यह भी कहा गया है कि जीव और पुद्गल दोनों इन दोनों गतियों के अधिकारी हैं। यहाँ मुच्य प्रस्तुत जीव का है। पूर्व-शरीर छोड़कर स्थानान्तर जाने वाले जीव दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को सदा के लिए छोड़कर जाते हैं, ये जीव मुच्यमान (मोक्ष जानेवाले) कहलाते हैं। दूसरे वे जो पूर्व-स्थूलशरीर को छोड़कर नये स्थूलशरीर को प्राप्त करते हैं। वे अन्तराल गति के समय सूक्ष्मशरीर से अवश्य वेदित होते हैं। ये जीव संसारी कहलाते हैं। मुच्यमान जीव मोक्ष के नियत स्थान पर ऋजुगति से ही जाते हैं, वक्षगति से नहीं; क्योंकि वे पूर्वस्थान की सरल रेखावाले मोक्षस्थान में ही प्रतिष्ठित होते हैं, किवित भी इधर-उधर नहीं। परन्तु संसारी जीव के उत्पत्तिस्थान का कोई नियम नहीं है। कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना ही वह नया स्थान पूर्वस्थान

की विलक्षुल सरल रेखा में होता है और कभी भक्त रेखा में, क्योंकि पुनर्जन्म के नवीन स्थान का आधार पूर्वकृत कर्म है और कर्म विविध प्रकार का होता है। इसलिए संसारी जीव अज्ञु और वक्त दोनों गतियों के अधिकारी हैं। सारांश यह है कि मुक्तिस्थान को जानेवालों आत्मा की एकमात्र सरलगति होती है और पुनर्जन्म के लिए स्थानान्तर को जानेवाले जीवों की सरल तथा वक्त दोनों गतियाँ होती हैं। अज्ञुगति का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्योंकि वह घनपु के बेग से प्रेरित वाण की गति की तरह पूर्व-शरीरजनित वेग के बारण सीधी होती है। वक्तगति के पाणिमुक्ता, लाङ्घणिका और गोमूषिका ये तीन नाम हैं।<sup>१</sup> जिसमें एक बार सरल रेखा का भज्ज हो वह पाणिमुक्ता, जिसमें दो बार हो वह लाङ्घणिका और जिसमें तीन बार हो वह गोमूषिका। जीव की कोई भी ऐसी वक्तगति नहीं होती जिसमें तीन से अधिक धुमाव करने पड़ें, क्योंकि जीव का नया उत्पत्तिस्थान किनारा ही विशेषित ( वक्त रेखा स्थित ) क्यों न हो, वह तीन धुमाव में तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। पूर्वगल की वक्तगति में धुमाव की संख्या का कोई नियम नहीं है, उसका आधार प्रेरक निमित्त है। २८-२९।

गति का कालमान—अन्तराल गति का कालमान अवश्य एक समय और उत्कृष्ट चार समय है। जब अज्ञुगति हो तब एक ही समय और जब वक्तगति हो सब दो, तीन या चार समय समझना चाहिए। समय की संख्या की वृद्धि धुमाव की संख्या की वृद्धि पर आधृत है। जिस वक्तगति में एक धुमाव हो उसका कालमान दो समय का, जिसमें दो धुमाव हों उसका कालमान तीन समय का और जिसमें तीन धुमाव हों उसका कालमान चार समय का है। तत्केष में, जब एक विग्रह की गति से उत्पत्तिस्थान में जाना हो तब पूर्वस्थान से धुमाव के स्थान तक पहुँचने में एक समय और धुमाव के स्थान से उत्पत्तिस्थान तक पहुँचने में दूसरा समय लग जाता है। इसी नियम के अनुसार दो विग्रह की गति में तीन समय और तीन विग्रह की गति में चार समय लग जाते हैं। यहाँ यह भी जातब्द है कि अज्ञुगति से अन्मान्तर करनेवाले जीव के पूर्वकरीर त्यागते समय ही नये आयु और गति कर्म का उदय हो जाता है और वक्तगतिवाले जीव के प्रथम वक्त स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नामकर्म का यथासम्भव उदय हो जाता है, क्योंकि प्रथम वक्तस्थान तक हो पूर्वभवीय आयु आदि का उदय रहता है। ३०।

अनाहार का कालमान—मुच्यमान जीव के लिए तो अन्तराल गति में आहार का प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि वह सूक्ष्म व स्थूल सब शरीरों से मुक्त है। पर

<sup>१</sup>. ये पाणिमुक्ता आदि संशाद् दिग्मव व्याख्या-अन्यों में प्रसिद्ध है।

संसारी जीव के लिए आहार का प्रश्न है, क्योंकि उसके अन्तराल गति में भी सूक्ष्मशरीर होता ही है। आहार का अर्थ है स्थूलशरीर के योग्य पूद्गलों को ग्रहण करता। ऐसा आहार संसारी जीवों में अन्तराल गति के समय में पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता। ऋजुगति से या दो समय की एक विग्रहवाली गति से जानेवाले अनाहारक नहीं होते, क्योंकि ऋजुगतिवाले जिस समय में पूर्वशरीर छोड़ते हैं उसी समय में नया स्थान प्राप्त करते हैं, समयान्तर नहीं होता। इसलिए उनकी ऋजुगति का समय त्यागे हुए पूर्वभवीय शरीर के द्वारा ग्रहण किये गए आहार का या नवीन जन्मस्थान में ग्रहण किये गए आहार का समय है। यही स्थिति एक विग्रहवाली गति की है, क्योंकि इसके दो समयों में से पहला समय पूर्वशरीर के द्वारा ग्रहण किये हुए आहार का है और दूसरा समय नये उत्पत्तिस्थान में पहुँचने का है, जिसमें नवीन शरीर धारण करने के लिए आहार किया जाता है। परन्तु तीन समय की दो विग्रहवाली और चार समय की तीन विग्रहवाली गति में अनाहारक स्थिति होती है, क्योंकि इन दोनों गतियों के क्रमधार तीन और चार समयों में से पहला समय त्यक्त शरीर के द्वारा लिये हुए आहार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिये हुए आहार का है। पर प्रथम तथा अन्तिम इन दो समयों को छोड़कर चौथे का काल आहारशून्य होता है। अतएव द्विविग्रह गति में एक समय और त्रिविग्रह गति में दो समय तक जीव अनाहारक भाने गए हैं। प्रस्तुत सूत्र में यही भाव प्रकट किया गया है। सारांश यह है कि ऋजुगति और एकविग्रह गति में आहारक दशा ही रहती है और द्विविग्रह तथा त्रिविग्रह गति में प्रथम और चूरम हिन्दी दो समयों को छोड़कर अनुक्रम से भव्यतरी एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा रहती है। कहीं-कहीं तीन समय भी अनाहारक दशा के पांच समय की चार विग्रहवाली गति की सम्भावना की अपेक्षा से भाने गए हैं।

**प्रश्न**—अन्तराल गति में शारीर-पोषक आहाररूप से स्थूल पुद्गलों के ग्रहण का अभाव तो जात हुआ, पर प्रश्न यह है कि उस समय कर्मपुद्गल ग्रहण किये जाते हैं या नहीं?

**उत्तर**—किये जाते हैं।

**प्रश्न**—किस ब्राकार किये जाते हैं?

**उत्तर**—अन्तराल गति में भी संसारी जीवों के कार्मणशरीर अवश्य होता है। अतएव यह शारीरजन्म आत्मप्रदेश-कर्म्मन, जिसको कार्मण-योग कहते हैं, अवश्य होता है। अब योग है तब कर्मपुद्गल का ग्रहण भी अनिवार्य है, क्योंकि योग ही कर्मवर्गण के आकर्षण का कारण है। औसत्र शाश्वत के समय फेंका

गया संतस बाण जलकर्णों को ग्रहण करता हुआ तथा उन्हें सोखता हुआ चला जाता है, वैसे ही अन्तराल गति के समय कार्मणयोग से चक्रल जीव भी कर्मवर्ग-णावों को ग्रहण करता है और उन्हें अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर की ओर गतिमान होता है । ३१ ।

### जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी

**सम्मूर्छनगर्भेपपाता जन्म । ३२ ।**

**सचित्तशीतसंबृताः सेतरा मिथाश्वेकश्चास्तादोनयः । ३३ ।**

**जराप्वष्टपोतजानां गर्भः । ३४ ।**

**नारकदेवानामुपपातः । ३५ ।**

**शोषाणां सम्मूर्छनम् । ३६ ।**

सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात ये जन्म के तीन प्रकार हैं ।

सचित्त, शीत और सबूत ये तीन तथा इन तीनों से विपरीत अचित्त, उष्ण और विवृत एवं मिष्ठ अर्थात् सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और सबूत-विवृत—जन्म की कुल नी योनियाँ हैं ।

जरायुज, अण्डज और पोतन ग्राणियों का गर्भ-जन्म होता है ।

नारक और देवों का उपपात-जन्म होता है ।

शोष सब ग्राणियों का सम्मूर्छन-जन्म होता है ।

जन्म-भेद—पूर्वभव समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव धारण करते हैं । इसके लिए उन्हें जन्म लेना पड़ता है पर जन्म सबका एक-सा नहीं होता, यही बात यहाँ बताई गई है । पूर्वभव का स्थूल शरीर छोड़ने के बाद अन्तराल गति से केवल कार्मणशरीर के साथ आकर नवीन भव को योग्य स्थूल शरीर के लिए पहले पहल योग्य पुद्गलों को ग्रहण करना जन्म है । जन्म के तीन प्रकार हैं—सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात । भाता-पिता के सम्बन्ध के बिना ही उत्पत्तिस्थान में स्थित औदारिक पुद्गलों को पहले पहल शरीररूप में परिणत करना सम्मूर्छन-जन्म है । उत्पत्तिस्थान में स्थित शुक्र और शोणित के पुद्गलों को पहले पहल शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ-जन्म है । उत्पत्तिस्थान में स्थित वैकिय पुद्गलों को पहले पहल शरीररूप में परिणत करना उपपात-जन्म है । ३२ ।

योनि-भेद—जन्म के लिए स्थान आवश्यक है । जिस स्थान में पहले पहल स्थूल शरीर के लिए प्रह्लंगिये गए पुद्गल कार्मणशरीर के साथ गरम लोहे से

योनि की तरह मिल जाते हैं, उसी को योनि कहते हैं। योनि नी प्रकार की है—  
सचित्त, शीत, सबृत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और सबृत-  
विवृत। १. सचित्त—जो जीव-प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त—जो अधि-  
ष्ठित न हो, ३. मिश—जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो, कुछ भाग में न हो,  
४. शीत—जिस उत्पत्तिस्थान में शीत स्पर्श हो, ५. उष्ण—जिसमें उष्ण स्पर्श  
हो, ६. मिश—जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ भाग में उष्ण स्पर्श हो,  
७. सबृत—जो उत्पत्तिस्थान ढका या दबा हो, ८. विवृत—जो ढका न हो,  
खुला हो, ९. मिश—जो कुछ ढका तथा कुछ खुला हो।

किस-किस योनि में कीन-कौन-से जीव उत्पन्न होते हैं, इसका विवरण इस  
प्रकार है :

जीव	योनि
नारक और देव	अचित्त
गर्भज मनुष्य और तिर्यंच,	मिश ( सचित्ताचित्त )'
शेष सब अर्थात् पाँच स्थानर, तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य	{ त्रिविध—सचित्त, अचित्त तथा मिश ( सचित्ताचित्त )
गर्भज मनुष्य और तिर्यंच तथा देव <sup>१</sup>	मिश ( शीतोष्ण )
सेज कायिक ( अग्निकायिक )	उष्ण
शेष सब अर्थात् चार स्थानर, तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य तथा नारक	{ त्रिविध—शीत, उष्ण और मिश ( शीतोष्ण )
नारक, देव और एकेन्द्रिय	सबृत
गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य	मिश ( सबृतविवृत )
शेष सब अर्थात् तीन विकलेन्द्रिय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यंच	{ विवृत
प्रश्न—योनि और जन्म में क्षण अन्तर है ?	

१. दिगम्बर टीका-प्रत्यक्ष में शीत और उष्ण योनियों के स्वामा देव और नारक माने गए हैं। तदनुसार वहाँ शीत, उष्ण आदि त्रिविध योनियों के स्वामियों में नारक जीवों को न गिनकर गर्भज मनुष्यों और तिर्यंचों को गिनना चाहिए ।

**उत्तर**—योनि आवार है और जन्म आधेय, अर्थात् स्फुल शरीर के लिए योग्य पुद्गलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म है और वह ग्रहण जिस जगह हो वह योनि है।

**प्रश्न**—योनिर्यां से चौरासी लाख मानी जाती है, किर यहाँ नौ ही क्यों कही गई?

**उत्तर**—चौरासी लाख योनियों का कथन विस्तार की अपेक्षा से किया गया है। पृथिवीकाय आदि जितन-जिस निकाय के वर्ण, गत्व, इस और स्वर्ण के उत्तमभाववाले जितने-जितने उत्पत्तिस्थान है उस-उस निकाय की उत्ती ही योनिर्यां चौरासी लाख में गिनो गई है। यहाँ उन्हीं चौरासी लाख योनियों के सचित आदि रूप से संक्षेप में नी विभाग कहे गए हैं। ३३।

जन्म के स्वामी—अमर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौन-कौन-सा जन्म किन-किन जीवों का होता है, इसका विभाग नीचे लिखे अनुसार है :

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है। देव और नारक का उपपातजन्म होता है। शेष सब अर्थात् पाँच स्यावर, तीन विकलेन्द्रिय और अगर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच तथा मनुष्य का सम्पूर्ण जन्म होता है। जरायुज वे हैं जो जरायु से पैदा हो, जैसे मनुष्य, गाय, जैस, बकरों आदि जाति के जीव। जरायु एक प्रकार का जाल ( किल्ली ) जैसा आवरण है जो रक्त और मांस से भरा होता है और जिसमें गर्भस्थ शिशु लिपटा रहता है। अण्डे से पैदा होनेवाले अण्डज हैं, जैसे सांप, मोर, चिड़िया, कबूतर आदि जाति के जीव। जो किमी प्रकार के आवरण से बेघित नहीं होते वे पोतज हैं, जैसे हाथी, शशाक, नेवला, चूहा आदि जाति के जीव। ये न तो जरायु से ही लिपटे हुए पैदा होते हैं और न अप्ते से, अपितु खुले शरीर पैदा होते हैं। देवों और नारकों के जन्म के लिए विशेष नियत स्थान होता है, जिसे उपपात कहते हैं। देवशम्या के अमर का दिव्यवस्त्र से शाछ्छन्न भाग देवों का उपपात सेव है, क्योंकि इस उपपात सेव में स्थित वैकल्पिकपुद्गलों को वे शरीर के लिए ग्रहण करते हैं। ३४-३६।

#### शरीरों के विषय

औदारिकवैकियाऽहारकतेजसकामर्णानि शरीरणि । ३७।

परं परं सूक्ष्मम् । ३८।

प्रवेशातोऽसंख्येयगुणं<sup>१</sup> प्राक् तेजसात् । ३९।

१. भाष्य की वृत्ति में प्रदेश शब्द का अर्थ 'अवनन्ताणुक स्वल्प' किया गया है, 'परन्तु सर्वार्थिद्वि आदि में 'परमाणु' अर्थ किया गया है।

वनन्तगुणे परे । ४० ।

अप्रतिधाते । ४१ ।

वनादिसम्बन्धे च । ४२ ।

सर्वस्य । ४३ ।

तदादीनि भाज्यानि गुणपदेकस्याचतुर्मयः । ४४ ।

निष्पभीगमन्त्यम् । ४५ ।

गर्भसम्पूर्णनजमाद्यम् । ४६ ।

वैकियमोपपातिकम् । ४७ ।

लविष्वश्रत्ययं च । ४८ ।

मुम्भे विशुद्धमव्याघातिं चाहारकं चतुर्वशापूर्ववरस्यैव । ४९ ।

औदारिक, वैकिय, आहारक, तैजस और कार्मण ये पाँच प्रकार के शरीर हैं।

इन पाँच प्रकारों ये पर पर अर्थात् आगे-आगे का शरीर पूर्व-पूर्व से सूक्ष्म है।

तैजस के पूर्ववर्ती तीन शरीरों में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर प्रदेशों (स्कन्धों) से अस्त्व्यात्गुण होता है।

परवती दो अर्थात् तैजस और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त-गुण होते हैं।

तैजस और कार्मण दोनों शरीर प्रतिधात-रहित हैं।

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्धवाले हैं।

सब संसारी जीवों के होते हैं।

एक साथ एक जीव के तैजस और कार्मण से लेकर चार तक शरीर विकल्प से होते हैं।

- अन्तिम अर्थात् कार्मण शरीर उपभोग (सुख दुःखादि के अनुभव) से रहित है।

१. इस सूत्र के बाद 'तैजसमणि' सत्र दिगम्बर परम्परा में है, खेतान्बर परम्परा में नहीं है। सर्वार्थसिद्धि आदि मैंसका अर्थ इस प्रकार है—'तैजस शरीर भी लविष्वश्य है अर्थात् जैसे वैकिय शरीर लविष्य से उत्पन्न किया जा सकता है वैसे ही लविष्य से तैजस शरीर भी बनाया जा सकता है। इस अर्थ से यह फलित नहीं होता कि तैजस शरीर लविष्वश्य ही है।'

पहला अर्थात् औदारिक शरीर समूर्छनजन्म और गर्भजन्म से ही होता है।

वैक्रिय शरीर उपपातजन्म से होता है।

वह लविष से भी होता है।

आहारक शरीर शुभ ( प्रशस्त पुद्गल द्रव्यजन्य ), विषुद्ध ( निष्पाप कार्यकारी ) और व्याधात ( बाधा ) रहित होता है तथा वह चौंदह पूर्वधारी मृणि के ही होता है।

जन्म ही शरीर का आरम्भ है, इसलिए जन्म के बाद शरीर का वर्णन किया गया है। शरीर से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों पर आगे क्रमशः विचार किया जा रहा है।

शरीर के प्रकार तथा व्याख्या—देहधारों और अनन्त है, उनके शरीर भी अलग-अलग हैं। अतः वे व्यक्तिशः अनन्त हैं। पर कार्य-कारण आदि के सादृश्य की दृष्टि से सक्षेप में उनके पांच प्रकार बतलाये गए हैं; जैसे औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैबस और कार्मण।

जरीर और कार्मण का क्रिया करने का साधन है। १. जो शरीर जलाया जा सके व जिसका छेदन-भेदन हो सके वह औदारिक है। २ जो शरीर कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी पतला, कभी ऊटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि रूपों को धारण कर सके वह वैक्रिय है। ३ जो शरीर मात्र चनुर्दशपूर्वी मृणि के द्वारा ही निर्मित किया जा सके वह आहारक है। ४. जो शरीर तेजोमय होने से साथे हुए आहार आदि के परिपाक का हेतु और दोस्ति का निर्मित हो वह तैबस है। ५ कर्मसमूह ही कार्मण शरीर है। ३७।

स्थूल-सूक्ष्म भाव—उन पांचों शरीरों में औदारिक शरीर सबसे अधिक स्थूल है, वैक्रिय उससे सूक्ष्म है, आहारक वैक्रिय से भी सूक्ष्म है। इसी तरह आहारक से तैबस और तैबस से कार्मण सूक्ष्म व सूक्ष्मतर है।

प्रश्न—यहाँ स्थूल और सूक्ष्म से क्या तात्पर्य है?

उत्तर—स्थूल और सूक्ष्म का अर्थ है रचना की शिथिलता और सघनता, परिमाण नहीं। औदारिक से वैक्रिय सूक्ष्म है, पर आहारक से स्थूल है। इसी प्रकार आहारक आदि शरीर भी पूर्व-पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म और उत्तर-उत्तर की अपेक्षा स्थूल हैं, अर्थात् यह स्थूल-सूक्ष्म भाव अपेक्षाकृत है। तात्पर्य यह है कि जिस शरीर की रचना जिस दूसरे शरीर की रचना से शिथिल हो वह उससे स्थूल है और दूसरा उससे सूक्ष्म है। रचना की शिथिलता और सघनता पौद्गलिक परिणति

पर निर्भर है। पुद्गलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति होती है, असः परिमाण में अल्प होने पर भी जब वे शिथिल रूप में परिणत होते हैं तब स्थूल कहलाते हैं और परिमाण में बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं वैसे-वैसे वे सूक्ष्म-सूक्ष्मतर कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, भिंडी की फली और हाथी के दाँत को लें। दोनों समान आकार के होने पर भी भिंडी की रचना शिथिल होगी और दाँत की रचना ठोस। इस प्रकार परिमाण (आकार) तुल्य होने पर भी स्पष्ट है कि भिंडी की अपेक्षा दाँत का पौदगलिक द्रव्य अधिक है। ३८।

आरम्भक या उपादान द्रव्य का परिमाण—स्थूल-सूक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा परिमाण में अधिक होता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है, पर वह परिमाण जितना-जितना पाया जाता है उसी को यहीं दो सूत्रों में बतलाया गया है।

परमाणुओं से बने जिन स्कन्धों से शरीर निर्मित होता है वे ही स्कन्ध शरीर के आरम्भक द्रव्य हैं। जब तक परमाणु अलग-अलग हो तब तक उनसे शरीर नहीं बनता। परमाणुपुङ्क्षा, जो कि स्कन्ध कहलाते हैं, से ही शरीर बनता है। वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के बने हुए होने चाहिए। औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्धों से वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध असंख्यात-गुण होते हैं, अर्थात् औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्ध अनन्त परमाणुओं के होते हैं और वैक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं के, पर वैक्रिय शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से असंख्यात-गुण अधिक होती है। यही अधिकता वैक्रिय और आहारक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओं को अनन्त संख्या में होती है।

आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या अनन्तगुण होती है। इसी तरह तैजस से कार्मण के स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य अधिक-अधिक होता है। फिर भी परिणमन की विचित्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निविड़, निविड़तर, निविड़तम बनता जाता है और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम कहलाता है।

प्रश्न—जब औदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं और वैक्रिय आदि के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओं हैं, तो फिर उन स्कन्धों में न्यूनाभिकर्ता कैसे समझी जाये?

उत्तर—अनन्त संख्या अनन्त प्रकार की है। इसलिए अनन्त रूप में समानता

होने पर भी औदारिक आदि के स्कन्ध से वैक्रिय आदि के स्केन्ध का असम्बन्धत-गुण अधिक होना असम्भव नहीं है । ३९-४० ।

अन्तिम दो शरीरों का स्वभाव, कालमयदा और स्वामी—उन पांचों शरीरों में से पहले तीन की अपेक्षा अन्तिम दो शरीरों में कुछ विशेषता है, जो कलमय तीन सूत्रों में तोन बातों के द्वारा बतलाई गई है ।

स्वभाव—तैजस और कार्मण इन दो शरीरों का सारे लोक में कही भी प्रतिष्ठात नहीं होता अर्थात् वज्र जैमी कठिन वस्तु भी उन्हें प्रवेश करने से दोक नहीं सकती, क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं । यद्यपि एक मूर्त वस्तु का द्वासरी मूर्त वस्तु से प्रतिष्ठात होता है, तथापि यह प्रतिष्ठात का नियम स्थूल वस्तुओं पर लागू होता है, सूक्ष्म पर नहीं । मूर्क वस्तु विना रक्षावट के सर्वत्र प्रवेश कर जाती है, जैसे छोड़पिण्ड में अन्जि ।

प्रश्न—तब तो सूक्ष्म होने से वैक्रिय और आहारक को भी अप्रतिष्ठाती ही कहना चाहिए ?

उत्तर—अबस्थ, वे भी विना प्रतिष्ठात के प्रवेश करते हैं । पर यहाँ अप्रतिष्ठात का अर्थ लोकान्तर पर्यन्त अव्याहृतगति है । वैक्रिय और आहारक अव्याहृत-गतिवाले हैं, पर तैजस व कार्मण की भाँति सम्पूर्ण लोक में नहीं, किन्तु लोक के विशिष्ट भाग अर्थात् असनाई में ही ।

फालभयर्ता—तैजस और कार्मण का सम्बन्ध आत्मा के साथ प्रवाहृत्य में जैसा अनादि है वैसा पहले तीन शरीरों का नहीं है, क्योंकि वे तीनों शरीर अमुक काल के बाद कायम नहीं रहते । इमलिंग औदारिक आदि तीनों शरीर कदाचित् (अस्थायी) सम्बन्धवाले कहे जाते हैं और तैजस व कार्मण अनादि सम्बन्धवाले ।

प्रश्न—जब कि जीव के साथ अनादि सम्बद्ध है, तब तो उनका अभाव कभी न होना चाहिए, क्योंकि अनादिभाद<sup>१</sup> का नाश नहीं होता ?

उत्तर—उन दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा में नहीं, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है । अतएव उनका भी अपचय-उपचय होता है । जो मावात्मक पदार्थ व्यक्तिरूप से अनादि होता है वही नष्ट नहीं होता, जैसे परमाणु ।

स्वामी—तैजस और कार्मण शरीर सभी संसारी जीव धारण करते हैं, पर औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर नहीं । अत तैजस व कार्मण के स्वामी सभी संसारी जीव हैं, जब कि औदारिक आदि के म्बायी कुछ ही जीव होते हैं ।

प्रश्न—तैजस और कार्मण में कुछ अन्तर तो होगा ही ?

१. तुलना करें—नासनी विषने भावो नामादो विषने भतः ।—र्णीता, २.१६,

उत्तर—कार्मण शरीर समस्त शरीरों की जड है, क्योंकि वह कर्मस्वरूप है और कर्म ही सब कार्यों का निमित्त कारण है। तैजस शरीर सबका कारण नहीं। वह सबके साथ अनादिसम्बद्ध रहकर भुक्त-आहार के पाचन आदि में सहायक होता है। ४१-४३।

एक साथ ज्ञान शरीरों की संख्या—तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के सासारकाल पर्यन्त अवश्य होते हैं, पर औदारिक आदि बदलते रहते हैं, इस प्रकार वे कभी होते हैं और कभी नहीं। अतएव यह प्रश्न उठता है कि प्रत्येक जीव के कम-से-कम और अधिक-से-अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक साथ एक संसारी जीव के कम-से-कम दो और अधिक-से-अधिक चार शरीर तक हो सकते हैं, पाँच कभी नहीं होते। जब दो होते हैं तब तैजस और कार्मण, क्योंकि ये दोनों यावत् संसार-भावी हैं। ऐसी स्थिति अन्तराल गति में ही पाई जाती है, क्योंकि उस समय अन्य कोई शरीर नहीं होता। जब तीन होते हैं तब तैजस, कार्मण और औदारिक या तैजस, कार्मण और वैकिय। पहला प्रकार मनुष्य व तिर्यक्ष में और दूसरा प्रकार देव व नारक में जन्मकाल से भरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते हैं तब तैजस, कार्मण, औदारिक और वैकिय अथवा तैजस, कार्मण, औदारिक और आहारक। पहला विकल्प वैकिय-लिंग के प्रयोग के समय कुछ ही मनुष्यों तथा तिर्यक्षों में पाया जाता है। दूसरा विकल्प आहारक-लिंग के प्रयोग के समय चतुर्दश पूर्वधारी मुनि में ही होता है। पाँच शरीर एक साथ किसी के भी नहीं होते, क्योंकि वैकिय-लिंग और आहारक-लिंग का प्रयोग एक साथ सम्भव नहीं है।

प्रश्न—उक्त रीति से जब दो, तीन या चार शरीर हो तब उनके साथ एक ही समय में एक जीव का सम्बन्ध कैसे घटित होगा?

उत्तर—जैसे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर पड़ सकता है, वैसे ही एक जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध हो सकते हैं।

प्रश्न—क्या किसी के कोई एक ही शरीर नहीं होता?

उत्तर—नहीं। सामान्य सिद्धान्त यह है कि तैजस और कार्मण ये दो शरीर कभी अलग नहीं होते। अतएव कोई एक शरीर कभी सम्भव नहीं, पर किसी<sup>१</sup> आचार्य का मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह यावत्-संसार-भावी नहीं है,

<sup>१</sup>. यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है।

वह आहारक की उरह लविजन्य ही है। इस मत के अनुसार अन्तराल गति में केवल कार्मण शरीर होता है। अतएव उस समय एक शरीर का होना सम्भव है।

**प्रश्न**—जो यह कहा गया कि वैक्रिय और आहारक इन दो लवियों का युगपत् अर्थात् एक साथ प्रयोग नहीं होता, इसका क्या कारण है?

**उत्तर**—वैक्रियलविक के प्रयोग के समझ और उस लविक से शरीर बना लेने पर नियम<sup>१</sup> से प्रमत्तदशा होती है। परन्तु आहारक के विषय में ऐसा नहीं है, क्योंकि आहारकलविक का प्रयोग तो प्रमत्तदशा में होता है, पर उससे शरीर बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय सम्भव होने के कारण अप्रमत्तमाव पाया जाता है। अतः उक्त दो लवियों का प्रयोग एक साथ असिध्द है। सारांश यह है कि आविर्भाव की अपेक्षा से युगपत् पाँच शरीरों का न होना कहा गया है। शक्तिस्तर से तो पाँचों शरीर भी ही सकते हैं, क्योंकि आहारकलविकदाले मुनि के वैक्रियलविक भी सम्भव हैं। ४४।

**प्रयोजन**—प्रत्येक वस्तु का कोईन-कोई प्रयोजन होता है। इसलिए शरीर भी सप्रयोजन होने चाहिए, पर प्रश्न यह है कि उनका मुख्य प्रयोजन क्या है और वह सब शरीरों के लिए समान है या कुछ विवेचित भी है? शरीर का मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरीरों से सिद्ध होता है। केवल अन्तिम कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको निष्प्रभोग कहा गया है।

**प्रश्न**—उपभोग का क्या अर्थ है?

**उत्तर**—कर्ण आदि इन्द्रियों से शुभ-अशुभ चाव्य आदि विषय ग्रहण करके सुख-दुःख का अनुभव करना, हाथ, पाँव आदि अवयवों से दान, हिंसा आदि शुभ-अशुभ कर्म का चव करना, वद्धकर्म के शुभ-अशुभ विपाक का अनुभव करना, पवित्र अनुष्ठान द्वारा कर्म की निर्जरा (क्षय) करना—यह सब उपभोग कहलाता है।

**प्रश्न**—ओदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर सेन्ड्रिय तथा सावयव है, इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सकता है। पर तैजस शरीर न तो सेन्ड्रिय है और न सावयव, अतः उससे उक्त उपभोग कैसे सम्भव है?

**उत्तर**—यद्यपि तैजस शरीर सेन्ड्रिय और सावयव (हस्तपादादियुक्त) नहीं हैं तथापि उसका उपभोग पाचन आदि ऐसे कार्य में ही सकता है जिससे सुख-दुःख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो। उसका अन्य कार्य शाप और अनुश्रुति भी है। अर्थात् अन्य-पाचन आदि कार्य में तैजस शरीर का उपभोग तो सभी करते हैं, पर जो विशिष्ट उपस्थी उपस्थित्य विशिष्ट लविक प्राप्त कर

१. यह विचार अ० २, सू० ४४ की भाष्यवृत्ति में है।

लेते हैं वे कुपित होकर उस शरीर के द्वारा अपने को प्रभाजन को जला भी सकते हैं और प्रसन्न होकर उस शरीर से अनुग्रह-पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार तैजस शरीर का उपभोग शाप, अनुग्रह-आदि में हो सकता है, अतः सुख-दुःख का 'अनुभव, सुभासुभ कर्म का बन्ध आदि उसका उपभोग माना गया है।

**प्रश्न**—यो दूषभतापूर्वक देखा जाय तो कार्मण शरीर का भी, जो कि तैजस के समान ही सेन्द्रिय और सावध नहीं हैं, उपभोग हो सकेगा, क्योंकि वही अन्य सब शरीरों को जड़ है। इसलिए अन्य शरीरों का उपभोग वास्तव में कार्मण का ही उपभोग मानना चाहिए, फिर उसे निष्पभोग क्यों कहा गया है?

**उत्तर**—ठीक है, उक्त रीति से कार्मण भी सोपभोग अवश्य है। यहाँ उसे निष्पभोग कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जब तक अन्य शरीर सहायक न हों तब तक मात्र कार्मणशरीर से उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो सकता, अर्थात् उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने में औदारिक आदि चार शरीर साक्षात् साधन हैं। इसीलिए वे सोपभोग कहे गए हैं और परम्पराया साधन होने से कार्मण को निष्पभोग कहा गया है। ४१।

**जन्मसिद्धता और कृतिमता**—एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितने शरीर जन्मसिद्ध हैं और कितने कृत्रिम हैं तथा जन्मसिद्ध में कौन-सा शरीर किस जन्म से पैदा होता है और कृत्रिम होने का कारण क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ चार सूत्रों में दिया गया है।

तैजस और कार्मण ये दो शरीर न तो जन्मसिद्ध हैं और न कृत्रिम अर्थात् वे जन्म के बाद भी होते हैं, फिर भी अनादिसम्बद्ध हैं। औदारिक जन्मसिद्ध ही है जो गर्भ तथा सम्मूर्छन द्वारा जन्मो से पैदा होता है तथा जिसके स्वामी मनुष्य और तिर्यक्ष है। वैकिय शरीर जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का है। जो जन्मसिद्ध है वह उपपातजन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारकों के ही होता है। कृत्रिम वैकिय शरीर का कारण लविष्ट है। लविष्ट एक प्रकार की तपोजन्म शक्ति है, जो कुछ ही गर्भज मनुष्यों और तिर्यक्षों में सम्भव है। इसलिए वैसी लविष्ट से होनेवाले वैकिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तिर्यक्ष ही हैं। कृत्रिम वैकिय शरीर की कारणभूत एक अन्य प्रकार की भी लविष्ट है, जो तपोजन्म न होकर जन्म से ही मिलती है। ऐसी लविष्ट कुछ बादर वायुकायिक जीवों में ही मानी गई है। इसलिए वे भी लविष्टजन्म (कृत्रिम) वैकिय शरीर के अधिकारी हैं। आहारक शरीर कृत्रिम ही है। इसका कारण विशिष्ट लविष्ट ही है, जो मनुष्य के सिवाय अन्य जातियों में नहीं होती और मनुष्य में भी विशिष्ट मुनि के ही होती है।

**प्रश्न**—कौन-से विशिष्ट मुनि के होती हैं?

उत्तर—चतुर्दश पूर्वधारी मूलि के होती है ।

प्रश्न—वे उस लिंग का प्रयोग कब और किसलिए करते है ?

उत्तर—किसी सूक्ष्म विषय में सन्देह होने पर उसके निवारण के लिए अर्थात् जब कभी किसी चतुर्दश पूर्वधारी मूलि को गहन विषय में सन्देह हो और सर्वज्ञ का सन्तुष्टिधान न हो तब वे औदारिक शरीर से क्षेत्रान्तर में जाना असम्भव देखकर अपनी विशिष्ट लिंग का प्रयोग करते हैं और हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते हैं, जो शुभ पृदगल-जन्य होने से सुन्दर होता है, प्रशस्त उद्देश्य से बनाये जाने के कारण निरवश होता है और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अव्याधाती अर्थात् किसी की रोकनेवाला या किसी से रुकनेवाला नहीं होता । ऐसे शरीर से वे क्षेत्रान्तर में सर्वज्ञ के निकट पहुँचकर अपने सन्देह का निवारण कर फिर अपने स्थान पर लौट आते हैं । यह कार्य केवल अन्तर्मूहूर्त में हो जाता है ।

प्रश्न—अन्य कोई शरीर लिंगजन्य नहीं है ?

उत्तर—नहीं ।

प्रश्न—शाप और अनुग्रह के द्वारा तैजस का जो उपयोग बतलाया गया, उससे तो वह लिंगजन्य स्पष्ट मालूम होता है, फिर अन्य कोई शरीर लिंगजन्य नहीं है, ऐसा क्यों ?

उत्तर—यहाँ लिंगजन्य का अर्थ उत्पत्ति है, प्रयोग नहीं । तैजस की उत्पत्ति लिंग से नहीं होती, जैसे वैक्रिय द्वारा आहारक की होती है, पर उसका प्रयोग कभी-कभी लिंग से किया जाता है । इसी आशय से तैजस शरीर को यहाँ लिंगजन्य ( कृत्रिम ) नहीं कहा गया । ४६-४९ ।

वेद ( लिंग ) के प्रकार

नारकसमूछिनो नपुंसकानि । ५० ।

न वेदाः । ५१ ।

नारक और समूछिम नपुंसक ही होते हैं ।

देव नपुंसक नहीं होते ।

शरीरो के वर्णन के बाद वेद या लिंग का प्रश्न उठता है । इसी का स्पष्टी-करण यहीं किया गया है । चिह्न को लिंग बहुते हैं । वह तीन प्रकार का है । यह बात पहले औद्योगिक भावो की सत्या बतलाते समय कही जा चुकी है ।

लिंग तीन है—पुर्णिंग, स्त्रीर्लिंग और नपुसकलिंग । लिंग का हूसरा नाम वेद भी है । ये तीनों वेद द्रव्य और भाव रूप से दो-दो प्रकार के हैं ।<sup>१</sup> द्रव्यवेद अर्थात् ऊपर का चिह्न और भाववेद अर्थात् अभिलापा-विशेष । १. जिस चिह्न से पुरुष को पहचान होती है वह द्रव्य-पुरुषवेद है और स्त्री के संसर्ग-सुख की अभिलापा भाव पुरुषवेद है । २. स्त्री की पहचान का साधन द्रव्य-स्त्रीवेद और पुरुष के संसर्ग-सुख की अभिलापा भाव-स्त्रीवेद है । ३. जिसमें कुछ स्त्री के चिह्न और कुछ पुरुष के चिह्न हो वह द्रव्य-नपुसकवेद और स्त्री-पुरुष दोनों के संसर्ग-सुख की अभिलापा भाव-नपुसकवेद है । द्रव्यवेद पौद्यगलिक आकृतिरूप है जो नाम-कर्म के उदय का फल है । भाववेद एक भजनोविकार है जो मोहनीय कर्म के उदय का फल है । द्रव्यवेद और भाववेद में साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का सम्बन्ध है ।

**ब्रिभाग**—नारक और सम्भूषित धीरो के नपुसकवेद होता है । देवों के नपुसकवेद नहीं होता, शेष दो होते हैं । शेष सब अर्थात् गर्भज मनुष्यों तथा तिर्यकों के तीनों वेद होते हैं ।

विकार की तरक्कीता—पुरुष-वेद का विकार सबसे कम स्थायी होता है । स्त्री-वेद का विकार उससे अधिक स्थायी और नपुसक-वेद का विकार स्त्रीवेद के विकार से भी अधिक स्थायी होता है । यह बात उपमान से, इस तरह समझी जा सकती है :

पुरुषवेद का विकार धास की अग्नि के समान है जो शोषण शान्त हो जाता है और प्रकट भी शोषण होता है । स्त्रीवेद का विकार अंगारे के समान है जो जल्दी शान्त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता । नपुसकवेद का विकार सन्तत इंट के समान है जो बहुत देर में शान्त होता है तथा प्रकट भी बहुत देर में होता है ।

स्त्री में कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती है । पुरुष में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है । पर नपुसक में दोनों भावों का मिश्रण होने से उसे दोनों तत्त्वों की अपेक्षा रहती है । ५०-५१ ।

#### आयुष के प्रकार और उनके स्वामी

ओपयातिकच्चरमदेहोसमपुरुषाऽसंस्येयवर्षायुषोऽनपवत्तर्युषः । ५२ ।

औपयातिक ( नारक और देव ), चरमशरीरी, उत्तमपुरुष और असंख्यातवर्षजीवी—ये अनपवर्तनीय आयुवाले ही होते हैं ।

१. द्रव्य और भाव वेद का पारस्परिक सम्बन्ध तथा तस्सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातें जानने के लिए देखें—हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ, पृ० ५३ की टिप्पणी ।

युद्ध लोदि विष्णव में हजारी नौजवानों को एक साथ मरते देखकर और बूढ़े तथा जर्जर देहवालों को भी भयानक विष्पवाको से बचते देखकर यह सन्देह होता है कि क्या अकालमृत्यु भी है, जिससे अनेक लोग एक साथ मर जाते हैं और कोई नहीं भी मरता ? इसका उत्तर हीं और ना में यहाँ दिया गया है ।

आयु के दो प्रकार हैं—अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय । जो आयु बन्ध-कालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके वह अपवर्त्तनीय है और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वह अनपवर्त्तनीय है, अर्थात् जिस आयु का भोगकाल बन्धकालीन स्थितिमर्यादा से कम हो वह अपवर्त्तनीय और जिसका भोगकाल उक्त मर्यादा के समान ही हो वह अनपवर्त्तनीय है ।

अपवर्त्तनीय और अनपवर्त्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नहीं है किन्तु परिणाम के तारतम्य पर अवलम्बित है । भावी जन्म की आयु वर्तमान जन्म में निर्मिति की जाती है न उस समय यदि परिणाम मन्द हो तो आयु का बन्ध शिथिक हो जाता है, जिससे निर्मिति मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा घट जाती है । इसके विपरीत यदि परिणाम तीव्र हो तो आयु का बन्ध गाढ़ होता है, जिससे निर्मिति मिलने पर भी बन्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती और न आयु एक साथ भोगी जा सकती है । जैसे अत्यन्त दृढ़ होकर खड़े पुरुषों की पंक्ति अमेद और शिथिल रूप में लट्ठे पुरुषों की पंक्ति भेद होती है, अथवा जैसे सघन बोये हुए बीजों के पीछे पशुओं के लिए दुष्प्रवेष्य और दूर-दूर बोये हुए बीजों के पीछे सुप्रवेष्य होते हैं, जैसे ही तीव्र परिणाम से गाढ़ रूप में बढ़ आयु शस्त्र-विष आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियत कालमर्यादा से पहले पूर्ण नहीं होती और मन्द परिणाम से शिथिल रूप में बढ़ आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी नियत कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही अन्तमूहूर्त मात्र में भोग ली जाती है । आयु के इस शीघ्र भोग को ही अपवर्त्तना या अकालमृत्यु कहते हैं और नियत स्थिति के भोग को अनपवर्त्तना या कालमर्यादा कहते हैं । अपवर्त्तनीय आयु सोपक्रम—उपक्रम सहित ही होती है । 'तीव्र शस्त्र, तीव्र विष, तीव्र अग्नि आदि जिन निर्मितों से अकालमृत्यु होती है उनका प्राप्त होना उपक्रम है । यह अपवर्त्तनीय आयु के अवश्य होता है, क्योंकि वह आयु नियम से कालमर्यादा समाप्त होने के पहले ही भोगने योग्य होती है । परन्तु अनपवर्त्तनीय आयु सोपक्रम और नियत-क्रम दो प्रकार की होती है अर्थात् उस आयु को अकालमृत्यु लानेवाले उक्त निर्मितों का संश्लिष्टान होता भी है और नहीं भी होता । उक्त निर्मितों का संश्लिष्टान होने पर भी अनपवर्त्तनीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नहीं

होती । साराश यह है कि अपवर्तनीय आयुवाले प्राणियों को शस्त्र आदि कोई-न-कोई निमित्त मिल ही जाता है जिससे वे अकाल में ही मर जाते हैं और अन-पवर्तनीय आयुवालों को कैसा भी प्रवल निमित्त क्यों न मिले, वे अकाल में नहीं मरते ।

**श्रविकारी**—उपपात जन्मवाले नारक और देव ही होते हैं । मनुष्य ही चरमदेह तथा उत्तमपुरुष होते हैं । विना जन्मान्तर के उसी शरीर से भोक्ष पानेवाले चरमदेह कहलाते हैं । तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बासुदेव आदि उत्तमपुरुष कहलाते हैं । असंख्यातवर्षजीवी कुछ मनुष्य और कुछ तिर्यंच ही होते हैं ।<sup>१</sup> इनमें से ओपपतिक और असंख्यातवर्षजीवी निश्पक्रम अनपवर्तनीय आयुवाले ही होते हैं । चरमदेह और उत्तमपुरुष सोपक्रम अनपवर्तनीय तथा निश्पक्रम अनपवर्तनीय दोनों आयुवाले होते हैं । इनके अतिरिक्त शोप सभी मनुष्य व तिर्यंच अपवर्तनीय आयुवाले होते हैं ।

**प्रश्न**—नियत कालमर्यादा के पहले आयु का भोग हो जाने से कृतनाश, अकृतागम और निष्कलता ये दोष लगें, जो शास्त्र में इष्ट नहीं हैं, इनका निवारण कैसे होगा ?

**उत्तर**—शीघ्र भोग होने में उक्त दोष नहीं हैं, क्योंकि जो कर्म चिरकाल तक भोग जा सकता है वह एक साथ भोग लिया जाता है । उसका कोई भी भाग विना विपाकानुभव के नहीं छूटता । इसलिए न तो कृतकर्म का नाश है और न बद्धकर्म की निष्कलता ही है । इसी प्रकार मृत्यु कर्मानुसार ही आती है, अतएव अकृतकर्म का आगम भी नहीं है । जैसे धास की सधनराशि में एक और से छोटा अग्निकण छोड़ दिया जाय तो वह अग्निकण एक-एक तिनके को क्रमशः जलाते हुए उस सारी राशि को कुछ देर में बरस कर सकता है । वे ही अग्निकण धास की विधिलिखियाँ में चारों ओर से छोड़ दिये जायें तो एक साथ उसे जला डालते हैं ।

भूत वात के विशेष स्पष्टीकरण के लिए शास्त्र में और भी दो दृष्टान्त दिये गए हैं पहला गणितक्रिया का और दूसरा वस्त्र सुखाने का । जैसे किसी विशिष्ट सख्या का लघुतम छेद निकालना हो तो गणितप्रक्रिया में इसके लिए अनेक उपाय हैं । निपुण गणितज्ञ ऐसी रीति का उपयोग करता है कि बहुत शीघ्र अभीष्ट

१. असंख्यातवर्षजीवी मनुष्य तीस अकर्मभूमियों, उप्पन अन्तर्द्वीपों और कर्मभूमियों में उत्पन्न युगलिक ही हैं । परन्तु असंख्यातवर्षजीवी तिर्यंच तो उक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त दाईं द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों में भी होते हैं ।

परिणाम निकल आता है और दूसरा साधारण जानकार मनुष्य भागाकार आदि विलम्ब-साध्य किया जारा देरी से अभीष्ट परिणाम निर्काल पाता है । परिणाम सुल्य होने पर भी दस गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल लेता है और साधारण गणितज्ञ देरी से निकालता है । इसी तरह समान रूप में भीये हुए दो कपड़ों में से एक को समेटकर और दूसरे को फैलाकर सुखाने पर पहला देरी से सूखता है और दूसरा जल्दी । पानी का परिमाण और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े के संकोच और विस्तार के कारण सूखने में देरी और जल्दी का अन्तर पड़ता है । समान परिमाणयुक्त अपवर्तनीय और बनपवर्तनीय आयु के भोगने में भी केवल देरी और जल्दी का ही अन्तर पड़ता है । इसलिए कृत का नाश आदि उक्त दोष नहीं आते । ५२ ।

●

: ३ :

## अधोलोक-मध्यलोक

द्वितीय अध्याय में गति की अपेक्षा से संसारी जीवों के नारक, मनुष्य, तिर्यक और देव ऐसे चार प्रकार कहे गए हैं। स्थान, आयु, अवगाहना आदि के बर्णन द्वारा उनका विशेष स्वरूप लीसरे और जीवे अध्याय में निरूपित हैं। प्रस्तुत तृतीय अध्याय में नारक, तिर्यक और मनुष्य का बर्णन है।

नारकों का बर्णन

रत्नशक्करावालुकापङ्क्खभूमतमोमहातमःप्रभा भूमियो धनाम्बुवाता-  
काशाप्रतिष्ठाः सामाधोऽधः पृथुतराः । १ ।

तासु नरकाः । २ ।

नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । ३ ।

परस्परोदीरितदुःखाः । ४ ।

संक्षिलष्टासुरोदीरितदुःखात्य प्राकृचतुर्थाः । ५ ।

तेष्वेकत्रिसामवशासमदशाद्विषात्रयस्तिविषात्सागरोपमाः सत्त्वानां  
यदा स्थितिः । ६ ।

रत्नप्रभा, शक्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्क्खप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमःप्रभा ये सात भूमियाँ हैं। ये भूमियाँ धनाम्बु, वात और आकाश पर स्थित हैं, एक-दूसरे के नीचे हैं और नीचे को ओर अधिक-अधिक विस्तीर्ण हैं।

उन भूमियों में नरक हैं।

वे नरक नित्य (निरन्तर) अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना और विक्रिया वाले हैं।

परस्पर उत्पन्न किये गए दुःखवाले हैं।

चौथी भूमि से पहले अर्थात् तीन भूमियों तक संक्षिलष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किये गए दुःखवाले भी हैं।

उन नरकों में स्थित प्राणियों की उक्ति स्थिति क्रमशः एक, तीन, सात, दस, सतरह, बाईस और तेंतीस सागरोपम है।

लोक के अथ , मध्य और कर्ष्ण तीन भाग हैं । अज्ञोभग भेदभवत के सम-  
स्तल के नीचे नी सौ सौ योजन की गहराई के बाद गिना जाता है, जों आकाश में  
आँखे किये हुए सकोरे के समान है अर्थात् नीचेनीचे विस्तीर्ण है । समतल के  
नीचे सदा कपर के नी सौ + नी सौ योजन अर्थात् कुल अठारह सौ योजन का  
मध्यलोक है, जो आकार में क्षाल्हर के समान वरावर आयाम-विकासम ( लम्बाई-  
चौड़ाई ) वाला है । मध्यलोक के ऊपर कर्ष्णलोक है जो आकार में पक्षावज्ज  
( मृदङ्गविशेष ) के समान है ।

नारकों के निवासस्थान अधोलोक में हैं जहाँ की भूमियाँ 'नरकभूमि' कह-  
लाती हैं । ये भूमियाँ सात हैं जो समश्रेणि में न होकर एक-दूसरी के नीचे हैं ।  
उनका आयाम ( लम्बाई ) और विकासम ( चौड़ाई ) समान नहीं है, किन्तु नीचे-  
नीचे भी भूमि की लम्बाई-चौड़ाई अधिक-अधिक है, अर्थात् पहली भूमि से दूसरी  
की लम्बाई-चौड़ाई अधिक है, दूसरी से तीसरी की । इसी प्रकार छठी से सातवी  
तक की लम्बाई-चौड़ाई अधिक-अधिक होती गई है ।

ये सातों भूमियाँ एक-दूसरी के नीचे हैं, किन्तु विलकुल सटी हुई नहीं हैं,  
एक-दूसरी के बीच बहुत अन्तर है । इस अन्तर में घनोदधि, घनवात, तनुवात  
और आकाश क्रमशः नीचे-नीचे हैं अर्थात् पहली नरकभूमि के नीचे घनोदधि हैं;  
इसके नीचे घनवात, घनवात के नीचे तनुवात और तनुवात के नीचे आकाश हैं ।  
आकाश के बाद दूसरी नरकभूमि है । दूसरी भूमि और तीसरी भूमि के बीच भी  
क्रमशः घनोदधि आदि हैं । इसी तरह सातवी भूमि तक सब भूमियों के नीचे  
उसी क्रम से घनोदधि आदि हैं ।<sup>१</sup> कर की अपेक्षा नीचे का पृष्ठार्पिण—भूमि

#### ५. भगवतीद्वन्द में छोक विद्युति का रवरूप-वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में इस प्रकार है—

“भृत-रथवरादि प्रणियों का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार उद्धिः, उद्धिः  
का आधार वायु है और वायु का आधार आकाश है । वायु के आधार पर उद्धिः और  
उसके आधार पर पृथ्वी कैसे ठहर सकती है ? इस प्रकार का समीकरण यह है : कोई पुरुष  
चमड़े की मरक को हवा भरकर फुला दे । फिर उसके मुँह की चमड़े के फीते से मजबूत  
गाँठ देकर वाँच दे । इस मरक के बीच के भाग को भी वाँच दे । ऐसा करने से मरक में  
भरे हुए पवन के दो भाग हो जाएंगे, जिससे मरक छुग्छुगी जैसी लगेगी । तब मरक  
का मुँह खोलकर कपर के भाग में से हवा निकाल दे और उसकी जगह पानी भर  
कर फिर मरक का मुँह बन्द कर दे और बीच का बन्धन सोल दे । फिर ऐसा लगेगा कि  
जो पानी मरक के कपर के भाग में भर गया है वह कपर के भाग में ही रहेगा अर्थात्  
वायु के कपर के भाग में ही रहेगा, वायु के कपर ही ठहरेगा, नीचे नहीं जा सकता,  
जैसे मरक में हवा के आधार पर पानी कपर रहता है वैसे ही पृथ्वी आदि भी हवा के  
आधार पर प्रतिष्ठित है ।” दैर्घ्य—भगवतीसूत्र, शतक १, छैदेशक ६ ।

कों-मोटाई अर्थात् ऊपर से लेकर नीचे के तल तक का भाग कम-कम है। प्रथम भूमि की मोटाई एक लाख अस्ती हजार योजन, दूसरी की एक लाख बत्तीस हजार, तीसरी की एक लाख अट्ठाईस हजार, चौथी की एक लाख बीस हजार, पाँचवी की एक लाख अठारह हजार, छठी की एक लाख सोलह हजार तथा सातवी की एक लाख आठ हजार योजन है। सातों भूमियों के नीचे जो सात घनोदधि-वलय है उन सबकी मोटाई समान अर्थात् बीस-बीस हजार योजन है और जो सात घनवात तथा सात तनुवात-वलय है उनकी मोटाई सामान्य रूप से असंख्यात योजन की होने पर भी तुल्य नहीं है, अर्थात् प्रथम भूमि के नीचे के घनवात-वलय तथा तनुवात-वलय की असंख्यात योजन की मोटाई से दूसरी भूमि के नीचे के घनवात-वलय तथा तनुवात-वलय की असंख्यात योजन की मोटाई विशेष है। इसी क्रम से उत्तरोत्तर छठी भूमि के घनवात-तनुवातवलय से सातवी भूमि के घनवात-तनुवातवलय की मोटाई विशेष-विशेष है। यही बात आकाश के विषय में भी है।

पहली भूमि रत्नप्रधान होने से रत्नप्रभा कहलती है। इसी तरह दूसरी शर्करा (कंकड़) के सदृश होने से शर्कराप्रभा है। तीसरी बालुका (रेती) की मुख्यता होने से बालुकाप्रभा है। चौथी पङ्क (कीचड़) की अधिकता होने से पङ्कप्रभा है। पाँचवी धूम (धूएं) की अधिकता होने से धूमप्रभा है। छठी तम. (अधकार) की विशेषता से तम प्रभा और सातवीं महातम. (घन-अन्धकार) की प्रचुरता से महातम प्रभा है। इन सातों के नाम क्रमशः धर्मी, वंशा, शैला, अङ्गना, रिष्टा, माधव्या और माधवी हैं।

रत्नप्रभा भूमि के तीन काण्ड (हिस्से) हैं। सबसे ऊपर का प्रथम खार-काण्ड रत्नप्रचुर है, जो मोटाई में १६ हजार योजन है। उसके नीचे का दूसरा काण्ड पङ्कवहूल है, जिसकी मोटाई ८४ हजार योजन है। उसके नीचे का तीसरा काण्ड जलवहूल है, जिसकी मोटाई ८० हजार योजन है। तीनों काण्डों की मोटाई कुल मिलाकर १ लाख ८० हजार योजन होती है। दूसरी से लेकर सातवी भूमि तक ऐसे काण्ड नहीं हैं, क्योंकि उनमें शर्करा, बालुका आदि पदार्थ सर्वत्र एक-से हैं। रत्नप्रभा का प्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर स्थित है। तीसरा काण्ड घनोदधि-वलय पर, घनोदधि घनवातवलय पर, घनवात तनुवातवलय पर और तनुवात आकाश पर प्रतिष्ठित है। परन्तु आकाश किसी पर स्थित न होकर आत्म-प्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाश की स्वभावत दूसरे आधार की विपक्षा नहीं होती। दूसरी भूमि का आधार उसका घनोदधि-वलय है, वह अपने नीचे के घनवातवलय पर आवित है, घनवात अपने नीचे के तनुवात पर आवित है,

सत्रुवात नीचे के आकाश पर प्रतिष्ठित है और आकाश स्वाक्षित है। यही क्रम सातवी भूमि तक प्रत्येक भूमि और उसके छनोदविवलय की स्थिति का है।

जपर-जपर की भूमि से नीचे-नीचे की भूमि का बाहुल्य कम होने पर भी उसका आशाम-निष्काम बढ़ता जाता है, इसलिए उनका सस्यान छातिष्ठ्रवत् अर्थात् उत्तरोत्तर पृथु-पृथुतर ( विस्तीर्ण-विस्तीर्णतर ) कहा गया है। १ ।

सातो भूमियों की जितनी-जितनी भोटाई जपर कही गई है, उसके जपर तथा नीचे के एक-एक हजार योजन को छोड़कर शेष मध्यभाग में नरकावास है, जैसे रत्नप्रभा की १ लाख ८० हजार योजन भोटाई में से जपर-नीचे एक-एक हजार योजन छोड़कर बीच के १ लाख ७८ हजार योजन के हिस्से में नरक है। यही क्रम सातवी भूमि तक है। नरकों के दौरव, दौड़, धातन, शोचन आदि अशुभ नाम है, जिनको सुनने मात्र से भय होता है। रत्नप्रभा के सीमान्तक नामक नरकावास से लेकर महातम प्रभा के अश्रुतिष्ठान नामक नरकावास तक के सभी नरकावास वज्र के छुरे के सदृश तलवाले हैं। संस्यान ( आकार ) सबका समान नहीं है—कुछ गोल है, कुछ चिकोण है, कुछ चतुष्कोण है, कुछ हृष्टी जैसे हैं और कुछ लोहे के घडे जैसे हैं। प्रस्तर ( प्रतर ) जो कि मजिलवाले धर के तले के समान है, उनकी संख्या इस प्रकार है—रत्नप्रभा में तेरह और शक्तराप्रभा में थारह प्रस्तर है। इस प्रकार नीचे की प्रत्येक भूमि में दो-दो घटते हुए सातवी महातम-प्रभा भूमि में एक ही प्रस्तर है। इन्हीं प्रस्तरों में नरक है।

नरकावासों की संख्या—प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पचास लाख, तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस लाख, पाँचवी में तीन लाख, छठी में पाँच कम एक लाख और सातवी में केवल पाँच नरकावास हैं।

प्रह्ल—प्रस्तरों में नरक कहने का क्या प्रयोजन है?

उत्तर—एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश ( अन्तर ) है उसमें नरक नहीं है, किन्तु प्रत्येक प्रस्तर की तीन-तीन हजार योजन की भोटाई में ये विविध सस्यानवाले नरक हैं।

प्रह्ल—नरक और नारक में क्या सम्बन्ध है?

उत्तर—नारक जीव हैं और नरक उनके स्थान है। नरक नामक स्थान के सम्बन्ध से ही वे जीव नारक कहलाते हैं। २ ।

पहली भूमि से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी प्रकार सातवी भूमि तक के नरक अशुभ, अशुभतर, अशुभतम रचनावाले हैं। इसी प्रकार उन नरकों में स्थित नारकों की लेखा, परिणाम, देह, चेदना और विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ हैं।

लेश्या—रत्नप्रभा में कापोत लेश्या है। शर्कराप्रभा में भी कापोत है, पर रत्नप्रभा से अधिक तीव्रसंक्षेपकारी है। वालुकाप्रभा में कापोतनील लेश्या है। पङ्कप्रभा में नील लेश्या है। धूमप्रभा में नील-कृष्ण लेश्या है, सम.प्रभा में कृष्ण लेश्या है और महात्म.प्रभा में भी कृष्ण लेश्या है, पर सम.प्रभा से तीव्रतम है।

परिणाम—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, स्थान आदि अनेक प्रकार के प्रौद्योगिक परिणाम सातो भूमियों में उत्तरोत्तर अशुभ हैं।

शारार—सातो भूमियों के नारकों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से उत्तरोत्तर अशुभ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, स्थानवाले तथा अशुचिपूर्ण और बीमर्स हैं।

वेदना—सातो भूमियों के नारकों की वेदना उत्तरोत्तर तीव्र है। पहली तीन भूमियों में उष्ण वेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पांचवी में शीतोष्ण, छठी में शीत और सातवी में शीततर वेदना है। यह उष्ण और शीत वेदना इतनी तीव्र है कि नारक जीव यदि भर्यलोक की भर्यकर गरमी या ठण्ड में आ जाये तो उन्हें बड़े सुख की नोद आ सकती है।

विकिर्या—उनकी विकिर्या भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है। वे दुःख से घबरा कर छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, पर होता है उलटा। सुख के साधन जुटाने में उनको दुःख के साधन ही प्राप्त होते हैं। वे वैक्रियलघ्वि से बनाने लगते हैं कुछ शुभ, किन्तु बन जाता है अशुभ ही।

प्रश्न—लेश्या आदि अशुभतर भावों को नित्य कहने का प्रयोजन क्या है?

उत्तर—नित्य अर्थात् निरन्तर। गति, जाति, शरीर और अङ्गोपाङ्ग नाम-कर्म के उदय से नरकगति में लेश्या आदि भाव जीवन-पर्यन्त अशुभ ही बने रहते हैं, बीच में एक पल का भी अन्तर नहीं पड़ता और न कभी वे शुभ ही होते हैं। ३।

एक तो नरक में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी-गरमी का भर्यकर दुःख है ही, भूख-प्यास का दुःख तो और भी भर्यकर है। भूख इतनी सताती है कि अनिन की भाँति सर्व-भक्षण से भी शान्त नहीं होती, अपिनु और भी बढ़ती जाती है। प्यास इतनी लगती है कि चाहे जितना जल पिया जाय तो भी तृप्ति नहीं होती। इसके अतिरिक्त बड़ा भारी दुःख तो आपसी बैर और भारपीट का है। जैसे कौबा और उल्लू तथा सांप और नेवला जन्मजात शत्रु हैं, वैसे ही नारक जीव जन्मजात शत्रु होते हैं। इसलिए वे एकन्तूसरे को देखकर कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, काटते हैं और गृस्ते से बेलते हैं; इसीलिए वे परस्परजित दुःखवाले कहे गए हैं। ४।

नारकों में तीन प्रकार की वेदना मानी गई है, जिनमें क्षेत्रस्वभावजन्म और

परम्पराजन्य वेदनाओं का वर्णन उभर आ गया है। तीसरी वेदना उल्कट अध्यन्य है। प्रथम द्वे वेदनाएँ सातो भूमियों में साधारण हैं। तीसरी वेदना केवल पहली तीन भूमियों में होती है, क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाष्ठार्मिक असुर हैं और वहुत कूर स्वभववाले और पापरत होते हैं। इनकी अम्ब, अम्बरीष आदि पन्द्रह जातियां हैं। ये स्वभावत् इतने निर्देश और कुतूहली होते हैं कि इन्हें दूसरों को सताने में ही आनन्द आता है। इसलिए नारकों को ये अनेक प्रकार के प्रह्लादों से दुखी करते रहते हैं। उन्हें आपस में कुत्तों, भैंसों और भल्लों की तरह लड़ते हैं। नारकों को आपस में लड़ते, मार-पीट करते देखकर इन्हें वडा आनन्द आता है। यद्यपि ये परमाष्ठार्मिक एक प्रकार के देव हैं, इन्हें और भी अनेक प्रकार के सुख-साधन प्राप्त हैं, तथापि पूर्वजन्मकृत तीव्र दोष के कारण इन्हें दूसरों को सताने में ही प्रसन्नता होती है। नारक भी बेचारे कर्मवश असहाय होकर सम्पूर्ण जीवन तीव्र वेदनाओं के अनुभव में ही बिताते हैं। वेदना कितनी ही अधिक हो, पर नारकों के लिए न तो कोई शरण है और अनपवर्तनीय आयु के कास्ठ जीवनी भी जल्दी समाप्त नहीं होता। ५।

**नारकों की स्थिति—प्रत्येक गति के जीर्णों की स्थिति (आयुमर्यादा) जघन्य और उत्कृष्ट दो प्रकार की है। जिससे कम न हो वह जघन्य और जिससे अधिक न हो वह उत्कृष्ट स्थिति है। यहाँ नारकों की उत्कृष्ट स्थिति का ही निर्देश है। जघन्य स्थिति का वर्णन आगे किया जायगा।<sup>१</sup> पहली भूमि में एक साशरोपम की, दूसरी में तीन, तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवी में सतरह, छठी में बाईस और सातवी में तैतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु-स्थिति कही गई है।**

यहाँ अबोलोक का सामान्य वर्णन पूरा होता है। इसमें दो बातें विशेष जातव्य हैं—गति-आगति और द्वौप-समुद्र आदि की सम्भावना।

**गति—अतंकी प्राणी भरने पर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं। भुज-परिसर्प गहली दो भूमियों तक, पक्षी तीन भूमियों तक, चिह्न चार भूमियों तक, उरग पांच भूमियों तक, स्त्री छ। भूमियों तक और मत्स्य व... मनुष्य सातवी भूमि तक जा सकते हैं। सारांश यह है कि तियंच और मनुष्य ही नरक-भूमि में पैदा हो सकते हैं, देव और नारक नहीं। कारण यह है कि उनमें वैसे अव्यवसाय का अभाव होता है। नारक मरकर पुन उत्पाल न सो नरक गति में ही पैदा होते हैं और न देव गति में। वे तियंच एव मनुष्य गति में ही पैदा हो सकते हैं।**

**आगति—पहली तीन भूमियों के नारक जीव मनुष्य गति में आकर तीर्थज्ञर पद तक प्राप्त कर सकते हैं। चार भूमियों के नारक जीव मनुष्य गति में आकर**

निर्बाण भी प्राप्त कर सकते हैं। पाँच भूमियों के नारक मनुष्य गति में संयम वारण कर सकते हैं। छ. भूमियों से निकले हुए नारक जीव देशविरति और सात भूमियों से निकले हुए सम्पदत्व प्राप्त कर सकते हैं।

**द्वीप-समुद्र आदि की अवस्थिति**—रत्नप्रभा भूमि को छोड़ योग छः भूमियों में न तो द्वीप, समुद्र, पर्वत और सरोवर ही है, न गाँव, शहर आदि है; न वृक्ष, लता आदि बादर वनस्पतिकाय है, न द्वीपिण्डि से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक तिर्यच है; न मनुष्य है और न किसी प्रकार के देव ही है। रत्नप्रभा का कुछ भाग मध्यलोक में सम्मिलित है, अत. उसमें द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, वनस्पति, तिर्यच, मनुष्य, देव होते हैं। रत्नप्रभा के अतिरिक्त योग छ भूमियों में केवल नारक और कुछ एकेन्द्रिय जीव ही हैं। इस सामान्य नियम का भी अपवाद है, क्योंकि उन भूमियों में कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों का होना भी सम्भव है। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्भव है कि केवली समुद्रधात करनेवाला मनुष्य सर्वलोकव्यापी होने से उन भूमियों में भी आत्मप्रदेश फैलाता है। वैक्रियलंबिध-वाले मनुष्य की भी उन भूमियों तक पहुँच है। तिर्यचों की पहुँच भी उन भूमियों तक है, परन्तु यह केवल वैक्रियलंबिध की अपेक्षा से ही मान्य है। कुछ देव कभी-कभी अपने पूर्वजन्म के मित्रों को दुखमुक्त करने के उद्देश्य से नरकों में पहुँच जाते हैं। किन्तु देव भी केवल तीन भूमियों तक ही जा पाते हैं। नरकपाल कहे जानेवाले परमार्थार्थक देव जन्म से ही पहली तीन भूमियों में रहते हैं, अन्य देव जन्म से केवल पहली भूमि में पाये जाते हैं। ६।

### मध्यलोक

जस्तूद्वीपलवणादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्राः । ७ ।

द्विद्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः । ८ ।

तन्मध्ये मेरुनाभिर्दृतो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जस्तूद्वीपः । ९ ।

तत्र भरतत्तैर्मवतहरिविदेहरन्यकहैरण्यवत्तरावतवर्षाः क्षेत्राणि । १० ।

तद्विभाजिनः पूर्वपरायता हिमवन्महाहिमवशिष्ठघनीलर्किमशिखरिणो वर्णवर्णवर्ताः । ११ ।

द्विघातिकीखण्डे । १२ ।

पुष्करार्थं च । १३ ।

प्राह्मानुषोत्तरान् मनुष्याः । १४ ।

आर्या स्लेच्छाश्च । १५ ।

भरततैरावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरुस्तरकुरुम्यः । १६ ।

नृस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्तं । १७ ।  
तिर्यग्योनीनां च । १८ ।

जम्बूद्वीप आदि शुभ नामवाले द्वीप तथा लबण आदि शुभ नामवाले समुद्र हैं ।

वे सभी द्वीप और समुद्र वलय ( चूड़ी ) को आकृतिवाले, पूर्व-पूर्वांको वेष्टित करनेवाले और दुगुने-दुगुने विष्कम्भ ( व्यास या विस्तार ) वाले हैं ।

उन सबके मध्य में जम्बूद्वीप है जो गोल है, एक लाख योजन विष्कम्भवाला है और जिसके मध्य में मेस्पर्वत है ।

जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, हैमवतवर्ष, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्यकवर्ष, हेरण्णवतवर्ष और ऐरावतवर्ष नामक सात क्षेत्र हैं ।

उन क्षेत्रों को पृथक् करनेवाले और पूर्व-पश्चिम लम्बे हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुक्मी और शिखरी—ये छः वर्षधर पर्वत हैं ।

धातकीखण्ड में पर्वत तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दुगुने हैं ।

पुष्करार्धद्वीप में भी उतने ( धातकीखण्ड जितने ) ही हैं ।

मानुषोत्तर नामक पर्वत के पहले तक ( इस ओर ) ही मनुष्य है ।

वे आर्य और स्लेञ्च हैं ।

देवकुर और उत्तरकुर को छोड़ भरत, ऐरावत तथा विदेह—ये सभी कर्मभूमियाँ हैं ।

मनुष्यों की स्थिति ( आयु ) उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त है ।

तिर्यचो की स्थिति ( आयु ) भी उतनी ही है ।

द्वीप और समुद्र—मध्यलोक की आकृति क्षालर के समान है । यह वास द्वीप-समुद्रों के वर्णन से स्पष्ट है ।

मध्यलोक में असंस्थात द्वीप-समुद्र हैं, जो द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप इस क्रम से अवस्थित है । उन सबके नाम शुभ ही हैं । यहाँ द्वीप-समुद्रों के व्यास, उनकी रचना और आकृति सम्बन्धी तीन बातें वर्णित हैं, जिनसे मध्यलोक का आकार ज्ञात होता है ।

व्यास—जम्बूद्वीप का पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण विस्तार एक-एक लाख योजन है, लबणसमुद्र का उससे दुगुना है । इसी प्रकार धातकीखण्ड का लबण-समुद्र से, कालोदधि का धातकीखण्ड से, पुष्करवरद्वीप का कालोदधि से, पुष्करो-दधि का पुष्करवरद्वीप से दुगुना-दुगुना विष्कम्भ है । विष्कम्भ का यही क्रम

अन्त तक चलता है। अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है, जिससे अंतिम समुद्र स्वयम्भूरमण का विष्कम्भ दुगुना है।

- रचना—द्वीप-समुद्रो की रचना धातकी के पाठ और उसके थाल के समान है। जम्बूद्वीप लवणसमुद्र से बेटित है। इसी प्रकार लवणसमुद्र धातकीखण्ड से, धातकीखण्ड कालोदधि से, कालोदधि पुष्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्करो-दधि से बेटित है। यही क्रम स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यंत है।

आकृति—जम्बूद्वीप थाली के समान गोल है और अन्य सब द्वीप-समुद्रों की आकृति बल्य ( चूड़ी ) के समान है। ७-८ ।

जम्बूद्वीप के क्षेत्र और प्रधान पर्यंत—जम्बूद्वीप सबसे प्रथम और सब द्वीप-समुद्रों के मध्य में है अर्थात् उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र बेटित नहीं है। जम्बूद्वीप का विष्कम्भ एक लाख योजन है। वह कुम्हार के चाक की भीति गोल है, लवणादि की तरह वलयाकृति नहीं। उसके बीच में मेशपर्वत है। सक्षेप में मेरु का वर्णन इस प्रकार है ।

मेरु की ऊँचाई एक लाख योजन है, जिसमें एक हजार योजन का भाग भूमि के अन्दर अर्थात् अदृश्य है। निन्यानवे हूजार योजन का भाग भूमि के ऊपर है। जमीन के अन्दरवाले भाग की लम्बाई-चौड़ाई सब जगह दस हजार योजन है। बाहरी भाग के ऊपर का अश, जहाँ से चूलिका निकलती है, एक-एक हजार योजन लम्बा-चौड़ा है। मेरु के तीन काण्ड हैं। वह तीनों लोरों में अवगाहित होकर स्थित है और चार बनों से घिरा है। प्रथम काण्ड एक हजार योजन का है जो जमीन में है। दूसरा तिरसठ हजार योजन का और तीसरा छत्तीस हजार योजन का है। पहले काण्ड में कुद्द पृथिवी तथा कंकड आदि की, दूसरे में चौड़ी, स्फटिक आदि की और तीसरे में स्वर्ण की प्रचुरता है। क्रमशः चार बनों के नाम भद्रशाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक हैं। एक लाख योजन की ऊँचाई के बाद सबसे ऊपर एक चूलिका ( चोटी ) है, जो चालीस योजन ऊँची है। वह मूल में बारह योजन, बीच में आठ योजन और ऊपर चार योजन लम्बी-चौड़ी है।

जम्बूद्वीप में मुख्यतया सात सेत्र हैं जो बंधा, वर्ष या वास्त्य कहलाते हैं। इनमें पहला भरत दक्षिण की ओर है। भरत के उत्तर में हैमवत, हैमवत के उत्तर में हरि, हरि के उत्तर में विदेह, विदेह के उत्तर में रम्यक, रम्यक के उत्तर में हरण्यवत और हरण्यवत के उत्तर में ऐरावतवर्ष है। अवहारणिद्व दिशा के नियम<sup>१</sup> के अनुसार मेरुपर्वत सातों सेत्रों के उत्तरी भाग में अवस्थित हैं।

१ दिशा का नियम सूर्य के उदयास्त पर निर्भर है। सूर्योदय की ओर मुख करके खड़े होने पर बायी ओर उत्तर दिशा में मेरु पड़ता है। भरतसेत्र में सूर्यास्त की दिशा ही

सातो क्षेत्रों को एक-दूसरे से अलग करनेवाले छ पर्वत हैं जो वर्पंधर कहलाते हैं। ये सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं। भरत और हैमवत क्षेत्र के बीच हिमवान् पर्वत है। हैमवत और हरिवर्ष का विभाजक महाहिमवान् है। हरिवर्ष और विदेह का विभाजक निष्ठपर्वत है। विदेह और रम्यकर्वण का विभाजक नीलपर्वत है। रम्यक और हैरण्यवत का विभाजक रुक्मीपर्वत है। हैरण्यवत और ऐरवत का विभाजक शिखरीपर्वत है।

अपर निर्दिष्ट सातो क्षेत्र थाली की आकृति के जम्बूदीप में पूर्णी छोर से पश्चिमी छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रूप में एक के बाद एक अवस्थित है। विदेहक्षेत्र इन सबके मध्य में है, इसलिए मेषपर्वत भी उस क्षेत्र के छोक मध्य में अवस्थित है। विदेहक्षेत्र को रम्यकक्षेत्र से नीलपर्वत विभक्त करता है और हरिवर्षक्षेत्र को निष्ठपर्वत विभक्त करता है। विदेहक्षेत्र में मेरु और नीलपर्वत के बीच का अर्धचन्द्राकार भाग उत्तरकुरु है जिसकी पूर्व-पश्चिम सीमा वहाँ के दो पर्वतों से निश्चित होती है, तथा मेरु तथा निष्ठपर्वत के बीच का बैसा ही अर्धचन्द्राकार भाग देवकुरु है। देवकुरु और उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह अर्थात् महाविदेह के ही भाग हैं, परन्तु उन क्षेत्रों में युगलियों की आवादी होने के कारण वे भिन्न रूप-से पहचाने जाते हैं। देवकुरु और उत्तरकुरु के भाग का क्षेत्र छोड़ने पर महाविदेह के अवशिष्ट पूर्व और पश्चिम भाग में सोलह-सोलह विभाग हैं। ये विभाग विजय कहलाते हैं। इस प्रकार सुमेरुपर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर कुल मिलाकर ३२ विजय हैं।

जम्बूदीप में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान्-पर्वत के दोनों छोर पूर्व-पश्चिम लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। इसी प्रकार ऐरवतक्षेत्र की सीमा पर स्थित शिखरीपर्वत के दोनों छोर भी लवणसमुद्र में फैले हुए हैं। प्रत्येक छोर दो भागों में विभाजित होने से कुल मिलाकर दोनों पर्वतों के बाठ भाग लवणसमुद्र में आते हैं। दाढ़ों की आकृति के होने से उन्हें दाढ़ा कहा जाता है। प्रत्येक दाढ़ा पर मनुष्यों की आवादीवाले सात-सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र लवणसमुद्र में आने के कारण अरहोप के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिनकी संख्या छप्तन है। उनमें भी युगलिया मनुष्य रहते हैं। ९-११।

**घातकीखण्ड और पुष्करार्धहीप—**जम्बूदीप का अपेक्षा घातकीखण्ड में मेरु, वर्ण और वर्पंधर की संख्या दुगुनी है, अर्थात् वहाँ दो मेरु, चौदह वर्ण और बारह

---

ऐरवतक्षेत्र में सूर्योदय की दिशा है। इसलिए वहाँ भी सूर्योदय की ओर मुख करने से मेरुपर्वत उत्तर दिशा में ही पड़ता है। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी मेरु उत्तर में ही पड़ता है।

वर्षधर हैं, परन्तु सबके नाम जम्बूदीपवर्ती मेरु, वर्षधर और वर्ष के समान हो हैं। वल्याकृति धातकीखण्ड के पूर्वार्थ और पश्चिमार्थ दो भाग हैं। यह विभाग दो पर्वतों से होता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत है और इष्वाकार ( बाण के समान सीधे ) है। प्रत्येक विभाग में एक-एक मेरु, सात-सात वर्ष और छ-छ. वर्षधर हैं। साराश यह है कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बूदीप में हैं वे सब धातकी-खण्ड में दुगुने हैं। धातकीखण्ड को पूर्वार्थ और पश्चिमार्थ में विभक्त करनेवाले दक्षिणोत्तर विस्तृत और इष्वाकार दो पर्वत हैं तथा पूर्वार्थ और पश्चिमार्थ में पूर्व-पश्चिम में फैले हुए छ-छ. वर्षधर ( पर्वत ) हैं। ये सभी एक और से कालो-दधि को और दूसरी और से लवणोदधि को स्पर्श करते हैं। पूर्वार्थ और पश्चिमार्थ में स्थित छ-छ वर्षधरों को पहिये की नाभि में लगे हुए आरो की उपमा दी जाय तो उन वर्षधरों से विभक्त होनेवाले भरत आदि सात क्षेत्रों को आरो के बीच के अन्तर की उपमा दी जा सकती है।

धातकीखण्ड में, मेरु, वर्ष और वर्षधरों की जो संख्या है वही पुष्करार्थ द्वीप में भी है। वहाँ भी दो मेरु, चौदह वर्ष तथा बारह वर्षधर हैं जो इष्वाकार पर्वतों द्वारा विभक्त पूर्वार्थ और पश्चिमार्थ में अवस्थित हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में पाँच मेरु, तीस वर्षधर ( पर्वत ) और पैतीस वर्ष ( क्षेत्र ) हैं। उक्त पैतीस क्षेत्रों के पाँच महाविदेह क्षेत्रों में पाँच देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु और एक सी साठ विजय हैं। अन्तर्द्वीप के बल लवणसमुद्र में ही है, अतः छप्पन ही है। पुष्करवरदीप में मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत है, जो पुष्करवरदीप के छोटे मध्य में किले की तरह गोलाकार खड़ा है और मनुष्यलोक को घेरे हुए है। जम्बूदीप, धातकीखण्ड और आधा पुष्करवर द्वीप ये ढाई तथा लवण, कालोदधि ये दो समुद्र—यही क्षेत्र 'मनुष्यलोक' कहलाता है। उक्त क्षेत्र का नाम मनुष्यलोक और उक्त पर्वत का नाम मानुषोत्तर इसलिए पड़ा है कि इससे बाहर मनुष्य का जन्म-मरण नहीं होता। विद्यासम्पन्न सुनि या वैक्रिय लविषधारी मनुष्य ही ढाई द्वीप के बाहर जा सकते हैं, किंतु उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही होता है। १२-१३।

मनुष्यजाति का क्षेत्र और प्रकार—मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप और दो समुद्र हैं उनमें मनुष्य की स्थिति है अवश्य, पर वह सार्वत्रिक नहीं। जन्म से तो मनुष्यजाति का स्थान मात्र ढाई द्वीप के अन्तर्गत पैतीस क्षेत्रों और छप्पन अन्तर्द्वीपों में ही है परन्तु संहरण, विद्या या लविष के निमित्त से मनुष्य ढाई द्वीप तथा दो समुद्रों के किंतु भी भाग में रह सकता है। इतना ही नहीं, मैरुपर्वत की ओटी पर भी वह उक्त निमित्त से रह सकता है। फिर भी यह

भारतीय है, यह हैमवतीय है इत्यादि व्यवहार क्षेत्र के सम्बन्ध से और यह अम्बूद्धीयीय है, यह घाटकीखण्डीय है इत्यादि व्यवहार द्वीप के सम्बन्ध से होता है। १४।

मनुष्यजाति के मृश्यत् आर्य और म्लेच्छ ये दो मेद हैं। निमित्तमेद की दृष्टि से १. प्रकार के आर्य हैं जैसे क्षेत्र, जाति, कुल, कर्म, शिल्प और भाषा। २. क्षेत्र-आर्य वे हैं, जो पन्द्रह कर्मभूमियों में और उनमें भी आर्यदेशों में उत्पन्न होते हैं। ३. जाति-आर्य वे हैं जो इस्काकु, विदेह, हरि, जात, कुरु, उग्र आदि वर्णों में उत्पन्न होते हैं। ४. कुल-आर्य वे हैं जो कुलकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव आदि के रूप में विशुद्ध कुल में उत्पन्न होते हैं। ५. कर्म-आर्य वे हैं जो गजन, याजन, पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि द्वारा आजीविका चलाते हैं। ६. शिल्प-आर्य जुलाहा, नाई, कुम्हार आदि हैं जो अल्प जारेन्मवाली और अनिन्य आजीविकावाले हैं। ७. भाषा आर्य वे हैं जो शिष्पुरुषमान्य<sup>२</sup> भाषाओं में सुगम रीति से बचन आदि का व्यवहार करते हैं। इनसे विपरीत लक्षणोंवाले सभी मनुष्य म्लेच्छ<sup>३</sup> हैं, जैसे शक, यवन, कम्बोज, शबर, पुरिन्द आदि। छप्पन अन्तर्दीर्घों में रहनेवाले सभी मनुष्य तथा कर्मभूमियों में भी अनार्य देशोत्पन्न म्लेच्छ ही है। १५।

**कर्मभूमियों—कर्मभूमि** वही है जहाँ भोक्षमार्ग के जारा और उपदेश तीर्थ-झर उत्पन्न होते हैं। द्वाई द्वीप में मनुष्य की उत्पत्ति के पैतीस क्षेत्र और छप्पन अन्तर्दीर्घ हैं। उनमें ऐसी कर्मभूमियां पन्द्रह ही हैं और वे हैं पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच विदेह। इनके अतिरिक्त शेष बीस क्षेत्र तथा सब अन्तर्दीर्घ अकर्मभूमि ( भोगभूमि ) ही हैं। मध्यपि देवकुरु और उत्तरकुरु ये दो क्षेत्र विदेह के अन्तर्गत ही हैं तथापि वे कर्मभूमियां नहीं हैं, क्योंकि उनमें युगलिक-घर्म होने से चारित्र वारण करना सम्भव नहीं है, जैसे हैमवत आदि अकर्मभूमियों में। १६।

**मनुष्य और तिर्थकर्त्रों की स्थिति—मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति ( आयुभयादा )**

१. प्रत्येक क्षेत्र में साठे पञ्चीस आर्यदेश के हिसाब से पाँच भरत और पाँच ऐरावत में दो सौ पचपन आर्यदेश हैं और पाँच विदेह के एक सौ साठ चक्रवर्ती-विजय आर्यदेश हैं। इन्हीं में तीर्थकर उत्पन्न होते हैं और धर्मप्रवर्तन करते हैं। इनको छोड़कर पन्द्रह कर्मभूमियों का शेष क्षेत्र आर्यदेश नहीं भाना जाता।

२. तीर्थकर, गणधर आदि जो अतिशयसम्पन्न हैं वे शिष्ट हैं, उनकी भाषा संस्कृत व अर्थमागधी आदि होती है।

३. इस व्याख्या के अनुसार हैमवत आदि तीस भोगभूमियों ( अकर्मभूमियों ) के निवासी म्लेच्छ ही हैं।

तीन पल्योपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। तिर्यक्षों की स्थिति भी मनुष्य के बराबर उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्तर्मुहूर्त है।

मव और कायमेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म पाकर उसमें जघन्य अथवा उत्कृष्ट नितने काल तक जी सकता है वह भवस्थिति है और वीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बाट-बार उत्पन्न होना कायस्थिति है। ऊपर मनुष्यों और तिर्यक्षों की जघन्य तथा उत्कृष्ट भवस्थिति का निर्देश किया गया है। मनुष्य हो या तिर्यक्ष, सबकी जघन्य कायस्थिति तो भवस्थिति की भाँति अन्तर्मुहूर्त हो है। मनुष्य की उत्कृष्ट कायस्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण की है, अर्थात् किसी भी मनुष्य को लगातार सात अथवा आठ जन्म तक रहने के बाद अवश्य मनुष्यजाति छोड़ देनी पड़ती है।

सब तिर्यक्षों की कायस्थिति भवस्थिति की तरह समान नहीं है। अत तिर्यक्षों की दोनों स्थितियों का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक है। पृथ्वीकाय की भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की भवस्थिति सात हजार वर्ष, वायुकाय की भवस्थिति तीन हजार वर्ष और तेजकाय की भवस्थिति तीन अहोरात्र है। इन चारों की कायस्थिति असर्वात अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी प्रमाण है। अवसर्पिकाय की भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी प्रमाण है। द्वीन्द्रिय की भवस्थिति बारह वर्ष, त्रीन्द्रिय की उनचास अहोरात्र और चतुर्दिन्द्रिय की छ. मास है। इन तीनों की कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षों में गर्भज और संमूर्छिम की भवस्थिति भिन्न-भिन्न है। गर्भजों में जलचर, उरग और भुजग की भवस्थिति करोड़पूर्व, पक्षियों की भवस्थिति पल्योपम का असंख्यातर्वा भाग और चतुष्पद स्थलचर की भवस्थिति तीन पल्योपम है। संमूर्छिम जीवों में जलचर की भवस्थिति करोड़पूर्व, उरग की भवस्थिति शेषन हजार वर्ष, भुजग की भवस्थिति वयालीस हजार वर्ष, पक्षियों की भवस्थिति बहत्तर हजार वर्ष और स्थलचरों की भवस्थिति चौरासी हजार वर्ष है। गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षों की कायस्थिति सात या आठ जन्मग्रहण और संमूर्छिम जीवों की कायस्थिति सात जन्मग्रहण प्रमाण है। १७-१८। ●

१४ :

## देवलोक

तृतीय अध्याय में सुखरूप से नारकों, मनुष्यों और तिर्यकों की स्थिति, क्षेत्र आदि का वर्णन किया गया है। इस चतुर्थ अध्याय में देवों के निकायों, सनकी स्थिति, उनकी विशेषताओं आदि का वर्णन किया जा रहा है।

देवों के प्रकार

देवाद्यतुर्निकायाः । १ ।

देव चार निकायवाले हैं।

समूह विशेष या जाति को निकाय कहते हैं। देवों के चार निकाय या प्रकार हैं—१. भवनपति, २. व्यन्तर, ३. ज्योतिष्क और ४. वैभागिक । १ ।

तृतीय निकाय की लेश्या

तृतीयः पीतलेश्यः । २ ।

तीसरा निकाय पीतलेश्यवाला है।

उक्त चार निकायों में ज्योतिष्क दीसरे निकाय के देव हैं। उनमें केवल पीत (तेज.) लेश्या होती है। यहाँ लेश्याएँ का अर्थ द्रव्यलेश्या अर्थात् शारीरिक वर्ण है, व्यवसाय-विशेष के रूप में भावलेश्या नहीं, क्योंकि छहों भावलेश्याएँ दो चारों निकायों के देवों में होती हैं। २ ।

१. दिग्मवर परम्परा में भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क इन तीन निकायों में हृण से तेज. पर्यन्त चार लेश्याएँ मानी गयी हैं, पर ज्वेताम्बर परम्परा में भवनपति व व्यन्तर दो निकायों में ही उक्त चार लेश्याएँ मानी गयी हैं और ज्योतिष्क निकाय में केवल तेजलेश्या। इसी भवमेद के कारण ज्वेताम्बर परम्परा में यह दूसरा और आगे सातवाँ दोनों सूत्र मिलने हैं। दिग्मवर परम्परा में इन दोनों सूत्रों के स्वाज पर एक ही सूत्र 'आदितजिपु पीतान्तलेश्या' प्रचलित है।

२. सेक्ष्या के विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें—हिन्दी 'बौशा कर्मग्रन्थ' में 'सेक्ष्या' शब्द-विषयक परिशिष्ट, पृ० ३३।

### चार निकायों के भेद

**दशाष्टपञ्चद्वादशविकल्प्याः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः । ३ ।**

कल्पोपपन्न देवों तक चतुर्निकायिक देवों के क्रमशः दस, आठ, पाँच और बारह भेद हैं ।

भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय के पाँच और वैमानिकनिकाय के बारह भेद हैं, जिनका वर्णन आगे आयेगा । वैमानिकनिकाय के बारह भेद कल्पोपपन्न वैमानिक देव तक के हैं, क्योंकि कल्पातीत देव वैमानिकनिकाय के तो हैं, पर उनकी गणना उक्त बारह भेदों में नहीं है । सौधर्म से अच्युत तक बारह स्वर्ग ( देवलोक ) हैं, जिन्हें कल्प कहा जाता है । ३ ।

### चतुर्निकाय के अवान्तर भेद

**इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिवशापारिषद्यात्मरक्षालोकपालानीक-**

**प्रकीर्णकाभियोग्यकिल्विषिकाश्चैकशः । ४ ।**

**त्रायस्त्रिवशालोकपालवज्या व्यन्तरज्येतिष्काः । ५ ।**

चतुर्निकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिवश, पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिकरूप हैं ।

व्यन्तर और ज्योतिष्क देव त्रायस्त्रिवश तथा लोकपाल-रहित हैं ।

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं । ये सब देव इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं । १. इन्द्र—सामानिक आदि सब प्रकार के देवों के स्वामी । २. सामानिक—आयु आदि में इन्द्र के समान व्यर्थात् अमात्य, पिता, गुरु आदि की तरह पूज्य, पर इनमें मात्र इन्द्रल्प नहीं होता । ३. त्रायस्त्रिवश—मत्री या पुरोहित का काम करनेवाले । ४. पारिषद्य—मित्र का काम करनेवाले । ५. आत्मरक्षक—शस्त्र धारण करके आत्मरक्षक के रूप में पीठ की ओर खड़े रहनेवाले । ६. लोकपाल—सीमाके रक्षक । ७. अनीक—सैनिक और सेनाधिपति । ८. प्रकीर्णक—नगरवासी और देशवासी के समान । ९. आभियोग्य—सेवक या दास के तुल्य । १०. किल्विषिक—अन्त्यजों के समान । बारह देवलोकों में अनेक प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं ।

छान्तरनिकाय के आठ और ज्योतिष्कनिकाय के पाँच प्रकार के देव इन्द्र आदि आठ विभागों में ही विभक्त हैं, क्योंकि हन् दोनों निकायों में त्रायस्त्रिवश और लोकपाल जाति के देव नहीं होते । ४-५ ।

इन्हों की संख्या

पूर्वयोद्धान्नाः । ६ ।

प्रथम दो निकायों में दो-दो इन्द्र हैं ।

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देवों में तथा व्यन्तर-निकाय के किन्नर आदि आठ प्रकार के देवों में दो-दो इन्द्र हैं । जैसे चमर और बलि असुरकुमारों के, घरण और भूतानन्द नागकुमारों के, हरि और हरिसहंशुभूतकुमारों के, वेणुदेव और वेणुदारी सुपर्णकुमारों के, अग्निशिख और अग्निभाणव अग्निकुमारों के, वेलन्ध और प्रभगुण वातकुमारों के, सुधोष और महाधोष स्तनितकुमारों के जलकान्त और जलप्रभ उदधिकुमारों के, पूर्ण और वासिष्ठ द्वीप-कुमारों के, तथा अमितगति और अमितवाहन दिक्कुमारों के इन्द्र हैं । इसी तरह व्यन्तरनिकाय में भी हैं जैसे किन्नरों के किन्नर और किपुरुप, किपुरुर्खों के सत्पुरुष और महापुरुष, महोरग के अतिकाय और महाकाय, गन्धवों के गीतरति और गीतायश, यस्तों के पूर्णभद्र और भणिभद्र, राक्षसों के भीम और महाभीम, भूतों के प्रतिरूप और अप्रतिरूप तथा पिशाचों के काल और महाकाल ये दो-दो इन्द्र हैं ।

भवनपति और व्यन्तर इन दोनों निकायों में दो-दो इन्द्र वरतलाकर शेष दो निकायों में दो-दो इन्हों का अभाव दर्शाया गया है । ज्योतिष्कनिकाय में ती चन्द्र और सूर्य ही इन्द्र हैं । चन्द्र और सूर्य असंख्यतात हैं, इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में इन्द्र भी इतने ही है । वैमानिकनिकाय में प्रत्येक कल्प में एक-एक इन्द्र है । सीधमें कल्प में शक, ऐशान में ईशान, सानकुमार में सनकुमार नामक इन्द्र है । इसी प्रकार ऊपर के देवलोकों में उन देवलोकों के नामबाला एवं-एक इन्द्र हैं । विशेषता इतनी ही है कि आनन्द और प्राणत इन दो कल्पों का प्राणत नामक एक ही इन्द्र है । आरण और अच्छुत इन दो कल्पों का भी अच्छुत नामक एक ही इन्द्र है । ६ ।

प्रथम दो निकायों में लेखा

पीतान्तलेश्याः । ७ ।

प्रथम दो निकायों के देव पीत ( तेजः ) पर्यन्त लेश्यावाले हैं ।

भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक वर्णरूप द्रव्यलेश्या चार ही यानी जाती हैं, जैसे कृष्ण, नील, कापोत और पीत ( तेजः ) । ७ ।

## देवों का कामसुख

कायप्रवीचारा आ-ऐशानात् । ८ ।

शेषाः स्पर्शरूपशब्दभनःप्रवीचारा ह्ययोह्योः । ९ ।

परेभ्रवीचाराः । १० ।

ऐशान कल्प तक के देव कायप्रवीचार होते हैं अर्थात् शरीर से विषयसुख भोगते हैं ।

शेष देव दो-दो कर्त्त्वों में क्रमशः स्पर्श, रूप, शब्द और संकल्प द्वारा विषयसुख भोगते हैं ।

अन्य सब देव प्रवीचार से रहित अर्थात् वैषयिक सुखभोग से भ्रक होते हैं ।

मनुष्य, अन्तर, ज्योतिष्क तथा पहले व दूसरे कल्प के वैमानिक ये सब देव मनुष्य की भाँति शरीर से कामसुख का अनुभव करके प्रसन्न होते हैं :

तीसरे कल्प तथा उपर के सभी कल्पों के वैमानिक देव मनुष्य के समान सर्वाङ्गीण शरीरस्वर्ण द्वारा कामसुख नहीं भोगते, अपितु अन्यान्य प्रकार से वैषयिक सुख भोगते हैं । तीसरे और चौथे कल्प के देवों की तो देवियों के स्पर्श-मात्र से कामतृप्ति हो जाती है । पांचवें और छठे स्वर्ग के देव देवियों के सुसज्जित ( श्रुंगारित ) रूप को देखकर ही विषयसुख प्राप्त कर लेते हैं । सातवें और आठवें स्वर्ग के देवों की कामर्वासना देवियों के विविध शब्दों को सुनने से पूरी हो जाती है । नवें और दसवें तथा दहवें और बारहवें इन दो जोड़ों अर्थात् चार स्वर्गों के देवों की वैषयिक तृप्ति देवियों का चिन्तन करने मात्र से हो जाती है । इस तृप्ति के लिए उन्हें न तो देवियों के स्पर्श की, न उनका रूप देखने की और न गीत आदि सुनने की आवश्यकता रहती है । सारांश यह है कि दूसरे स्वर्ग तक ही देवियाँ हैं, ऊपर के कल्पों में नहीं हैं । वे जब तृतीय आदि ऊपर के स्वर्गों के देवों को विषयसुख के लिए उत्सुक अर्थात् अपनी ओर आदरशील जानती हैं तभी वे उनके निकट पहुँचती हैं । देवियों के हस्त आदि के स्पर्श मात्र से तीसरे-चौथे स्वर्ग के देवों की कामतृप्ति हो जाती है । उनके श्रुंगारसज्जित मनोहर रूप को देखने मात्र से पांचवें और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूर्ण हो जाती है । इसी प्रकार उनके सुन्दर सगीतमय शब्दों के श्रवण मात्र से सातवें और आठवें स्वर्ग के देव वैषयिक आनन्द का अनुभव प्राप्त कर लेते हैं । देवियों की पहुँच आठवें स्वर्ग तक ही है, ऊपर नहीं । नवें से बारहवें स्वर्ग तक के देवों की काम-मुखतृप्ति केवल देवियों का चिन्तन करने से ही हो जाती है । बारहवें स्वर्ग से ऊपर के देव शान्त और

कामलालसा से परे होते हैं। उन्हें देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा कामसुख भोगने की अपेक्षा नहीं रहती, फिर भी वे नीचे के देवों से अधिक सन्तुष्ट और अधिक सुखों होते हैं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि ज्यों-ज्यों कामवासना प्रबल होती है त्यों-त्यों चित्तसंक्लेश अधिक बढ़ता है तथा ज्यों-ज्यों चित्तसंक्लेश बढ़ता है त्यों-त्यों उसके निवारण के लिए विषयभोग भी अधिकाधिक आवश्यक होता है। दूसरे स्वर्ग तक के देवों की अपेक्षा तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की, उनकी अपेक्षा पाँचवें-छठे स्वर्ग के देवों की और इस तरह कार-कापर के स्वर्गों के देवों की कामवासना मन्द होती जाती है। इसलिए उनका चित्तसंक्लेश भी कम होता जाता है। उनके कामभोग के साधन भी अत्य होते हैं। बारहवें स्वर्ग से ऊपर के देवों की कामवासना शान्त होती है, अत उन्हें स्पर्श, रूप, शब्द, चिन्तन आदि किसी भी प्रकार के भोग की कामना नहीं होती। वे संतोषजन्य परमसुख में निमन्त रहते हैं। यही कारण है कि नीचे-नीचे की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के देवों का सुख अधिकाधिक माना गया है। ८-१० ।

## चतुर्निकाय के देवों के भेद

अवनवासिनोऽसुरनागचिन्तुत्सुपर्णानिवातस्तनितोदघिद्वीप-  
दिष्कुमाराः । ११ ।

अपन्तराः किञ्चनरकिपुरुषमहोरगगान्धर्वयक्षराक्षससूतपिशाचाः । १२ ।

ज्योतिष्काः सूर्यिचन्द्रभसो ग्रहनक्षत्रप्रकीर्णतारकाश्च । १३ ।

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नुलोके । १४ ।

तत्कृतः कालविभागः । १५ ।

बहिर्वस्थिताः । १६ ।

बैमानिकाः । १७ ।

कल्पोपयन्नाः कल्पातीताश्च । १८ ।

उपमुँपरि । १९ ।

सौषमेश्वानसानन्तकुमारमहेन्द्रवहूलोकलान्तकमहाशुकसहस्ररेष्वानत-  
प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयवैजयन्तजयन्ताऽपराजितेषु  
सर्वार्थसिद्धे च' । २० ।

१. ज्येष्ठाम्बर परम्परा में वारह कल्प माने गए हैं। दिग्म्बर परम्परा में नोलट कल्पों की मान्यता है, अतः उनमें श्वशोत्तर, कापिष्ठ, शुक्र और शतार ये चार कल्प अधिक हैं, जो क्रमशः छठे, माठें, नवे और च्यारहवें हैं।

असुरकुमार, नागकुमार, विद्युतकुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उद्दिष्टकुमार, द्वीपकुमार और दिनकुमार—ये (दस) भवनवासीनिकाय हैं।

किन्नर, किपुर्ख, महोरा, गान्धवं, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच—ये (आठ) व्यन्तरनिकाय हैं।

सूर्य, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारा—ये (पाँच) ज्योतिष्क-निकाय हैं।

वे मनुष्यलोक में भेरु के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं तथा नित्य गतिशील हैं।

काल का विभाग उनके (चरज्योतिष्कों) द्वारा किया हुआ है।

ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते हैं।

चतुर्थ निकायवाले वैमानिक देव हैं।

वे कल्पोपपत्र और कल्पातीत हैं।

अपर-अपर रहते हैं।

सौधर्म, ऐशान, सानकुमार, माहेन्द्र, अह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनन्द, प्राणत, आरण और अच्युत (हन १२ कल्पों) तथा नी ग्रीवेयक और विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्थसिद्ध में उनका निवास है।

भवनपति—दसों प्रकार के भवनपति देव अस्त्रद्वीपवर्ती सुमेरुपर्वत के नीचे, उसके दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोटाकोटि लक्ष योजन तक रहते हैं। असुरकुमार प्राय आवासी में और कभी भवनों में वसते हैं तथा नागकुमार आदि सब प्राय भवनों में ही वसते हैं। आवास रत्नप्रभा के पृथ्वीपिंड में अपर-नीचे के एक-एक हजार योजन को छोटकर बीच के एक लाख अठहत्तर हजार योजन के भाग में सब जगह हैं, पर भवन तो रत्नप्रभा के नीचे नव्वे हजार योजन के भाग में ही होते हैं। आवास वहे मण्डप जैसे होते हैं और भवन नगर के समान। भवन बाहर से गोल, भीतर से समचतुर्भुकोण और तल में पुष्करकर्णिका जैसे होते हैं।

सभी भवनपति इसलिए कुमार कहे जाते हैं कि वे कुमार की तरह मनोहर तथा सुकुमार दीखते हैं। उनकी गति मुहु व मधुर होती है तथा वे क्रीडाशील होते हैं। दस प्रकार के भवनपति देवों की चिह्नादि स्वरूपसम्पत्ति जन्मना अपनी-अपनी जाति में भिन्न भिन्न है। जैसे असुरकुमारों के मुकुट में चूडामणि का, नागकुमारों के

नाग का, विद्युत्कुमारों के वज्र का, सुपर्णकुमारों के गद्ध का, अग्निकुमारों के घट का, बातकुमारों के अश्व<sup>१</sup> का, स्तनितकुमारों के वर्षभान सकोरासंपूट (सकोराशुगल) का, उदयिकुमारों के मकर का, द्वीपकुमारों के सिंह का और दिवकुमारों के हस्ति का चिह्न होता है। नागकुमार आदि सभी के चिह्न उनके आभरण में होते हैं। सभी के वस्त्र, शस्त्र, भूषण आदि विविध होते हैं। ११।

**ब्यन्तरों के भेद-प्रभेद**—सभी व्यन्तरदेव ऊर्जा, मध्य और अध्य तीनों लोकों में भवनी तथा आवासों में बसते हैं। वे स्वेच्छा से या दूसरों की प्रेरणा से भिन्न-भिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। उनमें से कुछ तो मनुष्यों की भी सेवा करते हैं। विविध पहाड़ों और गुफाओं के अन्तरों में तथा बनों के अन्तरों में बसने के कारण उन्हें व्यन्तर कहा जाता है। इनमें से किन्नर नामक व्यन्तरदेव दस प्रकार के हैं—किन्नर, किपुरुष, किपुरुषोत्तम, किन्नरोत्तम, हृदयंगम, रूपशाली, अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ। किपुरुष नामक व्यन्तरदेव दस प्रकार के हैं—पुरुष, सत्पुरुष, महानुरुष, पुरुषवृप्तम्, पुरुषोत्तम, अतिपुरुष, मरुदेव, मरुत, मेरुप्रभ और यशस्वान्। महोरण दस प्रकार के हैं—भूजग, भीशशाली, महावाण्य, अतिकाय, स्कन्धशाली, मनोरम, महावेग, महेज्वक, मेषकान्त और भास्त्वान्। गान्धर्व वारह प्रकार के हैं—हाहा, हूह, तुम्बुरव, नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कादम्ब, महाकादम्ब, रैवत, विश्वावसु, गोतरति और गौत्रियश। यथा देवह प्रकार के हैं—पूर्णभद्र, मणिभद्र, मूर्तिभद्र, हरिभद्र, सुमनोभद्र, व्यतिपातिकभद्र, सुभद्र, सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रूपयक्ष और यज्ञोत्तम। राक्षस सात प्रकार के हैं—भीम, महाभीम, विघ्न, विनायक, जलराक्षस, राक्षस और ब्रह्मराक्षस—भूत नौ प्रकार के हैं—सुख्य, प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छन्न और आकाशग। पिशाच पञ्चह प्रकार के हैं—कूम्भाण्ड, पटक, जोष, आहुक, काल, महाकाल, चौक, अचौक, सालपिशाच, मुखरपिशाच, अघस्तारक, देह, महाविदेह, तूष्णीक और वनपिशाच।

आठो प्रकार के व्यन्तरों के चिह्न क्रमशः अशोक, चम्पक, नाग, तुम्बुर, वट, खट्टवाङ्म, <sup>२</sup> सुलस और कदम्बक हैं। खट्टवाङ्म के अतिरिक्त शेष सब चिह्न नृक जाति के हैं जो उनके आभूषण आदि में होते हैं। १२।

**पञ्चविध ज्योतिष्क**—मेरु के समतल भूमग से सात सौ नव्वे योजन की

१. संग्रहणी ग्रन्थ में उदयिकुमारों के अश्व का और बातकुमारों के मकर का चिन्ह चिह्नित है। देखें—गा० २६।

२. तापस का उपकारण विरोध।



‘ऊँचाई पर ज्योतिश्चक का क्षेत्र आरम्भ होता है जो वहाँ से ऊँचाई में एक सी दह योजन का है और तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्र तक है। दस योजन की ऊँचाई पर अर्थात् उन समतल से आठ सौ योजन की ऊँचाई पर सूर्य के विमान है। वहाँ से अस्ती योजन ऊँचे अर्थात् समतल से आठ सौ अस्ती योजन ऊपर चन्द्र के विमान है। वहाँ से बीस योजन की ऊँचाई तक अर्थात् समतल से नीं सौ योजन की ऊँचाई तक ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारागण हैं। प्रकीर्ण तारों से आशय यह है कि कुछ तारे ऐसे भी हैं जो अनियतचारी होने से कभी सूर्द-चन्द्र के नीचे चलते हैं और कभी ऊपर। चन्द्र के ऊपर बीस योजन की ऊँचाई में पहले चार योजन की ऊँचाई पर नक्षत्र हैं, फिर चार योजन की ऊँचाई पर बुधग्रह, बुध से तीन योजन की ऊँचाई पर शुक्र, शुक्र से तीन योजन की ऊँचाई पर गुरु, गुरु से तीन योजन ऊपर मङ्गल और मङ्गल से तीन योजन ऊपर शनैश्चर हैं। अनियतचारी तारा सूर्य के नीचे चलते समय ज्योतिष-क्षेत्र में सूर्य के नीचे दस योजन तक रहता है। ज्योतिष ( प्रकाशमान ) विमान में रहने से सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं। इन सबके मुकुटों में प्रभामण्डल जैसा उज्ज्वल, सूर्यादिमण्डल जैसा चिह्न होता है। सूर्य के सूर्यमण्डल जैसा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल जैसा और तारा के तारामण्डल जैसा चिह्न होता है। १३।

**चरज्योतिष्क**—मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यलोक होने की बात पहले कही जा चुकी है।<sup>१</sup> मनुष्यलोक के ज्योतिष्क सदा मेरु के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। मनुष्यलोक में एक सी बत्तीस सूर्य और चन्द्र है—जम्बूदीप में दो-दो, छवणसमुद्र में चार-चार, धातकीखण्ड में बाह्य-वारह, कालोदधि में वयालीस-वयालीस और पुष्करार्घ में बहत्तर-बहत्तर हैं। एक चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र, ६८ ग्रह और ६६९७५ कोटाकोटि तारों का है। यद्यपि लोकमर्यादा के स्वामावा-बुमार ज्योतिष्कविमान सदा अपने-आप धूमते रहते हैं तथापि समुद्धि-विशेष प्रकाट करने के लिए और आभियोग्य ( सेवक ) नामकर्म के उदय से क्रीडाशील कुछ देव उन विमानों को उठाते हैं। सामने के भाग में सिंहाकृति, दाहिने गजा-कृति, पीछे वृषभाकृति और बायें अश्वाकृतिवाले ये देव विमान को उठाकर चलते रहते हैं। १४।

**कालविमान**—मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास आदि, अतीत, वर्तमान आदि एवं संस्थेय-असंस्थेय आदि के रूप में अनेक प्रकार का कालव्यवहार मनुष्यलोक में होता है, उसके बाहर नहीं होता। मनुष्यलोक के बाहर यदि कोई कालव्यवहार करनेवाला हो और व्यवहार करे तो मनुष्यलोक-प्रसिद्ध व्यवहार के अनुसार ही

होगा, क्योंकि व्यवहारिक कालविभाग का मुख्य आधार नियत क्रिया भाव है। ऐसी क्रिया सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। यह भूति भी ज्योतिष्कों को सर्वत्र नहीं, केवल मनुष्यलोक में वर्तमान ज्योतिष्कों में ही मिलती है। इसीलिए माना गया है कि काल का विभाग ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही निर्भर है। दिन, रात, पक्ष आदि स्थूल कालविभाग सूर्य आदि ज्योतिष्कों की नियत गति पर अवलम्बित होने के कारण उससे ज्ञात हो सकते हैं, समय, आवलिका आदि सूक्ष्म कालविभाग उससे ज्ञात नहीं हो सकते। स्थान-विशेष में सूर्य के प्रथम वर्षन से लेकर स्थान-विशेष में सूर्य का जो अदर्शन होता है उस उदय और अस्त के बीच सूर्य की गतिक्रिया से ही दिन का व्यवहार होता है। इसी प्रकार सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिक्रिया से रात्रि का व्यवहार होता है। दिन और रात्रि का तीसराँ भाग मूँहर्त कहलाता है। पन्द्रह दिनरात का पक्ष होता है। दो पक्ष का मास, दो मास की ऋतु, तीन ऋतु का अयन, दो अयन का वर्ष, पांच वर्ष का युग इत्यादि अनेक प्रकार का लौकिक कालविभाग सूर्य की गतिक्रिया से क्रिया जाता है। जो क्रिया चालू है वह वर्तमानकाल, जो होनेवाली है वह अनागतकाल और जो हो चुकी है वह अतीतकाल है। जो काल गणना में आ सकता है वह सम्भव है, जो गणना में न आकर केवल उपस्थित रहनाने से जाना जाता है वह असंभव है, जैसे पत्योपम, सागरोपम आदि और क्रिसका अन्त महीं है वह अनन्त<sup>१</sup> है। १५।

**स्थिरज्योतिष्क—**मनुष्यलोक से बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विभाग स्थिर हैं, क्योंकि उनके विभाग स्वभावतः एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, यद्यन्ततः अमण नहीं करते। अत उनकी लेश्या और प्रकाश भी एक स्थ में स्थिर हैं, चाहा राहु आदि की छाया न पहने से ज्योतिष्कों का स्वाभाविक पीतर्वण ज्यों का तथों बना रहता है और उदय-अस्त न होने से उनका लक्ष योजन का प्रकाश भी प्रकृत-सा स्थिर रहता है। १६।

वैमानिक देव—चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक हैं। उनका वैमानिक नाम पारिभाषिक भाव है, क्योंकि विभाग से तो अन्य निकायों के देव भी चलते हैं। १७।

वैमानिक देवों के दो भेद हैं—कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्प में रहने-वाले कल्पोपपन्न और कल्प के क्षयर रहने-वाले कल्पातीत। ये समस्त वैमानिक न तो एक ही स्थान में हैं और न तिरछे हैं किन्तु एक-दूसरे के ऊपर-ऊपर स्थित हैं। १८-१९।

१. यह अनन्त का सम्बाद्य है। उसका पूरा भाव जानने के लिए देखें—हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ।

सौधर्म, ऐशान आदि बारह कल्प (स्वर्ग) हैं। प्रथम सौधर्म कल्प ज्योतिष्ठक के असृष्टात् योजन ऊपर मेषपर्वत के दक्षिण भाग से उपलक्षित आकाशप्रदेश में स्थित है। उसके बहुत ऊपर किन्तु उत्तर की ओर ऐशान कल्प है। सौधर्म कल्प के बहुत ऊपर समश्रेणि में सानकुमार कल्प है और ऐशान के ऊपर समश्रेणि में माहेन्द्र कल्प है। इन दोनों के भव्य में किन्तु ऊपर बहालोक कल्प है। इसके ऊपर समश्रेणि में क्रमशः लान्तक, महाशुक्र और सहस्रारये तीन कल्प एक-दूसरे के ऊपर हैं। इनके ऊपर सौधर्म और ऐशान की तरह आनन्द और प्राणत ये दो कल्प हैं। इनके ऊपर समश्रेणि में सानकुमार और माहेन्द्र की तरह आरण और अच्युत कल्प हैं। कल्पो से ऊपर-ऊपर अनुक्रम से नौ विमान हैं जो पुरुषाकृति लोक के ग्रीवास्थानीय भाग में होने से 'प्रैवेयक' कहलाते हैं। इनसे ऊपर-ऊपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध ये पाँच अनुत्तर विमान हैं। सबसे उत्तर (प्रधान) होने के कारण ये 'अनुत्तर' कहलाते हैं।

सौधर्म कल्प से अच्युत कल्प तक के देव कल्पोपपन्न हैं और इनसे ऊपर के सभी देव कल्पातीत हैं। कल्पोपपन्न देवों में स्वामि-सेवकगाव होता है, कल्पातीत में नहीं। सभी कल्पातीत देव इन्द्रवत् होते हैं, अतः के अहमिन्द्र कहलाते हैं। भनुव्यलोक में किसी निमित्त से आवागमन का कार्य कल्पोपपन्न देव ही करते हैं, कल्पातीत देव अपना स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाते। २० ।

देवों की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता विषयक बातें

स्थितिप्रभावसुखद्युतिलेश्याविशुद्धीन्द्रियाविविषयतोऽधिकाः । २१ ।

गतिशरीरपरिप्रहाभिमानतो हीनाः । २२ ।

स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय और अवधि-विषय की ऊपर-ऊपर के देवों में अधिकता होती है।

गति, शरीर, परिप्रह और अभिमान की ऊपर-ऊपर के देवों में हीनता होती है।

नौचे-नीचे के देवों से ऊपर-ऊपर के देव सात बातों में अधिक (बढ़े हुए) होते हैं। ये सात बातें निम्नलिखित हैं-

१. स्थिति—इसका विशेष स्पष्टीकरण आगे सूत्र ३० से ५३ तक किया गया है।

२. प्रभाव—निप्रह-अनुप्रह करने का सामर्थ्य, अणिमा-महिमा आदि सिद्धियों का सामर्थ्य और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बल यह तत्त्व प्रश्नाव के

अन्तर्गत है। यह प्रभाव ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक है, फिर भी उनमें उत्तरोत्तर अभिमान व संक्लेश परिणाम कम होने से वे अपने प्रभाव का उपयोग कम ही करते हैं।

३.४ सुख और द्वृति—इन्द्रियों द्वारा गाहा विषयों का अनुभव करना सुख है। शरीर, वस्त्र और आभरण आदि की दीति द्वृति है। यह सुख और द्वृति ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने से उनमें उत्तरोत्तर दीनस्वभावजन्म जुझ पुद्गल-परिणाम की प्रकृष्टता होती है।

५. लेड्या-विशुद्धि—लेड्या के नियम की स्पष्टता सूत्र २३ में की जायेगी। यहाँ इतना जातव्य है कि जिन देवों की लेड्या समान है उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों की लेड्या संक्लेश परिणाम की न्यूनता के कारण उत्तरोत्तर विशुद्ध, विशुद्धतर होती है।

६. इन्द्रियविषय—दूर से इष्टविषयों को ग्रहण करने का इन्द्रियों का सामर्थ्य भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि और संक्लेश की न्यूनता के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर अधिक होता है।

७. अवधिविषय—अवधिज्ञान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होता है। पहले-द्वासेरे स्वर्ग के देव अधोभूमि में रत्नप्रसाद तक तिरछे क्षेत्र में असर्वात लाल योजन तक और ऊर्जलोक में अपने-अपने भवन तक के क्षेत्र को अवधिज्ञान से जानते हैं। तीसरे-चौथे स्वर्ग के देव अधोभूमि में शकंराप्रभा तक, तिरछे क्षेत्र में असर्वात लाल योजन तक और ऊर्जलोक में अपने-अपने भवन तक अवधिज्ञान से देख सकते हैं। इसी प्रकार कमशा बढ़ते-बढ़ते अनुत्तर-विभान-वासी देव सम्पूर्ण लोकानाली को अवधिज्ञान से देख सकते हैं। जिन देवों का अवधिज्ञान-शीघ्र समान होता है उनमें भी नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में विशुद्ध, विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य होता है। २१।

चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की अपेक्षा ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम होती हैं। वे ये हैं :

१. गति—गमनक्रिया की शक्ति और गमनक्रिया में प्रवृत्ति ये दोनों बातें ऊपर-ऊपर के देवों में कम होती हैं, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर महानुभावत्व और उदासीनत्व अधिक होने से देशान्तर विषयक क्रीड़ा करने की गति ( शक्ति ) कम होती जाती है। सानलुगाम आदि कल्पों के देव जिनकी जघन्य आपूर्स्तिं दो साश्रोपम होती है, अधोभूमि में सातवें नरक तक और तिरछे क्षेत्र में असर्वात हृचार कोटाकोटि योजन पर्यन्त जाने का सामर्थ्य रखते हैं। इनके ऊपर के

जघन्य स्थितिशाले देवो का गतिसामर्थ्य इतना घट जाता है कि वे अविकल्पे-अधिक तीसरे नरक तक ही जा पाते हैं। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव तीसरे नरक से नीचे न गया है और न जायेगा।

२ शरीर—शरीर का परिमाण पहले-दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का, तीसरे-चौथे स्वर्ग में छ. हाथ का, पाँचवें-छठे स्वर्ग में पाँच हाथ का, सातवें-आठवें स्वर्ग में चार हाथ का, नवें से बारहवें स्वर्ग तक में तीन-तीन हाथ का, नी ग्रेवेयकों में दो हाथ का और अनुत्तरविमानों में एक हाथ का होता है।

३ परिग्रह—स्वर्गों में विमानों का परिग्रह ऊपर-ऊपर कम होता जाता है। वह इन प्रकार है—गहले स्वर्ग में बत्तीस लाख, दूसरे में अट्टाहस लाख, तीसरे में बारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छठे में पचास हजार, सातवें में चालीस हजार, आठवें में छ. हजार, नवें से बारहवें तक में सात सौ, अधोवर्ती तीन ग्रेवेयकों में एक सौ ग्यारह, मध्यवर्ती तीन ग्रेवेयकों में एक सौ सात, ऊपर के तीन ग्रेवेयकों में सौ और अनुत्तर म केवल पाँच विमान हैं।

४ अभिमान—अभिमान अर्थात् अहंकार। स्थान, परिवार, शक्ति, विषय, किभूति, स्थिति आदि के कारण अभिमान उत्पन्न होता है। यह अभिमान कथाओं की मन्दता के कारण ऊपर-ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

इनके अतिरिक्त और भी पाँच बारें देवों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य हैं जो सूत्र में नहीं कही गई है—१. उच्छ्वास, २. आहार, ३ वेदना, ४ उपपात और ५ अनुभाव वे इस प्रकार हैं।

१. उच्छ्वास—जैसे-जैसे देवों की आयुस्थिति बढ़ती जाती है वैसे-वैसे उच्छ्वास का समय भी बढ़ता जाता है, जैसे दस हजार वर्ष की आयुवाले देवों का एक-एक उच्छ्वास सात-सात स्तोक में होता है। एक पल्योपम की आयुवाले देवों का उच्छ्वास एक दिन में एक ही होता है। सागरोपम की आयुवाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो उनका एक-एक उच्छ्वास उतने पक्ष में होता है।

२ आहार—आहार के विषय में यह नियम है कि दस हजार वर्ष की आयुवाले देव एक-एक दिन बीच में छोड़कर आहार ग्रहण करते हैं। पल्योपम की आयुवाले दिनपृथक्त्व<sup>१</sup> के बाद आहार लेते हैं। सागरोपम की स्थितिशाले देवों के विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो वे देव उतने हजार वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते हैं।

१. दो की सख्त्य से लेकर नौ की संख्या तक पृथक्त्व का व्यवहार होता है।

३. वेदना—सामान्यतः देवों के साता (सुख-वेदना) ही होती है। कभी असाता (दुःख-वेदना) हो जाय तो वह अन्तर्मुहर्त्त से अधिक तक नहीं रहती। साता-वेदना भी लगातार छ. महीने तक एक-सी रूकर बदल जाती है।

४ उपपात—उपपात अर्थात् उत्पत्तिस्थान की योग्यता। पर अर्थात् जैनेतरलिङ्गिक मिथ्यात्मी वारहवें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हैं। त्वं अर्थात् जैनलिङ्गिक मिथ्यात्मी ग्रीवेयक तक जा सकते हैं। सम्यग्दृष्टि पहले स्वर्ग से सर्वार्थ-सिद्ध तक कहीं भी जा सकते हैं, परन्तु चतुर्दश पूर्ववारी सयत पाँचवें स्वर्ग से नीचे उत्पन्न नहीं होते।

५. अनुभाव—अनुभाव अथोत् लोकस्वभाव (जगदर्भ)। इसी के कारण सब विभान तथा सिद्धिला आदि आकाश में निराधार अवस्थित हैं।

अरिहन्त भगवान् के जन्माभिपेक आदि प्रसरण पर देवों के आसन का कमित होना भी लोकानुभाव का ही कार्य है। आसनकम्प के अनन्तर अतिज्ञान के उपयोग से तीर्थंकूर की महिमा की जानकर कुछ देव उनके निकट पहुँचकर उनकी स्तुति, चन्दना, उपासना आदि करके आत्मकल्पाण करते हैं। कुछ देव अपने ही स्थान पर प्रत्युत्पान, अखलिकर्म, प्रणिपात, चमस्कार, उपहार आदि द्वारा तीर्थंकूर की अर्चा करते हैं। यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। २२।

### वैमानिकों में लेश्या

**पीतपद्ममुक्तलेश्या द्वित्रिषेषु । २३ ।**

दो, तीन और त्रैप स्वर्गों में क्रमग. पीत, पद्म और शुक्ल लेश्यावाले देव हैं।

पहले दो स्वर्गों के देवों में पीत (तेज) लेश्या होती है। तीसरे से पाँचवें स्वर्ग तक के देवों में पद्मलेश्या और छठे से सर्वार्थमिद तक के देवों में शुक्ललेश्या होती है। यह विधान शारीरवर्णरूप द्रव्यलेश्या के विषय में है, क्योंकि अध्यवसायरूप छहों भावलेश्याएँ तो सब देवों में होती हैं। २३।

### कल्पों की परिणामा

**प्राग् ग्रीवेयकेम्यः कल्पा । २४ ।**

ग्रीवेयकों से पहले कल्प है।

जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायांस्त्रश आदि रूप में देवों के विभाग की कल्पना है वे कल्प कहलाते हैं। ऐसे कल्प बारह हैं जो ग्रीवेयक के पहले तक अर्थात् सौघर्म से अन्युत तक हैं। ग्रीवेयक से लेकर ऊपर के सभी देवलोक कल्पातीत हैं,

क्षयोक्ति उनमें इन्द्र, सामानिक, ऋथस्त्रिया आदि की विभाग-कल्पना नहीं है; वे सभी समान होने से अहमिन्द्र हैं। २४ ।

### लोकान्तिक देव

**ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः । २५ ।**

**सारस्वतादित्यवह्न्यरुणगद्योयतुषिताव्यावाधमरुतोऽरिष्टाश्च । २६ ।**

ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवों का आलय ( निवासस्थान ) है।

सारस्वत, आदित्य, वह्नि, अरुण, गर्द्दतोय, तुषित, अव्यावाध, मरुत और अरिष्ट ये लोकान्तिक हैं।

लोकान्तिक देव विषयरति से परे होने से देवर्षि कहलाते हैं, आपमें छोटे-बड़े न होने के कारण सभी स्वतन्त्र हैं और तीर्थंड्कर के निष्कर्मण ( गृह-त्याग ) के समय उनके समक्ष उपस्थित होकर 'वृज्जह वृज्जह' शब्द द्वारा प्रतिद्वोधन की रूप में अपने आंचार का पालन करते हैं। ये ब्रह्मलोक नामक पाँचवें स्वर्ण के ही चारों ओर दिशाओं-विदिशाओं में रहते हैं, अन्यथा कही नहीं रहते। ये सभी वहाँ से च्युत होकर मनुष्य-जन्म घारण कर भोक्ष प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक दिशा, प्रत्येक विदिशा और मध्यभाग में एक-एक जाति के वसने के कारण लोकान्तिकों की कुल नी जातियाँ हैं, जैसे पूर्वोत्तर अर्थात् ईशानकोण में सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदक्षिण ( अग्निकोण ) में वह्नि, दक्षिण में अरुण, दक्षिणपश्चिम ( नैऋत्यकोण ) में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमोत्तर ( वायव्यकोण ) में अव्यावाध, उत्तर में मरुत और बीच में अरिष्ट। इनके सारस्वत आदि नाम विमानों के नाम के आधार पर ही प्रसिद्ध हैं। हाँ, इतनी विशेषता और है कि इन दो सूत्रों के मूल भाष्य में लोकान्तिक देवों के आठ ही भेद निर्दृष्ट हैं, नी नहीं। दिग्म्बर संप्रदाय के सूत्रपाठ में भी आठ की संख्या ही उपलब्ध है,

१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्रित पुस्तक में 'अरिष्टाश्च' इस अंश को निश्चित रूप से मृत्यु में न रखकर कोषक में रक्षा गया है, परन्तु मनसुग भगुभाव की मुद्रित पुस्तक में यही अंश 'रिष्टाश्च' पाठ के रूप में सूचित ही छपा है। यथापि ज्ञेयाम्बर संप्रदाय के मूल सूत्र में 'अरिष्टाश्च' पाठ है तथापि इस सूत्र के भाष्य की दीक्षा में 'नुरिणो-पाता. रिष्टिभानप्रस्तारवर्तिभिः' आदि का उल्लेख है। इसमें 'अरिष्ट' के स्थान पर 'रिष्ट' होने का भी तर्क हो सकता है। परन्तु दिग्म्बर संप्रदाय में इस सूत्र का अनियम अंश 'अव्यावाधारिष्टाश्च' पाठ के रूप में मिलता है। इसमें यहाँ स्पष्टत- 'अरिष्ट' ही निष्पन्न होता है, 'रिष्ट' नहीं, साथ ही 'मरुत' का भी विकल्प नहीं है।

होती है, उसमें 'मरुत' का चलेख नहीं है। स्थानाङ्ग आदि सूत्रों में नौ भेद मिलते हैं। उत्तरमचरित्र में तो दस भेदों का भी उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि मूल सूत्र में 'मरुतो' पाठ बाद में प्रक्षिप्त हुआ है। २५-२६।

अनुत्तर विमानों के देवों की विशेषता

विजयादिषु द्विचरमाः । २७ ।

विजयादि के देव द्विचरम होते हैं अर्थात् दो बार मनुष्यजन्म धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं।

अनुत्तर विमान पाँच हैं। उनमें से विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार विमानों के देव द्विचरम होते हैं। वे अधिक-से-अधिक दो बार मनुष्यजन्म धारण करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसका क्रम इस प्रकार है कि चार अनुत्तर विमानों से च्युत होने के बाद मनुष्यजन्म, उसके बाद अनुत्तर विमान में देवजन्म, वहाँ से फिर मनुष्यजन्म और उसी जन्म से मोक्ष। परन्तु सर्वार्थसिद्ध विमानवासी देव च्युत होने के बाद केवल एक बार मनुष्यजन्म धारण करके उसी जन्म से मोक्ष प्राप्त करते हैं। अनुत्तर विमानवासी देवों के अतिरिक्त अन्य सब देवों के लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि कोई तो एक ही बार मनुष्यजन्म लेकर मोक्ष जाते हैं, कोई दो बार तीन बार, चार बार या और भी अधिक बार मनुष्यजन्म धारण करते हैं। २७।

तिर्यंचो का स्वरूप

ओपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग्योनयः । २८ ।

‘ओपपातिक और मनुष्य से जा शेष हैं वे तिर्यंच योनिवाले हैं।

‘तिर्यंच कौन है?’ इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र गे वर्णित है। औपपातिक (देव तथा नारक) तथा मनुष्य को छोड़कर शेष सभी संसारी जीव तिर्यंच हैं। देव, नारक और मनुष्य केवल पञ्चेन्द्रिय होते हैं, परं तिर्यंच में एकैद्रिय से पञ्चेद्रिय तक सब जीव आ जाते हैं। देव, नारक और मनुष्य लोक के विशेष भागों में ही होते हैं, तिर्यंच नहीं, क्योंकि उसका स्थान लोक के सब भागों में है। २८।

अधिकार-सूत्र

स्थितिः । २९ ।

आयु का वर्णन किया जाता है।

भनुष्यो और तिर्यकों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है। देवो और नारकों की आयु बतलाना शेष है, जो इस अध्याय की समाप्ति तक बर्णित है। २९।

भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति  
भवनेषु दक्षिणार्धाभिपतीनां पल्योपममध्यर्थम् । ३० ।

शेषाणां पादोने । ३१ ।

असुरेन्द्रयोः सागरोपममधिकं च । ३२ ।

भवनों में दक्षिणार्ध के इन्द्रों को स्थिति डेढ़ पल्योपम है।

शेष इन्द्रों की स्थिति पौने दो पल्योपम है।

दो असुरेन्द्रों की स्थिति क्रमशः सागरोपम और कुछ अधिक सागरोपम है।

यहीं भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है, क्योंकि जघन्य-स्थिति का वर्णन आगे सूत्र ४५ में आया है। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, नागकुमार आदि वस भेद हैं। प्रत्येक वर्ग के दक्षिणार्ध के अधिपति और उत्तरार्ध के अधिपति के रूप में दो-दो इन्द्र हैं। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है—दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम और उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम से कुछ अधिक है। असुरकुमार को छोड़कर नागकुमार आदि शेष नौ प्रकार के भवनपति देवों के दक्षिणार्ध के घरण आदि नौ इन्द्रों की स्थिति पौने दो पल्योपम हैं। ३०-३२।

दैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति

सौधर्मदिषु यथाकमग् । ३३ ।

सागरोपमे । ३४ ।

अधिके च । ३५ ।

सप्त सानत्कुमारे । ३६ ।

विशेषत्रिसप्तवशेषकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च । ३७ ।

आरणाच्युतसाद्वर्धव्यंमेकेन नवसु ग्रैवेयकेषु लिजयादिषु सर्वार्थसिद्धे च । ३८ ।

सौधर्म आदि देवलोको मे क्रमशः निम्नोक्त स्थिति है ।

सौधर्म में स्थिति दो सागरोपम है ।

ऐशान में स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपम है ।

सानकुमार में स्थिति सात सागरोपम है ।

महेन्द्र से आरण-अच्युत तक क्रमशः कुछ अधिक सात सागरोपम, तीन से अधिक सात सागरोपम, सात से अधिक सात सागरोपम, दस से अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरह से अधिक सात सागरोपम, पन्द्रह से अधिक सात सागरोपम स्थिति है ।

आरण-अच्युत के ऊपर नी श्रेवेयक, चार विजयादि और सर्वार्थसिद्ध में स्थिति अनुक्रम से एक-एक सागरोपम अधिक है ।

वहीं वैमानिक देवों की क्रमसः जो स्थिति बर्णित है वह उत्कृष्ट है । पहले स्तर में ही सागरोपम, दूसरे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात सागरोपम, चौथे में साँस सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें में दस सागरोपम, छठे में चारहाँ सागरोपम, सातवें में सत्रह सागरोपम, आठवें में बडारह सागरोपम, बांहें-दसवें में छोट सागरोपम और चारहाँ-बारहवें में बाईस सागरोपम की स्थिति है । प्रथम श्रेवेयक में सैहस सागरोपम, दूसरे में चौदोस सागरोपम, इसी प्रकार एक-एक बढ़ते-बढ़ते नवें श्रेवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है । पहले चार अनुत्तर विमानों में बत्तीस<sup>१</sup> और सर्वार्थसिद्ध में सैतीस सागरोपम की स्थिति है । ३३-३८ ।

वैमानिक देवों की जघन्य स्थिति

अपरा पल्योपमसधिकं च । ३९ ।

सागरोपमे । ४० ।

अधिके च । ४१ ।

परतः परतः पूर्वा पूर्वाभिनन्तरा । ४२ ।

अपरा (जघन्य स्थिति) पल्योपम और कुछ अधिक पल्योपम की है ।

दो सागरोपम की है ।

१. दिग्मन्त्र दीमाओं में और कहीं-कहीं इतेऽन्वर अन्यों भ्रंगी विजयादि चार विमानों में उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागरोपम मानी गई है । देखें—इसी अध्याय के सूत्र ४२ का मात्र । संग्रहणी ग्रन्थ में भी उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागरोपम कही गई है ।

**कुछ अधिक दो सागरोपम की है ।**

**पहले-पहले की उत्कृष्ट स्थिति आगे-आगे की जघन्य स्थिति है ।**

सीधर्मादि कल्पो की जघन्य स्थिति क्रमशः इस प्रकार है—पहले स्वर्ग में एक पत्ल्योपम, दूसरे में एक पत्ल्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो सागरोपम, चौथे में दो सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें से आगे-आगे सभी देवलोकों में जघन्य स्थिति वही है जो अपनी-अपनी अपेक्षा पूर्व-पूर्व के देवलोकों में उत्कृष्ट स्थिति है । इसके अनुसार चौथे देवलोक की कुछ अधिक सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ही पाँचवें देवलोक में जघन्य स्थिति है; पाँचवें की दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति छठे में जघन्य है, छठे की चौदह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जघन्य है, सातवें की सत्रह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति, आठवें में जघन्य है, आठवें की अठारह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति नवें-दसवें में जघन्य है, नवें-दसवें की बीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति थारहवें-चारहवें में जघन्य है, थारहवें-चारहवें की बाईस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम ग्रन्थेयक में जघन्य है । इसी प्रकार नीचे-नीचे के ग्रन्थेयक की उत्कृष्ट स्थिति ऊपर-ऊपर के ग्रन्थेयक में जघन्य है । इस क्रम से नवें ग्रन्थेयक की जघन्य स्थिति तीस सागरोपम है । चार अनुसार विभानों में जघन्य स्थिति इकनीस सागरोपम है । सर्वार्थसिद्ध की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति में कोई अन्तर नहीं है, वहीं तीस सागरोपम की स्थिति है । ३९-४२ ।

**नारकों की जघन्य स्थिति**

**नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४३ ।**

**वशवर्षसहस्राणि प्रथमायाम् । ४४ ।**

नारकों की दूसरी आदि भूमियों में पूर्व-पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति ही अनन्तर-अनन्तर की जघन्य स्थिति है ।

**पहली भूमि में जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है ।**

सूत्र ४२ में देवों की जघन्य स्थिति का जो क्रम है वही क्रम दूसरी से लेकर सातवीं भूमि तक को नारकों की जघन्य स्थिति का है । इसके अनुसार पहली भूमि की एक सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति दूसरी की जघन्य स्थिति है । दूसरी की तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति तीसरी की जघन्य है । तीसरी की सात सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी की जघन्य है । चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति पाँचवीं की जघन्य है । पाँचवीं की सत्रह सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति छठी की जघन्य है । छठी की बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति सातवीं की जघन्य है । पहली भूमि में नारकों की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की है । ४३-४४ ।

भवनपतियों की जघन्य स्थिति

भवनेषु च । ४५ ।

भवनपतियों की भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष ही है ।

अन्तरो की स्थिति

अन्तरणां च । ४६ ।

परा पल्योपमम् । ४७ ।

अन्तर देवों की भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष ही है ।

उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम प्रमाण है । ४६-४७ ।

ज्योतिष्कों की स्थिति

ज्योतिष्काणामधिकम् । ४८ ।

ग्रहाणरमेकम् । ४९ ।

नक्षत्राणामर्घम् । ५० ।

तारकाणां चतुर्भागः । ५१ ।

जघन्या स्वष्टभागः । ५२ ।

चतुर्भागः शेषाणाम् । ५३ ।

ज्योतिष्क अर्थात् सूर्य व चन्द्र की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम प्रमाण है ।

ग्रहों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम है ।

नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्ध पल्योपम है ।

तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का चतुर्थांश है ।

जघन्य स्थिति पल्योपम का अष्टमांश है ।

शेष ज्योतिष्कों अर्थात् ग्रहों व नक्षत्रों की ( तारों को छोड़कर ) जघन्य स्थिति पल्योपम का चतुर्थांश है । ४८-५३ । ●

४

## अजीव

हितीय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्त्व का निरूपण हुआ। प्रस्तुत अध्याय में अजीव तत्त्व का निरूपण किया जा रहा है।

अजीव के भेद

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः । १ ।

धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशस्तिकाय और पुद्गलस्तिकाय ये चार अजीवकाय हैं।

निरूपणनियम के अनुसार पहले लक्षण का और फिर भेदों का कथन होना चाहिए, फिर भी यहीं सूचकार ने अजीव तत्त्व का लक्षण न बतलाकर उसके भेदों का कथन किया है। इसका आशय यह है— अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से ही जात हो जाता है, उसका धर्म से वर्णन करने की विशेष आवश्यकता नहीं। अ + जीव अर्थात् जो जीव नहीं है वह अजीव। जीव का लक्षण उपयोग है। जिसमें उपयोग न हो वह तत्त्व अजीव है। इस प्रकार अजीव का लक्षण उपयोग का अभाव ही फलित होता है।

अजीव जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है, केवल अभावात्मक नहीं।

धर्म आदि चार अजीव तत्त्वों को अस्तिकाय कहने का अभिप्राय यह है कि ये तत्त्व एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नहीं हैं, अपितु प्रचय अर्थात् समूहरूप हैं। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन तत्त्व तो प्रदेशप्रचयरूप हैं तथा पुद्गल तत्त्व अवयवरूप व अवयवप्रचयरूप है।

अजीव तत्त्व के भेदों में काल की गणना नहीं की गई है, क्योंकि काल को तत्त्व मानने में मतभेद है। काल को तत्त्व माननेवाले आचार्य भी उसे केवल प्रदेशात्मक मानते हैं, प्रदेशप्रचयरूप नहीं मानते; अतः उनके मत से भी अस्ति-कार्यों के साथ काल का परिणाम युक्त नहीं है और जो आचार्य काल को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं मानते उनके मत से तो तत्त्व के भेदों में काल का परिणाम सम्बन्ध ही नहीं है।

प्रझन—उक्त चार अंजीव तत्त्व क्या अन्य दर्शनो में भी मान्य है ?

उत्तर—नहीं । आकाश और पुद्गल इन दो तत्त्वों को तो वैशेषिक, न्याय, सांख्य आदि दर्शनों ने भी माना है, परन्तु धर्मस्तिकाय और अधर्मस्तिकाय इन दो तत्त्वों को जैन दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दर्शन ने नहीं माना है । जिस तत्त्व को जैन दर्शन में आकाशस्तिकाय कहा गया है उसे जैनेतर दर्शनों में आकाश कहा गया है । ‘पुद्गलस्तिकाय’ मंज्ञा केवल जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है । जैनेतर शास्त्रों में पुद्गलस्थानीय तत्त्व प्रबान, प्रकृति, परमाणु आदि शब्दों से व्यवहृत है । १ ।

### मूल द्रव्य

#### ॐ द्रव्याणि जीवाङ्ग । २ ।

धर्मस्तिकाय आदि चार अंजीव तत्त्व और जीव ये पाँच द्रव्य हैं ।

जैन दृष्टि के अनुसार यह जगत् केवल पर्याय अर्थात् परिवर्तनरूप नहीं है, किन्तु परिवर्तनशील होने पर भी अनादि-निधन है । इस जगत् में जैन दर्शन के अनुसार अस्तिकायरूप पाँच मूल द्रव्य हैं, वे ही इस सूत्र में निर्दिष्ट हैं ।

इस सूत्र तथा आगे के कुछ सूत्रों में द्रव्यों के सामान्य तथा विशेष धर्म का वर्णन करके उनके पारस्परिक साधर्म्य-वैधर्म्य का वर्णन किया गया है । साधर्म्य अर्थात् समानधर्म ( समानता ) और वैधर्म्य अर्थात् वि द्वधर्म ( असमानता ) । इस सूत्र में द्रव्यत्व अर्थात् धर्मस्तिकाय आदि पाँचों के द्रव्यरूप साधर्म्य का विवाहन है । वैधर्म्य तो गुण या पर्याय का हो सकता है, व्योकि गुण और पर्याय स्वयं द्रव्य नहीं हैं । २ ।

मूल द्रव्यों का साधर्म्य और वैधर्म्य

नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ ।

रूपिणः पुद्गलाः । ४ ।

आऽऽकाशादेकद्रव्याणि । ५ ।

निष्क्रियाणि च । ६ ।

उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं और अरूपी ( अमूर्त ) हैं ।

पुद्गल रूपी ( मूर्त ) हैं ।

\*. मात्र में ‘आ आकाशाद्’ ऐसा सन्धिरहित पाठ है । दिग्म्बर परम्परा में भी सूत्र पाठ सन्धिरहित ही है ।

उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक-एक हैं ।

तथा निष्क्रिय हैं ।

धर्मस्तिकाय आदि पाँचों द्रव्य नित्य हैं और अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होते । पाँचों स्थिर भी हैं, क्योंकि उनकी संस्था में न्यूनाधिकता नहीं होती, परन्तु अरुपी तो धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशस्तिकाय और जीवस्तिकाय ये चार ही द्रव्य हैं । पुद्गल द्रव्य अरुपी नहीं है । सारांश यह है कि नित्यत्व तथा अवस्थितत्व दोनों ही पाँचों द्रव्यों के साधर्म्य है, परन्तु अरुपित्व पुद्गल के अतिरिक्त शेष चार द्रव्यों का साधर्म्य है ।

प्रश्न—नित्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ?

उत्तर—अपने सामान्य तथा विशेष । रूप से च्युत न होना नित्यत्व है और अपने स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी अन्य तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त न करना अवस्थितत्व है । जैसे जीव तत्त्व अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेतनात्मक विशेष रूप को कभी नहीं छोड़ता, यह उसका नित्यत्व है और अपने इस स्वरूप को न छोड़ते हुए भी जीव तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, यह उसका अवस्थितत्व है । सारांश यह है कि स्व-स्वरूप को न त्यागना और पर-स्वरूप को प्राप्त न करना ये दो अशा ( अम ) सभी द्रव्यों में समान हैं । पहला अशा नित्यत्व और दूसरा अंश अवस्थितत्व कहलाता है । द्रव्यों के नित्यत्वकथन से जगत् की शाश्वतता प्रकट की जाती है और अवस्थितत्वकथन से उनका पारस्परिक असाकर्ष प्रकट किया जाता है अर्थात् वे सब परिवर्तनशील होते हुए भी अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं और एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरे के स्वभाव ( लक्षण ) से अस्पृष्ट हैं । इस प्रकार यह जगत् अनादि-निधन भी है और जगत् के मूल तत्त्वों की सूच्या भी समान रहती है ।

प्रश्न—जब धर्मस्तिकाय आदि अल्लोव द्रव्य और तत्त्व है तब उनका कोई-न-कोई स्वरूप अवश्य मानना पड़ेगा, फिर उन्हें अरुपी क्यों कहा गया ?

उत्तर—यहाँ अरुपी कहने का आशय स्वरूपनिवेद नहीं है, स्वरूप तो धर्मस्तिकाय आदि तत्त्वों का भी होता ही है । उनका कोई स्वरूप न हो तो वे घोड़े के सींग की तरह वस्तु ही सिद्ध न हो । यहाँ अरुपित्व के कथन का तात्पर्य रूप का निवेद है । यहाँ रूप का अर्थ मूर्ति है । रूप आदि संस्थान-परिणाम को अथवा रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के समुदाय को मूर्ति कहते हैं जिसका धर्मस्तिकाय आदि चार तत्त्वों में अभाव होता है । यही बात 'अरुपी' पद द्वारा कही गई है । ३ ।

रूप, मूर्तत्व, मूर्ति ये सब शब्द समानार्थक हैं। रूप, रस आदि इन्द्रियग्राहा हुए गुण ही मूर्ति कहे जाते हैं। पुद्गलो के गुण इन्द्रियग्राहा हैं इसलिए पुद्गल ही मूर्त (रूपी) है। पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य मूर्त नहीं हैं, क्योंकि वे इन्द्रियों द्वारा गृहीत नहीं होते। अत रूपित्व गुण पुद्गल को छोड़कर धर्मास्तिकाय आदि चार तत्त्वों का वैधर्म्य है।

अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य और उनके गुण इन्द्रिय-ग्राहा नहीं हैं, फिर भी विकिष्ट परिणामरूप अवस्था-विवेष में वे इन्द्रियों द्वारा गृहीत होने की योग्यता रखते हैं, अत अतीन्द्रिय होते हुए भी वे रूपी (मूर्त) ही हैं। धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी द्रव्यों में तो इन्द्रिय-विषय बनने की योग्यता ही नहीं है। अतीन्द्रिय पुद्गल और अतीन्द्रिय धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में यही अन्तर है। ४।

इन पाँच द्रव्यों में से आकाश तक के तीन द्रव्य अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशस्तिकाय एक-एक इकाईरूप हैं। इनके दो या दो से अधिक विभाग नहीं हैं।

इसी प्रकार तीनों निष्क्रिय (क्रियारहित) हैं। एक इकाई और निष्क्रियता ये दोनों उक्त तीनों द्रव्यों का साधर्म्य और जीवास्तिकाय तथा पुद्गलास्तिकाय का वैधर्म्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य का अनेक इकाईयाँ हैं और वे क्रियाशील भी हैं। जैन दर्शन में आत्म द्रव्य को वेदान्त की भाँति एक इकाईरूप नहीं माना गया और साध्य-वैशेषिक आदि सभी वैदिक दर्शनों की तरह उसे निष्क्रिय भी नहीं माना गया।

प्रश्न—जैन दर्शन के अनुसार सभी द्रव्यों में पर्यायपरिणमन (उत्पाद-न्यय) माना जाता है। यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में ही हो सकता है। धर्मास्तिकाय आदि तीन द्रव्यों को निष्क्रिय मानने पर उनमें पर्यायपरिणमन/सैरे ऋटित हो सकेगा?

चत्तर—यहाँ निष्क्रियत्व से अभिप्राय गतिक्रिया का<sup>1</sup> निषेध है, क्रियामात्र का नहीं। जैन दर्शन के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का अर्थ ‘गतिशूल्य द्रव्य’ है। गतिशूल्य धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों में भी सदृशपरिणमनस्प लिया जैन दर्शन को मान्य है। ५-६।

प्रदेशो की संख्या

असह्यच्येया: प्रदेशा धर्मार्थर्मयोः । ७ ।

जीवस्य । ८ ।

आकाशास्यानन्ताः । ९ ।

सह्योदयाऽसह्योदयाक्षं पुदगलानाम् । १० ।  
नाणोः । ११ ।

धर्म और अधर्म के प्रदेश असंख्यात हैं ।

एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं ।

आकाश के प्रदेश अनन्त हैं ।

पुदगल द्रव्य के प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनन्त हैं । अणु ( परमाणु ) के प्रदेश नहीं होते ।

धर्म, अधर्म आदि चार अजीव और जीव इन पाँच द्रव्यों को 'काय' कहकर पहले यह निर्दिष्ट किया गया है कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय अर्थात् प्रदेशप्रबयरूप हैं । परन्तु उनके प्रदेशों की विवेष संख्या यहाँ पहले पहल दर्शायी गई है ।

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों द्रव्यों के प्रदेश असंख्यात हैं । प्रदेश अर्थात् एक ऐसा सूक्ष्म अंश जिसके दूसरे अंश की कल्पना भी नहीं की जा सकती । ऐसे अविभाज्य मूद्दम को निरंश-अंश भी कहते हैं । धर्म व अधर्म में दोनों द्रव्य एक-एक इकाईरूप हैं और उनके प्रदेश ( अविभाज्य अंश ) असंख्यात-असंख्यात हैं । उन दोनों द्रव्य ऐसे अखंड स्कन्धस्त्र हैं जिनके असंख्यात अविभाज्य सूक्ष्म अंश केवल बुद्धि से कल्पित किये जा सकते हैं, वे बग्नुभूत स्कन्ध से पृथक् नहीं किये जा सकते ।

जीव द्रव्य इकाईरूप में अनन्त है । प्रत्येक जीव एक अखण्ड इकाई है, जो धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात-प्रदेशी है ।

आनन्द द्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बड़ा स्कन्ध है क्योंकि वह अनन्तप्रदेशी है ।

पुदगल द्रव्य के स्कन्ध अन्य चार द्रव्यों की तरह नियतरूप नहीं है, क्योंकि कोई पुदगल-स्कन्ध संख्यात प्रदेशों का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई अनन्त प्रदेशों का और कोई अनन्तानन्त प्रदेशों का ।

पुदगल यथा अन्य द्रव्यों में अन्तर यह है कि पुदगल के प्रदेश अपने स्कन्ध से नलग-अलग हो सकते हैं; पर अन्य चार द्रव्यों के अपने प्रदेश अपने-अपने स्कन्ध से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पुदगल के अतिरिक्त चारों द्रव्य अमूर्त हैं, और अमूर्त का स्वभाव है खण्डित न होना । पुदगल द्रव्य मूर्त है, मूर्त के खड़ हो सकते हैं, क्योंकि सरलेप के द्वारा मिलने की तथा अलग होने की

शक्ति भूर्त् द्रव्य में होती है। इसी अन्तर के कारण पुद्गलस्तन्त्र के छोटे-बड़े सभी अंशों को अवयव कहते हैं। अवयव अर्थात् अलग होनेवाला अंश।

परमाणु भी पुद्गल होने से भूर्त् है किन्तु उसका विभाग नहीं होता, ज्योंकि वह आकाश के प्रदेश की तरह पुद्गल का छोटे-से-छोटा अंश है। परमाणु का परिमाण सबसे छोटा है, अतः वह भी अविभाज्य अंश है।

यहाँ परमाणु के संड या अंश न होने की बात द्रव्य ( इकाई ) रूप से कही गई है, पर्यायरूप से नहीं। पर्यायरूप में तो उसके भी अंशों की कल्पना की गई है, ज्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गत्त्व, रस आदि अनेक पर्याय हैं और वे सभी उस द्रव्य के भावरूप अंश ही हैं। इसलिए एक परमाणु के भी अनेक भावपरमाणु भाने जाते हैं।

प्रज्ञ-धर्म आदि के प्रदेश और पुद्गल के परमाणु में क्या अन्तर है ?

उत्तर-परिमाण को दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। जिन्हें क्षेत्र में परमाणु रह सकता है उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु अविभाज्य अंश होने से उसके समाने योग्य क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा। अतः परमाणु और तत्परिमित प्रदेशसंकरक अंव दोनों ही परिमाण की दृष्टि से समान हैं, तो भी उनमें यह अन्तर है कि परमाणु अपने अंशीभूत स्तन्त्र से पृथक् हो सकता है, परन्तु धर्म आदि द्रव्यों के प्रदेश अपने स्तन्त्र से पृथक् नहीं हो सकते।

प्रज्ञ-नवेर्स सूत्र में 'अनन्त' पद है उससे पुद्गल द्रव्य के अनेक अनन्त प्रदेश होने का अर्थ तो निकल सकता है, परन्तु अनन्तानन्त प्रदेश होने का अर्थ किस पद में निकाला गया है ?

उत्तर-'अनन्त' पद सामान्य है, वह सब प्रकार की अनन्त संख्याओं का बोध कराता है। अतः उभी में अनन्तानन्त अर्थ प्राप्त हो जाता है। ७-११।

### द्रव्यों का स्थितिक्षेत्र

लोकाकाशेऽव्याहः । १२ ।

धर्मधर्मयोः कृत्त्वे । १३ ।

एकप्रदेशविषु भाज्यः पुद्गलानाम् । १४ ।

असद्गच्छयेभागादिषु जीवानाम् । १५ ।

प्रदेशसंहारविसर्गात्म्यां प्रदीपदत् । १६ ।

आधेय ( ठहरनेवाले ) द्रव्यों की स्थिति लोकाकाश में ही है।

धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र लोकाकाश में है।

पुद्गलों की स्थिति लोकाकाश के एक प्रदेश आदि में विकल्प ( अनिस्तित रूप ) से है ।

जीवों की स्थिति लोक के असच्यात्मतर्वे भाग आदि में होती है ।

क्योंकि प्रदीप की भाँति उनके प्रदेशों का सकोच और विस्तार होता है ।

जगत् पाँच अस्तिकाशरूप है, इसलिए प्रक्षल उठता है कि इन अस्तिकायों का आधार ( स्थितिक्षेत्र ) क्या है? उनका आधार अन्य कोई द्रव्य है अथवा पाँचों में से ही कोई एक द्रव्य है? इस प्रक्षल का उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि आकाश ही आधार है और शेष सब द्रव्य आधेय हैं। यह उत्तर व्यवहारदृष्टि से है, निश्चयदृष्टि से तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ( अपने-अपने स्वरूप में स्थित ) हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तास्त्विक दृष्टि से नहीं रहता। प्रक्षल हो सकता है कि जब धर्म आदि चार द्रव्यों का आधार व्यवहारदृष्टि से आकाश भाना गया है तो आकाश का आधार क्या है? इसका उत्तर यही है कि आकाश का अन्य कोई आधार नहीं है, क्योंकि उससे बढ़ा या उसके तुल्य परिमाण का अन्य कोई सत्त्व नहीं है। इस प्रकार व्यवहार एवं निश्चय दोनों दृष्टियों से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश को अन्य द्रव्यों का आधार इसीलिए कहा गया है कि वह सब द्रव्यों से महान् है।

आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी समग्र आकाश में नहीं रहते। वे आकाश के एक परिमित भाग में ही स्थित हैं और आकाश का यह भाग 'लोक' कहलाता है। लोक का अर्थ है पाँच अस्तिकाय। इस भाग के बाहर चारों ओर अनन्त आकाश फैला है। उसमें अन्य द्रव्यों की स्थिति न होने से वह भाग अलोकाकाश कहलाता है। यहाँ अस्तिकायों के आधाराधेय सम्बन्ध का विचार लोकाकाश को लेकर ही किया गया है।

धर्म और अधर्म ये दोनों अस्तिकाय ऐसे अखण्ड स्फळ्य हैं जो सम्पूर्ण लोकाकाश में स्थित हैं। वस्तुत अखण्ड आकाश के लोक और अलोक भागों की कल्पना भी धर्म-अधर्म द्रव्य-सम्बन्ध के कारण ही है। यहाँ धर्म-अधर्म द्रव्यों का सम्बन्ध न हो वह अलोक और यहाँ तक सम्बन्ध हो वह लोक।

पुद्गल द्रव्य का आधार सामान्यतः लोकाकाश ही नियत है, तथापि विशेष रूप से भिन्न-भिन्न पुद्गलों के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर पड़ता है। पुद्गल द्रव्य धर्म-अधर्म द्रव्य की तरह एक इकाई तो है नहीं कि उसके एकल्प आधारक्षेत्र की सम्भावना मानी जा सके। भिन्न-भिन्न इकाई होते हुए भी पुद्गलों के परिमाण में विविधता है, एकल्पता नहीं है। इसीलिए यहाँ उसके आधार

का परिमाण अनेकरूप कहा गया है। कोई पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में और कोई दो प्रदेशों में रहता है। कोई पुद्गल असच्चात प्रदेश परिमित लोकाकाश में भी रहता है। साराश यह है कि आधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या आधेयभूत पुद्गलद्रव्य के परमाणुओं की संख्या से ज्यून या तुल्य हो सकती है, अधिक नहीं। एक परमाणु एक ही आकाश-प्रदेश में स्थित रहता है, पर दृश्यनुक<sup>१</sup> एक प्रदेश में भी ठहर सकता है और दो में भी। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सच्चा बढ़ते-बढ़ते अणुक, चतुरणुक यावत् संख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, यावत् संख्यात प्रदेश परिमित क्षेत्र में ठहर सकते हैं। सच्चाताणुक द्रव्य की स्थिति के लिए असच्चात प्रदेशवाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। असच्चाताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक-से-अधिक अपने वरावर की असंख्यात संख्यावाले प्रदेशों के क्षेत्र में ठहर सकता है। अनन्ताणुक और अनन्तानन्ताणुक स्कन्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रमम्। बढ़ते-बढ़ते संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेशवाले क्षेत्र में ठहर सकते हैं। उनकी स्थिति के लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र आवश्यक नहीं है। पुद्गल द्रव्य का एवं अनन्तानन्त अणुओं का बना हुआ सबसे बड़ा अधिक भास्तक्न्ध भी असंख्यात प्रदेश लोकाकाश में ही समा जाता है।

जैन दर्शन के अनुमार आत्मा का परिमाण न तो आकाश की भीति व्यापक है और न परमाणु की तरह अणु, किन्तु मध्यम माना जाता है। सब आत्माओं का मध्यम परिमाण प्रदेश-सच्चा की दृष्टि से समान है, तो भी लम्नाई, चौडाई आदि सबकी समान नहीं है। इसलिए प्रश्न उठता है कि जीव द्रव्य का आधारक्षेत्र क्षम-से-क्षम और अधिक से-अधिक कितना है? इसका उत्तर यह है कि एक जीव का आधारक्षेत्र लोकाकाश के असच्चातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोकाकाश तक ही सकता है। यद्यपि लोकाकाश असच्चात प्रदेश परिमाण है, तथापि असच्चात मरण के भी असच्चात प्रकार होने से लोकाकाश के ऐसे असच्चात भागों की कल्पना की जा सकती है जो अंगुलासंख्येय भाग परिमाण हो। इसना छोटा एक भाग भी असंख्यात प्रदेशात्मक ही होता है। कोई एक जीव उस एक भाग में रह सकते हैं, उत्तरे-उत्तरे दो भागों में भी रह सकता है। इस प्रकार एक-एक भाग बदने बढ़ते अन्तर सर्वलोक में भी एक जीव रह सकता है अर्थात् जीव द्रव्य का छोटे

<sup>१</sup> दो परमाणुओं से बना हुआ स्कन्ध द्रव्याणुक, इसी प्रकार तीन परमाणुओं का स्कन्ध अणुक, चार परमाणुओं का चतुरणुक, संख्यात परमाणुओं का संख्याताणुक असंख्यात का असंख्याताणुक, अनन्त का अनन्ताणुक और अनन्तानन्त परमाणुजन्य स्कन्ध अनन्तानन्ताणुक है।

से-छोटा आधारकेव अंगुलासंख्येय भाग परिमाण होता है, जो समग्र लोकाकाश का अस्थातवीं भाग है। उसी जीव का कालान्तर में अथवा उसी समय जीवान्तर का कुछ बड़ा आधारकेव उक्त भाग से दुगुना भी होता है। इसी प्रकार उसी जीव का या जीवान्तर का आधारकेव उक्त भाग से तिगुना, चौगुना, पाँचगुना आदि क्रमशः बढ़ते-बढ़ते कभी अस्थातगुना अर्थात् सर्व लोकाकाश हो सकता है। एक जीव का आधारकेव सर्व लोकाकाश तभी सम्भव है जब वह जीव केवलिसमुद्धात की स्थिति में हो। जीव के परिमाण की न्यूनाधिकता के अनुसार उसके आधारकेव के परिमाण की न्यूनाधिकता एक जीव की अपेक्षा से कहीं गई है। सर्व जीवराशि की अपेक्षा से तो जीव तत्त्व का आधारकेव सम्पूर्ण लोकाकाश ही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि एक जीव द्रव्य के परिमाण में कालभेदगत जो न्यूनाधिकता है, या तुल्य प्रदेशवाले भिन्न-भिन्न जीवों के परिमाण में एक ही समय में जो न्यूनाधिकता है, उसका कारण क्या है? यहाँ इसका उत्तर यह है कि अनादिकाल से जीव के साथ लगा हुआ कार्मणशारीर जो कि अनन्तानन्त अणुप्रचय-रूप होता है, उसके सम्बन्ध से एक ही जीव के परिमाण में या नाना जीवों के परिमाण में विविधता आती है। कार्मणशारीर सदा एक-सा नहीं रहता। उसके सम्बन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शरीर प्राप्त होते हैं वे भी कार्मण के अनुसार छोटेखाडे होते हैं। जीव द्रव्य वस्तुत है तो अमूर्त, पर वह शरीर-सम्बन्ध के कारण मूर्तवत् बन जाता है। इसलिए जब जितना बड़ा शरीर उसे प्राप्त होता है। तब उसका परिमाण उतना हो जाता है।

घर्मस्तिकाय आदि द्रव्यों की भाँति जीव द्रव्य भी अमूर्त है, फिर एक का परिमाण नहीं घटता-बढ़ता और दूसरे का घटता-बढ़ता है ऐसा क्यों? इसका कारण स्वभावभेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जीव उच्च का स्वभाव निमित्त मिलने पर प्रदीप की तरह सकोच और विकास को प्राप्त करना है, जैसे खुले आकाश में रखे हुए प्रदीप के प्रकाश का कोई एक परिमाण होता है, पर कोठरी में उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता है, कुण्डे के नीचे रखने पर वह कुण्डे के नीचे के भाग को ही प्रकाशित करता है, लोटे के नीचे उसका प्रकाश उतना ही हो जाता है। इसी प्रकार जीव द्रव्य भी संकोच-विकासशील है। वह जब जितना छोटा या बड़ा शरीर धारण करता है तब उस शरीर के परिमाणानुसार उसके परिमाण में संकोच-विकास हो जाता है।

यहाँ प्रश्न उठता है कि जीव यदि सकोचस्वभाव के कारण छोटा होता है तो वह लोकाकाश के प्रदेशरूप असंख्यातवे भाग से छोटे भाग में अर्थात् आकाश

के एक प्रदेश पर या दो, चार, पांच आदि प्रदेशों पर वयो नहीं समा सकता ? इसी प्रकार यदि उसका स्वभाव विकासशील है तो वह समूर्ण लोकाकाश की तरह अलोकाकाश वो भी व्याप्त वयो नहीं करता ? इसका उत्तर यह है कि सकोप की मर्यादा कार्मणशरीर पर निर्भर है । कार्मणशरीर तो किसी भी अंगुलास्थाप्त भाग से छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए जीव का संकोच-कार्य भी वही तक परिमित रहता है । विकास की मर्यादा भी लोकाकाश तक मानी गई है । इसके दो कारण हैं । पहला तो यह कि जीव के प्रदेश उतने ही हैं जितने लोकाकाश के हैं । अधिक-से-अधिक विकास-इच्छा में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश को व्याप्त कर सकता है, दो या अधिक को नहीं । इसलिए सर्वोत्कृष्ट विकासदशा में भी वह लोकाकाश के बाहर के भाग को व्याप्त नहीं करता । दूसरा कारण यह है कि विकास करना गति-का कार्य है और गति चर्मास्तिकाय के बिना नहीं हो सकती, अतः लोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का कोई कारण ही नहीं है ।

**प्रश्न**—अस्थाप्त प्रदेशदाले लोकाकाश में शरीरघारी अनन्त जीव कैसे समा सकते हैं ?

**उत्तर**—सूक्ष्मभाव में परिणत होने से निरोद-शरीर से व्याप्त एक ही आकाश-क्षेत्र में सावारणशरीरी अनन्त जीव एक साथ रहते हैं और मतुज्य आदि के एक बीदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक समूछिम जीवों की स्थिति देखने में आती है । इसलिए लोकाकाश में अनन्तानन्त जीवों का समावेश असगत नहीं है ।

यद्यपि पुद्गल इब्य अनन्तानन्त और मूर्त है, तथापि उनका लोकाकाश में समा जाने का कारण यह है कि पुद्गलों में सूक्ष्म रूप से परिणत होने की शक्ति है । जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही क्षेत्र में एक-दूसरे को व्याघात पहुँचाए विना अनन्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त स्कल्प स्थान पा सकते हैं, जैसे एक ही स्थान में हजारों दीपकों का प्रकाश व्याघात के बिना समा जाता है । मूर्त होने पर भी पुद्गल इब्य व्याघातशील तभी होता है जब वह स्थूलभाव में परिणत हो । सूक्ष्मत्वपरिणामदशा में वह न किसी को व्याघात पहुँचाता है और न स्वयं किसी से व्याघातित होता है । १२-१६ ।

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण,

**गतिस्थित्युपग्रहो<sup>१</sup> धर्माधर्मयोस्पकारः । १७ ।**

**आकाशस्थावरगाहः । १८ ।**

१. ‘गतिस्थित्युपग्रहो’ पाठ भी कहीं-कहीं मिलता है, तथापि भाष्य के अनुमार ‘गतिस्थित्युपग्रहो’ पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है । दिग्बन्ध परन्परा में तो ‘गति-स्थित्युपग्रहो’ पाठ ही निविदा रूप में प्रचलित है ।

गति और स्थिति में निमित्त बनना क्रमशः धर्म और अधर्म द्वयों का कार्य है।

अवकाश में निमित्त होना आकाश का कार्य है।

धर्म, अधर्म और आकाश तीनों द्वय अमूर्त हैं अतः इन्द्रियगम्य नहीं हैं। इसलिए इनकी सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष द्वारा सम्भव नहीं है। आगम-प्रमाण से इनका अस्तित्व मान्य है, फिर भी आगम-योगक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्वयों के अस्तित्व को सिद्ध करती है। जगत् में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील जीव और पुद्गल ये दो पदार्थ हैं। गति और स्थिति इन दोनों द्वयों के परिणाम व कार्य हैं और उन्हीं से पैदा होते हैं अर्थात् गति और स्थिति के उपादान कारण जीव और पुद्गल ही हैं, तो भी कार्य की उत्पत्ति में वपेक्षित निमित्त कारण तो उपादान कारण से भिन्न ही सम्भव है। इसीलिए जीव एवं पुद्गल की गति में निमित्त रूप से धर्मास्तिकाय की और स्थिति में निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हो जाती है। इसी अभिप्राय से शास्त्र में धर्मास्तिकाय का लक्षण 'गतिशील पदार्थों की गति में निमित्त होना' कहा गया और अधर्मास्तिकाय का लक्षण 'स्थिति में निमित्त होना'।

धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल ये चारों द्वय कही-न-कही स्थित हैं अर्थात् आघेय बनना या अवकाश प्राप्त करना उनका कार्य है। पर अपने में अवकाश (स्थान) देना आकाश का कार्य है। इसीलिए आकाश का लक्षण अवगाह प्रदान करना माना गया है।

प्रश्न—साख्य, न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनों में आकाश द्वय तो माना गया है परन्तु धर्म और अधर्म द्वयों को तो अन्य किसी ने नहीं माना, फिर जैन दर्शन में ही क्यों स्वीकार किया गया है?

उत्तर—जड़ और चेतन द्वय की गतिशीलता तो अनुभव-सिद्ध है जो दृश्यादृश्य विश्व के विशिष्ट अग है। कोई नियामक तत्त्व न रहे तो वे द्वय अपनी सहज गतिशीलता से अनन्त आकाश में कहीं भी चले जा सकते हैं। सचमुच यदि वे अनन्त आकाश में चले ही जायें तो इस दृश्यादृश्य विश्व का नियत स्थान कभी सामान्य रूप से एक-सा विकार्ष नहीं देगा, क्योंकि इकाईरूप में अनन्त पुद्गल और अनन्त जीव अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र में बै-रोकटोक सचार के कारण इस तरह पृथक् हो जायेंगे जिनका पुनः मिलना और नियत सुष्टुरूप में दिलाई देना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जायगा। यही कारण है कि उक्त गतिशील द्वयों की गतिमर्यादा के नियामक तत्त्व को जैन दर्शन ने स्वीकार किया है। यही

तत्त्व धर्मस्तिकाय हैं। इस तत्त्व को स्वीकार कर लेने पर तुल्य युक्ति से स्थिति-मर्यादा के नियामक अधर्मस्तिकाय तत्त्व को भी जैन दर्जने ने स्वीकार कर लिया है।

दिग्द्वय के कार्यरूप पूर्व-पश्चिम आदि व्यवहार की उपपत्ति आकाश के द्वारा सम्भव होने से दिग्द्वय को आकाश से अलग मानना आवश्यक नहीं। किन्तु धर्म-अधर्म द्वयों का कार्य आकाश से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश को गति और स्थिति का नियामक मानने पर वह बनन्त और अखंड होने से जड़ तथा चेतन द्वयों को अपने में सर्वत्र गति व स्थिति करने से रोक नहीं सकेगा और इस तरह नियत दृश्यादृश्य विवर के संस्थान की अनुपपत्ति वर्ती ही रहेगी। इसलिए धर्म-अधर्म द्वयों को आकाश से भिन्न एवं स्वतन्त्र मानना न्यायसंगत है। जब जड़ और चेतन गतिशील है तब मर्यादित आकाशक्षेत्र में नियामक के बिना उनकी गति अपने स्वभाववश नहीं मानी जा सकती। इसलिए धर्म-अधर्म द्वयों का अस्तित्व युक्तिसिद्ध है। १७-१८।

### कार्य द्वारा पुद्गल का लक्षण

शरीरवाहृस्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् । १९ ।

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहात् । २० ।

शरीर, वाणी, मन, निष्वास और उच्छ्वास ये पुद्गलों के उपकार (कार्य) हैं।

सुख, दुःख, जीवन और मरण भी पुद्गलों के उपकार हैं।

उनेक पौदगलिक कार्यों में से कुछ का यहाँ निर्देश किया गया है, जो जीवों पर अनुग्रह-निप्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौदगलिक ही हैं। कार्मणशरीर अतीन्द्रिय है, किन्तु वह औदारिक आदि मूर्त द्वय के सम्बन्ध से सुखदुःख जीवित विवाक देता है, जैसे जलादि के सम्बन्ध से धान। इसलिए वह भी पौदगलिक ही है।

भाषा द्वी प्रकार की है—भावभाषा और द्रव्यभाषा। भावभाषा द्वी वीर्यान्तराय, मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा अंगोपाग नाम-कर्म के उदय से प्राप्त होनेवाली एक विविट शक्ति है जो पुद्गल-सापेक्ष होने से पौदगलिक है और ऐसी शक्तिमान् आत्मा से प्रेरित होकर वचनरूप में परिणत होनेवाले भाषावर्गण के स्फल ही द्रव्यभाषा है।

कल्पित तथा उपयोगरूप भावमन पुद्गलवलम्बी होने से पौदगलिक है। ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से और अंगोपाग नामकर्म के उदय से

मनोवर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्परण आदि कार्याभिमुख आत्मा के अनुग्राहक अर्थात् सामर्थ्य के उत्तेजक होते हैं वे द्वयमन हैं। इसी प्रकार आत्मा द्वारा उदर से बाहर निकाला जानेवाला निश्वासवायु ( प्राण ) और उदर के भीतर पहुँचाया जानेवाला उच्छ्वासवायु ( अपान ) ये दोनों पौद्वगलिक हैं और जीवनग्रद होने से आत्मा के अनुग्रहकारी हैं।

आपा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याधात और अभिभव देखने में आता है। इसलिए वे शरीर को भाँति पौद्वगलिक ही हैं।

जीव का प्रतिरूप परिणाम सुख है, जो सातावेदनीय कर्मरूप अन्तरग कारण और द्वय, क्षेत्र आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। परिताप ही दुःख है, जो असातावेदनीय कर्मरूप अन्तरग कारण और द्वय आदि बाह्य निमित्तों से उत्पन्न होता है।

आयुर्कर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का चलते रहना जीवित ( जीवन ) है और प्राणापान का उच्छेद मरण है। ये सब सुख, दुःख आदि पर्याय जीवों में पुद्वगलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए वे जीवों के प्रति पौद्वगलिक उपकार कहे गए हैं। १९-२०।

### कार्य द्वारा जीव का लक्षण

#### परस्परोपग्रहो जीवानाम् । २१ ।

परस्पर के कार्य में निमित्त ( सहायक ) होना जीवों का उपकार है।

पारस्परिक उपकार करना जीवों का कार्य है। इस सूत्र में इसी का निर्देश है। एक जीव हित-अहित के उपदेश द्वारा दूसरे जीव का उपकार करता है। मालिक ऐसे से नौकर का उपकार करता है और नौकर हित या अहित की बात के द्वारा या सेवा करके मालिक का उपकार करता है। आचार्य सत्कर्म का उपदेश करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता है और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्य का उपकार करता है। २१।

### कार्य द्वारा काल का लक्षण

#### वर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य । २२ ।

वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार हैं।

काल को स्वतन्त्र द्वय मानकर यहाँ उसके उपकार गिनाये गए हैं। अपने-पने पर्याय की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवर्त्तमन धर्म आदि द्वयों की निमित्तरूप

से प्रेरणा करना चाहीना है। स्वजाति का स्थाप किये दिना होनेवाला द्रव्य का अपरिस्पन्द पर्याय परिणाम है जो पूर्वावस्था की निवृत्ति और उत्तरावस्था की उत्पत्तिरूप है। ऐसा परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा क्रोधादिरूप, पुद्गल में नील-भीत वर्णादिरूप और धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रव्यों में अग्रहलघु<sup>१</sup> गुण की हानि-वृद्धिरूप है। गति (परिस्पन्द) ही क्रिया है। ज्येष्ठस्व परत्व है और कनिष्ठस्व अपरत्व। यद्यपि चर्तना आदि कार्य यथासम्बन्ध धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों के ही हैं, तथापि काल सबका निमित्त कारण होने से यहाँ उनका वर्णन काल के उपकाररूप से किया गया है। २२।

१ अग्रहलघु रन्ध्र जैन परम्परा में तीन प्रमंगों पर विज्ञ-भिज्ञ अर्थ में व्यवहृत है :

(क) आत्मा के शान-दर्शन आदि जी आठ शुण आठ कर्म से आवार्य (आवरणयोन्य) माने गए हैं उनमें एक अग्रहलघुत्व नामक आस्मणुण है जो गंभीरकर्म से आवार्य है। गोक-कर्म का कार्य जीवन में उच्च-नीच भाव 'अरोरीति करना है। लोकव्यवहार में जीव बन्ध, जातिकुल, देश, रूपरंग और अन्य अवैक निमित्तों से उच्च या नीच स्वरूप में व्यवहृत होते हैं। परंतु सब आत्माएँ समान हैं, उनमें उच्च-नीचपन नहीं हैं। इस शक्ति और योग्यताभूलक सम्बन्ध को स्थिर रखनेवाले सुहृदगुण या शक्ति को अग्रहलघुत्व कहते हैं।

(ख) अग्रहलघु-नाम नाम-कर्म का एक भेद है। उसका कार्य आगे नामकर्म की चर्चा में आया है।

(ग) 'क' कर्म पर की गई व्याख्याकावाका अग्रहलघुत्व खेलत आसगत है, यदि कि प्रस्तुत अग्रहलघु शुण सभी जीव-अजीव द्रव्यों पर लागू होता है। यदि द्रव्य स्वतं परिणमनशील हो तो किसी समय भी येना क्यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्रव्यरूप से भी परिणाम को प्राप्त करे? इसी प्रकार यह प्रश्न भी उठता है कि एक द्रव्य में निहित विज्ञ-भिज्ञ शक्तियाँ (शुण) अपने-अपने परिणाम डटपढ़ करती ही रहती हैं तो कोई एक शक्ति अपने परिणाम की नियतधारा की सीमा में बाहर जाकर अन्य शक्ति के परिणाम को घटाये नहीं पैदा करती? इसी तरह यह प्रश्न भी उठता है कि एक द्रव्य में जी अनेक शक्तियाँ स्वीकृत की गई हैं तो अपना नियत रुद्धचरत्व छोड़मर नियत क्यों नहीं जाता? उन तीनों प्रश्नों का उत्तर अग्रहलघु शुण से दिया जाता है। यह शुण सभी द्रव्यों में नियामक पद भोगता है, जिससे एक भी द्रव्य द्रव्यान्तर नहीं होता, एक भी शुण शुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभावी परस्पर पृथक् नहीं होते।

अन्यों के सुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैंने अग्रहलघु शुण की अंतिम व्याख्या का विचार किया। मैं इसका समाधान ढूँढ़ रहा था। शुक्लसे जब कोई पूछता तब यह व्याख्या बताला देता। परंतु समाधान प्राप्त करने की विकासा तो रहती ही थी। प्रस्तुत विषयों लिखते समय एकाशक स्व० पंचित गोपालदासजी वरैया की लैनसिद्धान्तप्रवेशिका उत्कृष्ट गिल गई। इसमें श्रीमुति वरैयाजी ने भी यहीं विचार व्यक्त किया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इतने अंश में मेरे इस विचार की समर्पण प्राप्त हुआ। अनेक

पुद्गल के असाधारण पर्याय

**स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः । २३ ।**

**शब्दबन्धसौक्षम्यस्यौल्पसंस्थानभेदत्वमछायाऽत्पोदद्योतवन्तश्च । २४ ।**

पुद्गल स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णवाले होते हैं ।

वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, स्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप और उद्योतवाले भी होते हैं ।

बौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में किया जाता है तथा वैशेषिक आदि दर्शनों में पृथ्वी आदि सूर्त् द्रव्यों को समान रूप से स्पर्श, रस आदि चतुर्गुण युक्त नहीं माना गया है किन्तु पृथ्वी को चतुर्गुण, जल को गन्धरहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रसरहित द्विगुण और वायु को मात्र स्पर्शगुण युक्त माना गया है । इसी तरह उन्होंने मन में स्पर्श आदि चारों गुण नहीं माने हैं । इस प्रकार बौद्ध आदि दर्शनों से भत्तभेद दर्शना प्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है । इस सूत्र द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जैन दर्शन में जीव और पुद्गल तत्त्व भिन्न हैं । इसीलिए पुद्गल शब्द का प्रयोग जीव तत्त्व के लिए नहीं होता । इसी

---

मैंने यहाँ इसका उल्लेख किया है । विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्वेषण करें । स्व० वैरेयाजी जैन तत्त्वज्ञान के असाधारण जाता थे ।

ऊपर अगुरुलघु गुण के लिए दी गई युक्ति के समान ही एक युक्ति जैन परम्परा में भाव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के समर्थन में दी जाती है । वह त्रुलनात्मक दृष्टि से जानने योग्य है । जड़ और चेतन गतिशील होने के कारण आकाश में चाहे जहाँ न चले जायें इसके लिए उक दोनों काय नियामक रूप से माने गए हैं और कहा गया है कि इनके कारण गतिशील द्रव्यों की गतिस्थिति लोकक्षेत्र तक मर्यादित रहती है । जिस प्रकार ये दोनों काय गतिस्थिति के नियामक माने गए हैं उसी प्रकार अगुरुलघु गुण को मानना चाहिए ।

गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थों का रखमाय ही माना जाय या आकाश का ऐसा रखमाय माना जाय और उक दोनों कायों को न मानें तो क्या असंगति है ? ऐसा प्रश्न सहज उठता है । परन्तु यह विषय अहेतुवाद का हीने से इसमें केवल सिद्ध का समर्थन करने की बात है । यह विषय हेतुवाद या तर्कवाद का नहीं है कि केवल तर्क से इन कायों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाय । अगुरुलघु गुण के समर्थन के विषय में भी मुख्यरूप से अहेतुवाद का ही आशय लेना पड़ता है । हेतुवाद अन्त में अहेतुवाद की पुष्टि के लिए ही है, यह स्वीकार किये बिना नहीं चलता । इस प्रकार सब दर्शनों में कुछ विषय हेतुवाद और अहेतुवाद की मर्यादा में आ जाते हैं ।

तरह पूँछी, जल, तेज और वायु ये सभी पुद्गल के रूप में समान हैं अर्थात् ये सभी स्पर्श आदि चतुर्गुण से युक्त हैं। जैन-दर्शन में मन भी पौद्गलिक होने से स्पर्श आदि गुणवाला ही है। स्पर्श आठ-प्रकार का है—कठिन, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्तिरग्र और रुक्ष। इस पांच है—कहुवा, चरपरा, कत्सेला, खट्टा और भीड़। गन्ध दो हैं—सुगन्ध और दुर्गन्ध। वर्ण पांच हैं—काला, नीला (हरा), लाल, पीला और सफेद। इस तरह स्पर्श आदि के कुल बीस भेद हैं, पर इनमें से प्रत्येक के संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद तरतुमध्याव से होते हैं। मृदु तो एक गुण है, पर प्रत्येक मृदु वस्तु की मृदुता में कुछ-न-कुछ तरतुरता होती है। इस कारण सामान्य रूप से मृदुत्व का स्पर्श एक होने पर भी तारतम्य के अनुसार उसके संख्यात, असंख्यात और अनन्त भेद हो जाते हैं। यही बात कठिन आदि अन्य स्पर्श तथा रस आदि अन्य गुणों के विषय में है।

शब्द कोई गुण नहीं है, जैसे कि वैशेषिक, नैयायिक आदि दर्शनों में माना जाता है। वह भाषावर्णण के पुद्गलों का एक विशिष्ट प्रकार का परिणाम है। निमित्त-भेद से उसके अनेक भेद हो जाते हैं। जो शब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न होता है वह प्रयोगज है और जो किसी के प्रयत्न के बिना ही उत्पन्न होता है वह वैस्त्रिक है, जैसे वादलों की गर्जना। प्रयोगज शब्द के छ प्रकार हैं—१. मापा—मनुष्य आदि की व्यक्ति और पशु, पक्षी आदि की व्यक्ति ऐसी अनेकविध भाषाएँ, २. तत्—नमहे से लेपेटे हुए वादों का अर्थात् मृदंग, पटह आदि का शब्द, ३. वितर—तारवाले बीणा, सारंगी आदि वादों का शब्द; ४. घन—शालर, घट आदि का शब्द, ५. शुपिर—फूँककर बजाये जानेवाले शख, वांसुरी आदि का शब्द, ६. संर्घण—लकड़ी आदि के घर्षण से उत्पन्न शब्द।

परस्पर आश्लेषरूप बन्ध के भी प्रायोगिक और वैस्त्रिक ये दो भेद हैं। जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा-भेद से घटित न हों वे अन्त्य और जो घटित हों वे आपेक्षिक हैं। परमाणुओं का सूक्ष्मत्व और जगद्-व्यापी महात्मत्व का स्थूलत्व अन्त्य है, व्योक्ति अन्य पुद्गल की अपेक्षा परमाणुओं में स्थूलत्व और महात्मत्व में सूक्ष्मत्व मही होता। द्विषणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धों के सूक्ष्मत्व व स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं, जैसे आंखें का सूक्ष्मत्व और विल्व का स्थूलत्व। आंखें विल्व से छोटा है अतः सूक्ष्म है और विल्व आंखें से बड़ा है अतः स्थूल

में सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ये दो-दो भेद हैं। जो सूक्ष्मत्व तथा स्थूलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा-भेद से घटित न हों वे अन्त्य और जो घटित हों वे आपेक्षिक हैं। परमाणुओं का सूक्ष्मत्व और जगद्-व्यापी महात्मत्व का स्थूलत्व अन्त्य है, व्योक्ति अन्य पुद्गल की अपेक्षा परमाणुओं में स्थूलत्व और महात्मत्व में सूक्ष्मत्व मही होता। द्विषणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धों के सूक्ष्मत्व व स्थूलत्व दोनों आपेक्षिक हैं, जैसे आंखें का सूक्ष्मत्व और विल्व का स्थूलत्व। आंखें विल्व से छोटा है अतः सूक्ष्म है और विल्व आंखें से बड़ा है अतः स्थूल

है। पुरुष वही जीवला बेर की अपेक्षा स्थूल है और वही विल्व कूप्याण्ड की अपेक्षा सूक्ष्म है। इस दण्ड जैसे आपेक्षिक होने से एक ही वस्तु में सूक्ष्मत्व-स्थूलत्व दोनों विशद पर्याय होते हैं, जैसे अन्य सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व एक वस्तु में नहीं होते।

संस्थान इत्यर्थत्व और अग्निर्थत्व दो-प्रकार का है। जिस आकार की किसी के साथ तुलना की जा सके वह इत्यर्थत्वरूप है और जिसकी तुलना न की जा सके वह अग्निर्थत्वरूप है। मेघ आदि का संस्थान ( रचना-विशेष ) अग्निर्थत्वरूप है, कयोंकि अग्निर्थ होने से किसी एक प्रकार से उसका निरूपण नहीं किया जा सकता और अन्य पदार्थों का संस्थान इत्यर्थत्वरूप है, जैसे गेंद, तिथाड़ा आदि, गोल, त्रिकोण, चतुर्भुज, दीर्घ, परिमध्यल ( वलयाकार ) आदि रूप में इत्यर्थत्वरूप संस्थान के अनेक भेद हैं।

एकत्व अर्थात् स्कन्धरूप में परिणाम पुद्गलपिण्ड का विश्लेष ( विभाग ) होना भेद है। इसके पांच प्रकार है—१. औत्करिक—जौरे या खोड़े जाने पर होने वाला लकड़ी, पत्तर आदि का भेदन; २. शौष्ठिक—कण-कण रूप में खूँस ही जाना, जैसे जी आदि का संतृ, जाटा आदि; ३. संध्य—टुकड़े-टुकड़े हीकेर दूट जाना, जैसे घटे का कपालादि; ४. प्रत्यर—परतें या तहें लिकलना, जैसे अप्रक, भोजपत्र आदि; ५. अमुतद—छाल निकलना, जैसे चांस, इस आदि।

तम अवधीर् अन्वेषकार, जो देखने में एकावट ढालनेवाला, प्रकाश का विरोधी एक परिणाम-विशेष है।

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण जा जाने से होती है। इसके दो प्रकार हैं—  
दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में पहनेवाला विल्व जिसमें भूतादि आ-वर्ण, आकार आदि ज्यो-का-त्यो दिखाई देता है और अन्य अस्वच्छ चरतुओं पर पहनेवाली परदाई प्रतिविम्बरूप छाया है।

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खद्दोत आदि का अनुष्ठ ( शीतल ) प्रकाश उद्योत है।

स्पर्श आदि तथा चब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुद्गल के कार्य होने से पौद्गलिक भाने जाते हैं।

सूत्र २३ और २४ को अलग करके यह बतलाया गया है कि स्पर्श आदि पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनों में होते हैं, परन्तु चब्द, चब्द आदि पर्याय केवल स्कन्ध में होते हैं। सूक्ष्मत्व यद्यपि परमाणु व स्कन्ध दोनों का पर्याय है, तथापि उसका परिणाम स्पर्श आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया गया है वह हसलिए कि प्रतिपक्षी स्थूलत्व पर्याय के साथ उसके कथन का औचित्य है। २३-२४।

पुद्गल के मुख्य प्रकार

अणवः स्कन्धाश्च । २५ ।

**पुद्गल परमाणु और स्कन्धरूप हैं ।**

पुद्गल द्रव्य इकाईरूप में अनन्त है और उनका वैविध्य भी अपरिमित है, तथापि आगे के दो सूत्रों में पौद्गलिक परिणाम की उत्पत्ति के मिल्न-भिल्न कारण दर्शाने के लिए यहाँ तटुपयोगी परमाणु और स्कन्ध में दो प्रकार संज्ञेष में निर्दिष्ट हैं । सम्पूर्ण पुद्गलराशि का इन दो प्रकारों में समावेश हो जाता है ।

जो पुद्गल द्रव्य कारणरूप है पर कार्यरूप नहीं है, वह अन्त्य द्रव्य है । ऐसा द्रव्य परमाणु है, जो निष्प, सूक्ष्म और किसी एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श से गुल्क होता है । ऐसे परमाणु द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता । उसका ज्ञान आगम या अनुमान से साध्य है । परमाणु का अनुमान कापहेतु से भाना गया है । जो-जो पौद्गलिक कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब सकारण हैं । इसी प्रकार जो अदृश्य अन्तिम कार्य होता, उसका भी कारण होना चाहिए, वही कारण परमाणु द्रव्य है । उसका कारण अन्य द्रव्य न होने से उसे अन्तिम कारण कहा गया है । परमाणु द्रव्य का कोई विभाग नहीं होता और न हो सकता है । इसलिए उसका आदि, मध्य और अन्त वह स्वर्य ही होता है । परमाणु द्रव्य अथद ( असमुदायरूप ) होता है ।

स्कन्ध दूसरे प्रकार का पुद्गल द्रव्य है । सभी स्कन्ध बद्ध—समुदायरूप होते हैं और वे अपने कारणद्रव्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्यरूप तथा कार्यद्रव्य की अपेक्षा से कारणद्रव्यरूप हैं, जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध परमाणु आदि के कार्य हैं और त्रिप्रदेश आदि के कारण हैं । २५ ।

स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण

सञ्चातमेवेभ्य उत्पन्नन्ते । २६ ।

भेदादणुः । २७ ।

**संघात से, भेद से और संघात-भेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं ।**

**अणु भेद से ही उत्पन्न होता है ।**

स्कन्ध ( अवयवी ) द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है । कोई स्कन्ध संघात ( एकत्वपरिणति ) से उत्पन्न होता है, कोई भेद से और कोई एक साथ भेद-संघात दोनों निमित्तों से । चब अलग-अलग स्थित यो परमाणुओं के मिलने पर द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता है तब वह संघातजन्य कहलाता है । इसी प्रकार तीन,

चार, संख्यात, असंख्यात, अनन्त और अनन्तानन्त परमाणुओं के मिलने मात्र से त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश, सख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्तप्रदेश तथा अनन्तानन्तप्रदेश स्कन्ध बनते हैं जो सभी संघातजन्य हैं। किसी बड़े स्कन्ध के टूटने मात्र से जो छोटे-छोटे स्कन्ध होते हैं वे भेदजन्य हैं। ये भी द्विप्रदेश से अनन्तानन्तप्रदेश तक होते हैं। जब किसी एक स्कन्ध के टूटने पर उसके अवयव के साथ उसी समय दूसरा कोई द्रव्य मिल जाने से नया स्कन्ध बनता है तब वह स्कन्ध भेद-संघातजन्य कहलाता है। ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर अनन्तानन्तप्रदेश तक हो सकते हैं। दो से अधिक प्रदेशवाले स्कन्ध जैसे तीन, चार आदि अलग-अलग परमाणुओं के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश आदि स्कन्ध होते हैं और द्विप्रदेश स्कन्ध के साथ एक परमाणु मिलने से भी त्रिप्रदेश तथा द्विप्रदेश या त्रिप्रदेश स्कन्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक परमाणु मिलने से भी चतुष्प्रदेश स्कन्ध बनता है।

अणु द्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नहीं है, इ लिए उसकी उत्पत्ति में दो द्रव्यों का संघात सम्भव नहीं। यो तो परमाणु नित्य माना गया है, तथापि यहाँ उसकी उत्पत्ति पर्यायदृष्टि से कही गई है, अर्थात् परमाणु द्रव्यरूप में तो नित्य ही है, पर पर्यायदृष्टि से जन्य भी है। परमाणु का कभी स्कन्ध का अवयव बनकर सामुदायिक अवस्था में रहना और कभी स्कन्ध से अलग होकर विशकलित अवस्था में रहना ये सभी परमाणु के पर्याय ( अवस्थाविशेष ) हैं। विशकलित अवस्था स्कन्ध के भेद से ही उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भेद से अणु की उत्पत्ति के कथन का अभिप्राय इतना ही है कि विशकलित अवस्थावाला परमाणु भेद का कार्य है, शुद्ध परमाणु नहीं। २६-२७।

अचाक्षुप स्कन्ध के चाक्षुप बनने में हेतु

भेदसंघातार्थ्यां चाक्षुषाः । २८ ।

भेद और संघात से ही चाक्षुप स्कन्ध बनते हैं।

अचाक्षुप स्कन्ध निमित्त पाकर चाक्षुप बन सकता है, इसी का निर्देश इस सूत्र में है।

पुद्गल के परिणाम त्रिविध है, अत. कोई पुद्गल-स्कन्ध अचाक्षुप ( चक्षु से अग्राह ) होता है तो कोई चाक्षुप ( चक्षु-ग्राह )। जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने से अचाक्षुप हो वह निर्मित्तवश सूक्ष्मत्व परिणाम छोड़कर बादर ( स्थूल ) परिणाम-विशिष्ट बनने से चाक्षुप हो सकता है। उस स्कन्ध के ऐसा होने में भेद तथा संघात दोनों हेतु अपेक्षित हैं। जब किसी स्कन्ध में सूक्ष्मत्व परिणाम की निरूपि-

से स्थूलत्व परिणाम उत्पन्न होता है तब कुछ नये अणु उस स्कन्ध में मिल जाते हैं। मिलते ही नहीं, कुछ अणु उस स्कन्ध से अलग भी हो जाते हैं। सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्तिपूर्वक स्थूलत्व परिणाम की उत्पत्ति न केवल संघात अर्थात् अणुओं के मिलने भाव से होती है और न केवल भेद अर्थात् अणुओं के अलग होने भाव से। स्थूलत्व ( बादरत्व ) परिणाम के अतिरिक्त कोई स्कन्ध चाक्षुप होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ नियमपूर्वक कहा गया है कि चाक्षुप स्कन्ध भेद और संघात दोनों से बनता है।

‘भेद’ शब्द के दो अर्थ है—१. स्कन्ध का दूटना अर्थात् उसमें से अणुओं का अलग होना और २. पूर्व-परिणाम निवृत्त होने से दूसरे परिणाम का उत्पन्न होना। इनमें से पहले अर्थ के अनुसार ऊपर सूत्रार्थ लिखा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार है—जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र-ग्राह्य बादर परिणाम को प्राप्त करता है, अर्थात् अचाक्षुप न रहकर चाक्षुप बनता है, तब उसके ऐसा होने में स्थूल परिणाम अपेक्षित है जो विशिष्ट अनन्तराणु संख्या ( संघात ) सापेक्ष है। केवल सूक्ष्मत्वहृष पूर्व-परिणाम की निवृत्तिपूर्वक दोनों स्थूलत्व-परिणाम चाक्षुप बनने का कारण नहीं और केवल विशिष्ट अनन्त संख्या भी चाक्षुप बनने में कारण नहीं, किन्तु परिणाम ( भेद ) और उक्त संख्या-संघात दोनों ही स्कन्ध के चाक्षुप बनने में कारण है।

यद्यपि सूत्रगत ‘चाक्षुप’ पद से तो चक्षु-ग्राह्य स्कन्ध का ही वोध होता है, तथापि यहाँ चक्षु पद से समस्त इन्द्रियों का लाक्षणिक वोध अभिप्रेत है। उद्दनुसार सूत्र का अर्थ यह होता है कि सभी अतीन्द्रिय स्कन्धों के इन्द्रियग्राह्य बनने में भेद और संघात दो ही हेतु अपेक्षित है। पीदगलिक परिणाम की अभर्यादित विचित्रता के कारण जैसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी बाद में भेद तथा संघात-रूप निमित्त से इन्द्रियग्राह्य बन जाते हैं, वैसे ही स्थूल स्कन्ध सूक्ष्म बन जाते हैं। इतना ही नहीं, पारिणामिक विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य स्कन्ध अल्प इन्द्रियग्राह्य बन जाता है। जैसे लवण, हिंगु आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्शन, रसना और ध्वान इन चारों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं, परन्तु जल में गल जाने से केवल रसना और ध्वान इन दो इन्द्रियों से ही ग्रहण हो सकते हैं।

प्रश्न—स्कन्ध के चाक्षुप बनने में दो कारण बतलाये गए, पर अचाक्षुप स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण ज्यो नहीं बतलाये गए?

उत्तर—सूत्र २६ में सामान्य रूप से स्कन्ध भाव की उत्पत्ति के तीन हेतुओं का कथन है। यहाँ तो केवल विशेष स्कन्ध की उत्पत्ति के अर्थात् अचाक्षुप से

चाक्षुष बनने के हेतुओं का विशेष कथन हूँवा है । अतः उस सामान्य विज्ञान के अनुसार अचाक्षुष स्कन्द की उत्पत्ति के तीन ही हेतु होते हैं । सारांश यह है कि सूक्ष्म २६ के अनुसार भेद, संघात और गोद-संघात इन तीनों हेतुमों से अचाक्षुष स्कन्द बनते हैं । २८ ।

### 'सत्' की व्याख्या

### उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत् । २९ ।

जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों से युक्त है वही सत् है ।

'सत्' के स्वरूप के विषय में विभिन्न दर्शनों में मतभेद है । एक दर्शन<sup>१</sup> सम्पूर्ण सत् पदार्थ ( व्रहा ) को केवल ध्रुव ( नित्य ) ही मानता है । दूसरा दर्शन<sup>२</sup> पदार्थ को निरन्वय क्षणिक ( मात्र उत्पाद-विनाशशील ) मानता है । तीसरा दर्शन<sup>३</sup> चेतनरत्त्वरूप सत् को तो केवल ध्रुव ( कूटस्थनित्य ) और प्रकृति तत्त्व-रूप सत् की परिणामिनित्य ( नित्यानित्य ) मानता है । चौथा दर्शन<sup>४</sup> अनेक सत् पदार्थों में से परमाणु, काल, आत्मा आदि कुछ सत् तत्त्वों को कूटस्थनित्य और घट-पट आदि कुछ सत् को मात्र उत्पाद-व्ययशील ( अनित्य ) मानता है । परन्तु जैनदर्शन का सत् के स्वरूप से सम्बद्ध मन्त्रव्य इन भौतों से भिन्न है और वही इस सूत्र का विषय है ।

जैनदर्शन के अनुसार जो सत् ( वस्तु ) है वह पूर्ण रूप से केवल कूटस्थनित्य या केवल निरन्वयविनाशीया या उसका अमृक भाग कूटस्थनित्य और अमृक भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग मात्र नित्य और कोई भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता । इसके अनुसार चेतन और जड़, अमूर्त और मूर्त, सूक्ष्म और स्थूल, सभी सत् पदार्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप से त्रिरूप हैं ।

प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं । एक अंश तो तीनों कालों में शाश्वत रहता है और दूसरा अंश सदा अशाश्वत होता है । शाश्वत अश्वत के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रीव्यात्मक ( स्थिर ) और अशाश्वत अश्वत के कारण उत्पाद-व्ययात्मक ( वस्थिर ) कहलाती है । इन दो अंशों में से किसी एक की ओर दृष्टि जाने और दूसरे की ओर न जाने से वस्तु केवल स्थिररूप या केवल अस्थिररूप प्रतीत होती है । परन्तु दोनों अंशों पर दृष्टि डालने से ही वस्तु का पूर्ण और गणार्थ स्वरूप

१. वैदानत्—जीपनिपदिक राक्षरमत ।

२. दोद । इ. सास्य ।

३. व्याय, क्षेत्रिक ।

ज्ञात हो सकता है इसलिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूक्ष्म में सत् ( वस्तु ) का स्वरूप प्रतिपादित है । ३९ ।

विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्व का स्वरूप

तद्वावाच्यम् नित्यम् । ३० ।

जो अपने भाव से ( अपनी जाति से ) च्युत न हो वही नित्य है ।

पिछले सूत्र में कहा गया कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-श्रीव्याप्तक है अर्थात् स्थिरास्थिर ( उभयरूप ) है । परन्तु प्रस्तु होता है कि यह कैसे सम्भव है ? जो स्थिर है वह अस्थिर कैसे ? जो अस्थिर है वह स्थिर कैसे ? एक ही वस्तु में स्थिरत्व और अस्थिरत्व दोनों बिंदु शीत-उष्ण की भाँति परस्परविरुद्ध होने से एक ही समय में हो नहीं सकते । इसलिए क्या सत् की उत्पाद-व्यय-श्रीव्याप्तक व्याख्या विरह नहीं है ? इस विरोध के परिहारार्थं जैन दर्शन सम्मत नित्यत्व का स्वरूप प्रतिपादित करना ही इस सूत्र का उद्देश्य है ।

यदि कुछ अन्य दर्शनों की भाँति जैन दर्शन भी वस्तु का स्वरूप यह मानता कि 'किसी भी प्रकार से परिवर्तन को प्राप्त किये बिना ही वस्तु सदा एक रूप में अवस्थित रहती है' तो इस कूटस्थनित्यत्व में अनित्यत्व सम्भव न होने से एक ही वस्तु में स्थिरत्व और अस्थिरत्व का विरोध आता । इसी प्रकार अगर जैन दर्शन वस्तु को मात्र क्षणिक अर्थात् प्रति क्षण उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली मानकर उसका कोई स्थायी आधार न मानता तो भी उत्पाद-व्ययशील अनित्यपरिणाम में नित्यत्व सम्भव न होने से उक्त विरोध आता । परन्तु जैन दर्शन किसी वस्तु को केवल कूटस्थनित्य या परिणामिभाव न मानकर परिणामिनित्य मानता है । इसलिए सभी तत्त्व अपनी-अपनी जाति में स्थिर रहते हुए भी निभित्त के अनुसार परिवर्तन ( उत्पाद-व्यय ) प्राप्त करते हैं । अतएव प्रत्येक वस्तु में मूल जाति ( द्रव्य ) की अपेक्षा से छोट्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-व्यय के घटित होने में कोइ विरोध नहीं है । जैन दर्शन का परिणामिनित्यत्ववाद साथ दर्शन की तरह केवल जड़ ( प्रकृति ) तक ही सीमित नहीं है, किन्तु वह चेतन तत्त्व पर भी घटित होता है ।

सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्ववाद को स्वीकार करने के लिए मुख्य साधक प्रमाण अनुभव है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नहीं आता जो केवल अपरिणामी हो या मात्र परिणामरूप हो । वास्तु और आव्यन्त-रिक सभी वस्तुएँ परिणामिनित्य ही प्रतीत होती हैं । यदि सभी वस्तुएँ मात्र क्षणिक हों तो प्रत्येक क्षण में नई-नई वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होने तथा उत्पन्न

कोई स्थायी आधार न होने से उस क्षणिक परिणाम-परम्परा में सजातीयता का कभी कनूभव नहीं होगा अर्थात् पहले देखी हुई वस्तु को फिर से देखने पर जो 'यह वही है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है वह न होगा, क्योंकि जैसे प्रत्यभिज्ञान के लिए उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिरत्व आवश्यक है, वैसे ही इष्टा आत्मा का स्थिरत्व भी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि जड़ या चेतन तत्त्व मात्र निविकार हो तो इन दोनों तत्त्वों के मिश्रणरूप जगत् में प्रतिक्षण दिखाई देनेवाली विविधता कभी उत्पन्न न होगी। अतः परिणामिनित्यत्ववाद को जैन दर्शन युक्ति-संगत मानता है।

### व्याख्यान्तर से सत् का नित्यत्व

### तद्ग्रावाव्ययं नित्यम्

सत् अपने भाव से च्युत न होने से नित्य है।

उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक होना ही वस्तुमात्र का स्वरूप है और यही सत् है। सत्-स्वरूप नित्य है अर्थात् वह तीनों कालों में एक-सा अवस्थित रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु में या वस्तुमात्र में उत्पाद, व्यय तथा ध्रीव्य कभी हो और कभी न हो। प्रत्येक समय में उत्पादादि तीनों अंश अवश्य होते हैं। यही सत् का नित्यत्व है।

अपनी-अपनी जाति को न छोड़ना सभी द्वायों का ध्रीव्य है और प्रत्येक समय में भिन्न-भिन्न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना उत्पाद-व्यय है। ध्रीव्य तथा उत्पाद-व्यय का चक्र द्रव्यमात्र में सदा चलता रहता है। उस चक्र में से कभी कोई अंश लूप नहीं होता, यही इस सूत्र में कहा गया है। पूर्व सूत्र में ध्रीव्य का कथन द्रव्य के अन्वयी ( स्थायी ) अंश मात्र को लेकर है और इस सूत्र में नित्यत्व का कथन उत्पाद, व्यय और ध्रीव्य इन तीनों अंशों के अविच्छिन्नत्व हो लेकर है। यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रीव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व में अन्तर है। ३० ।

### अनेकान्त-स्वरूप का समर्थन

### अपितानर्पितसिद्धेः । ३१ ।

प्रत्येक वस्तु अनेकधर्मात्मक है, क्योंकि अपित—अर्पणा अर्थात् अपेक्षा-चिन्तोष से और अनर्पित—अनर्पणा अर्थात् अपेक्षान्तर से विरोधी स्वरूप सिद्ध होता है।

परस्पर विरुद्ध किन्तु प्रमाण-सिद्ध घर्मों का समन्वय एक वस्तु में कैसे हो सकता है, तथा विद्यमान अनेक घर्मों में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रतिपादन क्यों होता है, यही इस सूत्र में दर्शाया गया है ।

‘आत्मा सत् है’ इस प्रतीति या उक्ति में सत्त्व का जा भान होता है वह सब प्रकार से घटित नहीं हो सकता । यदि ऐसा ही तो आत्मा चेतना आदि स्वरूप की भाँति घटावि पर-रूप से भी सत् सिद्ध होगी अर्थात् उसमें चेतना की तरह घटन्व भी भासमान होगा जिससे उसका विशिष्ट स्वरूप सिद्ध ही न होगा । विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-रूप से सत् और पर-रूप से असत् है । इस प्रकार अपेक्षा-विशेष से सत्त्व और अपेक्षान्तर से असत्त्व ये दोनों घर्म आत्मा में सिद्ध होते हैं । सत्त्व-असत्त्व की भाँति नित्यत्व-अनित्यत्व घर्म भी उसमें सिद्ध हैं । द्रव्य ( सामान्य ) दृष्टि से नित्यत्व और पर्याय ( विशेष ) दृष्टि से अनित्यत्व सिद्ध होता है । इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले, परन्तु अपेक्षा-भेद से सिद्ध और भी एकत्व-अनेकत्व आदि घर्मों का समन्वय आत्मा आदि सब वस्तुओं में व्याख्यित है । इसलिए सभी पदार्थ अनेकघर्मात्मक माने जाते हैं ।

### व्याख्यान्तर

#### अर्पितान्तर्पितसिद्धेः

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार से व्यवहार्य है, क्योंकि अर्पणा और अन-पूर्णा से अर्थात् विवक्षा के अनुसार प्रधान एवं अप्रधान भाव से व्यवहार की सिद्धि ( उपपत्ति ) होती है ।

अपेक्षाभेद से सिद्ध अनेक घर्मों में से भी कभी किसी एक घर्म द्वारा और कभी उसके विरोधी दूसरे घर्म द्वारा वस्तु का व्यवहार होता है जो अप्रामाणिक या व्याख्यित नहीं है, क्योंकि विद्यमान सब घर्म भी एक साथ विवक्षित नहीं होते । प्रयोजनानुसार कभी एक की और कभी दूसरे की विवक्षा होती है । जिस समय जिसकी विवक्षा हो उस समय वह प्रधान और दूसरा अप्रधान होता है । जो कर्म का कर्ता है वही उसके फल का भोक्ता होता है । इस कर्म और सञ्जन्य फल के सामान्याधिकरण को दिखाने के लिए आत्मा में द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व की विवक्षा की जाती है । उस समय उसका पर्यायदृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व विवक्षित न होने से गोण होता है, परन्तु कर्तृत्वकाल की अपेक्षा भोक्तृत्व काल में आत्मा की अवेस्था में परिवर्तन हो जाता है । इस कर्मकालीन और फलकालीन अवस्थाभेद को दिखाने के लिए जब पर्यायदृष्टि से सिद्ध अनित्यत्व का प्रतिपादन किया जाता है तब द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं रहता । इस

अप्रार विवेका और अविवेका के कारण कभी आत्मा को नित्य कहा जाता है और कभी अनित्य । जब दोनों अस्तों की विवेका एक साथ की जाती है तब दोनों का युगपत् प्रतिपादन करनेवाला बाबक शब्द न होने के कारण आत्मा को अवकलन्य कहा जाता है । विवेका, अविवेका और सहविवेका के आश्रित इन सीन वाक्य-रूचनाओं के पारस्परिक विविध मिथ्य से और भी चार वाक्य-रचनाएँ बनती हैं । नित्य-अनित्य, नित्य-अवकलन्य, अनित्य-अवकलन्य और नित्य-अनित्य-अवकलन्य । इन सीन वाक्य-रचनाओं को सप्तभंगी कहा जाता है । इनमें प्रथम तीन वाक्य और इनमें भी दो वाक्य मूलभूत हैं । जैसे अिन्न-भिन्न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व और अनित्यत्व को लेकर विवेकावश किसी एक वस्तु में सप्तभंगी घटित की जा सकती है, वैसे और भी अिन्न-भिन्न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दोस्तनेवाले सत्त्व असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि धर्मभूमियों को लेकर सप्तभंगी घटित करनी चाहिए । इस प्रकार एक ही वस्तु अनेकधर्मात्मक एवं अनेक व्यवहारों की विषय भानी गई है । ३१ ।

पौद्वग्निक बन्ध के हेतु

स्तिंगघरुक्षत्वाद् बन्धः । ३२ ।

स्तिंगघरुक्षत्व से बन्ध होता है ।

पौद्वग्निक स्तक्ष्य की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के पारस्परिक संयोग भाव से नहीं होती । इसके लिए संयोग के अतिरिक्त और भी कुछ अपेक्षित होता है । यही इस सूत्र में दर्शाया गया है । अवयवों के पारस्परिक संयोग के उपरान्त उनमें स्तिंगघरुक्षत्व ( चिकनापन ), रुक्षत्व ( रुक्षापन ) गुण का होना भी आवश्यक है । जब स्तिंगघ और रुक्ष अवयव आपस में मिलते हैं तब उनका बन्ध ( एकत्वपरिणाम ) होता है, इसी बन्ध से द्वयणुक आदि स्कन्ध बनते हैं ।

स्तिंगघ और रुक्ष अवयवों का श्लेष सदृश और विसदृश दो प्रकार का होता है । स्तिंगघ का स्तिंगघ के साथ और रुक्ष का रुक्ष के साथ श्लेष सदृश श्लेष है । स्तिंगघ का रुक्ष के साथ श्लेष विसदृश श्लेष है । ३२ ।

बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद

न जघन्यगुणानाम् । ३३ ।

गुणसाम्ये सदृशानाम् । ३४ ।

द्वयषिकादिगुणानां सु । ३५ ।

जघन्य गुण अर्थात् अंशावाले स्तिंगघ और रुक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता ।

समान अंश होने पर सहश अर्थात् स्तिरध के साथ अवयवों का तथा रूक्ष के साथ रूक्ष अवयवों का बन्ध नहीं होता । दो अंश अधिकावाले आदि अवयवों का बन्ध होता है ।

इन सूत्रों में से पहला सूत्र बन्ध का नियेषक है । इसके अनुसार जिन परमाणुओं में स्तिरधत्व या रूक्षत्व का अंश जघन्य हो उन जघन्यगुण परमाणुओं का पारस्परिक बन्ध नहीं होता । इस नियेष से यह फलित होता है कि अवयव और उरकृष्टसंस्थक अंशोवाले स्तिरध व रूक्ष सभी अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो सकता है । परन्तु इसमें भी अपवाद है, जिसका वर्णन क्रागे के सूत्र में है । उसके अनुसार समान अशवाले सदृश अवयवों का पारस्परिक बन्ध नहीं होता । इससे समान अंशोवाले स्तिरध तथा रूक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । इस नियेष का भी फलित अर्थ यह है कि असमान गुणवाले सदृश अवयवों का बन्ध होता है । इस फलित अर्थ का संकोच करके तीसरे सूत्र में सदृश अवयवों के असमान अंशों की अन्त्योपयोगी मर्यादा नियत की गई है । उदनुसार असमान अंशोवाले सदृश अवयवों में भी जब एक अवयव का स्तिरधत्व या रूक्षत्व दो अंश, तीन अंश, चार अंश आदि अधिक हो तभी उन दो सदृश अवयवों का बन्ध होता है । इसलिए यदि एक अवयव के स्तिरधत्व या रूक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्तिरधत्व या रूक्षत्व के बर्दल एक अव अधिक हो तो उन दो सदृश अवयवों का बन्ध नहीं होता ।

स्वेताघ्वर और दिग्घ्वर दोनों परमाणुओं में प्रस्तुत तीनों सूत्रों में पाठमेद नहीं है, पर अर्थमेद अवश्य है । अर्थमेद की दृष्टि से ये तीन वात्संधान देने योग्य है—  
१. जघन्यगुण परमाणु एक स्थावाला हो, तब बन्ध का होना या न होना,  
२. सूत्र ३५ के 'आदि' पद से तीन आदि स्थाली जाय या- नहीं, ३. सूत्र ३५ का बन्धविभान के बर्दल सदृश अवयवों के लिए माना जाय अथवा नहीं ।

१. भाष्य और वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य गुणवाले हों तभी उनका बन्ध नियिद है, अर्थात् एक परमाणु जघन्यगुण ही और दूसरा जघन्य-गुण न हो तभी उनका बन्ध होता है । परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि सभी दिग्घ्वर व्याख्याओं के अनुसार जघन्यगुण युक्त दो परमाणुओं के पारस्परिक बन्ध की तरह एक जघन्यगुण परमाणु का दूसरे अजघन्यगुण परमाणु के साथ भी बन्ध नहीं होता ।

२. भाष्य और वृत्ति के अनुसार सूत्र ३५ के 'आदि' पद का तीन आदि संस्था अर्थ लिया जाता है । अतएव उसमें किसी एक अवयव से दूसरे अवयव-में स्तिरधत्व या रूक्षत्व के बंश दो, तीन, चार तथा बढ़ते-बढ़ते संस्थात, अछंकात,

अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है, केवल एक अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता। परन्तु सभी दिगम्बर व्याख्याओं के अनुसार केवल दो अंश अधिक होने पर ही बन्ध माना जाता है, अर्थात् एक अंश की तरह तीन, चार और संत्यात्, अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नहीं माना जाता।

३. भाष्य और वृत्ति के अनुसार सूक्ष्म ३५ में दो, तीन आदि अंशों के अधिक होने पर बन्ध का विधान सदृश अवयवों पर ही लागू होता है, परन्तु दिगम्बर व्याख्याओं में वह विधान सदृश की भाँति असदृश परमाणुओं के बन्ध पर भी लागू होता है।

इह अर्थभेद के कारण दोनों परम्पराओं में बन्ध विषयक जो विधि-नियेष फलित होता है वह आगे के कोष्ठकों से स्पष्ट है :

### भाष्य-बृत्यनुसार

गुण-अंश	सदृश	विसदृश
१. जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२. जघन्य + एकाधिक	नहीं	है
३. जघन्य + द्वयाधिक	है	है
४. जघन्य + श्यादि अधिक	है	है
५. जघन्येतर + सम जघन्येतर	नहीं	है
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर	नहीं	है
७. जघन्येतर + द्वयाधिक जघन्येतर	है	है
८. जघन्येतर + श्यादि अधिक जघन्येतर	है	है

### सर्वार्थसिद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-ग्रन्थों के अनुसार

गुण-अंश	सदृश	विसदृश
१. जघन्य + जघन्य	नहीं	नहीं
२. जघन्य + एकाधिक	नहीं	नहीं
३. जघन्य + द्वयाधिक	नहीं	नहीं
४. जघन्य + श्यादि अधिक	नहीं	नहीं
५. जघन्येतर + सम जघन्येतर	नहीं	नहीं
६. जघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर	नहीं	नहीं
७. जघन्येतर + द्वयाधिक जघन्येतर	है	है
८. जघन्येतर + श्यादि अधिक जघन्येतर	नहीं	नहीं

स्तिरग्रहत्व और रूक्षत्व दोनों स्पर्श-विशेष हैं। ये अपनी-अपनी जाति की अपेक्षा एक-एक रूप होने पर भी परिणामत की तरतमता के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। तरतमता यहाँ तक होती है कि निकृष्ट स्तिरग्रहत्व और निकृष्ट रूक्षत्व तथा उत्कृष्ट स्तिरग्रहत्व और उत्कृष्ट रूक्षत्व के बीच अनन्तानन्त अशो का अन्तर रखता है, जैसे बकरी और झेंटनी के दूध के स्तिरग्रहत्व में। स्तिरग्रहत्व दोनों में ही होता है परन्तु एक में अत्यल्प होता है और दूसरे में अत्यधिक। तरतमतावाले स्तिरग्रहत्व और रूक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निकृष्ट अर्थात् अविभाज्य हो उसे जघन्य अंश कहते हैं। जघन्य को छोड़कर शेष सभी जघन्येतर कहे जाते हैं। जघन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट संख्या आ जाती है। सबसे अधिक स्तिरग्रहत्व परिणाम उत्कृष्ट है और जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच के सभी परिणाम मध्यम हैं। जघन्य स्तिरग्रहत्व की अपेक्षा उत्कृष्ट स्तिरग्रहत्व अनन्तानन्त गुना-अधिक होने से यदि जघन्य स्तिरग्रहत्व को एक अंश कहा जाय तो उत्कृष्ट स्तिरग्रहत्व को अनन्तानन्त अंशपरिमित भानना चाहिए। दो, तीन यावत् संख्यात्, असंख्यात्, अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम हैं।

यहाँ सदृश का अर्थ है स्तिरग्रह के साथ या रूक्ष के रूक्ष के साथ वस्थ होना और विसदृश का अर्थ है स्तिरग्रह का रूक्ष के साथ वस्थ होना। एक अंश जघन्य है और उससे एक अधिक अर्थात् दो अंश एकाधिक हैं। दो अंश अधिक हो तब द्विधिक और तीन अंश अधिक हों तब अधिक। इसी तरह चार अंश अधिक होने पर चतुरधिक यावत् अनन्तानन्त-अधिक कहलाता है। सम अर्थात् समस्थाय। दोनों और अशो की संख्या समान हो तब वह सम है। दो अंश जघन्येतर का सम जघन्येतर दो अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का एकाधिक जघन्येतर तीन अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का द्विधिक जघन्येतर चार अंश हैं, दो अंश जघन्येतर का अधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चतुरधिक जघन्येतर छ अंश हैं। इसी प्रकार तीन आदि से अनन्ताश जघन्येतर तक के सम, एकाधिक, द्विधिक और अधिक जघन्येतर होते हैं। ३३-३५।

#### परिणाम का स्वरूप

बन्धे समाधिकी पारिणामिकी<sup>१</sup>। ३६।

बन्ध के समय सम और अधिक गुण, सम तथा हीन गुण के परिणामन करानेवाले होते हैं।

<sup>१</sup> दिगंबर परापरा में 'बन्धेऽधिकी पारिणामिकी च' मुश्पाठ है। उद्गुप्तार एक नम का दूनर नम की अपने स्वरूप में मिलाना शृंग नहीं है। केवल अधिक का हीन को अपने स्वरूप में मिला जैन ही शृंग है।

**प्रश्न**—बन्ध के विवि और निषेध का बर्णन तो हुआ, किन्तु जिन सदृश परमाणुओं का या विसदृश परमाणुओं का बन्ध होता है उनमें कीन किसको परिणत करता है ?

**उत्तर**—समाधि इथल में सदृश बन्ध तो होता ही नहीं, विसदृश होता है, जैसे दो अंश स्तिरण का दो अंश रूप के साथ या तीन अंश स्तिरण का तीन अंश रूप के साथ । ऐसे स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को अपने रूप में परिणत कर लेता है अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अमुसार कभी स्तिरणस्त्र रूपत्व को स्तिरणस्त्र में बदल देता है और कभी रूपत्व स्तिरणस्त्र को रूपत्व में बदल देता है । परंतु अधिकांश स्थल में अधिकांश ही हीनोश की अपने स्वरूप में बदल सकता है, जैसे पैचांश स्तिरणस्त्र तीन अंश स्तिरणस्त्र की अपने रूप में परिणत करता है अर्थात् तीन अंश स्तिरणस्त्र भी पाँच अंश स्तिरणस्त्र के सम्बन्ध से पाँच अंश परिणाम हो जाता है । इसी प्रकार पाँच अंश स्तिरणस्त्र तीन अंश रूपत्व को भी स्व-स्वरूप में मिला लेता है अर्थात् रूपत्व स्तिरणस्त्र में बदल जाता है । रूपत्व अधिक हो तो वह अपने से कम स्तिरणस्त्र को अपने रूप का बना लेता है । ३६ ।

### द्रव्य का लक्षण

### गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । ३७ ।

**द्रव्य गुण-पर्यायवाला है ।**

द्रव्य का उल्लेख पहले अनेक बार आया है, इसलिए उसका लक्षण यहाँ बतलाया गया है ।

जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य है । प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामी स्वभाव के कारण समय-समय में निमित्तानुसार भिन्न-भिन्न रूप में परिणत होता रहता है अर्थात् विविध परिणामों को प्राप्त करता रहता है । द्रव्य में परिणाम-जनन को शक्ति ही उसका गुण है और गुणजन्य परिणाम पर्याय है । गुण कारण है और पर्याय कार्य । एक द्रव्य में शक्ति-रूप अनन्त गुण होते हैं जो वस्तुतः अश्यमूल द्रव्य से या परस्पर में अविभाज्य है । प्रत्येक गुण-शक्ति के भिन्न-भिन्न समयों में होनेवाले त्रैकालिक पर्याय अनन्त हैं । द्रव्य और उसकी अंशमूल शक्तियाँ उत्पन्न तथा विनष्ट न होने से नित्य अर्थात् अनादि-अनन्त हैं, परन्तु सभी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होते रहने से व्यक्तिशः । अनित्य अर्थात् सादि-सान्त है, और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है । कारणमूल एक शक्ति के द्वारा द्रव्य में होनेवाला त्रैकालिक पर्याय-प्रवाह भी सजातीय है । द्रव्य में अनन्त शक्तियों से तज्जन्य अनन्त पर्याय-प्रवाह भी एक साथ चलते रहते हैं । भिन्न-

भिन्न शक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में होते हैं, परन्तु एक शक्तिजन्य भिन्न-भिन्न समयभावी सजातीय पर्याय एक द्रव्य में एक समय में नहीं होते।

आत्मा और पुद्गल द्रव्य हैं, क्योंकि उनमें क्रमशः चेतना आदि तथा रूप आदि अनन्त गुण हैं और ज्ञान-दर्शनरूप विविध उपयोग आदि तथा नील, पीत आदि विविध अनन्त पर्याय हैं। आत्मा चेतनाशक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न उपयोगरूप में और पुद्गल रूपशक्ति द्वारा भिन्न भिन्न नील, पीत आदि के रूप में परिणत होता रहता है। चेतनाशक्ति आत्म द्रव्य से और आत्मगत अन्य शक्तियों से अलग नहीं की जा सकती। इसी प्रकार रूपशक्ति पुद्गल द्रव्य से तथा पुद्गलगत अन्य शक्तियों से पृथक् नहीं हो सकती। ज्ञान, दर्शन आदि भिन्न-भिन्न समयबर्ती विविध उपयोगों के शैकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतना-शक्ति है और उस शक्ति का कार्यभूत पर्याय-प्रवाह उपयोगात्मक है। पुद्गल में भी कारणभूत रूपशक्ति और नील, पीत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उस एक शक्ति का कार्य है। आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय-प्रवाह की तरह सुख-दुःख चेतनात्मक पर्याय-प्रवाह, प्रवृत्त्यात्मक पर्याय-प्रवाह आदि अनन्त पर्याय-प्रवाह एक साथ चलते हैं। इसलिए उसमें चेतना की भाँति उस-उस सजातीय पर्याय-प्रवाह की कारणभूत आत्म, बीर्य आदि एक-एक शक्ति के मानने से अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार पुद्गल में भी रूपपर्याय-प्रवाह की भाँति गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त पर्याय-प्रवाह सतत चलते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्ति के मानने से उसमें रूपशक्ति की भाँति गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। आत्मा में चेतना, आत्म, बीर्य आदि शक्तियों के भिन्न-भिन्न विविध पर्याय एक समय में हो सकते हैं परन्तु एक चेतनाशक्ति या एक आत्मशक्तिके विविध उपयोग पर्याय या विविध चेतना पर्याय एक समय में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक शक्तिका एक समय में एक ही पर्याय अवक्त होता है। इसी प्रकार पुद्गल में भी रूप, गन्ध आदि भिन्न-भिन्न शक्तियों के भिन्न-भिन्न पर्याय एक समय में होते हैं परन्तु एक रूपशक्ति के नील, पीत आदि विविध पर्याय एक समय में नहीं होते। जिस प्रकार आत्मा और पुद्गल द्रव्य नित्य हैं उसी प्रकार उनकी चेतना आदि तथा रूप आदि शक्तियाँ भी नित्य हैं। चेतनावन्य उपयोग-पर्याय या रूपशक्ति-जन्य नील-पीतपर्याय नित्य नहीं है, किन्तु सदैव उत्पत्तिनविनाशशील होने से इकाई के रूप में अनित्य हैं और उपयोग-पर्याय-प्रवाह वया रूप-पर्याय-प्रवाह शैकालिक क्षेत्र से नित्य है।

अनन्त गुणों का असंद समुदाय ही द्रव्य है, तथापि आत्मा के चेतना, आत्म

चारित्र, वीर्य आदि परिमित गुण ही साधारणबुद्धि छधस्थ की कल्पना में आते हैं, सब गुण नहीं। इसी प्रकार पुद्गल के भी रूप-रस-गन्ध-स्पर्श आदि कुछ ही गुण कल्पना में आते हैं, सब गुण नहीं। कारण यह है कि आत्मा या पुद्गल द्रव्य के समस्त पर्यायप्रवाहों को जानना विशिष्ट ज्ञान के विना सम्भव नहीं। जो-जो पर्याय-प्रवाह साधारणबुद्धिगम्य है उनके कारणभूत गुणों का अवश्यहार किया जाता है, इसलिए वे गुण विकल्प्य हैं। आत्मा के चेतना, आनन्द, चारित्र, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात् विचार व वाणी के गोचर हैं और पुद्गल के रूप आदि गुण विकल्प्य हैं। शेष सब अविकल्प्य हैं जो केवल-ज्ञानगम्य ही हैं।

त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायों के एक-एक प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्ति ( गुण ) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है, यह कथन भी भेद-सापेक्ष है। अभेदद्वयि से पर्याय अपने-अपने कारणभूत गुणस्वरूप और गुण द्रव्य-स्वरूप होने से द्रव्य गुणपर्यायात्मक ही कहा जाता है।

द्रव्य में सब गुण समान नहीं हैं। कुछ साधारण होते हैं अर्थात् सब द्रव्यों में पाये जाते हैं, जैसे अस्तित्व, प्रदेशत्व, जीवत्व आदि और कुछ जसाधारण होते हैं अर्थात् एक-एक द्रव्य में पाये जाते हैं जैसे चेतना, रूप आदि। असाधारण गुण और तजञ्ज्ञ पर्याय के कारण ही प्रत्येक द्रव्य एक-दूसरे से मिश्र है।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रव्यों के गुण तथा पर्यायों का विचार भी इसी प्रकार करना चाहिए। यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि पुद्गल द्रव्य मूर्त है, अत उसके गुण तथा पर्याय गुरु-लघु कहे जाते हैं। परन्तु शेष सब द्रव्य अमूर्त हैं अत उनके गुण और पर्याय अगुरुलघु कहे जाते हैं। ३७।

काल तथा उसके पर्याय

कालश्चेत्येके । ३८।

सोऽनन्तसमयः । ३९।

कोई आचार्य काल को भी द्रव्य कहते हैं।

वह अनन्त समयवाला है।

१. द्विग्म्बर परम्परा में 'कालश्च' सूत्रपाठ है। तदनुसार वहाँ काल को स्वतन्त्र द्रव्य माना गया है। वहाँ प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत-परक न मानकर सिद्धान्तस्त्रप से ही काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने का सूत्रकार का तात्पर्य बतालाया गया है। जो काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते और जो मानते हैं वे सब अपने-अपने मन्तव्य की पुष्टि किस प्रकार करते हैं, काल का स्वरूप कैसा बताता है, इसमें और भी कितने भत्तेद ई इत्यादि वातों को विशेष रूप से जानने के लिए देते—हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ, काल-विषयक परिशिष्ट, पृष्ठ १५७।

महसुके काल के वर्तना-आदि अनेक पर्याय कहे गए हैं, परन्तु घर्मस्तिकाय आदि की भाँति उसमें द्रव्यत्व का विवान नहीं किया गया।<sup>१</sup> इसलिए-प्रकल चलता है कि क्या पहले विवान न करने से काल द्रव्य नहीं है? अथवा वर्तना आदि-पर्यायों का वर्णन करने से-काल की गणना द्रव्य में हो जाती है? इन प्रकलों का उत्तर यहाँ दिया जाएगा है।

सूक्षकार कहते हैं कि कोई आचार्य काल को द्रव्य मानते हैं। सूक्षकार का सत्तर्प्य यह-प्रतीत होता है कि काल का स्वरूप्त्र द्रव्यत्व सर्वसम्मत नहीं है।

काल को स्वरूप्त्र द्रव्य-आकर्षेवाले आचार्य के भत्‌जा निराकरण सूक्षकार ने नहीं किया, उसका उल्लेखमाद कर दिया है। यहाँ-सूक्षकार कहते हैं कि काल अनन्त पर्यायवाला है। काल के वर्तना आदि पर्यायों का कथन तो पहले ही चुका है। समयरूप-पर्याय भी काल के ही हैं। वर्तमानकालीन समयपर्याय तो एक ही होता है, परन्तु अतीत, अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं। इसीलिए काल को अनन्त समयवाला कहा गया है। ३८-९।

### गुण का स्वरूप

**द्रव्याश्रया निरुणं गुणाः । ४० ।**

जो द्रव्य में सदा रहनेवाले और गुणरहित हैं वे गुण हैं।

द्रव्य के लक्षण-में गुण का कथन आ गया है,<sup>२</sup> इसलिए यहाँ उसका स्वरूप बताया जा रहा है।

पर्याय भी द्रव्य के-ही आश्रित-और निरुण है फिर भी उल्लाद-विनाशशील होने से द्रव्य में सदा नहीं-रहते, पर गुण तो नित्य होने से सदा द्रव्याश्रित होते हैं। गुण अवैर-पर्याय में यही अन्तर है।

द्रव्य में यदा वर्तमान शक्तियाँ ही गुण हैं, जो पर्याय की जनक भाँती जाती हैं। उन गुणों में पुन गुणान्तर या शक्त्यन्तर भानने से अनवस्था दोष आता है, इसलिए द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण निरुण ही माने गए हैं। अत्मा के गुण चेतना, सम्यक्त्व, चारिप्र, आनन्द, दीर्घ आदि कीर-पुद्गल के मुण रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि हैं।

### परिणाम-का-स्वरूप

**क्रान्तादः परिणामः । ४१ ।**

उसका होना अर्थात् स्वरूप में स्थित रहते हुए उत्पन्न तथा नष्ट होना परिणाम है।

१. देखें—अ० ५, सू० ३३।

२. देखें—अ० ५, सू० ३७।

'पहले कई स्थलों पर परिणाम का भी कथन आ चुका है।' अत. यहाँ उसका स्वरूप दर्शाया जा रहा है।

बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तुमात्र सत्त्वस्थायी और निरन्वयविनाशी है। इसके अनुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्न होकर सर्वेषा नष्ट हो जाना अर्थात् नाश के बाद किसी तत्त्व का स्थित न रहना फलित होता है। नैयायिक आदि भैदवादी दर्शनों के अनुसार—जो कि गुण और द्रव्य का एकान्त भेद मानते हैं—‘सर्वेषा अविकृत द्रव्य में गुणों का उत्पन्न तथा नष्ट होना’ परिणाम का अर्थ फलित होता है। इन दोनों भौतों से भिन्न परिणाम के स्वरूप के सम्बन्ध में जैन दर्शन का मन्तव्यभेद ही इस सूत्र में दर्शाया गया है।

कोई द्रव्य अथवा गुण सर्वेषा अविकृत नहीं होता। विकृत अर्थात् अवस्थान्तरों को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य अथवा गुण अपनी मूँड जाति (स्वभाव) का त्याग नहीं करता। सारांश यह है कि द्रव्य या गुण अपनी-अपनी जाति का त्याग किये बिना प्रतिसमय निरानुसार, भिन्न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होते रहते हैं। यही द्रव्यों तथा गुणों का परिणाम है।

आत्मा मनुष्य के रूप में हो या पशु-पक्षी के रूप में, चाहे जिन अवस्थाओं में रहने पर भी उसमें आत्मत्व बना रहता है। इसी प्रकार ज्ञानरूप साकार उपयोग ही या दर्शनरूप निराकार उपयोग, घट-विषयक ज्ञान हो या पट-विषयक, सब उपयोग-पर्यायों में चेतना बनी ही रहती है। चाहे दृष्टणुक अवस्था ही या अणुक आदि, पर उन अनेक अवस्थाओं में भी पुद्गल अपने पुद्गलपन को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शुच्ल रूप बदलकर कृष्ण हो, या कृष्ण बदलकर पीत हो, उन विविध वर्णपर्यायों में रूपत्व-स्वभाव स्थित रहता है। यही बात प्रत्येक द्रव्य और उसके प्रत्येक गुण के विषय में है। ४१।

### परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग

अनादिरादिमान् । ४२ ।

रूपिष्वादिमान् । ४३ ।

योगोपयोगो जीवेषु । ४४ ।

वह अनादि और आदिमात् दो प्रकार का है।

रूपी अर्थात् पुद्गलों में आदिमान् है।

जीवों में योग और उपयोग आदिमान् हैं।

जिसके काल की पूर्वकोटि ज्ञात न हो सके वह अनादि तथा जिसके काल की पूर्वकोटि ज्ञात हो सके वह आदिमान् है। अनादि और आदिमान् शब्द का सामान्य रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध उक्त अर्थ मान लेने पर द्विविष परिणाम के आश्रय का विचार करते समय यहीं सिद्धान्त स्थिर होता है कि रूपी या अरूपी सभी द्रव्यों में अनादि और आदिमान् दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं। प्रवाह की अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदिमान् परिणाम सबमें समान रूप से घटित किया जा सकता है। ऐसा होने पर भी प्रस्तुत सूत्रों में तथा इनके भाष्य में भी उक्त अर्थ सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया क्यों नहीं निरूपित किया गया ? यह प्रश्न वृत्तिकार ने भाष्य की बृत्ति में उठाया है और उन्त में स्वीकार किया है कि वस्तुत सब द्रव्यों में अनादि तथा आदिमान् दोनों परिणाम होते हैं।

सदर्थसिद्धि आदि विगम्बर व्याख्या-ग्रन्थों में तो सब द्रव्यों में दोनों प्रकार के परिणाम होने का स्पष्ट निरूपण है और इसका समर्थन भी किया है कि द्रव्य-सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय-विशेष की अपेक्षा से आदिमान् परिणाम होता है।

दिगम्बर व्याख्याकारों ने ४२ से ४४ तक के तीन सूत्र मूलपाठ में न रखकर 'सङ्काव परिणाम' सूत्र की व्याख्या में ही परिणाम के भेद और उनके आश्रय का कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्ट रूप में किया है। इससे ज्ञात होता है कि उनको भी परिणाम के आश्रयविभागपरक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य में अर्थत्रुटि अथवा अस्पष्टता अवश्य प्रतीत हुई होगी। इसीलिए उन्होंने अपूर्णार्थिक सूत्रों को पूर्ण करते की अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतन्त्र रूप से कहना ही उचित समझा।

: ६ :

## आस्त्रब

‘जीव और’ अलौव का निरूपण समाप्त कर अब, इस अध्याय में ‘आस्त्रब का निरूपण किया जाता है।

योग अर्थात् आस्त्रब का स्वरूप

कायवाहृभेनःकर्म योगः । १ ।  
स आस्त्रबः । २ ।

काय, वचन और मन की क्रिया योग है।

वही आस्त्रब है अर्थात् कर्म का सम्बन्ध करानेवाला है।

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुद्गलों के आलम्बन से होनेवाले आत्मप्रदेशों के परिस्पन्द (‘काम्पनंश्यापार’) को योग कहते हैं। आलम्बनभेद से हसके तीन भेद हैं—काययोग, वचनयोग और मनीयोग। १. काययोग—ओदारि-कादि शरीर-वर्गण के पुद्गलों के आँखस्बन से प्रवर्तेमान योग; २. वचनयोग—मतिज्ञानावरण, अकार-शुतावरण आदि कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न आन्तरिक वाग्लब्धि होने पर भाषावर्गण के आलम्बन से भाषा-परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेश-परिस्पन्द, ३. मनोयोग—नोहन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशमरूप आन्तरिक मनोलब्धि होने पर मनोवर्गण के अवलम्बन से मन परिणाम के अभिमुख आत्मा का प्रदेशकम्पन।

उक्त तीनों प्रकार के योग को ही आस्त्रब कहते हैं, क्योंकि योग के द्वारा ही आत्मा में कर्मवर्गण का आस्त्रबण (कर्मरूप से सम्बन्ध) होता है। जैसे जलाशय में जल को प्रवेश करानेवाले नाले आदि का मुख आस्त्रब अर्थात् वहन का निमित्त होने से आस्त्रब कहा जाता है, वैसे ही कर्मालब का निमित्त होने से योग को आस्त्रब कहते हैं। १-२ ।

## योग के भेद और उनका कार्यभेद

शुभः पुण्यस्य । ३ ।

अशुभः पापस्य । ४ ।

शुभ योग पुण्य का आकृत्व ( बन्धहेतु ) है ।

अशुभ-योग पाप का आकृत्व है ।

काययोग-आदि दीनों योग शुभ भी हैं और अशुभ भी ।

योग के शुभत्व और अशुभत्व का आधार भावना की शुभाशुभता है । शुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग शुभ और अशुभ उद्देश्य से प्रवृत्त योग अशुभ है । कार्य—कर्मबन्ध की शुभाशुभता—पर योग की शुभाशुभता अवलम्बित, नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही हो जायेगे, कोई योग शुभ न रह जायेगा, जब कि शुभ योग भी आठवें आदि गुणस्थानों<sup>१</sup> में अशुभ ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के बन्ध का कारण होता है ।

हिंसा, चोरी, अद्वाह आदि कायिक व्यापार अशुभ काययोग और दया, दान, नहाचर्यपालन आदि शुभ काययोग है । सत्य किन्तु सावद्य भाषण, मिथ्या भाषण, कठोर भाषण आदि अशुभ वाय्योग और निरवद्य सत्य भाषण, मुद्द तथा सम्य आदि भाषण शुभ वाय्योग है । दूसरों की बुराई का तथा उनके बद्ध आदि का चिन्तन करना अशुभ मनोयोग और दूसरों की भलाई का चिन्तन आदि करना तथा उनके उत्कर्ष से प्रसन्न होना शुभ मनोयोग है ।

शुभ-योग का कार्य पुण्यप्रकृति का बन्ध और अशुभ-योग का कार्य पाप-प्रकृति का बन्ध है । प्रस्तुत सूत्रों का यह विवान आपेक्षिक है, क्योंकि संक्लेश ( कपाय ) की मन्दता के समय होनेवाला योग शुभ और संक्लेश की दीनता के समय होनेवाला योग अशुभ है । जैसे अशुभ योग के समय प्रथम आदि गुण-स्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी पुण्य-पाप प्रकृतियों का यथासम्बन्ध बन्ध होता

<sup>१</sup>. सूत्र ३ व ४ के स्थान पर 'शुभ पुण्यस्थानशुभं पापस्य' यह एक ही सूत्र दिग्नम्बर ग्रन्थों में सूत्र ३ के रूप में है । परंतु राजवार्तिक में 'ततः सूत्रद्यमनवैकस्' उल्लेख प्रस्तुत सूत्रों की चर्चा में निलिपा है । देखें—पृष्ठ २४८ वार्तिक ७ की टीका । इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि व्याख्याकारी ने दोनों सूत्र साथ लिखकर उन पर एक साथ ही व्याख्या की होगी और लिपिकारों या प्रकाशकों ने एक साथ सूत्र-पाठ और व्याख्या देखकर दोनों सूत्रों को अलग-अलग न मानकर एक ही सूत्र समझ लिया होगा और एक ही व्याख्या लिप्त दी होगी ।

<sup>२</sup>. इसके लिए देखें—हिंदू चौथा कर्मग्रन्थ, गुणस्थानों में बन्धविवार तथा हिंदू दूसरा कर्मग्रन्थ ।

ही, वैरे ही छठे आदि गुणस्थानों में शुभ योग के समय भी सभी पुण्य-वाय प्रकृतियों का यथासम्बव बन्ध होता है। फिर शुभयोग का पुण्य-बन्ध के कारणरूप में और अशुभयोग का पाप-बन्ध के कारणरूप में अलग-अलग विधान कैसे संगत हो सकता है? इसलिए प्रत्युत विधान मुख्यतया अनुभागबन्ध की अपेक्षा से है। शुभयोग की तीव्रता के समय पुण्य-प्रकृतियों के अनुभाग ( रस ) की मात्रा अधिक और पाप-प्रकृतियों के 'अनुभाग की मात्रा अल्प निष्पत्ति होती है। इससे उलटे अशुभयोग की तीव्रता के समय पाप-प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक और पुण्य-प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अधिक मात्रा तथा अशुभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा है, उसे प्रधान मानकर सूत्रों में अनुक्रम से शुभयोग का पुण्य का और अशुभयोग को पाप का कारण कहा गया है। शुभयोगजन्य पापानुभाग की अल्प मात्रा और अशुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अल्प मात्रा विवक्षित नहीं है, वयोंकि लोक की भाँति शास्त्र में भी प्रधानतापूर्वक व्यवहार का विधान प्रसिद्ध है।<sup>१</sup> ३-४।

### स्वामिभेद से योग का फलभेद

**सकाषायाकषाययोः साम्परायिकेर्यापिथयोः । १ ।**

कषायसहित और कपायरहित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्परायिक कर्म और ईर्यापिथ कर्म का बन्धहेतु ( आस्त्र ) होता है।

जिनमें क्रोध-लोभ आदि कपायों का उदय हो वे कपायसहित हैं और जिनमें न हो वे कपायरहित हैं। पहले से दसवें गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक प्रमाण में सकाय होते हैं और ग्यारहवें तथा आगे के गुणस्थानवर्ती अक्षाय होते हैं।

आत्मा का पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता है। जैसे गीले चमड़े के ऊपर हवा द्वारा पड़ी हुई रज उससे चिपक जाती है, वैसे ही योग हवारा आकृष्ट होनेवाला जो कर्म क्षायोदय के कारण आत्मा के साथ सम्बद्ध होकर स्थिति पा लेता है वह साम्परायिक कर्म है। सूखी दीवाल के ऊपर लगे हुए लकड़ी के गोले की तरह योग से आकृष्ट जो कर्म क्षायोदय न होने से आत्मा के साथ लगकर तुरन्त ही छूट जाता है वह ईर्यापिथ कर्म कहलाता है। ईर्यापिथ कर्म की स्थिति केवल एक समय की मानी गई है।

१. 'प्राभान्येन व्यपदेशा भवन्ति' का न्याय। जैसे जहाँ नाशणों की प्रधानता हो या उनकी संख्या अधिक हो वहाँ जन्य वर्ण के लागों के होने पर भी वह गाँव नाशणों का कहलाता है।

कपायोदयवाली आत्माएँ काययोग आदि तीन प्रकार के शुभ अशुभ योग से जो कर्म वांछती है वह साम्परायिक अर्थात् कपाय की तीव्रता या मन्दता के अनुसार अधिक या अल्प स्थितिवाला होता है और यथासम्बद्ध शुभाशुभ विपाक का कारण भी । परन्तु कपायमुक्त आत्माएँ तीनों प्रकार के योग से जो कर्म वांछती हैं वह कपाय के अभाव के कारण न सो विपाकजनक होता है और न एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करता है । एक समय की स्थितिवाले इस कर्म को ईर्यापिण्डि कहने का कारण यह है कि वह कर्म कषाय के अभाव में केवल ईर्या (गमनागमनादि किया) के पथ द्वारा ही वांचा जाता है । सारांश यह है कि तीनों प्रकार का योग समान होने पर भी कपाय न हो तो उपर्जित कर्म में स्थिति या रस का बन्ध नहीं होता । स्थिति और रस दोनों के बन्ध का कारण कपाय ही है । अतएव कपाय ही संसार की मूल जड़ है । ५ ।

### साम्परायिक कर्मसिद्धि के भेद

**अन्नतकषायेन्द्रियक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविशितसंख्याः पूर्वस्य भेदाः । ६ ।**

पूर्व के अर्थात् साम्परायिक कर्मसिद्धि के अन्नत, कषाय, इन्द्रिय और क्रियारूप भेद हैं जिनकी संख्या क्रमशः पाँच, चार, पाँच और पच्चीस हैं ।

जिन हेतुओं से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है वे साम्परायिक कर्म के आनन्द हैं । ऐसे आनन्द सकपाय जीवों में ही होते हैं । प्रस्तुत सूत्र में साम्परायिक कर्मसिद्धि के भेदों का ही कथन है, क्योंकि वे कपायमूलक हैं ।

हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नहा और परिश्रह ये पाँच अन्नत हैं, जिनका निरूपण सातवें अध्याय के सूत्र ८ से १२ तक में है । क्रोध, मान, माया और सोश ये चार कपाय हैं, जिनका विशेष स्वरूप अध्याय ८, सूत्र १० में वर्णित है । स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियों का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० में हो चुका है । यहां इन्द्रिय का अर्थ राग-द्वेषयुक्त प्रवृत्ति है, क्योंकि स्वरूप मात्र से कोई इन्द्रिय कर्मबन्ध का कारण नहीं होती और न इन्द्रियों की राग-द्वेषप्रहृति प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का कारण होती है ।

- पच्चीस क्रियारूपों के नाम और संख्या—१. सम्बक्त्वक्रिया—देव, गुरु व शास्त्र की पूजाप्रतिपत्तिरूप होने से सम्बक्त्व पोषक, २. मिथ्यात्वक्रिया—मिथ्यात्व-मोहनीय कर्म से होनेवाली सराग देव की स्तुति-उपासना आदिरूप, ३. प्रयोगक्रिया—शारीर आदि द्वारा जाने-आने आदि में कपाययुक्त प्रवृत्ति, ४. समादानक्रिया—त्यागी होते हुए भोगवृत्ति की ओर क्षुकाव, ५. ईर्यापिण्डिक्रिया—एक सामरियिक कर्म के बन्धन या वेदन की कारणमूल क्रिया ।

१. कायिकी क्रिया—दुष्टभाव से युक्त होकर प्रयत्न करना अर्थात् किसी काम के लिए तत्पर होना, २. आधिकरणीकी क्रिया—हिंसाकारी साधनों को ग्रहण करना, ३. प्रादेविकी क्रिया—ज्ञोध के आवेदा से होनेवाली क्रिया, ४. पारिता-पनिकी क्रिया—प्राणियों को सतानेवाली क्रिया; ५' प्राणातिपातिकी क्रिया—प्राणियों को प्राणों<sup>१</sup> से वियुक्त करने की क्रिया ।

१. दर्शन क्रिया—रागवश रमणीय रूप को देखने की वृत्ति, २. स्पर्शन क्रिया—प्रमादवश स्पर्श करने योग्य वस्तुओं के स्पर्षानुभव की वृत्ति, ३. प्रात्य-ग्रिकी क्रिया—नये शस्त्रों का निर्माण, ४. समन्तानुपातन क्रिया—स्त्री, पुरुष और पशुओं के जाने-आने की जगह पर मल-मूत्र आदि द्वागना, ५. अनामोग क्रिया—जिस जगह का अवलोकन और प्रमार्जन नहीं किया गया है वहाँ धारीर आदि रखना ।

१. स्वहस्त क्रिया—दूसरे के करने की क्रिया को स्वर्यं कर लेना, २. निस-<sup>२</sup> क्रिया—पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुभवि देना, ३ विदार क्रिया—दूसरे के किये गए पापकार्य को प्रकट करना, ४. आज्ञाव्यापादिकी क्रिया—प्रत वालन करने की शक्ति के अभाव में शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्रारूपण करना, ५. अनवकाश क्रिया—धूर्तता और आलस्य से शास्त्रोक्त विधि का अनादर करना ।

१. आरम्भ क्रिया—काटने-भीटने और 'घात करने में स्वयं रत रहना' और अन्य लोगों में वैसी प्रवृत्ति देखकर प्रसन्न होना; २. पात्रियहिकी क्रिया—परिग्रह का नाश न होने के लिए की जानेवाली क्रिया, ३. माया क्रिया—क्षान, दर्शन आदि के विषय में दूसरों को ठगना, ४. मिथ्यादर्शन क्रिया—मिथ्यादृष्टि के अनुकूल प्रवृत्ति करने-करने-में निरत मनुष्य को 'तू छीक करता हूँ' इत्यादि-रूप में प्रशंसा आदि द्वारा मिथ्यात्मा में दृढ़ करना, ५. अप्रत्याश्यान क्रिया—संयम-धार्तकर्म के प्रभाव के कारण धापव्यापार से निवृत न होना ।

पांच-पांच क्रियाओं के उक्त पांच पद्धतों में से केवल ईर्यापिधिकी क्रियां साम्परायिक कर्म के आस्तव वी कारण नहीं हैं, ऐप सब क्रियाएं कथावप्रेरित होने के कारण साम्परायिक कर्म के बन्ध की कारण हैं। यहाँ उक्त सब क्रियाओं का निर्देश साम्परायिक क्यत्तिवद-वाहूल्य की दृष्टि से क्रिया गमा है। यद्यपि अन्नत, इन्द्रियप्रवृत्ति और उक्त क्रियाओं की बन्धकारणता रागद्वेष पर अवलम्बित है, इसलिए वस्तुतः रागद्वेष—कथाय ही साम्परायिक कर्म-का बन्धकारण है; तथापि कथाय से अलग अन्नत आदि का बन्धकारणरूप से कथन सूत्र में इसकिस-है कि कथायप्रबन्ध-क्रीय-

<sup>१</sup>. पांचशैद्विवर्ण, मन-वेचन-कथा ये तीन वृक्ष, उच्छ्वासन-स्वास 'और आसु' के दस प्राण हैं।

कौन सी प्रवृत्ति अवश्यार में भूक्षणया- दिसाई सही है और संवर के अग्निलाक्ष को कौन-कौन सी प्रवृत्ति देखने की ओर ध्यान देना चाहिए । ६ ।

बन्ध का कारण समाज होने पर भी परिणाम-मेद से कर्मवन्ध में विशेषता

तीव्रमन्दकातात्त्वातभाववीर्यादिकरणविशेषम्यस्तद्विशेषः । ७ ।

तीव्रभाव, मन्दभाव, जातभाव, अजातभाव, वीर्य और अधिकरण के मेद से उसको ( कर्मवन्ध की ) विशेषता होती है ।

प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्बन्धक्रिया आदि-उत्तर-आक्रम ( बन्ध-कारण ) समाज-होने पर भी सञ्जन्य-कर्मवन्ध में किस-किस कारण से विशेषता होती है यही इस सूत्र में प्रतिपादित है ।

बाह्य-बन्धकारण समाज-होने पर भी परिणाम की तीव्रता और मन्दता के कारण कर्मवन्ध गिन्न-भिन्न प्रकार का होता है । जैसे एक ही दृश्य के दो दर्शकों में से एक आसक्तिवाले की अपेक्षा तीव्र आसक्तिवाला कर्म का तीव्र बन्ध ही करता है । इच्छापूर्वक प्रवृत्ति करने जातभाव है और विना डब्डा के कृत्य का ही जाना अजातभाव है । जातभाव और अजातभाव में बाह्य व्यापार समाज होने पर भी कर्मवन्ध में अन्तर पड़ता है । जैसे एक व्याकृत हरिण को हरिण समझकर बाण से बोध ढालता है और दूसरा निशाना साधता तो है किसी निर्जीव पदार्थ पर किन्तु भूल से हरिण विष जाता है । भूल से गरनेवाले की अपेक्षा समझ-पूर्वक गरनेवाले का कर्मवन्ध उत्कट होता है । वीर्य ( वृक्षिविशेष ) भी कर्म-वन्ध की विविहता का कारण होता है । जैसे दान, सेवा आदि शुभ कार्य हो या हिंसा, चोरी आदि अशुभ कार्य, सभी शुभाशुभ कार्य वलवान्-मनुष्य जिस, सहजता और उत्साह से कर सकता है, निर्बल मनुष्य वही कार्य दृढ़ी वृक्षिवादि से कर पाता है, हस्तिपृष्ठ-वलवान् की अपेक्षा निर्वल-का-शुभाशुभ कर्मवन्ध मन्द होता है ।

जीवादीवरूप अधिकरण के अनेक मेद हैं । उनकी विशेषता से भी कर्मवन्ध में विशेषता आती है । जैसे हत्या, चोरी आदि अशुभ और पर-रक्षण आदि शुभ कार्य करनेवाले दो मनुष्यों में से एक के पास अधिकरण ( शस्त्र ) उथ हो और दूसरे के पास साधारण हों तो समान्य-शस्त्रधारी की अपेक्षा उपर शस्त्रधारी का कर्मवन्ध तीव्र-होना समय है, क्योंकि उपर शस्त्र के सम्भिज्ञन से उसमें एक प्रकार का तीव्र आवेद उत्पन्न है ।

बाह्य असत्य से समानता होने पर भी कर्मवन्ध में असमानता के कारण-हैं-से सूध में त्रैमंडु अस्तिकरस-ग्राहिते विशेषता का कल्पन किया गया है । किंतु

भी कर्मवन्ध की विशेषता का विशेष निमित्त कापायिक परिणाम का तीव्र-मन्द भाव ही है । परन्तु सज्जानप्रवृत्ति और अक्षि की विशेषता कर्मवन्ध की विशेषता की कारण कापायिक परिणाम की विशेषता के द्वारा ही होती है । इसी प्रकार कर्मवन्ध की विशेषता में जस्ते को विशेषता के निमित्तभाव का कथन भी कापायिक परिणाम की तीव्र-मन्दता के अनुसार ही है । ७ ।

### अधिकरण के भेद

**अधिकरणं जीवाजौदाः । ८ ।**

**आद्यं संरम्भसमारम्भयोगकृतकारितानुभूतकषाय-  
विशेदैखिकिखिश्चतुर्थैकशः । ९ ।**

**निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् । १० ।**

अधिकरण जीव और अजीवहृष्प है ।

आद्य अर्थात् जीव-अधिकरण क्रमशः संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ के रूप में तीन प्रकार का, योगहृष्प में तीन प्रकार का, कृत कारित, अनुभूत के रूप में तीन प्रकार का और कषाय हृष्प में चार प्रकार का है ।

पर अर्थात् अजीवाधिकरण निर्वर्तना, निक्षेप, सयोग और निसर्ग के अनुक्रम से दो, चार, दो और तीन भेदहृष्प हैं ।

शुभ-अशुभ सभी कार्य जीव और अजीव से ही निद छोते हैं । अकेला जीव या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जीव और अजीव दोनों अधिकरण हैं अर्थात् कर्मवन्ध के साधन, उपकरण या जस्ते हैं । दोनों अधिकरण द्वच्य-भाव हृष्प में दो दो प्रकार के हैं । जीव अक्षि या अजीव वस्तु द्वच्याधिकरण हैं और जीवगत क्याय आदि परिणाम तथा छुरी आदि निर्जीव वस्तु भी तीक्ष्णता-रूप अक्षि आदि भावाधिकरण हैं । ८ ।

समानी जीव शुन या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सौ आठ अवस्थाओं में से किसी-न-किसी अवस्था में अवश्य रहता है । इसलिए वे अवस्थाएँ भावाधिकरण हैं, जैसे क्रोधकृत कायसरम्भ, मानकृत कायसंरम्भ, मायाकृत कायसरम्भ, लोभकृत कायसंरम्भ यं चार । इसी प्रकार कृत पद के स्थान पर कारित तथा अनुभूत पद लगाने में क्रोधकारित कायसंरम्भ आदि चार तथा क्रोध-अनुभूत कायसरम्भ आदि चार—कुल बाह्र भेद होते हैं । इसी प्रकार काय के स्थान पर वचन और मन पद लगाने पर दोनों के बारह-बारह भेद होते हैं, जैसे क्रोधकृत वचनसंरम्भ आदि तथा क्रोधकृत मन सरम्भ आदि । तीनों के इन छत्तीस श्रेणीयों में

सरम्भ पद के स्थान पर समारम्भ और आरम्भ पद लगाने ने छत्तीस-छत्तीस भेद और जुड़ जाने हैं। कुल मिलाकर ये १०८ भेद होते हैं।

हिंसा आदि कार्यों के लिए प्रमादी जीव का प्रयत्न—आवेदा सरम्भ कहलाता है, उसी कार्य के लिए साधन जुटाना समारम्भ और अन्त ऐ कार्य करना आरम्भ अर्थात् कार्य की सकल्पात्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसे शक्ट रूप में पूरा कर देने तक तीन अवस्थाएँ अनुक्रम ने सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ हैं। योग के तीन प्रकारों का वर्णन पहले हो चुका है। कृत अर्थात् स्वर्य करना, कारित अर्थात् दूसरे से कराना और अनुभूत अर्थात् किसी के कार्य का अनुभोवन करना। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों कथाय प्रमिद्ध हैं।

जब कोई संसारी जीव दान आदि शुभ कार्य अथवा हिंसा आदि अशुभ कार्य से सम्बन्ध रखता है तब वह क्रोध या मान आदि किसी कपात ऐ प्रेरित होता है। कपातप्रेरित होने पर भी कभी वह स्वयं करता है या दूसरे ऐ करवाता है अथवा दूसरे के काम का अनुभोवन करता है। इसी प्रकार वह कभी उस काम के लिए ऋणिक, वाचिक और मानसिक सरम्भ, समारम्भ या आरम्भ से युक्त अवश्य होता है। ९।

परमाणु आदि भूत वस्तु द्वय-अजोवाधिकरण है। जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी भूत द्वय जिम अवस्था में वर्तमान होता है वह भाव-अजीवाधिकरण है। यहाँ इस भावाधिकरण के मुख्य चार भेद वर्तलाए गये हैं। जैसे निवर्तना ( रचना ), निकेप ( रखना ), संयोग ( मिलना ) और निर्वर्तन ( प्रवर्तन )। निवर्तना के दो भेद हैं—मूलगुणनिवर्तना और उत्तरगुणनिवर्तना। पुद्गल द्वय की जो औदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरङ्ग साधनरूप से जीव की शुभा-शुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह मूलगुणनिवर्तना है तथा पुद्गल द्वय की जो लकड़ी, पत्तर आदि स्पष्ट परिणति वाहु साधनरूप में जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी होती है वह उत्तरगुणनिवर्तना है।

निकेप के चार भेद हैं—अप्रत्यवेक्षितनिकेप, दुष्प्रमार्जितनिकेप, सहसानिकेप और अनाश्रोणनिकेप। प्रत्यवेक्षण किये बिना अर्थात् अच्छी तरह देखे बिना ही किसी वस्तु को कही रख देना अप्रत्यवेक्षितनिकेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भाँठीक तरह प्रमार्जन किये बिना ही वस्तु को जैसे-सैसे रख देना दुष्प्रमार्जितनिकेप है। प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन किये बिना ही सहसा अर्थात् जल्दी से वस्तु को रख देना सहसानिकेप है। उपयोग के बिना ही किसी वस्तु को कही रख देना अनाश्रोण-निकेप है।

संयोग के दो भेद हैं—अन्त, जल आदि का संयोजन करना-तथा-वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों का संयोजन करना अनुक्रम से भक्तिसंग-संयोगाधिकरण और उपकरण-संयोगाधिकरण हैं।

निसर्ग के तीन प्रकार हैं—शरीर, वचन और मन का प्रवर्तन अनुक्रम से कायनिसुर्ग, वचननिसर्ग और मनोनिसर्ग कहलाता है । १० ।

आठ प्रकार के सम्परायिक कर्मों में से प्रत्येक के भिन्न-भिन्न अन्वहेतु—

तत्प्रदोषतिह्वमात्मर्मान्तरायासादनोपधाता ज्ञानदर्शनाकृतणयोः । १३ ।

दुःखशोकतपाकान्तनवधपरिवेकनान्यात्मपरोभयस्थान्यसहेष्ट्य । १४ ।

भूतव्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादियोगः ज्ञान्तिः शोचसिस्ति  
सहेष्ट्य । १५ ।

केवलिभूतसञ्चाधसंदेवावर्णवादो दर्शनसोहस्य । १६ ।

कषायोदयात्तीद्रपरिणामश्चारित्रमोहस्य । १७ ।

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्थायुषः । १८ ।

माया तीर्थग्नोनस्य । १९ ।

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं स्वभावमाद्वार्जवं च मानुषस्य । २० ।

निःशोलन्तत्वं च सर्वेषाम् । २१ ।

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपांसि देवस्य । २२ ।

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः । २३ ।

विपरीतं शुभस्य । २४ ।

दर्शनतिशुद्धिविनयसम्पन्नता शोलन्त्रोष्वनतिचारोऽभीक्षणं ज्ञानोपयोग-  
सवेगो इक्तिस्त्यागतपसी सञ्चूसाधुसमाधिवैयावृत्यकरणमहंदाचार्य-  
बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचनवत्सलत्व-  
मिति तीर्थकृत्त्वस्य । २५ ।

परात्मनिन्दाप्रकांसे सदसदगुणाच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य । २६ ।

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्यनृत्सेकौ चोत्तरस्य । २७ ।

विघ्नकरणमन्तरायस्य । २८ ।

तत्प्रदोष, निह्व, मात्सर्य, अन्तराय, आसादन तथा उपधात ये ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्म के वन्धहेतु ( आक्षव ) हैं।

स्व-आत्मा में, पर-आत्मा में या दोनों में स्थित दुख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वध और परिदेवन ये असात्तावेदनोय कर्म के वन्धहेतु हैं।

'भूते' औंमुकम्पा, 'ज्ञाती-अनुकम्पा, दान, 'संगेगसंयमादि योग, क्षान्ति और सौच-ये सातविद्वनीय कर्म के बन्धहेतु हैं।

केषलशानी, श्रूत, 'संघ, धर्म एवं देवें का' अवर्णवाद दर्शनमोहनीय कर्म के बन्धहेतु हैं।

किंवद्य के उदय से हीनेवाला तो आत्मपरिणाम चारित्रमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है।

बहु-आरम्भ और बहु-परिग्राह नरकायु के बन्धहेतु हैं।

मार्यों तियैच-आशु का बन्धहेतु है।

अल्प-आरम्भ, अल्प-परिग्राह, स्वभाव में शुद्धता और सरलता ये मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं।

'शीलरहितता' और 'व्रतरहितता' तथा पूर्वोक्त अल्प 'आरम्भ' औदि सभी आयुओं के बन्धहेतु हैं।

सरागसथम्<sup>१</sup>, संयमास्थम्, 'वेकामनिजरों और' धालत्तेष्य देवायु के बन्धहेतु हैं।

योग की वक्रता और विसवाद अशुभ नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

चिपरीत-अर्थात् योग की अवक्रता और -अविसंवाद शुभ नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

दर्शनविशुद्धि, विनयसम्पन्नता, शील-और व्रतो-में अत्यन्त अप्रमाद, ज्ञान में सत्तं उपर्योग तथा सतत सवेग, धधार्षकि-त्याग -और तप, संघ और साधु की समोधि और वैयाकृत्य करना, अरिहंत, आचार्य, बहुश्रूत,

१. दिग्नन्दर परम्परा के अनुसार इस सूत्र का अर्थ है—निश्चीलत्व और निप्रत्यक्ष। ये दोनों नारुक आदि तीन आयुओं के आस्त्र द्वारा और भीगमूर्ति में उत्पन्न मनुष्यों की अपेक्षा से निःशीलत्व और निप्रत्यक्ष ये दोनों देवायु के सी आस्त्र हैं। इस अर्थ में देवायु के आस्त्र का समावेश होता है, जिसका वर्णन साध्य में नहीं है। परन्तु भाष्य की कृति में हृषिकार ने 'विद्यारंगूर्धक भाष्य की यह दृष्टि कानकर इस वात की पूर्ति आगमानुभार कर लेने का निर्देश किया है।

२. दिग्नन्दर परम्परा में देवायु के प्रस्तुत सूत्र में इन आल्पकों के अतिरिक्त एक दूसरा भी आस्त्र गिनाया है और उसके लिए इस सूत्र के बाद ही 'सम्यक्त्वं च' सूत्र है। इस परम्परा के अनुसार इस सूत्र का अर्थ यह है कि सम्यक्त्व सौधर्म आदि कल्पवादी देवों की आयु का आस्त्र है। भाष्य में यह वात नहीं है। फिर भी हृषिकार ने मार्गवंशि में अन्य कई आल्पकों के साप-सायं सम्पर्क कों-भी गिन लिया है।

तथा प्रवचन को भक्ति, आवश्यक क्रिया को न छोड़ना, मोक्षमार्ग की प्रभावना और प्रवचनवात्सल्य ये सब तीर्थकर नामकर्म के बन्धहेतु हैं।

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, भद्रगुणों का आच्छादन और असद्गुणों का प्रकाशन ये नीति गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं।

उनका विपर्यय अर्थात् परप्रशंसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्रवृत्ति और निरभिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु हैं।

ज्ञानादि में विच्छ ढालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है।

सूत्र ११ से अध्याय के अन्त तक प्रत्येक भूल कर्मप्रकृति के बन्धहेतुओं का क्रमाण्डः वर्णन किया गया है। सामान्य रूप से योग और कपाय ही सब कर्म-प्रकृतियों के बन्धहेतु हैं, फिर भी कपायजन्य अलैकविष प्रवृत्तियों में से कौन-कौन-सी प्रवृत्ति किस-किस कर्म के बन्ध का हेतु होती है, यहो विभागपूर्वक प्रस्तुत प्रकरण में बतलाया गया है।

**ज्ञानावरणीय और वर्जनावरणीय कर्मों के बन्धहेतु—** १. तत्प्रदोष—ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति द्वेष करना अथवा रखना अर्थात् तत्त्वज्ञान के निरूपण के समय मन में तत्त्वज्ञान के प्रति, उसके बन्तों के प्रति अथवा उसके साधनों के प्रति डाह रखना। इसे ज्ञानप्रद्वेष भी कहते हैं। २. ज्ञान-निन्हृत्व-कोई किसी से पूछे या ज्ञान के साधन की माँग करे तब ज्ञान तथा ज्ञान के साधन पास में होने पर भी कल्पित भाव से यह कहना कि 'मैं' नहीं जानता अथवा मेरे पास वह वस्तु है ही नहीं। ३. ज्ञानमात्सर्य—ज्ञान अभ्यस्त व परिपक्व हो एवं देने योग्य हो तो भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कल्पित वृत्ति। ४. ज्ञानान्तराय—कल्पित भाव से ज्ञानप्राप्ति में किसी को बाधा पड़ूँ-चाला। ५. ज्ञानासादन—दूसरा कोई ज्ञान दे रहा हो तब वाणी अथवा शरीर से उसका निषेध करना। ६. उपधात—किसी ने उचित ही कहा हो फिर भी अपनी विपरीत भूति के कारण अयुक्त भासित होने से उलटे उसी के दोष निकालना।

पूर्वोक्त प्रदोष, निन्हृत्व आदि जब ज्ञान, ज्ञानी या उसके साधन के साथ सम्बन्ध रखते हों तब वे ज्ञानप्रदोष, ज्ञाननिन्हृत्व आदि कहलाते हैं और दर्शन ( सामान्य बोध ), दर्शनी अथवा दर्शन के साधन के साथ सम्बन्ध रखते हों तब दर्शनप्रदोष, दर्शननिन्हृत्व आदि कहलाते हैं।

**प्रह्ल—आसादन और उपधात मे क्या अन्तर है ?**

**उत्तर—**ज्ञान के होने पर भी उसकी विनय न करना, दूसरे के सामने उसे

प्रकाशित न करना, उसके गुणों को न दरमाना आसादन है और ज्ञान को ही अज्ञान मानकर उसे नष्ट करने का विचार रखना उपचात है । ११ ।

असातावेदनीय कर्म के वन्धहेतु - १. दुःख--वाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीड़ा होना । २. जोक—किसी हितेषी का सम्बन्ध टूटने से चिन्ता और खेद होना । ३. ताप—अपमान से मन के कर्लुपित होने से तीव्र संताप होना । ४. आक्रमन—गद्गद स्वर से आँख गिराने के साथ रोना-पीटना । ५. वध—किसी के प्राण लेना । ६. परिदेवन—विषुक्त व्यक्ति के गुणों के स्पर्श से होने-वाला कषणाजनक रुदन ।

उक्त दुःख आदि छ और ऐसे ही ताङ्ग-तर्जन आदि अनेक निमित्त अपने में, दूसरे में या दोनों में पैदा करने पर उत्पन्न करनेवाले के असातावेदनीय कर्म के वन्धहेतु बनते हैं ।

प्रश्न—यदि दुःख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने में या दूसरे में उत्पन्न करने से असातावेदनीय कर्म के वन्धहेतु होते हैं तो फिर लोच, उपवास, ब्रत तथा इस तरह के दूसरे नियम भी दुःख होने से असातावेदनीय के वन्धहेतु होने चाहिए । यदि ऐसी बात हो तो उन ब्रत आदि नियमों का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका त्याग करना ही क्या उचित नहीं होगा ?

उत्तर—उक्त दुःख आदि निमित्त जुध क्रोध आदि आवेश से उत्पन्न होते हैं तभी आकृब ( वन्ध ) के हेतु बनते हैं, न कि केवल सामान्य रूप में दुःखद होने से । सच्चे त्यागी या तपस्वी की कठोर ब्रत-नियमों का पालन करने पर भी असातावेदनीय कर्म का वन्ध नहीं होता । इसके दो कारण हैं । पहला तो यह कि सच्चा त्यागी कठोर ब्रतों का पालन करते हुए क्रोध या वैसे ही अन्य किसी दृष्ट भाव से नहीं बल्कि सद्बृत्ति और सद्बुद्धि से प्रेरित होकर ही चाहे जितना दुःख उठाता है । वह कठिन ब्रतों को धारण करता है, पर चाहे जितने दुःख प्रसंग वा जायें उनमें क्रोध, संताप आदि कपाय का अमाव होने से वे प्रसंग उसके लिए वन्धक नहीं बनते । दूसरा कारण यह है कि कई दार तो वैसे त्यागियों को कठोरतः ब्रत तथा नियमों का पालन करने में वास्तविक प्रसन्नता अनुभव होती है और इसीलिए वैसे प्रसंगों में उनको दुःख या शोक आदि का होना सम्भव ही नहीं । यह तो सर्वविदित है कि एक को जिन प्रसंगों में दुःख होता है, उनी प्रसंग में दूसरे को भी दुःख हो यह आवश्यक नहीं है । इसलिए ऐसे नियम-ब्रतों का पालन मानसिक रूप ( रुचि ) होने से उनके लिए सुखरूप ही होता है । जैसे कोई दशालु वैद्य चीरफाद के द्वारा किसी को दुःख देने का निमित्त बनने पर भी करणा-वृत्ति से प्रेरित होने से पापभागी नहीं होता जैसे ही सांसारिक दुःख दूर करने

के लिए उसके ही उपर्यों को प्रसन्नतापूर्वक करता हुआ "त्यागी-भी-ऋग्वेदि के कारण पाप का बम्ब नहीं करता ।

**सौतार्येदनीय कर्म के अन्धहेतु—**१. अनुकूला—प्राणिभाव के प्रति अनु-कर्ष्णा ही गृहीतनुकम्भा है अर्थात् दूसरे के 'दुःख' को अपनी दुःख मानने का भाव । २. 'ब्रत्यनुकूल्या—अल्पार्थ में 'ब्रतवारी-गृहस्थ' और 'सबौद्ध' में 'ब्रतवारी त्यागी दौनों पर विद्योप अनुकूल्या' रखेना । ३. दान—अपनी वस्तु दूसरों को निर्गमार्थ से अपित करना । ४. 'सरागसंयमादि योग—सरागसंयम, संयमासंयम, भौमानिनिर्दा और बालतप इन सबमें यथोचित ध्यान देना । संसार की 'कारणस्पृष्टिः' को द्वारा करने के लिए तत्पर होकर संयम-स्वीकार कर लेने पर भी जब अन से-राग के 'संस्कार' कीज नहीं होते तब वह—'सरागसंयम-कहुलीता' है । ५. अशिक संकम का स्वीकार संयमासंयम है । स्वेच्छापूर्वक नहीं किन्तु परस्तंतरा—से भोग्यों-का स्पाग करना अकामनिनिर्दा है । बाल अर्थात् यथार्थ ज्ञान से शून्य-मिथ्यादुहितालों का अनिप्रवेश, जलपतन, गोबर आदि का भक्षण, अनशन आदि तप बालतप है । ६. क्षान्ति—वर्मदूषि से क्रोधादि दोषों का शमन । ७. शीघ्र—लोभवृत्ति और ऐसे ही अन्य दोषों का शमन । १३ ।

**दर्शनभोग्नीय कर्म के अन्धहेतु—**१. केवली का अवर्णवाद—दुर्बुद्धिपूर्वक केवली के असत्य दोषों को प्रकट करना, जैसे सर्वज्ञता की संभावना को स्वीकार न करना और कहना कि 'सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय न बतलाकर जिनका आचरण शक्य नहीं ऐसे दुर्गम उपाय क्यों बतलाए हैं' इत्यादि । २. श्रुत का अवर्णवाद—शास्त्र के मिथ्या दोषों का द्वेषबुद्धि से वर्णन करना, जैसे कहना कि 'यह शास्त्र अनेक लोगों की प्राकृत भाषा में अथवा पण्डितों की जटिल संस्कृत भाषा में होने से तुच्छ है, अथवा इसमें विविध ब्रह्म, नियम तथा प्रायशिच्छ आदि का अर्थहीन एवं कष्टप्रद वर्णन है' । ३. संघ का अवर्णवाद—साधु, साध्वी, आवक, आविकारूप चतुर्विध संघ के मिथ्या दोष प्रकट करना, जैसे यह कहना कि 'साधु लोर्य वर्त्तनियम आदि का व्यर्थ कठेश्वर उठाते हैं, साधुत्व तो संभव की नहीं तथा उसका कोई अच्छा परिणाम भी नहीं निकलता' । आवकों के विषय में कहना कि 'वे स्नान, दान आदि शिष्ट प्रवृत्तियाँ नहीं करते और न पवित्रता ही भानते हैं' इत्यादि । ४. घर्म का अवर्णवाद—अहिंसा आदि महान् घर्मों के मिथ्या कीष बतलाना या यह कहना कि 'घर्म प्रत्यक्ष कहाँ दीखता है और जो प्रत्यक्ष नहीं दीखता उसका अस्तित्व कैसे समझ है' तथा यह कहना कि—'अहिंसा से अनुष्ठय बाति जबका राष्ट्र का पतन हुआ है' इत्यादि । ५. देवों का अवर्णवाद—देवों की निन्दा करना, जैसे यह कहना कि 'देव तो हैं ही नहीं; और हो तो भी अर्थ है, क्योंकि

ये शक्तिशाली होकर भी यहाँ आकर हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते तथा सम्बन्धियों का दूर दूर करो नहीं करते' इत्यादि । १४ ।

चारिस्तमोहनीय कर्म के बन्धहेतु—१. स्वर्यं कपाय करना, दूसरों में भी कपाय जगाना तथा कपाय के वशबर्तीं होकर अनेक तुच्छ प्रवृत्तियाँ करना ये सब कपायमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । २. सत्य-धर्म का उपहास करना, गरीब या दीन भयुष्य की हँसी उड़ाना आदि हास्य-वृत्तियाँ हास्य-मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ३. विविध क्रीडाओं में रत रहना, चतुर्नियम आदि योग्य अकुश में अरथि रखना आदि रतिमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ४. दूसरों को व्याकुल करना, किसी की शार्ति में विघ्न ढालना, नीच लोगों की संगति करना आदि अरतिमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ५. स्वर्यं शोकातुर रहना तथा दूसरों की शोक-वृत्ति को चत्तेजित करना आदि शोकमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण है । ६. स्वर्यं डरना और दूसरों को डराना भयमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण है । ७. हितकर क्रिया और हितकर आचरण से धूणा करना आदि चुगुप्ता-मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण है । ८-१०. स्त्री-जाति के योग्य, पुरुष-जाति के योग्य तथा नपुस्तक-जाति के योग्य चंस्कारों का अन्यास करना क्रमशः स्त्री, पुरुष और नपु सक वेद के बन्ध के कारण हैं । १५ ।

नक आयु कर्म के बन्धहेतु—१ आरम्भ—प्राणियों को हु ल पहुँचे ऐसी कपायपूर्वक प्रवृत्ति । २ परिग्रह—यह वस्तु मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ ऐसा सकल्प । आरम्भ और परिग्रह-वृत्ति बहुत तीव्र होना तथा हिंसा आदि क्रूर कामों में सुत्तप्त प्रवृत्ति होना, दूसरे के धन का अपहरण करना अथवा भोगों में अत्यन्त आमतिक रहना नरकायु के बन्ध के कारण है । १६ ।

तिर्यंच-आयु कर्म के बन्धहेतु—माया अर्थात् छलप्रपञ्च करना अथवा कुटिल भाव रखना । जैसे धर्मतत्त्व के उपदेश में धर्म के नाम से मिथ्या वार्ताओं को मिलाकर उनका स्वार्थ-वुद्धि से प्रचार करना तथा जीवन को शील से दूर रखना आदि सब माया है । यहाँ तिर्यंच आयु के बन्ध का कारण है । १७ ।

मनुष्य-आयु कर्म के बन्धहेतु—आरम्भ-वृत्ति तथा परिग्रह-वृत्ति कम रखना, स्वभावत् अर्थात् विना कहे-पुने मृदुता और सरलता का होना मनुष्य आयु के बन्ध के कारण है । १८ ।

उक्त तीनों आयुकर्मों के समान्य वन्धहेतु—नरक, तिर्यंच और मनुष्य इन तीनों आयुओं के जो भिन्न-भिन्न वन्धहेतु कहे गए हैं उनके अतिरिक्त तीनों

आणुओं के सामान्य अन्धहेतु भी है। प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन है। वे अन्धहेतु ऐहे हैं नि शीलत्व—शील से रहित होना और निर्वतत्व—व्रतों से रहित होना। १. व्रत—अहिंसा, सत्य आदि पाँच मुख्य नियम। २. शील—व्रतों की पुष्टि के लिए अन्य उपकरणों का पालन, जैसे तीन गुणन्नात् और चार शिक्षान्नात्। उक्त व्रतों के पालनार्थ क्रोध, लोभ आदि के द्याग को भी शील कहते हैं। व्रत का न होना निर्वतत्व एवं शील का न होना नि-शीलत्व है। १९।

देव-ग्राम्य कर्म के अन्धहेतु—१. हिंसा, असत्य, चोरी आदि भ्रह्मन् दोषों से विरतिरूप संयम अंगीकार कर लेने के बाद भी कषयों के कुछ अंश का शेष रहना सराग संयम है। २. हिंसाविरति आदि व्रतों का अल्पाश में धारण करना संयमासंयम है। ३. परावीनता के कारण या अनुसरण के लिए अहिंसकर प्रवृत्ति अथवा आहार आदि का द्याग अकाम निर्जरा है। ४. बालभाव से अर्थात् बिना विवेक के अज्ञिनप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-अपात, विषभक्षण, अनशन आदि देहदमन की क्रियाएँ करना धालतप है। २०।

अशुभ एवं शुभ नामकर्म के अन्धहेतु—१. योगवक्रता—मन, वचन और काय की कुटिलता। कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ। २. विसंवादन—अन्यथा प्रवृत्ति करना अथवा दो स्नेहिणी के द्वीच में पिंडा करना। ये दोनों अशुभ नाम-कर्म के अन्ध के कारण हैं।

प्रश्न—इन दोनों में क्या अन्तर है?

उत्तर—‘स्व’ और ‘पर’ की अपेक्षा से अन्तर है। अपने ही विषय में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति भिन्न पड़े तब योगवक्रता और यदि दूसरे के विषय में ऐसा हो तो वह विसंवादन है। जैसे कोई रास्ते से जा रहा हो तो उसे ‘ऐसे नहीं, पर ऐसे’ इस प्रकार उलटा समझाकर कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना।

इससे विपरीत अर्थात् मन, वचन, काय की सरलता (प्रवृत्ति की एकलृप्ति) तथा सदाशन अर्थात् दो व्यक्तियों के भेद को मिटाकर एकता करा देना अथवा गलत रास्ते पर जानेवाले को सही रास्ते लगा देना दोनों शुभ नाम-कर्म के अन्ध के कारण है। २१-२२।

तीर्थंकर नामकर्म के अन्धहेतु—१. दर्शनविशुद्धि—वीतरागकथित तत्त्वों में निर्मल और दृढ़ रुचि। २. विनयसम्पन्नता—ज्ञानादि भोक्षणार्थ और उसके साधनों के प्रति समुचित आदरभाव। ३. शीलव्रतान्तिचार—अहिंसा, सत्यादि मूल व्रत तथा उनके पालन में उपयोगी अभिप्राह आदि दूसरे नियम या शील के पालन में प्रमान करना। ४. अभीक्षणज्ञानोपयोग—तत्त्वविषयक ज्ञान में सदा जागरित रहना।

६ ११-

५. स-सवेग—सासारिक भोगों से जो वास्तव में सुख के स्थान पर दुःख के ही साथन लेपनी अल्पतम शक्ति को भी बिना छिपाए आहारदान, अभयदान, ज्ञान-स्थाग—जट विवेकपूर्वक करते रहना । ७ यथाशक्ति उप—शक्ति छिपाए बिना दान आविक हर तरह की सहनशीलता का अभ्यास । ८ संघसाधुसमाचिकरण—विवेकपूर्व संघ और विशेषकर साधुओं को समाजि पहुँचाना अर्थात् ऐसा करना चतुर्विधि के बे स्वस्थ रहें । ९. वैयादृत्यकरण—कोई भी गुणी धर्दि कठिनाई में जिसमे पि तो उस समय योग्य ढंग से उसकी कठिनाई दूर करने का प्रयत्न करना । पढ जाए । १०. चतु-भक्ति—अरहत, आचार्य, दहश्वत और शास्त्र इन चारों में शुद्ध १०-१२ अनुराग रखना । १४ आवश्यकापरिहाणि—सामाजिक आदि पद-निष्ठापकों के अनुष्ठान को भाव से न छोड़ना । १५ मोक्षमार्गप्रभावना—अभिभावनजकर ज्ञानादि मोक्षमार्ग को जीवन में उतारना तथा दूसरों को उसका मान रा देकर प्रभाव बढ़ाना । १६. प्रवचनब्रातस्त्वय—जैसे गाय बछड़े पर स्नेह उपहो है वैसे ही साधमियों पर निष्काम स्नेह रखना । २३ ।

रत्न नीच गोत्रकर्म के बन्धहेतु—१. परनिन्दा—दूसरों की निन्दा करना । निन्दा

अर्थ है सच्चे या झूठे दोषों को दुर्विद्विर्वक प्रकट करने की वृत्ति । २. आत्म-कंसा—अपनी ददाई करना अर्थात् अपने सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट करने की प्रवृत्ति । ३. आच्छादन—दूसरों के गुणों को छिपाना और प्रसंग आने पर भी द्वेष बूढ़िन्हें न कहना । ४. उद्भावन—अपने में गुण न होने पर भी उनका प्रदर्शन देना अर्थात् निज के असद्गुणों का उद्भावन । २४ ।

५ उच्च गोत्रकर्म के बन्धहेतु—१. आत्मनिन्दा—अपने दोषों का अवलोकन ।

१. परप्रशंसा—दूसरों के गुणों की सराहना । ३. असद्गुणोदभावन—अपने दृग्गुणों को प्रकट करना । ४. स्वगुणाच्छादन—अपने विद्यमान गुणों को छिपाना ।

५. नप्रवृत्ति—पूज्य व्यक्तियों के प्रति विनाशना । ६. अनुत्सेक—ज्ञान, सम्पत्ति आदि में दूसरों से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व न करना । २५ ।

प्रत्यराय कर्म के बन्धहेतु—किसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने में अथवा किसी के भोग एव उपभोग आदि में वाधा डालना अथवा भन में वैसी वृत्ति पैदा करना विष्णुकरण है । २६ ।

साम्परायिक कर्मों के आत्मव के विषय मे विशेष वक्तव्य—नून ११ से २६ तक साम्परायिक कर्म की प्रत्येक मूल प्रकृति के भिन्न-भिन्न आत्मव या बन्ध-हेतु उपलक्षण मात्र है । अर्थात् प्रत्येक मूलप्रकृति के गिनाए गए आलयों के अस्तिरिक्त अन्य भी वैसे ही—उन प्रकृतियों के आत्मव न कहने पर भी समझे जा

सकते हैं। जैसे कि आलस्य, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवरणीय के आस्तव के रूप में नहीं गिनाए गए हैं, फिर भी वे उनके दृश्यी तरह वच, वन्धन, ताढ़न आदि सभा अशुभ प्रयोग आदि असाताव आस्तवों में नहीं गिनाए गये हैं, फिर भी वे उसके आस्तव हैं।

**प्रश्न—**प्रत्येक मूलप्रकृति के आस्तव भिन्न-भिन्न दर्शाए गये हैं। इन स्पष्टित होता है कि<sup>१</sup> क्या ज्ञानप्रदोष आदि आस्तव केवल ज्ञानादि कर्म के ही वन्धक हैं अथवा इनके अतिरिक्त अन्य कर्मों के भी वन्ध एक कर्मप्रकृति के आस्तव यदि अन्य प्रकृति के भी वन्धक हो सकते हैं तो विभाग से आस्तवों का अलग-अलग वर्णन करना ही व्यर्थ है क्योंकि एक के आस्तव दूसरी प्रकृति के भी तो आस्तव है। और यदि यह जाना कि किसी एक प्रकृति के आस्तव केवल उसी प्रकृति के आस्तव हैं, दूसरी के तो शास्त्रनियम में विरोध आता है। शास्त्र का नियम यह है कि सामान्य से असु लोकों को छोड़कर ऐसे सातो प्रकृतियों का वन्ध एक साथ होता है। इस तो के अनुसार जब ज्ञानावरणीय का वन्ध होता है तब अन्य वेदनीय आदि छहों व प्रकृतियों का भी वन्ध होता है। आस्तव तो एक समय में एक-एक कर्मप्रकृति ही होता है, किन्तु वन्ध तो एक समय में एक प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी अरोधी प्रकृतियों का भी होता है। अर्थात् अमुक आस्तव अमुक प्रकृति का ही वन्ध है, यह भर शास्त्रीय नियम से वाचित ही जाता है। अतः प्रकृतिविभाग से आस्तव के विभाग करने का प्रयोजन क्या है?

**उत्तर—**यहाँ आस्तवों का विभाग अनुभाग अर्थात् रसवन्ध की अपेक्षा से अतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी एक कर्मप्रकृति के आस्तव के समय उस कर्मप्रकृति के अतिरिक्त अन्य कर्म-प्रकृतियों का भी वन्ध होता है, यह शास्त्रीय नियम केवल प्रदेश-वन्ध के विषय में ही घटित करना चाहिए, न कि अनुभाग-वन्ध के विषय में। साराश यह है कि आस्तवों का विभाग प्रदेश-वन्ध की अपेक्षा से नहीं, अनुभागवन्ध की अपेक्षा से है। अतः एक साथ अनेक कर्मप्रकृतियों का प्रदेशवन्ध मान लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में कठिनाई नहीं आती तथा प्रकृतिविभाग से उल्लिखित आस्तव भी केवल उन-उन प्रकृतियों के अनुभागवन्ध में ही निमित्त बनते हैं। इसलिए यहाँ आस्तवों का जो विभाग निर्दिष्ट है वह भी वाचित नहीं होता।

इस क्षेत्रस्था से पूर्वोक्त शास्त्रीय-नियम और प्रस्तुत आस्तवों का विभाग दोनों अवधित बने रहते हैं। फिर भी इतनी बात विशेष है कि अनुभागवन्ध को आधित करके आस्तव के विभाग का समर्थन भी मुख्य भाव की अपेक्षा से ही

-२६ ] आठ मूल कर्म-प्रकृतियों के भिन्न-भिन्न वर्णहेतु १६५  
५. अभोक्

ही साधन या है। अर्थात् ज्ञानप्रदोष आदि आकृतों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय त्याग—आग का बन्ध मूल्य रूप से होता है और उसी समय बैघमेवानी अन्य कर्म-दान आदि के अनुभाग का बन्ध गोण रूप से होता है। यह तो माना ही नहीं जा विवेकपूर्व कि एक समय में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और अन्य चतुर्विध त्रितीयों के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं। क्योंकि जिस समय जितनी कर्म-जिसमें यों का प्रदेशवन्ध योग द्वारा सम्भव है उसी समय कथाय द्वारा उतनी ही पठ जात्यों का अनुभागबन्ध भी सम्भव है। इसलिए मूल्य रूप से अनुभागबन्ध की १००१३ को छोटकार आकृत के विभाग का नम्बरनं अन्य प्रकार में व्याल में नहीं निष्ठात् । २६ ।



आदद

मान

उपदे

रखा

क

प्र

वृ

से

य

## ब्रत

साता-वेदनीय के आस्तों में ब्रती पर अनुकम्पा और दान ये दोनों गिनाएँ गए हैं। प्रसङ्गबद्ध उन्हीं के विशेष स्पष्टीकरण के लिए जैन परम्परा में महत्व-पूर्ण स्थान रखनेवाले ब्रत और दान का विशेष निरूपण इस अध्याय ने किया जा रहा है।

### ब्रत का स्वरूप

**हिंसाऽनृतस्तेयाऽभ्युपरिग्रहेभ्यो विरतिक्रतम् । १ ।**

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से (मन, वचन, काय द्वारा) निवृत्त होना ब्रत है।

हिंसा, असत्य आदि दोषों के स्वरूप का वर्णन आगे किया गया है। दोषों को समझकर उनके त्याग की प्रतिक्रिया करने के बाद पुन उनका सेवन न करने को भ्रत कहते हैं।

अर्हिंसा अन्य ब्रतों की अपेक्षा प्रधान है अतः उसका स्थान प्रथम है। खेत की रक्षा के लिए जैसे बाड़ होती है वैसे ही अन्य सभी ब्रत अर्हिंसा को रक्षा के लिए हैं। इसीलिए अर्हिंसा की प्रधानता मानी गई है।

ब्रत के दो पहलू हैं—निवृति और प्रवृत्ति। इन दोनों के होने से ही ब्रत पूर्ण होता है। सत्कार्य में प्रवृत्त होने का अर्थ है असत्कार्य से पहले निवृत्त हो जाना। यह अपने आप प्राप्त होता है। इसी प्रकार असत्कार्यों से निवृत्त होने का अर्थ है सत्कार्यों में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति करना। यह भी स्वतः प्राप्त है। यद्यपि यहाँ स्पष्ट रूप से दोषनिवृत्ति को ही ब्रत कहा गया है तथापि उसमें सत्प्रवृत्ति का अशा आ ही जाता है। इसीलिए ब्रत केवल निष्क्रियता नहीं है।

प्रश्न—‘रात्रिभोजनविरमण’ नामक ब्रत प्रसिद्ध है। सूत्र में उसका निवेद्या क्यों नहीं किया गया?

**उत्तर**—दीर्घकाल से रात्रिभोजनविरमण नामक धर्म प्रसिद्ध है, पर वास्तव में वह मूल धर्म नहीं है, अपितु नूल धर्म से निष्पत्र एक प्रकार का आवश्यक धर्म है। ऐसे अवान्तर वर्त दृष्टि है और उनको कल्पना भी कर सकते हैं। किन्तु दहाँ तो मूल धर्म का निरूपण इष्ट है। मूल धर्म में निष्पत्र होनेवाले अवान्तर धर्म तो उसके व्यापक निरूपण में आ ही जाते हैं। रात्रिभोजनविरमणधर्म अहिंसाव्रत में से निष्पत्र होनेवाले अनेक व्रतों में से एक है।

**प्रश्न**—अन्धेरे में दिखाई न देनेवाले जन्मु नाश के कारण क्षीर दीपक जलाने से होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्भ को दृष्टि में रखकर ही रात्रिभोजनविरमण को अहिंसाव्रत का अंग माना जाता है, पर जहाँ अन्धेरा भी न हो और दीपक से होनेवाले आरम्भ का प्रयत्न भी नहीं आता वैसे शीतप्रवास देश में तथा जहाँ विजली का प्रकाश नुक्तम हो वहाँ रात्रिभोजन और दिवा-भोजन में हिंसा की दृष्टि से भया अन्तर है?

**उत्तर**—उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढग के दीपक कार्दि की व्यवस्था में साफ दीखनेवाली हिंसा को दृष्टि से ही गत्रिभोजन को दिवा-भोजन भी अपेक्षा अधिक हिंसापूर्ण कहा गया है। यह धारा स्वीकार कर लेने पर खोर माय ही किसी विशेष परिस्थिति में दिन की अपेक्षा रात्रि में विशेष हिंसा का प्रयत्न न भी आता हो, इस कल्पना को नमुचित स्थान देने पर भी माधारण नमुदाय की दृष्टि से और विशेषकर त्यागी-जीवन की दृष्टि से रात्रिभोजन भी ज्ञेधा दिवा-भोजन ही विशेष वर्णनसनीय है; इस मान्यता के सक्षेप में निष्पत्र कारण है :

१. विजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले ही अच्छा दगता हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश जैसा मार्दनिक, अव्यग्र तथा आरोग्यप्रद नहीं होता। इसलिए जहाँ दोनों मम्बव हों नहीं नमुदाय के लिए आरोग्य की दृष्टि में सूर्य-प्राराग ही अधिक उपयोगी होता है।

२. त्यागधर्म एवं मूल तत्त्वांग है, इस दृष्टि से भी दिन यी अन्य मन्त्री प्रवृत्तियों के नाम भोजन-प्रवृत्ति को भी भगान फर लेना तथा सर्वाददृढ़र शमि के समय जठर को विश्राम देना ही चर्चित है। इसमें ठाक-ठौल निटा आर्ना है और द्वारुचर्यपालन में सहयता मिलती है। एजन्वल्प धारोग भी चृद्ध भी होती है।

३. दिवा-भोजन और रात्रिभोजन दोनों में भी मनोग के विनाश में यदि एक का ही भुनाय करना हो तब भी जाग्रत और कुर्गान्वृदि का सुश्वाय दिवाभोजन की ओर ही होगा। आज तक के महान् दत्तों का जीवन-इन्हिमु नहीं बात कहता है। १।

न्रत के भेद

### देशसर्वंतोऽणुमहती । २ ।

अल्प अज में विरति अणुव्रत और सर्वाश में विरति महाव्रत है ।

प्रत्येक त्यागाभिलाषी व्यक्ति दोषो से निवृत्त होता है । किन्तु सबका त्याग समान नहीं होता और यह विकास-ऋग्र की दृष्टि से स्वाभाविक भी है । इसलिए यहाँ हिंसा आदि दोषों की योड़ी या बहुत सभी निवृत्तियों को व्रत मानकर उनके संक्षेप में दो भेद किए गए हैं—महाव्रत और अणुव्रत ।

१ हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा सब प्रकार से छूट जाना, यह हिंसाविरमण ही महाव्रत है ।

२. चाहे जितना हो, लेकिन किसी भी अश में कम छूटना—ऐसा हिंसा-विरमण अणुव्रत है ।

न्रतों की भावनाएँ

### तत्त्वार्थार्थं भावनाः पञ्च पञ्च । ३ ।

उन ( न्रतों ) को स्थिर करने के लिए प्रत्येक न्रत की पाँच-पाँच भावनाएँ हैं ।

वृत्यन्त भावधानीपूर्वक विशेष-विशेष प्रकार की अनुकूल प्रवृत्तियों का सेवन न किया जाय तो स्वीकार करने मात्र से ही न्रत आत्मा में नहीं उत्तर जाते । ग्रहण किए हुए न्रत जीवन में गहरे उत्तरें, इसीलिए प्रत्येक न्रत के अनुकूल योड़ी-बहुत प्रवृत्तियाँ स्थूल दृष्टि से विशेष रूप में गिनाई गई हैं, जो भावना के नाम से प्रसिद्ध हैं । यदि इन भावनाओं के अनुसार ठीक-ठीक वर्तवि किया जाय तो अंगीकृत न्रत प्रयन्त्रीयों के लिए उत्तम औषधि के समान सुन्दर परिणामकारक सिद्ध होते हैं । वे भावनाएँ क्रमशः इन प्रकार हैं :

१. ईर्यासमिति, मनोगुणि, एषणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन—ये अहिंसाव्रत की पाँच भावनाएँ हैं ।

२. अनुवृत्तिभाषण, क्रोचप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, निर्भयता और ह्रास्य-प्रत्याख्यान—ये सत्यन्रत की पाँच भावनाएँ हैं ।

३. अनुवृत्तिभिक्षवग्रहयाचन, अभीदणअवग्रहयाचन, अवग्रहयधारण, साधर्मिक से अवग्रहयाचन और अनुजाप्तिपानभोजन—ये अचौर्यन्रत की पाँच भावनाएँ हैं ।

४. स्त्री, पशु अथवा नपुसक द्वारा सेवित शयन आदि का वर्जन, रागपूर्वक स्त्रीकथा का वर्जन, लिंगों के मनोहर अगों के अवलोकन का वर्जन, पहले के

रतिविलास के स्मरण का वर्जन और प्रणीतरस-भोजन का वर्जन—ये ब्रह्मचर्य व्रत की पांच भावनाएँ हैं ।

५. भलोज या अमनोज्ञ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा शब्द पर समझाव रखना—ये अपरिग्रह व्रत की पांच भावनाएँ हैं ।

भावनाओं का स्पष्टीकरण—१. स्व-पर को क्लेश न हो, इस प्रकार यत्न-पूर्वक गमन करना ईर्षात्मिति है । मन को अशुभ ध्यान से बचाकर शुभ ध्यान में लगाना भनोगुति है । वस्तु का गवेषण, उसका अहण या उपयोग इन सीन एवणाओं में दोष न लगाने देने का ध्यान रखना एपणामिति है । वस्तु को लेते-छोड़ते समय अबलोकन व प्रमार्जन आदि हारा उठाना रखना आदान-निक्षेपण-समिति है । खानेपीने की वस्तु को भलीभांति देख-भालकर लेना और वाद में भी देख-भालकर खाना-पीना आलोकितपानभोजन है ।

२. विचारपूर्वक दोलना अनुवीचिभाषण है । क्रोध, लोभ, भय तथा हास्य का त्याग करना ये चार भावनाएँ और हैं ।

३. सम्यक् विचार करके हीं उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह—स्थान की याचना करना अनुवीचिभवप्रह्याचन है । राजा, कुङ्मपति, नव्यातर—जिसकी भी जगह मांगकर ली गई हो, ऐसे साधारित आदि अनेक प्रकार के स्थानी हो सकते हैं । उनमें से जिस-जिस स्वामी से जो-जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य प्रतीत हो उनसे वही स्थान मांगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापिस ले लिया हो, फिर भी रोग आदि के कारण विशेष आवश्यक होने पर उसके स्वामी से इस प्रकार बार-बार लेना कि उसको क्लेश न होने पावे—यह अभीक्षण-अवग्रहयाचन है । मालिक से मांगते समय ही अवग्रह का परिमाण निश्चित कर लेना अवग्रहव्याचारण है । अपने से पहले दूसरे किसी समानघर्मी ने कोई स्थान ले लिया हो और उसी स्थान को उपयोग में लाने वा प्रमंग आ जाय तो उस साधारित से ही स्थान मांगना साधारितअवग्रहयाचन है । विविपूर्वक अन्न-पानादि लाने के बाव गुरु को दिखाकर उनकी अनुक्षापूर्वक ही उपयोग करना अनुजापितपानभोजन है ।

४. ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का अपने से विजातीय व्यक्ति हारा नेवित शयन व आसन का त्याग करना स्त्रीपशुपण्डकसेवितशयनासन-वर्जन है । ब्रह्मचारी का कामवर्धक बातें न करना रागसयुक्तस्त्रीकथा-वर्जन है । ब्रह्मचारी का अपने विजातीय व्यक्ति के कामोदीपक अर्गों को न देखना मनोहरैन्द्रियावलोकन-वर्जन है । अहोचर्य स्त्रीकार करने से पहले के भोगों का स्मरण न करना पूर्वरतिविलासस्मरण-वर्जन है । कामोदीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना प्रणीतरसभोजन-वर्जन है ।

५ राग उत्पन्न करनेवाले स्पर्श, रस, गन्ध, रूप आर शब्द पर न ललचाना और द्वेषोत्पादक हों तो शुष्ट न होना ये क्रमशः मनोज्ञामनोज्ञस्पर्शसमभाव एव मनोज्ञामनोज्ञरससमभाव आदि पाँच भावनाएँ हैं ।

जैनधर्म त्यागलक्षी है, अत जैन-संघ में महाव्रतवारी साधु का स्थान ही प्रथम है । यही कारण है कि यहाँ भगवत् को लक्ष्य में रखकर साधुवर्म के अनुमार ही भावनाओं का वर्णन किया गया है । फिर भी इतना तो है ही कि कोई भी व्रतवारी अपनी भूमिका के अनुसार इनमें सकोचविस्तार कर सके इमलिए देश-काल की परिस्थिति और आन्तरिक योग्यता को ध्यान में रखकर व्रत की स्थिरता के शुद्ध उद्देश्य से ये भावनाएँ सख्त तथा अर्थ में घटाई-बढाई तथा पल्लवित की जा सकती हैं ।

कई अन्य भावनाएँ

**हिंसादिविष्वहासुन्न चापायावद्यदर्जनम् । ४ ।**

**दुःखमेव वा । ५ ।**

**मैत्रीप्रभोदकरूप्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वगुणाधिकविलक्ष्य-  
भानाविनेयेषु । ६ ।**

**जगत्कायस्वभावौ च संवेगवैराग्यार्थम् । ७ ।**

हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट का दर्शन करना ।

अथवा हिंसा आदि दोषों में दुख ही है, ऐसी भावना करना ।

प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-वृत्ति, गुणिजनों के प्रति प्रमोद-वृत्ति, दुखी जनों के प्रति करुणा-वृत्ति और अयाग्य पात्रों के प्रति माध्यस्थ्य-वृत्ति गत्वा ।

नवेग तथा वैराग्य के लिए जगत् के स्वभाव और शरीर के स्वरूप का दर्शन करना ।

जिमान त्याग किया जाता है उसके दोषों का यथार्थ दर्शन होने से ही त्याग दिक्ता है । यही कारण है कि अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए हिंसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवश्यक माना गया है । यह दोष-दर्शन यहाँ दो प्रकार से वर्ताया गया है । हिंसा, असत्प आदि के सेवन से जो ऐहिक आपत्तियाँ स्वयं को अथवा दूसरों को अनुभव करनी पड़ती हैं उनका भाव सदा ताजा रखना ही ऐहिक दोषदर्शन है । इन्हीं हिंसा आदि दोषों से ।

पारलौकिक अनिष्ट की जो सम्भावना होती है उसका व्यान रखना पारलौकिक दोषदर्शन है। इन दोनों प्रकार के दोषदर्शन के स्तकारों को बढ़ाते रहना अहिंसा आदि ग्रन्तों की भावनाएँ हैं।

पहले की ही भाँति त्याज्य वृत्तियों में दुःख के दर्शन का अभ्यास किया हो तभी उनका त्याग भलीभाँति टिक सकता है। इनके लिए हिंसा आदि दोषों को दुःखरूप मानने की वृत्ति के अभ्यास (दुःख-भावना) का यहाँ उपदेश दिया गया है। अहिंसादि ग्रन्तों का धारक हिंसा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के समान दूनरों को होनेवाले दुःख की कल्पना करे, यही दुःख-भावना है। यह भावना इन ग्रन्तों के स्थिरीकरण में भी उपयोगी है।

१. मैत्री, प्रभोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सद्गुण के अभ्यास के लिए अधिकन्ते-अधिक उपयोगी होने से अहिंसा आदि ग्रन्तों की स्थिरता में विशेष उपयोगी है। इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं का चलनेवाला किया गया है। इन चार भावनाओं का विषय अमृक अशा में तो अलग-अलग हो है, क्योंकि चस-उस विषय में इन भावनाओं का अभ्यास किया जाय तभी वास्तविक परिणाम आता है। इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग-अलग दर्शाया गया है।

१. प्राणिमात्र के साथ मैत्रीवृत्ति हो तभी प्रत्येन प्राणी के प्रति अहिंसक तथा सत्यवादी के रूप में बहुदि किया जा सकता है। अतः मैत्री का विषय प्राणिमात्र है। मैत्री का अर्थ है दूसरे में अपनेपन की बुद्धि और इसीलिए अपने समान ही दूसरे को दुखी न करने की वृत्ति अथवा भावना।

२. कई बार मनुष्य को अपने से आगे बढ़े हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या होती है। यदि उक इस वृत्ति का नाश नहीं हो जाता तब उक अहिंसा नत्य आदि ग्रन्त टिकते ही नहीं। इसीलिए ईर्ष्या के विपरीत प्रसीद-ज्ञान की भावना के लिए कहा गया है। प्रभोद अर्थात् अपने ने अधिक गुणवत्ता के प्रति आदर रखना तथा उसके उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न होना। इस भावना का विषय अधिक गुणवत्ता ही है, क्योंकि उसके प्रति ही ईर्ष्या या क्षम्या आदि दुर्वृत्तियाँ सम्भव हैं।

३. किसी को पीड़ित देखकर भी यदि बनुकम्पा का भाव नैदा न हो तो अहिंसा आदि ग्रन्त कभी निभ नहीं सकते, इसलिए करुणा की भावना आवश्यक मानी गई है। इस भावना का विषय केवल कलेश से पीड़ित दुःखी प्राणी है, क्योंकि दुःखी, दीन व अनाथ को ही अनुग्रह तथा मदद की अपेक्षा रहती है।

४. सर्वदा और सर्वत्र मात्र प्रवृत्तिप्रक भावनाएँ ही साधक नहीं होती, कई बार अहिंसा आदि ग्रन्तों को स्थिर करने के लिए तटस्य भाव धारण करना बड़ा

उपयोगी होता है। इसी कारण यहाँ माध्यस्थ्य-भावना का उपदेश किया गया है। माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या तटस्थिता। जब नितात संस्कारहीन अथवा किसी तरह की भी सद्वस्तु ग्रहण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय और यदि उसे लुभारने के सभी प्रयत्नों का परिणाम अन्तत शून्य ही दिखाई दे तो ऐसे अवक्ति के प्रति तटस्थ भाव रखना ही उचित है। अत माध्यस्थ्यभावना का विपर्य अविनेय या अयोग्य पात्र ही है।

संवेग तथा वैराग्य न हो तो अहिंसा आदि व्रतों का पालन सम्भव ही नहीं है। अत् इस त्रै के अन्यादी में संवेग और वैराग्य का हीना पहले आवश्यक है। संवेग अथवा वैराग्य का बीजवपन जगत्स्वभाव एवं शरीरस्वभाव के चिन्तन से होता है, इसोलिए इन दोनों के स्वभाव के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश किया गया है।

प्राणिमात्र को थोड़े-बहुत दुःख का अनुभव तो निरन्तर होता ही रहता है। जीवन सर्वथा विनश्वर है, अन्य वस्तुएँ भी टिकती नहीं। इस जगत्स्वभाव के चिन्तन से ही संसार का मोह दूर होता है और उससे भय या संवेग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शरीर के अस्तित्व, अशुचि और असारता के स्वभावचिन्तन से बाह्याभ्यन्तर विपर्यों के प्रति अनासन्ति या वैराग्य उत्पन्न होता है। ४-७ ।

### हिंसा का स्वरूप

**प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा । ८ ।**

प्रमत्तयोग से होनेवाला प्राणवध हिंसा है।

अहिंसा आदि जिन पांच व्रतों का निरूपण पहले किया गया है उनको भली-भाँति समझने और जीवन में उतारने के लिए विरोधी दोषों का यथार्थ स्वरूप जानना आवश्यक है। अत् यहाँ इन पांच दोषों के निरूपण का प्रकरण प्रारम्भ होता है। इस सूत्र में प्रथम दोप हिंसा की व्याख्या की गई है।

हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूरी की गई है। पहला अंश है प्रमत्तयोग अर्थात् रागद्वेषयुक्त अथवा असावधान प्रवृत्ति और दूसरा है प्राणवध। पहला अंश कारण-रूप है और दूसरा कार्य-रूप। इसका फलितार्थ यह है कि जो प्राणवध प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है।

प्रश्न—किसी के प्राण लेना या किसी को दुःख देना हिंसा है। हिंसा का यह अर्थ सबके ज्ञानने योग्य है और बहुत प्रसिद्ध भी है। किर भी इस अर्थ में ‘प्रमत्तयोग’ अंश जोड़ने का कारण क्या है?

उत्तर—जब तक मानव-समाज के विचार और अवहार में उच्च संस्कार का प्रवेश नहीं होता तब तक मानव-समाज तथा अन्य प्राणियों के बीच जीवन-अवहार में विशेष अन्तर नहीं पड़ता। पशु-पक्षी की भाँति असंस्कृत समाज के मनुष्य भी मानसिक वृत्तियों से प्रेरित होकर जाने-अनजाने जीवन की आवश्य-कर्ताओं के लिए अथवा किना आवश्यकताओं के ही दूसरे जीवों के प्राण लेते हैं। मानव-समाज की हिंसा-र्थ इस प्राथमिक दशा में जब एकाग्र मनुष्य के विचार में हिंसा के स्वरूप के बारे में जागृति होती है तब वह प्रचलित हिंसा को दोपरूप कहता है और दूसरे के प्राण न लेने की प्रेरणा करता है। एक और हिंसा जैसी प्रथा के पुराने संस्कार और दूसरी और अहिंसा की नवीन भावना का उदय, इन दोनों के बीच सर्वर्थ होते समय हिंसकवृत्ति की ओर से हिंसा-नियेषक के समक्ष अनेक प्रश्न अपने-आप खड़े होने लगते हैं और वे उसके सामने रखे जाते हैं। संक्षेप में वे प्रश्न तीन हैं—

१. अहिंसा के समर्थक भी जीवन-धारण तो करते ही हैं और यह जीवन किसी-न-किसी प्रकार की हिंसा किये विना निभने योग्य न होने से उनसे जो हिंसा होती है उसे दोष कहा जाय या नहीं?

२. भूल और अगाज का जब तक मानवीय वृत्ति में सर्वथा अभाव सिद्ध न हो जाय तब तक अहिंसा के समर्थकों के हाथों अनजाने या भूल से किसी का प्राण-नाश होना तो सम्भव ही है, अतः ऐसा प्राणनाश हिंसा दोष में आयेगा या नहीं?

३. कई बार अहिंसक वृत्ति का मनुष्य किसी को बचाने या उसको सुख-सुविधा पहुँचाने का प्रयत्न करता है, परन्तु परिणाम उलटा ही आता है, अर्थात् जिसको बचाना था उसी के प्राण चले जाते हैं। यह प्राणनाश हिंसा-दोष में आयेगा या नहीं?

ऐसे प्रश्न उपस्थित होने पर उनके समाधान में हिंसा और अहिंसा के स्वरूप का विचार गम्भीर हो जाता है। फलत हिंसा और अहिंसा का अर्थ विशाल हो जाता है। किसी के प्राण लेना या बहुत हुआ तो उसके निमित्त किसी को दुख देना यह जो हिंसा का अर्थ समझा जाता था तथा किसी के प्राण न लेना और उसके निमित्त किसी को दुख न देना यह जो अहिंसा का अर्थ समझा जाता था उसके स्थान पर अहिंसा के विचारकों ने सूक्ष्मतापूर्वक विचार करके निश्चय किया कि केवल किसी के प्राण लेने या किसी को दुख देने में हिंसा-दोष है ही, यह नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणवध या दुख देने के साथ ही उसके पीछे वैसा करनेवाले की भावना का विचार करके ही हिंसा की सदोपता या निर्दोषता का

निर्णय किया जा सकता है। वह भावना अर्थात् राग-द्रेप की विविध ऊर्मियाँ तथा असावधानता, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं, ऐसी अशुभ अथवा क्षुद्र भावना से ही यदि प्राणनाश हुआ हो या दुःख दिया गया हो तो वह हिंसा है और वही दोष-रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ हो या दुःख दिया गया हो तो वह देखने में भले ही हिंसा हो लेकिन दोषकोटि में नहीं आती। इस प्रकार हिंसक समाज में अहिंसा के संस्कारों के फैलने और उनके कारण विचार का विकास होने से दोषरूप हिंसा की व्याख्या के लिए केवल 'प्राणनाश' अर्थ ही पर्याप्त नहीं हुआ, इसीलिए उसमें 'प्रमत्तयोग' जैसा महत्त्व पूर्ण अंश बढ़ाया गया।

**प्रश्न** — हिंसा की इस व्याख्या से यह प्रश्न उठता है कि प्रमत्तयोग के बिना ही यदि प्राणवध हो जाय तो उसे हिंसा कहेंगे या नहीं? इसी प्रकार प्राणवध तो न हुआ हो लेकिन प्रमत्तयोग हो तब भी उसे हिंसा मानेंगे या नहीं? यदि इन दोनों स्थलों में हिंसा मानी जाय तो वह हिंसा प्रमत्तयोगजनित प्राणवधरूप हिंसा कोटि की ही होगी या उससे भिन्न प्रकार की?

**उत्तर**—केवल प्राणवध स्थूल होने से दूष्य-हिंसा तो है ही, जब कि प्रमत्तयोग सूक्ष्म होने से अदृश्य है। इन दोनों में दृश्यत्व-अदृश्यत्व के अन्तर के अतिरिक्त ज्ञान देने योग्य एक महत्त्वपूर्ण अन्तर दूसरा भी है और उसी पर हिंसा की सदोषता या निर्दोषता निर्भर करती है। प्राणनाश देखने में भले ही हिंसा हो फिर भी वह सर्वथा दोषरूप नहीं है, क्योंकि यह 'दोषरूपता स्वाधीन नहीं है। हिंसा की सदोषता हिंसक की भावना पर अवलम्बित होती है, अतः वह पराधीन है। भावना स्वयं दुरी हो तभी प्राणवध दोषरूप होगा, भावना दुरी न हो तो वह प्राणवध भी दोषरूप नहीं होगा। इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी हिंसा को द्रव्य-हिंसा अथवा व्यावहारिक हिंसा कहा गया है। द्रव्यहिंसा अथवा व्यावहारिक हिंसा का अर्थ यही है कि उसकी दोषरूपता अवाचित नहीं है। इसके विपरीत प्रमत्तयोगरूप जो सूक्ष्म भावना है वह स्वयं ही सदोष है, जिससे उसकी सदोषता स्वाधीन है अर्थात् वह स्थूल प्राणनाश या किसी अन्य बाह्य वस्तु पर अवलम्बित नहीं है। स्थूल प्राणनाश करने या दुःख देने का प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का जीवन बढ़ गया हो या उसको सुख ही पहुँच गया हो, फिर भी यदि उसके पीछे भावना अशुभ रही ही हो तो वह सब एकान्त दोष-रूप ही समझा जायगा। यही कारण है कि ऐसी अशुभ भावना को शास्त्रीय परिभाषा में भावहिंसा अथवा निष्प्रयहिंसा कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि उसकी दोषरूपता स्वाधीन होने से तीनों कालों में अवाचित रहती है। केवल प्रमत्तयोग या केवल प्राणवध

इन दोनों को स्वतन्त्र ( अलग-अलग ) हिंसा मान लेने और दोनों की दोप-रूपता का पूर्वोक्त रोति से तारतम्य जान लेने के बाद इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों प्रकार की हिंसाएँ प्रमत्तयोग-जनित प्राणवध जैसी हिंसा की कोटि की ही है या मिन्न प्रकार की । यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही स्थूल अंख न देख सके लेकिन तात्त्विक रूप से तो प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग-जनित प्राणनाश की कोटि की हिंसा है और केवल प्राणनाश ऐसी हिंसा नहीं है जो चक्ष कोटि में आ सके ।

प्रश्न—यदि प्रमत्तयोग ही हिंसा की सदोपता का मूल बीज है तब तो हिंसा की व्याख्या इतनी ही पर्याप्त होगी कि 'प्रमत्तयोग हिंसा है ।' यदि ऐसा हो तो यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि किर हिंसा की व्याख्या में 'प्राणनाश' को स्थान देने का क्या कारण है ?

उत्तर—तात्त्विक रूप में तो प्रमत्तयोग ही हिंसा है लेकिन समुदाय द्वारा सम्पूर्णतया और बहुत अचौ में उसका त्याग करना सम्भव नहीं । इसके विपरीत स्थूल होने पर भी प्राणवध का त्याग सामुदायिक जीवनहित के लिए बाछनीय है और यह बहुत अचौ में सम्भव भी है । प्रमत्तयोग न भी छूटा हो लेकिन स्थूल प्राणवधवृत्ति के कम हो जाने से भी प्राय सामुदायिक जीवन में सुख-शान्ति रहती है । अहिंसा के विकास-क्रम के अनुसार भी समुदाय में पहले स्थूल प्राणनाश का त्याग और बाद में धीरे-धीरे प्रमत्तयोग का त्याग सम्भव होता है । इसीलिए आध्यात्मिक विकास में सहायक रूप में प्रमत्तयोगरूप हिंसा का ही त्याग इष्ट होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिंसा के स्वरूप के अन्तर्गत स्थूल प्राणनाश को स्थान दिया गया है तथा उसके त्याग को भी अहिंसा की कोटि में रखा गया है ।

प्रश्न—यह तो सही है कि शास्त्रकार ने जिसे हिंसा बहा है उससे निवृत्त होना ही अहिंसा है । पर ऐसे अहिंसान्तों के लिए जीवन-निर्माण की दृष्टि से क्या-क्या कर्तव्य विनिर्वाच्य है ?

उत्तर—? जीवन को सादा बनाना और आवश्यकताओं को कम करना ।

२ मानवीय वृत्ति में अज्ञान की चाहे जितनी गुणाङ्गा हो लेकिन पुण्यार्थ के अनुसार ज्ञान का भी स्थान है ही । इमलिए प्रतिक्षण सावधान रहना और कहीं भूल न हो जाय, इसका ध्यान रखना और यदि भूल हो जाए तो वह ध्यान से ओझल न हो सके, ऐसी दृष्टि बनाना ।

३ आवश्यकताओं को कम करने और साक्षमता रहने का लक्ष्य रखने पर-

भी चिन के मूल दोष, जैसे स्थूल जीवन की तुष्णा और उसके कारण पैदा होने-वाले दूसरे रागद्वेषादि दोषों को कम करने का सतत प्रयत्न करना ।

**प्रश्न**—जपर हिंसा की जो दोषहृता बसलाई गई है उसका क्या अर्थ है ?

**उत्तर**—जिससे वित्त की कोमलता कम हो और कठोरता बढ़े तथा स्थूल जीवन की तुष्णा बढ़े वही हिंसा की सदोषता है । जिससे कठोरता न बढ़े एवं सहज प्रेममय वृत्ति व अंतर्मुख जीवन में तनिक भी वाधा न पहुँचे, तब भले ही देखने में हिंसा हो, लेकिन वही हिंसा की अदोषता है ।

### असत्य का स्वरूप

#### असदभिधानमनुतम् । २ ।

**असत् बोलना अनृत ( असत्य ) है ।**

सूत्र में असत्-कथन को असत्य कहा गया है, किंव भी उसका भाव व्यापक होने से उसमें असत्-चिन्तन, असत्-भाषण और असत्-आचरण इन सबका समावेश है । ये सभी असत्य हैं । जैसे अर्हिंसा की व्याख्या में ‘प्रमत्तयोग’ विशेषण लगा है वैसे ही असत्य तथा अदत्तादानादि<sup>१</sup> दोषों की व्याख्या में भी यह विशेषण जोड़ लेना चाहिए । इसलिए प्रमत्तयोगपूर्वक जो असत्-कथन है वह असत्य हैं, यह असत्य-दोष का फलित अर्थ है ।

‘असत्’ शब्द के मुख्यतः दो अर्थ यहाँ अभिप्रेत हैं :

१. जो वस्तु अस्तित्व में हो उसका सर्वथा निषेध करना अथवा निषेध न करने पर भी जी जिस रूप में वस्तु हो उसको उस रूप में न कहकर उसका अन्यथा कथन करना असत् है ।

२. गहित असत् अर्थात् जो सत्य होने पर भी दूसरे को पीड़ा पहुँचाता हो ऐसा दुर्भावियुक्त कथन असत् है ।

पहले अर्थ के अनुसार पास में पूँजी होने पर भी जब लेनदार ( साहूकार ) याँग करे तब कह देना कि कुछ भी नहीं है, यह असत्य है । इसी प्रकार पास में पूँजी है, यह स्वीकार कर लेने पर भी लेनदार सफल न हो सके इस प्रकार का वक्तव्य देना भी असत्य है ।

१. अवधार में ‘प्रमत्तयोग’ विशेषण नहीं लगता, क्योंकि यह दोष अप्रमत्त दशा में अभ्यव ही नहीं है । इसलिए तो अवधार्य को निरपवाद कहा गया है । विशेष स्थायोकरण के लिए टर्ट—‘जैन इष्टिए अवधार्य’ नामक गुजराती निवन्ध ।

दूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या मूढ़ को नीचा दिखाने के लिए अथवा ऐसे बंग से कि उसे दुम पहुँचे, सत्य होने पर भी 'अनपढ़' या 'मूढ़' कहना अमत्य है।

अमत्य के उक्त अर्थ में मत्यप्रतिष्ठारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते हैं :

१. प्रमत्तयोग का त्याग करना ।
२. मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में एकरूपता रखना ।
३. सत्य होने पर भी दुर्भाव से न तो अग्रिय शोचना, न बोलना और न करना । ९ ।

### चोरी का स्वरूप

#### अदत्तादानं स्तेयम् । १० ।

विना दिये लेना स्तेय ( चोरी ) है ।

जिम वस्तु पर किसी दूसरे का स्वामित्व हो, भले ही वह वस्तु तृप्त या मूल्यरहित हो, उसके स्पामी की आज्ञा के विना चौर्य-बुद्धि से ग्रहण करना स्तेय है ।

इस व्याख्या से अधीरप्रतिष्ठारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते हैं :

१. किसी भी वस्तु के प्रति लालची वृत्ति दूर करना ।
२. जब तक ललचाने की आदत न छुटे तब तक लालच की वस्तु न्याय-पूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना और दूसरे को ऐसी वस्तु आज्ञा के विना लेने का विचार तक न करना । १० ।

### अग्रह का स्वरूप

#### मैथुनमत्तहा । ११ ।

मैथुन-प्रवृत्ति अवहा है ।

मैथुन अर्थात् मिथुन की प्रवृत्ति । 'मिथुन' शब्द भारात्य इष में स्त्री हीर पुरुष के 'जोड़े' के अर्थ में प्रयुक्त है । किर भी इसके अर्थ को शूल विनून वरना आवश्यक है । जोड़ा स्त्री-पुरुष का, पुरुष-पुरुष का या स्त्री-स्त्री ना भी ही नरका है । यह सजातीय—मनुष्य आदि एक जाति का अपग्र विज्ञान—मनुष्य, दग्ध आदि भिन्न-भिन्न जातियों का भी ही सकता है । ऐसे जोड़े भी काम-राग के आवेदा में उत्पन्न मानसिक, वाचिक अपदा कायिक दोई भी प्रवृत्ति मैथुन क्षयान अश्रू है ।

प्रश्न—जहाँ जोड़ा न हो किन्तु इसी या पुरुष में से कोई एक ही व्यक्ति कामराग के आवेश में जड़ वस्तु के आलम्बन से अथवा अपने हस्त आदि अवयवों द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे तो ऐसी चेष्टा को उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार क्या मैथुन कह सकते हैं ?

उत्तर—हाँ, अवश्य कह सकते हैं। क्योंकि मैथुन का मूल भावार्थ तो काम-रागजनित चेष्टा ही है। यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी दुश्चेष्टाओं पर भी लागू हो सकता है, अत उसमें भी मैथुन का दोष है ही।

प्रश्न—मैथुन को अन्नहा कहने का मत्ता कारण है ?

उत्तर—जो अन्ना न हो वह अन्नहा है। अन्नहा का अर्थ है—जिसके पालन और अनुसारण से सद्गुणों को वृद्धि हो। जिस और जाने से सद्गुणों की वृद्धि न हो, वल्कि दोषों का ही पोषण हो वह अन्नहा है। मैथुन-प्रवृत्ति ऐसी है कि उसमें पड़ते ही सारे दोषों का पोषण और सद्गुणों का ह्लास प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए मैथुन को अन्नहा कहा गया है। ११।

### परिग्रह का स्वरूप

मूच्छा परिग्रहः । १२ ।

मूच्छा ही परिग्रह है।

मूच्छा अर्थात् आसक्ति । वस्तु छोटी-बड़ी, जड़-चेतन, बाह्य या आन्तरिक चाहे जो हो या न भी हो तो भी उसमें वेष लाना अर्थात् उसकी लगन में विवेक-शून्य हो जाना परिग्रह है।

प्रश्न—हिंसा से परिग्रह तक के पांच दोषों का स्वरूप उपर-उपर से मिल्ने प्रतीत होता है, पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर उसमें कोई विशेष भेद नहीं है। वस्तुत इन पांचों दोषों की सदोपता का आधार राग, द्वेष और भोग ही है और यहीं हिंसा आदि वृत्तियों का जहार है। इसी से वे वृत्तियाँ दोपरूप हैं। यदि यह बात सत्य है तब ‘राग-द्वेष आदि ही दोष हैं’ इतना कहना ही काफी होगा। फिर दोष के हिंसा आदि पांच या न्यूनाधिक भेदों का वर्णन क्यों किया जाता है ?

उत्तर—नि सन्देह कोई भी प्रवृत्ति राग-द्वेष आदि के कारण ही होती है। अतः मुख्य रूप से राग-द्वेष आदि ही दोष हैं और इन दोषों से विरत होना ही मुख्य व्रत है। फिर भी राग-द्वेषादि तथा ऐसी प्रवृत्तियों के त्याग का उपदेश तभी किया जा सकता है जब कि तज्जन्य प्रवृत्तियों के विषय में समझा दिया गया हो। स्मूल दृष्टिकोण लोगों के लिए दूसरा क्रम अर्थात् सीधे राग-द्वेषादि के त्याग का उपदेश सम्भव नहीं है। राग-द्वेषजन्य असंख्य प्रवृत्तियों में से हिंसा, असत्य आदि

मुख्य हैं और वे प्रवृत्तियाँ ही मुख्य रूप से आध्यात्मिक या लौकिक जीवन को कुरेद डालती हैं। इसीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियों को पर्वच भागों में बांटकर पर्वच दोषों का दर्शन किया गया है।

दोषों की इस संख्या में समय-समय पर और देश-भेद से परिवर्तन होता रहा है और होता रहेगा, किर भी सद्या और स्यूल नाम के भोह में न पढ़कर इतना जान लेना पर्याप्त है कि इन प्रवृत्तियों के राग, द्वेष व भोह आदि दोषों का त्याग करने की ही बात मुख्य है। अतः हिंसा आदि पर्वच दोषों में कीन-सा दोष प्रधान है, किसका पहले या बाद में त्याग करना चाहिए यह प्रश्न ही नहीं रहता। हिंसादोष की व्यापक व्याख्या में असत्य आदि सभी दोष आ जाते हैं। इसी प्रकार असत्य या चोरी आदि किसी भी दोष की व्यापक व्याख्या में शोष सब दोष आ जाते हैं। यही कारण है कि अहिंसा को मुख्य धर्म माननेवाले हिंसादोष में असत्यादि सब दोषों को समाहित कर लेते हैं और केवल हिंसा के त्याग में ही अन्य सभी दोषों का त्याग भी समझते हैं। सत्य को परमधर्म माननेवाले असत्य में शोष सब दोषों को धटित कर केवल असत्य के त्याग में ही सब दोषों का त्याग समझते हैं। इसी प्रकार सतोष, ब्रह्मचर्य आदि को मुख्य धर्म माननेवाले भी समझते हैं। १२।

### यथार्थ व्रती की प्राथमिक योग्यता

निःशाल्यो व्रती । १३ ।

**शल्यरहित ही व्रती होता है।**

अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के ग्रहण करने भाव से कोई सच्चा व्रती नहीं बन जाता। सच्चा व्रती बनने के लिए छोटी-से-छोटी और सबसे पहली शर्त एक ही है कि 'शल्य' का त्याग किया जाय। नक्षेप में शाल्य तीन हैं : १ दम्भ-कपट, ढोग अथवा ठगवृत्ति, २ निदान-भोजी की लालसा, ३ मिथ्यादर्जन—सत्य पर श्रद्धा न रखना अथवा असत्य का आग्रह। ये तीनों दोष मानसिक हैं। ये मन और तन दोनों को कुरेद डालते हैं और आत्मा भी कभी स्वरथ नहीं रह पाती। शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण से व्रत ग्रहण कर भी ले, किंतु वह उनके पालन में एकाध नहीं हो पाती। जैसे किसी अंग में कौटा या लीकण वस्तु चुभ जाय तो वह शरीर और मन को व्याकुल बना डालती है और आत्मा को भी कार्य में एकाध नहीं होने देती, वैसे ही ये मानसिक दोष भी उसी प्रकार की व्यग्रता पैदा करते हैं। इसीलिए व्रती बनने के लिए उनका त्याग प्रथम शर्त के रूप में आवश्यक माना गया है। १३ ।

नती के भेद

### अगार्यनगारश्च । १४ ।

नती के अगारी ( गृहस्थ ) और अनगार ( त्यागी ) ये दो भेद हैं ।

प्रत्येक नतधारी की योग्यता समान नहीं होती । इसीलिए यहाँ योग्यता के तारतम्य के अनुसार संक्षेप में नती के दो भेद किए गए हैं—१ अगारी और २. अनगार । अगार अर्थात् घर । जिसका घर के साथ सम्बन्ध हो वह अगारी न थर्तु शृहस्थ । जिसका घर के साथ सम्बन्ध न हो वह अनगार अर्थात् त्यागी, मुनि ।

अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का सरल अर्थ घर में रहना या न रहना ही है । लेकिन यहाँ इनका यह तात्पर्य अपेक्षित है कि विषयतृष्णा से युक्त अगारी है तथा विषयतृष्णा से मुक्त अनगार । इसका फलितार्थ यह है कि कोई घर में रहता हुआ भी विषयतृष्णा से मुक्त हो तो अनगार ही है तथा कोई घर छोड़कर जंगल में जा बसे लेकिन विषयतृष्णा से मुक्त नहीं है तो वह अगारी ही है । अगारीपन और अनगारपन की एक यही सन्दी एवं प्रमुख कसीटी है तथा उसके आकार पर ही यहाँ नती के दो भेद वर्णित हैं ।

प्रक्षम—यदि कोई विषयतृष्णा होने के कारण अगारी है तो फिर उसे नती कैसे कहा जा सकता है ?

उत्तर—स्थूल दृष्टि से कहा जा सकता है । जैसे कोई व्यक्ति अपने घर आदि किसी नियत स्थान में ही रहता है और फिर भी अमुक शहर में रहता है—ऐसा व्यवहार अपेक्षाकृत्व से करते हैं, वैसे ही विषयतृष्णा के रहने पर भी अल्पांश में नत का सम्बन्ध होने से उसे नती कहा जा सकता है । १४ ।

अगारी नती

### अणुवत्तोजगारी । १५ ।

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकपौष्ट्रोपवासोपभोग-  
परिभोगयरिमाणाऽतिथिसंविभागन्रतसम्पत्तश्च । १६ ।

### मारणान्तिकां संलेखनां जोषिता । १७ ।

अणुवत्तधारी अगारी नती कहलाता है ।

वह नती दिग्देशति, देशविरति अनर्थदण्डविरति, सामायिक, पौष्ट्र-  
ोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग—इन नतों से  
भी सम्पत्त होता है ।

वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है ।

जो अर्हिंसा आदि व्रतों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी त्यागवृत्तियुक्त हैं, वह गार्हस्तिक मर्यादा में रहकर अपनी त्यागवृत्ति के बनुसार इन व्रतों को अल्पाश में स्वीकार करता है। ऐसा गृहस्थ 'अणुद्रष्टव्यादी आवक' कहा जाता है।

सम्पूर्णरूप से स्वीकार किये जानेवाले व्रत महाव्रत कहलाते हैं। उनके स्वीकरण की प्रतिक्रिया में सम्पूर्णता के कारण तारतम्य नहीं रखा जाता। जब व्रतों को अल्पाश में स्वीकार किया जाता है, तब अल्पता की विविधता के कारण प्रतिक्रिया भी अनेक प्रकार से अलग-अलग ली जाती है। फिर भी एक-एक अणुव्रत की विविधता में न जाकर सूक्ष्माकार ने सामान्यता गृहस्थ के अर्हिंसा आदि व्रतों का एक-एक अणुव्रत के रूप में वर्णन किया है। मेरे अणुव्रत पाँच हैं, जो मूलभूत हैं अर्थात् त्याग के प्रथम स्तरम्य होने से मूलगुण या मूलव्रत कहलाते हैं। इनकी रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त गृहस्थ अन्य भी अनेक व्रत स्वीकार करता है, जो उत्तरगुण<sup>१</sup> या उत्तरव्रत के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे उत्तरव्रत संक्षेप में सात हैं तथा गृहस्थ ज्ञाती जीवन के अन्तिम समय में जिस एक व्रत को लेने के लिए प्रेरित होता है, उसे संलेखन कहा जाता है। यहाँ उसका भी निर्देश है। इन सभी व्रतों का स्वरूप यहाँ संक्षेप में वर्तलाया जा रहा है।

पाँच अणु-व्रत—२. छोटे-बड़े प्रत्येक जीव की मानसिक, धार्चिक, कायिक हिंसा का पूर्णतया त्याग सम्बन्ध न होने के कारण अपनी निश्चित की हुई गृहस्थ-मर्यादा, जितनी अल्प-हिंसा से निभ सके उससे अधिक हिंसा का त्याग करना

१. सामान्यतः भ० महावीर की समझ परम्परा में अणुव्रतों की पाँच संख्या, उनके नाम तथा क्रम में कोई अन्तर नहीं है। हाँ, दिगम्बर परम्परा में कुछ आचार्यों ने रात्रिभोजन के त्याग को छठे अणुव्रत के रूप में गिना है। परन्तु उत्तरगुण के रूप में माने हुए आवक के व्रतों के विषय में प्राचीन व नवीन अनेक परम्पराएँ हैं। तत्त्वार्थसूत्र में दिविकरमण के बाद उपमोगपरिमोगपरिमाणव्रत के त्यागन पर देशविरमणव्रत को रखा गया है, जब कि आगमों में दिविकरमण के बाद उपमोगपरिमोगपरिमाणव्रत है तथा देशविरमणव्रत की सामायिकतात के बाद गिना है। ऐसे क्रम-नीति के बावजूद जो तीन व्रत गुणव्रत के रूप में और चार व्रत शिक्षाव्रत के रूप में माने जाते हैं उनमें कोई अन्तर नहीं है। उत्तरगुणों के विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय में छ. विभिन्न परम्पराएँ देखने में आती हैं। कुण्डकुण्ड, उमास्वाति, समन्तभद्र, स्वामी कार्तिकेय, जिनसैन और बसुनन्दी इन आचार्यों की मिल-मिल मान्यताएँ हैं। इस मतमें में कहाँ नाम का, कहाँ श्रम का, कहाँ संख्या का और कहाँ अर्थविकास का अन्तर है। यह सब स्पष्टरूप से जानने के लिए देखें—प० ऊण्डकिस्तोरनी मुलाकार की जीनाचार्यों का शासन-भेद नामक पुस्तक, ४० २१ से आगे।

अहिंसाणुव्रत है। इसी प्रकार असत्य, चोरी, कामाचार और परिग्रह का अपनी परिस्थिति के अनुसार मर्यादित रूप में त्याग करना—२ सत्य, ३ अस्तेय, ४. ब्रह्मचर्य और ५ अपरिग्रह अणुव्रत है।

तीन गुणवृत्त—६. अपनी स्थानवृत्ति के अनुसार पूर्ण व पश्चिम आदि सम्मी दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उस सीमा के बाहर सब प्रकार के अधर्म-कार्यों से निवृत्त होना दिव्यविवरत्रित है। ७. सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्चित कर लेने के बाद भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय-समय पर क्षेत्र का परिमाण निश्चित करके उसके बाहर अधर्म-कार्य से सर्वथा निवृत्त होना देवविवरत्रित्रत है। ८ अपने भोगरूप प्रयोजन के लिए होने वाले अधर्म-व्यापार के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण अधर्म-व्यापार से निवृत्त होना अर्थात् कोई निरर्थक प्रवृत्ति न करना अनर्थदण्डविवरत्रित है।

चार विकासव्रत—९. काल का अभिग्रह लेकर अर्थात् अमुक समय तक अधर्म-प्रवृत्ति का त्याग करके धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होने का अन्यास करना सामाधिक न्यूनत है। १०. अहमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या किसी दूसरी तिथि में उपवास करके और सब प्रकार की शरीर-विभूषा का त्याग करके धर्म-ज्ञागरण में तत्पर रहना पीयघोषवासव्रत है। ११ अधिक अधर्म की संभावनावाले सानन्दान, आभूषण, चत्व, बर्तन आदि का रुपाग करके अल्प अवर्मवाली वस्तुओं की भी भोग के लिए भर्यादा बाँधना उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत है। १२. न्याय से संपादित और खपेनवाली स्थान-न्याय आदि के योग्य वस्तुओं का शुद्ध भक्तिभावपूर्वक सुपात्र को इस प्रकार दान देना कि उससे उभय पक्ष का हित हो—अतिरिच्छविभागव्रत है।

सलेखना—कपायों को नष्ट करने के लिए उनके निर्वाहिक और पोषक कारणों को कम करते हुए कपायों को मन्द करना सलेखनाव्रत है। यह व्रत वर्तमान शरीर का अन्त होने तक के लिए लिया जाता है। इसको मारणान्तिक सलेखना कहते हैं। गृहस्थ भी अद्वापूर्वक सलेखनाव्रत स्वीकार करके उसका सम्पूर्णतया पालन करते हैं, इसीलिए उन्हे इस व्रत का आराधक कहा गया है।

प्रइन—सलेखनाव्रत धारण करनेवाला मनुष्य अनशन आदि द्वारा शरीर का अन्त करता है। यह सो आत्महत्या है और यह स्वर्हिंसा ही है। फिर इसको व्रत मानकर त्यागधर्म में स्थान देना कहाँ तक उचित है?

उत्तर—यह भले ही दुख या प्राणनाश दिखाई दे, पर इतने मात्र से नहून व्रत हिंसा की कोटि में नहीं आता। वास्तविक हिंसा का स्वरूप तो राग, हैर एवं भोह की वृत्ति से ही बनता है। सलेखनाव्रत में प्राणनाश है, पर वह राग, हैर एवं भोह के न होने से हिंसा की कोटि में नहीं आता, अपितु निर्मो-

हृत्य और वीतरागत्व साधने की भावना में से ही यह ब्रत उत्पन्न होता है और इस भावना की सिद्धि के प्रयत्न के कारण ही यह ब्रत पूर्ण बनता है। इसलिए यह हिंसा नहीं है, अपितु शुभध्यान अथवा शुद्धध्यान की कोटि का होने से इसको त्यागधर्म में स्थान प्राप्त है।

**प्रश्न**—जैनेतर पन्थों में प्राणनाश करने की और धर्म भावने की कमलपूजा, भैरवजप, जलसमाधि आदि अनेक प्रथाएँ प्रचलित थीं एवं हैं; उनमें और सलेखना में क्या अन्तर है ?

**उत्तर**—प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दिलाई हैं, किन्तु भेद तो उनमें निहित भावना में ही होता है। कमलपूजा आदि के पीछे कोई शीतिक आवास या दूसरा प्रलोभन न हो और केवल भक्ति का आवेश या अपर्ण कीवृत्ति हो, ऐसी स्थिति में तथा आवेश या प्रलोभन से रहित सलेखना की स्थिति में अगर कोई अन्तर कहा जा सकता है तो वह भिन्न-भिन्न तत्त्वज्ञान पर अवलम्बित भिन्न-भिन्न उपासनाओं में निहित भावनाओं का ही है। जैन-उपासना का व्येष उसके तत्त्वज्ञान के अनुसार परार्पण या परप्रसन्नता नहीं है, अपितु आत्म-शोषण भाव है। पुराने समय से चन्द्री आई धर्म प्राणनाश की विविध प्रथाओं का उसी व्येष की दृष्टि से संबोधित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचलित है, सलेखनाब्रत है। इसलिए सलेखनाब्रत का विवान विशिष्ट संयोगों में किया गया है।

जब चीवन का अन्त निभित रूप से समीप दिलाई दे, धर्म एवं आवश्यक कर्तव्यों का नाश हो गहा हो तथा किसी तरह का दुष्यानि न हो उसी स्थिति में यह ब्रत विवेष भावा गया है। १५-१७।

### सम्पर्दर्शन के अतिचार

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवा:  
सम्पर्दर्शरतिचारा: । १८ ।

शङ्का, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा तथा अन्यदृष्टिसंस्तव ये पाँच सम्पर्दर्शन के अतिचार हैं।

ऐसे स्खलन अतिचार कहलाते हैं जिनसे कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण भिल्ग ही जाता है और भीरे-भीरे हास होते-होते नह हो जाता है।

सम्पर्द की चारित्रधर्म का भूल आधार है। उसकी शुद्धि पर ही चारित्र-शुद्धि अवलम्बित है। इसलिए जिनसे सम्पर्द की शुद्धि में विष फूँचने की

सम्भावना है ऐसे अतिचारों का यहाँ पाँच भागों में वर्णन किया गया है। वे इस प्रकार हैं :

१. शङ्खातिचार—आहंत-प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें वर्णित अनेक सूक्ष्म और अतीनिदिय पदार्थों ( जो केवल केवलज्ञानगम्य तथा आगमगम्य हो ) के विषय में शङ्खा करना कि 'वे ऐसे होंगे या नहीं ?' संशय और तत्पूर्वक परीक्षा का जैन तत्त्वज्ञान में पूर्ण स्थान होने पर भी यहाँ शङ्खा को अतिचार कहने का अभिप्राय इतना ही है कि तत्कंबाद से परे के पदार्थों को तर्कदृष्टि से कसने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि साधक अद्वागम्य प्रदेश को बुद्धिगम्य नहीं कर सकता, जिससे अन्त में वह बुद्धिगम्य प्रदेश को भी छोड़ देता है। अत जिससे साधना के विकास में बाधा आती ही वैसी शङ्खा अतिचार के रूप में त्याज्य है।

२. काकातिचार—ऐहिक और पारलौकिक विषयों की अग्रिलापा करना। यदि ऐसी काका होगी तो साधक गुणदोष का विचार किए बिना ही चाहे जब अपना सिद्धान्त छोड़ देगा, इसीलिए उसे अतिचार कहा गया है।

३. विविक्तिसातिचार—जहाँ भी भृतभ्रेद या विचारभ्रेद का प्रसंग उपस्थित हो वहाँ अपने-आप कोई निर्णय न करके केवल मतिमन्दिता या अस्थिर-बुद्धि के कारण यह सोचना कि 'यह बात भी ठीक है और वह बात भी ठीक हो सकती है'। बुद्धि की यह अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी स्थिर नहीं रहते देती, इसीलिए इसे अतिचार कहा गया है।

४-५. मिथ्यादृष्टिप्रशंसा व मिथ्यादृष्टिसंस्तव अतिचार—जिसकी दृष्टि मिथ्या हो उसकी प्रशंसा करना या उससे परिचय करना। आन्तदृष्टि से युक्त व्यक्तियों में भी कई बार विचार, स्थाग आदि गुण मिलते हैं। गुण और दोष का भ्रेद किए बिना उन गुणों से आङ्गृष्ट होकर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा करने व्यथा उससे परिचय करने से अविवेकी साधक के सिद्धान्त से स्वलित होने का ढर रहता है। इसीलिए अन्यदृष्टिप्रशंसा और अन्यदृष्टिसंस्तव को अतिचार माना गया है। मध्यस्थिता और विवेकपूर्वक गुण को गुण और दोष को दोष समझनेवाले साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशंसा और संस्तव सर्वथा हानिकारक होते हैं, ऐसी बात नहीं है।

उक्त पाँचों अतिचार ब्रती श्रावक और साधु के लिए समान हैं, क्योंकि दोनों के लिए सम्प्रकृत्व साधारण धर्म है। १८।

व्रत व शील के अतिचारों की सच्चा सथा नाम-निर्देश  
 व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यज्ञकम्लः । १९ ।  
 बन्धवधुच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः । २० ।  
 मिथ्योपदेशरहस्याभ्यास्याधानकूटलेखकिमान्यासापहारसाकारमन्त्र-  
 भेदाः । २१ ।  
 स्तोनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीमाधिकमानोन्मान-  
 प्रतिरूपकव्यवहाराः । २२ ।  
 परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीताऽपरिगृहीतागमनानङ्गकीडातीक-  
 कामाभिनिवेदाः । २३ ।  
 क्षेत्रवास्तुहिरप्यसुखर्णघनधान्यदासीदासकुप्यप्रभाणतिक्रमाः । २४ ।  
 कन्धाधित्स्तिर्णव्यतिक्रमदोषबृहद्दिस्मृत्यन्तर्धानानि । २५ ।  
 आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलस्तेपाः । २६ ।  
 कन्धर्णकौतुक्यमौखर्यात्मीयाधिकरणोप-  
 भोगाधिकत्वानि । २७ ।  
 थोगदुष्टिगिरानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि । २८ ।  
 वप्रत्यवेक्षिताप्रभाजितोत्तरगदिवानिकेपसंत्तारोपकरणानादरस्मृत्य-  
 नुपस्थापनानि । २९ ।  
 सचितसन्ददर्सनमिभाग्निवदनुप्यवधाहराः । ३० ।  
 सचितनिकेपविवानपरवपदेशमात्सर्यकाश्चातिक्रमाः । ३१ ।  
 जीवितमरणादामित्रानुरागसुखानुवन्धनिदानकरणानि । ३२ ।

व्रतों और शीलों के पाँच-पाँच अतिचार हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं :

बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिचार का लादना और अन्न-पान का निरोध ये पाँच अतिचार प्रथम अहिंसा अणुवत् के हैं।

मिथ्योपदेश, रहस्याभ्यास्याधान, कूटलेखकिया, न्यासापहार और साकार-मन्त्रभेद ये पाँच अतिचार हूसरे सत्य अणुवत् के हैं।

स्तोनप्रयोग, स्तोनाहृतादान, विरोधी राज्य का अतिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच अतिचार तीसरे अचौर्य अणु-व्रत के हैं।

परविवाहकरण, रहस्यरपरिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अन्नङ्ग-कीड़ा और दीक्रामाधिनिवेश ये पाँच अतिचार चौथे चतुर्वर्ष अणुवत् के हैं।

क्षेत्र और वास्तु, हिरण्य और सुवर्ण, घन और घान्य, दासी और दास एवं कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम ये पाँच अतिचार पाँचवें परिश्राहपरिमाण अणुव्रत के हैं ।

ऋच्चव्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तघर्ण ये पाँच अतिचार छठे दिव्यवरति व्रत के हैं ।

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गलक्षेप ये पाँच अतिचार सातवें देशविवरति व्रत के हैं ।

कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, असमीक्ष्य-अधिकरण और उपभोग का आधिकरण ये पाँच अतिचार आठवें अनुर्यदण्डविरमण व्रत के हैं ।

कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिक व्रत के हैं ।

अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित में आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित सस्तार का उपक्रम, अनादर और स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार धौषध व्रत के हैं ।

सचित्त आहार, सचित्तसम्बद्ध आहार, सचित्तसंमिश्र आहार, अभिषव आहार और दुष्प्रक्षम आहार ये पाँच अतिचार भोगोपभोग व्रत के हैं ।

सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, मात्सर्य और कालातिक्रम ये पाँच अतिचार अतिविसविभाग व्रत के हैं ।

जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध और निदानकरण ये पाँच अतिचार मारणान्तिक संलेखना के हैं ।

श्रद्धा और ज्ञान-पूर्वक स्वीकार किए जानेवाले नियम को व्रत कहते हैं । इसके अनुसार आवर्क के बारह व्रत 'श्रद्ध' शब्द में आ जाते हैं । फिर भी यहां व्रत और शील इन दो शब्दों के प्रयोग द्वारा यह निर्देश किया गया है कि चारित्र-धर्म के मूल नियम अर्हिता-सत्य आदि पाँच हैं, दिव्यवरमण आदि शेष नियम इन मूल नियमों की पुष्टि के लिए ही है । प्रत्येक व्रत और शील के पाँच-पाँच अतिचार मध्यमदृष्टि से ही गिनाए गए हैं, क्योंकि संक्षेपदृष्टि से तो कम भी सोचे जा सकते हैं एवं विस्तारदृष्टि से पाँच से अधिक भी हो सकते हैं ।

चारित्र का अर्थ है रागद्वेष आदि विकारों का अभाव साधकर समग्राव का परिष्कारन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने के लिए अर्हिता, सत्य आदि जो नियम व्यावहारिक जीवन में उत्तरे जाते हैं वे सभी चारित्र

प्रह्लाद है। ज्यावहारिक जीवन बेश, काल आदि को परिस्थिति तथा मानव-बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है, अत उक्त परिस्थिति और संस्कारिता के परिवर्तन के साथ ही जीवन-ज्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण है कि चारित्र का मूल स्वरूप एक होने पर भी उसके पौयक रूप में स्वीकार किए जानेवाले नियमों की सत्यता तथा स्वरूप में परिवर्तन अनिवार्य है। इसीलिए शास्त्रों में आवक के ब्रत व नियम भी अनेक प्रकार से विभिन्न रूप में खिलते हैं और भविष्य में भी इनमें परिवर्तन होता रहेगा। किर भी यहाँ ग्रन्थकार ने श्रावक-र्थम के तेरह भेद मानकर प्रत्येक भेद के अधिकारों का कथन किया है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं—

**आहौसादत के अधिकार—** १. धन्व—किसी भी प्राणी को उसके इष्टस्थान पर जाते हुए रोकना या बांधना। २. वध—लाठी या चाबुक आदि से प्रहार करना। ३. छविच्छेद—कान, नाक, चमड़ी आदि अवयवों का भेदन या छेदन करना। ४. अतिशारारोपण—मनुष्य या पशु आदि पर शक्ति से ज्यादा मार लादना। ५. अन्नप्राप्तिनिरोध—किसी के खाने-पीने में रुकावट डालना। चत्सर्ग भार्ग यह है कि किसी भी प्रयोजन के बिना ब्रतधारी गृहस्थ इन दोषों का कदापि सेवन न करे, परन्तु घर-गृहस्थी का कार्य आ पड़ने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका सेवन करना ही पढ़े तब भी कोभलभाव से ही काम लेना चाहिए। १९-२०।

**सास्त्रात् के अधिकार—** १. मिथ्योपदेश—सही-गलत भगवान्नर किसी को चिपरीत भार्ग में डालना। २. रहस्याभ्यास्यान—रागवश विनोद के लिए किसी परिष्पत्ती की अथवा अन्य स्नेही जनों को एक-दूसरे से अलग कर देना अथवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोपण करना। ३. कूटलेखक्रिया—मोटर, हस्ताक्षर आदि द्वारा कूठों लिखा-पड़ी करना तथा खोटा सिक्का आदि चलाना। ४. न्यासा-पहार—कोई घरोहर रखकर भूल जाय तो उसका लाभ उठाकर थोड़ी या पूरी घरोहर लगा जाना। ५. साकारमन्त्रभेद—किसी की आपसी प्रीति तोड़ने के विचार से एक-दूसरे की चुगली करना या किसी की गुस्त वात प्रकट कर देना। २१।

**स्तेयक्रत के अधिकार—** १. स्तेनप्रयोग—किसी को चोरी करने के लिए स्वर्य प्रेरित करना या दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाना अथवा वैसे कार्य में सहमत होना। २. स्तेन-आहूतादान—प्रेरणा या सम्मति के बिना चोरी करके लाई गई चीज ले लेना। ३. विषद्वराज्यातिक्रम—वस्तुओं के आयात-निर्यात पर राज्य की ओर से कुछ अन्धन लगे होते हैं अथवा कर आदि की व्यवस्था रहती है, राज्य के इन नियमों का उल्लंघन करना। ४. होनाविक भानोन्मान—च्यूनाविक नाप, बाट

या उत्तराज् आदि से लेन-देन करना । ५. प्रतिरूपकव्यवहार—असली के बदले नकली वस्तु बलाना । २२ ।

ज्ञानार्थकर्ता<sup>३</sup> के अतिवाहार—१. परविवाहकरण—निजों संतरिक्ष के उपरात कन्यादान के फल की इच्छा से अथवा स्त्रीहृस्त्रीगमन से दूसरे की संतरिक्ष का विवाह करना । २. इत्यरपरिशुद्धीतागमन—किसी दूसरे के द्वारा स्वीकृत अमुक समय तक वेश्या या वैसी साधारण स्त्री का उसी कालावधि में भोग करना । ३. अपरिशुद्धीतागमन—वेश्या का, जिसका पति विदेश चला गया है उस वियोगिनी स्त्री का अथवा किसी अनाथ या किसी पुरुष के कब्जे में न रहनेवाली स्त्री का उपभोग करना । ४. अनंगकीड़ा—अस्वामाविक अर्थात् सृष्टिविशद्ध काम का सेवन । ५. तीव्रकामाभिलाप—आर-बार उद्दीपन करके विविध प्रकार से कामकीड़ा करना । २३ ।

अपरिश्रहकर्ता के अतिवाहार—१. क्षेत्रवारसु-प्रमाणातिक्रम—जो जमीन देती-बाढ़ी के योग्य हो वह क्षेत्र और जो रहने योग्य हो वह वास्तु, इन दोनों का प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभवश मर्यादा का अतिक्रमण करना । २. हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम—गढ़े हुए या छिना गढ़े हुए चाढ़ी और स्वर्ण दोनों के स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना । ३. धनधार्य-प्रमाणातिक्रम—गाय, भैस आदि पशुधन और गेहूं, बाजरा आदि धान्य के स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना । ४. दासीदास-प्रमाणातिक्रम—मोकर, चाकर आदि कर्मचारियों के प्रमाण का अतिक्रमण करना । ५. कुप्यप्रमाणातिक्रम—बर्तनों और वस्त्रों के प्रमाण का अतिक्रमण करना । २४ ।

दिविकरमण्डल के अतिवाहार—१. ऊर्ध्वव्यतिक्रम—मृक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ने की ऊंचाई के स्वीकृत प्रमाण का लोभ आदि विकार के कारण भग करना । २-३. अधो तथा तिर्यग्यव्यतिक्रम—इसी प्रकार नीचे तथा तिरछे जाने के प्रमाण का मोहवदा भर्ज करना । ४. क्षेत्रवृद्धि—भिन्न-भिन्न दिशाओं का भिन्न-भिन्न प्रमाण स्वीकार करने के बाद कम प्रमाणवाली दिशा में मुख्य प्रसंग आ पड़ने पर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इह दिशा के प्रमाण में वृद्धि करना । ५. समृत्यन्तवर्णन—प्रत्येक नियम के पालन का आवार स्मृति है, यह जानकर भी प्रमाण या भोग के कारण नियम के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना । २५ ।

३. इसकी विशेष व्याख्या के लिये देखें—‘जैन इष्टिए ज्ञानार्थ’ नामक गुजराती निषेध ।

**देशाब्दकालिकता के अतिवार—** १. आनयनप्रयोग—जितने प्रदेश का नियम लिया हो, आवश्यकता पड़ने पर स्वयं न जाकर सदेश आदि द्वारा दूसरे से उसके बाहर की वस्तु भेंगवा लेना। २. प्रेष्णप्रयोग—स्थान सम्बन्धी स्वीकृत मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वयं न जाना और न दूसरे से ही उस वस्तु को भेंगवाना किन्तु नौकर आदि से आज्ञापूर्वक वहाँ बैठेविठाएं काम करा लेना। ३. शब्दानुपात—स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित व्यक्ति को बुलाकर काम कराने के लिए खासी आदि द्वारा उसे पास आने के लिए सावधान करना। ४. रूपानुपात—किसी तरह का शब्द न कर आकृति आदि बलाकर दूसरे को अपने पास आने के लिए सावधान करना। ५. पुद्गलक्षेप—कंकड़, ढेला आदि फेंककर किसी को अपने पास आने के लिए सूचना देना। २६।

**अन्यर्यामदबिरभण्डत के अतिवार—** १. कम्दर्प—रागवश असम्य भाषण तथा परिहास आदि करना। २. कौतूक्य—परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त नट-भौद जैसी शारीरिक झुकेटाएं करना। ३. मौखर्य—निर्छन्नता से सम्बन्धरहित एवं अधिक बकवाद करना। ४. असमीक्षाधिकरण—अपनी आवश्यकता का विना विचार किए अनेक प्रकार के सावधा उपकरण दूसरे को उसके काम के लिए देते रहना। ५. उपभोगाधिकरण—आवश्यकता से अधिक बल, आभूषण, तेल, चन्दन आदि रखना। २७।

**सामायिकता के अतिवार—** १. क्लायटुष्टिगिरान—हाथ, पैर आदि अंगों को धर्य और दूरी तरह से चलाते रहना। २. वचनटुष्टिगिरान—संस्कार-रहित तथा अर्य-रहित एवं हानिकारक भाषा बोलना। ३. मनोदुष्प्रणिगिरान—क्रोध, द्वौह आदि विकारों के बश होकर चिन्तन आदि मनोन्यापात्र करना। ४. अनादर—सामायिक में उत्साह का न होना अर्थात् समय होने पर भी प्रवृत्त न होना अथवा छ्यों-त्यों प्रवृत्ति करना। ५. स्मृति-अनुपस्थापन—एकाग्रता का अभाव अर्थात् चित्त के अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न रहना। २८।

**पौष्टिकता के अतिवार—** १. अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाणित में उत्सर्ग—आंखों से बिना देखे ही कि कोई जीव है या नहीं, एवं कोमल उपकरण से प्रमाणन किए बिना ही जहाँ-चहाँ मल, मूत्र, स्लेष्म आदि का त्याग करना। २. अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाणित में आदाननिषेप—इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और प्रमाणन किए बिना ही उकड़ी, चौकी आदि वस्तुओं को लेना व रखना। ३. अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाणित सस्तार का उपक्रम—प्रत्यवेक्षण एवं प्रमाणन किए बिना ही विछोना करना या आसन बिछाना। ४. अनादर—पौष्टि में उत्साहरहित छ्यों-त्यों करके

भ्रमिति करना । ५. स्मृत्यनुपस्थापन—मौवध कष और कैसे करना या न करना एवं किया है या नहीं हस्तोदि का स्मरण न रहना । २९ ।

भोगेपभोगकृत के अतिचार—१. सचित्त-आहार—किसी भी बनस्ति आदि सचेतन पदार्थ का आहार करना । २. सचित्तसम्बद्ध आहार—कडे शीज या गुठली आदि सचेतन पदार्थ से युक्त बैर या बांध आदि पके फलों को खाना । ३. सचित्त-संमिश्र आहार—तिल, खसखस आदि सचित्त वस्तु से मिश्रित लड्डू आदि का भोजन अथवा चीटी, कुन्यु आदि से मिश्रित वस्तु का सेवन करना । ४. अग्रिपक-आहार—किसी भी प्रकार के एक भावक इव्य का सेवन करना अथवा विविध झज्जों के मिश्रण से उत्पन्न भद्य आदि रस का सेवन करना । ५. दुष्पक्ष-आहार—अथपके या ठोक से न पके हुए पदार्थ को खाना । ३० ।

अतियितंविनाशकृत के अतिचार—१. सचित्तनिषेप—ज्ञाने-पोने की देने योग वस्तु को काय में न आने जैसी बना देने की बुद्धि से किसी सचेतन वस्तु में रख देना । २. सचित्तपिधान—इसी प्रकार देय वस्तु को सचेतन वस्तु से ढेंक देना । ३. परवयपदेय—अपनी देय वस्तु को दूसरे की बताकर उसके दान से अपने को भानपूर्वक बचा लेना । ४. मात्सर्य—दान देते हुए भी आदर न रखना अथवा दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देने के लिए तत्पर होना । ५. कालातिक्रम—किसी को कुछ देना न पढ़े इस आशय से भिका का समय न होने पर भी सा पी लेना । ३१ ।

स्तेवनाशकृत के अतिचार—१. जीविताशंसा—पूजा, सत्कार आदि विभूति देखकर लालचवश लौबन की अभिलाषा । २. मरणाशंसा—सेवा, सत्कार आदि करने के लिए किसी को पास आते न देखकर उद्घोग के कारण भूत्यु को चाहना । ३. मित्रानुराग—मित्रों पर या मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्तेह-चन्दन रखना । ४. सुखा-नुबन्ध—अनुभूत सुखों का स्मरण करके उन्हें ताजा बनाना । ५. निदानकरण—तप व त्याग का बदला किसी भी तरह के भोग के रूप में चाहना ।

उपर वर्णित अतिचारों का यदि जानवृक्षकर अथवा वक्तापूर्वक सेवन किया जाय तब तो वे त्रै के खण्डनरूप होकर अनाचार कहलाएंगे और भूल से असावधानीपूर्वक सेवन किए जाने पर अतिचार कहे जाएंगे । ३२ ।

• दान तथा उसकी विशेषता

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् । ३३ ।

विभिन्नव्यवहारात्पात्रविशेषात्प्रियेषः । ३४ ।

अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का त्योग करना दान है ।

विधि, देयवस्तु, दाता और पात्र की विशेषता से दान की विशेषता है।

दानधर्म समस्त सद्गुणों का मूल है, अतः पारमार्थिक दृष्टि से उसका विकास अन्य सद्गुणों के उत्कर्ष का आधार है और व्यवहार-दृष्टि से मानवीय व्यवस्था के सामंजस्य का आधार है।

दान का अर्थ है न्यायपूर्वक प्राप्त वस्तु का दूसरे के लिए अपेण। यह अपेण करनेवाले तथा स्वीकार करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिए। इसमें अपेण-कर्ता का भूख्य उपकार तो यह है कि उस वस्तु पर से उसकी भगता हटे और इस प्रकार उसे सन्तोष और समभाव की प्राप्ति हो। स्वीकारकर्ता का उपकार यह है कि उस वस्तु से उसे अपनी जीवनयात्रा में मदद मिले और परिणामस्वरूप उसके सद्गुणों का विकास हो।

दानरूप में सभी दान समान होने पर भी उनके फल में तरतमभाव रहता है। यह तरतमभाव दानधर्म की विशेषता के कारण होता है। यह विशेषता भूख्यतया दानधर्म के चार अङ्गों की विशेषता के अनुसार होती है। इन चार अङ्गों की विशेषताएँ इस प्रकार हैं—१. विधि—विधि की विशेषता में देश, काल का औचित्य और प्राप्तकर्ता के सिद्धान्त की बाबा न पहुँचे ऐसी कल्पनीय वस्तु का अपेण इत्यादि बातों का समावेश है। २. द्रव्य—द्रव्य की विशेषता में देश वस्तु के गुणों का समावेश होता है। जिस वस्तु का दान किया जाय वह प्राप्तकर्ता पात्र की जीवनयात्रा में पोषक तथा परिणामतः उसके लिये गुणविकास में निमित्त बननेवाली हो। ३. दाता—दाता की विशेषता में पात्र के प्रति श्रद्धा का होना, उसके प्रति तिरस्कार या असूया का न होना तथा दान देते समय या बाद में विपाद न करना इत्यादि दाता के गुणों का समावेश है। ४. पात्र—सत्तुरूपार्थ के लिए जागरूक रहना दान लेनेवाले पात्र की विशेषता है। ३३-३४। ●

१८ :

### बन्ध

आत्मव के विवेचन के प्रसंग से जल और दान का वर्णन करने के पश्चात् अब इस आठवें अध्याय में बन्धतत्त्व का वर्णन किया जाता है।

बन्धहेतुओ का निर्देश

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रभादकषययोगा बन्धहेतवः । १ ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कषय और योग—ये पाँच बन्ध के हेतु हैं।

बन्ध के स्वरूप का वर्णन आगे सूत्र २ में आया है। यहाँ उसके हेतुओ का निर्देश है। बन्ध के हेतुओं की संख्या के विषय में तीन परम्पराएँ दिखाई देती हैं। एक परम्परा के अनुसार कषय और योग ये दो ही बन्धहेतु हैं। दूसरी परम्परा में मिथ्यात्व, अविरति, कषय और योग ये चार बन्धहेतु माने गए हैं। तीसरी परम्परा में उक्त चार हेतुओं में प्रभाद को बढ़ाकर पाँच बन्धहेतुओं का वर्णन है। संख्या और उसके कारण नामों में भेद दिखाई देने पर भी तात्त्विक दृष्टि से इन परम्पराओं में कोई अन्तर नहीं है। प्रभाद एक तरह का असंयम ही है, अतः वह अविरति या कषय के अन्तर्गत ही है। इसी दृष्टि से कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थों में चार बन्धहेतु कहे गए हैं। मिथ्यात्व और असंयम ये दोनों कषय के स्वरूप से भिन्न नहीं पड़ते, अतः कषय और योग को ही बन्धहेतु कहा गया है।

प्रश्न—सचमुच यदि ऐसी ही बात है तब प्रश्न होता है कि उक्त सत्याभेद की विभिन्न परम्पराओं का आघार क्या है?

उत्तर—कोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमें अधिक-से-अधिक जिन चार अंशों का निर्माण होता है, कषय और योग ये दोनों ही उनके अलग-अलग कारण हैं, क्योंकि प्रकृति एवं प्रदेश अंशों का निर्माण योग से होता है एवं स्थिति तथा अनुभागरूप अंशों का निर्माण कषय से। इस प्रकार एक ही कर्म में उत्पन्न होनेवाले उक्त चार अंशों के कारणों का विश्लेषण करने के विचार से शास्त्र में

कपाय और योग हन दो बन्धुहेतुओं का कथन है तथा आठवारिसक विकास की चढ़ाव-उत्तारवाली भूमिकास्वरूप गुणस्थानों में बैधनेवाली कर्मप्रकृतियों के उत्तरम्-भाव के कारण को वशनि के लिए मिथ्यात्म, अविरति, कपाय और योग हन चार बन्धुहेतुओं का कथन है। जिस गुणस्थान में जितने अधिक बन्धुहेतु होंगे उस गुणस्थान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा और जहाँ ये बन्धुहेतु कम होंगे वहाँ कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी कम ही होगा। इस प्रकार मिथ्यात्म आदि चार हेतुओं के कथन की परम्परा अलग-अलग गुणस्थानों में तर-तमभाव को प्राप्त होनेवाले कर्मदब्ध के कारण के स्पष्टीकरण के लिए है और कपाय एवं योग हन दो हेतुओं के कथन की परम्परा किसी एक ही कर्म में सम्मानित चार अंशों के कारण का पृथक्करण करने के लिए है। पांच बन्धुहेतुओं की परम्परा का आशय आर बन्धुहेतुओं की परम्परा से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है और यदि ही भी तो केवल हतना ही कि जिजासु शिष्यों को बन्धुहेतुओं का विस्तार से जान हो जाय।

### बन्धुहेतुओं की व्याख्या

**मिथ्यात्म**—मिथ्यात्म का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सम्बद्धर्शन से विपरीत होता है। सम्बद्धर्शन बस्तु का तात्त्विक अद्वान होने से विपरीतर्शन दो तरह का फलित होता है—१. बस्तुविषयक अथार्थ अद्वान का अभाव और २. बस्तु का अथवार्थ अद्वान। पहले और दूसरे में इतना ही अन्तर है कि पहला विलकुल मूढ़दशा में भी ही सकता है, जब कि दूसरा विचारदशा में ही होता है। अभिनिवेद के कारण विचारशक्ति का विकास होने पर भी जब किसी एक ही दृष्टि को पकड़ लिया जाता है तब अतस्य में पक्षपात होने से वह दृष्टि मिथ्यादर्शन कहलाती है जो उपदेशजन्म होने से अभिगृहीत कही जाती है। जब विचार-दशा जाग्रत न हुई हो तब अनादिकालीन आवरण के कारण केवल मूढ़ता होती है। उस समय तत्त्व का अद्वान नहीं होता तो अतत्त्व का भी अद्वान नहीं होता। इस दशा में भाव मूढ़ता होने से उसे तत्त्व का अद्वान कह सकते हैं। वह नैसर्गिक या उपदेशनिरपेक्ष होने से अनभिगृहीत कहा जाता है। दृष्टि या पन्थ सम्बन्धी सभी ऐकान्तिक कदाचाह अभिगृहीत मिथ्यादर्शन है जो मनुष्य जैसी विकसित जाति में ही सकते हैं। दूसरा अनभिगृहीत मिथ्यादर्शन कीट, पतंग आदि मूर्छ्छत चेतना-वाली जातियों में ही सम्भव है।

**प्रविरति, प्रमाद**—अविरति अर्थात् दोषों से विरत न होना। प्रमाद अर्थात् आत्मविस्मरण अर्थात् कुशल कायों में अनादर, कर्तव्य-अकर्तव्य की स्मृति में असावधानी।

कथाये, योग—कथाय अर्थात् समझाव की मर्यादा तोड़ना। योग का अर्थ है मानसिक, वाचिक और कार्यिक प्रवृत्ति ।

छठे अध्याय में वर्णित तत्पदोप आदि बन्धहेतुओं और यहाँ पर निर्दिष्ट मिथ्यात्म आदि बन्धहेतुओं में इतना ही अन्तर है कि तत्पदोपादि प्रत्येक कर्म के विशिष्ट बन्धहेतु होने से विशेष है, जब कि मिथ्यात्म आदि समस्त कर्मों के समान बन्धहेतु होने से सामान्य है । मिथ्यात्म से लेकर योग तक पांचों हेतुओं में से जहाँ पूर्व-पूर्व के बन्धहेतु होगे वहाँ बाद के भी सभी होंगे यह नियम है, जैसे मिथ्यात्म के होने पर अविरति आदि चार और अविरति के होने पर प्रमाद आदि शेष सीन अवश्य होंगे । परन्तु जब उसर बन्धहेतु होगा तब पूर्व बन्धहेतु ही और न भी हो, जैसे अविरति के होने पर पहले गुणस्थान में मिथ्यात्म होगा परन्तु दूसरे, तीसरे, औथे गुणस्थान में अविरति के होने पर भी मिथ्यात्म नहीं रहता । इसी प्रकार दूसरे हेतुओं के विषय में भी समझना चाहिए । १ ।

### बन्ध का स्वरूप

सकथायत्वाऽजीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानाहते । २ ।

स बन्धः । ३ ।

कथाय के सम्बन्ध से जीव कर्म के योग्य पुद्गलो का ग्रहण करता है ।

वह बन्ध है ।

पुद्गल की अनेक वर्गणाएँ ( प्रकार ) हैं । उनमें से जो वर्गणाएँ कर्मरूप रिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती है उन्हीं को जीव ग्रहण करके अपने आत्मप्रदेशों के साथ विशिष्ट रूप से जोड़ देता है, अर्थात् स्वभाव से जीव अमूर्त होने पर भी अनादिकाल से कर्मसम्बन्धवाला होने से मूर्तवत् हो जाता है । अतः वह मूर्त कर्मपुद्गलो का ग्रहण करता है । जैसे दीपक वत्ती द्वारा तेल को प्रहण करके अपनी उष्णता से उसे ज्वाला में परिणत कर लेता है वैसे ही जीव काषायिक विकार से योग्य पुद्गलो को ग्रहण करके उन्हे कर्मरूप में परिणत कर लेता है । आत्मप्रदेशों के साथ कर्मरूप परिणाम को प्राप्त पुद्गलों का यह सम्बन्ध ही बन्ध कहलाता है । ऐसे बन्ध में मिथ्यात्म आदि अनेक निमित्त होते हैं, फिर भी यहाँ कथाय के सम्बन्ध से पुद्गलो का ग्रहण होने की बात अन्य हेतुओं की अपेक्षा कथाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ही कही गई है । २-३ ।

### बन्ध के प्रकार

प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्विधयः । ४ ।

प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके ( बन्ध के ) प्रकार हैं ।

कर्मपुद्गगल जीव द्वारा ग्रहण किए जाने पर कर्मरूप परिणाम को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यही है कि उसी समय उसमें चार अशों का निर्माण होता है और वे अंश ही बन्ध के प्रकार हैं। उदाहरणार्थ वकरी, गाय, मैस आदि द्वारा खाई हुई घास उन्हीं जब दूध के रूप में परिणत होती है तब उसमें मधुरता का स्वभाव निर्मित होता है, वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में बना रह सके ऐसी कालमर्यादा उसमें निर्मित होती है, इस मधुरता में तीव्रता, मन्दता आदि विशेषताएँ भी होती हैं और साथ ही इस दूध का पौद्गलिक परिणाम भी बनता है। इसी प्रकार जीव द्वारा ग्रहण होकर उसके प्रदेशों में सख्लेप को प्राप्त कर्मपुद्गगलों में भी चार अशों का निर्माण होता है। वे अश ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश हैं।

१. कर्मपुद्गगलों में ज्ञान को आवर्तित करने, दर्शन को रोकने, सुख-दुःख देने आदि का जो स्वभाव बनता है वह स्वभावनिर्माण ही प्रकृतिबन्ध है।  
 २. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक काल तक च्युत न होने की मर्यादा भी पुद्गगलों में निर्मित होती है, यह कालमर्यादा का निर्माण ही स्थिति-बन्ध है। ३. स्वभावनिर्माण के साथ ही उसमें तीव्रता, मन्दता आदि रूप में फलानुभव करनेवाली विशेषताएँ वेवर्ती हैं, यही अनुभावबन्ध है। ४. ग्रहण किए जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होनेवाली कर्मपुद्गगलराशि स्वभावानुसार अमुक-अमुक परिमाण में बैट जाती है, यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध है।

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहला और अन्तिम दोनों योग के आश्रित है, क्योंकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का तरतमभाव अवलम्बित है। दूसरा और तीसरा प्रकार कपाय के आवृत्ति है, क्योंकि कपाय की तीव्रता-मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव बन्ध की अल्पाधिकता अवलम्बित है। ४।

### मूलप्रकृति-भेदों का नामनिर्देश

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुज्जनामगोत्रान्तरायाः । ५ ।

प्रथम अर्थात् प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र और अन्तरायरूप है।

आयुषसाय-विशेष से जीव द्वारा एक ही बार में गृहीत कर्मपुद्गगलराशि में एक साथ आयुषसायिक शक्ति की विविधता के अनुसार अनेक स्वभाव निर्मित होते हैं। वे स्वभाव अदृश्य होते हैं, फिर भी उनका परिणामन उनके कार्य प्रभाव—को देखकर किया जा सकता है। एक या अनेक जीवों पर होनेवाले कर्म के

बसंत ग्रन्थम् अनुभव में आते हैं। वास्तव में इन ग्रन्थार्थों के उत्पादक स्वभाव भी असंख्यात हैं। फिर भी संक्षेप में वर्णकरण करके उन सभी को आठ शाखों में बांट दिया गया है। यही मूलप्रकृतिवर्ण है। इन्ही आठ मूलप्रकृति-भेदों का नाम-निर्देश यहाँ किया गया है—वे हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुर्क, नाम, गोत्र और अन्तराय।

१. ज्ञानावरण—जिसके द्वारा ज्ञान ( विशेषबोध ) का आवरण हो। २. दर्शनावरण—जिसके द्वारा दर्शन ( सामान्यबोध ) का आवरण हो। ३. वेदनीय—जिससे सुख या दुःख का अनुभव हो। ४. मोहनीय—जिससे आत्मा मोह को प्राप्त हो। ५. आयुर्क—जिससे भव धारण हो। ६. नाम—जिससे विशिष्टगति, जाति वादि की प्राप्ति हो। ७. गोत्र—जिससे लोकपन या नीचपन मिले। ८. अन्तराय—जिससे दान के देने-लेने हथा भोगादि में विच्छन पड़े।

कर्म के विविध स्वभावों के संक्षेप में आठ शाख हैं, किर भी विस्तृतशब्दि के जिज्ञासुओं के लिए भग्नममार्ग का अवलंबन करके उन आठ का पुनः दूसरे प्रकार से वर्णन किया गया है, जो उत्तरप्रकृतिभेदों के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे उत्तरप्रकृति-भेद १७ हैं। वे मूलप्रकृति के क्रम से आगे चलाए गए हैं। ५।

### उत्तरप्रकृति-भेदों को संख्या और नामनिर्देश

यद्यनवद्वयद्वयविशतिचतुर्द्वयत्वार्द्विशद्वयमेदा यथाक्रमम् । ६ ।

मत्यादीनाम् । ७ ।

चक्षुरचक्षुरविकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यान-  
गुद्धिवेदनीयानि च । ८ ।

सदसहोषे । ९ ।

दर्शनचारिज्ञमोहनीयकथायनोकथायवेदनीयात्प्रास्त्रिद्विषोडशनवभेदाः  
सम्प्रकर्त्त्वमित्यात्प्रतद्वुभागि कथायनोकथायाबनन्तानुबन्ध्यप्रत्यात्प्रा-  
नप्रत्यात्प्रानावरणसंज्वलनविकल्पाश्चेकशः क्रोधमानभायालोभा  
हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुनपुंसकवेदाः । १० ।

नारकतैर्याघोनमानुषदैवानि । ११ ।

गतिजातिशरीरराज्ञेषाऽनिमाणिबन्धनसङ्कृतसंस्थानसंहननपश्चांरस-  
गन्धवर्णानिषुपूर्व्यंगुच्छपथातपराधातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोगतयः  
प्रत्येकशरीरत्रसमुभगमुत्स्वरुभसूक्ष्मपर्याप्तिस्थिरतेययशांति सेतराणि  
तीर्थकृत्वं च । १२ ।

उच्चर्वैनर्चैश्च । १३ ।

दानादीनाम् । १४ ।

गाठ मूलप्रकृतियों के क्रमशः पाँच, नौ, दो, अद्वैटस, चार, वयालीस, दो तथा पाँच मेद हैं।

मति आदि पाँच ज्ञानों के आवरण पाँच ज्ञानावरण हैं।

वक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और वेवलदर्शन इन चारों के आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्वानगृह्णित्व पाँच वेदनीय—ये नी दर्शनावरणीय हैं।

प्रशस्त ( सुखवेदनीय ) और अप्रशस्त ( दुःखवेदनीय )—ये दो वेदनीय हैं।

दर्शनमोह, चारित्रमोह, कषायवेदनीय और नोकषायवेदनीय इन चारों के क्रमशः तीन, दो, सोलह और नी मेद हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभय ( सम्यक्त्वमिथ्यात्व ) ये तीन दर्शनमोहनीय के मेद हैं। कषाय और नोकषाय ये दो चारित्रमोहनीय के मेद हैं। इनमें से क्रोध, मान, माया और लोभ ये प्रत्येक अनन्तानुवन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन के रूप में चार-चार प्रकार के होने से कषायचारित्रमोहनीय के सोलह मेद बनते हैं तथा हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद ये नी नोकषायचारित्रमोहनीय के मेद हैं।

नारक, तिर्यक्ष, मनुष्य और देव—ये चार आयु के मेद हैं।

गति, जाति, शरीर, अज्ञोपाज्ञ, निर्माण, वन्धन, सधात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आमुपूर्वी, अगुरुलघु, उपधात, परधात, जातप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगति तथा साधारण और प्रत्येक, स्थावर और त्रै, दुभंग और सुभंग, दु स्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अर्यास और पर्यास, अस्थिर और स्थिर, अनादेय और आदेय, अयश और यश एव तोर्यंकरत्व—ये वयालीस नामकर्म के प्रकार हैं।

उच्च और नीच—ये दो गोत्रकर्म के प्रकार हैं।

दान आदि के पाँच अन्तराय हैं।

ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को प्राहृतियाँ—१. मति आदि पाँच ज्ञान और चक्षुर्दर्शन आदि चार दर्शनों का वर्णन पहले ही चुका है।<sup>१</sup> उनमें से प्रत्येक का आवरण करनेवाले स्वभाव से युक्त कर्म क्रमशः मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण,

१. देखें—अ० ३, सत्र ६ से ३३; अ० २, स० ६।

अवधिज्ञानावरण, मन-पर्याप्तज्ञानावरण और केवलज्ञानावरण ये पाँच ज्ञानावरण हैं, तथा चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण ये चार दर्शनावरण हैं। उक्त चार के अतिरिक्त अन्य पाँच दर्शनावरण इस प्रकार है—१. जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आये कि सुखपूर्वक जागा जा सके वह निद्रावेदनीय दर्शनावरण है। २. जिस कर्म के उदय से निद्रा से जागना अत्यन्त कठिन हो वह निद्रानिद्रावेदनीय दर्शनावरण है। ३. जिस कर्म के उदय से धैठे-धैठे या खड़े-खड़े ही नीद आ जाय वह प्रचलावेदनीय दर्शनावरण है। ४. जिस कर्म के उदय से चलते-चलते ही नीद आ जाय वह प्रचलाप्रचलावेदनीय दर्शनावरण है। ५. जिस कर्म के उदय से जाग्रत अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में करने का सामर्थ्य प्रकट हो जाय वह स्त्यानगृहि दर्शनावरण है, इस निद्रा में सहज बल से अनेकगुना अधिक बल प्रकट होता है। ७-८।

**वेदनीय कर्म की प्रकृतियाँ—**१. जिस कर्म के उदय से प्राणी को सुख का अनुभव हो वह सातावेदनीय और २. जिस कर्म के उदय से प्राणी को दुःख का अनुभव हो वह असातावेदनीय है। ९।

**दर्शनमोहनीय कर्म की प्रकृतियाँ—**१. जिस कर्म के उदय से तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप में रुचि न हो वह मिथ्यात्वमोहनीय है। २. जिस कर्म के उदय-समय में यथार्थता की रुचि या अरुचि न होकर डाँवाटोल स्थिति रहे वह मिथ्यमोहनीय है। ३. जिसका उदय तात्त्विक रुचि का निमित्त होकर भी औपशमिक या क्षायिक-भाववाली तत्त्वरुचि का प्रतिवन्ध करता है वह सम्यक्त्वमोहनीय है।

### चारित्रमोहनीय कर्म की पञ्चोंस प्रकृतियाँ

**सोलह क्रोध, मान, माया और लोभ** ये कपाय के मुख्य चार भेद हैं। तीव्रता के तरतमभाव की दृष्टि से प्रत्येक के चार-चार प्रकार हैं। जो कर्म क्रोध आदि चार कपायों को इतना अधिक तीव्र बना दे कि जिसके कारण जीव को अनन्तकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़े वह कर्म अनुक्रम से अनन्तानु-बन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ है। जिन कर्मों के उदय से आविर्भाव को प्राप्त कपाय केवल इतने ही तीव्र हो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सके वे अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। जिनका विपाक देशविरति का प्रतिबन्ध न करके केवल सर्वविरति का ही प्रतिबन्ध करे वे प्रत्यास्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। जिनके विपाक की तीव्रता सर्वविरति का प्रतिबन्ध तो न करे लेकिन उसमें स्वलग्न और मालिन्य उत्पन्न करे वे संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ हैं।

नौ नोकवाय—१. हास्य की उत्पादक प्रकृतिवाला कर्म हास्यमोहनीय है। २-३. कहीं प्रीति और कहीं अप्रीति के उत्पादक कर्म अनुक्रम से रतिमोहनीय और अरतिमोहनीय है। ४. भयशोलता का जनक भयमोहनीय है। ५. जोक्यालता का जनक जोकमोहनीय है। ६. धृणाशीलता का जनक जुगुप्सामोहनीय है। ७. स्त्रैण-भाव-विकार का उत्पादक कर्म स्त्रीवेद है। ८. पौरुषभाव-विकार का उत्पादक कर्म पुरुषवेद है। ९. नपुंसकभाव-विकार का उत्पादक कर्म नपुंसकवेद है। ये नौ मुख्य कथाय के सहचारी एवं उद्दीपक होने से नोकवाय हैं। १०।

आयुष्कर्म के चार प्रकार—जिन कर्मों के उदय से देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति मिलती है वे क्रमशः देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक के आयुष्य हैं। ११।

### नामकर्म की वयालीस प्रकृतियाँ

चौदह पिण्डप्रकृतियाँ—१. सुख-दुःख भोगने के योग्य पर्यायविशेषरूप देवादि चार गतियों को प्राप्त करानेवाला कर्म गति है। २. एकेन्द्रियत्व से लेकर पञ्चेन्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव करानेवाला कर्म जाति है। ३. औदारिक आदि शरीर प्राप्त करानेवाला कर्म शरीर है। ४. शरीरगत अङ्गों और उपाङ्गों का निमित्तभूत कर्म अङ्गोपाङ्ग है। ५-६. प्रश्न गृहोत औदारिक आदि पुद्दालो के साथ ग्रहण किए जानेवाले नवीन पुद्दालो का सम्बन्ध जो कर्म करता है वह बन्धन है और वह पुद्दालो को शरीर के नानाविध आकारों में व्यवस्थित करनेवाला कर्म संधात् है। ७-८. अस्थिवस्थ की विशिष्ट रचनास्पद सुहनन और शरीर की विविध आकृतियों का निमित्त कर्म संस्थान है। ९-१२. गरीरगत घेत आदि पाँच वर्ण, सुरभि आदि दो गन्ध, तिक आदि पाँच रस, दीत आदि आठ स्पर्श—इनके नियामक कर्म अनुक्रम से वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श है। १३. विश्व द्वारा जन्मान्तर-गमन के समय जीव को आकाश-प्रदेश की शैली के अनुसार गमन करानेवाला कर्म आनुपूर्णी है। १४. प्रशस्त और अप्रशस्त गमन का नियामक कर्म विहायोगति है। ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती हैं। इसके अवान्तर भेद भी हैं, इसीलिए यह नामकरण है।

ऋषदशक और स्थावरदशक—१-२. जिस कर्म के उदय से स्वतन्त्रभाव से गमन करने की शक्ति प्राप्त हो वह ऋष और इसके विपरीत जिसके उदय से वैसी शक्ति प्राप्त न हो वह स्थावर है। ३-४. जिस कर्म के उदय से जीवों को चर्यचक्षु-नोचर बादर शरीर की प्राप्ति हो वह बादर, इसके विपरीत जिससे चर्यचक्षु के अव्योचर सूक्ष्मशरीर की प्राप्ति हो वह सूक्ष्म है। ५-६. जिस कर्म के उदय

से प्राणी स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण करे वह पर्याप्ति, इसके विपरीत जिसके उदय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण न कर सके वह अपर्याप्ति है। ७-८. जिस कर्म के उदय से जीव को भिन्न-भिन्न शरीर की प्राप्ति हो वह प्रत्येक और जिसके उदय से अनन्त जीवों का एक ही साधारण शरीर हो वह साधारण है। ९-१०. जिस कर्म के उदय से हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयव प्राप्त हों वह स्थिर और जिसके उदय से जिह्वा आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हो वह अस्थिर है। ११-१२. जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव प्रशारत हों वह शुभ और जिस कर्म के उदय से नाभि के नीचे के अवयव अप्रशारत हो वह अशुभ है। १३-१४. जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर श्रोता में प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर और जिस कर्म के उदय से श्रोता में अप्रीति उत्पन्न हो वह दुस्वर है। १५-१६. जिस कर्म के उदय से कोई उपकार न करने पर भी जो सबको श्रिय लगे वह सुभग और जिस कर्म के उदय से उपकार करने पर भी सबको श्रिय न लगे वह दुर्भग है। १७-१८. जिस कर्म के उदय से बचन बहुमान्य हो वह आदेद और जिस कर्म के उदय से वैषा न हो वह अनादेय है। १९-२०. जिस कर्म के उदय से दुनिया में यश व कीर्ति प्राप्त हो वह यशःकीर्ति और जिस कर्म के उदय से यश व कीर्ति प्राप्त न हो वह अयशःकीर्ति है।

**शोष-प्रत्येकप्रकृतियाँ—** १. जिस कर्म के उदय में शरीर गुरुया लघु परिणाम को न पाकर अगुरुलघु के रूप में परिणत होता है वह अगुरुलघु है। २. प्रतिजिह्वा, घोरदन्त, रसीली आदि उपचातकारी अवयवों को प्राप्त करनेवाला कर्म उपचात है। ३. दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्प्रभ कर देनेवाली दशा प्राप्त करनेवाला कर्म पराधात है। ४. इवास लेने व छोड़ने की शक्ति का नियामक कर्म इवासोऽव्याप्ति है। ५-६. अनुष्ण शरीर में उच्छ्र प्रकाश का नियामक कर्म धाराप थीर शीत प्रकाश का नियामक कर्म उच्छ्रीत है। ७. शरीर में अज्ञ-प्रत्यज्ञ को वर्धाच्छित स्थान में ध्यवस्थित करनेवाला कर्म निर्माण है। ८. वर्ष व हीर्ष प्रवर्तन करने की शक्ति देनेवाला कर्म तीर्थकर है। १२।

**शोष-कर्म की दो प्रकृतियाँ—** १. प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले कुल में जन्म दिलानेवाला कर्म उच्चगोत्र और २. शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिल सके ऐसे कुल में अल्प दिलानेवाला कर्म गोत्रयोत्र है। १३।

**अन्तर्दोष कर्म की दो प्रकृतियाँ—** जो कर्म कुछ भी देने, लेने, एक बार भी बार-बार भौंतने और सामर्थ्य में अन्तराय (विष्ण) पैदा कर देते हैं वे क्लवशः वानान्तराय, कर्णान्तराय, भौत्तान्तराय, उपमोगान्तराय और भीवान्तराय कर्म हैं। १४।

## स्थितिवन्ध

आदितस्त्रृणामन्तरायस्य च त्रिशत्सागरोपमकोटीकोटचः  
परा स्थितिः । १५ ।

समाप्तिर्भवेहनीयस्य । १६ ।

नामगोत्रयोर्विज्ञातिः । १७ ।

न्रयस्त्रिशत्सागरोपमायुष्कस्य । १८ ।

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य । १९ ।

नामगोत्रयोरक्षणी । २० ।

शेषाणामन्त्रमुहूर्तम् । २१ ।

प्रथम तीन अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तराय  
इन चार कर्म-प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरोपम है ।

मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है ।

नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटी सागरोपम है ।

आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तीनोंसे सागरोपम है ।

वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त है ।

नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है ।

शेष चार अर्थात् ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय  
और आयुष्क की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त है ।

प्रत्येक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के अधिकारी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त सज्जी पचेन्द्रिय  
जीव होते हैं, जघन्य स्थिति के अधिकारी भिन्न-भिन्न जीव होते हैं । ज्ञानावरण,  
दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन छहों की जघन्य स्थिति सूक्ष्म-  
सम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में सम्भव है । मोहनीय की जघन्य स्थिति नवें  
अनिवृत्तिवादरसम्पराय नामक गुणस्थान में सम्भव है । आयुष्क की जघन्य स्थिति  
सौह्यात्वरपर्जीवी तिर्यक और मनुष्य में सम्भव है । मध्यम स्थिति के अस्वाकात  
प्रकार है और उनके अधिकारी भी काषायिक परिणाम की तरतुमता के अनुमार  
असूखात है । १५-२१ ।

## अनुभाववन्ध

विपाकोऽनुभावः । २२ ।

त अथागम । २३ ।

सतत्व निर्जन । २४ ।



विपाक अर्थात् विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव है ।

अनुभाव का वेदन भिन्न-भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनुभाव किया जाता है ।

उससे अर्थात् वेदन से निर्जरा होती है ।

अनुभाव और उसका अन्य—बन्धनकाल में उसके कारणभूत कापायिक अध्यवसाय के तीव्र मन्द भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव्र-मन्द फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है । फल देने का यह सामर्थ्य ही अनुभाव है और उसका निर्माण ही अनुभावबन्ध है ।

अनुभाव का फल—अनुभाव समय आने पर ही फल देता है, परन्तु इस विषय में इतना शात्र्य है कि प्रत्येक अनुभाव ( फलप्रद )—शक्ति स्वयं जिस कर्म में निष्ठ हो उस कर्म के स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुसार ही फल देती है, अन्य कर्म के स्वभावानुसार नहीं । उदाहरणार्थं ज्ञानावरण कर्म का अनुभाव उस कर्म के स्वभावानुसार ही तीव्र या मन्द फल देता है—वह ज्ञान को ही आवृत करता है, दर्शनावरण, बेदनीय आदि अन्य कर्म के स्वभावानुसार फल नहीं देता । सारांग यह है कि वह न तो दर्शनशक्ति को आवृत करता है और न सुख-दुःख के अनुभाव आदि कार्य को ही उत्पन्न करता है । इसी प्रकार दर्शनावरण का अनुभाव दर्शन-शक्ति को तीव्र या मन्द रूप से आवृत करता है, ज्ञान के आन्दोलन आदि अन्य कर्मों के कार्यों को नहीं करता ।

कर्म के स्वभावानुसार विपाक के अनुभावबन्ध का नियम भी मूलप्रकृतियों पर ही लागू होता है, चत्तरप्रकृतियों पर नहीं । क्योंकि किसी भी कर्म की एक उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बल से उसी कर्म की अन्य उत्तरप्रकृति के रूप में बदल जाती है, जिससे पहली का अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावानुसार तीव्र या मन्द फल देता है । जैसे मतिज्ञानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि मजातीय उत्तरप्रकृति के रूप में संक्रमण करता है तब मतिज्ञानावरण का अनुभाव भी श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतज्ञान या अवधि आदि ज्ञान को आवृत करने का काम करता है । लेकिन उत्तरप्रकृतियों में कितनी ही ऐसी हैं जो मजातीय होने पर भी परस्पर संक्रमण नहीं करती । जैसे दर्शनमोह और चारित्रमोह में से दर्शनमोह चारित्रमोह के रूप में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप में मक्कमण नहीं करता । इसी प्रकार नारकायुज्क तिर्यचायुज्क के रूप में अथवा अन्य किसी आयुज्क के रूप में संक्रमण नहीं करता ।

प्रकृतिसंकरण की भाँति ही बन्धकालीन रस और स्थिति में भी वाद में अध्यवसाय के कारण परिवर्तन हो सकता है, तीव्ररस मन्द और मन्दरम तीव्र हो सकता है। इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जघन्य से उत्कृष्ट हो सकती है।

फलोदय के बाद मूल कर्म की दशा—अनुभावानुसार कर्म के तीव्र-मन्द फल का वेदन हो जाने पर वह कर्म आत्मप्रदेशों से अलग हो जाता है अर्थात् फिर मलान नहीं रहता। यही कर्मनिवृत्ति—निर्जरा है। जैसे कर्म की निर्जरा उसके फल-वेदन से होती है वैसे ही प्राय तप से भी होती है। तप के बल से अनुभावानुसार फलोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से अलग हो सकते हैं। यह बात मूल में 'च' शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। २२-२४।

#### प्रदेशबन्ध

**नामप्रत्ययः सर्वतो योगविशेषात् सूक्ष्मैक्षेत्रावगाढस्थिताः सर्वात्म-प्रदेशोऽनन्तानन्तप्रदेशाः । २५ ।**

कर्म (प्रकृति) के कारणभूत सूक्ष्म, एकक्षत्र को अवगाहन करके रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेशवाले पुद्गल योगविशेष से भी और से सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध को प्राप्त होते हैं।

प्रदेशबन्ध एक प्रकार का भम्बन्ध है और उस सम्बन्ध के दो आधार हैं—कर्मस्कन्ध और आत्मा। इनके विषय में जो आठ प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन्हीं का उत्तर इस मूल में दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार हैं

१. जब कर्मस्कन्धों का बन्ध होता है तब उनमें क्या निर्माण होता है?
२. इन स्कन्धों का क्यों, नीचे या ऊरचे किन आत्मप्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है?
३. सभी जीवों का कर्मबन्ध समान होता है या असमान? यदि असमान होता है तो क्यों?
४. वे कर्मस्कन्ध स्थूल होते हैं या सूक्ष्म?
५. जीव-प्रदेशवाले क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही जीवप्रदेश के साथ बन्ध होता है या उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए का भी होता है?
६. वे बन्ध के समय गतिशील होते हैं या स्थिति-शील?
७. उन कर्मस्कन्धों का सम्पूर्ण आत्म-प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ ही आत्मप्रदेशों में?
८. वे कर्मस्कन्ध सरथ्यात्, असद्यात्, अनन्त या अनन्तानन्त में से कितने प्रदेशवाले होते हैं?

इन आठों प्रश्नों के सूत्रगत उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैं :

१. आत्मप्रदेशों के साथ बैधनेवाले पुद्गलस्कन्धों में कर्मभाव अर्थात् ज्ञान-वरणत्व आदि प्रकृतिर्यां बनती है। सारांश यह है कि वैसे स्कन्धों से उन प्रकृतियों

का निर्माण होता है। इसीलिए उन स्कन्धों को सभी प्रकृतियों का कारण कहा गया है। २. कॅची, नीची और तिरछी सभी दिशाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के द्वारा कर्मस्कन्धों का ग्रहण होता है, किसी एक ही दिशा के आत्मप्रदेशों द्वारा नहीं। ३. सभी जीवों के कर्मवन्ध के असमान होने का कारण यह है कि सभी के मानसिक, वाचिक और कायिक योग ( व्यापार ) समान नहीं होते। यही कारण है कि योग के तरतमभाव के बनुसार प्रदेशवन्ध में भी तरतमभाव आ जाता है। ४. कर्मयोग्य पुद्गलस्कन्ध स्थूल ( वादर ) नहीं होते, सूक्ष्म ही होते हैं, वैसे सूक्ष्मस्कन्धों का ही कर्मवर्गण में से ग्रहण होता है। ५. जीवप्रदेश के क्षेत्र में रहे हुए कर्मस्कन्धों का ही वन्ध होना है, उसके बाहर के क्षेत्र के कर्मस्कन्धों का नहीं। ६. केवल स्थिर होने से ही बन्ध होता है, क्योंकि गतिशील स्कन्ध अस्थिर होने से वन्ध को प्राप्त नहीं होते। ७. प्रत्येक कर्म के अनन्त स्कन्धों का सभी आत्मप्रदेशों में वन्ध होता है। ८. वेघनेवाले समस्त कर्मयोग्य स्कन्ध अनन्तानन्त परमाणुओं के ही बने होते हैं, कोई भी संस्पात, अस्त्यात या अनन्त परमाणुओं का बना हुआ नहीं होता। २५।

पुण्य और पाप प्रकृतियाँ

सद्वैद्यसम्बन्धवत्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोत्राणि

पुण्यम् । २६।

सातावेदनीय, सम्बन्ध-मोहनीय, हास्य, रात, पुरुषवेद, शुभजायु, शुभनाम और शुभगोत्र ये प्रकृतियाँ पुण्यरूप हैं ( शेष सभी प्रकृतियाँ पापरूप हैं )।

जिन कर्मों का वन्ध होता है उनका विपाक केवल शुभ या अशुभ ही नहीं होता अपितु अध्यवसायरूप कारण की शुभाशुभता के निमित्त से वे शुभाशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। शुभ अध्यवसाय से निमित्त विपाक शुभ ( इट ) होता है और अशुभ अध्यवसाय से निमित्त विपाक अशुभ ( बनिट ) होता है। जिस परिणाम में संकलेश जितना कम होगा वह परिणाम उतना ही अधिक शुभ और जिस परिणाम में संकलेश जितना अधिक होगा वह परिणाम उतना ही अशुभ होगा। कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं है जिसे केवल शुभ या केवल अशुभ कहा जा सके। प्रत्येक परिणाम शुभ-अशुभ अथवा उभयरूप होने पर भी उसमें शुभत्व-अशुभत्व का व्यवहार गीणमुखभाव की अपेक्षा से किया जाता है, इसीलिए जिस शुभ परिणाम से पुण्य-प्रकृतियों में शुभ अनुभाग बैठता है उसी परिणाम से पाप-प्रकृतियों में अशुभ अनुभाग भी बैठता है। इसके विपरीत जिस परिणाम से अशुभ अनुभाग बैठता है उसी परिणाम से पुण्य-प्रकृतियों में शुभ अनुभाग

भी बैठता है। इतना ही अन्तर है कि जैसे प्रकृष्ट शुभ परिणाम से होनेवाला शुभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अशुभ अनुभाग निकृष्ट होता है वैसे ही प्रकृष्ट अशुभ परिणाम से बैठनेवाला अशुभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है और शुभ अनुभाग निकृष्ट होता है।

पुण्यरूप में प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ—सातावेदनीय, मनुष्यायुज्ञ, देवायुज्ञ, तिर्यंच-आयुज्ञ, मनुष्यगति, देवगति, पञ्चनिद्रियजाति; औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, कार्मण ये पांच शरीर, औदारिक-अंगोपाग, वैक्रिय-अंगोपाग, आहारक-अंगोपाग, समचतुरस्त-संस्थान, वज्रवर्षभनाराच-सहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, अगुरुलघु, पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगति, चत्वार, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, निर्माणनाम, तीर्थंकरनाम और उच्चगोत्र।

पादरूप में प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ—पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, व्रतात-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, नारकायुज्ञ, नरकगति, तिर्यंच-गति, एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प्रथम सहनन को छोड़ क्षेप पांच सहनन—अर्धवज्रपंभनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कौलिका और सेवार्त, प्रथम संस्थान को छोड़ क्षेप पांच संस्थान—न्यग्रोषपरिमण्डल, सादि, कुञ्ज, बामन और हुड़, अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, नारकानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी, उच्चघात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, वस्तिर, अशुभ, दुर्मग, हु स्वर, अनादेय, अयश कीर्ति, नीचगोत्र और पांच अन्तराय। २६। ●

१ ये ४२ पुण्य-प्रकृतियाँ कर्मप्रकृति व नवतत्त्व जादि अनेक ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। दिग्भव ग्रन्थों में भी ये ही प्रकृतियाँ पुण्यरूप ने प्रसिद्ध हैं। प्रलुब्ध सूत्र में पुण्यरूप में लिदिष सम्प्रकल्प, हास्य, रति और पुरुषवेद इन चार प्रकृतियों का अन्य दिग्भव ग्रन्थ में पुण्यरूप से बण्णन नहीं है।

इन चार प्रकृतियों को पुण्यरूप माननेवाला नातविशेष वडुन प्राचीन है, ऐना द्वात हीता है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में उपलब्ध इनके दल्लेज के उपरात नाष्टवृत्तिकार ने भी मतभेद को वरसानेवाली आरिकापै दो है और लिखा है कि इस मंतव्य का रहस्य सम्प्रदाय-विच्छेद के कारण हमें मालून नहीं होना। हाँ, चतुर्दशपूर्वधारी जानते हींगे।

: ९ :

## संवर-निर्जरा

बन्ध के बर्णन के बाद अब इस नवें अध्याय में संवर एवं निर्जरा तत्व का निरूपण किया जाता है।

### संवर का स्वरूप

**आस्त्रवनिरोधः संवरः । १ ।**

आस्त्रव का निरोध संवर है।

जिस निमित्त से कर्म का बन्ध होता है वह आस्त्रव है। आस्त्रव की शास्त्रा पहले की जा चुकी है। आस्त्रव का निरोध अर्थात् प्रतिबन्ध करना ही संवर है। आस्त्रव के ४२ मेंद पहले बतलाए जा चुके हैं। उनका जितने-जितने बंश में निरोध होगा उतने-उतने बंश में संवर कहा जाएगा। आष्ट्राहित्यक विकास का क्रम ही आस्त्रव-निरोध के विकास पर आधित है। अतः जैसे-जैसे आस्त्रव-निरोध बढ़ता जाता है वैसे-वैसे गुणस्थान<sup>१</sup> की भी वृद्धि होती है।

### संवर के उपाय

**त गुस्तिसमितिघर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रैः । २ ।**

तपसा निर्जरा च । ३ ।

वह संवर गुस्ति, समिति, घर्म, अनुप्रेक्षा, परीषहजय और चारित्र से होता है।

तप से संवर और निर्जरा होती है।

१. जिस गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति आदि चार देतुओं में से जी-जो देतु सम्बव हों और उनके कारण जिन-जिन कर्म-प्रकृतियों का बन्ध सम्बव हो उन देतुओं और तज्जन्य कर्मप्रकृतियों के बन्ध का विच्छेद ही उस गुणस्थान से क्षय के गुणस्थान का सबर है अर्थात् पूर्व-पूर्वती गुणस्थान के आस्त्रव या तज्जन्य बन्ध का अभाव ही उत्तर-उत्तरवनों गुणस्थान का सबर है। इसके लिए देते—दूसरे कर्मग्रन्थ में बन्ध-करण और चीथा कर्मग्रन्थ (गाथा ५१-५८) तथा प्रस्तुत सब्र की सर्वार्थसिद्धि दीका।

- सामाज्यतः संवर का एक ही स्वरूप है, फिर भी प्रकारान्तर से उसके अनेक भेद कहे गए हैं। संक्षेप में से इसके ७ और विस्तार में ६९ उपाय बताए गए हैं। यह संख्या धार्मिक आचारों के विवाहों पर अवलम्बित है।

जैसे तप संवर का उपाय है वैये दी वह निर्जरा का भी प्रमुख कारण है। सामाज्यतया तप अम्बुदय (लौकिक सुख) की प्राप्ति का साधन आना जाता है, फिर भी वह निःअवैद (आध्यात्मिक सुख) का भी साधन है क्योंकि तप एक होने पर भी उसके पीछे की आवना के भेद के कारण वह सकाम और निष्काम दो प्रकार का हो जाता है। सकाम तप अम्बुदय का साधक है और निष्काम तप निःअवैद का। २-३।

### गुरुति का स्वरूप

#### सम्यग्योगनिप्रहो गुरुतिः । ४ ।

योगों का भलीभाविति निश्चह करना गुरुति है।

कार्यिक, वाचिक और मानसिक क्रिया अर्थात् योग का सभी प्रकार से निप्रह करना गुरुति नहीं है, किन्तु प्रशस्त निश्चह ही गुरुति होकर संवर का उपाय बनता है। प्रशस्त निश्चह का अर्थ है सीचसमझकर तथा अदापूर्वक स्वीकार क्रिया गया अर्थात् तुदि और अदापूर्वक भन, वचन और काय को उन्मार्ग से रोकना और सन्मार्ग में लगाना। योग के संक्षेप में तीन भेद हैं, अतः निप्रहरूप गुरुति के भी तीन भेद होते हैं

१. किसी भी वस्तु के लेने व रखने में अथवा बैठने-उठने व चलने-फिले में कर्तव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, इस प्रकार शारीरिक व्यापार का नियमन करना ही कायगुरुति है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसग पर या तो वर्चन का नियमन करना या शील धारण करना वचनगुरुति है। ३. दुष्ट संकल्प एवं अच्छे-बुरे निवित संकल्प का रोग करना और अच्छे सकल्प का सेवन करना मनोगुरुति है।

### समिति के भेद

#### ईविभावैचलादाननिक्षेपोत्सर्गः समितयः । ५ ।

सम्यग्भूर्हीर्या, सम्यग्भाषा, सम्यग्एषणा, सम्यग्भादान-निक्षेप और सम्यग्भृत्सर्गं ये पाँच समितियाँ हैं।

सभी समितियाँ विवेकयुक्त प्रवृत्तिरूप होने से संवर का उपाय बनती है। पाँचों समितियाँ इस प्रकार हैं :

१. ईर्यासमिति—किसी भी जन्मु ( प्राणी ) को क्लेश न ही, इसकिए साक्षात्तानीपूर्वक चलना । २. भाषासमिति—सत्य, हितकारी, परिमित और सदैहरहित बोलना । ३. एपणासमिति—जीवन-यात्रा में आवश्यक लिंगेष्व तात्त्वाणों को जुटाने के लिए सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना । ४. आदाननिषेपसमिति—वस्तुमात्र को भलीभांति देखकर एवं प्रमाणित करके लेना या रखना । ५. उत्सर्गसमिति—जीव-रहित प्रवेश में देखभालकर एवं प्रमाणित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं का विसर्जन करना ।

प्रश्न—गुणि और समिति में क्या अन्तर है ?

उत्तर—गुणि में असत्क्रिया के नियेष की मुख्यता है और समिति में सत्क्रिया प्रवर्तन की मुख्यता है । ५ ।

#### धर्म के भेद

उत्तमः क्षमामार्दवार्जेवशोषसत्यसंयमतपस्त्यगाकिञ्चन्यज्ञात्प्राचर्याणि  
धर्मः । ६ ।

क्षमा, मार्दव, वार्जेव, शोष, सत्य, संयम, तप, त्याग, आर्किचन्य और ज्ञात्प्राचर्य ये दस उत्तम धर्म हैं ।

क्षमा आदि गुणों को जीवन में उतारने से ही क्रोध आदि दोषों का अमाव होता है, इसीलिए इन गुणों को संवर का उपाय कहा गया है । क्षमा आदि दस प्रकार का धर्म जब अर्हिसा, सत्य आदि मूलगुणों तथा स्थान, आहार-नृदि आदि उत्तरगुणों के प्रकर्ष से युक्त होता है तभी यतिधर्म बनता है, अन्यथा नहीं । अभिप्राय यह है कि अर्हिसा आदि मूलगुणों या उत्तरगुणों के प्रकर्ष से रहित क्षमा आदि गुण भले ही सामान्य धर्म कहलाएं पर यतिधर्म को कोटि में नहीं आ सकते । ये दस धर्म इस प्रकार हैं—

१. क्षमा—सहनशील रहना अर्थात् क्रोध पैदा न होने देना और उत्पन्न क्रोध को विवेक तथा नम्रता से निष्फल कर डालना । क्षमा की साधना के पाँच उपाय हैं : अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन करना, क्रोधवृत्ति के दोषों का विचार करना, वालस्वभाव का विचार करना, अपने किए हुए कर्म के परिणाम का विचार करना और क्षमा के गुणों का चिन्तन करना ।

( क ) कोई क्रोध करे तब उसके कारण को अपने में ढूँढना । यदि दूसरे के क्रोध का कारण अपने में दृष्टिगोचर हो तो ऐसा विचार करना कि भूल तो मेरी अपनी ही है, दूसरे की वात तो सच है । कदाचित् अपने में दृष्टिगोचर के क्रोध का

कारण विस्तारी न पढ़े तो सोचना चाहिए कि यह वेचारा अज्ञान से मेरी भूल निकालता है। यहो अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन है।

( च ) जिसे क्रोध आता है वह विक्रममतियुक्त होने से आयेश में आकर दूसरे के साथ शक्रुता बांधता है, फिर उसे मारता या हानि पहुँचाता है और इस तरह अपने अहंसाद्रत को नष्ट करता है। इस प्रकार के अनर्थ का चिन्तन ही क्रोध-वृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है।

( ग ) कोई पीठपीछे निष्ठा करे तो ऐसा चिन्तन करना कि बाल (नासमाव) कींगों का यह स्वभाव ही है, इसमें ब्रात ही क्या है? उलटा लाभ है जो वेचारा पीठपीछे गाली देता है, सामने तो नहीं आता। यही प्रसन्नता की बात है। जब कोई सामने आकर गाली दे तब ऐसा सोचना कि यह तो बालजनों की ही बात है, जो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करते हैं, इससे अधिक तो शुछ करते नहीं। सामने आकर गाली ही देते हैं, प्रहार तो नहीं करते, यह भी लाग ही है। इसी प्रकार यदि कोई प्रहार करे तो उपकार मानना कि वह प्राणमुक्त तो नहीं करता और यदि कोई ग्राणमुक्त करे तब वर्षभ्रष्ट न कर सकने का लाभ मानकर अपने प्रति उसकी दया का चिन्तन करना। इस प्रकार जैसे-जैसे अधिक कठिनाइयों वाले जैसे-जैसे अपने में विशेष उदारता और विवेक का विकास करके उपस्थित कठिनाइयों को सरल बनाना ही बालस्वभाव का चिन्तन है।

- ( च ) कोई क्रोध करे तब यह सोचना कि इस अवसर पर दूसरा तो निमित्त-मात्र है, वास्तव में यह प्रसंग भेरे अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम है। यही अपने हृत कर्मों का चिन्तन है।

( छ ) कोई क्रोध करे तब यह सोचना कि 'क्षमा धारण करने से चित्त स्वस्थ रहता है, बदला लेने या प्रतिकार करने में व्यय होनेवाली शक्ति का उपयोग सम्भाल में किया जा सकता है'। यही क्षमा के गुणों का चिन्तन है।

**२. भार्या—**चित्त में मुद्रुता और व्यवहार में भी नम्रवृत्ति का होना मार्दव गुण है। इसकी तिद्वि के लिए जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विज्ञान ( वृद्धि ), श्रूत ( शास्त्र ), लाभ ( प्राप्ति ), वीर्य ( शक्ति ) के विषय में अपने को बढ़ा या केंचा मानकर गर्वित न होना और इन वस्तुओं की विनियोगता का विचार करके अभियान के कांटे को निकाल फेंकना।

**३. भार्या—**भाव की विशुद्धि अर्थात् विचार, भाषण और व्यवहार की एकता ही भार्या गुण है। इसकी प्राप्ति के लिए कृतिलक्ष्मा या मायाचारी के दोषों के परिणाम का विचार करना।

५. शौच—धर्म के साधनों तथा जरीर तक में भी आसक्ति न रखना—ऐसी निर्लोभता शौच है ।

६. सत्य—सत्पुरुषों के लिए हितकारी व यथार्थ वचन बोलना ही सत्य है । भाषासमिति और सत्य में अन्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्य के साथ बोलचाल में विवेक रखना भाषासमिति है और अपने समशील साधु पुरुषों के साथ सम्मापण-व्यवहार में हित, मित और यथार्थ वचन का उपयोग करना सत्य नामक यति-धर्म है ।

७. संबंध—मन, वचन और काय का नियमन करना अर्थात् विचार, वाणी और गति, स्थिति आदि में यतना ( सावधानी ) का अभ्यास करना संयम है ।<sup>१</sup>

८. तप—मलिन वृत्तियों को निर्मूल करने के लिवित अपेक्षित शक्ति की साधना के लिए किया जानेवाला आत्मदमन तप है ।<sup>२</sup>

९. त्याग—पात्र को ज्ञानादि सद्वगुण प्रदान करना त्याग है ।

१०. आकिञ्चन्य—किसी भी वस्तु में भ्रमत्वबुद्धि न रखना आकिञ्चन्य है ।

११. ज्ञाहवर्य—भ्रुटियों को दूर करने के लिए ज्ञानादि सद्वगुणों का अभ्यास करना एवं गुरु<sup>३</sup> की अधीनता के सेवन के लिए भ्रहा ( गुरुकुल ) में धर्म ( वसना ) ज्ञाहवर्य है । इसके परिपालनार्थ अतिशय उपकारक अनेक गुण हैं, जैसे आकर्पक

१. संयम के सब्रह प्रकार हैं जो मिश्र-मिश्र रूप में है : पाँच ईद्रियों का निग्रह, पाँच अन्तों का त्याग, चार कपायों का जय तथा मन, वचन और काय को विरानि । इसी प्रकार पाँच त्यावर और चार व्रत में नीं संयम तथा प्रेष्यसंयम, उपेष्यसंयम, अपहृत्य-संयम, प्रमृज्यसंयम, कायसंयम, वाक्मृयम, मन संयम और उपकरणसंयम इस तरह कुल सब्रह प्रकार का संयम है ।

२. इसका वर्णन इसी अभ्याय के सत्र १६-२० में है । इसके उपरात अनेक तपस्त्रियों द्वारा आचरित अलग-अलग प्रकार के तप ऐन परम्परा में प्रसिद्ध हैं । जैसे यवमध्य और वज्रमध्य ये दो, चान्द्रायण, कलकावली, रत्नावली और मुक्तावली ये तीन, क्षुलक और नहा ये दो तिहविकीर्णिः; सप्तसप्तमिका, अष्टाषष्ठमिका, नवनवमिका, दशाष्टरमिका ये चार प्रतिमार्दः; क्षुद्र और नहा ये दो सर्वतीमदः अद्वैतर आचान्तः; वर्षमान एवं नारह भिष्प्रतिमार्दः इत्यादि । इनके विशेष वर्णन के लिए देखें—आत्मानन्द सभा द्वारा छाकाशित सपोरत्नमहोदधि नामक ग्रन्थ ।

३. गुरु ( आचार्य ) पाँच प्रकार के हैं—प्रब्राह्मक, दिग्गचार्य, भूतोदेषा, भूतसमुद्रेषा, आन्नायार्थवाचक । जो प्रब्रव्या देता है वह प्रब्राह्मक, जो वस्तुमात्र की अदुक्षा प्रदान करे वह दिग्गचार्य, जो आगम का प्रथम पाठ पढाय वह श्रुतोदेषा, जो स्थिर परिचय कराने के लिए आगम का विशेष प्रब्रचन करे वह श्रुतसमुद्रेषा और जो आन्नाय के उत्सर्ग और अपवाद का रहस्य बताए वह आन्नायार्थवाचक कहलाता है ।

स्वर्ण, रस, गन्ध, रूप, शब्द और शारीर-संस्कार आदि में न उलझना। इसी प्रकार अध्याय ७ के सूत्र ३ में वर्णित चतुर्थ महाव्रत की पाँच भावनाओं का विशेष रूप से अभ्यास करना। ६ ।

### अनुप्रेक्षा के भेद

अनित्याशरणसंसारैकस्त्वान्यत्वाशुचित्वास्त्रवसंवरनिर्जरालोकबोधि-  
दुर्लभमसंस्वाल्प्यातत्वाशुचिन्तनमनुप्रेक्षाः । ७ ।

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आस्त्र, संवर, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभत्व और धर्मस्वाल्प्यातत्व—इनका अनुचिन्तन ही अनुप्रेक्षाएँ हैं।

अनुप्रेक्षा अर्थात् गहन चिन्तन। तात्त्विक और गहरे चिन्तन द्वारा रागद्वेष अदि वृत्तियाँ ऊँ जाती हैं, इसीलिए ऐसे चिन्तन को संवर का उपाय कहा गया है।

जीवनशूद्धि में विशेष उपयोगी बारह विषयों को चुनकर उनके चिन्तन को बारह अनुप्रेक्षाओं के रूप में गिनाया गया है। अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं। बारह अनुप्रेक्षाओं का परिचय नीचे दिया जा रहा है।

१. अनित्यानुप्रेक्षा—किसी भी प्रात वस्तु के वियोग से दुःख न हो इसलिए उन सभी वस्तुओं में आसक्ति कम करना आवश्यक है। इसके लिए ही शरीर और धरतार आदि वस्तुएँ एवं उनके सम्बन्ध नित्य और स्थिर नहीं हैं, ऐसा चिन्तन करना ही अनित्यानुप्रेक्षा है।

२. अशरणानुप्रेक्षा—एकमात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्त्रीकार करने के लिए अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व हटाना आवश्यक है। इसके लिए ऐसा चिन्तन करना कि जैसे सिंह के पंजे में पड़े हुए हिरण का कोई शरण नहीं है वे ही आवि (मानसिक रोग), व्यावि (शारीरिक रोग) और उपादि से ग्रस्त मैं भी सर्वदा के लिए अशरण हूँ। यह अशरणानुप्रेक्षा है।

३. संसारानुप्रेक्षा—संसारतृष्णा का त्याग करने के लिए सांसारिक वस्तुओं में निवेद (उदासीनता) की साधना आवश्यक है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन को हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि इस अनादि जन्म-मरण-संसार में न तो कोई स्वर्ग है और न कोई परजन, क्योंकि प्रत्येक के साथ तरह-तरह के सम्बन्ध जन्म-जन्मान्तर में हुए हैं। इसी प्रकार राग, द्वेष और मोह से संदर्भ ग्राणी विद्यतृष्णा के कारण एक-दूसरे को हड्डपने की नीति से असह्य दुखों का

अनुभव करते हैं। यह संसार हर्ष-विपाद, सुख-दुःख आदि दृढ़ों का स्थान है और सचमुच कष्टमय है। इस प्रकार का चिन्तन संसारानुप्रेक्षा है।

४. एकत्वानुप्रेक्षा—मोक्ष-प्राप्ति की दृष्टि से रागद्वेष के प्रसगों में निर्लेपता की साधना आवश्यक है। अतः स्वजन-विपयक राग तथा परजन-विपयक द्वेष को दूर करने के लिए ऐसा विचार करना कि 'मैं अकेला ही जन्मता-मरता हूँ, अकेला ही अपने दोषे हूए कर्मबीजों के सुख-दुःखादि फलों का अनुभव करता हूँ, वास्तव में मेरे सुख-दुःख का कोई कर्ता-हृता नहीं है'। यह एकत्वानुप्रेक्षा है।

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा—मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की ह्लास-बृद्धि में अपनी ह्लास-बृद्धि को मानने की भूल करके भूल कर्तव्य को भूल जाता है। इस स्थिति के निरासाय शरीर आदि अन्य वस्तुओं में अपनी आदत को दूर करना आवश्यक है। इसीलिए इन दोनों के गुण-धर्मों की भिन्नता का चिन्तन करना कि शरीर तो जड़, स्थूल तथा आदि अन्त युक्त है और मैं तो चेतन, सूक्ष्म-आदि, अन्तरहित हूँ। यह अन्यत्वानुप्रेक्षा है।

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा—सबसे अधिक धृणास्पद शरीर ही है, अतः उस पर से भूर्जा घटाने के लिए ऐसा सोचना कि शरीर स्वयं अशुचि है, अशुचि से ही पैदा हुआ है, अशुचि वस्तुओं से इसका पोषण हुआ है, अशुचि का स्थान है और अशुचि-परम्परा का कारण है। यह अशुचित्वानुप्रेक्षा है।

७. आत्मवानुप्रेक्षा—हृनिद्र्य-भोगों की आसक्ति कम करने के लिए प्रत्येक इन्द्रिय के भोगसम्बन्धी राग से उत्पन्न होनेवाले अनिष्ट परिणामों का चिन्तन करना आत्मवानुप्रेक्षा है।

८. संवरालनुप्रेक्षा—दुर्वृत्ति के द्वारों को बन्द करने के लिए सद्वृत्ति के गुणों का चिन्तन करना संवरालनुप्रेक्षा है।

९. निर्बद्धानुप्रेक्षा—कर्म-बन्धन को नष्ट करने की वृत्ति दृढ़। करने के लिए विविध कर्म-विपाकों का चिन्तन करना कि दुःख के प्रसंग दोप्रकार् के होते हैं—एक तो हृच्छा और साधान प्रयत्न के बिना प्राप्त हुआ, जैसे पशु, पक्षी और बहरे, गूँगे आदि दुःखप्रधान जन्म तथा उत्तराधिकार में प्राप्त गरीबी; दूसरा सद्वृद्धेश्य से संज्ञान प्रथलपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे तप और त्याग के कारण प्राप्त गरीबी और शारीरिक कृशता आदि। पहले में वृत्ति का समाधान न होने से वह अशुचि का कारण होकर अकुशल परिणामदायक बनता है और दूसरा सद्वृत्ति-जनित होने से उसका परिणाम कुशल ही होता है। अतः अचानक प्राप्त हुए कटुक विपाकों में समाधान-वृत्ति साधना तथा जहाँ सम्भव हो वहाँ तप और

त्याग द्वारा कुशल परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कर्मों को भोगना अवस्कर है। यह निर्जनानुप्रेक्षा है।

१० लोकानुप्रेक्षा—सत्त्वज्ञान की विशुद्धि के निमित्त विश्व के वास्तविक स्वरूप का चिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है।

११. बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा—प्राप्त हुए भोक्षणार्थ में अप्रमत्तभाव की साधना के लिए ऐसा विचार करना कि ‘अनादिशपरंच-जाल में, विविध दुःखों के प्रवाह में तथा मोह आदि कर्मों के दीन आधातों को सहन करते हुए जीव को शुद्ध दृष्टि और शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुर्लभ है’। यह बोधिदुर्लभत्वानुप्रेक्षा है।

१२ धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा—धर्ममार्ग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान में स्थिरता लाने के लिए ऐसा चिंतन करना कि ‘यह कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है ऐसे सर्वांगुणसम्पन्न धर्म का सत्पुरुषों ने उपदेश किया है’। यह धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा है। ७।

### परीपह

मार्गिच्छवननिर्जरार्थं परिसोऽद्व्याः परीषहाः । ८ ।

क्षुत्पिपासाशोतोष्णदंशमशककनान्यारतिष्ठोचर्यानिषद्याशत्याक्लोशबध्याचनाऽलाभरोगतृणस्पर्शमलसंत्कारपुरस्कारप्रज्ञानानादर्शनानि । ९ ।

सूक्ष्मसन्परायच्छब्दस्थवीतरागयोश्चतुर्दशा । १० ।

एकादश जिने । ११ ।

बादरसम्पराये सर्वे । १२ ।

ज्ञानावरणे प्रज्ञानाने । १३ ।

दर्शनमोहान्तराययोरदर्शनालाभौ । १४ ।

चारित्रमोहै नान्यारतिष्ठोनिषद्याक्लोशयाच्चनासंत्कारपुरस्कारा । १५ ।

वेदनीये ज्ञेयाः । १६ ।

एकादयो भार्या पुणपदैकोनविशतेः । १७ ।

मार्ग से च्युत न होने एवं कर्मों के क्षय के लिए जो सहन करने योग्य हो वे परीपह हैं।

१ शेतान्ब्र य द्विग्नवर सभी पुस्तकों में ‘प’ छपा हुआ शिल्पा है, परन्तु यह परीपह राज्य के ‘प’ के नाम्य के कारण व्याकरणविषयक आनित-मात्र है। बन्दुन् न्याकरण ने अनुमार ‘परिसोऽद्व्याः’ ही शुद्ध रूप है। जैसे देखें—मिद्हेम व्याकरण २ ३.४८ तथा यागिनीय व्याकरण, ८ ३ ११५.

क्षुवा, तृष्णा, शोत, उष्ण, दंशमशक, नगनत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, जय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्ज, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन—ये बाईस परीपह हैं।

सूक्ष्ममम्पराय व छधास्थवीतराग में चौदह परीपह सम्भव हैं।

जिन भगवान् में ग्यारह परीपह सम्भव हैं।

बादरसम्पराय में बाईसो परीपह सम्भव है।

ज्ञानावरणरूप निमित्त से प्रज्ञा और अज्ञान परीपह होते हैं।

दर्शनमोह से अदर्शन और अन्तराय कर्म से अलाभ परीपह होते हैं।

चारित्रमोह से नगनत्व, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और सत्कार-पुरस्कार परीपह होते हैं।

वेदनीय से शेष सभी परीपह होते हैं।

एक साथ एक आत्मा मे १ से १५ तक परीपह विकल्प से सम्भव है।

सवर के उपाय के रूप में सूत्रकार ने परीपहो के पांच अगो का निरूपण किया है—१. परीपहो का लक्षण, २. उनकी सर्वा, ३. अधिकारी भेद से उनका विभाग, ४. उनके कारणो का निर्देश और ५. एक साथ एक जीव में सम्भाव्य परीपह। यहाँ प्रत्येक अग का विशेष विचार किया जाता है।

१. लक्षण—अङ्गीकृत घर्ममार्ग में स्थिर रहने और कर्मवन्धन के विनाश के लिए जो स्थिति समभावपूर्वक सहन करने योग्य है उसे परीपह कहते हैं। ८।

२. संख्या—यद्यपि परीपहो की संख्या संक्षेप मे कम और विस्तार में अधिक भी कल्पित की जा सकती है तथापि त्याग के विकास के लिए विशेषरूप में बाईस परीपह शास्त्र में बतलाए गए हैं। वे ये हैं—१-२. क्षुधा और पिपासा—भूत और प्यास की चाहे जैसी- वेदना हो, फिर भी अङ्गीकृत मर्यादा के विपरीत आहार-जल न लेते हुए समभावपूर्वक इन वेदनाओ को सहना। ३-४. शीत व उष्ण— ठंड और गरमी से चाहे जितना कष्ट होता हो, फिर भी उसके निवारणार्थ किसी भी अकल्प्य वस्तु का सेवन न करके समभावपूर्वक उन वेदनाओ को सहना। ५. दंशमशक—डाँस, मच्छर आदि जन्तुओ के उपद्रव को खिन्न न होते हुए समभावपूर्वक सहन करना। ६. नगनता—नगनता को समभावपूर्वक सहन

७. इस परीपह के विषय में इवेताम्बर व दिगम्बर दोनों भगवादार्थों में विशेष मतभेद है और इसी के कारण इवेताम्बर-दिगम्बर नाम पड़े हैं। इवेताम्बर शास्त्र विशिष्ट साधकों के

करना । ७. अरति—अंगीकृत भाग में अनेक कठिनाइयों के कारण अस्त्रि का प्रमग आने पर उस समय अस्त्रि न लाते हुए दैवपूर्वक उसमें रस लेना ।

८. स्त्री—पुरुष या स्त्री साधक का अपनी सावना में विजातीय आकर्षण के प्रति न ललचाना । ९. चर्चा—स्त्रीकृत धर्मजीवन को पुष्ट रखने के लिए धनंग होकर शिल्प-शिल्प स्थानों में विहार करना और किसी भी एक स्थान में निवास स्वीकार न करना । १०. निदव्या—सावना के अनुकूल एकान्त स्थान में मर्यादित समय तक आसन लगाकर बैठे हुए साधक के ऊपर यदि भय का प्रसंग आ जाय तो उसे अक्षमितभाव से जीतना अवयव आमन से चूप्त न होना । ११. अव्या—कोपल या कठोर, दंची या नीची, जैसी भी जगह सहजभाव से मिले वहाँ सम्भावपूर्वक शयन करना । १२. आक्रोश—कोई पास आकर कठोर या अत्रिय दबन कहे तब भी उसे सत्कार समझना । १३. वध—किसी के द्वारा ताड़न-तज्जन किये जाने पर भी उने सेवा ही यानना । १४. याचना—दीनता या अभियान न रखते हुए सहज धर्मयात्रा के निर्वाहार्थ याचकवृत्ति स्वीकार करना ।

१५. अलाप—याचना करने पर भी यदि अभीष्ट वस्तु न मिले तो प्राप्ति के बजाय क्षमापति को ही सच्चा तथ मानकर सतोष रखना । १६. रोग—व्याकुल न होकर समभावपूर्वक किसी भी रोग को सहन करना । १७. तृणस्वर्ण—संथारे में या अन्यत्र तृण आदि की तीक्ष्णता अथवा कठोरता अनुभव हो तो मदुशश्या के सेवन जैसी प्रसन्नता रखना । १८. मल—शारीरिक मैल चाहे जितना हो, फिर भी उससे चहिन न होना और स्नान आदि संस्कारों की इच्छा न करना ।

१९. चत्कार-पुरुस्कार—चाहे जितना सत्कार मिले पर उससे प्रसन्न न होना और सत्कार न मिले पर खिल्न न होना । २०. प्रज्ञा—प्रज्ञा अर्थात् चमत्कारिणी बुद्धि होने पर उसका गर्व न करना और बैसी बुद्धि न होने पर खेद न करना ।

२१. अज्ञान—विद्यिष्ट शास्त्रज्ञान से गर्वित न होना और उसके अभाव में आत्मानानन्द न रखना । २२. अदर्शन—सूक्ष्म और अतीनिद्रिय पदार्थों का दर्शन न होने से स्त्रीकृत त्याग निष्कल प्रतीत होने पर विवेकपूर्वक शङ्खा रखना और प्रसन्न रहना । १ ।

लिए सर्वेषां नगनत्व को स्त्रीकार करके भी अन्य साधकों के हित नयांदित वज्र-पात्र की आड़ा होते हैं और तदनुसार अमूर्खित भाव से वज्रपात्र रखनेवाले को भी वे नाश मानते हैं, जब कि दिग्भर शास्त्र मुनिनामधारक सभी साधकों के स्थिर समानस्थ में ऐकानितिक नगनत्व का विद्यान करते हैं । नगनत्व को अचेलक परीपह भी कहते हैं । आधुनिक शोधक विदान वज्रपात्र धारण करनेवाली वैदितावर परंपरा में मगवान् पादवैनाथ की सबत्त परम्परा का मूल देखते हैं और सर्वेषां नगनत्ववाली विशंवर परंपरा में म० महात्रीर की अवश्य परंपरा का मूल देखते हैं ।

**३. अधिकारी-भेद**—जिसमें सम्पराय ( लोभकषाय ) की वहुत कम सम्भावना हो उस सूक्ष्मसम्पराय नामक गुणस्थान में तथा उपशान्तमोह व कीणमोह नामक गुणस्थानों में चौदह परीपह ही सम्भव है । वे ये हैं—क्षुधा, पिपासा, शीत, उल्ल, दशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शव्या, वष, रोग, तृणस्पर्श और भल । शेष आठ सम्भव नहीं हैं, क्योंकि वे मोहजन्य हैं, एवं ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है । यद्यपि उसमें गुणस्थान में मोह होता है पर वह इतना अल्प होता है कि न होने जैसा ही कह सकते हैं । इसीलिए इस गुणस्थान में भी मोहजन्य आठ परीपहों की शक्यता का उल्लेख न करके केवल चौदह की शक्यता का उल्लेख किया गया है ।

तेरहवें और चौदहवें<sup>१</sup> गुणस्थानों में केवल ग्यारह ही परीपह सम्भव है । वे हैं—क्षुधा, पिपासा, शीत, उल्ल, दशमशक, चर्या, शव्या, वष, रोग, तृणस्पर्श और भल । योप ग्यारह घातिकर्मजन्य होते हैं और इन गुणस्थानों में घातिकर्मों का अभाव होने से वे सम्भव नहीं हैं ।

जिसमें सम्पराय ( क्षय ) की बादरता अर्थात् विशेष रूप में सम्भावना हो उस बादरसम्पराय<sup>२</sup> नामक नवें गुणस्थान में बाईस परीपह होते हैं, क्योंकि परीपहों के कारणभूत सभी कर्म वहाँ होते हैं । नवें गुणस्थान में बाईस परीपहों की सम्भावना का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों में उतने ही परीपह सम्भव है, यह स्वतः फलित हो जाता है । १०-१२ ।

**४. कारण-निर्देश**—कुल चार कर्म परीपहों के कारण माने गये हैं ।

**१.** इन दो गुणस्थानों में परीपहों के विषय में दिग्न्मर और इतेताम्बर सप्रदायों में मतभेद है, जो नवें में कवलाहार भानने और न भानने के कारण है । इसीलिए दिग्न्मर व्याख्याग्रन्थ 'एकादश जिने' सूत्र को भानने हुए भी इसको व्याख्या तौट-मरीड़ कर करते प्रतीत होते हैं । व्याख्या एक नहीं वल्कि दो की गई है और वे तीव्र साम्राज्याधिक मतभेद के बाद की ही है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । पहली व्याख्या के अनुसार ऐसा अर्थ किया जाता है कि जिन ( सर्वं ) में क्षुधा आदि ग्यारह परीपह ( वेदनीय कर्मजन्य ) है, लेकिन नोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण उपचार मात्र में द्रव्य परीपह हैं । दूसरी व्याख्या के अनुसार 'न' शब्द का अ-याहार करके यह अर्थ किया जाता है कि जिनमें वेदनीय कर्म होने पर भी तात्त्विक क्षुधा आदि ग्यारह परीपह मोह के अभाव के कारण वाधा-रूप न होने से ही ही नहीं ।

**२.** दिग्न्मर व्याख्या-ग्रन्थ यहाँ बादरसम्पराय शब्द को संक्षा न मानकर विशेषण मानते हैं, जिस पर से छठे आदि चार गुणस्थानों का अर्थ घटित करते हैं ।

ज्ञानावरण प्रश्ना<sup>३</sup> व अज्ञान परीपहों का कारण है, अन्तरायकर्म अलाभपरीपह का कारण है, मोहनीय में से दर्शनमोहनीय अदर्शन का और चारित्रमोहनीय नगनत्व, अरति, स्त्री, निपद्या, आक्रोश, याचना, सत्कार इन सात परीपहों का कारण है, वेदनीय कर्म उपर निश्चिए सर्वज्ञ में सम्भाग्य ग्यारह परीपहों का कारण है । १३-१६ ।

५ एक साथ एक जीव में संभाग्य परीपह—वाईस परीपहों म अनक परीपह परस्परविरोधी है, जैसे शीत, उष्ण, चर्या, शव्या और निपद्या । इनमें से पहले दो और बाद के तीन एक साथ सम्भव ही नहीं है । शीत परीपह के होने पर उष्ण और उष्ण के होने पर शीत सम्भव नहीं । इसी प्रकार चर्या, शव्या और निपद्या इन तीनों में से भी एक समय में एक ही परीपह सम्भव है । इसोलिए उक्त पाँचों में से एक समय में किन्हीं भी दो को सम्भव और तीन को असम्भव मानकर एक आत्मा में एक साथ अधिक-से-अधिक १९ परीपह सम्भव माने गये हैं । १७ ।

### चारित्र के भेद

सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसम्पराय-  
यथात्यातानि चारित्रम् । १८ ।

सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथात्यात—यह पाँच प्रकार का चारित्र है ।

आत्मिक शुद्धदशा में स्थिर रहने का प्रयत्न करना चारित्र है । परिणाम-शुद्धि के तरतुभयमाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक आदि पाँच भेद हैं । वे इस प्रकार हैं ।

१ सामायिकचारित्र—समयमाव में स्थित रहने के लिए समस्त अशुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग वरना सामायिकचारित्र है । छेदोपस्थापन आदि शेष चार चारित्र सामायिकरूप से ही है, फिर भी आचार और गुण की कुछ विशेषताओं के कारण इन चारों का सामायिक से पृथक् रूप में वर्णन किया गया है । इत्वांक अर्थात् कुछ समय के लिए अथवा शावत्कालिक अर्थात् भूम्यूर्ण जीवन के लिए जो पहले-पहल मुनि-दीक्षा ली जाती है वह सामायिक है ।

२. छेदोपस्थापनचारित्र—प्रथम दीक्षा के पश्चात् विशिष्ट श्रृङ् का अभ्यास कर लेने पर विशेष शुद्धि के लिए जीवनपर्यंत पून जो दीक्षा ली जाती है, एवं

<sup>३</sup> चमटकारिणी शुद्धि जिसनी ही भयों न हो, परिभित होने के कारण ज्ञानावरण के आभित ही होती है, अन प्रशापरीपह ज्ञानावरणजन्य ही है ।

प्रथम दीक्षा में दोपापत्ति बाने से उसका द्वेष करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा का आरोपण किया जाता है, वह छेदोपस्थापनचारित्र है। इनमें पहला निरतिचार और दूसरा यातिचार छेदोपस्थापनचारित्र है।

३. परिहारविशुद्धिचारित्र—जिसमें विशिष्ट प्रकार के तप प्रधान आचार का पालन किया जाता है वह परिहारविशुद्धिचारित्र है।<sup>१</sup>

४. सूक्ष्मसंपरायचारित्र—जिसमें कोष आदि कपायों का तो उदय नहीं होता, केवल लोभ का अश अतिसूक्ष्मरूप में रहता है, वह सूक्ष्मसंपरायचारित्र है।

५. यथास्थात्वारित्र—जिसमें किसी भी कपाय का विलक्षुल उदय नहीं रहता वह यथास्थात्वारित्र है।<sup>२</sup>

#### तप

अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्षशब्द्यासन-  
कायक्लेशा वाह्यं तपः । १९ ।

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम् । २० ।

अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्षशब्द्यासन और कायक्लेश—ये वाह्य तप हैं।

प्रायश्चित्त, चिनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान—ये आभ्यन्तर तप हैं।

बामनाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक शक्ति की साधना के लिए शरीर, डग्निद्रिय और मन को जिन-जिन उपायों से उपाया जाता है वे सभी तप कहे जाते हैं। तप के वाह्य और आभ्यन्तर दो भेद हैं। वाह्य तप वह है जिसमें शारीरिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो वाह्य द्रव्यों की अपेक्षा-सहित होने से दूसरों को दिखाई दे। आभ्यन्तर तप वह है जिसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो मुख्यरूप से वाह्य द्रव्यों की अपेक्षा से रहित होने से दूसरों को दिखाई न भी दे। स्थूल तथा लोगों द्वारा ज्ञात होने पर भी वाह्य तप का आभ्यन्तर तप की पुष्टि में उपयोगी होने से ही महत्व माना गया है। वाह्य और आभ्यन्तर तप के बर्गीकरण में समग्र स्थूल और सूक्ष्म धार्मिक नियमों का समावेश हो जाता है।

१. दर्दो—हिन्दी चौथा कर्मग्रन्थ, पृ० ५६-६१।

२. इसके अन्यान्यात और नवान्यात नाम भी मिलते हैं।

**बाह्य तप—बाह्य तप के ४ प्रकार ये हैं—** १. अनशन—विशिष्ट अवधि तक या आलोचन सब प्रकार के आहार का त्याग करना। इनमें पहला दृत्वरिक और दूसरा यावत्कथिक है। २. अवमीदर्य या ऊनोदरी—जितनी भूख हो उसमें कम आहार करना। ३. वृत्तिपरिमत्यान—विविध वस्तुओं को लालसा कम करना। ४. रसपरित्याग—शी, दूध आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकारवर्धक रसों का त्याग करना। ५. विविक्त जग्यासुन—बाधारहित एकान्त स्थान में रहना। ६. काय-फ्लैश—ठंड, गरमी या विविध आसनादि हारा शरीर को कष्ट देना।

**आभ्यन्तर तप—आभ्यन्तर तप के ४ प्रकार ये हैं—** १. प्रायश्चित्त—धारण किए हुए व्रत में प्रमादजनित दोपो का शोषन करना। २. विनय—ज्ञान आदि सद्गुणों में आदरभाव। ३. वैयावृत्य—योग्य साथनों की जुटाकर अथवा अपने आपको काम में लगाकर सेवाशुद्धया करना। विनय और वैयावृत्य में यही अन्तर है कि विनय मानसिक धर्म है और वैयावृत्य शारीरिक धर्म है। ४. स्वाध्याय—ज्ञानप्राप्ति के लिए विविध प्रकार का अध्ययन करना। ५. व्युत्सर्ग—अहंता और भमता का त्याग करना। ६. ध्यान—चित्त के विशेषों का त्याग करना। १९-२०।

### प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तर्पों के भेद

नवचतुर्दशपञ्चमिभेदं यथाक्रमं प्राप्त्यापनात् । २१ ।

ध्यान के पूर्ववर्ती आभ्यन्तर तर्पों के क्रमशः नौ, चार, दस, पाँच और दो भेद हैं।

ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके पहले के प्रायश्चित्त आदि पाँच आभ्यन्तर तर्पों के भेदों की संख्या ही यहाँ निर्दिष्ट की गई है। २१।

### प्रायश्चित्त के भेद

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपहेत्परिहारो-  
पत्यापनानि । २२ ।

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार और उपस्थापन—ये प्रायश्चित्त के नौ भेद हैं।

दोष अर्थात् भूल के शोषन के व्यवेक प्रकार हैं और वे सभी प्रायश्चित्त हैं। संक्षेप में वे नौ हैं—१. गुरु के समक्ष शुद्धभाव से अपनी भूल प्रकट करना आलोचन है। २. हुई भूल का अनुताप करके उससे निवृत्त होना और आगे भूल न हो इसके

लिए सावधान रहना प्रतिक्रमण है । ३. उक्त आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों साथ करना उद्भवय अर्थात् मिथ है । ४. सानेपीने आदि की यदि अकल्यनीय वस्तु आ जाय और वाद में पता चले तो उसका त्याग करना चिवेक है । ५. एकाग्रता-पूर्वक शरीर और वचन के व्यापारों को छोड़ना व्युत्सर्ग है । ६. अनशन आदि बाह्य तप करना तप है । ७. दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की प्रवृत्त्या कम करना छेद है । ८. दोषपात्र व्यक्ति से दोष के अनुसार पक्ष, मास आदि पर्यान्त किसी प्रकार का संसर्ग न रखकर उसे दूर से परिहरना परिहार है । ९. अहंसा, सत्य, ऋग्वेद आदि महावतों का भंग होने पर पुनः शुरू से उन महावतों का आरोपण करना उपस्थापन है ।<sup>१</sup> २२ ।

### विनय के भेद

**ज्ञानदर्शनचारित्रोपचाराः । २३ ।**

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार—ये विनय के चार भेद हैं ।

विनय वस्तुतः गुणरूप में एक ही है, फिर भी उसके ये भेद विषय की दृष्टि से ही वर्णित है । विनय के विषय को मुख्यतः यहाँ चार भागों में विभाजित किया गया है, जैसे—१. ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास जारी रखना और भूलना नहीं—यह ज्ञान का विनय है । २. तत्त्व की यथार्थ प्रतीतिस्वरूप सम्बन्धदर्शन से विचलित न होना, उसके प्रति उत्पन्न होनेवाली शङ्खाओं का निवारण करके निश्चक्षभाव की सावधान करना दर्शनविनय है । ३. सामायिक आदि चारित्रों में चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय है । ४. जो अपने से सद्गुणों में श्रेष्ठ हो उसके प्रति अनेक प्रकार से योग्य व्यबहार करना, जैसे उसके सम्मुख जाना, उसके आने पर खड़े होना, आसन देना, वन्दन करना इत्यादि उपचारविनय है । २३ ।

### वैयाकृत्य के भेद

**आचार्येष्यायायतपस्त्विकशेषकलानगणकुलसङ्घ साधुसमनोज्ञानाभ् । २४ ।**

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और समनोज्ञ—यह दस प्रकार का वैयाकृत्य है ।

वैयाकृत्य सेवारूप है । अतः दस प्रकार के सेव्य ( सेवायोग्य पात्रो ) के होने

<sup>१</sup> परिद्धार और उपस्थापन इन दोनों के स्थान पर मूल, अनवस्थाय व पागचिक दन तीन प्रायश्चित्तों के होने में कई अन्यों में उन प्रायश्चित्तों का वर्णन है । प्रत्येक प्रायश्चित्त किन-किन और कैम्ब-कैने दोषों पर लागू होता है इसका विशेष स्पष्टीकरण व्यवहार, जीतकरपसूत्र आदि प्रायश्चित्त-प्रधान अन्यों में द्रष्टव्य है ।

से वैशाखृत्य के भी दस प्रकार हैं—१. मुख्यरूप से जिसका कार्य व्रत और आचार चाहण करना हो वह आचार्य है। २. मुख्यरूप से जिसका कार्य श्रुताभ्यास करना हो वह उपाध्याय है। ३. महान् और उम तप करनेवाला तपस्वी है। ४ नव-दीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार धीक्षा है। ५. रोग आदि से कीण रलान है। ६. भिज-भिज आचार्यों के निष्पत्ति साथ यदि परस्पर सहाय्यायी होने से समान बाचनावाले हों तो उनका समुदाय गण है। ७ एक ही दीक्षाचार्य का शिष्य-परिवार कुल है। ८ धर्म का बन्यायी समुदाय संघ है जो माधु, साध्वी, आवक और आविका के रूप में चार प्रकार का है। ९ प्रत्यज्याधारी को साधु कहते हैं। १० ज्ञान आदि गुणों में समान समनेज्ञ या समानशील कहलाता है। २४।

### स्वाध्याय के भेद

**वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाभ्यायधर्मोपदेशः । २५ ।**

वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आभ्याय और धर्मोपदेश—ये स्वाध्याय के पांच भेद हैं।

ज्ञान प्राप्त करने, उसे सन्देहरहित, विशद और परिपक्व बनाने एवं उसका प्रचार करने का प्रयत्न—ये सभी स्वाध्याय में आते हैं, अत. उसके यहीं पांच भेद अभ्यासशीली के क्रमानुसार कहे गए हैं। १. शब्द या अर्थ का पहला पाठ लेना बाचना है। २. शब्द का दूर करने अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछना प्रच्छना है। ३. शब्द, पाठ या उसके अर्थ का चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है। ४ सीखी हुई वस्तु का शुद्धिपूर्वक पुन.-पुन उच्चारण करना आभ्याय अर्थात् पुनरावर्तन है। ५. जागी हुई वस्तु का रहस्य समझाना अथवा धर्म का कथन करना धर्मोपदेश है। २५।

### व्युत्सर्ग के भेद

**बाह्याभ्यन्तरोपध्योः । २६ ।**

बाह्य और आभ्यन्तर उपधि का त्याग—ये व्युत्सर्ग के दो प्रकार हैं।

वास्तव में बहुता-ममता की निन्दिति के रूप में त्याग एक ही है, किर भी स्थाज्य वस्तु बाह्य और आभ्यन्तर के रूप में दो प्रकार की होती है, इसीलिए व्युत्सर्ग या त्याग के भी दो प्रकार कहे गए हैं—१. धन, धान्य, मकान, द्वेष आदि बाह्य पदार्थों की ममता का त्याग करना बाह्योपचित्व-व्युत्सर्ग है और २. शरीर की ममता का त्याग करना एवं काषायिक विकारों की तन्मयता का त्याग करना आभ्यन्तरो-पचित्व-व्युत्सर्ग है। २६।

## ध्यान

उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् । २७ ।

आपुहृतात् । २८ ।

उत्तम संहननवाले का एक विषय<sup>१</sup> में अन्तःकरण की वृत्ति का स्थापन ध्यान है ।

वह मुहूर्त तक अर्थात् अन्तर्मुहूर्त पर्यंत रहता है ।

यहाँ ध्यान से सम्बन्धित अधिकारी, स्वरूप और काल का परिमाण ये तीन बातें बर्णित हैं ।

१. अधिकारी—इस प्रकार के संहननों<sup>२</sup> ( शारीरिक संघटनो ) में वज्रपंभ-नाराच<sup>३</sup>, अर्धवज्रपंभनाराच और नाराच ये तीन उत्तम माने जाते हैं । उत्तम संहननवाला ही ध्यान का अधिकारी होता है, फयोकि ध्यान करने में आवश्यक मानसिक बल के लिए जितना शारीरिक बल आवश्यक है वह उक्त तीन संहनन-वाले शरीर में सम्भव है, औपं तीन संहननवाले में नहीं । मानसिक बल का एक प्रमुख आधार शरीर है और शारीरबल शारीरिक संघटन पर निर्भर करता है, अतः उत्तम संहननवाले के अतिरिक्त दूसरा कोई ध्यान का अधिकारी नहीं है । शारीरिक संघटन जितना कम होगा उतना ही मानसिक बल भी कम होगा और मानसिक बल जितना कम होगा उतनी ही चित्र की स्थिता भी कम होगी । इसलिए कमजोर शारीरिक संघटन या अनुत्तम संहननवाला किसी भी प्रशस्त विषय में जितनी एकाग्रता साध सकता है वह इतनी कम होती है कि ध्यान में उसकी गणना ही नहीं हो सकती ।

२. भाष्य के अनुसार इस सूत्र में दो प्रकार के ध्यान कहे गए हैं—१. एकाग्रचिन्ता और २. निरीध । किन्तु ऐसा लगता है कि किसी अन्य टीकाकार की दृष्टि में यह बात नहीं आई । अतः इसने भी यहाँ पर युराने टीकाकारों का ही अनुसरण किया है । बस्तुतः यही दो प्रकार सत्रकार द्वारा यहाँ निर्दिष्ट है । देखें—प्राकृत टेक्स्ट, सुतायदी द्वारा प्रकाशित दृश्यैकालिक की अगस्त्यसिद्धृत चूर्णि, पृ० १६, तथा ५० दलमुख भाल-बणिया का लेख, गुरुरात युनिवरिंदी द्वारा प्रकाशित पणिका विद्वा, भाग १५, अंक २, अगस्त १६७३, पृ० ६२ ।

३. दिशम्बर ग्रन्थों में तीन उत्तम संहननवाले की ही ध्यान का अधिकारी माना गया है सेकिन भाष्य और उसकी वृत्ति में प्रथम दो संहननवाले की ध्यान का अधिकारी माना गया है ।

४. इसकी जानकारी के लिए देखें—अ० ८, स० १२ ।

२. स्वरूप—ज्ञानान्तर. क्षण में एक, क्षण में हूसरे, क्षण में तीसरे ऐसे अनेक विषयों को अवलोकन करके प्रवृत्त ज्ञानधारा भिन्न-भिन्न दिशाओं से बहती हुई हवा में स्थित दीपशिखा की भाँति अर्थात् अस्थिर होती है। ऐसी ज्ञानधारा—चिन्ता को विशेष प्रयत्नपूर्वक शेष विषयों से हटाकर किसी एक ही इष्ट विषय में स्थिर रखना अर्थात् ज्ञानधारा को अनेक विषयगतियों न बनने देकर एक विषय-गमिनी बना देना ही ध्यान है। ध्यान का यह स्वरूप असर्वज्ञ (छद्मस्य) में ही सम्भव है। इसलिए ऐसा ध्यान बाहरहवें गुणस्थान तक होता है।

सर्वज्ञत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात् तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानों में भी ध्यान स्वीकार तो अवश्य किया गया है, पर उसका स्वरूप निन्न है। तेरहवें गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, वाचिक और कार्यिक योग-व्यापार के निरोध का क्रम प्रारम्भ होता है तर्व स्थूल कार्यिक व्यापार के निरोध के बाद सूक्ष्म कार्यिक व्यापार के अस्तित्व के समय में सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा नृक्ल ध्यान माना गया है और चौदहवें गुणस्थान की सम्पूर्ण अव्योगितन की दशा में शैलेशीकरण के समय में समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नामक चौथा नृक्लध्यान माना गया है। ये दोनों ध्यान उक्त दशाओं में ध्यान को घटाने के लिए सूत्रगत प्रसिद्ध अर्थ के उपरान्त 'ध्यान' शब्द का अर्थ विशेष विशद किया गया है कि केवल कार्यिक स्थूल व्यापार के निरोध का प्रयत्न भी ध्यान है और आत्मप्रदेशों की निष्प्रकल्पता भी ध्यान है।

फिर भी ध्यान के विद्यय में एक प्रश्न रहता है कि तेरहवें गुणस्थान के प्रारम्भ से योगनिरोध का क्रम शुरू होता है, तब उक्त की अवस्था में अर्थात् सर्वज्ञ हो जाने के बाद की स्थिति में क्या कोई ध्यान होता है? यदि होता है तो कौन-सा? इसका उत्तर दो प्रकार से मिलता है: १. विहरमाण सर्वज्ञ की दशा में ध्यानान्तरिका कहकर उसमें अव्यानित ही मानकर कोई ध्यान स्वीकार नहीं किया गया है। २. सर्वज्ञदशा में भन, वचन और शारीर के व्यापारसम्बन्धी सुदृढ़ प्रयत्न को ही ध्यान के रूप में मान लिया गया है।

३. काल का परिमाण—उपर्युक्त एक ध्यान अधिक-से-अधिक अन्तर्मुहूर्त तक ही टिकता है, बाद में उसे टिकाना कठिन है, अतः उसका बान्धपरिमाण अन्तर्मुहूर्त है।

कई लोग श्वास-च्छृंखला रोक रखने को ही ध्यान मानते हैं तथा उन्हें

कुछ लोग मात्रा से काल की गणना<sup>१</sup> करने को ही ध्यान मानते हैं। परन्तु जैन-परम्परा में यह कथन स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यदि सम्पूर्णतया श्वास-उच्छ्वास किया रोक दी जाय तो शरीर ही नहीं ठिकेगा। इसलिए भन्द या भन्दतम श्वास का सचार तो ध्यानावस्था में रहता ही है। इसी प्रकार जब कोई मात्रा से काल को गिनेगा तब तो गिनती के काम में अनेक क्रियाएँ करने में लग जाने से उसके मन को एकाग्र के स्थान पर ब्यग्र ही मानना पड़ेगा। यही कारण है कि दिवस, भास और उससे अधिक समय तक ध्यान के ठिकाने की लोकमान्यता भी जैन-परम्परा को आहु नहीं है। इसका कारण यह है कि लम्बे समय तक ध्यान साधने से इन्द्रियों का उपधात सम्भव है, अतः ध्यान को अन्तर्मुहूर्त से अधिक काल तक बढ़ाता कठिन है। 'एक दिवस, एक अहोरात्र अथवा उससे अधिक समय तक ध्यान किया'—इस कथन का अभिप्राय इतना ही है कि उद्दीपन समय तक ध्यान का प्रवाह चलता रहा। किसी भी एक आलम्बन का एक बार ध्यान करके पुनः उसी आलम्बन का कुछ रूपान्तर से या दूसरे ही आलम्बन का ध्यान किया जाता है और पुनः इसी प्रकार आगे भी ध्यान किया जाता है तो वह ध्यानप्रवाह बढ़ जाता है। यह अन्तर्मुहूर्त का कालपरिमाण छद्मस्थ के ध्यान का है। सर्वज्ञ के ध्यान का कालपरिमाण तो अधिक भी ही सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ मन, वचन और शरीर के प्रवृत्तिविषयक सुदृढ़ प्रयत्न को अधिक समय तक भी बढ़ा सकता है।

जिस आलम्बन पर ध्यान चलता है वह आलम्बन सम्पूर्ण द्रव्यरूप न होकर उसका एकदेश (एक पर्याय) होता है, क्योंकि द्रव्य का चिन्तन उसके किसी-न-किसी पर्याय द्वारा ही सम्भव होता है। २७-२८।

ध्यान के भेद और उनका फल

आत्मरौद्रध्वंशुकलालिं । २९ ।

परे मोक्षहेतु । ३० ।

आर्त, रोद्र, धर्म और शुक्ल—ये ध्यान के चार प्रकार हैं।

अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं।

उक्त चार में से आर्त और रोद्र ये दो ध्यान संसार के कारण होने से दुर्घानि हैं और हेय (स्याज्य) हैं। धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान मोक्ष के कारण होने से सुध्यान हैं और उपादेय (शाहु) हैं। २९-३०।

१. 'अ, ह' आदि एक-एक हृस्य स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। स्वरहीन व्यञ्जन के उच्चारण में अर्धमात्रा जितना समय लगता है। मात्रा या अर्धमात्रा परिमित समय की जानने का अन्यास करके उसी के अनुसार अन्य क्रियाओं के समय की गणना करना कि असुक काम में इतनी मात्राएँ हुई—मात्रा द्वारा काल की गणना कहलाती है।

## चारों व्यानों के भेद और अधिकारी

## आर्तव्यान

आर्तमनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विश्रयोगाय स्मृतिसम-  
न्वाहारः । ३१ ।

वेदनायाच्च । ३२ ।

विषरीतं मनोज्ञानाम् । ३३ ।

निदानं च । ३४ ।

तदविरतदेशविरतप्रभृतसंयतानाम् । ३५ ।

अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिन्ता करना पहला आर्तव्यान है ।

दु स्ख आ पड़ने पर उसके निवारण की सतत चिन्ता करना दूसरा आर्तव्यान है ।

प्रिय वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता करना तीसरा आर्तव्यान है ।

बप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता करना चौथा आर्तव्यान है ।

वह ( आर्तव्यान ) अविरत, देशविरत और प्रभृतसंयत—इन गुण-स्थानों में ही सम्भव है ।

वहाँ आर्तव्यान के भेद और उसके अधिकारी का निरूपण किया गया है । अति का अर्थ है पीड़ा या दुःख, उसमें से जो उत्पन्न हो वह आर्त । दु स्ख की उत्पत्ति के मुख्य कारण चार हैं—१. अनिष्ट वस्तु का संयोग, २. इष्ट वस्तु का वियोग, ३. प्रतिकूल वेदना और ४. भोग की लालसा । इन्ही के आधार पर आर्तव्यान के चार प्रकार कहे गये हैं । १ अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर तेज्ज्वल दु स्ख से व्याकुल आत्मा उसे दूर करने के लिए जो सतत चिन्ता करता रहता है वही अनिष्टव्योग-आर्तव्यान है । २ इसी प्रकार किसी इष्ट वस्तु का वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता करना इष्टव्योग-आर्तव्यान है । ३. शारीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की व्याकुलतापूर्वक चिन्ता करना रोगचिन्ता-आर्तव्यान है । ४. भोगी की लालसा की उत्कटता के कारण बप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का दोनों संकल्प निदान-आर्तव्यान है ।

प्रथम के चार तथा देशविरत व प्रमत्तसंयत इन छः गुणस्थानों में उक्त आर्त-ध्यान सम्भव है। इनमें भी प्रमत्तसंयत गुणस्थान में निदान को छोड़कर तीन ही आर्तध्यान सम्भव हैं। ३१-३५।

### रौद्रध्यान

**हिसाङ्नूतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः । ३६ ।**

हिसा, असत्य, चोरी और विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता करना रौद्रध्यान है, जो अविरत और देशविरत में सम्भव है।

प्रस्तुत सूत्र में रौद्रध्यान के भेद और उसके अधिकारियों का वर्णन है। रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों के आधार पर आर्तध्यान की भाँति ही बतलाए गए हैं। जिसका चित्त क्रूर व कठोर होता है वह रुद्र कहलाता है और ऐसी आत्मा द्वारा किया जानेवाला ध्यान रौद्र है। हिसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने और प्राप्त विषयों के सरक्षण की वृत्ति से क्रूरता व कठोरता उत्पन्न होती है। इन्हीं के कारण जो सतत चिन्ता होती है वह क्रमशः हिसानुबन्धी, अनूतानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी और विषयसरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान है। इस ध्यान के स्वामी या अधिकारी पहले पांच गुणस्थानवाले होते हैं। ३६।

### धर्मध्यान

**आज्ञाप्रायविषयकसंस्थानविच्चयाद् धर्मप्रमत्तसंयतस्य । ३७ ।**

**उपशान्तक्षीणकषाययोग्य । ३८ ।**

आज्ञा, अपाय, विषयक और संस्थान की विचारणा के लिए मनोवृत्ति को एकाग्र करना धर्मध्यान है, जो अप्रमत्तसयत में सम्भव है।

वह धर्मध्यान उपशान्तमोह और क्षीणमोह गुणस्थानों में भी सम्भव है।

यहाँ धर्मध्यान के भेद और उसके अधिकारियों का निर्देश है।

योग—१. वीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा या है और वह कैसी होनी चाहिए? इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के लिए मनोयोग लगाना आज्ञाविच्चय-धर्मध्यान है। २. दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाने के विचारार्थ मनोयोग लगाना अपायविच्चय-धर्मध्यान है। ३. अनुभव में आनेवाले विषयों में से कौन-कौन-सा विषयक किस-किस कर्म का आभारी है तथा अमुक कर्म का अमुक विषयक सम्भव है इसके विचारार्थ मनोयोग लगाना विषयविच्चय-

धर्मध्यान है। ४ लोकस्वरूप का विचार करने में मनोवेग लगाना सत्यान-विचय-धर्मध्यान है।

**स्वामी—**धर्मध्यान के स्वामियों (अधिकारियों) के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्पराओं में मतभैक्षण्य नहीं है। श्वेताम्बर भास्यता के अनुसार उक्त दो सूत्रों में निर्दिष्ट सातवें, ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानों में तथा इस-कथन से सूचित आठवें वादि वीच के तीन गुणस्थानों में अर्थात् सातवें से बारहवें तक के छह गुणस्थानों में धर्मध्यान सम्बन्ध है। दिगम्बर परम्परा में चौथे से सातवें तक के चार गुणस्थानों में ही धर्मध्यान की सम्भावना भास्य है। उसका तर्क यह है कि श्रेणी के आरम्भ के पूर्व तक ही सम्बद्धिं में धर्मध्यान सम्बन्ध है और श्रेणी का आरम्भ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें वादि में यह ध्यान किसी भी प्रकार सम्बन्ध नहीं है। ३७-३८।

### शुक्लध्यान

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः<sup>१</sup> । ३९ ।

परे केवलिनः । ४० ।

पृथक्त्वैकत्ववित्तक्षम्भूतक्रियाप्रतिपातिष्ठुपरतक्रियानिवृत्तीनि । ४१ ।

तत्त्वेककायपोगायोगानाम् । ४२ ।

एकाथये सवितकं पूर्वे । ४३ ।

अविचारं<sup>२</sup> द्वितीयम् । ४४ ।

वित्तकं शुतम् । ४५ ।

विचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसङ्क्रान्तिः । ४६ ।

उपशान्तमोह और क्षीणमोह में पहले के दो शुक्लध्यान सम्बन्ध हैं। ये दो शुक्लध्यान पूर्ववर को होते हैं।

बाद के दो केवली को होते हैं।

१. ‘पूर्वविद’ अंश प्रस्तुत सूत्र का ही है और इतना सूत्र अडग नहीं है, यह भाष्य के दीक्षाकार का कथन है। दिगंबर पर्परा में भी इस अंश को सूत्र के रूप में अलग स्थान नहीं दिया गया है। अतः यहाँ भी ऐसे ही रखा गया है। फिर भी भाष्य से साठ घात होना है कि ‘पूर्वविद’ स्वतंत्र सूत्र है।

२. प्रस्तुत सूत्र में अधिकतर ‘अवीचार’ रूप ही देखने में आता है, फिर भी यहाँ सूत्र व विवेचन में एत्त ‘विं’ के प्रयोग द्वारा एकता रखी गई है।

पृथक्त्ववितर्क, एकत्ववितर्क, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और व्युपरतक्रिया-निवृत्ति—ये चार शुक्लध्यान हैं।

वह ( शुक्लध्यान ) अनुक्रम से तीन योगवाले, किसी एक योगवाले, काययोगवाले और योगराहित को होता है।

पहले के दो एकाश्रित एव सवितर्क होते हैं।

इनमें से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है।

वितर्क अर्थात् श्रुति ।

विचार अर्थात् अर्थ, व्यञ्जन एव योग को सक्रान्ति ।

यहाँ शुक्लध्यान से सम्बन्धित स्वामी, भेद और स्वरूप ये तीन वार्ते वर्णित हैं।

स्वामी—स्वामी-विषयक कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है—पहला गुणस्थान की दृष्टि से और दूसरा योग की दृष्टि से।

गुणस्थान की दृष्टि से शुक्लध्यान के चार भेदों में से पहले दो भेदों के स्वामी ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानवाले ही होते हैं जो कि पूर्वघर भी हो। 'पूर्वघर' विशेषण से सामान्यत यह अभिप्राय है कि जो पूर्वघर न हो पर ग्यारह आदि बङ्गो का घारक हो उसके ग्यारहवें-बारहवें गुणस्थान में शुक्लध्यान न होकर धर्मध्यान ही होगा। इस सामान्य विवान का एक अपवाद यह है कि जो पूर्वघर न हो उन मापतुप, मरुदेवी आदि जैसी आत्माओं में भी शुक्लध्यान सम्भव है। शुक्लध्यान के ज्ञेय दो भेदों के स्वामी केवली अर्थात् तेरहवें और बादहवें गुणस्थानवाले ही हैं।

योग की दृष्टि से तीन योगवाला ही चार में से पहले शुक्लध्यान का स्वामी होता है। मन, वचन और काय में से किसी भी एक योगवाला शुक्लध्यान के दूसरे भेद का स्वामी होता है। इस ध्यान के तीसरे भेद का स्वामी केवल काययोगवाला और चौथे भेद का स्वामी एकमात्र अयोगी होता है।

भेद—शुक्लध्यान के भी अन्य ध्यानों की भाँति चार भेद हैं, जो इसके चार पाये भी कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है—१. पृथक्त्ववितर्क-मविचार, २. एकत्ववितर्क-निविचार, ३. सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, ४. व्युपरतक्रिया-निवृत्ति ( समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति )

पहले दो शुक्लध्यानों का आवश्य एक है अर्थात् उन दोनों का आरम्भ पूर्वज्ञानधारी आत्मा द्वारा होता है। इसीलिए ये दोनों ध्यान वितर्क—श्रुतज्ञान

सहित हैं। दोनों में वितर्क का साम्य होने पर भी यह वैम्य है कि पहले में पृथक्त्व ( भेद ) है, जब कि दूसरे में एकत्र ( अभेद ) है। इसी प्रकार पहले में विचार ( संक्रम ) है, जब कि दूसरे में विचार नहीं है। इसी कारण इन दोनों ध्यानों के नाम क्रमज. पृथक्त्ववितर्क-संविचार और एकत्रवितर्क-निर्विचार हैं।

**पृथक्त्ववितर्क-संविचार**—जब ध्यान करनेवाला पूर्णधर हो तब वह पूर्णत श्रुत के आधार पर और जब पूर्ववर न हो तब अपने में सम्मावित श्रुत के आधार पर किसी भी परमाणु आदि जड़ में या आत्मरूप चेतन में—एक इच्छ में उत्तर्ति, स्थिति, नाश, मूर्त्ति, अमूर्त्ति आदि अनेक पर्यायों का द्रव्यास्तिक, पर्यायास्तिक आदि विविध नयों के द्वारा भेदप्रवान चिन्तन करता है और यथासम्भव श्रुतज्ञान के आधार पर किसी एक द्रव्यरूप अर्थ पर से दूसरे द्रव्यरूप अर्थ पर या एक द्रव्यरूप अर्थ पर से पर्यायरूप अन्य अर्थ पर अद्यता एक पर्यायरूप अर्थ पर से अन्य पर्यायरूप अर्थ पर या एक पर्यायरूप अर्थ पर से अन्य द्रव्यरूप अर्थ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार अर्थ पर से शब्द पर और शब्द पर से अर्थ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है तथा मन आदि किसी भी एक योग को ढोकर अन्य योग का अवलम्बन लेता है, तब वह ध्यान पृथक्त्व-वितर्क-संविचार कहलाता है। कारण यह है कि इसमें वितर्क ( श्रुतज्ञान ) का अवलम्बन लेकर किसी भी एक इच्छ में उसके पर्यायों के भेद ( पृथक्त्व ) का विविध दृष्टियों से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान को अवलम्बित करके एक अर्थ पर से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, अर्थ पर से शब्द पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक योग से दूसरे योग पर उंचाम ( संचार ) करता पड़ता है।

**एकत्रवितर्क-निर्विचार**—उक्त कथन के विपरीत जब ध्यान करनेवाला अपने में सम्मान्य श्रुत के आधार पर किसी एक ही पर्यायरूप अर्थ को लेकर उस पर एकत्र ( अभेदप्रवान ) चिन्तन करता है और मन आदि तीन योगों में से किसी एक ही योग पर अटल रहकर शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं भिन्न-भिन्न योगों में संचार का परिवर्तन नहीं करता, तब वह ध्यान एकत्रवितर्क-निर्विचार कहलाता है, क्योंकि इसमें वितर्क ( श्रुतज्ञान ) का अवलम्बन होते पर भी एकत्र ( अभेद ) का चिन्तन प्रधान रहता है और जदै, शब्द अद्यता योगों का परिवर्तन नहीं होता।

उक्त दोनों में से पहले भेदप्रधान का अन्याय दृढ़ हो जाने के दाद है दूसरे अभेदप्रधान ध्यान की योगदान प्राप्त होती है। जैसे सम्ग्र गरीब में व्याप्त स्पर्शीद के जहर को मन्त्र आदि उपचारों से डक की लग्न साकर स्पापित किया जाता है

वैसे ही सम्मूणे जगत् में गिन्न-गिन्न विषयों में अस्थिर रूप में भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा किसी भी एक विषय पर केन्द्रित करके स्थिर किया जाता है। स्थिरता दृढ़ हो जाने पर जैसे बहुत-सा इंधन निकाल लेने और उने हुए घोड़े से इंधन को सुलगा देने से अथवा पूरे इंधन को हटा देने से आग बुझ जाती है वैसे ही उपर्युक्त क्रम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते ही मन भी सर्वथा शान्त हो जाता है अर्थात् चंचलता मिट जाने से निष्पक्ष्य बन जाता है। परिणामतः ज्ञान के सकल आवरणों का विलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है।

**सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती—**जब सर्वज्ञ भगवान् योगिनिरोध के क्रम में<sup>१</sup> अन्ततः सूक्ष्मगरीर योग का आश्रय लेकर शेष योगों को रोक देते हैं तब वह सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यान कहलाता है, क्योंकि उसमें श्वास-उच्छ्वास के समान सूक्ष्मक्रिया ही शेष रह जाती है और उससे पतन भी सम्भव नहीं है।

**समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति—**जब शरीर की श्वास-प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ भी बन्द हो जाती हैं और आत्मप्रदेश सर्वथा निष्पक्ष्य ही जाते हैं तब वह समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति ध्यान कहलाता है, क्योंकि इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी भी प्रकार की मानसिक, वाचिक, कार्यिक क्रिया नहीं होती। और वह स्थिरता वाद में नष्ट भी नहीं होती। इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से समस्त आत्मव और बन्ध के निरोधपूर्वक शेष कर्मों के क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तीसरे और चौथे शुद्धध्यान में किसी भी प्रकार के शुद्धज्ञान का आलंबन नहीं होता, अतः वे दोनों अनालंबन भी कहलाते हैं। ३९-४६।

### सम्यग्दृष्टियों की कर्मनिर्जरा का तरतम्भाव

सम्यग्दृष्टिभावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोपशामकोपशान्त-  
मोहक्षपक्षीणमोहजिनाः क्रमशोऽसङ्ख्येयगुणनिर्जराः । ४७ ।

सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, उपशामक, उपशान्तमोह, क्षपक, क्षीणमोह और जिन--ये दस क्रमशः असंख्येयगुण निर्जरावाले होते हैं।

१. यह क्रम यों है—स्थूल कार्ययोग के आश्रय से बचन और मन के स्थूल योग को महम बनाया जाता है, उसके बाद बचन और मन के सूक्ष्म योग की अवलम्बित करके शरीर के स्थूल योग को सूक्ष्म बनाया जाता है। फिर शरीर के सूक्ष्म योग की अवलम्बित करके बचन और मन के सूक्ष्म योग का निरोध किया जाता है और अन्त में सूक्ष्म-रारीरयोग का भी निरोध किया जाता है।

सर्व कर्मवन्धनों का सर्वथा क्षम ही मोक्ष है और कर्मों का अंशतः क्षम निर्जरा है। दोनों के लक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट है कि निर्जरा मोक्ष का पूर्वगामी अग है। प्रस्तुत शास्त्र में मोक्षतत्त्व का प्रतिपादन मुख्य है, अतः उसकी निरान्त अंगभूत निर्जरा का विचार करना भी यही उपयुक्त है। इसलिए यद्यपि शकल नेमारी आत्माओं में कर्मनिर्जरा का क्रम जारी रहता है तथापि यहाँ विशिष्ट आन्माकर्त्तों की ही कर्मनिर्जरा के क्रम का विचार किया गया है। वे विशिष्ट अर्थात् मोक्षाभिमुख आत्माएँ हैं। यथार्थ मोक्षाभिमुखता सम्यग्दृष्टि की प्राप्ति से ही प्रारम्भ हो जाती है और वह जिन ( सर्वं ) अवस्था में पूरी होती है। स्यूलदृष्टि की प्राप्ति से लेकर सर्वज्ञादेश तक मोक्षाभिमुखता के दृष्ट दिभाग किए गए हैं, जिनमें पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर दिभाग में परिणाम की विशुद्धि भविष्येत होती है। परिणाम की विशुद्धि जितनी अधिक होगी, कर्मनिर्जरा भी उत्तनी ही विशेष होगी। अतः प्रथम-प्रथम अवस्था में जितनी कर्मनिर्जरा होती है उसकी अपेक्षा आगे-आगे की अवस्था में परिणामविशुद्धि की विशेषता के कारण कर्मनिर्जरा भी अस्वातंगुण बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते अन्त में सर्वज्ञ-अवस्था में निर्जरा का प्रमाण सदसे अधिक हो जाता है। कर्म-निर्जरा के इस तरतमभाव में सदसे क्रम निर्जरा सम्यग्दृष्टि की और सदसे अधिक निर्जरा सर्वज्ञ को होती है। इन दस अवस्थाओं का स्वरूप इस प्रकार है : -

१. सम्यग्दृष्टि—जिस अवस्था में मिथ्यात्म दूर होकर सम्यक्तत्व का आविशय होता है। २. श्रावक—जिसमें अप्रत्याल्प्यानावरण कथाय के क्षयोपशम से अल्पाश में विरति ( त्याग ) प्रकट होती है। ३. विरत—जिसमें प्रस्ताव्यानावरण कथाय के क्षयोपशम से सर्वार्थ में विरति प्रकट होती है। ४. अनन्तवियोजक—जिसमें अनन्तात्मवन्ध्वी कथाय का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है। ५. दर्शनमोह-क्षपक—जिसमें दर्शनमोह का क्षय करने योग्य विशुद्धि प्रकट होती है। ६. उप-यामक—जिस अवस्था में मोह की शैष प्रकृतियों का उपशम जारी हो। ७. उप-यान्त्रमोह—जिसमें उपशम पूर्ण हो चुका हो। ८. क्षपक—जिसमें मोह की शैष प्रकृतियों का क्षय जारी हो। ९. क्षीणमोह—जिसमें मोह का क्षय पूर्ण सिद्ध हो चुका हो। १०. जिल—जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो गई हो। ४७ ।

### निर्गम्य के भेद

पुलाकवकुशकुशीलनिर्गम्यस्तातका निर्गम्यः । ४८ ।

पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गम्य और स्तातक—ये निर्गम्य के पांच प्रकार हैं।

निर्गन्ध शब्द का तात्त्विक ( निश्चयनयसिद्ध ) अर्थ मिल्न है और व्यावहारिक ( साम्राज्यिक ) अर्थ भिन्न है। दोनों अर्थों के एकीकरण को ही यहा निर्गन्ध-सामान्य मानकर उसी के पाँच भेद कहे गए हैं। निर्गन्ध वह है जिसमें रागद्वेष की गाँठ बिलकुल न रहे। निर्गन्ध शब्द का यही तात्त्विक अर्थ है। अपूर्ण होने पर भी तात्त्विक निर्गन्धता का अभिलाषी हो—भविष्य में यह स्थिति प्राप्त करना चाहता हो—वह व्यावहारिक निर्गन्ध है। पाँच भेदों में से प्रथम तीन व्यावहारिक हैं और दोप दो तात्त्विक। इन पाँच भेदों का स्वरूप इस प्रकार है।

१. पुलाक—मूलगुण तथा उत्तरगुण में परिपूर्णता प्राप्त न करते हुए भी वीतराग-प्रणीत आगम से कभी विचलित न होनेवाला निर्गन्ध। २. बकुश—शरीर और उपकरण के संस्कारों का अनुसरण करनेवाला, सिद्धि तथा कौति का अभिलाषी, सुखशील, अविविक ( ससग ), परिवारवाला तथा छेद ( चारित्र ) पर्याय की हानि तथा शब्द अतिचार दोषों से युक्त निर्गन्ध। ३. कुशील—इसके दो प्रकार हैं। इन्द्रियों का वशवर्ती होने से उत्तरगुणों की विराघनामूलक प्रवृत्ति करनेवाला प्रतियेवता-कुशील है और कभी भी तीव्र कपाय के वश न होकर कदाचित् मन्द कंपाय के वशीभृत हो जानेवाला कपाय-कुशील है। ४. निर्गन्ध—सर्वज्ञता न होने पर भी जिसमें रागद्वेष का अत्यन्त अभाव हो और अन्तमूर्हत के बाद ही सर्वज्ञता प्रकट होनेवाली हो। ५. स्नातक—जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो गई हो। ४८।

#### निर्गन्धों की विशेषता-व्योतक आठ वार्ते

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेश्योपपातस्थानविकल्पतः साध्याः । ४९।

संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपात और स्थान के भेद से इन निर्गन्धों की विशेषताएं सिद्ध होती हैं।

ऊपर जिन पाँच प्रकार के निर्गन्धों का वर्णन हुआ है उनका विशेष स्वरूप आनन्द के लिए यहाँ यह विचार किया गया है कि संयम आदि आठ वार्तों का प्रत्येक निर्गन्ध से कितना सम्बन्ध है।

१ संयम—सामायिक आदि पाँच संयमों में से सामायिक और छेदोपस्थाप-नीय इन दो संयमों में पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये तीन निर्गन्ध होते हैं; कपायकुशील उन दो एवं परिहारविशुद्धि व सूक्ष्मसम्पराय इन चार संयमों में होता है। निर्गन्ध और स्नातक एकमात्र यथारूपतासंयमवाले होते हैं।

२. श्रुत—पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील इन तीनों का उत्कृष्ट श्रुत पूर्ण दशपूर्व और कपायकुशील एवं निर्गन्ध का उत्कृष्ट श्रुत चतुर्दश पूर्व होता है,

जघन्य कुरु पुलाक का आवारबस्तु<sup>१</sup> होता है, बकुश, कुशील एवं निर्गम्य का अष्ट प्रवचनभासा ( पाँच समिति और तीन गुम्फ ) प्रगाण होता है। स्नातक सर्वज्ञ होने से शूरु से परे ही होता है।

**३. प्रतिसेवना ( विराघना )**—पुलाक पाँच महाव्रत और रात्रिगोजनविरमण हन छहों में से किसी भी व्रत का दूसरे के दवाव या वलाल्कार के कारण खड़न करता है। कुछ आचार्यों के मत से पुलाक चतुर्थ व्रत का विराघक होता है। बकुश दो प्रकार के होते हैं—उपकरणबकुश और शारीरबकुश। उपकरण में आसक्त बकुश नाना प्रकार के मूल्यवान् और अनेक विशेषताओं से युक्त उपकरण चाहता है, संग्रह करता है और नित्य उनका संस्कार करता है। शारीर में आसक्त बकुश शारीर-शोभा के लिए शारीर का संस्कार करता रहता है। प्रतिसेवनाकुशील मूल्यगुणों की विराघना तो नहीं करता पर उत्तरगुणों की कुछ विराघना करता है। कपायकुशील, निर्गम्य और स्नातक के द्वारा विराघना होती ही नहीं।

**४. तीर्थ ( शासन )**—पाँचों प्रकार के निर्गम्य तीर्थकरों के शासन में होते हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि पुलाक, बकुश और प्रतिसेवनाकुशील ये तीन तीर्थ में नित्य होते हैं और जेप कथायकुशील आदि तीर्थ में भी होते हैं और बतीर्थ में भी होते हैं।

**५. लिङ्ग—ठिङ्ग ( चिह्न )** दो प्रकार का होता है—इध्य और भाव चारित्रयुग भावलिङ्ग है और विशिष्ट वेश आदि वाहु स्वरूप इव्यलिङ्ग है। पाँचों प्रकार के निर्गम्यों में भावलिङ्ग अवश्य होता है, परन्तु इव्यलिङ्ग सबमें होना भी है और नहीं भी होता।

**६. लेश्या**—पुलाक में तेज, पद्म और शुब्ल ये अतिम तीन लेश्याएँ होती हैं। बकुश और प्रतिसेवनाकुशील में छहों लेश्याएँ होती हैं। कपायकुशील यदि परिहारविशुद्धि चारित्रवाला हो तब तो तेज आदि तीन<sup>२</sup> लेश्याएँ होती हैं और यदि सूक्ष्मसम्प्रभाव चारित्रवाला हो तब एक शुब्ल लेश्या ही होती है। निर्गम्य और स्नातक में शुब्ल लेश्या ही होती है। अयोग्नि स्नातक अलेश्य ही होता है।

**७ उपपात ( उत्पत्तिस्थान )**—पुलाक आदि चार निर्गम्यों का जघन्य उपपात सौषम्य कल्प में पत्थोपमपृथक्त्व<sup>३</sup> स्थितिवाले देवों में होता है, पुलाक का उत्कृष्ट उपपात सहजार कल्प में बीस सागरोपम की स्थिति में होता है। बकुश और प्रतिसेवनाकुशील का उत्कृष्ट उपपात आरण और अच्युत कल्प में वार्दिस

१. इस नाम का नवे पूर्व का तीतरा भक्ति।

२. दिग्म्बर ग्रन्थों में चार लेश्याओं का कथन है।

३. दिग्म्बर ग्रन्थों में दी सागरोपम की स्थिति का उल्लेप है।

सागरोपम की स्थिति में होता है। कथायकुशील और निश्चन्ध का उक्त उपपात सबर्थसिद्ध विमान में तीस सागरोपम की स्थिति में होता है। स्नातक का निर्वाण हो होता है।

**८. स्थान ( संयम के स्थान—प्रकार )**—कथाय तथा योग का निश्चह ही संयम है। संयम तभी का सर्वदा समान नहीं होता, कथाय और योग के निश्चह के तारतम्य के अनुसार ही संयम में भी तरतमता होती है। जो निश्चह कम-से-कम संयमकोटि में गिना जाता है वहाँ से संपूर्ण निश्चहरूप संयम तक निश्चह की तीव्रता-मन्दता की विविधता के कारण संयम के असंख्यत प्रकार हैं। वे सभी प्रकार ( भेद ) संयमस्थान कहलाते हैं। इनमें जहाँ तक कथाय का लेशमात्र भी सम्बन्ध हो वहाँ तक के संयमस्थान व प्रायत्तिगितक और उसके बाद के योगनिमित्तक हैं। योग का सर्वथा निरोध हो जाने पर प्राप्त स्थिति अन्तिम संयमस्थान है। जैसे-जैसे पूर्व-भूवंचर्ती संयमस्थान होगा वैसे-वैसे कायाक्षयिक परिणति-विशेष होगी और जैसे-जैसे ऊँचा संयमस्थान होगा वैसे-वैसे कायाक्षयिक भाव भी कम होगा, इसीलिए ऊरर-ऊरर के संयमस्थानों को अधिक-से-अधिक विशुद्धिवाले स्थान जानना चाहिए। योगनिमित्तक संयमस्थानों में निष्कपायत्वरूप विशुद्धि समान होने पर भी जैसे-जैसे योगनिरोध न्यूनाधिक होता है वैसे-वैसे स्थिरता भी न्यूनाधिक होती है, योगनिरोध की विविधता के कारण स्थिरता भी विविध प्रकार की होती है अर्थात् केवल योगनिमित्तक संयमस्थान भी असंख्यत प्रकार के होते हैं। अन्तिम संयम-स्थान तो एक ही हो सकता है जिसमें परम प्रकृष्ट विशुद्धि और परम प्रकृष्ट स्थिरता होती है।

उक्त प्रकार के संयमस्थानों में से सबसे जघन्य स्थान पुलाक और कथायकुशील के हैं। ये दोनों असंख्यत संयमस्थानों तक साथ ही बढ़ते जाते हैं। उसके बाद पुलाक रुक जाता है, परन्तु कथायकुशील अकेला ही बाद में भी असंख्यत स्थानों तक चढ़ता जाता है। तत्पश्चात् असंख्यत संयमस्थानों तक कथायकुशील, प्रति-नेवनाकुशील और बकुश एक साथ बढ़ते जाते हैं। उसके बाद बकुश रुक जाता है, प्रति-नेवनाकुशील भी उसके असंख्यत स्थानों तक चढ़कर रुक जाता है। तत्पश्चात् असंख्यत स्थानों तक चढ़कर कथायकुशील रुक जाता है। तदनन्तर अकथाय अर्थात् केवल योगनिमित्तक संयमस्थान आते हैं, जिन्हें निश्चन्ध प्राप्त करता है और वह भी उसी प्रकार असंख्यत स्थानों तक जाकर रुक जाता है। सबके बाद एक मात्र अन्तिम, सर्वोपरि, विशुद्ध और स्थिर संयम आता है, जिसका सेवन करके स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है। उक्त स्थान असंख्यत होने पर भी उनमें से प्रत्येक में पूर्व की अपेक्षा उत्तरस्थान की शुद्धि अनन्तानन्तगुनी भानी गई है। ४९। ●

: १० :

### मोक्ष

नवे अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण किया गया । अब इस दसवें और अन्तिम अध्याय में मोक्षतत्व का निरूपण किया जा रहा है ।

कैवल्य की उत्पत्ति के देश

**मोहक्षपाञ्जानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम् । १ ।**

मोह के क्षय से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के क्षय से केवलज्ञान प्रकट होता है ।

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल-उपयोग ( सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व ) की उत्पत्ति जैनशासन में अनिवार्य मानी गई है । इसीलिए मोक्ष के स्वरूप का वर्णन करते समय केवल-उपयोग किन कारणों से होता है, यह पहले ही बतला दिया गया है । प्रतिवन्धक कर्म का नाश हो जाने से सहज चेतना निरावरण हो जाती है और इससे केवल-उपयोग का आविर्भाव होता है । चार प्रतिवन्धक कर्मों में से पहले मोह ही क्षीण होता है और फिर अन्तर्मुद्दर्ह्य के बाद ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मों का भी क्षय हो जाता है । मोह सबसे अधिक बल-वान् है, अतः उसके नाश के बाद ही अन्य कर्मों का नाश सम्भव है । केवल-उपयोग अर्थात् सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का सम्पूर्ण बोध । यही स्थिति सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व की है । १ ।

कर्म के आत्मनितक क्षय के कारण और मोक्ष का स्वरूप

**वन्धुहेत्वभावनिर्जरान्व्याम् । २ ।**

**कृत्त्वनकर्मक्षयो मोक्षः । ३ ।**

वन्धुहेतुओं के अभाव और निर्जरा से कर्मों का आत्मनितक क्षय होता है ।

सम्पूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है ।

एक बार बैंधे हुए कर्म का कभी-न-कभी तो क्षय होता ही है, पर बैंसे कर्म का बन्धन पुनः सम्भव हो अथवा बैसा कोई कर्म अभी शेष हो तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म का आत्यन्तिक क्षय हो गया है। आत्यन्तिक क्षय का अर्थ है पूर्वबद्ध कर्म तथा नवीन कर्म के बांधने की योग्यता का अभाव। मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि सम्भव नहीं, इसीलिए यहाँ आत्यन्तिक कर्म के क्षय के कारण वर्णित है। वे दो हैं । १. बन्धहेतुओं का अभाव और २. निर्जरा। बन्धहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीन कर्म बैंधते नहीं और पहले बैंधे हुए कर्मों का अभाव निर्जरा से होता है। बन्धहेतु मिथ्यादर्शन आदि पांच हैं जिनका कथन पहले हो चुका है। उनका अभाव समुचित सबर द्वारा होता है और तप, ध्यान आदि द्वारा 'निर्जरा' भी होती है।

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मों का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से बीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होती है, फिर भी बेदनीय आदि चार कर्म अत्यन्त विरल रूप में शेष रहते हैं जिनके कारण मोक्ष नहीं होता। इसीलिए इन शेष विरल कर्मों का क्षय भी आवश्यक है। इसके बाद ही सम्पूर्ण कर्मों का अभाव होने से जन्म-भरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यही मोक्ष है। २-३ ।

### अन्य कारण

**औपशमिकादिभव्यत्वाभावात्तदात्यन्त्र केवलसम्यक्त्वजानदर्शन-सिद्धत्वम्यः १ ४ ।**

क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन आर सिद्धत्व के अतिरिक्त औपशमिक आदि भावों तथा भव्यत्व के अभाव से मोक्ष प्रकट होता है।

पीड़गलिक कर्म के आत्यन्तिक नाश की भाँति उस कर्म के साथ कितने ही सापेक्ष भावों का नाश भी मोक्षप्राप्ति के पूर्व आवश्यक है। इसीलिए यहाँ वैसे भावों के नाश का मोक्ष के कारणरूप से कथन किया गया है। ऐसे मुख्य भाव चार हैं—१. औपशमिक, २. क्षायोपशमिक, ३. औदयिक और ४. पारिणामिक। औपशमिक आदि पहले सीम प्रकार के भाव तो सर्वथा नष्ट होते ही हैं, पर पारिणामिक भाव के बारे में यह बात नहीं है। पारिणामिक भावों में से मात्र भव्यत्व का ही नाश होता है, अन्य का नहीं, यांत्रिक जीवत्व, अस्तित्व आदि दूसरे सभी पारिणामिक भाव मोक्ष-अवस्था में भी रहते हैं। क्षायिकभाव कर्म-सापेक्ष अवश्य है, फिर भी उसका अभाव मोक्ष में नहीं होता। इसीलिए सूत्र में क्षायिकसम्यक्त्व आदि भावों के अतिरिक्त अन्य भावों के नाश का मोक्ष का

कारण कहा गया है। यद्यपि सूत्र में भायिकवीर्य, भायिकचारित्र और भायिक-  
सुख आदि भावों का वर्जन भायिकसम्यक्त्व आदि की तरह नहीं किया गया है  
तो भी तिद्वत्त के अर्थ में इन सभी भावों का समावेश कर लेने से इन भावों का  
वर्जन भी गृहीत है। ४ ।

मुक्त जीव का मोहा के बाद तुरन्त ऊर्जगमन

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् । ५ ।

सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होने के पश्चात् मुक्त जीव तुरन्त लोक के अन्त  
तक ऊपर जाता है।

सम्पूर्ण कर्म और तदाधित्र औपशमिक आदि भावों का नाश होते ही तुरन्त  
एक साथ एक समय में तीन कार्य होते हैं—१. शरीर का वियोग, २. सिध्यमान  
गति और ३ लोकान्त-प्राप्ति । ५ ।

सिध्यमान गति के हेतु

पूर्वप्रयोगादसङ्क्षेपादवन्धुच्छेदात्थागतिपरिणामात्मक तद्दण्डितः । ६ ।

पूर्व प्रयोग से, सग के अभाव से, वन्धन के दूटने से और वैसी गति  
के परिणाम से मुक्त जीव ऊपर जाता है।

जीव कर्मों से छूटते हो तत्काल गति करता है, स्थिर नहीं रहता। गति  
केंची और लोक के अन्त तक ही होती है, उससे ऊपर नहीं; यह शास्त्रीय  
मान्यता है। वहाँ प्रश्न उठता है कि कर्म या शरीर आदि पौदलिक पदार्थों की  
सहायता के बिना अमूर्त जीव गति कैसे करता है? ऊर्जगति ही कर्मों, अक्षोगति  
या तिरछी गति क्यों नहीं करता? इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिये गए हैं।

जीवद्रव्य का स्वभाव पूद्गलद्रव्य की भाँति गतिशील है। अन्तर इतना ही  
है कि पूद्गल स्वभावतः अधोगतिशील है और जीव ऊर्जगतिशील। जीव अन्य  
प्रतिवन्धक द्रव्य के नंग या वंचन के कारण ही गति नहीं करता अथवा नीची या  
तिरछी दिशा में गति करता है। ऐसा द्रव्य कर्म है। कर्मसंग छूटने वर और  
उसके वन्धन दूटने पर कोई प्रतिवन्धक तो रहता नहीं, अतः मुक्त जीव को अपने  
स्वभावानुसार कर्जगति करने का अवसर निलंता है। यहाँ पूर्वप्रयोग निमित्त  
बनता है अर्थात् उसके निमित्त से मुक्त जीव ऊर्जगति करता है। पूर्वप्रयोग का कार्य है  
पूर्वबढ़ कर्म के छूट लाने के बाद भी उससे प्राप्त वेग ( आवेग ) । जैसे कुम्हार  
का वाक डडे और्दूहाप के हटा लेने के बाद भी पहले से प्राप्त वेग के कारण  
धूमला रहता है वैसे ही कर्ममुक्त जीव भी पूर्व-कर्म से प्राप्त आवेग के कारण

स्वभावानुसार कर्वन्गति ही करता है। जीव की कर्वन्गति लोक के अन्त से ऊपर नहीं होती, क्योंकि लोकान्त के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव है। प्रतिबन्धक कर्म द्रष्ट्य के हट जाने से जीव की कर्वन्गति के लिए सुन्दे और एरंड के बीज का उदाहरण दिया गया है। अनेक लेप से युक्त तुंबा पानी में पड़ो रहता है, परन्तु लेप के हटते ही वह स्वभावत पानी के ऊपर तैरने लगता है। कोश (फली) में रखा हुआ एरंड-बीज फली के दूरते ही छिटककर ऊपर उठता है। इसी प्रकार कर्म-बन्धन के दूरते ही जीव भी उच्चशामी होता है। ६।

सिद्धों की विशेषता-बारह बातें

क्षेत्रकालगतिलिङ्गस्तोर्यचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहनान्तर-  
संस्थाल्पबहुत्त्वतः साध्याः । ७ ।

क्षेत्र, काल, गति, लिङ्ग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संस्था और अल्प-बहुत्त्व—इन बारह बातों द्वारा सिद्धों की विशेषताओं का विचार किया जाता है।

सिद्ध जीवों के स्वरूप को विशेष रूप से जानने के लिए बारह बातों का निर्देश किया गया है। यहाँ प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों के स्वरूप का विचार अभिप्रेत है। यथापि सभी सिद्ध जीवों में गति, लिङ्ग आदि सासारिक भावों के न रहने से कोई विशेष भेद नहीं रहता तथापि भूतकाल की दृष्टि से उनमें भी भेद को बत्त्वना और विचार किया जा सकता है। यहाँ क्षेत्र आदि जिन बारह बातों से विचार किया गया है उनमें से प्रत्येक के विषय में यथा-सम्बद्ध भूत और बर्तमान दृष्टि लगा लेनी चाहिए।

१. क्षेत्र (स्थान) —बर्तमान भाव की दृष्टि से सभी मुक्त जीवों के सिद्ध होने का स्थान एक ही सिद्धक्षेत्र अर्थात् आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है। भूत भाव की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नहीं है, क्योंकि जन्म की दृष्टि से पन्द्रह में से भिन्न-भिन्न कर्मभूमियों से सिद्ध होते हैं, और संहरण की दृष्टि से सभी मनुष्यक्षेत्र से सिद्ध हो सकते हैं।

२. काल (प्रवस्तर्पणी आदि लौकिक काल) —बर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने का कोई लौकिक कालचक्र नहीं है, क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसर्पणी, उत्सर्पणी तथा जनवसर्पणी, अनुत्सर्पणी में जन्मे जीव सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी कालों में सिद्ध होते हैं।

३ गति—वर्तमान दृष्टि से सिद्धगति में ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से यदि अन्तिम भाव को लेकर विचार करें तो मनुष्यगति से और अन्तिम से पहले के भाव को लेकर विचार करें तो चारों गतियों से सिद्ध होते हैं।

४ सिद्ध—लिङ्ग बेद या चिह्न को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से अवेद हो सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से स्त्री, पुरुष, नपूसक इन तीनों वेदों से सिद्ध हो सकते हैं। दूसरे अर्थ के अनुसार वर्तमान दृष्टि से अलिङ्ग ही सिद्ध होते हैं, भूत दृष्टि से यदि भावलिङ्ग अर्थात् आन्तरिक योग्यता का विचार करें तो स्वलिङ्ग ( बीतरागता ) से ही निष्ठ होते हैं और द्रव्यलिङ्ग का विचार करें तो स्वलिङ्ग ( जैनलिङ्ग ), परलिङ्ग ( जैनेतर पन्थ का लिङ्ग ) और गृहस्थलिङ्ग इन तीनों लिङ्गों से सिद्ध होते हैं।

५ तीर्थ—कोई तीर्थकररूप में और कोई अतीर्थकररूप में सिद्ध होते हैं। अतीर्थकर में कोई तीर्थ प्रवर्तित हो तब होते हैं और कोई तीर्थ प्रवर्तित न हो तब भी होते हैं।

६ चारित्र—वर्तमान दृष्टि से सिद्ध जीव न तो चारित्री ही होते हैं और न अचारित्री। भूत दृष्टि से यदि अन्तिम ममय को लें तब तो यथास्थातचारित्री ही सिद्ध होते हैं और उसके पूर्व भमय को लें तो तीन, चार तथा पाँच चारित्रों से सिद्ध होते हैं। सामायिक, सूक्ष्मसम्प्रराय और यथास्थात ये तीन अथवा छेदोपस्थापनीय, सूक्ष्मसम्प्रराय और यथास्थात ये तीन, सामायिक, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्मसम्प्रराय और यथास्थात ये चार एवं सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्प्रराय और यथास्थात ये पाँच चारित्र जानने चाहिए।

७ प्रत्येकबुद्धबोधित—प्रत्येकबोधित और बुद्धबोधित दोनों सिद्ध होते हैं। जो किसी के उपदेश के दिना अपनी ज्ञान-शक्ति से ही बोध प्राप्त करके सिद्ध होते हैं ऐसे स्वयंबुद्ध दो प्रकार के हैं—एक तो अतिर्हित और दूसरे अतिरहित से निष्ठ, जो निसी एकाध वाह्य निमित्त से बैराग्य और ज्ञान प्राप्त करके निष्ठ होते हैं। ये दोनों प्रत्येकबोधित हैं। जो दूसरे ज्ञानी से उपदेश ग्रहण कर सिद्ध होते हैं वे बुद्धबोधित हैं। इनमें भी कोई तो दूसरे को बोध करानेवाले होते हैं और कोई मात्र आत्म-कल्याणसाधक होते हैं।

८. ज्ञान—वर्तमान दृष्टि से मात्र केवलज्ञानी ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से दो, तीन, चार ज्ञानवाले भी सिद्ध होते हैं। दो अर्थात् नृति और श्रुति, तीन अर्थात् भृति, भूति, अवधि अथवा भृति, श्रुति, मन-पर्याय; चार अर्थात् भृति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय।

**९. अवगाहना ( ऊचाई )**—जघन्य अंगुलपृथक्त्वहीन सात हाथ और उत्कृष्ट पाँच सौ धनुप के ऊपर धनुपपृथक्त्व जिसनी अवगाहना से सिद्ध हो सकते हैं, यह भूत दृष्टि की अपेक्षा से कहा गया है। वर्तमान दृष्टि से जिस अवगाहना से सिद्ध हुआ हो उसी की दो-तृतीयाश अवगाहना होती है।

**१०. अन्तर ( व्यवधान )**—किसी एक के सिद्ध होने के बाद तुरन्त ही जब दूसरा जीव सिद्ध होता है तो उसे 'निरन्तर-सिद्ध' कहते हैं। जघन्य दो समय और उत्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर-सिद्ध चलती रहती है। जब किसी की सिद्धि के बाद अमुक समय अप्तीत हो जाने पर कोई सिद्ध होता है तब वह 'सान्तर-सिद्ध' कहलाता है। दोनों के बीच की सिद्धि का अन्तर जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छः भास का होता है।

**११. संस्पा**—एक समय में जघन्य ( कम-से-कम ) एक बीर उत्कृष्ट ( अविक-से-अधिक ) एक सौ आठ सिद्ध होते हैं।

**१२. अल्पबहुत्व**—क्षेत्र आदि जिन घारह वालों का विचार कर पर किया गया है उनके विषय में संभाव्य भेदों की परस्पर में न्यूनाधिकता का विचार करता ही अल्पबहुत्व है। जैसे क्षेत्रसिद्ध में सहरण-सिद्ध की अपेक्षा जन्मसिद्ध संख्यातगुणाधिक होते हैं। ऊर्ध्वलोकसिद्ध सबसे कम होते हैं, अबोलोकसिद्ध उनमें संख्यातगुणाधिक और तियंगलोकसिद्ध उनसे भी संख्यातगुणाधिक होते हैं। समुद्रसिद्ध सबसे कम होते हैं और द्वीपसिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिक होते हैं। इसी प्रकार काल आदि प्रत्येक बात से अल्पबहुत्व का विचार किया गया है। विद्योप जिज्ञासु अन्य जग्न्यों से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

## अनुक्रमणिका

अ

- अगुलासश्यात १२३
- अगुलासश्येय १२१, १२२
- अगोपाग १२५, १९७, १९९
- अकर्मभूमि ८०, ९३
- अक्षय १५०
- अकाशनिर्जरा १५६, १५७, १६०, १६२
- अकालमृत्यु ७९
- अकृतागम ८०
- अक्षिप्रशाही १६, १७
- अगर्भज पञ्चन्द्रिय ६८
- अमारी १८०
- अगुरुघु १२७, १२८, १४४, १६६,  
१६७, २००, २०१
- अग्निकुमार ९७, ९९, १००
- अग्निप्रवेश १६०, १६२
- अग्निमाणव ९७
- अग्निशिख ९७
- अहग २५, २२८
- अहगप्रविष्ट २५
- अहगवाहा २५
- अचक्षुर्दर्शन ४९, ५३, ५९, १९७
- अचक्षुर्दर्शनवरण ४९, १९८
- अचाहृष्ट १३२-१३४
- अद्वित ६७, ६८
- अचोक १०१
- ॐ चौर्य अणुदत १८५

- अचोर्यवत १६८
- अच्छुत ९७, ९९, १००, १०४, ११०,  
१११, २३३
- अजधन्यगुण १३९
- अजोव ५, ११४, ११५, ११८, १५४
- अजीवकाय ११४
- अजीवतत्त्व ६
- अजीवाधिकरण १५४
- अज्ञातभाव १५३
- अज्ञान ३४, ४७, ५३, १५९, २१३-  
२१५
- अज्ञना ८४
- अज्ञस्तिकर्म १०७
- अणिमा १०४
- अणु ११८, १३१, १३२
- अणुप्रचय १२२
- अणुदत १६८, १८०, १८१
- अणुदतधारी १८०, १८१
- अण्डन ६७, ६९
- अतिकमय ९७, १०१
- अतिचार १८३, १८५, १९०
- अतिथिसविभाग १८०, १८२
- अतिथिसविभागवत १८६, १९०
- अतिपूरुष १०१
- अतिमार १८५
- अतिमागरोपण १८७
- अतिरूप १०१

- २४१ -

- अतिसर्ग १९०  
 अतीत १०२  
 अतीतकाल १०३  
 अतोन्त्रिय ११७, १२५, १३३  
 अतोर्थकर २३९  
 अथार्थवा॑त २१८  
 अदत्तादर्श १७७  
 अदर्शन ५३, २१३-२१५  
 अधर्म ११४, ११८; १२०, १२४  
 अधर्मीस्तकाय ११४, ११५, ११७,  
     ११८, १२४, १२५, १४४  
 अधस्तारक १०१  
 अधिकरण ८, ९, १५३, १५४  
 अधिगम ४  
 अधिगम सम्बन्धर्ण ५  
 अधोगति २३७  
 अघोभाग ८३  
 अघोलोक ८३  
 अघोलोकसिद्ध २४०  
 अघोऽव्यतिक्रम १८६, १८८  
 अघ्यवसाय ७५  
 अघृन १८  
 अशुवग्राही १६, १८  
 अनङ्गकीडा १८५, १८८  
 अनगार १८०  
 अनन्त १, ११, १०३, ११८, १२३,  
     १२४, १३१, १३२, १४२, १४५  
 अनन्तगुण ७०  
 अनन्तविद्योजक २३१  
 अनन्ताणु १३३  
 अनन्ताणुक १२१  
 अनन्तानन्त ११८, ११९, १२३, १३२  
     १४१, २०३
- अनन्तानन्ताणुक १२१  
 अनन्तानुबन्धविद्योजक २३०  
 अनन्तानुबन्धी ४९, १९७, १९८  
 अनपर्वती ७९  
 अनपर्वतीय ७८-८१, ८७  
 अनभिगृहीत ११३  
 अनवदण्डविरति १८०, १८२  
 अनर्षा १३७  
 अनर्पित १३६  
 अनवकाशक्रिया १५२  
 अनवस्थिणी २३८  
 अनवस्थित २८  
 अनशन १६०, १६२, १८२, २१८  
     २१९  
 अनाकार उपयोग ५२  
 अनागतकाल १०३  
 अनाचार ११०  
 अनादर १८६, १८९  
 अनादि ७३, १५२, १४६, १४७  
 अनादिभाव ७३  
 अनादेश १९६, १९७, २००, २०५  
 अनानुग्रामिक २८  
 अनाभोगक्रिया १५२  
 अनाभोगनिक्षेप १५५  
 अनासक्ति १७२  
 अनाहारक ६३, ६६  
 अनि.सूतावग्रह १७  
 अनित्यत्व १३०  
 अनित्य १३८  
 अनित्य-अवस्थाव्य १३८  
 अनित्यानुप्रेक्षा २११  
 अनिन्दित १०१

- अनिन्द्रिय १४, ५८, ६०  
 अनिवृत्तिवादरसम्पराय २०१  
 अनिवित १६, १७  
 अनिश्चितप्राही १६, १७  
 अनिष्टसयोग वारंध्यान २२४  
 अनीक ९६  
 अनुकम्पा ४, १६०, १७१  
 अनुकावश्व १८  
 अनुचिन्तन २११  
 अनुजापितपानभोजन १६८, १६९  
 अनुकृत १३०  
 अनुत्तर १०४, १०९  
 अनुत्तरविमान ११२  
 अनुस्तरीप्रातिकरण २६  
 अनुसंसिणी २३८  
 अनुस्तंक १६३  
 अनुपस्थापन १८६  
 अनुप्रेक्षा २०६, २११, २२१  
 अनुभाग १०२  
 अनुभागवन्ध १५०, १६४, १६५  
 अनुभाव १०६, १०७, १९४, २०६  
 अनुभाववन्ध १९५, २०१, २०२  
 अनुभूत १५४  
 अनुमान ५०, १३१  
 अनुयोग ८  
 अनुवीचिभवप्रह्याचन १६८, १६९  
 अनुवीचिभापण १६८, १६९  
 अनुष्ठेणि ६४  
 अनूव १७६  
 अनूतानुवन्धो २२६  
 अनेकत्व १३७, १३८  
 अनेकान्त १३६
- अन्तङ्गद्वय २६  
 अन्तर ८, १० २३८  
 अन्तर ( व्यवधान ) २४०  
 अन्तराय ४९, १५६, १६३, १९५-  
     १९७, २००, २०१, २०५, २३५  
 अन्तराय कर्म १५६, १५८  
 अन्तराल ६३  
 अन्तराल गति ६३, ६५, ६६, ७५  
 अन्तर्द्वीप ८०, ९१, ९२  
 अन्तर्घान १८५  
 अन्तर्मूहूर्त ७९, ८९, ९४, १०७,  
     २२३, २३५  
 अन्त्य १२९-१३१  
 अन्यकार १२८  
 अन्यपाननिरोध १८५, १८६  
 अन्यत्व ५०  
 अन्यत्वानुप्रेक्षा २१२  
 अन्यद्विष्टवासा १८३  
 अन्यद्विष्टस्तव १८३  
 अपचय ७३  
 अपरत्व १२६, १२७  
 अपरा ( जघन्य त्विति ) १११  
 अपराजित १९, १००, १०४, १०९  
 अपर्स्वगृहीतागमन १८५, १८८  
 अपरिग्रह-अणुमत १८५  
 अपरिग्रहत १६९, १८८  
 अपर्याप्त ११६, १०७, २००, २०५  
 कथवर्तना ७९  
 अपवर्तनीय ७५-८१  
 अपवाद २१०  
 अपान १२६  
 अपाप्य १२६

- अपायविचय धर्मध्यान २२६  
 अपार्वपुद्गलपरावर्त १०  
 अपूर्वकरण ५  
 अपेक्षा ३६  
 अपेक्षावाद ३६  
 अप्रतिधात ७३  
 अप्रतिलिप ९७  
 अप्रतिष्ठान ८१  
 अप्रत्यबेदित १८६, १८९  
 अप्रत्यबेक्षितनिकेप १५५  
 अप्रत्याख्यान १९७  
 अप्रत्याख्यानक्रिया १५२  
 अप्रत्याख्यानात्वरण १९८  
 अप्रमत्त १७६  
 अप्रमत्तभाव ७५  
 अप्रमत्तसंयत २२६  
 अप्रमाद १५७  
 अप्रमाजित १८५, १८६, १८१  
 अप्रदीचार ९८  
 अप्रश्नस्तविहायोगति २०५  
 अप्राप्यकारी २३  
 अबद्ध १३१  
 अब्रहा १४९, १५१, १७६-१७८  
 अभयदान १६३  
 अभ्यष्टत्व ४६, ४७, ५०  
 अभिगृहीत १९३  
 अभिनिव्रोध १३, १४  
 अभिमान १०४, १०६  
 अभिधय-आहार १८६, १९०  
 अभीष्ण अवश्याचन १९८, १६९  
 अभीक्षणानोपयोग १६२  
 अभीक्षणसंवेग १६३  
 अभ्युदय २०७  
 अमनस्क ५४, ५५  
 अमितगति ९७  
 अमितवाहन ९७  
 अमूर्त ५८, १२२, १२४  
 अमूर्तत्व २२९  
 अम्ब ८७  
 अम्बरीय ८७  
 अयन १०३  
 अयग १९६, १९७  
 अयशःकीर्ति २००, २०५  
 अरति १९७, २१३-२१५  
 अरतिमोहनीय १६१, १९९  
 अरिष्ट १०८  
 अरिहन्त १०७, १५७, १६३, २३९  
 अरुण १०८  
 अरुपत्व ५०  
 अरुपी ११५, ११६, १४७  
 अर्थ १, १९, २२७-२२९  
 अर्थनय ४५  
 अर्थपद ५  
 अर्थवद्ध २०, २३, २४  
 अर्धनाराच २०५  
 अर्धमात्रा २२४  
 अर्धवज्रपंभनाराच २०५, २२२  
 अर्पणा १३७  
 अस्ति १३६  
 अहंदृभक्ति १५६  
 अलाभ २१३-२१५  
 अलिङ्ग २३९  
 अलोक ३२  
 अलीकाकाश १२०, १२३

- अत्य १८, २३  
 अल्प-मारम् १५६, १५७  
 अल्पग्राही १६, १७  
 अल्प-परिग्रह १५६, १५७  
 अल्पवृत्त्व ८, ११, २३८, २४०  
 अल्पविष १८, २३  
 अवकाश १२४  
 अवक्षय १३८  
 अवक्लता १५७  
 अवगाह १२४  
 अवगाहना (कॉवाई) २३८, २४०  
 अवग्रह १५, १६, १९, १६९  
 अवग्रहयाचन १६८, १६९  
 अवग्रहावधारण १६८, १६९  
 अवद्य १७०  
 अवधान २२  
 अवधि ११, १३, ४९, २३९  
 अवधिज्ञान ३४  
 अवधिज्ञान २७, २८, ३२-३४, ५२,  
     १०५, १०७  
 अवधिज्ञानावरण ४९, १९८  
 अवधिज्ञानावरणोय २७  
 अवधिदर्शन ४९, ५२, ५३, १९७  
 अवधिदर्शनावरण ४९, १९८  
 अवधिलिंगि ५३  
 अवधिविषय १०४, १०५  
 अवमौक्य २१८, २१९  
 अवयव ११४, ११९, १३९  
 अवयवप्रश्न्य ११४  
 अवर्णवाद १५६, १५७  
 अवसर्पिणी ९४, २३८  
 अवस्थित २८'
- अवस्थितत्व ११६  
 अवाच्यत्व १३८  
 अवाय १५, १६, १९, २१  
 अवायज्ञान २३  
 अविकल्प १४४  
 अविघट ६२  
 अविचार २२७, २२८  
 अविभाज्य १४१  
 अविरत २२६  
 अविरति १३२, १९३  
 अविसंवाद १५७  
 अवीचार २२७  
 अव्यय १३५  
 अव्यावाष १०८  
 अव्याहतगति ७<sup>०</sup>  
 अवत १५१  
 अवरणानुप्रेक्षा २११  
 अवरीरसिद्धि २  
 अवाक्षवत १३४  
 अवृचित्वानुप्रेक्षा २१२  
 अवूम १९६, १९७, २००, २०५  
 अवूमनामकर्म १५६, १५७, १६२  
 अवूमयोग १४९, १५०  
 अशीक १०१  
 अश्व १०१  
 अष्ट अष्टमिका २१०  
 असत् १३७, १७६  
 अस्त-आचरण १७६  
 अस्त-कथन १७६  
 अस्त-चिन्तन १७६  
 अस्त-भाषण १७६  
 अस्तत्व १५१, १६२, १६६, १७६, १७७

- असत्त्वे १३८  
 असदृश १४०  
 अमदगुणोदभावन १५६, १५८, १६३  
 असद्वेद्य १५६  
 असत्यात् ११८  
 असत्यात्तरुण ६९, ७०  
 असत्यात्प्रदेशत्व ५०  
 असंख्यात्वपर्यजीबी ७८, ८०  
 असंख्यात्ताणुक १२१  
 असंख्येय १०३, ११७, ११८  
 असगत्व २३७  
 असंज्ञी ८७  
 असदिग्भ १६, १७  
 असदिग्भग्राही १६  
 असंयतस्त्व ४९  
 असंयम ४७  
 असमीक्षाविकरण १८६, १८९  
 असम्यग्जान ११, १२  
 असर्वगत्सत्त्व ५०  
 असर्वज्ञ २२३  
 असाता १०७  
 असातावेदनीय १२६, १५६, १५९,  
     १६४, १९८, २०५  
 असिद्धत्व ४६-४९  
 असिद्धभाव ४७  
 असुर ८३, ८७, ९३  
 असुरकुमार ९६, ९७, १००  
 असुरेन्द्र ११०  
 अस्तिकाय ११४, ११८, १२०  
 अस्तित्व ५०, १४४  
 अस्तीयन्नत १८७  
 अस्थिर १९६, १९७, २०६
- अहमिन्द्र १०४, १०८  
 अहिंसा १६०, १६६, १७३, १७५  
 अहिंसा-अनुदत्त १८५  
 अहिंसा-न्तत १६८, १८७  
 अहोरात्र १०२
- आ
- आकाश ८२, ८३, ८५, ११४-१२०  
     १२३-१२५  
 आकाशग १०१  
 आकाशप्रदेश १०, १०४, २३८  
 आकाशस्तिकाय ११४, ११५, ११७  
     १४४  
 आकिचन्द्र २०८, २१०  
 आकृति ८९  
 आक्रमन १५६, १५९  
 आकोष २१३-२१५  
 आण्विति ८७  
 आगम १३१  
 आगमप्रमाण ३७, ३८, १२४  
 आचाम्ल २१०  
 आचार २६  
 आचारवस्तु २३३  
 आचाराङ्ग २५  
 आचार्य १५७, १६३, २२१  
 आच्छादन १६३  
 आक्षा २२६  
 आक्षाविचय घर्मध्यान २२६  
 आक्षाव्यापादिकी क्रिया १५२  
 आतप १२८, १३०, १९६, १९७,  
     २००, २०५  
 आत्मज्ञान ३५

- આત્મતત્ત્વ ૧૪૬  
 આત્મદ્વારા ૫૦, ૧૧૭  
 આત્મનિન્દા ૧૫૮, ૧૬૩  
 આત્મપરિણામ ૧૫૭  
 આત્મપ્રદેશ ૮૮, ૨૩૮  
 આત્મપ્રશસન ૧૫૮, ૧૬૩  
 આત્મરાસ ૯૬  
 આત્મવિવેક ૩૫  
 આત્મશૂદ્ધિ ૪૮  
 આત્મા ૩, ૧૩, ૪૩, ૪૮, ૫૦, ૬૫, ૧૨૧, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૯, ૧૩૪, ૧૩૬-૧૩૮, ૧૪૩-૧૪૬, ૨૦૩  
 આદાનનિકોપ ૧૮૬, ૧૮૯, ૨૦૭  
 આદાનનિકોપણસમિતિ ૧૬૮, ૧૬૯, ૨૦૮  
 આદિ ૧૩૧  
 આદિત્ય ૧૦૮  
 આદિમાનુ ૧૪૬, ૧૪૭  
 આદેય ૧૯૬, ૧૯૭, ૨૦૦, ૨૦૫  
 આધારસ્કોત્ર ૧૨૨  
 આધિકરણિકા કિયા ૧૫૨  
 આધ્ય ૧૧૧, ૧૨૦  
 આનત ૧૭, ૧૯, ૧૦૦, ૧૦૪  
 આનન્દ ૧૪૫  
 આનન્દનપ્રયોગ ૧૮૬, ૧૮૯  
 આનુગામિક ૨૮  
 આનુપૂર્વી ૬૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૯  
 આપેલિક ૧૨૯  
 આભિયોગ્ય ૯૬, ૧૦૯  
 આભ્યન્તરતત્ત્વ ૨૧૮  
 આભ્યન્તરોપથિવૃત્તર્ગ ૨૨૧  
 આમાય ૨૨૧  
 આમાયાર્થવાચક ૨૧૦  
 આયુ ૪૯, ૭૯, ૧૦૯, ૧૧૦, ૧૯૭  
 આયુકર્મ ૧૨૬  
 આયુપ ૧૫૬  
 આયુષ ૧૯૫, ૧૯૬, ૨૦૧  
 આયુક્રમ ૧૯૯  
 આયુસ્વિતિ ૮૭  
 આરણ ૧૭, ૧૯, ૧૦૦, ૧૦૪, ૧૧૦ ૧૧૧, ૨૩૩  
 આરામ ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૬૧  
 આરામન્ક ૭૨  
 આરમ્ભકિયા ૧૫૨  
 આરમ્ભકૃતી ૧૬૧  
 આર્જવ ૧૫૬, ૨૦૮, ૨૦૯  
 આર્ટ ૨૨૪  
 આર્ટિષાન ૨૨૫  
 આર્થ ૮૮, ૮૯, ૯૩  
 આર્થદેશ ૯૩  
 આર્થસત્ત્વ ૫  
 આલોકિતપોનભોજન ૧૬૮, ૧૬૯  
 આલોચન ૨૧૧  
 આવલિકા ૧૦૩  
 આવશ્યક ૧૫૮  
 આવચ્યકાપરિક્રાણ ૧૬૩  
 આત્માસ ૧૦૦  
 આસક્તિ ૧૭૮  
 આસાદન ૧૫૬, ૧૫૯  
 આસ્તિક્ય ૪  
 આલન ૫, ૬, ૧૪૮, ૧૫૩  
 આલખનિરોધ ૨૦૬  
 આલ્ફાનુપ્રેસા ૨૧૨  
 આહાર ૬૫, ૧૦૬

- आहारक ६६, ६९-७१, ७६, ७७, २०५  
 आहारक अङ्गोपाङ्ग २०५  
 आहारकलिंग ७४, ७५  
 आहारदान १६३  
 आहारक १०१
- इ
- इक्षवाकु ९३  
 इत्यर्थत्व १३०  
 इत्यरपिण्डीतागमन १८५, १८८  
 इत्यरिक २१७  
 इन्द्र ९६, १०८  
 इन्द्रिय १३, १४, १८, ५६, ६०,  
     १५१  
 इन्द्रियगम्य १२४  
 इन्द्रियविषय १०४, १०५, ११७  
 इन्द्रियव्यापार १५३  
 इपुण्ठि ६५  
 इष्टवियोग आर्तव्यान २२५
- ई
- ईर्या २०७  
 ईर्यापिथकर्म १५०  
 ईर्यापिथकिला १५१  
 ईर्यापिथिक १५१  
 ईर्यासमिति १६८, १६९, २०८  
 ईशान ९७  
 ईषद् इन्द्रिय ६०  
 ईहा १५, १६, १९, २१, २५
- उ
- उक्तावग्रह १८  
 उग्र ९३
- उच्च १९६, १९७  
 उच्चवोत्र २००, २०५  
 उच्चवोत्र कर्म १५८, १६३  
 उच्छ्वास १०६, १२५, १९६, १९७,  
     २०५  
 उच्छ्वासवायु १२६  
 उत्कालिक २५  
 उत्कृष्ट ८७, १४१  
 उत्कृष्टस्थिति ११३  
 उत्तमपुरुष ७८, ८०  
 उत्तरकुरु ८८, ८९, ९१, ९२  
 उत्तरगुण १८१  
 उत्तरगुणलिंगर्दंता १५५  
 उत्तरप्रकृति १९६, २०२  
 उत्तरनत १८१  
 उत्तराव्ययन २६  
 उत्पत्ति २२९  
 उत्पाद १३४, १३६  
 उत्सर्ग १८६, १८९, २०७, २१०  
 उत्सर्गसमिति २०८  
 उत्सर्पिणी १४ २३८  
 उद्बिकुमार ९७, ९९, १००  
 उद्भावन १६३  
 उच्छीत १२८, १३०, १९६, १९७,  
     २००, २०५  
 उन्मत्त ३४  
 उपकरण ५६-५८  
 'उपकरणवकुश' २३३  
 उपकरणसंयोगाधिकरण १५६  
 उपकरणेन्द्रिय २०, २१, ५७  
 उपकार १२३, १२५, १२६  
 उपक्रम ७९  
 उपग्रह १२३

उपचात १५६, १५८, १५९, १९६, १९७, २००, २०५	उपचात ६७, ६८, १२९, २१३, २१४ उज्ज्वेदना ८६
उपचय ७३	अ
उपचारविनय २२०	कलोदरी २१९
उपचार-श्रुत २६	कर्वंगति २३७
उपचि २२१	कर्वलोक ८३, १०५
उपचात ६७, ६९, १०६, १०७, २३३	कर्वलोकसिद्ध २४०
उपचात लन्म ६७, ६९, ७१, ७६	कर्वंव्यतिक्रम १८८
उपभोग ४६, ४९, ७०, ७५, ७६	इ
उपभोगपरिमितिक्रमाण १८०, १८२	इन्द्रजु ६३, ६५
उपभोगाधिक्य १८६, १८९	इन्द्रजुगति ६४
उपभोगान्तरात २००	इन्द्रजुमति २९, ३०
उपयोग ५०-५२, ५६-५८, ११४, १२५, १४३, १४६	इन्द्रजुमूल ३५, ४१, ४४
उपयोग-सेद ५३	इन्द्रजुमूलनय ४२
उपयोगराशि ५२	इन्द्रतु १०३
उपयोगेन्द्रिय ५७	इन्द्रिभाषित २६
उपलक्षण ५१, ५२	इन्द्रिवादिक १०१
उपवास १५९	ए
उपव्रत १६२	एकत्व १३०, १३७, १३८, २११, २२७
उपशम ४८-५०	एकत्ववितर्कनिवार २२८, २२९
उपशमक २३०, २३१	एकत्वानुप्रेक्षा २१२
उपशान्तमोह २१६, २२६, २२७, २३०, २३१	एकविष १७
उपस्थापन २१९, २२०	एकविषधाही १६, १७
उपहार १०७	एकाप्यनिन्ता २२२
उपादान १२४	एकाप्यचिन्तानिरोध २२२
उपाध्याय २२१	एकान्तक्षणिक ४७
उपासकदशा २६	एकान्तक्षणिकता ४७
उपासना १०७	एकान्तनित्य ४७
उमास्वति १८१	एकेन्द्रिय ५६, ६८, ८८, २०५
उरग ८७, ९४	एवंभूत ३६, ४५
	एवंभूतनय ४२, ४४

- एषणा २०७  
 एषणासमिति १६८, १६९, २०८  
     ऐ १६९  
 ऐरावतसेन ११  
 ऐरावतवर्ष ८८, ९०  
 ऐशान ९७-१००, १०४, १११  
 ऐश्वर्य २०९  
 ऐहिक आपत्ति १७०  
 ऐहिक दोषदर्शन १७०  
     ओ १७०  
 औत्तरिक १३०  
 औदयिक ४६-४८, ५०, २३६  
 औदारिक ६९-७१, १२२, १२३,  
     १२५, १५५, २०५  
 औदारिक अङ्गोपाङ्ग २०५  
 औदारिक पुदगल ६७  
 औदारिक शारोर ७१, २९५  
 औपयातिक ७०, १०९  
 औपशामिक ११, ४६-४९, २३६  
 औपशमिक सम्यक्त्र ११  
     क १२९  
 कठिन १२९  
 कड्डवा १२९  
 कदम्बक १०१  
 कनकावली २१०  
 कन्दर्प १८६, १८९  
 कमल्लगृजा १८३  
 कम्बोज १३  
 करुणा १७१  
 करुणावृत्ति १७०  
 कर्ण २३  
     कर्ता १३७  
 कर्तृत्व ५०  
 कर्म ४८, ६५, ७५, १३७, १५६-  
     १६५, १९२, १९६  
 कर्म-आर्य १३  
 कर्म-पुदगल ५, ६६, ११५  
 कर्मप्रकृति १६४, १९२, २०५  
 कर्मवन्ध १५१, १५४, १९२  
 कर्मभूमि ८०, ८८, ८९, ९३  
 कर्मयोग ६२  
 कर्मवर्गणा ६६, ६७, २०४  
 कर्मस्कन्ध २०३  
 कर्मनिधि ५७  
 कल्प २६, १०४, १०७  
 कल्पातीत ९६, ९९, १००, १०३,  
     १०४, १०७  
 कल्पोपन्न ९६, ९९, १००, १०३  
 कवलाहार २१६  
 कपाय ४६, ४७, ४९, १५१, १५४,  
     १५६-१५८, १६५, १९२-१९४,  
     १०७, १९८, २०५  
 कबाणकुशोल २३२  
 कषायचारित्रमोहनीय ११७  
 कषायमोहनीय ४९, १६१  
 कषायरहित १५०  
 कपायबेदनीय १९७  
 कपायसहित १५०  
 कसैला १२९  
 काक्षा १८३  
 काक्षातिचार १८४  
 काण्ड ८४, ९०  
 कादम्ब १०१  
 कापिष्ठ ९९

- काषात् ४९, ८६, ९७  
 काम १  
 कामराग १७७, १७८  
 कामसुख ९८  
 काय १४८, १६२, १६६, १७७  
 कायवल्लेश २१८, २१९  
 कायगुति २०७  
 कायदुष्प्रणिवान १८९  
 कायनिसर्व १५६  
 कायप्रबोधार ९८  
 काययोग १४८, १४९, १५१, २३०  
 कायस्थिति १४  
 कायस्यभाव १७०  
 कायिकोक्रिया १५२  
 कायोत्तर्या २६  
 कारित १५४  
 कासर्घ १७०  
 कार्तिकेय १८१  
 कार्मण ६९, ७०, ७३-७५, २०५  
 कार्मणयोग ६३, ६६  
 कार्मणशरीर ६६, ६७, ७६, १२२,  
     १२३, १२५  
 कार्य ११८, १२४  
 काळ ८, १०, ९७, १००, १०१,  
     ११४, १३४, १४२, १४४,  
     १४५, २३८  
 कालभर्यादा ७३, ७९  
 कालमान ६५  
 कालमृत्यु ७९  
 कालविभाग ९२, १०३  
 कालव्यवहार १०२  
 काला १२९  
 कालातिक्रम १८६, १९०  
 कालिक २५  
 कालोदधि ८९, ९२, १०२  
 किपुर्य ९७, ९९-१०१  
 किपुर्योत्तम १०१  
 किल्नर ९७, ९९-१०१  
 किल्नरोत्तम १०१  
 किल्सियिक ९६  
 कीलिका २०५  
 कुन्दकुन्द १८१  
 कुम्भप्रमाणातिक्रम १८६, १८८  
 कुञ्ज २०५  
 कुम्हार ९३  
 कुष ९३  
 कुल २०९, २२०, २२१  
 कुल-आर्य ९३  
 कुलकर ९३  
 कुमील २३१, २३२  
 कूटलेखक्रिया १८१, १८७  
 कूटस्थनित्य ४७, १४४  
 कूटस्थनित्यता ४७  
 कूषमाण्ड १०१  
 कृत १५४  
 कृतनाम ८०  
 कृत्रिम ७६  
 कृषि ९३  
 कृष्ण ४९, ८६, ९७  
 कैवल ११, १३  
 कैवल उपयोग २३५  
 कैवलज्ञान ४१-४३, ४९, ५२, ५३,  
     २३५  
 कैवलज्ञानावरण ४९, ११८

- केवलज्ञानी १५७  
 केवलदर्शन ४९, ५२, ५३, ११७  
 केवलदर्शनावरण ४९, ११८  
 केवललिङ्ग ५३  
 केवली १५६, २२७  
 केवली-अवर्णवाद १६०  
 केवली समुद्धात ८८, १२२  
 कोत्कुच्छ १८६, १८९  
 किया १२६, १२७, १५१  
 क्रियादृष्टि ४५  
 क्रियानय ४५  
 क्रोध ४९, १५१, १५५, १५६, १६९,  
     १९७, १९८  
 क्रोधप्रत्याहगान १६८  
 क्षणस्थायी १४६  
 क्षपक २३०, २३१  
 क्षमा २०८, २०९  
 क्षय ४८, ५०, १४८, २३५  
 क्षयोपशम १४, १७, २३, २४, ४९,  
     ५०, १२५, १४८  
 क्षान्ति १५६, १५७, १६०  
 क्षात्रिक ४६-४९  
 क्षायिकवारित्र २३७  
 क्षायिकज्ञान २३६  
 क्षायिकदर्शन २३६  
 क्षायिकभाव ४९  
 क्षायिकवीर्य २३७  
 क्षायिकसम्यक्त्व ११, २३६, २३७  
 क्षायिकमूल २३७  
 क्षायोपशमिक ११, ४६-४९, २३६  
 क्षायोपशमिकभाव ४९  
 क्षायोपशमिकसम्यक्त्व ११
- सिंग १६  
 सिंप्रशाही १६, १७  
 क्षीणकपाय २२६  
 क्षीणमोह २१६, २२७, २३०, २३१  
 क्षुद्रमर्वतोभद्र २१०  
 क्षुधा २१४  
 क्षुल्लक सिंहविक्रीहित २१०  
 क्षेत्र ८, ९, ३०, ८९, ९२, १४२, १८६  
 क्षेत्र (स्थान) २३८  
 क्षेत्र-आयं १३  
 क्षेत्रकृते ३०  
 क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम १८८  
 क्षेत्रवृद्धि १८८  
 क्षेत्रसिद्ध २४०
- ख
- खट्टा १२९  
 खट्टवास्तु १०१  
 खण्ड १३०  
 खरकाण्ड ८४
- ग
- गण २२१  
 गणघर २५  
 गति ४६, ४७, ४९, ६२, ८७, १०४,  
     १०५, १२३-१२५, १२७, १९६,  
     १९७, १९९, २३८, २३९  
 गतिक्रिया ६३, ६४, ११७  
 गतिक्रस ५५, ५६  
 गतिसामर्थ्य १०६  
 गन्ध १९, ५७, ५८, ८६, ११६, ११९,  
     १२८, १२९, १३१, १४३-१४५,  
     १६९, १९६, १९७, १९९, २०५,  
     २११

गन्धर्व ९७  
 गमनक्रिया १०५  
 गठ १०१  
 गर्दसीय १०८  
 गर्भ ६७, ७६  
 गर्भज ९४  
 गर्भजतिर्थ ६२  
 गर्भजन्म ६७, ६९, ७१  
 गर्भज पंचेन्द्रिय ९४  
 गर्भज मनुष्य ६२, ६८  
 गर्भोत्पल ६१  
 गर्व ८८  
 गान्धर्व ९९-१०१  
 गीतयश ९७, १०१  
 गीतरहि ९७, १०१  
 गुण १४३-१४६  
 गुणत्व ५०  
 गुणप्रत्यय २७-२९  
 गुणरहित १४५  
 गुणत्व १८१, १८२  
 गुणस्थान २, १९३, २०६, २२६,  
     २२७  
 गुणान्तर १४५  
 गुप्ति २०६, २०७  
 गुरु १०२, १२९  
 गुरुकुल २१०  
 गुरुलघु १४४  
 गृहस्थर्लिंग २३९  
 गोत्र ४९, १९५, १९६, २०१  
 गोदकर्म ११७  
 गोपालदास बरेया १२७  
 गोमूत्रिका ६५

गोमाटसार चीयकाण्ड १०  
 घह ९९, १००, १०२, ११३  
 ग्रीवेयक ९९, १००, १०४, १०७, ११०,  
     १११  
 ग्राम २२१  
 घ .  
 घट १०१  
 घन १२९  
 घनवात ८३, ८४  
 घनाम् ८२  
 घनोदधि ८३  
 घनोदधि-बलय ८४, ५  
 घर्ष ८४  
 घातन ८५  
 घातिकर्म २१६  
 घाण १५, २३, ५६, १३३  
 घाणेन्द्रिय ५७  
 घ .  
 घड़वर्ती ८०, ९३  
 घट्ट १४, १५, ५६  
 घट्टरन्द्रिय ५७  
 घट्टुर्दशन ४९, ५२, ५३, ११७  
 घट्टुर्दशनावरण ४९, ११८  
 घट्टु भक्ति १६३  
 घटुरणुक १२१  
 घटुरन्द्रिय ५५, ५६, ९४, २०५  
 घटुर्दशपूर्वधारी ७७, १०७  
 घटुर्मिकाय ९५, ९६  
 घटुर्विशितस्त्रव २६  
 घटुष्ठद ९४  
 घन्न १७, १००, १०२, १०३, ११३  
 घन्नमण्डल १०२

चमर ९७, ११०  
 चम्पक १०१  
 चरणोत्तिष्ठ १०२  
 चरपर १२९  
 चरमदेह ८०  
 चरमशरीरी ७८  
 चर्य २१०  
 चर्या २१३-२१५  
 चाक्षुप १३२-१३४  
 चान्द्रायण २१०  
 चारित्र ४६, ४९, १४४, १४५, २०६,  
     २१७, २३८, २३९  
 चारित्रधर्म १८३, १८६  
 चारित्रमोह १५६, १९७, २१४  
 चारित्रमोहनीय ४९, १५६, १५७, १६१  
 चारित्रविनय २२०  
 चारित्रशुद्धि १८३  
 विन्ता १३, १४  
 चीन ४०  
 चूडामणि १००  
 चूलिका ९०  
 चेतन १२४, १२५, १३६  
 चेतना १३७, १४३, १४५  
 चेतनाशक्ति ३४, ४१, ५२, १४३  
 चोटी १४९, १५१, १५३, १६२, १६६  
 चौक १०१  
 चौरिंगक १३०

## ४

छद्मस्य १४४, २२४  
 छद्मस्यवीतराग २१३, २१०  
 छविच्छेद १८५, १८७

छाया १२८, १३०  
 छेद २१९, २२०  
 छेदोपस्थापनचारित्र २१७  
 छेदोपस्थापनीय २३९  
 ज  
 जगत् ५०  
 जगत्त्वभाव १७०, १७२  
 जघन्य ८७, १४०  
 जघन्यगुण १३८, १३९  
 जघन्यस्थिति ११३  
 जघन्यतेर १४०, १४१  
 जह १२४, १२५, १३९  
 जन्म ६७, ६९  
 जन्मसिद्ध ७६, २४  
 जन्मान्तर ६३  
 जन्माभियेक १०७  
 जावहृषीप ८८-९१, १०२  
 जगत् ९९, १००, १०४, १०९  
 जरायु ६९  
 जरायुज ६७, ६९  
 जल १२९  
 जलकान्त ९७  
 जलकाय ५४, ५५, ६०, ९४  
 जलचर ९४  
 जलपतन १६०  
 जलप्रभ ९७  
 जलप्रवेश १६२  
 जलबहुल ८४  
 जलराक्षस १०१  
 जलसमाधि १८३  
 जाति २०, १९६, १९७, १९९, २०१  
 जाति-आर्य ९३

- विष २१४, २३०, २३१  
 विनेश १८१  
 विह्वा २३  
 लीतकल्पसूत्र २२०  
 लीब २, ५, १०, ४६, ५०, ५३, ६२-  
     ६४, ७१, ११४, ११५, ११७,  
     ११८, १२०-१२२, १२४, १२६  
     १२८, १४४  
 लीब-अधिकारण १५४  
 लीब-सूत्र ६  
 लीबत्व ४६, ४७, ५०  
 लीबन १२५  
 लीबप्रदेश २०३  
 लीबराजि ४८, १२२  
 लीबास्तिकाय ११७  
 लोचित १२६  
 लीविताशसा ११०  
 लुगुप्ता ११७  
 लुगुप्तामोहनीय १११, १११  
 लुलाहा ९३  
 लैलदर्गत ५, ३७, ४७, ११५, १२४,  
     १२५, १२६, १३४-१३६, १४६  
 लैलघर्म १७०  
 लैलिलिङ्गक मिथ्यात्मी १०७  
 लैलशासन २६, २३५  
 लैलसंघ १७०  
 लैलिद्वान्तप्रवेशिका १२७  
 लैलतरलिङ्गक मिथ्यात्मी १०७  
 लोप १०१  
 लान् ९३  
 लातमान १५३  
 लातार्थर्मकथा २६  
 लान ३, ११, ४६, ४७, ५३, १४३,  
     १५९, १९५, २३८, २३९  
 लानदान १६३  
 लानदृष्टि ४५  
 लाननय ४५  
 लाननिहित १५८  
 लानप्रदोष १६४, १६५  
 लानविस्तुप्रकरण ६२  
 लानमास्तर्य १५८  
 लान-विनय २२०  
 लानव्यापार २५  
 लानान्तराय १५८  
 लानावरण १५६, १९५, १९६, २०१,  
     २०५  
 लानावरणीय ३४, १४३, १४८, १६४,  
     २३५  
 लानासादन १५८  
 लानेन्द्रिय ५७  
 लानोपर्यंत १५६, १५७  
 लैथत्व १४४  
 लैल भाव ६  
 ल्योतिथक १०२  
 ल्योतिथक १५, ९७-९९, १०१, ११३  
 ल्योतिथकनिर्मय ९६, १००
- त
- तत् १२९  
 तत्त्व ३, ५-८, ११५  
 तत्त्वानिष्ठम् ४  
 तत्त्वार्थ ५  
 तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति १८  
 तत्त्वप्रदोष १५६, १५८, १९४  
 तत्त्वावधार २१८

- तत्त्वार्थपरिणाम २३७  
 तद्दमाव १४५  
 तनुवात ८३  
 तनुवातवलय ८४  
 तप १५७, १६३, २०६, २०७, २१०,  
     २१९, २२०, २३६  
 तपस्त्री २२१  
 तपोरत्नमहोदधि २१०  
 तम १२८, १३०  
 तम प्रभा ८२, ८४, ८६  
 साधन १६४  
 ताप १५६, १५९  
 तारा १००, ११३  
 तारागण १०२  
 तारामण्डल १०२  
 तालपिण्डाच १०१  
 तिरछोगति २३७  
 तिर्यग्योनि ८९, १०९  
 तिर्यग्नोकसिद्ध २४०  
 तिर्यग्न्यतिक्रम १८५, १८६, १८८  
 तिर्यग्नि २७, २८, ४९, ६१, ६८, ६९,  
     ८२, ८७-८९, १०९, १६१,  
     १९७, १९९, २०१  
 तिर्यग्नि आयु १५७, १६१  
 तिर्यग्नि आयुष्क २०५  
 तिर्यग्नगति २०५  
 तिर्यग्नानुपूर्वी २०५  
 तिलोयपण्डति १०  
 तीर्थ २३८, २३९  
 तीर्थ ( शासन ) २३३  
 तीर्थंकर २५, २९, ८०, ९३, १०७,  
     १०८, १६२, २००, २३९  
 तीर्थंकरत्व १९७  
 तीर्थंकर नामकर्म १५८, २०५  
 तीर्थकृत्व १५६  
 तीव्रकामाभिनिवेश १८५, १८८  
 तीव्रभाव १५३  
 तुम्बह १०१  
 तुम्बुरव १०१  
 तुष्पित १०८  
 तूल्योक १०१  
 तृणस्पर्श २१३-२१५  
 तृपा २१३, २१४  
 तैज ४९, १२९  
 तैज काय ५४, ५५, ६१, ९४  
 तैज कायिक ६८  
 तैजस ६९, ७०, ७३, ७४, ७६, ७७,  
     २०५  
 तैर्यग्न्योनि १५६  
 त्याग १५७, १६३, २०८, २१०,  
 त्रस ५४, ५५, १९६, १९७, १९९, २०१  
 त्रसत्व ५४  
 त्रसदशक १९९  
 त्रसनाही ७३  
 त्रसनामकर्म ५५  
 त्रायम्निषा ९६, १०८  
 त्रिकालप्राही ३१  
 त्रीन्द्रिय ५५, ५६, ९४, २०५  
 त्र्युक १२१, १४६  
 दशमशक २१३, २१४  
 दक्षिणार्थ ११०  
 दक्षिणार्थाधिपति ११०  
 दम्भ १७९

दया १४९	दिन १०३
दरात २०, ४६, ५३, १४३, १९५	दिनपुष्टस्त्र १०६
दर्शनमित्रा १५२	दिवामोजन १६७
दर्शननिरूप १५८	दिवा १०८
दर्शनप्रदोष १५८	दीपाचार्य २२१
दर्शनमोह १५८, १९७, २१४	दीपक ११४
दर्शनमोहत्तमक २३०, २३१	दुर्ग ५, १२५, १४६, १५९
दर्शनमोहनीय ४९, १५७, १६०, १९८	दुर्ग वामावना १७१
दर्शनमित्र २२०	दुर्गवेदनीय १९७
दर्शनमित्रुदि १५६, १५७, १६२	दुर्गस्त्र १९६, १९७, २००, २०५
दर्शनादरण १५६, १९५, १९६, २०१, २०५	दुर्गांश्च १२९
दर्शनादरणीय १५८, १९४, १९७, २३५	दुर्गंग १९६, १९७, २००, २०५
दर्शनादर्शिका २१०	दुर्घटनाभावर १९०
दर्शनालिङ्क २६	दुर्घणिधान १८५
दर्शनामुहूर्मध्य २६	दुर्घमाजितनिषेष १५९
दाढ़ा ११	दुर्घट्टहिता १७४
दाढ़ा १११	दुष्टिश २६
दान ४६, ५१, ७५, १४९, १५३, १५५-१५७, १६७, १९०, १९१, १९७	देयस्तु १९१
दानान्दरण २००	देय २५, २८, ४९, ६१, ६२, ६५, ६६, ७६, ७७, ८२, ८५, ८८, ९५, १०९, १५६, १५७, १९५,
दासीदामप्रभाणातिक्रम १८५, १८६, १८८	१९१
दिक्षुलार ९७, ९९, १००	देवकृष्ण ८८, ८९, ९१, ९२
दिग्घर १३९, १४०, १४४, २१४, २१५	देवति २०५
दिग्घरति १८०, १८२	देवजन्म १०९
दिग्घरति १८०, १८२	देवपि १०८
दिविवरमणदत १८८ १७.	देवानुपूर्वी २०५
	देवायु १५७, १६२
	देवायुक २०५
	देवावर्णवाद १६०
	देवी ९८
	देवना ३६

- देशपरिस्कैपो ३६, ३९  
 देशविरत २२६  
 देशविरति ८८, १८०, १८२, १९८  
 देह ८२, ८५, १०१  
 दोषदर्शन १७०, १७१  
 दोषनिवृत्ति १६६  
 द्युति १०४, १०५  
 द्रव्य ५, ६, १९, ३१, ५९, ११५,  
     ११७, १२०, १२४-१२६, १३१,  
     १३७, १४२-१४४  
 द्रव्यदृष्टि ३८, १३७  
 द्रव्यनपुसकवेद ७८  
 द्रव्यानिकेप ४  
 द्रव्यपाप ५  
 द्रव्यपुण्य ५  
 द्रव्यपुरुषवेद ७८  
 द्रव्यवन्व ५४  
 द्रव्यभाषा १२५  
 द्रव्यमन ५४, ५५, १२६  
 द्रव्यलिङ्ग २३३  
 द्रव्यलेख्या ९५, ९७  
 द्रव्यवेद ७८  
 द्रव्य-स्त्रीवेद ७८  
 द्रव्यहिंसा १७४  
 द्रव्याधिकरण १५४  
 द्रव्याधिक ३८, ३९, ४५  
 द्रव्याधिकरण ३९, ४१  
 द्रव्यास्तिक २२९  
 द्रव्योन्निय ५६, ५७, ६.  
 द्वादशाङ्गी २५  
 द्विचरम १०९  
 द्वीन्द्रिय ५४-५६, ९४, २०५  
 द्वीप ८८, ८९  
 द्वीपकुमार ९७, ९९, २००  
 द्वीपसमुद्र ८८  
 द्वीपसिद्ध २४०  
 द्वेष १७८  
 द्वचणुक १२१, १२९, १३८, १४६  
 घ  
 घनवान्यप्रभाणातिक्रम १८५, १८६,  
     १८८  
 घरण ९७, ११०  
 घर्म १, ११४, ११७, ११८, १२०,  
     १२४, १२६, १५६, १५७,  
     २०६, २०८, २२४  
 घर्मतत्त्व ४ ,  
 घर्मध्यान २२६, २२७  
 घर्मस्वास्थ्यात्तत्व २११  
 घर्मस्वास्थ्यात्तवानुप्रेक्षा २१३  
 घर्मवर्णवाद १६०  
 घर्मस्तिकाय ११४-११८, १२३-१२५,  
     १२७, १४४, १४५, २३८  
 घमोपदेश २२१  
 घातकीखण्ड ८८, ८९, ९१, १०२  
 घारणा १५, १६, १९, २१  
 घूमत्रया ८२, ८४, ८६  
 घाल २१८, २१९, २२२, २३६  
 घ्यानप्रवाह २२४  
 घ्यानान्तरिका २२३  
 घ्रुव १६, १८  
 घ्रीव्य १३३-१३६  
 न  
 नक्षत्र ९९, १००, १०२, ११३  
 नमता २१४

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| नन्दत्व २१३-२१५              | नारकायुष्क २०५                 |
| नदी ९२                       | नारद १०१                       |
| नन्दन ९०                     | नाराच २०५, २२२                 |
| नन्दीसूत्र १७, १८            | नाश २२९                        |
| नपुंसक ४९, ७७, १६१           | नि.शल्य १७९                    |
| नपुंसकलिङ्ग ७८               | नि.शीलत्व १६२                  |
| नपुंसकवेद ७८, १९७, २१९       | नि.श्रेयस २०७                  |
| नपस्कार १०७                  | नि.श्वास १२५                   |
| नप्रवृत्ति १५८, १६३          | नि.श्वासवायु १२६               |
| नय २, ८, ३५, ३७, ३८          | नि.सृतावग्रह १७                |
| नयदृष्टि ४५                  | निकाय ६०, ९५                   |
| नयवाद ३६-३८,                 | निषेष ६, ७, १५४, १५५           |
| नरक ४९, ८२, ८५, ८६, १६१, १९९ | निगोदशरीर १२३                  |
| नरकागति २०५                  | निश्चह २०७                     |
| नरकथाल ८८                    | नित्य ११५, ११६, १२१, १३४, १३६, |
| नरकमूर्ति ७३-८८              | १३८, १४५                       |
| नरकायु १५७, १६१              | नित्य-अनित्य १३८               |
| नरकावास ८५                   | नित्य-अनित्य-अवकल्प्य १३८      |
| नवतत्व २०५                   | नित्य-अवकल्प्य १३८             |
| नवनदिमिका २१०                | निदान ११६                      |
| नध्य-मीमांसक ४७              | निदान-आर्तव्यान २२५            |
| नाई ९३                       | निदानकरण १८५, १८६, १९०         |
| नाग १०१                      | निद्रा १९७                     |
| नागकूमार ९७, ९९, १००         | निद्रानिद्रा १९७               |
| नान्य २१३                    | निद्रानिद्रावेदनीय १९८         |
| नाम ६, ७, ४९, ११५, ११६, २०१  | निद्रावेदनीय १९८               |
| नामकर्म ४९, ६५, १२५, १५७     | निन्दा १५६, १६३                |
| नामनिषेष ७                   | निवन्ध ३१                      |
| नारक २७, २८, ६१, ६२, ६३-६५,  | निरन्तरसिद्ध ३४०               |
| ७६, ७७, ८२, ८५-८७, १०९,      | निरन्वय क्षणिक १३४             |
| ११२, १५६, १९७                | निरन्वय परिणाम-प्रवाह ४७       |
| नारकानुपूर्वी २०५            |                                |

- निरन्वय विनाशी १४६  
 निरभिमानता १५८  
 निरवद्य ७७  
 निराकार-उपयोग १४६  
 निरुपभोग ७०, ७५, ७६  
 निरोध ५, २०६, २२२  
 निरुण १४५  
 निर्ग्रन्थ २३१, २३२, २३४  
 निर्जरा ५, ७५, २०१-२०३, २०६,  
     २३१, २३६  
 निर्जरा तत्त्व ६,  
 निर्जरातुप्रेक्षा २११, २१२  
 निर्देश ८, ९  
 निर्भयता १६८  
 निर्माण १९६, १९७, २०  
 निर्माण नाम २०५  
 निर्वर्तना १५४, १५५  
 निर्वाण ८८  
 निविकल्पकवोध ५२  
 निर्वृत्ति ५६-५८  
 निर्वृत्ति-इन्द्रिय ५७  
 निर्वेद ४, २११  
 निर्वत्त्व १६२  
 निर्वृत्ति १२७, १६६  
 निशीष २६  
 निश्चय-उपयोग ५१  
 निश्चयदृष्टि १२०  
 निश्चयनय ४५  
 निश्चयसम्बन्ध ४  
 निश्चयार्हता १७४  
 निश्चित १७  
 निश्चितप्राही १६, १७  
 निष्पत्ता २१३-२१५  
 निषध ८८, ८९  
 निषधपर्वत ९१  
 निष्काम २०७  
 निष्क्रमण १०८  
 निष्क्रिय ११६, ११७  
 निष्कलता ८०  
 निसर्ग ४, १५४-१५६  
 निसर्गक्रिया १५२  
 निसर्गसम्बन्धर्ता ५  
 निष्क्रिय १५६, १५८  
 नीच १९६, १९७  
 नीचगोत्र २००, २०५  
 नीचगोत्र कर्म १५८, १६३  
 नीचगोत्र १५६  
 नीचवृत्ति १५६  
 नील ४९, ८६, ८८, ८९, ९७, १४३  
 नीलपर्वत ९१  
 नीला १२९  
 नेत्र १३३  
 नीतम ३५  
 नीतमनय ३९, ४०  
 नीयायिक ४७, १२९, १४६  
 नोहन्द्रिय ६०  
 नोकधाय १९७, १९९, २०५  
 नोकधाय जारितमोहनीय १९७  
 नोकधाय वेदनीय १९७  
 न्यायोधपरिमण्डल २०५  
 न्याय ( दर्शन ) ५, ११५, १२४  
 न्यायशास्त्र १३  
 न्यायावतार २, १३  
 न्यास ६  
 न्यासापहार १८५, १८७

- | प                            |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| पक्ष १०३, १०३                | परिणामिनित्यता ४७               |
| पक्षी ८७                     | परिणामिनित्यत्व १३५             |
| पक्ष्यपता ८३, ८४, ८६         | परिणामिनित्यत्ववाद १३५          |
| पक्ष्यहृषि ८४                | परिताप १२६                      |
| पञ्चेन्द्रिय ५५, ५६, ९४      | परिवेन १५६, १५९                 |
| पञ्चेन्द्रियजाति २०५         | परिहार २१९, २२०                 |
| पटक १०१                      | परिहारविशुद्धि २३९              |
| पटुकम २२                     | परिहारविशुद्धि चारित्र २१७, २१८ |
| पठन ९३                       | परीषह २१३-२१७                   |
| पठार्य ४, १२४                | परीषहत्या २०६                   |
| पथ ४९, १०७                   | परोक्ष १२, १३                   |
| परावात ११६, ११८              | परोक्ष-श्रमण १२, १३             |
| परत्व १२६, १२७               | पर्यास ११६, ११७, २००, २०५       |
| परत्विन्द्रिय १५८, १६३       | पर्याय १९, ३१, ४८, ४९, ५९, ११५; |
| परमेशसा १५८, १६३             | ११९, १२६, १३०, १३७,             |
| परप्रसन्नता १८३              | १४२, १४३, १४५                   |
| परमाणु ११५, ११७, ११९, १२१,   | पर्यायवृहि ३८, १३७              |
| १२३, १३१, १३४, १३८, १३९      | पर्यायपरिमान ११७                |
| परमाधार्मिक ८७, ८८           | पर्यायव्राह १४३, १४४            |
| परमात्मिकान ३२               | पर्यायार्थिक ३८                 |
| परार्लंग २३९                 | पर्यायास्तिक २२९                |
| परविवाहकरण १८५, १८८          | पर्वत ८८, ८९, ९२                |
| परव्यपदेश १८५, १९०           | पर्वतप्रपात १६२                 |
| परावात २००, २०५              | पल्लोपम ९४, १०३, १०६, १११,      |
| परापर्ण १८३                  | ११३                             |
| परिग्रह १०४, १०६, १५१, १६१,  | पाठन ९३                         |
| १६६, १७८                     | पाणिनीय अ्याकरण २१३             |
| परिमहृषि १६१                 | पाणिमुक्ता ६५                   |
| परिणाम ८१, ८२, ८५, १२४, १२६, | पाण्डुक १०                      |
| १४६, १५३                     | पात्र १११                       |
| परिणामिनित्य ४७, १३४, १३५    | पाप ५, १४९                      |
|                              | पापप्रकृति २०४                  |

- पापानुभाव १५०  
 पारलौकिक अनिष्ट १७७  
 पारलौकिक दोषदर्शन १७१  
 पारिग्रहिकी किया १५२  
 पारिणामिक ४६-४८, ५०, ५१, २३६  
 पारितापनिकी किया १५२  
 पारिषद्य ९६  
 पिण्डप्रकृति १९९  
 पिपासा २१३, २१४  
 पिशाच ९७, ९९-१०१  
 पीत ९५, ९७, १०७, १४३  
 पीला १२९  
 पुलिङ्ग ७८  
 पुरेद १९६  
 पुष्य ५, १४९  
 पुष्यप्रकृति २०४  
 पुण्यानुभाव १५०  
 पुद्गल १९, ६४, ६५, ६७, ७२, ११४-  
     ११८, १२०, १२१, १२४, १२५,  
     १२७-१३१, १४३, १४४, १४६,  
     १५५, १९४  
 पुद्गलसेप १८५, १८६, १८९  
 पुद्गलद्रव्य ३२  
 पुद्गलपरावर्ते १०  
 पुद्गलपिण्ड १३०  
 पुद्गलस्कन्ध ११९  
 पुद्गलस्तिकाय ११४, ११५, ११७  
 पुनरावर्तन २२१  
 पुनर्जन्म ६३  
 पुरुष ४९, १०१, १६१  
 पुरुषवृपम १०१  
 पुरुषवेद ७८, १९७, १९९, २०४  
 पुरुषार्थ १  
 पुरुषोत्तम १०१  
 पुलाक २३१, २३२  
 पुलिन्द ९३  
 पुञ्जरबद्धीप ८९  
 पुञ्जरार्थ ८८, १०२  
 पुञ्जरार्थद्वीप ८९, ९१  
 पुञ्जरोदधि ८९  
 पूर्ण ९७  
 पूर्णमस्त्र ९७, १०१  
 पूर्वकोटि १४७  
 पूर्वजन्म ६२, ८८  
 पूर्वधर २२७, २२८  
 पूर्वप्रयोग २३७  
 पूर्वमव ६७  
 पूर्वार्तिविलासस्मरणवर्जन १६९  
 पूर्वविद २२७  
 पूर्वशरीर ६३  
 पूर्वविधि ९  
 पूर्यक्षम २२७, २२९  
 पृथक्त्ववितर्क २२८  
 पृथक्त्ववितर्क सविचार २२८, २२९  
 पृथिवीकाय ५४, ५५, ६०  
 पृथ्वी १२८, १२९  
 पृथ्वीकाय १४  
 पृथ्वीपिण्ड ८३  
 मोतज ६७, ६९  
 मोदगलिक २२, १२५, १२९-१३१,  
     १३८  
 मौषधोपवास १८०, १८२  
 प्रकाश १०३  
 प्रकीर्णक ९६

- प्रकीर्णतारा ९९, १००, १०२  
 प्रकृति ११५, ११२, ११४, ११५  
 प्रकृतिवस्थ ११५, ११६  
 प्रकृतिविभाग १६४  
 प्रकृतिसंकलन २०३  
 प्रचय ११४  
 प्रचला ११७  
 प्रचलाप्रचला ११७  
 प्रचलाप्रचलावेदनीय ११८  
 प्रचलावेदनीय ११८  
 प्रचला २२१  
 प्रक्षा २१३-२१५  
 प्रणिपात १०७  
 प्रणीतरस भोजन १६९  
 प्रणीतरस भोजनवर्जन १६९  
 प्रदर १३०  
 प्रतिक्रमण २६, २१९, २२०  
 प्रतिघात ७३  
 प्रतिच्छन्न १०१  
 प्रतिस्पृष्ट १७, १०१  
 प्रतिरूपक व्यवहार १८५, १८८  
 प्रतिसेवना २३२, २३३  
 प्रतिसेवनाकृचील २३२  
 प्रत्यक्ष १३, ५०  
 प्रत्यक्षभ्रमाण १२  
 प्रत्यभिशान १३६  
 प्रत्याख्यान २६, ११७  
 प्रत्याख्यानावरणीय ११८  
 प्रत्युत्थान १०७  
 प्रत्येक ११६, ११७, २००, २०५  
 प्रत्येकवृद्ध २६  
 प्रत्येकवृद्धवोधित २३८, २३९  
 प्रत्येकवोधित २३९  
 प्रदीप ११९, १२०, १२२  
 प्रदेश ६९, ७०, ११७-११९, १२३,  
 ११२, ११४, ११५  
 प्रदेशस्तव ५०, १४४  
 प्रदेशप्रचय ११८  
 प्रदेशवन्ध १६४, १६५, ११५, २०३,  
 २०४  
 प्रदेशोदय ४८  
 प्रधान ११५  
 प्रभञ्जन ९७  
 प्रभामण्डल १०२  
 प्रभाव १०४  
 प्रभृत्योग १७२, १७४-१७७  
 प्रभृत्यसंयत २२६  
 प्रमाण २, ८, १२  
 प्रमाणमीमांसा १३  
 प्रमाणलक्षण १२  
 प्रमाणविभाग १२  
 प्रमाणाभास १२  
 प्रमाद १७४, १९२, १९३  
 प्रमोद १७०, १७१  
 प्रमोदवृत्ति १७०  
 प्रयोगक्रिया १५१  
 प्रयोगज १२९  
 प्रयचन-मन्त्रि १५६-१५८  
 प्रयचनमासा २३३  
 प्रयचनवस्तुलत्व १५६  
 प्रयचनवात्सल्य १५८, १६३  
 प्रवीचार ९८  
 प्रवृत्ति १६६  
 प्रवागक २१०

- प्रशम ४  
 प्रशंस्त २०५  
 प्रशस्तनिश्च २०७  
 प्रशस्तवर्ण २०५  
 प्रश्नव्याकरण २६  
 प्रसार ८५  
 प्राण १२६, १५२  
 प्राणत ९७, ९९, १००, १०४  
 प्राणवध १७२, १७५  
 प्राणतिपात १५३  
 प्राणतिपातिकी क्रिया १५२  
 प्रात्ययिकी क्रिया १५२  
 प्रादोषिकी क्रिया १५२  
 प्राप्यकारी २३  
 प्रायश्चित २१८-२२०  
 प्रेष्यप्रेयोग १८५, १८६, १८९
- क
- फल १३७
- ब
- बकुश २३१-२३४  
 बन्ध ३, ५, १२८, १२९, १३८-१४०,  
     १४२, १५०, १८५, १८७,  
     १९२-१९४
- बन्धतत्त्व ६  
 बन्धन १६४, १९६, १९७, १९९  
 बन्धहेतु १५६-१६३, १९२-१९४,  
     २३५, २३६
- बलदेव ९३  
 बलि ९७, २१०  
 बहु १६, १८, २३  
 बहु-नारम्भ १५६; १५७  
 बहु-परिव्रह १५६, १५७
- बहुविध १६, १८, २३  
 बहुश्रुत १५६, १५७, १६३  
 बादर ७६, १९६, १९७, २०५  
 बादरसम्पराय २१४, २१६  
 बालतप १५६, १५७, १६०, १६२  
 बालभाव १६२  
 बाहुल्य ८५  
 बाहुतप २१८, २१९  
 बाहोपविन्युत्सर्ग २२१  
 बुद्धवेदित २३१  
 बुधग्रह १०२  
 बोधिदुर्भत्वानुप्रेक्षा २१३  
 बौद्धदर्शन ५, ४७, १२८, १४५  
 ब्रह्म १३४, १७८, २१०  
 ब्रह्मचर्य १४९, १७६, १७९, २१०  
 ब्रह्मचर्य-अणुवत १८५  
 ब्रह्मचर्य-नत १६९  
 ब्रह्मारात्र १०१  
 ब्रह्मालाक ९९, १००, १०४, १०८  
 ब्रह्मोत्तर ९९
- भ
- भक्तपानसंयोगाधिकरण १५६  
 भगवतीसूत्र ८३  
 भद्रशाल ९०  
 भद्रोत्तर २१०  
 भय १६९, १७२, १९७  
 भयमोहनीय १६१, १९९  
 भरत ८८, ९०  
 भरतवर्ष ८९  
 भव ६७  
 भवन ११०  
 भवनपति ९५; ९७, ९८; ११३

- भवनपत्रिनिकाय १६  
 भवनवासी ११  
 भवनवासीनिकाय १००  
 भवप्रत्यय २७, २८  
 भवस्त्विति १४  
 भविष्य ३१  
 भवत्व ४६, ४७, ५०  
 भाज्य ३२, ७०, ११९, २१३  
 भाव ५, ६, ८, १०, १३५, १४२  
 भाव-न्युसक्षेद ७८  
 भावना १६८, २१  
 भावनिक्षेप ७  
 भाव-परमाणु ११९  
 भाव-पुरुषेद ७८  
 भावबन्ध ५४  
 भावभावा १२५  
 भावमन ५४, ५५, १२५  
 भावलिङ्ग २३३, २३९  
 भावलेश्या १५  
 भाववेद ७८  
 भाव-स्त्रीवेद ७८  
 भावहिसा १७४  
 भावाधिकरण १५४, १५५  
 भावेन्द्रिय ५६, ५७, ६१  
 भाया १०, १२५, १२६, १२९, २०७  
 भाया-आर्य १३  
 भाया-भरिणाम १४८  
 भावा-वर्णणा १२५, १२९, १४८  
 भाषासमिति २०८, २१०  
 भाष्य १३९, १४०  
 भाष्यवृत्ति १५७  
 भास्त्रान् १०१  
 भिक्षुप्रतिमा २१०  
 भीम १७, १०१  
 भुजग १०१  
 भुजग १४  
 भुजपरिसर्प ८७  
 भूत ३९, १७, ११, १००, १५६  
 भूत-अनुकम्पा १५६, १५७, १६०  
 भूतवादिक १०१  
 भूतानन्द १७, १०१  
 भूतोत्तम १०१  
 भूमि ८२, ८५  
 भैद १२८, १३०-१३४  
 भैदन्तघात १३२, १३४  
 भैरव-जप १८३  
 भोजना १३७  
 भोक्तृत्व ५०  
 भोग ४६, ४९  
 भोगभूमि १३, १५७  
 भोगधाली १०१  
 भोगान्तराय २००  
 भोगोपभोगवत १८६, १९०
- म
- मकर १०१  
 मङ्गल १०२  
 मणिभद्र ९७, १०१  
 मति ११, १३, १४, २४, ३३, ४९,  
     २३९  
 मति-अशान ३४, ४९, ५२  
 मति-अशानावरण ४९  
 मतिशान १३, १४, २३-२५, ३१,  
     ३२, ३४, ५२, ६०  
 मतिशानावरण ४९, १२५, १९७

- महिलालावरणीय १४  
 मत्स्य ८७  
 मध्यम १४१  
 मध्यलोक ८३, ८८, ८९  
 मन १०, १३, १५, १८, २९, ५४,  
     ५९-६१, १२५, १२६, १२९,  
     १४८, १६२, १६६, १७७  
 मन-पर्याय ११, १३, २९-३१, ५३,  
     २३९  
 मन-पर्यायकानान २९, ३२, ३३, ४९,  
     ५२  
 मन-पर्यायकानावरण ४९, १९८  
 मन-पर्यायकानी ८९  
 मनरहित ५४, ५५  
 मनसहित ५६, ५५  
 मनुष्य २७, २८, ४९, ६१, ८२, ८७-  
     ८९, १०९, १६१, १९५, १९९,  
     २०१  
 मनुष्य-आशु १५७, १६१  
 मनुष्यगति २०५, २३९  
 मनुष्यजन्म १०३  
 मनुष्यजाति ९२  
 मनुष्ययक्ष १०१  
 मनुष्यलोक ७२, १००, १०२-१०४  
 मनुष्यानुपूर्वी २०५  
 मनुष्यामृष्ट २०५  
 मनोभूति १६८, १६९, २०७  
 मनोज्ञामनोज्ञ रससमग्राव १७०  
 मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्शसमग्राव १७०  
 मनोतुल्यणिकान १८६, १८९  
 मनोद्रव्य ५०  
 मनोनिसर्व १५६
- मनोयोग ६४, १४८, १४९  
 मनोरम १०१  
 मनोवर्णा १२६  
 मनोक्षामार २५  
 मनोहरेन्द्रियावलोकनवर्जन १६१  
 मन्दकम २०, २१  
 मन्दगाव १५३  
 मरण १२५, १२६  
 मरणार्थसा १८५-१८६, १९०  
 मस्त १०१, १०८, १०९  
 मस्तेव १०१  
 मश्वेती २२८  
 मल २१३-२१५  
 महाकादम्ब १०१  
 महाकाय ९७, १०१  
 महाकाल ९७, १०१  
 महाघोष ९७  
 महात्मप्रभा ८२, ८४, ८६  
 महापुरुष ९७, १०१  
 महामीम ९७, १०१  
 महाविदेह १०१  
 महावीर ४०, १८१  
 महावेग १०१  
 महाव्रत १६८, १७०, १८१  
 महाशुक्र ९९, १००, १०४  
 महासर्वतोभद्र २१०  
 महासिंहविक्रीडित २१०  
 महास्तकन्दिक १०१  
 महास्तकन्ध १२९  
 महाहिमवत् ८८  
 महाहिमवान् ८९, ९१  
 महिमा १०४

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| महेश्वर १०१                      | मिथ्यादृष्टिप्रशंसा १८४ |
| महोरंग ९७, ९९-१०१                | मिथ्यादृष्टिसंस्तव १८४  |
| माधवी ८४                         | मिथ्योपदेश १८५, १८७     |
| माधव्या ८४                       | मिथ्या ४६, ६७           |
| मात्रा २२४                       | मिथ्यमोहनीय ३९८         |
| मात्सर्य १५६, १९०                | मीठा १२९                |
| मात्सर्य १७०                     | मीमांसा-द्वारा ८        |
| मात्सर्य-मात्रा १७२              | मुक्त ४८, ५३, ९४        |
| मात्सर्यवृत्ति १७०               | मुक्तजीव २३७            |
| मान ४९, १५१, १५५, १९७, १९८       | मुक्तावली २१०           |
| मानुष १५६, १९६                   | मुखरपिशाच १०१           |
| मानुषोत्तर ३२, ८८, ८९, ९२, १०२   | मुच्यमान ६४, ६५         |
| माया ४९, १५१, १५५-१५७, १६१,      | मुहर्वं १०२, १०३        |
| १९७, १९८                         | मूढता १९३               |
| मायाक्रिया १५२                   | मूर्छा १७८              |
| मारणाग्निली १८०                  | मूर्त २८, ११९, १२३, १२५ |
| मार्ग ५                          | मूर्तत्व ११७, २२९       |
| मार्गभ्राता १५६, १५८, १६३        | मूर्ति ११७              |
| मार्दव १५६, २०८, २०९             | मूलगुण १८१              |
| मापत्तुप २२८                     | मूलगुण-निर्वर्तना १५५   |
| मास १०२, १०३                     | मूलजाति ( इव ) १३५      |
| माहेन्द्र ९९, १००, १०४, १११      | मूलद्रव्य ११५           |
| मिथ्यानुशार १८५, १८६, १९०        | मूलप्रकृति १९६, २०२     |
| मिथ्युन १७७                      | मूलप्रकृतिवन्ध १९६      |
| मिथ्यात्म ११२, ११३, ११७, २०५     | मूलप्रकृति भेद १९६      |
| मिथ्यात्मक्रिया १५१              | मूलप्रत १८१             |
| मिथ्यात्ममोहनीय ११, ४९, १९८      | मृदृ १२९                |
| मिथ्यात्म-सहचरित ११              | मेर ८८, ९९-१०२, १०४     |
| मिथ्यात्मली ५३                   | मेषकाल्प १०१            |
| मिथ्यादर्श ४६, ४७, ४९, १७९, १९३- | मेषमर्वत ८३, ८३-९१      |
| मिथ्यादर्शनक्रिया १५२            | मेरुपथ १७१              |
| मिथ्यादृष्टि ३४                  | मैत्री १७०, १७१         |

- मेशीवृत्ति १७०  
 मैयुन १६६, १७७, १८८  
 मोक्ष १-६, २६, ६३, ६४, १०८, १०९,  
 / २३१, २३५, २३६  
 मोक्षमार्ग १, ७, ९३  
 मोक्षमार्गप्रभावना १६३  
 मोक्षहेतु २२४  
 मोक्षाभिमुख ३५, २३१  
 मोक्षाभिमुखता २३१  
 मोह १७८, २३५  
 मोहनीय १९५, १९६, २०१  
 मीर्खर्य १८५, १८६, १८९  
 म्लेच्छ ८८, ८९, ९३  
 य  
 यस ९७, ९९-१०१  
 यक्षोत्तम १०१  
 यज्ञन ९३  
 यतिवर्य २१०  
 यथास्थापात् चारित्र २१७, २१८  
 यथोक्तनिमित्त २७  
 यदृच्छोपलब्धि ३४  
 यवन ९३  
 यवमध्य २१०  
 यश १९६, १९७  
 यश-कोति २००, २०५  
 यशस्वात् १०१  
 याचना २१३-२१५  
 याचन ९३  
 यार्वदकविक २१७  
 यू १०३  
 युग्मिक ८०  
 युग्मिक-धर्म ९३  
 युग्मिया ९१  
 योग २, ६६, १४६, १४८, १५१,  
 १५४, १५५, १५७, १५८, १६५,  
 १९२-१९४, २०४, २२८  
 योगदर्शन ५  
 योगनियह २०७  
 योगनिरोध २२३, २३४  
 योगरहित २२८  
 योगवस्त्रता १५६, १५७, १६२  
 योनि ६८, ६९  
 योगिक ७
- ३
- रचना ८९  
 रति १९७, २०४  
 रतिप्रिय १०१  
 रतिप्रोहनीय १६१, १९९  
 रतिप्रेष १०१  
 रत्नवय ३  
 रत्नप्रभा ८२, ८४-८६, ८८, १००,  
 १०५  
 रत्नवली २१०  
 रम्यक ८८, ९०  
 रम्यकवय ८९, ९१  
 रस १९, ५७, ५८, ८६, ११६, ११९,  
 १२८, १२९, १३१, १४३-१४५,  
 १६९, १९६, १९७, १९९, २०५,  
 २११  
 रसन १५, ५६  
 रसना १३३  
 रसनेन्द्रिय ५७  
 रसन्परित्याग २१८, २१९

रसं-वन्धु १६४  
 रहस्याम्याख्यान १८५, १८७<sup>१</sup>  
 राक्षस ९७, ९९-१०१  
 राग १७८  
 रागद्वय २, ५४  
 रागसुक्त स्त्रीकथा-वर्णन १६९  
 राजवार्तिक १७, १८, १४९-  
 राजा ४४  
 रात १०३  
 रात्रिमोजन १६७  
 रात्रिमोजन-विरपण १६६, १६७<sup>२</sup>  
 राम ४०  
 राह १०३  
 रिषा ८४  
 रुक्मी ८८, ८९  
 रुक्मी पर्वत ६१  
 रुद्र २२६  
 रुक्म १२९, १४१, १४२  
 रुक्मल १३८  
 रुद्र ७  
 रुप ३१, ५७, ९८, ११६, ११७,  
     १४३-१४५, १६९, २०९, २११  
 रुपत्व-स्वभाव १४६  
 रूपयक्ष १०१  
 रूपशाली १०१  
 रूपानुपात १८९  
 रूपित्व ११७  
 रूपी ११५, १४७  
 रैवत १०१  
 रोग २१३-२१५  
 रौगचिन्ता आर्तध्यान २१५  
 रीढ ८५, २२६  
 रौद्रध्यान २२४, २२६

रीढ ८५  
 रुक्मण ५२  
 रुषु १२९  
 रुता ८८  
 रुचिर ४७, ४९, ५६-७८, ७६; ९२,  
     १२५  
 रुचिरपत ५५  
 रुद्धीनिधि ५७  
 रुदण ८८, ८९  
 रुदणसमुद्र ९१, १०२  
 राम्भलिका ६५  
 रान्तक ९९, १००, १०४  
 राय ४६, ४९, २०९  
 रामान्तराय २००  
 रास १२९  
 रिङ्ग ४, १३, ४३, ४६, ४७, ७७,  
     ७८, २३३, २३९  
 रिपि ९३  
 रेश्या ४६, ४७, ४९, ८२, ८५, ९१,  
     ९७, १०३, १०७, २३३  
 रेश्याविशुद्धि १०४, १०५  
 लोक ७३, ८३, १२०, २३७  
 लोकान्तरी १०५  
 लोकपाल ९६  
 लोकरुद्धि ४०, ४१  
 लोकस्वभाव ४०  
 लोकाकाश ११९-१२३  
 लोकानुशेषा २११, २१३  
 लोकानुभाव १०७  
 लोकान्तर २३७, २३८  
 लोकान्तिक १०८

- सौकर्यतर २६  
 लोच १५९ ०  
 लोम ४९, १५१, १५५, १६३, १९७,  
     १९८  
 लोग-प्रत्यास्थान १६८  
 लौकिकज्ञान ३५ ०  
 लौकिकदृष्टि ३५  
 लौकिकअत्यक्ष १२४
- व
- वंश १०  
 वंशा ८४  
 वक्त ६३, ६५  
 वक्तारि ६४  
 वक्ता १५७  
 वचन १४८, १६२, १६६, १७७  
 वचनगृहि २०७  
 वचनदुष्प्रणिधान १८९  
 वचननियमग्र १५६  
 वचनयोग ६४, १४८  
 वच्च १०१  
 वच्चामध्य २१०  
 वज्रपर्मनायच २०५, २२२  
 वट १०१  
 वघ १५६, १५९, १६४, १८५, १८७,  
     २१३-२१५  
 वनपिभाव १०१  
 वनस्पतिकाय ५४, ५५, ६०, ९४  
 वनाधिपति १०१  
 वनाहार १०१  
 वन्दनक २६  
 वन्दना १०७  
 वर्णा १९४
- वर्ण ५८, ८६, ११९, १२८, १३९,  
     १३१, १९६, १९७, १९९  
 वर्तना १२६, १२७, १४५  
 वर्तमान १०२, १०३  
 वर्तमानशाही ३१  
 वर्धमान १८, ३९, २१०  
 वर्धमान भक्तोरा-संपुट १०१  
 वर्ष ८८, ९०, १०३  
 वर्षपर ८८, ८९, ९१, ९२  
 वल्य ८८, ८९  
 वसुन्तरी १८१  
 वस्तु १३७  
 वहङ्ग १०८  
 वाग्योग १४९  
 वाचना २२१  
 वाच्यत्व १३८  
 वाणिज्य ९३  
 वाणी १२५  
 वात ८२  
 वातकुमार ९७, १००  
 वामन १०५  
 वायु १२९  
 वायुकाश ५४, ५५, ६०, ६१, ९४  
 वायुकाशिक ७६  
 वालुकाप्रभा ८२, ८४, ८६  
 वासिष्ठ ९७  
 वामुदेव ८०, ९३  
 वारय ९०  
 विकल ३०  
 विकलेन्द्रिय ६८  
 विकल्प्य गुण १४४  
 विक्रिया ८२, ८५, ८६

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| विश्रह ६३, १९९                        | विपाकोदय ४८                   |
| विश्रहाति ६२, ६४                      | विषेषज्ञता २९, ३०             |
| विघ्न १०१                             | विप्रयोग २२५                  |
| विघ्नकरण १५६                          | विभज्ज शीन ३४, ४५, ५२         |
| विचय २२६                              | विभज्ज शानावरण ४९             |
| विचार २२७, २२८                        | विमान १०७                     |
| विचारदशा १९३                          | विरत २३०, २३१                 |
| विचिकित्सा १८३                        | विरति १६६                     |
| विचिकित्सातिचार १८४                   | विश्वद्वाराज्यातिक्रम १८५-१८७ |
| विजय ९१, ९२, ९९, १००, १०४,<br>१०५-१११ | विविक्षकश्यासन २१८, २१९       |
| विज्ञान २०९                           | विवृत ६७, ६८                  |
| विहास १२९                             | विवेक २१९, २२०                |
| विहर्ण २२७-२२९                        | विशकलित १३२                   |
| विदार-क्रिया १५२                      | विशुद्ध ७१                    |
| विदिशा १०८                            | विशुद्धि ३०                   |
| विदेह ९०, ९१, ९२                      | विशुद्धिकृत ३०                |
| विदेहसेव ९१                           | विशेष ७९                      |
| विदेहमुक्ति २                         | विशेषज्ञान २२                 |
| विदेहवर्ष ८८, ८९                      | विश्वावसु १०१                 |
| विद्या ९२                             | विषभक्षण १६२                  |
| विद्युत्कुमार ९७, १००                 | विषय ३०                       |
| विधान ८, ९-                           | विषयकृत ३०                    |
| निवि १९०, १९१                         | विषयरति १०८                   |
| विनष्ट २१८, २१९                       | विषयसरक्षणानुबन्धी २२६        |
| विनयमध्यन्त १५६                       | विष्कम्भ ८८, ८९               |
| विनयमध्यन्ता १५६, १५७, १६२            | विसंवाद १५७                   |
| विनायक १०१                            | विसंवादन १५६, १५७, १६२        |
| विपर्यय-ज्ञान ३४                      | विसदृश १३८, १४१, १४२          |
| विपाक ८६, ७५, १५१, १९८, २०१           | विसर्ग ११९                    |
| विपाकविचय धर्मव्यापान २२६, २२७        | विहायोगति १९६, १९७, २०७       |
| विपाकानुभव ४८, ४०                     | वीतराग २२६                    |
|                                       | वीतरागता २३६                  |

- वीतरागभाव १  
 वीर्य ४६, ४९, १४४, १४५, १५३,  
     २०९  
 वीर्यान्तराय १२५, १४८, २००  
 वृक्ष ८८  
 वृत्ति १३९, १४०  
 वृत्तिकार १४७, १५७  
 वृत्तिपरिसंख्यान २१८, २१९  
 वेणुदारी १७  
 वेणुदेव १७  
 वेद ७७  
 वेदाना ८२, ८५, ८६, १०६, २२५  
 वेदनीय ४९, ११४, ११५-११७, २०१,  
     २१४  
 वेदमोहनीय ४९  
 वेदान्त ११७  
 वेदान्तादर्शन ४७  
 वेलम्ब ४७  
 वैकिय ६९-७१, ७६, ७७, २०५  
 वैकिय-अंगोपास्त्र २०५  
 वैकियपुष्टगाल ६९  
 वैकियलघ्बि ७४, ७५, ८८ -  
 वैज्ञान्त ९९, १००, १०४, १०९  
 वैषम्य ११५, ११७  
 वैभाविक ४८  
 वैमानिक ९५, ९७, ९९, १००, १०३ -  
 वैमानिकनिकाय ९६  
 वैयाकृत्य १५७, २१८-२२०  
 वैयाकृत्यकरण १५६, १६३  
 वैराग्य १७०, १७२  
 वैशेषिकदर्शन ४७, ११५, ११७, १२४,  
     १२६, १२९
- वैश्वसिक १२९  
 व्यञ्जन २०, २१, २२७, २२८  
 व्यञ्जनावग्रह २०-२४  
 व्यतिक्रम १८५, १८६  
 व्यतिपातिकमात्र १०१  
 व्यन्तर १७-१९, १०१; ११३  
 व्यन्तरानिकाय ९६, १००  
 व्यपरोपण १७२  
 व्यय १३४-१३६  
 व्यवहार २६, ३५, २२०  
 व्यवहारदृष्टि १२०  
 व्यवहारानय ३९, ४१, ४५  
 व्यवहारसम्पर्कत्व ४  
 व्यवहारसिद्ध १०  
 व्याकरण २१३  
 व्यास्थाप्रक्रमिति २६  
 व्याघात ७१  
 व्यावहारिक निग्रन्थ २३२  
 व्यावहारिक हिंसा १७८  
 व्यास ८९  
 व्युत्सर्ग २१८-२२१  
 व्युपरतक्रियानिवृत्ति २२८  
 व्रत १५७, १५९, १६२, १६६-१७०  
 व्रतान्तिवार १५६, १६२  
 व्रती १७९, १८०  
 व्रत्सत्रुकम्या १५६, १५७, १६०
- श
- शक ९३  
 शक्तयन्तर १४५  
 शक ९७  
 शङ्खा १८३  
 शङ्खातिवार १८४

शतार ९९	शुक्र १९, १०३
शनैश्च १०२	शुक्र ४९, १०७, २२४
शबर ९३	शुक्रव्यान २२७, २२८
शब्द ३५, ५७, ५८, ७५, ८६, ९८, १२८, १२९, १६९, २११, २२९	शुद्धव्यान १८३
शब्दनय ४२, ४३, ४५	शुभ ७१, १५६, १६२, १९६, १९७, २००, २०५
शब्द-पूद्गल २२	शुभमायु २०४
शब्दानुपात १८९	शुभगोत्र २०४
शब्दोल्लेख २५, ३२	शुभव्यान १८३
शपथ १६८	शुभमाम २०४
शव्या २१३-२१५	शुभमामकर्म १५६, १५७
शरीर १०, ६९-७१, ७४, ७५, १०४, १०६, १२५, १९६, १९७, १९९	शुभयोग १४९, १५०
शरीर नामकर्म ५०	शुचिर १२९
शरीर-व्युष २३३	शौक २२१
शरीर-स्तकार २११	शौला ८४
शर्करा ८२	शौलेशी-अवस्था २
शर्कराप्रभा ८२, ८४, ८६, १०५	शौलेशीकरण २२३
शत्य १७९	शोक १५६, १५९, १९७
शहर ८८	शोकपोहनीय १६१, १९९
शाश्वत १३४	शोचन ८५
शास्त्र १६३	शीच १५६, १५७, १६०, २१०
शास्त्रशुद्ध ८२	श्रद्धान ४
शिक्षावत १८१, १८२	श्रावक १६०, १८१, १८६, २३०, २३१
शिखरी ८९	श्रावकघर्म १८७
शिल्परी पर्वत ९१	श्राविका १६०
शिल्प-आर्य ९३	श्रुत ११, २४, २६, ३३, ३७, ४९, ५८, ५९, १५६, १५७, २०९, २३२, २३९
श्रीत ६७, ६८, ८६, १२९, २१३, २१४	श्रुत-अज्ञान ३४, ४९, ५२
श्रीलोण ६७, ६८, ८६	श्रुत-अज्ञानावरण ४९
श्रील १५७, १६२	श्रुत-अवर्णवाद १६०
श्रीलग्नतानतिचार १६२	

- श्रुतग्रन्थ २५  
 श्रुतज्ञान २४, २५, ३१, ३२, ३४, ५२,  
     ६०, २२९  
 श्रुतज्ञानावरण २४, ४९, १२५, ११७  
 श्रुतममुद्देशा २१०  
 श्रुतोद्देशा २१०  
 श्रेणि ६२  
 श्रोत्र १५, ५६  
 श्रोत्रेन्द्रिय ५७  
 श्लेष १३८  
 श्वासोच्चवास १०, २००  
 श्वेतभद्र १०१  
 श्वेताम्बर १३९, २१४
- स
- संकल्प ९८  
 सकेत २५  
 संक्लमण २०२  
 संक्रान्ति २२७, २३८  
 सविलष्ट ८२  
 संस्का ८, ९, २०, ४३, २४०  
 संस्थात ११८  
 संस्थाताणुक १२१  
 संस्थैय १०३, ११८  
 सम्रह ३५, ३९  
 सम्रहनय ४०  
 सघ १५६, १५७, २३१  
 संध-व्यवर्णवाद १६०  
 मंधर्प १२९  
 सम्बसाधुममाधिकरण १५६, १६३  
 सधात १३१-१३४, १९६, १९७, १९९  
 संघातभेद १३१  
 सक्षा १३, १४, ६१
- संक्षी ६०  
 संज्वलन ११७, ११८  
 संदिग्ध १७  
 संदिग्धप्राही १६  
 संपराय २१६  
 समधारण सक्षा ६२  
 संप्रयोग २२५  
 संमूर्छन ६७, ७६  
 संमूर्छन-जन्म ६७, ६९, ७१  
 संमूर्छिम ६१, ७७, ९४, १२३  
 संयम १६०, २१०, २३२  
 संयमासयम ४९, १५६, १५७, १६०,  
     १६२  
 संयोग १५४, १५६  
 संरक्षण २२६  
 सरस्मि १५४, १५५  
 सलेखना १८०-१८३  
 संवर ५, १५३, २०६, २०७, २३६  
 संवर-तत्त्व ६  
 संवरानुप्रेक्षा २११, २१२  
 सवृत ६७, ६८  
 संवृत-विवृत ६७, ६८  
 संवेग ४, १५६, १५७, १६३, १७०, १७२  
 ससार १, ३, २११  
 संसारानुप्रेक्षा २११  
 संसाराभिमुख ३५  
 संसारी ४८, ५३, ५४, ६२, ६६  
 संस्तारोपक्षमण १८५, १८६  
 संस्थान ८६, १२८, १३०, १९६,  
     १९७, १९९  
 संस्थानविचय घर्मध्यान २२६, २२७  
 सहनन १९६, १९७, १९९, २०५  
 संहरण ९२

- सहरणसिद्ध २४०  
 सहार ११९  
 सकपाय १५०  
 सकाम २०७  
 सचित ६७, ६८, १८५  
 सचित आहार १८५, १९०  
 सचितनिषेप १८५, १९०  
 सचित्तप्रवान १८५, १९०  
 सचित्तमिश्र आहार १८५, १९०  
 सचित्तसम्बद्ध आहार १८५, १९०  
 सचित्ताचित्त ६७, ६८  
 सत् ८, ९, १३४-१३७  
 सत्कार-पुरस्कार २१३-२१५  
 सत्त्व ८२, १३८  
 सन्मुख ३७, १०१  
 सत्य २, १४१, १७७, २१०  
 सत्य अणुवत १८५  
 सत्यवत १६८  
 सदृग १३८-१४२  
 सद्गुणाच्छादन १५६, १५८, १६३  
 सद्वेष १५६, १९६  
 सन्त्कुमार १७  
 सप्तभगी १३८  
 सप्तसप्तमिका २१०  
 सफेद १२९  
 सम १४१, १४२  
 समचतुरल स्त्यान २०५  
 समनस्क ५४, ५५, ६०, ६२  
 समनोन्ज २२१  
 समन्वय १८१  
 समन्वानुपातन क्रिया १५२  
 समन्वाहार २२५  
 समभाव ३५, १८६  
 समभिस्तु ३६  
 समभिस्तुनय ४२, ४३  
 समय ६३, ६५, १०३, १४४, १४५  
 समवाय २६  
 समादानक्रिया १५१  
 समाप्ति १५७  
 समारम्भ १५४, १५५  
 समिति २०६-२०८  
 समुद्धिल्लक्ष्यानिवृत्ति २२३, २३१  
 समुद्र ५  
 समुद्र ८८-९०  
 समुद्रसिद्ध २४०  
 सम्यक्चारित्र १-३  
 सम्यक्त्व ५, ११, १६, ४९, ५३, ८८  
     १४५, १८३, १९७  
 सम्यक्त्वक्रिया १५१, १५३  
 सम्यक्त्वमिथ्यात्व १९७  
 सम्यक्त्वमीहनीय १९८, २०४  
 सम्यक्त्वसहचरित ११  
 सम्यक्त्वी ५३  
 सम्यग्ज्ञान १-३, ११, १२  
 सम्यग्दर्शन १-४, ७-९, १८३, १९३  
 सम्यग्दृष्टि ३४, १०७, २३०, २३१  
 सम्यग्भाषा २०७  
 सरागसंयम १५६, १५७, १६०, १६२  
 सरोवर ८८  
 सर्वज्ञ २२४, २२६  
 सर्वज्ञत्व २३५  
 सर्वतोभद्र १०१, २१०  
 सर्वदर्शित्व २३५  
 सर्वपरिस्कैपी ३६, ३९

- सर्वर्थसिद्ध ९९, १००, १०४, १०७,  
१०९-१११  
सर्वर्थसिद्धि ६९, १३९, १४०, १४७  
सविकल्पक बोध ५२  
सविग्रह ६२  
सवितर्क २२७, २२८  
सहजचेतना २३५  
सहसानिकेष १५५  
सहसार ९९, १००, १०४, २३३  
साध्य ५, ४७, ११५, ११७, १२४  
सांख्यदर्शन १३५  
सांपरायिक १५०, १५१, १५६, १६३  
साप्रत ३६  
साकार-उपयोग ५२, ५३, १४६  
साकारमन्त्रमेद १८५, १८७  
सागरोगम ८२, ८७, १०३, १०६;  
११०-११२  
साता १०७  
साता-वेदना १०७  
सातावेदनीय १२६, १५७, १६०, १९८,  
२०४, २०५  
सादि २०५  
सादि-अनन्त ९  
सादि-सान्त १४२  
साधक-अवस्था ३  
साधन ८, ९  
साध्मिक १६८  
साध्मिक-अवश्यहयाचन १६९  
साध्म्य ११५, ११६  
साधारण १९६, १९७, २००, २०५  
साधारणवारीर १२३  
साधु १५७, १६०, २२१  
साध्वी १६०  
सान्त्कुमार ९७, ९९, १००, १०४, ११०,  
१११  
सान्तर-सिद्ध २४०  
सामाजिक ९६, १०८  
सामान्य १९  
सामान्यग्राही ३०  
सामान्य ज्ञान २२  
सामायिक २६, १६३, १६० १८२,  
२३९  
सामायिक चारित्र २१७  
सारस्वत १०८  
सावधव ७५  
सिंह ८७, १०१  
सिंहविकीडित २१०  
सिद्ध २३८  
सिद्ध-नवस्था ३  
सिद्धकेन २३८  
सिद्धगति २३९  
सिद्धत्व २३६  
सिद्धशिला १०७  
सिद्धहेमव्याकरण २११  
सीमान्तक ८५  
सुख १, ३, १०४, १०५, १२५  
सुखवेदना १०७  
सुखवेदनीय ११७  
सुखानुबन्ध १८५, १९०  
सुखामात ३, ४  
सुग्रन्थ १२९  
सुधोष १७  
सुर्पणकुमार ९७, ९९ १००  
सुभग १९६, १५७, २००, २०५  
सुभद्र १०१

- |  |  |
|--|--|
| सुप्रनोभद १०१                                      | स्कन्धशाली १०१   |
| सुप्रेष पर्वत ९१                                   | स्तनितकुमार ९७, १००  |
| सुरूप १०१  | स्तुति १०७   |
| सुलस १०१   | स्तेनप्रयोग १८५, ८८७   |
| सुस्वर १९६, १९७, २००, २०५                          | स्तेनाहृतादान १८५, १८७   |
| सूक्ष्म ६९, ७१, १३१, १९६, १९७,<br>२०५              | स्त्रेय १७७  |
| सूक्ष्मकियाप्रतिपाती २२३, २२८, २३०                 | स्त्रेयानुवन्धी २२६  |
| सूक्ष्मत्व १२८-१३०                                 | स्त्यानगुदि १९६-१९८  |
| सूक्ष्मत्वपरिणामदशा १२३                            | स्त्री ४९, ८७, १६१, २१३-२१५  |
| सूक्ष्म परमाणु ५४                                  | स्त्री-कथा-वर्जन १६८   |
| सूक्ष्म शरीर ६३                                    | स्त्री-यु-षष्ठसेवितशयनासनवर्जन १६९                                   |
| सूक्ष्मसम्प्राय २०१, २१३, २१४,<br>२१६, २१७, २३३    | स्त्री-यनोहरागावलोकनवर्जन १६९  |
| सूक्ष्मसम्प्राय चारित्र २११                        | स्त्रीलिङ्ग ७८   |
| सूत्रकार १४४, १४५                                  | स्त्रीबेद ७८, १६१, १९७, १९९  |
| सूत्रकृत २६  | स्थलवर ९४  |
| सूत्रकृताङ्ग २५                                    | स्थान २६, २३४  |
| सूर्य ९७, ९९, १००, १०२, १०३, ११३                   | स्थानाङ्ग १०९  |
| सूर्यमण्डल १०२                                     | स्थापना ६  |
| सेन्द्रिय ७५                                       | स्थापनानिषेप ७   |
| सेवक ७, ४४   | स्थावर ५४, १९६, १९७, १९९, २०५  |
| सेवा १५३   | स्थावरत्व ५४   |
| सेवार्त २०५  | स्थावरदशक १९९  |
| सोपभोग ७६  | स्थावर नामकर्म ५५  |
| सीक्ष्य १२८  | स्थिति ८, ९, ८७, ८९, ९४, १०४,<br>१०९, १२३-१२५, १९२, १९४,<br>१९५, २२९ |
| सीघर्म ९७, ९९, १००, १०४, ११०,<br>१११, १५७, २३३     | स्थितिक्षेत्र १२०  |
| सीमनस ९०   | स्थितिबन्ध १९५   |
| स्कन्दिक १०१                                       | स्थिर ११५, १९६, १९७, २००, २०५  |
| स्कन्ध ७२, ११८-१२१, १२३, १२५,<br>१२६, १३१-१३३, १३८ | स्थूल ७१   |
|  | स्थूलत्व १२८-१३०, १३३  |
|  | स्थूलभाव १२३   |

स्थैर्य १२८	ह
स्नातक २३१, २३२, २३४	हरि १०, १३, १७
स्निग्ध १२९, १३९, १४१, १४३	हरिगढ़ १०१
स्निग्धत्व १३८	हरिवर्ण ८९
स्वर्ण १९, ५६-५८, ८६, ९८, ११६, १२८, १२९, १३१, १४३-१४५, १६९, १९६, १९७, १९९, २०५, २११	हस्ति १०१
स्वर्णन ८, १०, १५, २३, ५६, १३३, १५१	हानि ५
स्वर्णनक्रिया १५२	हानोपाय ५
स्वर्णन-सेत्र १०	हास्य १६९, १९७, २०४
स्वर्णोन्निय ५७	हास्यप्रत्याख्याल १६८
स्वरण २५, १२६	हास्यमोहनीय १६१, १९९
स्मृति १३, १४	हाहा १०१
स्मृत्यनुप्रस्थापन १८५, १८६, १८९, १९०	हिंसा ७५, १४९, १५१, १५३, १५५, १६२, १६६, १७०, १७२, १७३, १७६, २२६
स्मृत्यन्तर्धान १८५, १८६, १८८	हिंसागुबन्धी २२६
स्मगुणाच्छादन १६३	हिंसाविरति १६२
स्वप्रतिष्ठ १२०	हिंसाविरमण १६८
स्वभाव ७३, १२८, १५६, १५७	हिन्दुस्तान ४०
स्वयम्भूतमण १०	हिमवान् ८९, ९१
स्व-रूप १३७	हिरण्यसुवर्णप्रभाणातिक्रम १८५, १८६, १८८
स्वर्ग १६	हीनाविकमानोन्मान १८५, १८७
स्वलिङ्ग २३९	हीयमान २८
स्वसंवेदन ५०	हुड २०५
स्वहस्तक्रिया १५२	हुह १०१
स्वाध्याय २१८, २१९, २२१	हृदयगम १०१
स्वानुभूत ३२	हृषि ५
स्वामिकृत ३०	हृष्यहेतु ५
स्वामित्व ८, ९	हृमवत १०
स्वापी ३०, ७३	हृमवतवर्ष ८९
	हृरण्यवत १०
	हृरण्यवतवर्ष ८९

१८